सप्तम माला, खंड 50, अंक 20 मंगलवार, 21 अगस्त, 1984/30 श्रावण, 1906(शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

(पन्द्रहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 50 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

मंगलवार, 21 अगस्त, 1984/30 श्रावण, 1906 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ 27, पंक्ति 2, "श्री वसुदेव आचार्य" के स्थान पर "श्री बसुदेव आचार्य" पढ़िये ।

पृष्ठ 44, पंक्ति नीचे से 7, "श्री रुद्र प्रताप सारेगी" के स्थान पर "श्री रुद्र प्रताप षाडगी" पढ़िये ।

पृष्ठ 44, पंक्ति नीचे से 8, "श्री सतोस अग्रवाल" के स्थान पर "श्री सतोश अग्रवाल" पढ़िये ।

पृष्ठ 58, पंक्ति 3, "जवर्यानगर" के स्थान पर "जक्यानगर" पढ़िये ।

पृष्ठ 59, पंक्ति 5, "अपातकालोन" के स्थान पर "आपातकालोन" पढ़िये।

पृष्ठ 94, पंक्ति 15, "को हुए" के स्थान पर "द्वारा" पढ़िये।

पृष्ठ 112, पंक्ति 11, "डा०प्रताप बाघ" के स्थान पर "डा०प्रताप वाघ" पढ़िये।

पृष्ठ 152, पंक्ति 13, "कच्च" के स्थान पर "कच्छ" पढ़िये ।

पृष्ठ 158, पंक्ति 3, "श्री रुद्र प्रताप सारगी," के स्थान पर "श्री रुद्र प्रताप षाडगी" पढ़िये ।

पृष्ठ 182, पंक्ति 11, "अग्रीमेंट" के स्थान पर "एग्रीमेंट" पढ़िये ।

पृष्ठ 208, नीचे से पंक्ति 5, "फौरभुलेशन सूत्यों" के स्थान पर "फोरमुलेशन सूत्यों" पढ़िये ।

पृष्ठ 210, पंक्ति 2, "श्रीतारिक अरवर" के स्थान पर "श्री तारिक अनवर" पढ़िये ।

पृष्ठ 213, पंक्ति 20, "किया जारा" के स्थान पर "किया जाना" पढ़िये।

पृष्ठ 223, पंक्ति 9 तथा अंतिम पंक्ति "श्री माधव राम सिंधिया" के स्थान पर "श्री माधवराव सिंधिया" पढ़िये।

पृष्ठ 225, नीचे से पंक्ति 2, "आपेक्षित" के स्थान पर "अपेक्षित" पढ़िये।

पृष्ठ 247, पंक्ति 20, "पसारण" के स्थान पर "प्रसारण" पढ़िये।

पृष्ठ 252, पंक्ति 21, "श्री बृज मोहन" के स्थान पर "श्री बृज मोहन महन्ती पढ़िये।

पृष्ठ 258, पंक्ति 13 के नीचे समाप्ति सूचक "रूल" लगाइये तथा पंक्ति 13 और 14 के बीच बाईं ओर समय "12·00 मध्याह्न" अंत:स्थापित करिये।

पृष्ठ 270, नीचे से पंक्ति 5, "एसक्प्रेस" के स्थान पर "एक्सप्रेस" पढ़िये।

पृष्ठ 336, नीचे से पंक्ति 5, "श्री हेवमतो नंदन बहुगुणा" के स्थान पर "श्री हेमवती नंदन बहुगुणा" पढ़िये।

पृष्ठ 338, अंतिम पंक्ति, "श्री मधु द्रंडवते" के स्थान पर "श्री मधु दंडवते" पढ़िये।

पृष्ठ 253, पंक्ति 12, "{टिन्डगल}" के स्थान पर "{डिन्डगल}" पढ़िये।

पृष्ठ 366, पंक्ति 5, "श्री अनन्त समुलु मल्लु" के स्थान पर "श्री अनन्त रामुलु मल्लु" पढ़िये।

विषय-सूची

अंक 20, मंगलवार, 21 अगस्त, 1984/30 श्रावण, 1906 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर			1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या	:	395 से 400	
प्रश्नों के लिखित उत्तर			21—259
तारांकित प्रश्न संख्या	:	401 से 405 और 407 से 414	21—31
अतारांकित प्रश्न संख्या	:	3874 से 3900, 3902 से 3988, 3990 और 3992 से 4104	31—258
सभा-पटल पर रखे गये पत्र			259—261
राज्य सभा से संदेश			261
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 58वां प्रतिवेदन			261
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति 58वें प्रतिवेदन से संबंधित कार्यवाही-सारांश			261—262
23 अप्रैल, 1984 को दिये गए तारांकित प्रश्न संख्या 763 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य			262—263
कार्य-मंत्रणा समिति 66वां प्रतिवेदन			263—265
कराधान विधि (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित			265—266
नियम 377 के अधीन मामले			266—272
(एक) कोणार्क में "प्रकाश-ध्वनि कार्यक्रम" के लिये अनुमति दिये जाने की आवश्यकता — श्रीमती जयन्ती पटनायक			266—267
(दो) शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता — श्री हरीश रावत			267—268

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
(तीन) रेल सेवाओं में वृद्धि करने के संबंध में मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, विदिशा तथा शाजापुर जिलों के लोगों की मांगों को पूरा करने की आवश्यकता डा० वसन्त कुमार पंडित	268—269
(चार) उत्तर प्रदेश में नये बैंक खोलने तथा कतिपय बैंकों को मिलाकर "उत्तर प्रदेश बैंक" नामक एक बैंक खोलने की आवश्यकता श्री जैनुल बशर	269—270
(पांच) धनबाद क्षेत्र में सड़कों के विकास पर होने वाला पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने की आवश्यकता प्रो० अजित कुमार मेहता	270
(छः) कलकत्ता और बारबिल के बीच एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी शुरू करने की आवश्यकता श्री हरिहर सोरन	270—271
(सात) हरियाणा स्थित ढांढी-खेड़ा समाधि के समुचित रख-रखाव हेतु इसका प्रबन्ध पुरातत्व विभाग को सौंपने की आवश्यकता श्री मनी राम बागड़ी	271
(आठ) फसल बीमा के लिए एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता श्री एम० रामन्ना राय	271—272
आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह पता लगाये बिना कि आंध्र प्रदेश विधान सभा में श्री एन० टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है या नहीं, श्री रामाराव के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किये जाने की राज्यपाल की कार्यवाही का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव	272—370 और 373—389
प्रो० मधु दंडवते	272
श्रीमती इंदिरा गांधी	291
श्री बी० आर० भगत	297
श्री चरण सिंह	307
श्री के० के० तिवारी	317
श्री राम जेठमलानी	325
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	333
श्री समर मुखर्जी	339
श्री पी० नामग्याल	348

विषय	पृष्ठ
श्री के० मायातेवर	353
श्री कमालुद्दीन अहमद	357
श्री इन्द्रजीत गुप्त	359
श्री अनन्त रामुलु मल्लु	366
श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव	373
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी	376
श्री जी० एम० बनातवाला	378
श्री पी० वी० नरसिंह राव	381
सदस्य द्वारा त्याग पत्र	370—373
श्री कमल नाथ झा	
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक	389—404
विचार किये जाने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	389
श्री जी० एम० बनातवाला	392
श्री राम सिंह यादव	393
श्री गिरधारी लाल व्यास	395
प्रो० पी० जे० कुरियन	397
आचार्य भगवान देव	400
खंड 2 से 9 तथा 1	403—404
पारित किये जाने के लिए प्रस्ताव	
श्रीमती शीला कौल	404

———

लोक सभा

मंगलवार, 21 अगस्त, 1984/30 श्रावण, 1906 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री रामविलास पासवान : अध्यक्ष जी, हमने नियम 388 में एक नोटिस दिया है कि जानबूझकर ट्रेन और हवाई जहाज को लेट किया गया और यह रेलवे मिनिस्ट्री का मामला है···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। आप राइटिंग में दोगे तो मैं पता करूंगा।

श्री रामावतार शास्त्री।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

समाचार-पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन करने संबंधी नीति

*395. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समाचार पत्रों को अखबारी कागज का आबंटन करने हेतु 1984-85 के लिए किसी नई नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) समाचार पत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। 1984-85 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति 21-7-84 को घोषित की गई थी।

(ख) नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

(1) 3,85,000 मीट्रिक टन अखबारी कागज की अनुमानित मांग की पूर्ति 200,000 मीट्रिक टन के स्वदेशी उत्पादन तथा 185,000 मीट्रिक टन के आयात द्वारा की जानी है।

(2) जिन लघु और मझोले समाचारपत्रों की अखबारी कागज की वार्षिक हकदारी 300 मीट्रिक टन तक की है, उनको अपनी आवश्यकताओं को आयातित और/या स्वदेशी अखबारी कागज पूर्ण रूप में या चरणों में उठाने का विकल्प होगा।

(3) अखबारी कागज की उच्च वार्षिक आवश्यकता वाले समाचारपत्र अपनी 35 प्रतिशत हकदारी आयातित अखबारी कागज में तथा शेष 65 प्रतिशत स्वदेशी अखबारी कागज में प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

उक्त नीति की प्रति लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3447 के उत्तर में 14-8-1984 को सदन की मेज पर भी रख दी गई थी।

(ग) जिन लघु और मझोले समाचारपत्रों की अखबारी कागज की वार्षिक आवश्यकता 300 मीट्रिक टन तक की है, वे किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं हैं। 300 मीट्रिक टन से अधिक की वार्षिक आवश्यकता वाले मझोले श्रेणी के समाचारपत्र बड़े समाचारपत्रों की तुलना में कम प्रभावित हैं। तथापि, अखबारी कागज के वर्धित स्वदेशी उत्पादन से यह अनिवार्य है कि समाचारपत्रों को अधिकाधिक स्वदेशी अखबारी कागज स्वीकार करना होगा।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय के जवाब के मुताबिक हमारे देश के समाचारपत्रों को 8.85 लाख मीट्रिक टन अखबारी कागज की आवश्यकता है और हमारे यहां उत्पादन हो रहा है 2 लाख मीट्रिक टन, जिससे 1.85 लाख मीट्रिक टन की कमी रह जाती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त क्षमता पैदा करने की कोई योजना बनाई है या नहीं। हम कब तक बाहर से अखबारी कागज मंगाते रहेंगे? हमारे यहां समाचारपत्र बढ़ते जा रहे हैं और लोग समाचारपत्र पढ़ना चाहते हैं। ऐसी स्थिति में हमारे यहां ज्यादा से ज्यादा कागज पैदा हो, क्या सरकार ने इस बारे में विचार-विमर्श करके कोई नीति निर्धारित की है या नहीं; यदि हां, तो वह क्या है?

श्री एच० के० एल० भगत : जो अखबारी कागज मुल्क में बनता है और जो उसकी खपत है, उसमें जो फर्क है, उसको दूर करने के लिए मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्री ने योजना बनाई है। हमने

भी उससे बातचीत की है और इसमें कुछ बढ़ोतरी तथा इम्प्रूवमेंट हुई। अखबारी कागज के मामले में हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें, इसके लिए मिनिस्ट्री आफ इंडस्ट्री कोशिश कर रही है। उसने कुछ कन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं। अगर आनरेबल मेम्बर नोटिस देंगे, तो मैं उनको डीटेल में इनफर्मेशन दे दूंगा। आनरेबल मेम्बर ने कहा है कि देश में समाचारपत्र बढ़ रहे हैं, उनको कागज की जरूरत है और वह उनको मिलना चाहिए। सरकार इस बात से बहुत खुश है कि समाचारपत्रों की तादाद बढ़ रही है। उनकी जरूरत को पूरा किया जा रहा है। किसी समाचारपत्र ने पहले साल जितना कागज कन्ज्यूम किया है, उसको देखते हुए उनको नीड-बैस्ड कागज दिया जाता है।

श्री रामावतार शास्त्री : क्या यह सच है कि छोटे और मझोले समाचारपत्रों को बड़े समाचारपत्रों की तुलना में बहुत ही कम विज्ञापन मिलते हैं। कागज के मामले में छोटे और मझोले समाचारपत्रों को सरकार पर ज्यादा से ज्यादा निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पूंजी की कमी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि बड़े-बड़े और मझोले समाचारपत्रों की तुलना में, जिनको ज्यादा विज्ञापन मिलते हैं, जिनकी पूंजी असीमित है और जिनको मानोपालिस्ट्स, इजारेदार, पूंजीपति चलाते हैं, गरीब, कम पूंजी वाले या साधारण समाचारपत्रों को ज्यादा कागज दिया जाए ?

क्या यह बात सत्य है कि इस कागज की कमी की स्थिति में भी, हमारे बिहार में एक ठाकुर पेपर मिल बन्द है जहां कागज पैदा हो सकता है और उस मिल में कागज पैदा करने की सामग्री भी काफी है; इस बारे में आप कह देंगे कि उद्योग मंत्री जानें तब तो फिर मामला यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन आप उस मिल को खुलवाने में दबाव डाल सकते हैं या नहीं और क्या सरकार उसे अपने हाथ में लेकर चलायेगी जिससे कागज की कमी की पूर्ति हो सके ?

श्री एच० के० एल० भगत : आनरेबल मेम्बर ने सवाल किया है कि छोटे समाचार-पत्रों के पास साधन कम हैं, इसलिए उनको ज्यादा न्यूजप्रिंट दिया जाये, मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे, मध्यम या बड़े समाचार-पत्रों को उनकी जरूरत के मुताबिक, जितनी खपत उन्होंने कागज की पिछले साल की है, या जितनी वह मांग करते हैं, उसके मुताबिक उनको एलोकेशन दिया जाता है। उसके अलावा उनको इन्करेज करने के लिए और तरीकें से मदद की जाती है। जैसे मैंने कहा कि जिन स्माल पेपर वालों की रिक्वायरमेंट 300 मीट्रिक टन है, उनको औप्शन है कि वह चाहे इम्पोर्टेड उठायें या देशी उठायें, क्योंकि इम्पोर्टेड के दाम कम हैं इसलिये उनको अवसर मिल जाता है। छोटे समाचार-पत्रों से कस्टम ड्यूटी नहीं ली जाती है, उनके लिये यह भी कन्सेशन है। छोटे अखबारों का खास तौर से सरकार ध्यान रखती है।

ठाकुर पेपर मिल के बारे में माननीय सदस्य ने कहा, उसकी मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है। जो कुछ उन्होंने कहा है वह मैं उद्योग मंत्री को बता दूंगा। देश में कागज पैदा करने के लिये 3 मिलें इस समय काम कर रही हैं, चौथी मिल के बारे में बताया गया है कि शायद इस साल काम करना शुरू कर देगी। यह ठाकुर मिल है या कोई और, इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है।

श्री अनादि चरण दास : माननीय मन्त्री ने छोटे और बड़े समाचार-पत्रों के लिए पालिसी बना रखी है, लेकिन जो कभी-कभी जरूरत हो जाती है सौवेनार, कमोरेशन और पीरियोडिकल छापने की तो उसके लिए आपने क्या पालिसी बना रखी है, इसका ब्यौरा दीजिये।

श्री एच० के० एल० भगत : मैंने शुरू में ही कहा है कि हमारे देश में जो इसकी मांग करता है, उसको कागज दिया जाता है। उसके बारे में क्राइटीरिया है, उसकी टर्म्स एंड कंडीशन्ज हैं। जो नए अखबार छपते हैं, उनको भी न्यूजप्रिंट दिया जाता है, उनके जो प्रपोजल आते हैं, उसका भी प्रोसीजर है।

श्री एम० एम० लारेंस : सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट नीति देश में लघु तथा मझोले समाचार पत्रों के लिये किसी भी तरह से सहायक नहीं है।

माननीय मंत्री ने कहा है कि अखबारी कागज की कमी है तथा स्वदेशी उत्पादन बढ़ नहीं रहा है। आयातित कागज का मूल्य स्वदेश में निर्मित कागज के मूल्य से कम है। इसके साथ-साथ, स्वदेश में निर्मित कागज का भार भी बहुत अधिक है और यदि समाचार-पत्र देश में निर्मित कागज का प्रयोग करते हैं, तो प्रतियों की संख्या भी कम हो जाती है।

हाल ही में सभी समाचार-पत्रों को अपने मूल्य में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए क्या सरकार उस समय तक जब तक हम अधिक स्वदेशी कागज का उत्पादन करने में समर्थ नहीं हो जाते, अधिक कागज का आयात करेगी, ताकि कागज का मूल्य कम किया जा सके तथा देश के लघु एवं मझोले समाचार-पत्रों की स्थिति में सुधार लाया जा सके और उन्हें अपना उत्पादन जारी रखने में सहायता दी जा सके ?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं पहले ही कह चुका हूं कि सरकार इन लघु एवं मझोले समाचार-पत्रों की सहायता करने को उत्सुक है; सरकार कुछ निर्धारित कदम उठाकर उनकी सहायता कर रही है जिनके बारे में मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं। माननीय सदस्य के प्रश्न का प्रवर्ती भाग यह है कि स्वदेशी कागज का उत्पादन कम होने के कारण क्या सरकार और अधिक आयात करेगी। हम यह कर रहे हैं। जब भी कमी पड़ती है तो हम अधिक अखबारी कागज का आयात करते हैं। लेकिन माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि हम स्वदेशी उत्पादन की उपेक्षा नहीं कर सकते। यद्यपि आयातित कागज सस्ता पड़ता है, तो भी हम देश में निर्मित कागज की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करना हमारी आत्म-निर्भरता की नीति के विरुद्ध होगा। यदि देश में निर्मित कागज के उत्पादन में वृद्धि की जाती है तो प्रत्यक्षतः हमें और अधिक रियायत देनी पड़ेगी, और इसमें भी उन्होंने कहा है कि उन्होंने ऐसे लघु समाचार-पत्रों को रियायत दी है जो 300 मीट्रिक टन तक की खपत करते हैं। माननीय सदस्य जो सुझाव दे रहे हैं, हम ठीक वैसा ही कर रहे हैं।

केरल की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता

*396. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल को इस समय केवल 1000 मेगावाट बिजली मिल रही है;

(ख) क्या आगामी पांच वर्षों के दौरान केरल की बिजली की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केरल की बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन से विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) केरल की विद्युत प्रणाली की वर्तमान प्रतिष्ठापित क्षमता 1011.5 मेगावाट है

(ख) जी, हां ।

(ग) सातवीं योजना तैयार करने के संबंध में विद्युत संबंधी कार्यकारी दल ने 1989-90 में केरल की ऊर्जा की आवश्यकता 8647 मिलियन यूनिट आंकी है ।

(घ) कुल 710 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की पांच जल विद्युत स्कीमें केरल में इस समय क्रियान्वित की जा रही हैं । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने कुल 250.5 मेगावाट क्षमता की चार और स्कीमों को हाल ही में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी है । दक्षिणी क्षेत्र में केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से भी केरल को अपना विद्युत का हिस्सा प्राप्त होगा ।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा है कि इस समय क्रियान्वित की जा रही स्कीमों की प्रतिष्ठापित क्षमता 710 मेगावाट है तथा कुल 250 मेगावाट क्षमता वाली चार और स्कीमों को हाल ही में तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी गई है । मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री कृपया मुझे केरल के लम्बित प्रस्तावों के सम्बन्ध में तथा इन प्रस्तावों के लम्बित रहने की अवधि के बारे में आंकड़े देंगे । मूल प्रश्न यह है कि केरल में प्रचुर पन-विद्युत क्षमता है, जिसका अभी दोहन किया जाना है । यह सभी जानते हैं कि देश में जिस विद्युत का उत्पादन हो सकता है, उसमें पन-विद्युत सबसे सस्ती है । लेकिन, मेरी समझ में यह नहीं आता कि जिस पन-विद्युत क्षमता का सुगमता से दोहन किया जा सकता है, उसका दोहन क्यों नहीं किया जा रहा है । दूसरी ओर, हम तापीय तथा आणविक विद्युत के उत्पादन में लगे हुए हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने केरल राज्य में अथवा

अन्य राज्यों में कुल उपलब्ध पन-विद्युत क्षमता के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ? यदि हां, तो अब तक कितनी प्रतिशत पन-विद्युत का दोहन किया गया है और इसके क्या कारण हैं कि हम अब तक शेष संसाधनों का दोहन नहीं कर पाए हैं ? मैं नहीं जानता कि सरकार अन्य अधिक खर्चीले विद्युत उत्पादन साधनों को क्यों अपना रही है ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : श्रीमन्, केरल में विद्युत उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 250.5 मेगावाट क्षमता वाली चार और पन-विद्युत स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान की है । ये स्कीमें हैं :

1. पूपन कुट्टी	240 मेगावाट
2. मुक्तुपूजा वेली	6 मेगावाट
3. मदुपट्टी-लघु पन-विद्युत स्कीम	2 मेगावाट
4. मलायमपूजा	2.5 मेगावाट

उपरोक्त अन्तिम तीन की कुल क्षमता 10.5 मेगावाट है और हमें आशा है कि सातवीं योजना में इनसे लाभ मिलने लगेगा और इन परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जिन स्कीमों की जांच की जा रही है, वे हैं :

1. कुट्टियाडी	अनुमानित लागत 13.05 करोड़ रुपए
2. पांडियार पुन्नापूजा	अनुमानित लागत 21.95 करोड़ रुपए
3. मनन्थावाडी	60 मेगावाट (प्रत्येक) क्षमता वाली चार इकाइयों की अनुमानित लागत 69.12 करोड़ रुपए

अध्यक्ष महोदय : आप यह जानकारी सभा-पटल पर रख सकते हैं ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जी हां, श्रीमन् । ये चार स्कीमें हैं जिनकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने स्वीकृति दे दी है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण इन स्कीमों को स्वीकृति नहीं दे पाया है । जब तक वे स्वयं इन विवादों को नहीं सुलझाते, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण इन स्कीमों को स्वीकृति नहीं दे सकेगा ।

जहा तक कुल पन-विद्युत क्षमता का सम्बन्ध है, 60 प्रतिशत भार अनुपात की दर से केरल की क्षमता 2980 मेगावाट आंकी गई है, जिसमें से 1011.5 मेगावाट का पहले ही विकास किया जा चुका है तथा 710 मेगावाट के विकास का कार्य चल रहा है । 250.5 मेगावाट की किस्में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की जा चुकी हैं तथा 850.5 मेगावाट की किस्में

इसके पास लम्बित हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर जोड़ 2802.5 मेगावाट बैठता है। इससे पता चलता है कि व्यावहारिक रूप से केरल की सारी पन-विद्युत क्षमता का या तो विकास कर लिया गया है या विकास किया जा रहा है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : माननीय मत्री ने कहा है कि केरल को केन्द्रीय परियोजनाओं से विद्युत का हिस्सा मिलेगा। केरल को केन्द्रीय परियोजनाओं से कितने प्रतिशत भाग मिलेगा ? अन्य राज्यों में स्थित केन्द्रीय परियोजनाओं से केरल को विद्युत दिए जाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जब दूर के स्थानों से बिजली दी जाती है तो इससे हानि होती है जो कभी-कभी 20 प्रतिशत तक बैठती है। इसलिए, दूरस्थ स्थानों से विद्युत की सप्लाई बिलकुल भी किफायती नहीं है। इसे दृष्टिगत रखते हुए, आप प्रत्येक राज्य में एक केन्द्रीय परियोजना स्थापित करने पर विचार क्यों नहीं करते ? जहां तक मुझे जानकारी है, केरल में ऐसी एक भी परियोजना नहीं है। क्या आप कृपया केरल में तापीय या आणविक विद्युत की केन्द्रीय परियोजना स्थापित करने पर विचार करेंगे ? क्या इस समय कोई परियोजना विचाराधीन है, यदि नहीं तो क्या आप इस पर विचार करेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : सुपर तापीय विद्युत केन्द्र की स्थापना का मूल आधार यह है कि यह कोयला खान मुहाने पर स्थित होना चाहिए। राज्य सरकारें स्वयं अपने तापीय विद्युत संयंत्र स्थापित कर रही हैं। इस समय केरल में केन्द्रीय विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तथापि, दक्षिण क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय परियोजनाओं से केरल को उसके हिस्से की बिजली मिल रही है, जिसमें कालपक्कम इकाई 2, रामगुंडम तथा नेवेली द्वितीय खान कट (सैकंड माइन कट) से मिलने वाली विद्युत का हिस्सा शामिल है।

श्री के० ए० राजन : श्रीमन्, केरल एक ऐसा राज्य है जिसे ऊर्जा संसाधनों के लिए अधिकतर पन-विद्युत पर निर्भर करना पड़ता है, क्योंकि मानसून की अनिश्चितता अब एक समस्या बन गई है। गत वर्ष इस कारण हमें बिजली की कमी का सामना करना पड़ा। यद्यपि इससे पूर्व हम अन्य राज्यों को बिजली की आपूर्ति किया करते थे। इसे दृष्टिगत रखते हुए, मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने, विशेष तौर पर केरल की असाधारण पन-विद्युत स्थिति के कारण वहां अन्य स्रोतों से बिजली पैदा करने, चाहे ये तापीय हों या आणविक, के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव रखा है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अच्छे मानसून की वजह से केरल में इस वर्ष बिजली की स्थिति में सुधार हुआ है। वास्तव में केरल ने तमिलनाडु को बिजली की आपूर्ति करने का एक समझौता किया है। केरल सरकार 4 × 2 0 मेगावाट क्षमता का एक ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करना चाहती है और केरल राज्य विद्युत बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से परियोजना के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करवाने में सहायता करने का निवेदन किया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण

ने संगत सामग्री जुटाने के लिए कहा है, ताकि हम उनकी तापीय विद्युत केन्द्र लगाने में सहायता कर सकें।

श्री ई० बालानन्दन : पिछले वर्ष केरल में बिजली की कमी थी। यह अफवाह है और कहा भी गया है कि केरल राज्य में विद्युत के लिए एक परमाणु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। वास्तविक स्थिति क्या है ? केरल राज्य में आपने तापीय अथवा परमाणु संयंत्र लगाने का निश्चय किया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने की बात अभी भी विचाराधीन है, यानि कि दक्षिण में इसे स्थापित करने पर अभी भी विचार किया जा रहा है। दूसरे, यह मामला प्रत्यक्ष रूप से परमाणु ऊर्जा विभाग से संबंधित है। अतः आप यह प्रश्न उस विभाग को भेज सकते हैं।

उत्प्रवासी विधियों के अधीन नियोजकों द्वारा त्रिपक्षीय समझौते का उल्लंघन

*397. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्प्रवासी महासंरक्षक के सन्दर्भ में किए गए त्रिपक्षी समझौते पर नियोजक, कर्मचारी और उत्प्रवासी संक्षरक तीनों पक्षों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि नियोजकों द्वारा उत्प्रवास संबंधी विधियों, नियमों और विनियमों तथा सरकार के निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

श्री मनोहर लाल सैनी : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने सवाल के जवाब में कहा है—"नो सर" "क्वश्चन डज नाट एराइज", अध्यक्ष महोदय, प्रोटेक्टर जनरल आफ इमीग्रेंट जो लोग बाहर जाते हैं उनके इंट्रेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए है लेकिन यहां तो एप्लायर्स को सेफ गार्ड किया जा रहा है। इसी विषय पर अनस्टार्ड क्वश्चन नम्बर 3467, दिनांक 2 मई, 1984 को आया था। इस पर हाफ एन आवर डिसक्शन भी हुआ था। मन्त्री जी ने जवाब में बताया था कि जानकारी एकत्रित की जा रही है। जो लोग बाहर जाते हैं, चाहे लेबरर हों, इंजीनियर्स हों या और लोग हों, उनका बड़ा एक्सप्लाइटेशन हो रहा है। एंप्लायर्स उनको न वेजेज देते हैं, न ग्रेच्युटी देते हैं, न ओवर टाइम देते हैं। मिनिमम लिविंग कंडीशंस भी पूरी नहीं की जा रही हैं। इसी

प्रकार ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट के बारे में बताया गया कि प्रोटेक्टर जनरल साइन नहीं करते हैं। इसके लिए मैं आपके ध्यान में एग्रीमेंट नम्बर 1527 की ओर दिखाऊंगा। यह दिनांक 10-9-81 को मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स, मि० सत्यम ओर प्रोटेक्टर जनरल आफ इमीग्रेंट्स दिल्ली ने साइन किया। आपने बताया है कि ट्रिपार्टाइट एग्रीमेंट नहीं होता। यह मैं स्पेसिफिक केस आपको बतला रहा हूं। इसमें प्रोटेक्टर जनरल, अंडर सेक्रेटरी ने और डिप्टी सेक्रेटरी ने तीन बार लिखा कि जहां वेजेज, फूड अलाउन्स, ग्रेच्युटी नहीं दी गई है, यह दी जाए। इसके बावजूद मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स नहीं दे रहे हैं। आपने उनको मैन पावर एक्सपोर्ट लाइसेंस दिया है। बैंक गारण्टी दी है व गारण्टी देकर लोन दिलवाया है। क्या ये सब बातें सही नहीं हैं। एक डिप्टी सेक्रेटरी सी० बी० आई० के रेड में पकड़े गए और उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। कोर्ट में केस चल रहा है। यह सब आपकी जानकारी में हो रहा है। आपने सीधा-सा जवाब दे दिया कि "नो सर।"

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत। मेरे विचार में सदस्यों की प्रश्न एवं जवाबों में अब ज्यादा रुचि नहीं है।

(व्यवधान)

श्री मनोहर लाल सैनी : यह मैं आपको स्पेसिफिक केस दे रहा हूं। इसमें तीन बार लिखा गया है। इस हाउस के 5 मेंबर भी आपसे मिले हैं। एक साथ भी मिले, अलग-अलग भी मिले हैं। लेकिन कुछ नहीं हुआ है। इसका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है। क्या मैसर्स सोमदत्त बिल्डर्स का मैन पावर एक्सपोर्ट लाइसेंस कैंसिल किया जाएगा। क्या उनको जो बैंक से पैसा दिलवाया गया है, उसमें से पेमेंट करवाई जाएगी। इसी तरह से बाकी लोगों का जो एक्सप्लाइटेशन हो रहा है, उसको रोकने का आप प्रबन्ध करेंगे ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक जनरल क्वश्चन पूछा है। जो लोग बाहर जाते हैं इमीग्रेंट्स वे प्रोटेक्टर जनरल के सामने कुछ डाकूमेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें एक डाकूमेंट अपाएंटमेंट लैटर होता है जिसमें अपाएंटिंग कंडीशन दी हुई होती हैं। जब वह प्रोटेक्टर जनरल के सामने पेश हो जाता है तो वह कन्डीशन जेनविन हैं या नहीं, इसको स्पेसीफाई करने के बाद वह अटेस्ट करता है। माननीय सदस्य यह समझ बैठे हैं क्योंकि प्रोटेक्टर ने अटेस्ट किया है, इसलिए वह अभी एक पार्टी है। यहां पर ट्राइ-पार्टाइट एग्रीमेंट का कोई सवाल नहीं है। जो भी बाहर जाता है तो बाइ-पार्टाइट एग्रीमेंट होता है। एक तरफ एम्लायर और दूसरी तरफ एम्पलाइ का। एग्रीमेंट, सही और जेनुइन है, उसको सेटीसफाई करने के बाद ही प्रोटेक्टर अटेस्ट करता है। माननीय सदस्य ने सोमदत्त बिल्डर्स के बारे में पूछा है। अगर, मूल प्रश्न सोमदत्त बिल्डर्स के बारे में होता तो मैं अवश्य इस बारे में इन्फार्मेशन लाकर देता। सोमदत्त बिल्डर्स के बारे में एक झगड़ा है। उन्होंने एक एम्पलाई को बगदाद में भेज दिया है। वह कन्सट्रक्शन मैनेजर है। मैंने देखा है कि कंसट्रक्शन मैनेजर एमीग्रेशन बिल की डैफीनेशन में नहीं आता है। इस बिल में कौन आता है, वह तो एक्ट देखने से मालूम हो जाएगा। जब वह एमीग्रेशन की डैफीनेशन में नहीं आते

हैं तो तब भी माननीय सदस्य मेरे पास आएं, मैं अपने गुड आफिसेज यूज करके एम्पलायर्स को कहूंगा कि जो भी वाजबी देना है, वह दे दीजिए। इससे पहले भी हमने कोशिश की है। अब भी मैं कोशिश करूंगा और उसके लिए सोचने के लिए तैयार हूं।

श्री मनोहर लाल सैनी : जो एम्पलाइज को इस तरह से तंग करते हैं, क्या उनके मैन-पावर लाइसेंस को कैंसिल करने और उनकी बैंक गारण्टी या बैंक लोन को खत्म करने के बारे में गवर्नमेंट सोच रही है ? ऐसे कितने केसेज आपके सामने हैं, जिनमें एम्पलाइज का एक्सप्लायटेशन बाहर जाने के बाद हुआ है ?

श्री वीरेन्द्र पाटिल : जहां पर भी एम्पलाइज का एक्सप्लायटेशन होता है, उसके लिए एमीग्रेशन एक्ट इसी सदन में पास हुआ है। उसमें काफी प्रावधान है। इससे काफी कार्यवाही उन पर कर सकते हैं। मेरे पास तफसीलात हैं, मैं उनको पढ़कर सदन का वक्त जाया नहीं करना चाहता। अगर आप एमीग्रेशन एक्ट पढ़ेंगे तो उससे मालूम हो जाएगा कि कोई एम्पलायर या रिक्रूटिंग एजेन्ट, जो एमीग्रेन्ट बाहर जाता है, उसको चीट करता है, उसको बराबर वेजेस नहीं देता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए काफी प्रोविजन एमीग्रेशन एक्ट में है। बहुत से रिक्रूटिंग एजेन्ट्स को हमने ब्लैक लिस्ट भी किया है और बहुत से एजेन्ट्स के खिलाफ कार्यवाही भी हमने की है। इस तरह जो भी कम्पलैंट्स एमीग्रेन्ट्स को एक्सप्लायट करने के सम्बन्ध में हमारे पास आती हैं, उन पर कार्यवाही होती है। कानून के हिसाब से जो भी एक्शन लिया जाना चाहिए, वह लिया जाता है। मैं समझता हूं, अब जो भी कम्पलेंट्स हमारे पास आयी हैं, वह बहुत कम हैं। वैसे तो तकरीबन दस लाख हमारे एमीग्रेंट्स बाहर और गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं। 1982 में 171, 1983 और 375 और 1984 में 79 कम्पलेंट्स हमारे पास आयी हैं। इस तरह से जब भी हमारे पास कम्पलेंट्स आती हैं तो हम रिक्रूटिंग एजेण्ट या एम्पलायर जो भी है, अगर उसने कानून के खिलाफ काम किया है तो हम जो भी सजा उनको कानून के हिसाब से हो सकती है, वह देते हैं।

गुजरात को स्लैक कोयले की आवश्यकता और उसकी सप्लाई

*398. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान स्लैक कोयले की कितनी मांग की गई थी;

(ख) इस मांग को पूरा करने के लिए उक्त अवधि के दौरान उसे कितनी मात्रा में स्लैक कोयले की सप्लाई की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि सप्लाई की गई मात्रा, मांग की तुलना में काफी कम थी; यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्लैक कोयले की कम सप्लाई के कारण अधिकांश भट्टों को मजबूरन बंद करना पड़ा था; और

(घ) वर्ष 1984-85 में स्लैक कोयले की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि ईंटों की उपलब्धता न होने के कारण निर्माण कार्य पर उसका कुप्रभाव न पड़े।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा गया है।

विवरण

वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान गुजरात के ईंट-भट्ठा उद्योग के लिए स्लैक कोयले के रेल द्वारा प्रेषण के लिए बनाए गए कार्यक्रम और उसकी तुलना में रेल द्वारा भेजे गए कोयले की मात्रा और साथ ही कार्यक्रम की तुलना में प्रेषण का प्रतिशत निम्नलिखित है :—

(आंकड़े हजार टनों में)

वर्ष	रेलवे द्वारा नियत अधिकतम सीमा के अंदर ईंट-भट्ठा उद्योगों को रेल द्वारा प्रेषण के लिए प्रस्तुत कार्यक्रम	रेल द्वारा कोयले का वास्तविक प्रेषण	प्रेषण का प्रतिशत
1981-82	290.0	189.3	65.3
1982-83	302.8	207.2	68.4
1983-84	124.8	112.3	90.0

2. वर्ष 1983-84 के दौरान ईंट-भट्ठा उद्योग द्वारा कोयले की मांग बहुत कम रही जिसका कारण था उद्योग में अनेक महीनों तक अखिल-भारतीय हड़ताल।

3. गुजरात के ईंट-भट्ठा उद्योग को रेल द्वारा प्रेषण में हुई कमी का मुख्य कारण है वैगनों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना। फिर भी, रेल द्वारा प्रेषण के अलावा, गुजरात में कोल इंडिया लि० के स्टाकयार्डों से और साथ ही कोलियरियों से सड़क द्वारा प्रेषण करके कोयला उपलब्ध कराया गया। सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि गुजरात के ईंट-भट्ठा को स्लैक कोयले की कम सप्लाई के कारण मजबूरी में बंद करना पड़ा था।

4. ईंट बनाने के लिए कोल इंडिया स्लैक कोयला प्रायोजन प्राधिकारियों की सिफारिश पर देता है। इसलिए यह बात तो प्रायोजन प्राधिकारियों को देखनी चाहिए कि 1984-85 में

स्लैक कोयले की मांग का सही निर्धारण हो ताकि गुजरात राज्य के ईंट-भट्ठा उद्योग की मांग पूरी की जा सके। वैसे स्लैक कोयला वेस्टर्न कोलफील्डस लि० के पास बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और वेस्टर्न कोलफील्डस लि० गुजरात के ईंट-भट्ठा उद्योग के लिए कोयला सप्लाई का सही स्रोत है। हमें उनकी मांग पूरी करने में कोई कठिनाई होने का अन्देशा नहीं है।

श्री अमर सिंह राठवा : अध्यक्ष जी, गुजरात में कई ईंट-भट्टे वालों को अपने ईंट के भट्टे बन्द करने पड़े हैं। उसका कारण यह है कि स्लैक कोयले की सप्लाई ठीक तरह से नहीं हुई। सप्लाई न होने से ईंट के भट्ठों में काम करने वाले मजदूर भी बेकार हो गए हैं। आपने जवाब में बताया है कि उसी मुताबिक अगर होता तो शायद यह प्राबलम नहीं होती। पोजीशन यह है कि गुजरात में आज भी कई ईंट के भट्ठे बन्द हैं। वह चालू हो सकें इसलिए उनको कोयला पहुंचाने के लिए क्या व्यवस्था की जा रही है ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष जी, जहां तक स्लैक कोयले का संबंध है, वैस्टर्न कोल फील्ड में स्लैक कोयले की कमी नहीं है। जितने भी रेल वैगन्स मिलते रहे हैं, उस हिसाब से गुजरात में ईंट के भट्ठों को स्लैक कोयला पहुंचाया गया है। मान लीजिए अगर रेल वैगन्स न हो तो रोड्स के जरिए भी कोयले को भिजवाया गया है। यह जरूर है कि काफी ईंट के भट्ठों पर लेबर-लाज इम्पोज किया जा रहा था इसलिए उन्होंने काम करना बन्द कर दिया। यह कहना कि कोयले की कमी की वजह से ईंट के भट्ठे बन्द हुए हैं, यह गलत है। वैस्टर्न कोल फील्ड में कोयला काफी है। इसका इतना प्रावधान है कि इस कोयले को कहीं भी भिजवाया जा सकता है।

श्री अमर सिंह राठवा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि गुजरात में स्लैक कोयला पहुंचाने के लिए आपने कोई संशोधन किया है या कोई योजना बनाई है ?

श्री पी० शिव शंकर : योजना का तो प्रश्न ही नहीं उठता। प्रदेश, एक अपना प्रोग्राम देता है कि हमको इतने कोयले के वैगन्स सप्लाई किए जाएं, उस हिसाब से अगर वैगन्स सप्लाई न हों तो यह हो सकता है कि कोयला वहां पर न पहुंचे। अगर कोयला न पहुंचे तो उस सूरत में जैसे मैंने पहले निवेदन किया, रोड्स के द्वारा कोयले को भेजने का प्रावधान किया जाता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : जैसे गुजरात में कोयले का अभाव है, ठीक वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी कोयले का अभाव है, और ईंट के ज्यादातर भट्ठे बंद हो गए हैं और ईंट का मूल्य अनवरत बढ़ता जा रहा है। दो सौ रुपए से लेकर चार सौ और साढ़े चार सौ रुपये में भी आज ईंट नहीं मिल पा रही है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कोयला अच्छे ढंग से भट्ठों पर पहुंच सकें, और उपभोक्ताओं को मिल सकें, इसके लिए आपने उत्तर प्रदेश में क्या कार्यवाही की है और क्या हो रहा है ?

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष जी, जैसा मैंने इससे पहले निवेदन किया कि स्लैक कोयले की कमी नहीं है। ईंट के भट्ठों में जो गड़बड़ हुई है, वह इस वास्ते हुई कि लेबर-लाज को वहां पर इम्पोज किया जा रहा था जिसकी वजह से ईंट-भट्ठों के मालिकों ने अपने ईंट के भट्ठे बन्द कर दिए।

रेडियो और दूरदर्शनन पर किया गया व्यय

*399. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ वर्षों के दौरान दूरदर्शन की ओर अधिक ध्यान दिए जाने के कारण आकाशवाणी के कार्यक्रमों के विस्तार और विकास में कोई कमी आई है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अलग-अलग कितना व्यय हुआ है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अलग-अलग हुआ व्यय निम्नानुसार है :—

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	आकाशवाणी	दूरदर्शन
1981-82	80.69	43.27
1982-83	92.12	77.89
1983-84	103.49	105.81
कुल	276.30	227.07

श्री एन० ई० होरो : अध्यक्ष जी, मैंने पूछा था कि आल इण्डिया रेडियो के विकास और विस्तार के लिए कुछ कठिनाई हो रही है या नहीं ? इनके जवाब से ऐसा मालूम होता है कि पैसे

के अभाव में आल इण्डिया रेडियो का विस्तार और विकास नहीं हो सका है। आल इण्डिया रेडियो और दूरदर्शन के खर्च को अगर देखा जाए तो तीन सालों में ए० आई० आर का 80 से बढ़कर 103 और दूरदर्शन का 43 से बढ़कर 105 हो गया है। यह स्पष्ट है कि आपने दूरदर्शन की ओर ज्यादा ध्यान दिया है। आदिवासी क्षेत्रों में आल इण्डिया रेडियो के प्रोग्राम्स होते हैं, वह बहुत घटिया किस्म के होते हैं। दस वर्ष पहले जो प्रोग्राम थे, वही आज भी चल रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि रेडियो स्टेशन्स के विकास और विस्तार का कार्यक्रम और इसके प्रोग्राम्स में सुधार का कार्यक्रम जो आपने हाथ में लिया है, वह आप कब तक कर सकेंगे ?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या दूरदर्शन के विस्तार की वजह से रेडियो के विस्तार में कमी हो रही है। मेरा कहना है—'नहीं'। फिर भी मैंने विवरण में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के विस्तार को दर्शाने वाले आंकड़े दिए हैं। एक बात में माननीय सदस्य सही हैं कि निश्चित ही हम पहले से ज्यादा ध्यान दूरदर्शन के विस्तार पर दे रहे हैं जो कि बहुत ही स्वाभाविक और आवश्यक है, वास्तव में, दूरदर्शन का विस्तार, जो हम कर रहे है, देश की मांग के अनुसार ही है। जब हम दूरदर्शन का विस्तार कर रहे हैं तो हम पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए भी दूरदर्शन का विस्तार कर रहे हैं। उन क्षेत्रों में दूरदर्शन विस्तार के लिए विशेष योजना स्वीकृत की गई है जिसके द्वारा वे अपनी स्थानीय भाषा में और अन्य भाषाओं में भी कार्यक्रम देख सकते हैं। परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार आकाशवाणी सेवाओं का विस्तार चालू है। कुछ योग्यताएं पूरी कर ली गई हैं। कुछ पूरी होने की प्रक्रिया में हैं और कुछ मामलों में रेडियो स्टेशनों के दर्जे को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रीय चैनेल भी है। विदेशी सेवाएं भी हैं और हम पूर्वोत्तर सीमावर्ती क्षेत्र पर भी ध्यान दे रहे हैं। आकाशवाणी का सम्पूर्ण विस्तार भी हो रहा है। वर्तमान में 89 प्रतिशत आबादी इससे लाभान्वित हो रही है परन्तु छठी पंचवर्षीय योजना में इन योजनाओं की क्रियान्विति से 95% लोगों का लाभ होगा। फिर भी मैं अवश्य कहूंगा कि यहां तक कि आकाशवाणी अथवा दूरदर्शन के विस्तार कार्यक्रमों के साथ प्रचार माध्यम सुविधाओं—दूरदर्शन और रेडियो सेवाओं में देश के विकास को और इसकी विभिन्न प्रकार की संस्कृति और विश्व के एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में इसकी जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुए अधिक विस्तार करने की आवश्यकता है और सातवीं योजना के लिए प्रस्तावों पर विचार करके हम इस पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पास सम्पूर्ण ब्यौरा है और अगर माननीय सदस्य किसी विशेष स्टेशन में दिलचस्पी रखते हों तो मैं उन्हें सम्पूर्ण ब्यौरा दे सकता हूं। यहां तक कि मैं उन्हें इसकी एक प्रति भी भेज सकता हूं अथवा वक्तव्य की प्रति सभा पटल पर रखने के लिए भी तैयार हूं।

श्री एन० ई० होरो : अध्यक्ष जी, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप टेलीविजन पर ज्यादा एटेंशन दे रहे हैं और रेडियो पर कम दे रहे हैं। इसका विस्तार जैसा होना चाहिए, वैसा नहीं कर रहे हैं। गरीब तो रेडियो ही सुन सकता है। टी० वी० तो कुछ लोग खरीद सकते हैं। खेतों में काम करे, तो रेडियो सुन सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि रेडियो विस्तार का

कार्यक्रम जो आपने लिया हुआ है, वह कब तक पूरा हो जएगा ? दूसरी बात यह है कि रेडियो प्रोग्राम्स की क्वालिटी को भी आप कब तक इम्प्रूव करेंगे ?

एच० के० एल० भगत : मैं एक बार फिर माननीय सदस्य को आश्वासन देता हूं कि हम आकाशवाणी केन्द्रों के विस्तार पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान दे रहे हैं और देते रहेंगे । मैं उनकी बात से सहमत हूं कि रेडियो अधिकांश लोग सुनते हैं और लोगों के लिये यह बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि ये सस्ते दामों में उपलब्ध है । रेडियो कार्यक्रमों के प्रसारण की अवधि भी ज़्यादा है । अत: स्पष्ट है कि रेडियो कोई कम महत्त्वपूर्ण नहीं है । वास्तव में यह दूरदर्शन से ज्यादा महत्त्वपूर्ण है । और इसलिए हम अपने कार्यक्रम-नीति में इस पर ध्यान दे रहे हैं । हम यह देखने के लिये बहुत ही इच्छुक हैं कि जितना जल्दी हो सके, दूरदर्शन तथा आकाशवाणी दोनों पर ही लोग स्थानीय कार्यक्रमों को देख और सुन सकें । माननीय सदस्य द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को ध्यान में रखते हुये, हम देखेंगे कि आकाशवाणी विस्तार योजनाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाये और ऐसा किया भी गया है । ऐसा नहीं है कि यह प्रभावित हो रहा हो, क्योंकि हम दूरदर्शन पर ध्यान दे रहे हैं अथवा हम उस ओर धनराशि दे रहे हैं । ऐसा कुछ नहीं है । हम दूरदर्शन के विस्तार पर ध्यान दे रहे हैं और हम यह देखने का भी पूरा प्रयास कर रहे हैं कि रेडियो स्टेशनों का भी तुरन्त ही विस्तार हो ।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या ग्राम पंचायत घरों तथा कुछ दफ्तरों के लिये भी रियायती दरों पर टेलीविजन सैटों की आपूर्ति करने के बारे में कोई प्रयास किये गये हैं, ताकि आम लोग इससे लाभ उठा सकें ? दूसरे, क्या ये भी प्रयास किये गये हैं कि दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रमों को फिर से आकाशवाणी को हस्तांतरित कर दिया जाये, ताकि इन दोनों के बीच कुछ सामंजस्य रहेगा और आकाशवाणी को दूरदर्शन के कार्यक्रमों के अनुभव से लाभ हो सकता है ।

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि गांवों में रियायती दरों पर टेलीविजन सेट उपलब्ध कराने के लिये हम क्या कर रहे हैं । मैं कह सकता हूं कि मैंने मुख्य मंत्री के साथ चर्चा की थी और हमने मुख्य मंत्रियों को भी लिखा है कि वे प्रत्येक गांवों में समुदाय सेटों को उपलब्ध करायें । उन्होंने इसमें कुछ प्रगति की है । उन्होंने कुछ कार्यवाही की है । विभिन्न राज्यों ने गांवों में समुदाय सेटों को उपलब्ध कराये जाने के लिए विभिन्न लक्ष्य रखे हैं ।

दूरदर्शन और रेडियो के लिए जहां तक रियायती दरों का संबंध है, तो मैं इस विषय से संबंधित नहीं हूं । फिर भी, मैं वह जानकारी देना चाहूंगा जो कि मेरे पास उपलब्ध है । सरकार ने सीमा शुल्क में भारी रियायतें दी हैं, मेरे विचार से 85 करोड़ रुपऐ की । इसके पीछे भावना यह है कि श्वेत श्याम तथा रंगीन टेलीविजन सेट सस्ते होने चाहिए । उद्योग मंत्रालय द्वारा कम कीमत वाले सेटों को तैयार करने का कार्यक्रम भी बनाया जा चुका है । श्वेत श्याम सेटों की कीमत कम हो गई है । उद्योग मंत्रालय के अनुसार अगले छ: महीनों अथवा एक वर्ष में रंगीन

सेटों की कीमत भी कम हो जाएगी। अतः सस्ते सेटों को उपलब्ध कराये जाने के बारे में कदम उठाए जा रहे हैं।

यह संतोष की बात है कि जिन गांवों में दूरदर्शन सिगनल उपलब्ध हैं वहां कम्युनिटी सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसकी अधिक लोकप्रियता के कारण टेलीविजन खरीदने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है।

इसके पश्चात माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि हम दूरदर्शन के कार्यक्रमों को आकाशवाणी को देने के बारे में क्या कर रहे हैं। स्थिति इससे विपरीत है। आकाशवाणी का अधिक समय से क्षेत्र में होने के कारण अधिक अनुभव है। हमने निर्देश दे रखे हैं कि दूरदर्शन और रेडियो में सामंजस्य होना चाहिए, ताकि दोनों के बीच कार्यक्रमों का आदान-प्रदान हो सके। मैं यह अवश्य कहूंगा कि अभी तक ज्यादा प्रगति नहीं हुई है जैसा कि मैंने पूर्वानुमान लगाया, अपितु हम इस पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : माननीय मंत्री जी ने अपने जबाब में स्वीकार किया है कि 1983-84 में रेडियो की अपेक्षा दूरदर्शन पर अधिक व्यय किया गया है। वे दूरदर्शन पर भारत के लोगों को मां, बेटे एवं माननीय मंत्री को दिखाने के लिए टी० वी० कार्यक्रमों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हाल ही में, बर्दमान तथा दुर्गापुर और अन्य स्थानों पर कम शक्ति वाले दूरदर्शन केन्द्र खोले गए हैं। परन्तु उनसे कलकत्ता केन्द्र के कार्यक्रमों को भी नहीं देखा जा सकता क्योंकि यह माइक्रो वेव प्रणाली से नहीं जुड़ा है। मैंने देखा कि माननीय मंत्री श्री गाडगिल यहां उपस्थित हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या बर्दमान और खड़गपुर को शीघ्र ही माइक्रो वेव' प्रणाली से जोड़ा जाएगा। दूसरे, संभवतः कलकत्ता रेडियो स्टेशन हमारे देश का सबसे पुराना केन्द्र है। लेकिन कलकत्ता रेडियो के कार्यक्रम बम्बई या दिल्ली से नहीं सुने जा सकते हैं। किन्तु ढाका रेडियो के कार्यक्रम दिल्ली या बम्बई से सुने जा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वह कलकत्ता रेडियो स्टेशन का ट्रांसमीशन पावर और शक्तिशाली बनाएंगे, ताकि यह दिल्ली रेडियो केन्द्र के समकक्ष आ जाए ताकि कोई भी व्यक्ति दिल्ली चंडीगढ़ या बम्बई में बैठकर कलकत्ता के कार्यक्रम सुन सके।

श्री एच० के० एल० भगत : माननीय सदस्य का पहला प्रश्न यह है कि क्या बर्दमान और बंगाल में कुछ अन्य केन्द्रों कलकत्ता से माइक्रो वेव प्रणाली से जोड़ा जाएगा। हमारी नीति इन केन्द्रों को माइक्रो वेव प्रणाली से जोड़ने की है, ताकि उन्हें कार्यक्रम मिल सकें। अब यह प्रश्न कि क्या कलकत्ता स्टेशन को 'माइक्रो वेव' प्रणाली से जोड़ा जाएगा, यह 'माइक्रो वेव लिंक' की उपलब्धता पर निर्भर होगा। निश्चित रूप से हमारी नीति इन क्षेत्रीय स्टेशनों को 'माइक्रो वेव' से जोड़ने की है। यह एक दीर्घकालिक लक्ष्य है और संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन इसमें कुछ समय लगेगा। अतः यह दीर्घकालिक लक्ष्य है। मैं समय-सीमा निश्चित नहीं कर सकता।

हम तो यह भी चाहते हैं कि कैमरा और अन्य उपकरण आदि उपलब्ध हो जाने पर कम शक्ति वाले केन्द्रों को कुछ कार्यक्रम रिकार्ड करने और तकनीकी साधनों से उन्हें कम शक्तिशाली ट्रांसमीटरों तक पहुंचाने तक उन्हें यह करने में सफल हो जाना चाहिए।

पुन: मैं कहूंगा कि कलकत्ता रेडियो स्टेशन पहले ही 100 किलोवाट ट्रासमीटर पर चल रहा है, जो कि मध्यम दूरी तक का है। यह कलकत्ता क्षेत्र की सेवा कर रहा है। हमारा यह लक्ष्य नहीं है कि कलकत्ता आकाशवाणी केन्द्र को बम्बई प्रदेश या अन्य प्रदेशों को कार्यक्रम देने चाहिए। यह कलकत्ता क्षेत्र के लिए है और यह पहले ही इस स्तर पर काम कर रहा है।

महोदय, माननीय सदस्य ने जो भी सुझाव दिए हैं, निःसन्देह मैं उन पर विचार करूंगा, लेकिन स्थिति यही है, जो मैंने बताई।

इस्पात संयंत्रों को सप्लाई किए गए कोयले का तौल में कम और खराब किस्म का होने के बारे में शिकायतें

*400. **श्री ए० के० राय : क्या ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों को तौल में कोयले की कम मात्रा तथा पत्थर/स्लेटी पत्थर मिला और खराब किस्म का कोयला सप्लाई किए जाने के बारे में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है तथा इसके वर्षवार तथा संयंत्रवार आंकड़ों सहित विस्तृत तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या कुछ मामलों में ग्राहकों द्वारा भुगतान में कटौती की गई, यदि हां, तो उक्त अवधि में कटौती की गई धनराशि का क्या-क्या ब्यौरा है और इसके वर्षवार तथा संयंत्रवार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के प्रत्येक मामले में क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) चूंकि इस्पात कारखानों को सप्लाई किए जाने वाला अधिकांश कोयला धुला हुआ कोककर कोयला होता है इसलिए ऐसे कोयले में कंकड़ या पत्थर होने का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु इस्पात कारखानों ने इस बात की शिकायत की है कि उनके पास जो कोयला पहुंचता है वह कोयला कंपनियों द्वारा प्रेषित मात्रा से कम होता है। कोयले की किस्म के बारे में भी शिकायतें मिली हैं जो मुख्य रूप से प्राइम कोककर कोयले में राख के प्रतिशत के बारे में हैं। इस्पात

कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले का लगभग आधा भाग मीडियम और मिश्रण योग्य कोयला होता है तथा इसकी किस्म के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। शिकायतों के इस्पात कारखाना-वार ब्यौरों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) इस्पात कारखाने कोयला कंपनियों के बिलों से विभिन्न कारणों को लेकर कटौती करते रहे हैं—यह कारण हैं कोयले की किस्म, बिक्रीकर और उपकर, बिना तौले गए वैगनों में कम लदान आदि। दिनांक 31-5-1984 की स्थिति के अनुसार यह कटौतियां रु० 40.14 करोड़ की थीं। यह आंकड़े इस समय विवादग्रस्त हैं। कटौतियों के सम्बन्ध में कारखाना-वार सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) इस्पात कारखानों को कम कोयला पहुंचाने के संबंध में स्थिति यह है कि कोयला कंपनियां अपने बिल उस वजन के आधार पर बनाती हैं जो वे-ब्रिजों में रिकार्ड करके रेलवे रसीदों पर लिखा जाता है। यदि इस वजन में रास्ते में कोई कमी आ जाती है तो उसके लिए कोल इंडिया लि० को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। यह मामला तो प्रेषिती और परिवहनकर्ता अर्थात रेलवे के बीच का मामला है।

कोककर कोयले की किस्म में सुधार के लिए अनेक उपाय किए गए हैं और उनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं :—

(1) जहां अधिक राख प्रतिशत वाले कोयले का उत्पादन होता है उन स्रोतों से वाशरियों के कच्चे कोयले की सप्लाई बंद कर दी गई है।

(2) वाशरियों में मशीनों के बंद होने और अन्य परिचालन संबंधी कठिनाइयों आदि पर पूरा-पूरा ध्यान दिया जाता है।

(3) वाशरियों के काम में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं, जैसे—फाइन बारीक माल का परिष्कार करने के लिए संयंत्रों में संशोधन, संयंत्र के क्रियाकलाप आदि को इष्टतम करने के लिए संतुलन और तौल सुविधाएं लगाना, आदि।

श्री ए० के० राय : अध्यक्ष महोदय, सभा पटल पर जो विवरण रखा गया है, उससे उत्तर की अपेक्षा प्रश्न अधिक उठते हैं। महोदय, प्रश्न काल के दौरान कुछ समय से हम पत्थर/स्लेटी पत्थर की सप्लाई तथा विद्युत संयंत्रों को कम मात्रा में कोयले की सप्लाई किए जाने की समस्या पर चर्चा कर रहे हैं। इसकी पुष्टि करने की एक कसौटी यह है कि कोयला प्राप्त करने वाली विभिन्न इकाइयों द्वारा की जाने वाली कटौतियों के मानदण्ड का अध्ययन करना।

अध्यक्ष महोदय : श्री राय, क्या हमने पहले भी इस प्रश्न पर चर्चा नहीं की। मेरे विचार में यह प्रश्न दोबारा पूछा गया है।

श्री ए० के० राय : महोदय, आपने अभी पढ़ा कि यह एक भिन्न पहलू है। यदि आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि केवल इस्पात कारखाना···

अध्यक्ष महोदय : यह वही बात है।

श्री ए० के० राय : नहीं, अकेले इस्पात कारखाने ने 40 करोड़ रुपये की कटौती की है। कोयले की सप्लाई में कोल-इंडिया को इस बार करीब 134 करोड़ रुपये की हानि हुई है और उसमें से इस्पात कारखानों की कटौती 40 करोड़ रुपये से अधिक है। इस संबंध में मैं जानना चाहता हूं कि विद्युत संयंत्रों जैसी अन्य इकाइयों द्वारा क्या कटौतियां की गई हैं? घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई किए जाने के कारण कोयला प्राप्त करने वाली विभिन्न इकाइयों ने कुल कितनी कटौती की?

मेरा दूसरा प्रश्न है···

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले प्रश्न का उत्तर देने दीजिए।

श्री ए० के० राय : महोदय, 40 करोड़ रुपये के संबंध में मैं उसका कम लदान किए जाने तथा पत्थरों और स्लेट पत्थर की सप्लाई के संबंध में ब्यौरा जानना चाहता हूं, ताकि हमें यह पता चल सके कि क्या आपके अधिकारी कोयले के वास्तविक उत्पादन से अधिक की रिपोर्ट देकर हमें धोखा दे रहे हैं।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, प्रश्न केवल इस्पात कारखानों के संबंध में है। मेरे मित्र प्रश्न का विस्तृत उत्तर जानने चाहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा है, विवरण में यह प्राइमो कोककर कोयले के संबंध में है।इसमें राख की मात्रा अधिक होने के कारण कटौतियां करने के बारे में विचार किया गया। जहां तक पैसों के भुगतान किए जाने का संबंध है, इस्पात कारखाने द्वारा की गई कटौतियों से दो तरह का प्रभाव पड़ा है। एक तो इसकी मात्रा के संबंध में है। रेलवे के लदान स्थल पर कोयले का वजन किया जाता है और हम इसे माल डिब्बों में भर देते हैं, लेकिन जो कंपनियां कोयला प्राप्त करती हैं उनके अनुसार कोयले की मात्रा कम हो जाती है। इसीलिए उन्होंने उस आधार पर कटौती की। उनके द्वारा कटौती किए जाने का एक कारण यह है।

दूसरा मुद्दा यह है कि चूंकि इसमें राख की मात्रा अधिक होती है इसलिए यह प्रश्न पत्थर या स्लेटी पत्थर का नहीं है जिसकी सप्लाई इस्पात कारखानों को भी जाती है। 'मीडियम' और मिश्रणयोग्य कोयले की किस्म के बारे में कोई शिकायतें नहीं मिली हैं। शिकायत केवल प्राइम कोककर कोयले के बारे में मिली है।

इस प्रश्न के संबंध में कि अन्य क्षेत्रों में क्या-क्या कटौतियां की गई हैं, मेरा कहना यह है कि 31 मई, 1984 तक लोको में 30.62 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। वह पूरे

'बिल' पर आधारित है और 19.38 करोड़ रुपये की कटौतियां की गई हैं, जो कि कुल मिलकर 50 करोड़ रुपये है। विद्युत के संबंध में यह राशि 279.36 करोड़ रुपये है। इस्पात कारखाने द्वारा जैसा कि मैंने पहले कहा है, 40.14 करोड़ रुपये की कटौतियां की गई हैं उसके अतिरिक्त कुल 51.93 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाना है, अर्थात कुल राशि 92.07 करोड़ रुपए है। सरकार की ओर 12.98 करोड़ रुपए की राशि देय है और गैर-सरकारी पार्टियों की ओर 2.96 करोड़ रुपए देय हैं। कोयला विभाग और विभिन्न क्षेत्रों पर देय राशि का यह ब्यौरा है।

श्री ए० के० राय : यह काल्पनिक राशि है अर्थात कुल देय राशि 300 करोड़ रुपए से अधिक है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इतनी बड़ी बात के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है, क्योंकि वे जो कटौतियां कर रहे हैं। वे कोल इण्डिया को हुई कुल हानि से अधिक है बल्कि यह कोल इण्डिया को दस वर्षों में हुई कुल हानि का $\frac{1}{3}$ सिस्सा है। दूसरा मुद्दा मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उसके लिए किसी को जिम्मेदार ठहराया गया है। अगला प्रश्न है कि यह ठीक नहीं है, क्योंकि इससे आपकी विश्वनीयता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप कितना उत्पादन कर रहे हैं, क्योंकि आप उत्पादन संबंधी आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। इस वर्ष आपने 1350 लाख टन कोयले का उत्पादन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि आप कितने कोयला का उत्पादन कर रहे हैं, कितने पत्थर का उत्पादन कर रहे हैं, रिकार्ड में आप कोयले का उत्पादन कितना कर रहे हैं। हमें हर बात का पता होना चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अपनी परामर्शदात्री समिति में से एक ऐसी समिति, एक छोटी उपसमिति, जो कोल इण्डिया लिमिटेड की वास्तविक स्थिति की सच्चाई के अतिरिक्त मामले की जांच करेगी और विद्युत क्षेत्र तथा कोयला क्षेत्र दोनों के साथ परामर्श करेगी।

श्री पी० शिव शंकर : ऐसा लगता है कि मेरे माननीय मित्र कोयले के सम्बन्ध में हर तरह का प्रश्न पूछ लेना चाहते हैं। उन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह केवल इस्पात कारखानों के संबंध में है। वह जानना चाहते हैं कि हमारा पत्थर का उत्पादन कितना है और कोयले का कितना मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता। पत्थर कोई पैदा नहीं करता, क्योंकि वही कल्पना में उत्पादन करते हैं। हम कोयले का उत्पादन करते हैं मैं इससे इन्कार नहीं करता और मैंने सदन में भी कहा है कि कोयले की किस्म अच्छी नहीं है, उसमें पत्थर और सलेटी पत्थर होता है। मैंने वैसा कहा था, लेकिन इस्पात कारखानों को इसकी सप्लाई सम्बन्धी प्रश्न के बारे में मैंने स्पष्ट कहा है कि इस्पात कारखानों को पत्थर या सलेटी पत्थर की सप्लाई नहीं की जाती क्योंकि प्राइम कोककर कोयला धोवनशाला से होकर आता है। जहां तक मिश्रण योग्य कोयले और 'मीडियम' कोयले का सम्बन्ध है, उसमें किस्म का प्रश्न ही नहीं उठता। प्राइम कोककर कोयले के सम्बन्ध में केवल इतनी ही शिकायत है कि उसमें राख की मात्रा अधिक होती है। इस कारण कटौतियां की जाती हैं। वह बड़ा विवास्पद प्रश्न है। मामले की छानवीन नहीं की गई है। वे यह दावा कर रहे हैं कि राख की मात्रा अधिक है और जहां तक मात्रा का सम्बन्ध है, मात्रा उस समय तोल लेनी चाहिए जब कोयला प्रेषित किया जाता है। यदि इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो ढोने वाले न कि कोयला विभाग।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, मन्त्री महोदय ने यह स्वीकार किया है कि कोयले में अधिक मात्रा में राख होने की शिकायतें मिली हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि धोवनशालाओं, जो कि मुख्य रूप से राख की प्रतिशतता कम करने के लिए बनाई गई हैं, का कार्य असन्तोषजनक है। क्या कारण है कि धोवनशालाओं पर हर तरह से व्यय करने के बावजूद, राख की प्रतिशतता अधिक होने सम्बन्धी शिकायतें लगातार आ रही हैं? और मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि इसके कारण हमें विदेशों से कोककर कोयला आयात करने पर काफी राशि खर्च करनी पड़ रही है।

श्री पी० शिव शंकर : जैसा कि मैंने कहा है कि मुझे यह मान लेना चाहिए कि इस्पात कारखानों को सप्लाई किए जाने वाले कोयले में से मिश्रित योग्य कोयला और 'मीडियम' कोयला 50 प्रतिशत से अधिक होता है। जहां तक प्राइम कोककर कोयले का सम्बन्ध में उसमें राख की मात्रा कुछ अधिक होती है। इस्पात कारखाने का प्राइम कोककर कोयले में मात्र 19% तक राख की आवश्यकता होती है।

श्री बीजू पटनायक : नहीं, नहीं।

श्री पी० शिव शंकर : समझौता यही हुआ है। मैं समझौते के आधार पर कह रहा हूं। राख की मात्रा 21% तक पाई गई है। धोवनशालायें इस ओर ध्यान दे रही है।

आयात के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दो-तीन वर्षों में आयात न के बराबर किया गया है। यदि माननीय सदस्य आयात किए गए प्राइम कोककर कोयले की वास्तविक मात्रा के सम्बन्ध में आंकड़े जानना चाहते हैं तो मैं कहूंगा कि 1982 में आयात नगण्य है। मैं पृथक-पृथक आंकड़े दूंगा। लेकिन आयात किए गए कोयले की मात्रा अधिक नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र का दर्जा बढ़ाया जाना

*401. **श्री दलीप सिंह भूरिया :** क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने आकाशवाणी के भोपाल केन्द्र का दर्जा बढ़ाने का मामला उठाया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही ही गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) मध्य प्रदेश में आकाशवाणी के 9 केन्द्र हैं । ये 85 प्रतिशत क्षेत्र तथा 87 प्रतिशत जनसंख्या की सीमा तक राज्य में अच्छा कवरेज उपलब्ध कर रहे हैं । इसलिए, छठी पंचवर्षीय योजना में भोपाल केन्द्र के ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

हजीरा-बजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का निर्माण

*402. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1700 किलोमीटर लम्बी हजीरा-बजयपुर-जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की अनुमानित लागत क्या है;

(ख) क्या सरकार को इस 1700 किलोमीटर लम्बी गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) उपरोक्त गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए किन देशों ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(घ) क्या गैस पाइपलाइन के निर्माण के लिए ठेका देने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) यदि अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(छ) गैस पाइपलाइन का निर्माण कार्य कब तक आरम्भ होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पाइपलाइन की अनुमानित लागत 1700.17 करोड़ रुपए है ।

(ख) से (च) निविदाओं के संदर्भ में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । बोलियों के मूल्यांकन का कार्य किया जा रहा है । इस अवस्था में इनके ब्यौरे बताना व्यापारिक प्रथा के अनुरूप नहीं हैं ।

(छ) गैस पाइपलाइन के निर्माण का कार्य फरवरी-मार्च, 1985 में आरम्भ हो जाने की आशा है ।

मध्य प्रदेश में बांध व ताप बिजलीघर

*403. **श्री मोतीलाल सिंह :**

श्री कालीचरण शर्मा :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड ने मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को संयुक्त परियोजना के रूप सीधी जिले में 4 × 500 मेगावाट का बांध व ताप बिजलीघर स्थापित करने के लिए कोई परियोजना रिपोर्ट पेश की है;

(ख) इस परियोजना के लिए कोयले की सप्लाई हेतु कौन सी-कोयला खान नियत की गई है; और

(ग) बांध व ताप बिजलीघर पर कार्य कब शुरू किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) प्रस्ताव विचाराधीन है । सुनिश्चित कोयला लिंक, जल की उपलब्धता, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और वित्तीय साधनों की उपलब्धता जैसे आवश्यक निदेश सुनिश्चित किए जाने हैं ताकि परियोजना का तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन किया जा सके और अनुमोदन-प्रदान किया जा सके ।

निर्वाचन कर्तव्य पर लगाए गए आफिसरों के विरुद्ध की गई शिकायतों, अनियमितताओं पर अनुवर्ती कार्रवाई

*404. **श्री सूरज भान :**

श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा निर्वाचन कर्तव्य के लिए प्रतिनियुक्त आफिसरों द्वारा की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में आयोग द्वारा की गई शिकायतों पर अनुवर्ती कार्रवाई न होने से निर्वाचन आयोग चिंतित है;

(ख) क्या आयोग ने निर्वाचन कर्तव्य पर लगाए राज्य सरकार के कुछ अफिसरों के विरुद्ध शिकायत की थी;

(ग) इस सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं और इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग को क्या सलाह दी गई है; और

(घ) क्या सरकार का, निर्वाचन आयोग को, कानूनी शक्तियां देने का प्रस्ताव है जिससे कि इस प्रकार के मामलों में प्रभावकारी रूप से और शीघ्र कार्रवाई की जा सके ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जी हां ?

(ग) और (घ) निर्वाचन आयोग ने, निर्वाचन कर्तव्य पर तैनात किए गए आफिसरों की ओर से कर्तव्य की अवहेलना की घटनाओं के कारगर रूप से निपटने के लिए निर्वाचन विधि और प्रक्रिया में कुछ संशोधन करने का प्रस्ताव किया है। आयोग की सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

बिजली आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र का प्रस्ताव

*405. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली का भावी आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में छः बिजली एककों की स्थापना करने/विस्तार करने के प्रस्ताव उनके मंत्रालय को भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावों का क्या ब्यौरा है;

(ग) सातवीं योजना अविध के दौरान महाराष्ट्र राज्य की बिजली उत्पादन के अनुमानित आंकड़े क्या हैं; और

(घ) राज्य के विचाराधीन प्रस्तावों के सम्बन्ध में निर्णय कब लिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र की निम्नलिखित स्कीमें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में हैं :—

क्रम सं०	स्कीम	प्रस्तावित प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)	प्राप्त होने की तारीख
1	2	3	4
	ताप विद्युत		
1.	दाभोल ता० वि० के० (चरण-1)	2×210	जून, 81
2.	दाभोल ता० वि० के० (चरण-2)	3×210	जून, 81
3.	उरन गैस टर्बाइन (चरण-2) (यूनिट-8)	1×108	मई, 84
4.	उरन गैस टर्बाइन (चरण-3)	8×108	जून, 84
5.	खापरखेड़ा ता० वि० के० विस्तार (चरण-2)	2×210	मई, 84

1 2	3	4
जल विद्युत		
6. मानिक डोह	1×6	अक्तूबर, 83
7. घाटघर	2×125	जनवरी, 84
8. कोयला चरण-4	6×125	फरवरी, 84
9. वर्णा	2×8	अप्रैल, 84
10. दूधगंगा	2×12	दिसम्बर, 81
11. कोवाल	1×10	अक्तूबर, 82
12. सूर्य	1×5	जुलाई, 82
13. तालम्बा	3×2	मार्च, 83

निजी क्षेत्र में लाइसेंस प्राप्त वितरक बम्बई सब अर्बन इलेक्टिव सप्लाई लि० द्वारा प्रस्तुत बासिन में 500 मेगावाट के एक यूनिट के प्रस्ताव पर वर्तमान नीति के संदर्भ में विचार नहीं किया जा सकता है।

(ग) केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं से आबंटित/प्रत्यासोत हिस्से सहित निर्माणाधीन और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत स्कीमों से प्राप्त होने वाले सम्भावित लाभों के आधार पर सातवीं योजना के अन्त तक महाराष्ट्र की प्रतिष्ठापित क्षमता 9492 मेगावाट होने की उम्मीद है।

(घ) उपर्युक्त सूची में मद सं० 1 और 2 के सम्बन्ध में कोयला लिंक व्यवहार्य नहीं पाए गए हैं। मानिक डोह, घाटघर, कोयना चरण-4, दूधगंगा, कोवाल और तालम्बा के सम्बन्ध में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर परियोजना प्राधिकारियों से प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्णा और सूर्य का जांच कार्य पूरा होने के करीब है। मंत्रालय द्वारा विभिन्न परियोजनाओं को स्वीकृत करने में लगने वाला समय कोयला लिंकेज, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति तथा वित्तीय स्रोतों की उपलब्धता जैसे विभिन्न मामलों के तय होने पर निर्भर करेगा।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी आवास के आबंटन में आरक्षण

*407. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत साल पहले वित्त मंत्रालय (सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो) ने उर्वरक कारखाना गोरखपुर को आदेश जारी किए थे कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास आबंटन में 10 प्रतिशत आरक्षण किया जाए;

(ख) क्या उपर्युक्त आदेश जारी होने के बावजूद , आबंटन केवल वरीयता के आधार पर ही किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) वित्त मंत्रालय (सरकारी उद्यम ब्यूरो) ने हाल ही में केवल कुछ मार्गदर्शन जारी किए हैं, जिनमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए टाइप-I और II क्वार्टरों में 10 प्रतिशत तथा टाइप-III और IV क्वार्टरों में 5 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वास्तव में, 31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार, भारतीय उर्वरक निगम की गोरखपुर एकक के 416 में से 94 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी कम्पनी के क्वार्टरों के आबंटी है।

औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अधीन नियंत्रण में न आने वाली बल्क औषधों की मूल्य वृद्धि

*408. **श्री कुम्भाराम आर्य** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बल्क औषधों के नाम क्या हैं, जिन पर इस समय औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत नियंत्रण नहीं रखा जा रहा है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार इन बल्क औषधों और फार्मूलेशनों के तुलनात्मक मूल्य क्या रहे हैं; और

(ग) सरकार का विचार आम जनता को इन औषधों की मूल्य वृद्धि से किस प्रकार राहत पहुंचाने का है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) मूल्य नियन्त्रित बल्क औषधों को औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है। मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशन उक्त आदेश की तीसरी अनुसूची में निर्दिष्ट है। मूल्य अनियंत्रित फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिए आवश्यक बल्क औषधों के मूल्यों पर कोई नियंत्रण नहीं है और इसलिए उनके मूल्यों पर मेरे मंत्रालय द्वारा निगरानी नहीं रखी जाती। कुल मिलाकर, सभी वस्तुओं के थोक मूल्य में हुई वृद्धि की तुलना में औषधों और फार्मूलेशनों के मूल्यों में कम वृद्धि हुई है।

कोल इंडिया लि० द्वारा मजदूर संगठनों की मान्यता समाप्त करना

*409. **श्री वसुदेव आचार्य :**
श्री इन्द्रजात गुप्त :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लि० ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में एक सौ कोयला खानों में पांच मजदूर संगठनों की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या संबंधित संगठनों के जे० बी० सी० सी० आई० में प्रतिनिधित्व करने पर भी रोक लगा दी गई है; और

(घ) क्या मान्यता समाप्त करने से पूर्व उनके मंत्रालय से मंजूरी प्राप्त कर ली गई थी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) प्रबंध मंडल के अनुसार किसी भी यूनियन की मान्यता समाप्त नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु द्वारा संयुक्त उद्यम के रूप में विद्युत निगम स्थापित किया जाना

*410. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार की ओर से 400 मेगावाट बिजली पैदा करने हेतु संयुक्त उद्यम के रूप में एक विद्युत निगम स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) क्या अमरीकी तकनीक के प्रयोग से मैथेनोल पर आधारित बिजली घरों की स्थापना का, जिसके लिए अमेरिका से तकनीकी सहायता मांगी गयी है, कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तमिलनाडु के लिए मंजूर किए गए गैर-सरकारी क्षेत्र की बिजली परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में नहीं हुआ है।

(ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने निजी क्षेत्र की किसी ताप विद्युत परियोजना को अनुमोदित नहीं किया है ।

घाटकोपर, बम्बई में इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज की स्थापना

*411. डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घाटकोपर, बम्बई में एक इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस एक्सचेंज के कब काम शुरू करने की सम्भावना है; और

(घ) इस इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की कुल क्षमता कितनी होगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां ।

(ख) यह एक ई-10 बी टाइप का इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज है, जिसे फ्रांस से आयात किया गया है । इस एक्सचेंज को स्थापित करने का कार्य पहले ही शुरू किया जा चुका है ।

(ग) ऐसी सम्भावना है कि यह एक्सचेंज 1984-85 के दौरान चालू हो जाएगा ।

(घ) इस एक्सचेंज की सज्जित क्षमता 5,000 उपभोक्ता लाइनों जमा 5,000 टेंडम लाइनों की है ।

रिफेम्पिसीन पर अर्जित किए गए अनाशयित लाभ की राशि वापस लेना

*412. श्री तारिक अनवर :
श्री छोटे सिंह यादव :

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री 8 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1052 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रिफेम्पिसीन पर अनाशयित लाभ की वापसी में कितनी प्रगति हुई है,

(ख) अनाशयित लाभ को वापस लेने के लिए निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या रिफेम्पिसीन के सम्बन्ध में कोई दावे के नोटिस जारी किए गए हैं, यदि हां, तो कम्पनियों के क्या नाम हैं तथा जारी करने की तिथि और उनमें अन्तर्ग्रस्त राशि कितनी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) रिफेम्सिन फार्मूलेशनों के उन्नीस उत्पादकों को नोटिस जारी किए गिए थे जिनमें उनसे वर्ष 1979-80 से 1983-84 तक के लिए वास्तविक आयात, उनके सी० आई० एफ० मूल्य आदि के ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा था। प्राप्त ब्यौरों की जांच की गई और इस जांच के आधार पर शेष राशियों का हिसाब लगाया गया और फार्मूलेशनों के उक्त उन्नीस उत्पादकों में से पन्द्रह को नोटिस जारी किए गए। उत्पादकों से कहा गया कि या तो वे राशि को जमा करें या उक्त वसूली के विरुद्ध अपत्र अभ्यावेदन दें। पन्द्रह में से बारह उत्पादकों से प्राप्त उत्तर की जांच की जा रही है। अनभिप्रेत लाभ की वसूली की कार्यवाही कानून की उचित प्रक्रिया के अनुसार की जा रही है।

बिहार के पलामू जिले में उत्तरी कर्णपुरा कोयला खान खोलना

*413. **श्री रणजीत सिंह** :क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार बिहार के पलामू जिले में बालुमाथ और चांदवा प्रखंडी में "उत्तरी वर्णपुरा" कोयला खान खोलने का है;

(ख) क्या काश्तकारों की भूमि का मूल्यांकन करने के बाद सरकार काश्तकारों को मुआवजा दे रही है;

(ग) क्या उन लोगों को भी मुआवजा दिया जाएगा जिनकी भूमि इस कोयला खान के अंतर्गत पड़ती है और क्या उनके परिवारों के सदस्यों को भी रोजगार दिया जाएगा; और

(घ) सरकार का विचार यह कार्य कब से शुरू करने का है और इसका कार्यालय किस स्थान पर खोला जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क), (ग) और (घ) बिहार के पलामू जिले के नार्थ करनपुरा कोयला क्षेत्र के बालूमठ और चांदवा ब्लाकों के कोयलाधारी क्षेत्रों को अभी तक पूरा समन्वेषण नहीं हुआ है। अब तक उपलब्ध आरंभिक सूचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि उसी नार्थ करनपुरा कोयला क्षेत्र में बेहतर और आसानी से खनन योग्य कोयले के भण्डार है जिनमें खनन-कार्य सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया जाएगा। बालूमठ और चंदवा के कोयले भंडारों का दोहन तभी होगा जब कोयले की मांग उस क्षेत्र के अन्य अधिक किफायती भंडारों की क्षमता से ज्यादा हो जाएगी। काश्तकारों को मुआवजे के प्रश्न पर कार्रवाई कानून के प्रावधानों के अधीन की जाएगी और कार्यालय का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब खानें खोली जाएंगी।

(ख) जी, हां। जब कभी खनन उद्देश्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो काश्तकारों को मुआवजे का भुगतान उस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन किया जाता है जिसके अधीन भूमि-अधिग्रहण किया जाता है।

पालना ताप बिजली संयंत्र की स्थापना

*414. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालना ताप बिजली संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव कब से विचाराधीन है;

(ख) पालना ताप बिजली संयंत्र का निर्माण करने में क्या कठिनाई हैं;

(ग) इस योजना में कुल कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और इसमें केन्द्रीय सरकार और राजस्थान सरकार का हिस्सा कितना-कितना है;

(घ) जिस स्थान पर पालना ताप बिजली संयंत्र की स्थापना की जानी है उसका कितना विकास हुआ है;

(ङ) क्या किसानों को उनकी भूमि का मुआवजा दे दिया गया है अथवा नहीं;

(च) पालना ताप बिजली संयंत्र को कहां से पानी मिलेगा; और

(छ) इस योजना को कब तक अंतिम रूप दिया जाएगा और कार्यान्वित कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (छ) बीकानेर जिले में पालना में 60-60 मेगावाट की दो यूनिटों वाले लिग्नाइट पर आधारित एक ताप विद्युत केन्द्र की प्रतिष्ठापना के प्रस्ताव को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 22-5-1980 को 67.38 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से अनुमोदित कर दिया था। चूंकि अपेक्षित मात्रा में लिग्नाइट की उपलब्धता स्पष्ट रूप से सुनिश्चित नहीं हो पाई थी इसीलिए परियोजना को निवेश के लिए अनुमोदित नहीं किया जा सका था। तथापि लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार नवम्बर, 1983 में सुनिश्चित किए गए हैं। परियोजना को अब लागत का अनुमान लगभग 277 करोड़ रुपये लगाया गया है। राजस्थान सरकार को सलाह दी गई है कि परियोजना की अद्यतन अनुमानित लागत के सन्दर्भ में परियोजना की व्यवहार्यता का पुनः मूल्यांकन कराए और राज्य की योजना में परियोजना के लिए और लिग्नाइट की खानों के विकास के लिए निधियों की उपलब्धता के बारे में बताये ताकि परियोजना को मंजूरी देने के बारे में विचार किया जा सके।

यह परियोजना राज्य क्षेत्र में है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के लिए जल का प्रस्तावित स्रोत मुख्य राजस्थान नहरों से मिलने वाली लिफ्ट सिंचाई नहर है। परियोजना के

लिए स्थल के विकास की कार्यवाही और भूमि अधिग्रहण का कार्य सामान्यतः योजना आयोग द्वारा परियोजना अनुमोदित हो जाने के बाद ही शुरू किया है ।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर शीतल पेय सम्बन्धी विज्ञापन

3874. **श्री बाबूराम परांजपे :**
श्री सतीश अग्रवाल :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात के क्या कारण हैं कि 15 जून, 1984 अन्तिम तारीख निर्धारित किए जाने के बावजूद आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रसारित शीतल पेयों सम्बन्धी सभी विज्ञापनों में यह नहीं दर्शाया अथवा स्पष्ट किया जाता है कि वे "बनावटी स्वादिष्ट" हैं और उनमें "फलों का रस नहीं है";

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है कि सभी समाचारपत्र, पत्रिकाएं और प्रकाशित सामग्री एफ० पी० ओ० की धारा 11(3) का उल्लंघन करना रोक दें और यह सुनिश्चित करें कि प्रकाशित सामग्री में सभी शीतल पेय विज्ञापनों में अपेक्षित सांविधिक सूचना की यथाविधि समाविष्ट कर लिए जाएं; और

(ग) वे सांविधिक विशिष्ट नियम, विनियम, अथवा कानूनी उपबंध क्या हैं; जिसके अधीन सरकार या अन्य निकाय जैसे प्रैस काउंसिल, समाचारपत्र रजिस्ट्रार आदि सभी प्रकाशित विज्ञापनों में सांविधिक सूचना के समाविष्ट होने को सुनिश्चित अथवा लागू कर सकते हैं और क्या कोई ऐसा उपबन्ध हैं जिसके अन्तर्गत कोई उपभोक्ता अथवा समाचारपत्र-पाठक इस सांविधिक उपबन्ध का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु कार्यवाही कर सकता है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) फल उत्पाद आदेश, 1955 के किसी उल्लंघन का इस प्रकार का कोई उदाहरण आकाशवाणी/दूरदर्शन के ध्यान में नहीं लाया गया है । आकाशवाणी और दूरदर्शन ने अपने सभी केन्द्रों को ये कड़े निर्देश दिए हैं कि फल उत्पाद आदेश, 1955 के उपबन्ध को आकर्षित करने वाले शीतल पेयों सम्बन्धी कोई विज्ञापन सम्बन्धी कोई भी विज्ञापन निर्धारित सांविधिक घोषणा के बिना प्रसारित/टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये आदेश 15 जून, 1984 से लागू किए गए हैं ।

(ख) और (ग) समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का मुद्रण अधिकांशतः निजी क्षेत्रों में है और इस मन्त्रालय का उनकी विषयवस्तु पर कोई नियन्त्रण नहीं है । तथापि, फल, उत्पाद आदेश, 1955 के अन्तर्गत निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त आदेश में निहित उपबन्धों के अनुसार

दोषी समाचारपत्रों, पत्रिकाओं इत्यादि के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है। भारतीय प्रेस परिषद और समाचारपत्रों के पंजीयक क्रमशः प्रेस परिषद अधिनियम 1978 तथा प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम द्वारा विनियमित होते हैं और शीतल पेयों सम्बन्धी प्रकाशित विज्ञापनों में सांविधिक सूचना के समाविष्ट होने को लागू करने के लिए उन्हें अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

उपनिदेशक (फोटो डिवीजन) के पद पर पदोन्नति के लिए पैनल

3875. **श्री आर० एन० सकेश :**
श्री हरीश रावत :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** उप निदेशक (फोटो डिवीजन) के पद पर पदोन्नति के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7939 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य की अध्यक्षता में संवीक्षा विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित की गई थी; और

(ख) यदि हां, तो विभागीय पदोन्नति समिति के परामर्श के अनुसरण में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने की थी, ने फोटो प्रभाग में उप निदेशक के 4 पदों के लिए 4 उम्मीदवारों की अनुशंसा की जिनमें से 2 अनारक्षित पदों के लिए 2 सामान्य उम्मीदवार हैं तथा 2 आरक्षित पदों—एक अनुसूचित जाति के लिए और दूसरा अनुसूचित जनजाति के लिए—के लिए अनुसूचित जाति के 2 उम्मीदवार हैं। पुनरीक्षण विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं और उन्हें कार्यान्वित कर दिया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में छंटनी

3876. **श्री शिबू सोरन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के मशीनीकरण कार्यक्रम के अधीन भारत कोकिंग कोल लि० के 10,000 से अधिक श्रमिकों की छंटनी कर दी गई है और वे बेरोजगार कर दिए गए हैं और भविष्य में और श्रमिकों की छंटनी का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में पूर्ण ब्योरा क्या है; और

(ग) इन बेरोजगार श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

रणजी ट्राफी फाइनल की मुख्य झलकियों का दूरदर्शन पर प्रसारण

3877. **श्री चिन्तामणि जैना : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन समाचार में मुख्यत: समाचार उद्घोषकों के चेहरे दिखाने तथा घटना की वीडियो रिकार्डिंग न दिखा सकने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या वे दिल्ली को छोड़कर अन्य नगरों से उसी दिन घटनाओं के विडियो टेप प्राप्त करने में समर्थ नहीं हैं;

(ग) रणजी ट्राफी के फाइनल मैच की झलकियां उसी दिन समाचार में न दिखाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या दिनांक 13 अप्रैल, 1984 को दिल्ली से सायं 7.30 बजे प्रसारित समाचारों में रणजी ट्राफी मैच के नतीजे का उल्लेख तक नहीं किया गया; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) समाचार बुलेटिनों में कवर की जाने वाली घटनाओं का यथासंभव दृश्य/कवरेज उपलब्ध करने के लिए दूरदर्शन का हमेशा प्रयास कर रहा है।

(ख) घटनाओं के दृश्यों की दिल्ली में उसी दिन उपलब्धता घटना के समय, माइक्रोवेव लिंकों के संचालन, रिकार्ड किए गए कवरेज के मामले में रिकार्डिंगों को विमान से लाने के लिए उड़ानों की उपलब्धता, इत्यादि जैसी विभिन्न बातों पर निर्भर करता है।

(ग) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से 31-3-84 को टेलीकास्ट किए गए अंग्रेजी और हिन्दी के समाचार बुलेटिनों में से प्रत्येक में रणजी ट्राफी फाइनल मैचों के 30-30 सैकण्ड के दृश्य थे। अन्य दिनों को दूरदर्शन केन्द्र, बम्बई तकनीकी समस्याओं के कारण दिल्ली को दृश्य कवरेज नहीं भेज सका था। तथापि रणजी ट्राफी मैचों के बारे में दृश्य रहित समाचारों को दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली के छोटे समाचार बुलेटिनों में कवर किया गया था।

(घ) जी, नहीं। मैच 30 मार्च और 4 अप्रैल, 1984 के बीच खेले गए थे।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्थान में खुदरा बिक्री स्थलों की मरम्मत के लिए चार्जमैनों की नियुक्ति

3878. **श्री भीखाभाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह-बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ डीलरों ने शिकायत की है कि पेट्रोल डिस्पैन्सिग मशीनें अधिकांशतः खराब रहती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान के उदयपुर जिले में कई पैट्रोल पम्पों की देखभाल के लिये केवल एक ही चार्जमैन है;

(ग) क्या यह सच है कि चार्जमैन किसी अन्य स्थान पर व्यस्त रहने के कारण सूचना के मिलने पर महत्वपूर्ण मरम्मत कार्य नहीं कर पाता है; और

(घ) कार्य-भार को देखते हुए, विशेष रूप से बहुत दूरी पर स्थित खुदरा बिक्री स्थलों पर, अधिक चार्जमैनों की नियुक्ति नहीं करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मैसर्स महावीर आटोमोबाइल सगवाड़ा डूगरपुर जिला राजस्थान ने जिला प्राधिकारियों को बताया कि उनके पैट्रोल बिक्री केन्द्र पर डिस्पैंसिल मशीनें बहुधा खराब रहती हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) शिकायतों पर चार्चमैनों द्वारा शीघ्र कार्रवाई की जाती है परन्तु अगर वे शिकायतों के समय मुख्यालय से दूर न गए हों। ऐसे मामलों में भी सम्बन्धित चार्जमैनों को तार अथवा टेलीफोन द्वारा निर्देश दिए जाते हैं कि वे हाथ में लिए हुए काम को पूरा करके प्रभावित स्थान पर जाएं। चार्जमैन प्रत्येक स्थान पर तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर तैनात किए जाते हैं। ये मानदण्ड विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर विस्तृत अध्ययन के बाद तैयार किए जाते हैं।

इलैक्ट्रानिक्स पुर्जों का निर्माण

3879. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक पुर्जों के निर्माताओं ने यह आशंका व्यक्त की है कि यदि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज भविष्य में स्थापित किए जाने वाले टेलीफोन एक्सचेंजों के पुर्जे बनाने की अपनी योजना को अमल में लाता है तो उनका कारोबार ठप्प हो जाएगा;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों की जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) इलेक्ट्रानिक्स एक्सचेंज के उत्पादन कार्यक्रम से सम्बन्धित जरूरत पूरी करने के लिए बाहर से मंगाए घटकों की तुलना में यहीं तैयार इलैक्ट्रानिक घटकों के बारे में तकनीकी आर्थिक सक्षमता के आधार पर अधिकतम लाभदायी व्यवस्था के बारे में इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज और उपर्युक्त घटक विनिर्माताओं के बीच, उनके संघ "एलसिना" के माध्यम से बातचीत चल रही है।

कलकत्ता दूरदर्शन पर साक्षात्कार के लिए कलकत्ता केन्द्र के निदेशक का पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से अनुरोध

3880. **श्री अजित बाग** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कलकत्ता दूरदर्शन के केन्द्र निदेशक ने पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री से दूरदर्शन पर साक्षात्कार देने का अनुरोध कब किया था;

(ख) क्या उस समय पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री कलकत्ता में थे; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र निदेशक द्वारा किए गए अनुरोध का मुख्य मन्त्री ने यदि कोई उत्तर दिया था, तो वह क्या था ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता के निदेशक ने 23 मई, 1984 को पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री के निजी सचिव से यह अनुरोध किया था कि वे यह पता करें कि क्या मुख्य मन्त्री केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों या किसी अन्य विषय पर भेंटवार्ताकारों के एक पैनल के साथ दूरदर्शन के भेंटवार्ता कार्यक्रम में भाग लेना चाहेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री 23 मई, 1984 को पश्चिम बंगाल में थे। दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता के निदेशक के उक्त पत्र के परिणामस्वरूप, पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री को दिनांक 31 मई, 1984 का एक पत्र भेजा जिसमें मुख्य मन्त्री ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री को दूरदर्शन के माध्यम से केन्द्र-राज्य वित्तीय सम्बन्धों पर राज्य सरकार के दृष्टिकोण को व्यक्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री को भेजे अपने उत्तर में सूचना और प्रसारण राज्य मन्त्री ने बताया था कि राज्य के महत्वपूर्ण मामलों को लोगों के समक्ष रखने के लिए दूरदर्शन माध्यम का उपयोग करने की सुविधा राज्य के मुख्य मन्त्री को उपलब्ध हैं और इसका उपयोग करने के लिए उनका स्वागत है।

माइका माइन्स लेबर वेल्फेयर आर्गेनाइजेशन कर्मा, बिहार के कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही

3881. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि माइका माइन्स लेबर वेलफेयर आर्गेनाइजेशन कर्मा, बिहार के कुछ कर्मचारियों, जो कुछ आदिवासी नर्सों के साथ दुर्व्यवहार करने के लिए उत्तरदायी हैं, का वेलफेयर कमीशनर द्वारा संरक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उप श्रम आयुक्त, हजारीबाग ने मामले की परिस्थितियों से सन्तुष्ट होकर उनका जिले के बाहर स्थानान्तरण करने की सिफारिश की है, जिसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है;

(ग) क्या सरकार का विचार संगठन में सुचारू कार्यकरण के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु मामले पर फिर से कार्यवाही करने और अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

स्टाफ आर्टिस्टों के लिए नई योजना

3882. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्टाफ आर्टिस्टों के लिए नई योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि "आर्टिस्ट" श्रेणी सम्बन्धी नई शर्तों को उच्चतम न्यायालय और अन्य न्यायालयों में चुनौती दी गई है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दूरदर्शन और आकाशवाणी में कितने स्टाफ आर्टिस्टों ने आर्टिस्टों सम्बन्धी "नई योजना" के लिए विकल्प दिया है और सरकार ने उनके मामलों को अन्तिम रूप देने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आकाशवाणी और दूरदर्शन के स्टाफ आर्टिस्ट संविदा कर्मचारी हैं । वे अब तक पेंशन के लिए पात्र नहीं थे यद्यपि वे अंशदायी भविष्य निधि योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त कर रहे थे । यह निर्णय किया गया है कि 6 मार्च, 1982 से स्टाफ आर्टिस्ट अपने विकल्प तथा विभाग द्वारा स्क्रीनिंग के आधार पर, पेंशन

पाने के लिए पात्र होंगे। इस प्रयोजन के लिए और उनके भविष्य शर्तों में सुधार करने के लिए भी उन स्टाफ आर्टिस्टों, जो उसी प्रकार के कार्य कर रहे हैं जिस प्रकार के कार्य नियममित सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, को जैसा कि ऊपर बताया गया है, उनके विकल्प और स्क्रीनिंग के अधीन रहते हुए नियमित सरकारी कर्मचारी समझा जाएगा। तथापि, जो स्टाफ आर्टिस्ट माइक या दूरदर्शन स्क्रीन पर आते हैं और जिन्हें पेंशन के लाभ भी दिए गए हैं, वे अल्पकालिक संविदा पर चलते रहेंगे। प्रत्येक श्रेणी के लिए उच्च शुल्कमान मंजूर किए गए हैं। उन्हें संविदा की अवधि के दौरान उसी श्रेणी या किसी भी अन्य श्रेणी के उच्च शुल्कमान वाली विज्ञापित रिक्तियों के लिए आवेदन करने की भी अनुमति दी जाएगी यदि वे निर्धारित अर्हताएं, इत्यादि रखते हैं।

(ख) उद्घोषकों और समाचार वाचक-व-अनुवादकों की श्रेणी के कुछ स्टाफ आर्टिस्टों ने श्रेणीकरण तथा नई शर्तों को उच्चतम न्यायालय तथा कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। मामलों का अभी अन्तिम रूप से निपटान नहीं किया गया है। तथापि, उच्चतम न्यायालय ने "आर्टिस्ट" श्रेणी में स्टाफ आर्टिस्टों के लिए स्वविकल्प देने की तारीख को बढ़ा दिया है।

(ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन में यह संख्या क्रमशः 638 और 57 है। विकल्पों की स्क्रीनिंग का काम चल रहा है और उसके शीघ्र पूरा हो जाने की सम्भावना है।

राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली में डीन के विरुद्ध कार्यवाही

3883. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नई दिल्ली के डीन के विरुद्ध की गई कटु टिप्पणी की ओर दिलाया गया है (19 जुलाई, 1984 का टाइम्स आफ इण्डिया) और यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है; और

(ख) क्या सरकार का विचार संस्थान को किसी व्यावसायिक व्यक्ति के अधीन रखने का है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार का ध्यान टाइम्स आफ इंडिया दिनांक 19 जुलाई, 1984 की ओर दिलाए जाने के बाद, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 18 जुलाई, 1984 की एक प्रति प्राप्त कर ली है। इस आदेश में यह पाया गया कि उच्चतम न्यायालय ने श्री पाइस के विरुद्ध किसी प्रकार की कटु टिप्पणी नहीं की है। राष्ट्रीय श्रम संस्थान के डीन के इस कथन पर कि उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 7 मार्च, 1984 की अवज्ञा करने का उनका कोई इरादा नहीं था और उपरोक्त आदेश का देरी से अनुपालन करने के लिए खेद व्यक्त करने पर उच्चतम न्यायालय ने डीन की क्षमा-याचना को बिना किसी शर्त के

स्वीकार कर लिया और कार्यवाही को समाप्त कर दिया। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का इस पर कोई आगे कार्रवाई करने का विचार नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वर्तमान डीन का चयन उनकी योग्यताओं के आधार पर उचित रूप से किया गया है।

दैनिक समाचार पत्रों के मूल्य

3884. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दैनिक समाचार पत्रों के मूल्यों की कोई सीमा है, विशेषकर उन समाचार-पत्रों की, जिनमें परिणाम घोषित किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो नियमों की जांच के लिए यदि कोई कदम उठाए गए हैं तो वे क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या नेशनल हैरल्ड में उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम चार भागों में प्रकाशित हुआ है और प्रत्येक भाग का मूल्य छः रुपए था; और

(ङ) यदि हां, तो इसमें अधिक मूल्य की वैधता और औचित्य क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रकाशन की लागत आदि जैसी बातों को गणना में लेते हुए अपना विक्रय मूल्य निर्धारित करना समाचार पत्रों का काम है।

(घ) ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल परीक्षा का परिणाम 16 जुलाई, 1984 को नेशनल हैरल्ड, नई दिल्ली में दो भागों में प्रकाशित हुआ था और प्रत्येक भाग का मूल्य छः रुपए था।

(ङ) समाचार-पत्र का अधिकतम विक्रय मूल्य निर्धारित करने के बारे में इस समय कानून में कोई प्रावधान नहीं है।

भोनमल और बम्बई के बीच डायल प्रणाली प्रारम्भ करना

3885. **श्री विरदा राम फुलवारिया** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भीनमल (राजस्थान)—बम्बई सीधी टेलीफोन लाइन पर ट्रंक काल औसत संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस समय कालों की बड़ी संख्या को देखते हुए मानव चालित लाइन पर अधिक दबाव है;

(ग) क्या सरकार का इस कमी पर काबू पाने की दृष्टि से भीनमल ओर बम्बई के बीच डायल प्रणाली आरम्भ करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

संचार मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) भीनमल-बम्बई सीधे ट्रंक सर्किल पर दोनों ओर से प्रतिदिन ट्रंक कालों की औसत संख्या 68 है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) सातवीं योजना अवधि के दौरान अतिरिक्त कैरियर और कोएक्सियल प्रणालियां चालू होने के बाद भीनमल से बम्बई के बीच सीधी डायलिंग ट्रंक सर्किट प्रदान किया जाएगा ।

(घ) भीनमल से बम्बई के लिए अतिरिक्त ट्रंक सर्किटों की व्यवस्था करने के उद्देश्य से जालोर से सिरोही और पालनपुर-आबू रोड-सिरोही-पाली और जोधपुर के बीच कोएक्सियल प्रणालियों की योजना बनाई गई है । ऐसी सम्भावना है कि यह कार्य 1989-80 तक पूरा हो जाएगा ।

कृषि सेवा केन्द्र योजना के अन्तर्गत कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

3886. **श्री जायनल अबेदिन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा प्रायोजित कृषि सेवा केन्द्र योजना के अन्तर्गत कितने उद्यमियों ने कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये;

(ख) उन व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है, जिन्होंने पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा विपणन किये जाने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की "डिस्ट्रीब्यूटरशिप" के लिये आवेदन किया है; और

(ग) उन व्यक्तियों का क्या ब्यौरा है, जिन्हें उक्त कम्पनियों द्वारा वितरकों के रूप में नियुक्त किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) 31 दिसम्बर, 1983 को इसकी संख्या 3013 थी ।

(ख) और (ग) चूंकि पैट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप प्रदान करने में कृषि सेवा केन्द्र के उद्यमियों के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे मामलों के सम्बन्ध में अलग से ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा औद्योगिक वाल्वों का खरीदा जाना

3887. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अपनी उपकरण आवश्यकता देश में बने उपकरणों से पूरी करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान विदेशों से और भारत में विभिन्न स्रोतों से कितनी मात्रा में औद्योगिक वाल्व खरीदे गए हैं; और

(ग) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग की पूर्तिकर्ताओं की मंजूरशुदा सूची में औद्योगिक वाल्वों के विदेशी तथा भारतीय निर्माताओं के क्या नाम हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) स्वदेशी निर्माताओं के लिए पहले से ही अनेक प्रोत्साहनों की व्यवस्था की जा चुकी है यथा, सीमा, उत्पादन तथा आयात शुल्कों से छूट, निर्णीत निर्यात का लाभ तथा जोड़े हुए देशी मूल्य के आधार पर कीमत में 15% तक की अधिमान्यता। अपतटीय प्लेटफार्मों, अपतटीय जैक-अप रिगें, ड्रिलशिप, ओ० एस० वी०, एम० एस० वी० भूमि रिगों आदि जैसे उपस्करों की कुछ मदों के लिए पहले से ही स्वदेशी स्रोतों को आर्डर दिए जा चुके हैं।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

उड़ीसा के बालासोर जिले में नए डाकखाने खोलना

3888. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के बालासोर जिले में चालू वित्त वर्ष में नये डाकखाने खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उन कस्बों/गांवों के नाम क्या हैं, जहां पर चालू वित्त वर्ष में डाकखाने खोले जाने की सम्भावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। 6 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(ख) **कस्बा :**

1. चरंपा बाजार
2. जगन्नाथपुर

गांव

1. गोपालपुर
2. राधाकिशोरपुर
3. बहाबलपुर
4. जयनगर

मुरादनगर सुपर तापीय बिजलीघर के लिए विश्व बैंक की सहायता

3889. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक मुरादनगर (उत्तर प्रदेश) में सुपर तापीय संयंत्र के लिए सहायता प्रदान करने पर राजी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का कुल परिव्यय क्या है तथा विश्व बैंक द्वारा कितनी सहायता देने की पेशकश की गई है; और

(ग) सहायता संबंधी शर्तें क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) मुरादनगर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-एक) वित्तीय सहायता के लिए विश्व बैंक को प्रस्तुत की गई है।

(ख) और (ग) परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट के अनुसार परियोजना के चरण-एक (4×210 मेगावाट) की अनुमानित लागत 911.96 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक द्वारा वित्तीय सहायता की मात्रा और शर्तों और निबन्धनों का पता ऋण के लिए बातचीत होने के बाद लग सकेगा।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के दिल्ली केन्द्रों से दक्षिण भारतीय भाषाओं के कार्यक्रमों के प्रसारण के समय में वृद्धि करना

3890. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के आकाशवाणी और दूरदर्शन केन्द्रों से दक्षिण भारतीय भाषाओं जैसे मलयालम, तमिल, तेलुगू और कन्नड़ में कार्यक्रमों के लिए प्रति सप्ताह आबंटित किए गए समय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार का विचार दिल्ली में दक्षिण भारतीयों की संख्या को ध्यान में रखते हुए दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिए आबंटित उक्त समयावधि में वृद्धि करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) आकाशवाणी, दिल्ली प्रति सप्ताह लगभग 4 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए कर्नाटक संगीत प्रसारित कर रहा है जिसमें मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ की रचनाएं शामिल होती हैं। इन भाषाओं में कर्नाटक संगीत दिल्ली "ए" और "बी" तथा "युववाणी" अर्थात् दिल्ली "डी" के शास्त्रीय संगीत चक्रों में प्रसारित किया जाता है।

इसके अलावा, संगीत दिल्ली के लोक संगीत और सुगम संगीत चक्रों में मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सहित विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित किया जाता है।

दूरदर्शन :

केन्द्र की मुख्य भाषाओं अर्थात् हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा, दिल्ली दूरदर्शन केन्द्र भाषाओं में भी कार्यक्रम टेलीकास्ट करता है। उदाहरण के तौर पर, महीने के पहले, दूसरे, तीसरे और पांचवें रविवार को अपराह्न 2.00 बजे क्षेत्रीय भाषाओं की फीचर फिल्में बारी-बारी से टेलीकास्ट की जाती हैं। इसी प्रकार, विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के फ़िल्मी गीतों और नृत्य अनुक्रमों को भी सोमवार को रात 9.20 बजे टेलीकास्ट किए जाने वाले "चित्रमाला" कार्यक्रम में शामिल किया जाता है। महीने के चौथे रविवार को अपराह्न 2.00 बजे क्षेत्रीय भाषाओं के लम्बे नाटक भी टेलीकास्ट किए जाते हैं। तथापि, किसी क्षेत्रीय भाषा विशेष के लिए कोई निश्चित समय आबंटित नहीं है।

(ख) **आकाशवाणी** : चार दक्षिण भारतीय भाषाओं के बोलने वाले लोगों की प्रतिशतता को देखते हुए, कार्यक्रमों की मौजूदा अवधि पर्याप्त समझी जाती है। इसलिए इन भाषाओं की अवधि में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दूरदर्शन :

प्रेषण समय सीमित होने के कारण क्षेत्रीय भाषाओं के कार्यक्रमों की मात्रा में वृद्धि करना संभाव्य नहीं है।

सिवैसिक एसिड का उत्पादन

3891 : **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सिवैसिक एसिड के उत्पादन के लिए किसी एकक को लाइसेंस दिया गया है, यदि हां, तो उसका क्या नाम है और वह कहां स्थित है और उसकी उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या स्वदेश में अपने आप अथवा किसी विदेशी सहयोग से सिवैसिक अम्ल का उत्पादन करने हेतु संयंत्र स्थापित करने की अनुमति देने संबंधी कोई आवेदन पत्र सरकार के विचाराधीन है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सिवैसिक एसिड बनाने वाले एकक लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित हैं यदि हां, तो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले घराने को इस क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) तथा (ख) देश में सिवैसिक एसिड के निर्माण के लिए किसी एकक को लाइसेंस नहीं दिया गया है। सिवैसिक एसिड को स्वदेशी रूप से या विदेशी सहयोग से निर्माण करने हेतु संयंत्र स्थापित करने के लिए भी कोई आवेदन सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) जी नहीं। सिवैसिक एसिड का निर्माण लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है।

उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई पुन: बिजली परियोजनाएं

3892. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अकेले उड़ीसा के पूर्वी क्षेत्र में पन बिजली के लिए अधिकतम क्षमता मौजूद है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना में अब तक कितनी पन बिजली परियोजनाएं शुरू की गई हैं :

(ग) क्या लोअर चिपीलीना पन बिजली परियोजना, जो कि उड़ीसा में ही हीराकुंड चरण दो का ही एक भाग है, को पूर्णत: केन्द्रीय धन की सहायता से सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या क़दम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। उड़ीसा में क्षमता सबसे अधिक है।

(ख) उड़ीसा में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हीराकुंड चरण तीन (5 × 50 मेगावाट) की परियोजना रिपोर्ट जिसमें चिपीलीन बिजलीघर के अनुप्रवाह में महानदी पर एक बराज का निर्माण किया जाना है, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मई, 1984 में प्राप्त हुई थी जिसकी केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग में जांच की जा रही है। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने के बाद इसकी स्वीकृति के संबंध में विचार किया जाएगा। स्कीम की व्यवहार्यता सुनिश्चित हो जाने और केन्द्रीय क्षेत्र की जल विद्युत परियोजनाओं से लोभों और विद्युत के बंटवारे के लिए केन्द्र के फार्मूले पर राज्य सरकार की सहमति के बाद इस संबंध में केन्द्र द्वारा निधियों की व्यवस्था किए जाने के प्रश्न पर विचार किया जाएगा।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगावाट)
1.	रेंगाली	2 × 50
2.	अपर कोलाब	2 × 80
3.	हीराकुंड (7वीं यूनिट)	1 × 37.5
4.	अपर इन्द्रावती	4 × 150
5.	पेहेरु (हाल ही में स्वीकृत)	4 × 1.5

उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करने वाली कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षा

3893. **श्री सतीस अग्रवाल :**
श्री रुद्र प्रताप सारेगी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** 24 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 217 के उत्तर के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि उपर्युक्त उत्तर में लिखित 29 उद्योगों से प्रत्येक के अधीन कार्यरत उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनकी लागत लेखा परीक्षा आज तक नहीं की गई है और प्रत्येक मामले में किन-किन वर्षों के दौरान लागत लेखा परीक्षा की गई थी तथा किन-किन कम्पनियों वर्षों के संबंधित लागत लेखा परीक्षा प्रतिवेदन अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : संकलित फार्म में ब्यौरा उपलब्ध नहीं है और ना ही इस प्रकार के संकलित फार्म में इसे रखा जाना, विधि के अन्तर्गत अपेक्षित है। इस सूचना के संकलन में किए जाने वाला प्रयास भी प्राप्त किए जाने वाले लाभों का समानुपातिक नहीं होगा। प्रश्न संख्या 217 के उत्तर के भाग (घ) से संलग्न विवरण पत्र में निर्दिष्ट, प्रथम 28 उद्योगों से संबंधित अधिक से अधिक एक हजार कम्पनियों से ऊपर कम्पनियां हैं, जिनमें से अधिकतर की किसी समय पर या अन्य प्रकार से लागत लेखा परीक्षा की जा चुकी है (अन्तिम उल्लिखित उद्योग से संबंधित कम्पनियां अर्थात "स्टील ट्यूब और पाइप" को अभी तक लागत लेखा परीक्षा के अधीन नहीं रखा गया है क्योंकि इस उद्योग से सम्बन्धित लागत लेखांकन रिकार्ड नियमों को अभी ही में अधिसूचित किया गया है)। तथापि, अगर माननीय सदस्य किसी शेष कम्पनी के संबंध में, इस प्रकार की सूचना के इच्छुक हैं, तो वह प्रस्तुत की जा सकती है।

औद्योगिक अल्कोहल का उत्पादन और निर्यात

3894. **श्री नवीन रावणी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान कितनी मात्रा के औद्योगिक अल्कोहल का निर्यात किया गया उसमें कितनी राशि अर्जित की गई और उन देशों के नाम क्या हैं जिन्हें निर्यात किया गया; और

(ख) देश में मांग को पूरा करने तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए अल्कोहल का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान अल्कोहल के निर्यात की अनुमति नहीं दी गई थी। वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान अल्कोहल (परिशोधित स्प्रिट) की निम्नलिखित मात्राओं का निर्यात किया गया था—

वर्ष	मात्रा (मीटर में)	मूल्य (लाख रु० में)	देश जिनको निर्यात किया गया
1982-83 और 1983-84	7000	182.61	यू० एस० ए० और फ्रांस

(ख) शीरा के उपयुक्त भण्डारण और उपयोगिताओं के बेहतर क्षमता उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने शीरा के भण्डारण और क्षमता उपयोग पर कार्यकारी दलों की स्थापना की है। कार्यकारी दल की सिफारिशों का कार्यान्वयन, इस प्रयोजनार्थ गठित टास्क फोर्स के माध्यम से किया जाएगा।

वर्ष 1980 से लेकर अब तक बोनस संबंधी विवादों की संख्या

3895. **श्री रेणुपद दास :** क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी, दोनों क्षेत्रों में, 1980 से लेकर अब तक बोनस के प्रश्न पर प्रमुख विवादों अथवा काम रोक दिए जाने की राज्यवार घटनाओं की संख्या कितनी है; और

(ख) इस बारे में विवादों को निपटाने के लिए सरकार ने अब तक क्या उपाय किए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1980 से 1983 तक बोनस के मामले के बारे में कार्य रोक दिए जाने की संख्या संबंधी राज्य-वार और क्षेत्र-वार सूचना दी गई है।

(ख) सरकार ने संबंधित प्राधिकारियों को अनुदेश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि बोनस की अदायगियां केवल "बोनस संदाय अधिनियम, 1965" के अनुसार ही की जाएं। इस शर्त के अध्यधीन, केन्द्र तथा राज्य-दोनों ही स्तरों पर संराधन तंत्र बोनस के बारे में विवादों को निवारक-मध्यस्थता, विवाचन और न्यायनिर्णयन के द्वारा सुलझाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

विवरण

1980 से 1983 के दौरान बोनस के मामले पर रोक दिए जाने की राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1980			1981			1982(अ)			1983(अ)		
	सार्वजनिक क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	कुल	सार्वजनिक क्षेत्र	गैर-सरकारी क्षेत्र	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. आन्ध्र प्रदेश	5	3	8	—	7	7	4	5	9	3	4	7
2. आसाम	—	2	12	—	11	11	—	—	—	—	1	1
3. बिहार	2	3	8	—	4	4	—	6	6	1	6	7
4. गुजरात	2	2	31	1	33	34	—	10	10	—	15	15
5. हरियाणा	2	3	5	2	—	2	—	2	2	—	1	1
6. हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	2
7. जम्मू और कश्मीर	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8. कर्नाटक	2	2	4	—	1	1	—	4	4	1	4	5

1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9. केरल	—	9	9	—	18	18	4	16	20	1	6	7
10. मध्य प्रदेश	4	5	9	6	12	18	3	8	11	2	4	6
11. महाराष्ट्र	12	20	32	7	29	36	2	18	20	1	22	23
12. मणिपुर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13. मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14. नागालैंड	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	—	2	2	—	1	1	1	—	1	—	4	4
16. पंजाब	—	6	6	—	—	—	—	2	2	—	4	4
17. राजस्थान	2	3	5	—	1	1	—	7	7	1	6	7
18. सिक्किम	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19. तमिलनाडु	4	2	32	4	50	54	3	16	19	6	23	29
20. त्रिपुरा	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	2	8	10	4	7	11	5	16	21	—	10	10
22. पश्चिम बंगाल	—	11	11	1	2	3	—	1	1	1	1	2
23. अण्डमान और निकोबार	—	5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.	अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	दादर और नगर हवेली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	दिल्ली	1	1	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—
28.	गोआ दमन और द्वीप	—	2	2	—	—	1	1	—	—	—	4	1
29.	लक्ष्य द्वीप	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30.	मिजोरम	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
31.	पाण्डिचेरी	2	—	2	2	1	3	2	5	7	—	1	1
	कुल	41	155	196	27	180	207	24	116	140	17	115	132

(अ)—अनन्तिम

(—) शून्य

कर्नाटक क्षेत्र में कर्मचारियों की भविष्य निधि के निपटारे में धोखाधड़ी

3896. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक क्षेत्र में कर्मचारियों की भविष्य निधि के निपटारे में धोखाधड़ी के अनेक मामले पकड़े गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराधि की धोखाधड़ी की गई है;

(ग) इसके लिए कौन जिम्मेदार है; और

(घ) धोखाधड़ी करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है।

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, भविष्य निधि दावे के निपटान में धोखा-धड़ी के एक मामले का का उन्हें पता लगा है।

(ख) अन्तर्ग्रस्त धन-राशि 3,524.30 पैसे है।

(ग) यह आरोप लगाया गया है कि बंगलौर में क्षेत्रीय कार्यालय का एक कनिष्ठ अधिकारी इस धोखाधड़ी के लिए जिम्मेदार है।

(घ) इस अधिकारी को नौकरी से मुअत्तिल कर दिया गया है और केन्द्रीय जांच ब्यूरो इस मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

खानों में ठेका मजदूर प्रणाली समाप्त करना

3897. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खानों में ठेका मजदूर प्रणाली समाप्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) क्रोमाइट,

मैंग्नीसाइट, जिप्सम और अभ्रक खानों में कुछ कार्यों/संक्रियाओं/प्रक्रियाओं में ठेका श्रम पद्धति को समाप्त करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। इनके ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :—

क्रम संख्या	उद्योग का नाम	कार्यों/प्रक्रियाओं/संक्रयाओं का स्वरूप
1.	क्रोमाइट खानें	(i) ओवर बर्डन को उत्खनन करना व उसे हटाना, (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, (iii) अयस्क निकालना, और (iv) ओवर बर्डन को कूड़े के ढेर तक तथा अयस्क को भंडार-स्थलों तक ले जाना।
2.	मैंगनीसाइट खानें	(i) ओवर बर्डन हटाना (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, और (iii) खनिज निकालना
3.	जिप्सम खानें	(i) ओबर बर्डन हटाना, और (ii) खनिज का खनन/निकालना
4.	अभ्रक खानें	(i) अभ्रक निकालना; (ii) ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग; (iii) खानों से पानी निकालना; (iv) कूड़ा-करकट हटाना; और (v) अभ्रक का संसाधन।

आन्ध्र प्रदेश में नए डाकघर खोलना

3898. **श्री ए० आर० मल्लु :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश राज्य में नए डाक घर खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान जिला-वार, जिन कस्बों, गांवों में ये डाक घर खोले जाएंगे, उनके नाम क्या हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जिन शाखा डाकघरों का पहले ही औचित्य पाया गया है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान खोला जाना है उनकी सूची संलग्न विवरण' में दी गई है।

ग्रामीण इलाकों में भी जहां औचित्य पाया जाएगा और अधिक डाकघर खोले जाएंगे बशर्ते कि 1984-85 के लिए 120 की कुल सीमा से अधिक न हों।

इसके अतिरिक्त शहरी इलाकों में भी जिन स्थानों पर उनका औचित्य पाया जाएगा समय-समय पर डाकघर खोले जाएंगे।

विवरण

ग्राम का नाम	जिले का नाम
1	2
1. अलीपुर	रंगारेड्डी जिला
2. उप्परापेल्ली 3. रामाजीपल्ली 4. लकडारम 5. अन्नारम 6. मुबारसपुर	मेंढक
7. एस० चंडेपल्ली 8. सारमपेट 9. पोटलापहाड	नलगोंडा
10. नल्लनगाडू 11. कोंगनपल्ली	चित्तौर
12. रामापुरमकुर्द 13. वेंकटापुरम 14. बुरगुल	निजामाबाद
15. पुलथोटा 16. उत्तम नेल्लोर 17. हस्तकावेरी	नेल्लोर
18. चेरलायकयला 19. चेन्नापुरावपेल्ली 20. तातिपामूला 21. कमसनीपल्ली 22. पाचेरला	महबूबनगर

1	2
23. बेटापडु 24. मरुपरोलूवरिपलाई	गुन्टूर
25. पेरुमालीपुरम 26. पावरा 27. पी० कोठागुठोम	पूर्व गोदावरी जिला
28. बसवारपुरम	खम्माम
29. गुनुमुडी 30. बोमाली 31. पद्मपुर	विशाखापत्तनम
32. कोरंगानीपल्ली 33. आकूथोटापल्ली	अनन्तपुर
34. मलकपेट 35. कामारम 36. वसन्तपुर 37. कोकिरिदियाल 38. गोविन्दपुर	वारंगल
39. परदी क० 40. कोब्बई 41. खानपुर	एदिलाबाद

सातवीं योजना में केन्द्र द्वारा पूंजीनिवेश के बारे में पश्चिमी बंगाल का असंतोष

3899. श्री सनत कुमार मंडल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जिसमें अभी हाल ही में हुए ऊर्जा मंत्रियों के सम्मेलन में विभिन्न राज्यों की बिजली के पूर्वानुमानित मांग के लिये केन्द्र द्वारा निर्धारित पूंजी निवेश के अनुपात पर असंतोष व्यक्त किया है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल में सातवीं परियोजना में बिजली उत्पादन के लिये केन्द्र द्वारा प्रस्तावित आबंटन से 60 करोड़ रुपये की लागत वाली राकटेश्वर बिजली परियोजना भी पूरी नहीं होगी, जिसकी सरकार ने सातवीं परियोजना में शामिल करने की मंजूरी दी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार सातवीं परियोजना में बिजली उत्पादन के लिये पर्याप्त आबंटन हेतु पश्चिम बंगाल की अत्यधिक आवश्यकता पर विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) सातवीं योजना के लिए विद्युत कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

धर्मशाला टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन में टेलीफोनों के लिए आवेदन-पत्र

3900. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पश्चिम दूरसंचार मंडल में धर्मशाला टेलीग्राफ इंजीनियरिंग डिवीजन में निम्नलिखित स्थानों में से प्रत्येक में कम से कम दस इच्छुक व्यक्तियां ने टेलीफोन के लिये आवेदन किया है :—

(एक) लठियानी (उना जिला), (दो) टैकोली (उना जिला), (तीन) घूमपाल (हमीरपुर जिला), (चार) नम्होल (बिलासपुर जिला), (पांच) बरमाना (बिलासपुर जिला), (छः) कलोल (बिलासपुर जिला), (सात) स्वरघाट (बिलासपुर जिला), (आठ) जोरबाग (कांगड़ा जिला), (नौ) संसारपुर टैरेस (कांगड़ा जिला), (दस) थाना कलां (उना जिला), (ग्यारह) भारोली कलां (बिलासपुर जिला);

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले में किस-किस तारीख को आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं; और

(ग) उपरोक्त सूची में से किन-किन स्थानों के लिये 25 लाइनों के एस० ए० एक्स० को मंजूरी दी जा चुकी है; और

(घ) शीर्षस्थानों के लिये कब तक एस० ए० एक्स० मंजूर किए जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 11 उल्लिखित स्थानों में से केवल लठियानी, टैकोली, नम्होल, बरमाना और स्वरघाट में दस अथवा अधिक आवेदकों की प्रतीक्षा सूची है :—

(ख) प्रत्येक स्थानों पर प्राप्त आवेदक पत्रों की तारीख इस प्रकार है :—

(एक) लठियानी (13-8-83)

(दो) टैकोली (14-6-83)

(तीन) नम्होल (17-5-84)

(चार) बरमाना (23-5-84)

(पांच) स्वरघाट (11-8-80)

(ग) बरमाना में एक एस० ए० एक्स० की मंजूरी दी जा चुकी है

(घ) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

लठियानी और सोहारी टैकोली :

एस० ए० एक्स० खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया परंतु विभाग की उदारीकृत नीति के अंतर्गत विचार करने पर भी इसका औचित्य नहीं पाया गया।

नम्होल :

दो 400 किलोवाट और एक 220 किलोवाट की पावर लाइनों के समानांतर खड़े किए जाने हैं। एस० ए० एक्स० जंक्शन की स्वीकृति के मामले पर तभी विचार किया जा सकता है जब केन्द्रीय पावर दूरसंचार समन्वय समिति, जिसको यह मामला भेजा गया है, इस पर अपनी मंजूरी दे दे।

स्वरघाट :

भूमि लाइन पर जंक्शन की व्यवस्था संभव न होने के कारण स्वरघाट और बिलासपुर के बीच सिंगल पैनल वी० एच० एफ० स्थापित किया गया है। इस प्रणाली की परीक्षण किया जा रहा है। वी० एच० एफ० प्रणाली स्थापित होने के पश्चात् ही एक्सचेंज के प्रस्ताव की मंजूरी दी जाएगी।

विभिन्न पत्तनों में रुकी पड़ी औषधियों और औषधि इंटरमीडिएट्स औषधि

3902. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न पत्तनों गोदामों में ऐसी कितनी औषधियों और औषध इंटरमीडिएट्स की पड़ी जिनका स्वामित्व सरगीबद्ध अभिकरण के पास है और ये कितनी देर से रुकी पड़ी हैं;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान विभिन्न गैर सरकारी आयातकों द्वारा कितनी मात्रा में औषधियों और औषध इंटरमीडिएट्स का आयात किया गया और सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा जुर्माने की अदायगी के बाद उन्हें छोड़ा गया;

(ग) सरकार द्वारा देश में उत्पादन के लिए अधिसूचित मूल्य की तुलना में जुर्माने देने के बाद उनका देश में पहुंचने का उनका लागत मूल्य क्या है; और

(घ) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) वित्त मन्त्रालय (केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड) ने सूचित किया है कि सीमा शुल्क कार्यालय वस्तु-वार अथवा आयात-वार सांख्यिकी नहीं रखते। इसलिए दण्ड के भुगतान के पश्चात् अवतारित लागत और स्वदेशी उत्पादन के अधिसूचित मूल्यों में तुलना करना सम्भव नहीं है।

तूतीकोरिन बिजलीघर को कोयले की सप्लाई करना

3903. **श्री पी० डेविस** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने तूतीकोरिन बिजली घर को कोयले की सप्लाई बढ़ाने का वायदा किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में और राज्यों के प्रतिनिधियों के बीच कोई विचार-विमर्श हुआ; और

(ग) यदि हां, तो सप्लाई में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रबंध करने हेतु केन्द्र तमिलनाडु सरकार के बीच किए गए निर्णय के सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) तूतीकोरिन बिजली घर को कोयला सप्लाई करने के सम्बन्ध में तमिलनाडु बिजली बोर्ड और तमिलनाडु सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अनेक बैठकें की गई हैं। यह निर्णय किया गया था कि तूतीकोरिन को कोयला रेल-सह-समुद्र मार्ग द्वारा और पूरी तरह रेल मार्ग द्वारा निम्नलिखित विधि से भेजा जाना चाहिए :—

हाल्दिया से	1.60 लाख टन प्रतिमाह
परादीप से	0.40 लाख टन प्रतिमाह
को० इं० लि० से सभी पूरी तरह रेल मार्ग द्वारा	0.20 लाख टन प्रतिमाह
कुल	2.20 लाख टन प्रतिमाह

परन्तु मुख्यतः हाल्दिया और परादीप बंदरगाहों की विभिन्न समस्याओं के कारण वास्तविक प्रेषण इस सीमा तक नहीं हुआ है। बंदरगाह प्राधिकारियों, रेलवे, कोल इंडिया लि० और

तमिलनाडु बिजली बोर्ड से तूतीकोरिन को अधिक से अधिक कोयला भेजने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने को कहा गया है।

डाक और तार विभाग में विभागेतर कर्मचारियों को सुविधाएं

3904. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जून, 1984 तक डाक और तार विभाग तथा टेलीफोन विभाग में श्रेणीवार और पदनामवार कितने विभागेतर कर्मचारी और दिहाड़ी मजदूर कार्यरत थे; और

(ख) इस श्रेणी के कर्मचारियों को विभाग की तरफ से दी जाने वाली विशेष सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अधीनस्थ यूनिटों से जानकारी एकत्र की जा रही है तथा यथासमय सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) अतिरिक्त त्रिभागीय कर्मचारी विभाग के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं। वे केवल अंशकालिक कर्मचारी होते हैं। इसी प्रकार दिहाड़ी मजदूर केवल नैमित्तिक मजदूर होते हैं। अतः उन्हें कोई विशेष विभागीय सुविधाएं नहीं दी जाती हैं।

डाक तार विभाग द्वारा टेलीफोन एक्सचेंजों के लिए भवनों का निर्माण

3905. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने टेलीफोन एक्सचेंज भवन किराए पर लिए हुये हैं;

(ख) उनमें से कितने भवन ऐसे हैं जिनके किराए का करार समाप्त होने पर भी सरकार के कब्जे में हैं;

(ग) इन भवनों को खाली करने के कितने मामले न्यायालय में हैं; और

(घ) टेलीफोन एक्सचेंजों की स्थापना के लिए विभाग के अपने भवन बनाने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) देश में 31-3-84 की स्थिति के अनुसार 9965 टेलीफोन एक्सचेंज हैं। अनेक राज्यों में हजारों की संख्या में छोटे एक्सचेंज, जो छोटे ग्रामों, ग्रामीण कस्बों में किराए की इमारतों में हैं, इनकी संख्या अत्यधिक होने के कारण यह जानकारी एकत्र करना कठिन कार्य है। तथापि, यदि माननीय संसद सदस्य किसी विशेष जिले-कस्बे के बारे में जानकारी चाहते हों तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) उपलब्ध विधि के अनुसार भूमि अधिग्रहण एवं विभागीय भवनों का निर्माण करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

जक्यानगर कोयला खान, बर्दवान के प्रबंधकों द्वारा पंचाट की क्रियान्विति

3906. **श्री अजित कुमार साहा :** क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार औद्योगिक न्यायाधिकरण संख्या 3 धनबाद के सामने संदर्भ संख्या 1082 में एक पंचाट को मंजूर कर लिया है;

(ख) क्या यह सच है कि श्रम मन्त्रालय ने इस पंचाट के विरुद्ध अपील दायर करने से संबंधित प्रबंधकों के फैसले का अनुमोदन नहीं किया;

(ग) यदि हां, तो क्या जक्यानगर कोयला खान बर्दवान के प्रबंधकों ने उपरोक्त पंचाट को क्रियान्वित किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो केन्द्र के निर्देशों का उल्लंघन किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी, हां। 19 मई, 1984 को श्रम मन्त्रालय ने कोयला विभाग को परामर्श दिया कि वे प्रबंध तंत्र से औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट के विरुद्ध अपील दायर न करने के लिए कहें। 31 मई, 1984 को कोयला विभाग ने ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड को पंचाट को लागू करने के निर्देश दिए।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

कोयला खानों द्वारा अनुभव की जा रही बिजली की कमी

3907. **श्री मनमोहन टुडु :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि कोयला खानों को इस समय बिजली की भारी कमी का सामना कर पड़ रहा है; और

(ख) यदि हां, तो कोयला खानों को बिजली की सप्लाई बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। बिजली की सप्लाई

वास्तविक मांग से कम है और बिजली की सप्लाई में अक्सर रुकावट होने और कमी हो जाने से कोयले के उत्पादन में कमी आती है।

(ख) और (ग) कोयला खानों को बिजली की सप्लाई बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) खानों में अपातकालीन कामों के लिए ग्रहीत बिजली उत्पादन की व्यवस्था करना ताकि खानों में खतरनाक दशाएं पैदा होते पाएं।

(2) दामोदर घाटी निगम और बिहार तथा पश्चिम बंगाल के राज्य बिजली बोर्डों के साथ कोयला खानों को अग्रता के आधार पर बिजली आबंटित करने और प्रभावी परेषण के लिए लगातार संपर्क बनाए रखना।

अशोधित तेल पर रायल्टी

3908. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मन्त्री महोदय को गुजरात वाणिज्य तथा उद्योग मण्डल के अध्यक्ष द्वारा अशोधित तेल पर रायल्टी के संबंध में दिनांक 21 मई, 1984 को भेजा गया एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मांगें की गई हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन मांगों के संबंध में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं और यदि अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इन मांगों पर कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है।

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) मुख्य मांगें इस प्रकार हैं :—

(i) कच्चे तेल पर 20 प्रतिशत की रायल्टी, (ii) बिक्री कर की हानि के लिए प्रतिपूर्ति, (iii) पिछली हानियों की प्रतिपूर्ति, (iv) रायल्टी में तीन वर्षों के बदले एक वर्ष अथवा दो वर्षों के बाद पुनरीक्षण करना आदि।

(ग) तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन अधिनियम, 1985 इस उद्देश्य से पारित किया गया है ताकि सरकार 3 वर्षों के बाद अर्थात् 1-4-1985 के स्थान पर 1-4-1984 रायल्टी में संशोधन कर सके। सरकार द्वारा रायल्टी दर में संशोधन की प्रक्रिया भी आरम्भ की गई है और निर्णय यथा शीघ्र लिया जाएगा।

मृत्यु होने और अपंग हो जाने की स्थिति में श्रमिकों को दिए जाने वाले मुआवजे की राशि

3909. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने कार्य करते हुए मर जाने अथवा अपंग हो जाने वाले श्रमिकों के परिवारों को क्रमशः 20,000 रुपए और 21,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्णय लिया है;

(ख) सरकार उन असंगठित श्रमिकों तथा ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों को मुआवजे का भुगतान किस प्रकार करेगी;

(ग) क्या उनके लिए इस संबंध कोई कानून बनाया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां। मृत्यु हो जाने की दशा में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन देय मुआवजे की न्यूनतम राशि 20,000 रुपए निर्धारित की गई है, जबकि विकलांग हो जाने की दशा में मुआवजे की राशि 24,000 रुपए निर्धारित की गई है।

(ख) से (ङ) कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट कुछ जोखिमपूर्ण रोजगारों में नियोजित कर्मकारों (जिसमें ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकार भी शामिल हैं) को काम पर चोट लग जाने की वजह से विकलांगता या मृत्यु हो जाने की दशा में, उक्त अधिनियम के अधीन मुआवजे की अदायगी करने की पहले ही व्यवस्था है। अधिनियम के अधीन राज्य सरकारों को अधिकार है कि वे किसी अन्य जोखिमपूर्ण व्यवसाय को उक्त अनुसूची में जोड़ सकते हैं। अधिनियम के अधीन मुआवजा अदा करने का उत्तरदायित्व नियोजक का है।

कोयम्बतूर में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना

3910. **श्री ईरा मोहन** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयम्बतूर में दूरदर्शन का एक रिले केन्द्र लगाने के कार्य में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त रिले केन्द्र के कब तक लग जाने और कोयम्बतूर के राष्ट्रीय दूरदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाने की संभावना है; और

(ग) तमिलनाडु के उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर इस संबंध में कार्य शुरू कर दिया

गया है लेकिन अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है और उन स्थानों को कब तक राष्ट्रीय मानचित्र पर ले आया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन रिले केन्द्र, कोयम्बतूर के भवन का निर्माण कार्य मुकम्मल होने वाला है और कुछ उपकरण स्थल पर प्राप्त हो गए हैं ।

(ख) इसके इस वर्ष अक्तूबर तक मुकम्मल और चालू हो जाने की उम्मीद है ।

(ग) कोयम्बतूर, कुम्बकोनम और नैवेली में अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की स्थापना की काम चल रहा है और केन्द्रों के अक्तूबर, 1984 तक चालू हो जाने की उम्मीद है ।

आकाशवाणी इलाहाबाद से वाद्यों और उपकरणों की चोरी

3911. **श्री बी० डी० सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी इलाहाबाद केन्द्र से 1982-83 के दौरान अनेक वाद्य और उपकरण चोरी चले गए;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस केन्द्र पर अधिकारियों के बीच आपसी मन-मुटाव के कारण कुप्रबन्ध है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इन सभी बातों की जांच करने के लिए गत वर्ष एक जांच समिति नियुक्त की थी;

(घ) क्या इस जांच समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है और यदि हां, तो उसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार ने सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक आप कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) पुराने और बेकार टेप-डेकों से 11 मोटरें चोरी हुई पाई गई थीं । यह मई, 1982 में हुई थी ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) से (ङ) पुलिस के पास शिकायत दर्ज की गई थी। पुलिस प्राधिकारियों से रिपोर्ट की अभी प्रतीक्षा है । दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न उक्त रिपोर्ट के आधार पर उठेगा ।

इस बीच, विभागीय जांच की गई थी और जांच अधिकारी द्वारा अनुशासित शोधक उपाय/प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं ।

देश में श्रमिक न्यायालय/औद्योगिक न्यायाधिकरण

3912. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में 31.7.1984 को श्रमिक न्यायालयों/औद्योगिक न्यायाधिकरणों की संख्या कितनी थी;

(ख) देश में उपरोक्त तारीख को श्रमिक संघों और प्रबन्धकों के बीच कितने औद्योगिक श्रम-विवाद लम्बित पड़े थे;

(ग) उनमें से कितने मामले दो वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं;

(घ) कितने मामले 3 वर्षों से अधिक समय से लम्बित पड़े हैं ; और

(ङ) इन मामलों को शीघ्र निपटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों की संख्या दस हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 191 श्रम न्यायालय/औद्योगिक अधिकरण और 6 औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय कार्य कर रहे हैं ।

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 30.6.1984 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालयों के समक्ष 4,209 विवाद तथा 31.1.1983 को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों/औद्योगिक अधिकरणों/श्रम न्यायालयों के समक्ष 1,51,246 विवाद लम्बित पड़े थे।

(ग) 43,857.

(घ) 10,699.

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने चण्डीगढ़ और कानपुर में नए केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय स्थापित किए हैं । राज्य और संघ राज्य क्षेत्र भी, जब कभी आवश्यक समझते हैं, नए श्रम न्यायालय/अधिकरण स्थापित करते हैं । औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1982 में विवादों के समयबद्ध निपटान की व्यवस्था है । विवादों के निपटान के लिए मानदण्ड भी निर्धारित किए गए हैं ।

बरेली और बदायूं जिलों में विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशत और संख्या जिनका विद्युतीकरण किया गया है

3913. **श्री जगपाल सिंह कश्यप** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदायूं और बरेली जिलों में कितने प्रतिशत और कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और कितने का अभी विद्युतीकरण किया जाना शेष है और तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन सभी गांवों का विद्युतीकरण कब तक किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) बदायूं और बरेली जिलों में कुल गांवों की संख्या विद्युतीकृत गांव (31.3.84 की स्थिति के अनुसार) तथा विद्युतीकरण की प्रतिशतता का स्तर और वे गांव जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है, के सम्बन्ध में स्थिति नीचे दिए गए अनुसार है :—

जिले	कुल गांवों की संख्या	की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव	विद्युतीकरण का प्रतिशत स्तर	के गांव जिन्हें अभी विद्युतीकृत किया जाना है
1. बदायूं	1814	938	51.71	876
2. बरेली	1922	990	51.51	932

(ख) उत्तर प्रदेश में शत-प्रतिशत विद्युतीकरण दसवें दशक के प्रारम्भ में हो जाने की आशा है बशर्ते इस बीच की अवधि में अपेक्षित निधियां उपलब्ध हों ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के ऋषिकेश स्थित एकक में भंडार जमा होना, क्षमता का उपयोग और घाटे की राशि

3914. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में भारी में भंडार जमा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और उन फार्मूलेशनों का ब्यौरा क्या है जो एन्टीबायोटिक प्लेट ऋषिकेश में वर्ष 1984-85 में भारी मात्रा में स्टोर के जमा होने के लिए जिम्मेदार हैं;

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की अधिष्ठापित क्षमता क्या है और उसकी कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है;

(घ) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड घाटे में चल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो क्या प्रत्येक पारी में उत्पादन कम होने, रोगाणु नाशक को क्षमता में कमी होने की समस्या के कारण स्टेप्टोमाइसीन को अधिक मात्रा में इन्कार कर दिए जाने और कच्चा माल के जमा हो जाने के कारण ऋषिकेश में स्थित एण्टीबायोटिक प्लांट में जीवन रक्षक एण्टीबायोटिक का उत्पादन भी घट रहा है ;

(च) क्या स्टाक समाप्त होने सम्बन्धी समस्या भी है;

(छ) यदि हां, तो उनके क्या कारण हैं, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) 30.6.64 की स्थिति के अनुसार आई० डी० पी० एल० के तैयार काल की वस्तु सूची 36.23 करोड़ रुपये की थी ।

(ख) अधिकतम वस्तु सूची कम प्रभाव वाले स्पैकट्रम एण्टीबायोटिक्स की है जैसे सोडा पेन्सिलिन 5 लाख, सोडा पेन्सिलिन 10 लाख, प्रोकेन पेंसिलिक 4 लाख, पेंसिलिन स्ट्रेप्टोमाइसिन $\frac{1}{2}$ ग्राम, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट तथा टेट्रासाइक्लीन कैप्सूल । 1984-85 के प्रथम क्वार्टर के दौरान कम बिक्री के कारण भंडार एकत्र हो गया है ।

(ग) विवरण संलग्न है ।

(घ) जी हां । तथापि, हानि उत्तरोत्तर घटती जा रही है ।

(ङ) तथा (च) आई० डी० पी० एल० ने सूचित किया है कि चालू वित्त वर्ष में उत्पादन की हानि अथवा कच्चे माल की कोई कमी नहीं आई है ।

(छ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विवरण

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०

वर्ष 1983-84 के लिए उत्पादन विवरण-पत्र

उत्पाद	इकाई	क्षमता की वार्षिक दर	वास्तविक 83-84	प्रतिशत क्षमता उपयोग
1	2	3	4	5
आई० डी० पी० एल०	एम० एम० यू०+एम० टी०	190.0	91.4	48
प्रपुंज				
कुल	एम० एम० यू०+एम० टी०	+327.0	+159.6	+48
सूत्रयोग				
1. इन्जेक्टेवल	लाख	1800.6	857.00	48
2. केपसुल	,,	4200.6	2440.00	58
3. गोलियां	,,	960.0	823.30	86
आई० डी० पी० एल० हैदराबाद				
बल्क				
कुल	मीटन	2329.5	1336	59
फार्मूलेशन्स				
गोलियां (एच०)	मिलियन	2000	1780.10	89
आइ० डी० पी० एल० गुडगांवा				
गोलियां	मिलियन	1141	680.5	53
केपसुल	,,	50	17.58	35
आई० डी० पी० एल० मुजफ्फरपुर				
एसिटिक एसिड	मीटन	4365	2283.362	52
नियासिनामाइड	,,	180	38.10	21

1	2	3	4	5
आई० डी० पी० एल० मद्रास				
फार्मूलेशन्स गोलियां	मिलियन	305	204.42	67
केपसुल	,,	10	8.61	86
सर्जिकल उपकरण	,,	1	0.58	58

राजस्थान में सुजानगढ़ और जयपुर के बीच सीधी टेलीफोन सेवा

3915. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चुरू जिले के मुख्य नगर सुजानगढ़ से जयपुर तक कोई सीधी टेलीफोन सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या हर रोज 6 प्रतिशत ट्रंक कालों को रद्द कराना पड़ता है क्योंकि वे मिल नहीं पाते;

(ग) क्या सुजानगढ़ और जयपुर के बीच सीधी टेलीफोन सेवा की व्यवस्था करने का सरकार का विचार है;

(घ) यदि हां, तो कब तक, और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके विस्तृत कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। सुजानगढ़ और जयपुर के बीच कोई सीधी ट्रंक सर्किट नहीं है।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी हां। सुजानगढ़ और जययुर के बीच एक सीधे ट्रंक सर्किट का औचित्य नहीं बनता है।

(घ) 1986-87 के दौरान जयपुर-बीकानेर माइक्रोवेव संपर्क का कार्य पूरा हो जाने पर सीधा सर्किट प्रदान कर दिया जाएगा ।

(ङ) उपर्युक्त "घ" को मद्देनजर रखते हुए यह लागू नहीं होता।

मध्य प्रदेश में निर्धनों को विधिक सहायता देने के कार्य में हुई प्रगति

3916. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह देने के कार्य में कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के अधीन कार्य करने और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्रीय विधिक सहायता स्कीम के अधीन विशेष वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 1982, 1983 और 1984 में इस स्कीम को विस्तारित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि मंजूर की ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) मध्य प्रदेश राज्य ने "मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिए विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम सं० 26)" अधिनियमित किया है। इस विधान के अन्तर्गत सिविल दाण्डिक और राजस्व संबंधी मामले हैं। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 33 में उपबंधित है, निम्नलिखित व्यक्ति, जिनके अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी हैं, विधिक सहायता या विधिक सलाह के लिए पात्र हैं, अर्थात् :—

(i) भूमिहीन कृषि-श्रमिक या ग्रामीण कारीगर; या

(ii) वह ऐसे कुटुम्ब का सदस्य है, जिसकी कुल मासिक आय दो सौ रुपए या उससे कम है; या

(iii) वह ऐसे कुटुम्ब का सदस्य है, जिसके पास एक हैक्टर सिंचित भूमि है या दो हैक्टर असिंचित भूमि है या इससे कम भूमि है और ऐसे कुटुम्ब का, ऐसी भूमि पर खेती करने के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है।

मध्य प्रदेश राज्य में गठित विधिक सहायता तथा सलाह बोर्ड एक शीर्षस्थ निकाय है और उसने राज्य के 45 जिलों तथा 222 तहसीलों में समितियां बनाई हैं। 25-1-1977 से सभी ग्राम पंचायतों को विधिक सहायता तथा विधिक सलाह समितियां घोषित कर दिया गया है और बोर्ड ने, मामलों में समझौता कराने के लिए, उन्हें शक्तियां दे दी हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता तथा सलाह का लाभ उठाने वाले निर्धन व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1981-82	42,328
1982-83	35,863
1983-84	31,375

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट की अनुपूर्ति के लिए केवल इस वर्ष विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय समिति से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है और वह केन्द्रीय समिति के विचाराधीन है। वर्ष 1982 और 1983 के दौरान ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

पाली में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3917. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान देश में स्थान वार कितने टेलीविजन ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं और प्रत्येक ट्रांसमीटर की शक्ति तथा रेंज का ब्यौरा क्या है और उन्हें स्थापित करने का मापदण्ड क्या है;

(ख) उनमें से प्रत्येक पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) पाली जो कि एक बड़ा औद्योगिक नगर है (राजस्थान) में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित न किए जाने के कारण क्या हैं जबकि राज्य बाड़मेर, जैसलमेर और खेतड़ी में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं; और

(घ) सरकार का पाली नगर में कब तक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश में 21.8.82 से 20.8.84 तक की अवधि के दौरान उच्च शक्ति वाले 8 ट्रांसमीटर तथा अल्प शक्ति वाले 73 ट्रांसमीटर चालू किए हुए थे। इन ट्रांसमीटरों के स्थान, शक्ति और परिधि संलग्न विवरण 1 और 2 में दी गई है। ट्रांसमीटरों के स्थानों और उनकी शक्ति के चयन में विभिन्न बातों का ध्यान रखा जाता है यथा जनसंख्या का घनत्व, ग्रामीण/बाहरी जनसंख्या, सीमावर्ती दूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों का कवरेज तथा कार्यक्रम निर्माण सुविधाओं तथा लिंकेज सुविधाओं और अन्य अवस्थापना की उपलब्धता, दूरदर्शन ट्रांसमीटर के स्थानों और उनकी शक्ति का निर्धारण संसाधनों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उक्त बातों का विवेकपूर्ण मिश्रण से किया जाता है।

(ख) उच्च शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर पर 270 लाख रु० लागत आती है क्योंकि अल्प शक्ति वाले एक ट्रांसमीटर पर लगभग 23 लाख रु० लागत आती है।

(ग) और (घ) देश के दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है। पाली सहित जिन क्षेत्रों में दूरदर्शन सेवा उपलब्ध नहीं है उनमें दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

विवरण-1

क्रम सं०	उच्च शक्ति प्रेषित	क्षमता	सेवा क्षेत्र मिलोमीटर में
I	2	3	4
1.	पणजी	1 किलोवाट	40 किलोमीटर
2.	इलाहाबाद	1 किलोवाट	30 किलोमीटर
3.	अहमदाबाद	1 किलोवाट	30 किलोमीटर
4.	त्रिवेन्द्रम	1 किलोवाट	30 किलोमीटर
5.	आसनसोल	1 किलोवाट	30 किलोमीटर
6.	विजयवाड़ा	1 किलोवाट	45 किलोमीटर
7.	गोरखपुर	1 किलोवाट	30 किलोमीटर
8.	कोडैकनाल	1 किलोवाट	75 किलोमीटर

विवरण-2

अल्पशक्ति वाले ट्रांसमीटर	क्षमता	सेवा क्षेत्र किलोमीटर में
1	2	3
1. जम्मू	100 वाट	25
2. शिमला	100 वाट	25
3. देवरिया	100 वाट	25
4. सूरतगढ़	100 वाट	25
5. गौहाटी	100 वाट	25
6. ईटानगर	100 वाट	25
7. गंगटोक	100 वाट	25
8. शिलांग	100 वाट	25

1	2	3
9. कोहिमा	100 वाट	25
10. इम्फाल	100 वाट	25
11. एंजवाल	100 वाट	25
12. अगरतल्ला	100 वाट	25
13. मालदा	100 वाट	25
14. पटना	100 वाट	25
15. भुवनेश्वर	100 वाट	25
16. पोर्ट ब्लेयर	100 वाट	25
17. काकीनाडा	100 वाट	25
18. इन्दौर	100 वाट	25
19. भोपाल	100 वाट	25
20. ग्वालियर	80 वाट	25
21. भटिंडा	100 वाट	25
22. गंगानगर	100 वाट	25
23. जोधपुर	100 वाट	25
24. कालीकट	100 वाट	25
25. कोचीन	100 वाट	25
26. धनबाद	100 वाट	25
27. जबलपुर	100 वाट	25
28. तिरूपति	100 वाट	25
29. बडोदरा	100 वाट	25
30. उदयपुर	100 वाट	25
31. कोटा	100 वाट	25

1	2	3
32. तिरूचिरापल्ली	100 वाट	25
33. नेल्लोर	100 वाट	25
34. कुण्डपा	100 वाट	25
35. शाहजहांपुर	100 वाट	25
36. गया	100 वाट	25
37. करीमनगर	100 वाट	25
38. अलवर	100 वाट	25
39. विशाखापत्तम	100 वाट	25
40. खेत्री	100 वाट	25
41. अकोला	100 वाट	25
42. पठानकोट	100 वाट	25
43. रायबरेली	100 वाट	25
44. सुल्तानपुर	100 वाट	25
45. मंगलोर	100 वाट	25
46. हिसार	100 वाट	25
47. देवनगेरे	100 वाट	25
48. निजामाबाद	100 वाट	25
49. भद्रावती	100 वाट	25
50. बरेली	100 वाट	25
51. बेल्लोर	100 वाट	25
52. मुंगेर	100 वाट	25
53. सूरत	100 वाट	25
54. सलेम	100 वाट	25
55. आगरा	100 वाट	25

1	2	3
56. नासिक	100 वाट	25
57. वारंगल	100 वाट	25
58. कुल्लु	100 वाट	25
59. खड़गपुर	100 वाट	25
60. झांसी	100 वाट	25
61. राजामुंदरी	100 वाट	25
62. कुर्नुल	100 वाट	25
63. विलासपुर	100 वाट	25
64. वर्दमान	100 वाट	25
65. बीकानेर	100 वाट	25
66. कोल्हापुर	100 वाट	25
67. पांडिचेरी	100 वाट	25
68. नैनीताल	100 वाट	25
69. भावनगर	100 वाट	25
70. बरहमपुर	100 वाट	25
71. पाटन	100 वाट	25
72. अन्नतपुर	100 वाट	25
73. भीलवाड़ा	100 वाट	25

इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा उत्तरी क्षेत्र में डीलरों को दिए गए पेट्रोल तथा डीजल पम्प

3918. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन आयल कारपोरेशन द्वारा उत्तरी क्षेत्र में वर्ष 1980 से डीलरों को अनेक पेट्रोल तथा डीजल पम्प दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो पटना, दरभंगा जिलों में घाने सेतु बांध तथा दिल्ली क्षेत्रों में दिए गए पम्पों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन आबंटनों के सम्बन्ध में कोई टेण्डर आमन्त्रित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) घानेकी-सेतु-बंध नामक स्थान पर इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने कोई रिटेल आउट-लेट डीलरशिप प्रदान नहीं नहीं की है । विगत 3 वित्तीय वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में 31 जुलाई, 1984 तक बिहार में पटना और दरभंगा जिलों में और दिल्ली में कार्पोरेशन द्वारा निम्न-लिखित खुदरा बिक्री केन्द्र आबंटित किए गए हैं :—

वर्ष	जिला	स्थान	आवेदक का नाम	श्रेणी
1981-82	दरभंगा	वेनीपुर	श्री राम सुन्दर झा	सामान्य
1982-83	पटना	दीदारगंज	सर्वश्री सुधीर कुमार और के० प्रसाद सिंह (साझेदार)	बेरोजगार इंजी० स्नातक
1983-84	पटना	निसारपुरा	श्री वी० उपाध्याय	बेरोजगार स्नातक
1984-85	दिल्ली शहर	मजनू का टीला	श्री संजीव सोनी	अनुसूचित जाति

(ग) जी नहीं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) तेल कम्पनियों द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद की डीलरशिपें, स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन आमन्त्रित करके निर्धारित नीति मार्गनिर्देशों के अनुसार प्रदान की जाती है ।

भविष्य निधि संगठन में सहायक लेखा अधिकारियों के पदों की संख्या

3919. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भविष्य निधि संगठन में सहायक लेखा अधिकारियों के क्षेत्रवार कितने पद हैं और इन पदों का सृजन किन कार्य मानदंडों के अनुसार किया गया है;

(ख) क्या केरल से और सहायक लेखा अधिकारियों की कोई मांग अंशदायी भविष्य निधि आयुक्त के पास लम्बित पड़ी है ;

(ग) पदों को भरने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(घ) केरल के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किन अन्य पदों के आवेदन भविष्य निधि आयुक्त के पास अभी तक लम्बित पड़े हैं; और

(ङ) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि भविष्य निधि संगठन में कर्मचारियों की कमी के कारण लाभार्थियों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में अभी तक सहायक लेखा अधिकारियों के 72 पदों की स्वीकृति दी गई है। इन पदों का क्षेत्र-वार वितरण संलग्न विवरण में दिया गया है। उक्त पदों की स्वीकृति देने के बारे में वित्त मन्त्रालय कर्मचारी निरीक्षण यूनिट द्वारा सुझाये गए कार्य-मानदण्ड निम्न प्रकार से हैं :—

(i) छूट-न-प्राप्त प्रतिष्ठानों में प्रत्येक 40,000 अंशदाताओं के लिए एक सहायक लेखा अधिकारी।

(ii) छूट-प्राप्त प्रतिष्ठानों में प्रत्येक 2,50,000 अंशदाताओं के लिए एक सहायक लेखा अधिकारी।

सरकार ने यह भी निदेश दिए हैं कि जब तक लेखा अधिकारियों के वर्तमान पद बेकार नहीं हो जाते, उन्हें भी सृजित किए जाने वाले अपेक्षित सहायक लेखा अधिकारियों के पदों की संख्या निर्धारण करने के लिए इस पदों के साथ इकट्ठा (पूल) कर लिया जाय।

(ख) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, केन्द्रीय भविष्य निधि के पास ऐसी कोई मांग लम्बित नहीं पड़ी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उपलब्ध रिकार्डों के अनुसार, किसी अन्य पदों के बारे में अनुरोध लम्बित नहीं पड़ा है।

(ङ) जी, नहीं।

विवरण

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सहायक लेखा अधिकारियों के पदों का क्षेत्रवार वितरण

क्रम सं०	क्षेत्र	सहायक लेखा अधिकारियों के पदों की कुल स्वीकृत संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	4
2.	आसाम	4
3.	बिहार	4
4.	दिल्ली	5
5.	गुजरात	6
6.	केरल	4
7.	मध्य प्रदेश	4
8.	महाराष्ट्र	6
9.	उड़ीसा	3
10.	पंजाब	4
11.	हरियाणा	3
12.	राजस्थान	3
13.	तमिलनाडु	6
14.	उत्तर प्रदेश	6
15.	पश्चिमी बंगाल	6
16.	कर्नाटक	4
		योग = 72

राज्यों में कार्य कर रही गैस एजेंसियां

3920. श्री मोहम्मद असरार अहमद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में खाना बनाने की गैस की एजेंसियां देने के लिए सरकार ने क्या नियम तथा मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाए हैं;

(ख) प्रत्येक राज्य में इस तरह की कितनी एजेंसियां कार्य कर रही हैं और जिन तेल निगमों के अधीन में एजेंसियां कार्य कर रही हैं, उनका क्या ब्यौरा है;

(ग) एक लाख की जनसंख्या वाले अथवा एक लाख से अधिक अथवा कम जनसंख्या वाले कितने नगर इनके कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य में कितने ग्रामीण क्षेत्र खाना बनाने की गैस की एजेंसियों के लिए इन कम्पनियों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आ जाते हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) मार्गदर्शी सिद्धान्तों की प्रति विवरण-एक के रूप में संलग्न है ।

(ख) प्रत्येक राज्य में कार्य कर रही डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के कम्पनीवार ब्यौरे संलग्न विवरण दो में दिए गए हैं ।

(ग) देश में 50,000 अथवा उससे अधिक जनसंख्या वाले सभी शहरों को तेल उद्योग द्वारा एल० पी० जी० सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु पहले से ही शामिल किया जा चुका है । 20,000 से 50,000 तक की जनसंख्या वाले कस्बों को एक चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जा रहा है ।

(घ) उन ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर जो शहरों/कस्बों की सीमाओं के सटे हुए हैं और सीमाओं पर स्थित हैं, जहां एल० पी० जी० बेची जाती है, एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोले जाने के लिए तेल आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित किसी विशिष्ट स्थान को अभी तक शामिल नहीं किया गया है । तथापि, 20,000 और उससे अधिक जनसंख्या वाले उन छोटे कस्बों को जो आर्थिक रूप से व्यवहार्य डीलरशिप की स्थापना हेतु पर्याप्त विपणन क्षमता प्रस्तुत कर सकते हैं, तेल उद्योग द्वारा एल० पी० जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोले जाने के लिए एक चरणबद्ध ढंग से शामिल किया जा रहा है ।

विवरण-एक

1982-83 से तेल कम्पनियों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चुनाव के लिए मार्गदर्शी निर्देश

संक्षिप्त रूप में सिफारिश की गई चयन पद्धति निम्नलिखित रूप में होगी :—

1.1. समस्त डीलरशिपों को विज्ञापित करने की वर्तमान पद्धति चालू रहेगी ।

1.2. उम्मीदवार जो आवेदन करेंगे उनको उसके सम्बन्ध में विस्तृत सूचना लिखित प्रमाणित दस्तावेज सहित प्रस्तुत करनी पड़ेगी ।

(क) निर्धारित मानदण्ड के अनुसार पात्रता;

(ख) उम्मीदवार की योजनाएं जिस प्रकार वह डीलरशिप को चलाना चाहता है, क्या स्वयं एक कार्यकारी डीलर के रूप में अपनी आय के मुख्य साधन के रूप में डीलरशिप व्यापार के साथ अथवा साझेदारों आदि को लेकर ।

आवेदन पत्र दो प्रतियों में देने पड़ते हैं । यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया लिखित प्रमाणित प्रमाण गलत पाया जाता है, उम्मीदवार पर आगे विचार नहीं किया जायेगा और यदि आवेदक को डीलर के रूप में किया जा चुका है, तो उनकी डीलरशिप समाप्त की जा सकती है ।

1.3. डीलरशिप के लिए दिए गए विशिष्ट विज्ञापन के उत्तर में प्राप्त किए गए सभी आवेदन पत्रों की जांच कम्पनी क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा की जाएगी जिसने डीलरशिप के लिए विज्ञापन दिया है । उचित समय में इस जांच कार्य को कम्प्यूटर द्वारा किया जाएगा । उम्मीदवारों की पात्रता के अनुसार आवेदन पत्रों की जांच के लिए क्षेत्रीय प्रबन्धक उत्तरदायी होगा । इस बात को सुनिश्चित करने के पश्चात् क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक सभी पात्र उम्मीदवारों की एक सूची उनके आवेदन पत्रों सहित चयन बोर्ड को भेजेगा । वह चयन बोर्ड को उन उम्मीदवारों के नामों की सूची उनके आवेदन पत्रों के साथ भेजेगा, जिन्होंने आवेदन किया था परन्तु उनको अयोग्य पाया गया था, उसमें उनको अयोग्य घोषित किए जाने के लिए कारण दिए गए होंगे ।

1.4. पात्रता मानदण्ड के आधार पर, क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा योग्य पाए गए उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने पर, चयन बोर्ड उपर्युक्त स्थानों पर पात्र उम्मीदवारों के साक्षात्कार के लिए तिथियां निर्धारित करेगा । चयन बोर्ड ऐसे उम्मीदवार को भी बुला सकता है जिसे क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा योग्य नहीं पाया गया है, यदि उनके विचार से क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक द्वारा अस्वीकरण न्यायोचित नहीं था । चयन बोर्ड उम्मीदवारों को साक्षात्कार के बुलाने के लिये पत्र जारी करेगा जिसमें उसके सामने साक्षात्कार में आने के लिये पर्याप्त समय होगा । उम्मीदवारों का साक्षात्कार करते समय चयन बोर्ड निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखेगा :—

(1) व्यापार योग्यता ।

(2) विक्रय कला ।

(3) निर्धारित समय के अन्तर्गत अपेक्षित सुविधाओं को प्रदान करने की क्षमता ।

(4) पूर्णकालिक डीलर, जो कि एक मूल आवश्यकता है ।

(5) अतिरिक्त पाठ्यतर गतिविधियां ।

(6) उत्कृष्ट खिलाड़ी/उत्कृष्ट महिला खिलाड़ी जिसने अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व किया है ।

(7) व्यक्तित्व ।

(8) सामान्य मूल्यांकन ।

(9) (i) शारीरिक रूप से अपंग, (ii) कार्यरत अयोग्य हुए सरकारी कार्मिक, (iii) कार्य के दौरान मारे गए सरकारी कार्मिकों की विधवाओं की श्रेणी में उपश्रेणी, (iv) अर्थात् विधवाओं को वरीयता दी जाएगी । इस श्रेणी से चयन करते समय उन लोगों को वरीयता दी जाएगी जो किसी लाभदायक रोजगार में पहले से नहीं लगे हुए हैं ।

(10) अन्य बातों के समान होने पर सम्बन्धित आरक्षित श्रेणियों की सहकारी समितियों को डीलरशिपों में वरीयता दी जाएगी ।

(11) अन्य (सामान्य) श्रेणी में आवेदन करने वाली सरकारी समितियों को सामान्य रूप से वरीयता नहीं दी जाएगी जब तक कि कोई विशेष परिस्थितियां न हों जिनसे ऐसी वरीयता की आवश्यकता हो ।

(12) यदि दो विज्ञापन देने के पश्चात् भी चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार किए जाने के लिए किसी भी श्रेणी में कोई योग्य/उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है, चयन बोर्ड डीलरों के चयन के लिए विचारार्थ नामों का एक पैनल भेजने के लिए सम्बन्धित जिलाधीश तथा समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क स्थापित करेगा । इसके पश्चात् भी अगर उपयुक्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं तो सरकार की पूर्वानुमति से सामाजिक उद्देश्य की श्रेणियों में परिवर्तित किया जा सकता है ।

(13) आरक्षित श्रेणियों के सम्बन्ध में सरकार ने डीलरशिपों को चलाने के लिए राष्ट्रीयकृत बैंकों से रिआयती दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए एक योजना आरम्भ की है । इसको ध्यान में रखते हुए, आरक्षित श्रेणियों के संबंध में, व्यक्तिगत रूप से धन की कमी अयोग्यता का एक कारण नहीं होना चाहिए यदि उम्मीदवार अन्यथा उपयुक्त पाया जाता है ।

बोर्ड उम्मीदवार की उपयुक्तता का पता उपर्युक्त बातों को ध्यान में रख कर करेगा और प्रत्येक उम्मीदवार का कुल 100 अंकों में से अंक देकर मूल्यांकन करेगा । समस्त पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार करने के पश्चात और उपर्युक्त आधार पर उनका मूल्यांकन करके, चयन बोर्ड डीलरशिप, डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने के लिए उपयुक्त 4 नामों का गुणावगुणों के क्रम में एक पैनल प्रस्तुत करेंगे । चार नामों का पैनल उनके प्रार्थना पत्रों सहित चयन बोर्ड द्वारा सीधे सम्बन्धित

क्षेत्रीय प्रबन्धक/प्रभागीय प्रबन्धक को तथा एक प्रति के साथ सम्बन्धित तेल कम्पनी के प्रधान कार्यालय को भेजा जाएगा।

1.5. चयन बोर्ड द्वारा पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की सूची प्राप्त होने पर, सम्बन्धित तेल कम्पनी एक पखवाड़े के अन्दर पैनल में रखे गए उम्मीदवारों की फील्ड जांच का आयोजन करेगा। फील्ड जांच का उद्देश्य है कि पैनल में रखे गए उम्मीदवारों द्वारा अपने आवेदन पत्र में प्रस्तुत किए गए वास्तविक आंकड़ों की सत्यता की जांच करना। उम्मीदवारों द्वारा दिए गए शपथ पत्रों की जांच सामान्य रूप से नहीं की जाती है जब तक कि कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त न हो और चयन बोर्ड द्वारा उसकी जांच के लिए प्राधिकृत न किया गया हो। फील्ड जांच रिपोर्ट चयन बोर्ड को भेज दी जाती है जो कि इस मामले में तब अपनी शिफारिशों को अन्तिम रूप से तैयार करता है।

2. डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आरक्षण

2.1. विभिन्न श्रेणियों के लिए पेट्रोलियम उत्पादकों की समस्त डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूरशिपों का आरक्षण, जब उपयुक्त समझा जाएगा, समय-समय पर सरकार द्वारा समीक्षा की शर्त पर इस प्रकार होगा :—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एस० सी०/एस० टी बेरोजगार इंजीनियरिंग स्नातकों सहित बेरोजगार स्नातक	25%
(यू० जी०) जो आवेदन पत्र की तिथि से पूर्व कम से कम एक वर्ष बेरोजगार रहे हों	25%
शारीरिक रूप से विकलांग/कार्य करते समय अपंग हुए सरकारी कार्मिक/कार्य के दौरान मरने वाले सरकारी कार्मिकों की विधवाएं (पी० एच०)	15%
स्वतन्त्रता सेनानी (एफ० एस०)	5%
अन्य (सामान्य)	30%

3. पात्रता का मानदण्ड

3.1. **निवास स्थान** : आवेदनकर्ता सम्बन्धित जिले का कम से कम 3 वर्ष का निवासी होना चाहिए जिसके अन्तर्गत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर की नियुक्ति के लिए स्थान स्थित है। तथापि बेरोजगार स्नातक श्रेणी के उम्मीदवारों के मामले में निवास स्थान पात्रता मानदण्ड उम्मीदवार द्वारा अपने निवास स्थान के जिले के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर अध्ययन किए जाने के दौरान

उसके माता-पिता (अथवा कानूनी संरक्षकों) के सम्बन्धित जिले में रहने के आधार पर निर्धारित की जाती है।

निवास स्थान पात्रता मानदण्ड की पुष्टि में, उम्मीदवार जिलाधीश/समाहर्ता से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा। सरकारी कार्मिकों जो कार्य के दौरान मारे गए हों, की विधवाओं तथा कार्य पर अपंग हुए सरकारी कार्मिकों के मामले में, उद्योग उम्मीदवार के इस विशेष स्थान का निवासी होने के लिए बाध्य नहीं करेगा जहां के लिए वह आवेदन कर रहा है/कर रही है। वह राज्य के अन्दर अपनी इच्छानुसार कोई भी स्थान चुन सकता है/सकती है।

3.2 रिश्तेदारी : (क) किसी भी व्यक्ति को कोई नई डीलरशिप आबंटित नहीं की जाएगी यदि उसके पास पहले से ही किसी तेल कम्पनी की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस/मिट्टी का तेल/एल० डी० ओ०/एच० एस० डी०/एम० एस०/स्नेहक तेल की कोई डीलरशिप है।

(ख) किसी भी व्यक्ति को कोई नई डीलरशिप आबंटित नहीं की जाएगी यदि उस व्यक्ति के निम्नलिखित निकट के संबंधियों के पास किसी तेल कम्पनी की तरलीकृत पेट्रोलियम गैस/मिट्टी का तेल/एल० डी० ओ०/एच० एस० डी०/एम० एस०/स्नेहक तेल की डीलरशिप पहले से ही हो :—

(1) पति/पत्नी

(2) पिता/माता

(3) भाई/बहन

(4) पुत्र/पुत्री

(5) दामाद/पुत्रवधु

(6) सास-ससुर

(ग) उपर्युक्त सूची को सर्वांगपूर्ण समझा जाएगा।

3.3 आयु :

(i) बेरोजगार स्नातकों के लिए आयु सीमा कम से कम 21 वर्ष और अधिक से अधिक 35 वर्ष।

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/शारीरिक रूप से अपंग/अन्य कम से कम 22 वर्ष और अधिक से अधिक 50 वर्ष।

(iii) स्वतन्त्रता सेनानी कोई आयु सीमा नहीं।

निर्धारित किया गया लिखित प्रमाण अपेक्षित होगा ।

3.4. **शैक्षणिक अर्हताएं** : बेरोजगार स्नातकों के लिए न्यूनतम अर्हता स्नातक या उसके समतुल्य होगी । एस० सी०/एस० टी०, पी० एच०, और ओ० (अन्य) के लिए कम से कम शैक्षणिक अर्हताएं दसवीं पास अथवा उसके समतुल्य होंगी । स्वतन्त्रता सेनानी के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवश्यक नहीं है ।

3.5. **आय** : उम्मीदवार, उसके माता-पिता, पति, पत्नी और आश्रित बच्चों की कुल आय 24,000 रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । उम्मीदवार को एक मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी पब्लिक के सामने सशपथ प्राप्त किया गया शपथ पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा जिसमें अपने दावे की पुष्टि में आय का एक विवरण पत्र होगा । आय में समस्त साधनों जैसे वेतन, जायदाद, ब्याज/लाभांश, व्यापार/व्यवसाय/पेशा/कृषि और अन्य साधनों की आय सम्मिलित है । उच्चतम सीमा के प्रयोजन के लिए केवल व्यक्ति तथा उसके परिवार अर्थात उसकी पति/पत्नी तथा आश्रित बच्चों की आय पर ही विचार किया जाएगा । केवल आश्रित बच्चों के मामलों में ही माता/पिता की आय पर विचार किया जाएगा ।

3.6. **तेल कम्पनियों के कर्मचारी/रिश्तेदार** : डीलरशिप के लिए तेल कंपनियों के कर्मचारी पात्र नहीं होंगे । वर्तमान कर्मचारियों के रिश्तेदार उसके पात्र होंगे यदि उनका कम्पनियों के आचरण नियमों अथवा सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत बहिष्कार न किया गया हो । तेल कम्पनियों के वे भूतपूर्व कर्मचारी इसके पात्र कम्पनी छोड़ने के 2 वर्ष बाद होंगे सिवाय इसके कि यदि उन्हें दुराचार के लिए सेवा से बरखास्त न किया गया हो । तेल कम्पनियों के वे कर्मचारी, जिनको दुराचार के लिए सेवा से पदच्युत किया गया है, डीलरशिप के लिए पात्र नहीं होंगे । भूतपूर्व कर्मचारियों के संबंधियों के लिए 2 वर्ष का अवरोध लागू नहीं होगा । तथापि आवेदक को अपने आवेदन पत्र में इस बात का उल्लेख कर देना चाहिए कि क्या वह एक भूतपूर्व कर्मचारी है अथवा किसी तेल कंपनी के कर्मचारी (कर्मचारियों) से सम्बन्धित है ।

3.7. **स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए पात्रता** : इस श्रेणी के अन्तर्गत डीलरशिप के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को भारत सरकार, गृह मंत्रालय से एक प्रमाण-पत्र अथवा ताम्र पत्र अपने स्वतन्त्रता सैनानी होने के प्रमाण में प्रस्तुत करना चाहिए ।

3.8. **पी० एच० के लिए पात्रता** : पी० एच० श्रेणी के अंतर्गत डीलरशिप के आवेदन करने वाले व्यक्तियों को सिविल सर्जन/मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा सरकारी अस्पताल के अधीक्षक से इस संबंध में एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि वह ऊपर के अथवा और नीचे के अंगों को कम से कम 40 प्रतिशत स्थायी/आंशिक असमर्थता की सीमा तक अथवा दोनों ऊपर और नीचे के अंगों सहित 50 प्रतिशत स्थायी/आंशिक असमर्थता की सीमा में अपंग है । असर्थता के

आकलन करने के प्रयोजनों के लिए यू० एस० ए० की अमेरिकन एकेडमी आफ आर्थोपिडिक सर्जनों द्वारा निकाले गए "स्थायी शारीरिक क्षति के मूल्यांकन के लिए आर्थोपिडिक सर्जन के लिए गियमावली में लिए गए मानदण्ड और आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन आफ इंडिया, जी० टी० रोड, कानपुर द्वारा अपनी तरफ से प्रकाशित कराए गए लागू होंगे।

3.9. कार्य करते समय असमर्थ हुए सरकारी कार्मिक/कार्य के दौरान मरने वाले सरकारी कार्मिकों की विधवाओं के लिए पात्रता :

इस श्रेणी के अंतर्गत डीलरशिप के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को सम्बन्धित सरकारी विभाग से एक प्रासंगिक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। कार्य के दौरान असमर्थ हुए सरकारी कार्मिक के मामले में पैरा 3.8 के अंतर्गत शारीरिक रूप से विकलांग हुए व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानदण्ड भी लागू होंगे। सरकारी कार्मिक जो अपने कार्य के दौरान मर जाते हैं उनमें केवल सेना के कार्मिक पैरा मिलिटरी फोर्स (अर्थात बी० एस० एफ०, सी० आर० पी० एफ०, सी० एस० आई० एफ०, आई० टी० बी० पी०) और रेलवे सुरक्षा बल और स्पेशल रिजर्व पुलिस/स्पेशल आर्म्ड पुलिस सहित पुलिस बल शामिल हैं। सीमा शुल्क व केन्द्रीय उत्पाद विभाग के वे कार्मिक भी शामिल किए गए हैं जो पेट्रोल कार्य मे मर जाते हैं।

3.10. जो लोग पहले ही लाभप्रद रोजगारों में लगे हैं :

(i) 10,000 रुपये और उससे अधिक की आय वाले वेतनभोगी व्यक्ति, तथा

(ii) पेशावर व्यक्तियों जैसे डाक्टर, चार्टर्ड लेखाकार, वकील तथा इंजीनियर जो लाभप्रद रोजगार में हैं, पर एजेंसी देने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

विवरण-दो

क्रम संख्या	राज्य	डिस्ट्रीब्यूटरों की संख्या			
		आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	एओडी
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	38	24	91	—
2.	असम	17	—	—	20
3.	बिहार	55	—	7	
4.	गुजरात	76	31	63	—
5.	जम्मू व कश्मीर	—	—	21	—
6.	हरियाणा	28	8	6	—

1 2	3	4	5	6
7. हिमाचल प्रदेश	9	—	—	—
8. कनार्टक	39	27	55	—
9. केरल	28	9	5	—
10. मध्य प्रदेश	45	12	48	—
11. महाराष्ट्र	3	137	216	—
12. मणिपुर	2	—	—	1
13. मेघालय	2	—	—	4
14. नागालैंड	2	—	—	2
15. उड़ीसा	14	—	22	—
16. पंजाब	38	14	9	—
17. राजस्थान	29	10	20	—
18. सिक्किम	1	—	—	—
19. तमिलनाडु	111	23	9	—
20. त्रिपुरा	1	—	—	1
21. उत्तर प्रदेश	141	22	10	—
22. पश्चिम बंगाल	64	—	46	—
संघ राज्य के क्षेत्र				
1. अरुणाचल प्रदेश	1	—	—	—
2. चंडीगढ़	10	—	2	—
3. दादर एवं नगर हवेली	—	—	1	—
4. दिल्ली	70	20	20	—
5. गोआ, दमन और द्वीप	—	5	14	—
6. मिजोरम	1	—	—	1
7. पाण्डीचेरी	3	—	—	—
	828	342	664	29

कलकत्ता में संचार प्रणाली में संकट

3921. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या **संचार मंत्री** कलकत्ता में भारी वर्षा के कारण संचार प्रणाली में संकट के बारे में 24 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 255 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछली भारी वर्षा के तीन महीनों के बाद भी उपभोक्ताओं के टेलीफोनों को ठीक करने में कलकत्ता टेलीफोन की विफलता के कारण बड़ी संख्या में टेलीफोन उपभोक्ता अपने टेलीफोन खराब होने के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और एक्सचेंज संख्या 11/42/47/48/45/49 और कलकत्ता के अन्य टेलीफोन एक्सचेंजों के अन्तर्गत कितने टेलीफोन खराब हैं और प्रत्येक के बारे में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) टेलीफोनों को ठीक करने की 15 दिन की सामान्य अवधि के बाद भी टेलीफोनों के खराब रहने के कारण कितने उपभोक्ताओं को उनके द्वारा अदा की गई किराये की राशि वापस कर दी जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जून के प्रारम्भ में भारी वर्षा के कारण निरन्तर खराब पड़े रहे टेलीफोनों की 10-8-84 को एक्सचेंज-वार संख्या इस प्रकार थी :—

रुस्सा (41/42/43)	157
कालीघाट (47/48)	110
अलीपुर (45/45)	156
जादवपुर और बेहाला (72/77)	49
दक्षिणी उप-नगरीय एक्सचेंज (नरेंदापुर, अमतौला, बजबज और बरूईपुर)	61
सिटी एक्सचेंज (22/23/25/26/27)	641
एंताल्ली (21/24/29)	181
बड़ा बाजार (31/32/33/34)	1085
सर्कस (43/44)	155

मानिकटीला (35/36)	57
बाग बाजार (54/55)	681
उत्तरी एक्सचेंज (52/58)	530
दमदम और बड़ासत (57 और 617)	244
उत्तरी उप-नगरीय एक्सचेंज (बैरकपुर, भाटपाड़ा और कल्याणी)	60
हावड़ा एक्सचेंज (64/66/67/69)	684
श्रीरामपुर (62)	12
चिनसुरा ग्रुप के एक्सचेंज (चिनसुरा, चंदन नगर और त्रिवेणी)	10
कुल :	4873

(ग) विभागीय नियमों के अधीन इन मामलों में किराया वापस करने की व्यवस्था नहीं है।

वंदोला मोट्टू, जिला गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के निकट स्लेट की खदानों के बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

3922. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वंदोला मोट्टू , जिला गुंटूर (आंध्र प्रदेश) के निकट राज्य की खदानों में विभिन्न ठेकेदारों द्वारा भर्ती किए 400 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों को हटा कर उन श्रमिकों का स्लेट की खदानों में पुनर्वास कर दिया गया है;

(ग) क्या इन बंधुआ मजदूरों ने खनन कार्य करने के लिए एक सहकारी समिति बनाई है और खान का पट्टा मांगा है;

(घ) यदि हां, तो क्या वन (अनुरक्षण) अधिनियम में ढील देकर उन्हें पट्टा मंजूर किया जाएगा;

(ङ) क्या आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्थिति का जायजा लेने के लिए एक आयुक्त नियुक्त किया है, यदि हां, तो इस आयुक्त की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) क्या श्रम निरीक्षक गुंटूर, आंध्र प्रदेश ने बंधुआ मजदूरों की कार्य करने की स्थिति के बारे में कोई रिपोर्ट प्रस्तुत की है; करने के लिए केन्द्र द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (च) निधि के स्थापित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ताकि बन्द पड़ी मिलों के श्रमिकों को उपदान और कामबन्दी मुआवजों की समय पर अदायगी की जा सके।

गोहाटी असम में एक पृथक डाक-तार सर्किल खोलना

3923. **श्री विष्णु प्रसाद** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम राज्य में गोहाटी में एक पृथक डाक-तार सर्किल खोलने के लिए कोई अभ्यावेदन सरकार को मिला है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में असम सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) नए डाक अथवा दूरसंचार सर्किल खोलना प्रशासनिक आवश्यकताओं पर निर्भर करता है। असम सर्किल के लिए अलग डाक अथवा दूरसंचार सर्किल खोले जाने के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।

पाकिस्तान में सेवा निवृत्त हुए पेंशनरों के लिए पेंशन

3924. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जो पेंशनर पाकिस्तान में सेवानिवृत्त हुए थे और जिन्हें पुनर्वास मन्त्रालय के माध्यम से तदर्थ पेंशन मिल रही है, उन्हें उदार पेंशन का लाभ नहीं दिया जा रहा है जैसाकि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार 31 मार्च, 1979 से पहले सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) पाकिस्तान में सेवा-निवृत्त हुए पेंशन-भोगी पाकिस्तान सरकार द्वारा उनके दावों का सत्यापन हो जाने तक पुनर्वास विभाग की तदर्थ भुगतान योजना के अन्तर्गत मानवीय आधार पर पेंशन पा रहे हैं। ये व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सुविधाएं पाने के पात्र नहीं हैं क्योंकि यह केन्द्रीय सरकार के उन पेंशन-भोगियों को लागू होता है जो 31-3-1979 से पूर्व सेवा-निवृत हो गए थे और

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 अथवा सेना पेंशन विनियमों द्वारा अधिशासित होते हैं।

समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापनों पर कर

3925. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन पर कर लगाने की सरकार की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो क्या विज्ञापनों पर इस प्रकार के कर से समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

आई० पी० सी० एल०, नई दिल्ली द्वारा लीनीयर एल्कायल बेन्जीन की सप्लाई

3926. **श्री भीला राउत** : क्या **ऊर्जा मंत्री** इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लीनीयर एल्कायल बेंजीन की सप्लाई के बारे में 8 मई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10353 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कार्पोरेशन की वितरण नीति क्या है और वे किस प्राधिकार के अन्तर्गत गैर-पंजीकृत और गैर-विद्युत चालित एककों को प्रयोगशालाओं को इसे सप्लाई कर रहे हैं;

(ख) क्या विद्युत-चालित और गैर विद्युत चालित एककों के बीच किसी प्रकार का अन्तर न होने के और एल० ए० बी० घोल बनाया जाता है तो गैर-विद्युत चालित उद्योगों को उत्पाद शुल्क से छूट दिये जाने के कारण सरकार को उत्पादन शुल्क में भारी नुकसान हो रहा है;

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान किन एककों को एल० ए० बी० की सप्लाई की गई है; (एक) गैर-पंजीकृत और (दो) गैर विद्युत चालित एककों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या कुछ उद्योगों को, जो एस० एस० आई० के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और विद्युत चालित हैं, प्रतिमास केवल एक एल० ए० बी० सप्लाई किया जा रहा है यद्यपि वे प्रति माह 5 टन की मांग कर रहा है; और

(ङ) गैर पंजीकृत एककों को वरीयता देने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) 1983-84 से पहले लिनिअर अल्कायल बेनजीन (एल० ए० बी०) की कोई कमी नहीं थी और इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड किसी भी उपभोक्ता को एल० ए० बी० की सप्लाई स्वछन्द रूप से कर रहा था। ऐसा केवल 1983-84 मे हुआ है कि एल० ए० बी० की मांग देशी उत्पादन से अधिक हो गई। आई० पी० सी० एल० ने 1984-85 के दौरान एल० ए० बी० की सप्लाई के लिये निम्नलिखित मार्ग अपनाये हैं :—

उपभोक्ताओं को उनकी पिछली औसत उठान अथवा 1983-84 के दौरान अनुबंधित मात्रा के आधार पर श्रेणीबद्ध किया गया है (I) जिनकी 1983-84 में अनुबंधित मात्रा पिछली औसत उठान 5 मी० टन प्रति माह के कम थी और (II) जिनकी 1983-84 में अनुबंधित मात्रा अथवा पिछली औसत उठान 5 मी० टन प्रति माह से अधिक थी।

(1) श्रेणी (I) के उपभोक्ताओं को 1983-84 में उनके द्वारा अनुबंधित मात्रा के बराबर मात्रा अथवा यदि कोई अनुबन्ध नहीं किया गया तो उनकी पिछली औसत उठान के बराबर की मात्रा का आबंटन किया जाता है।

(2) श्रेणी (II) के उपभोक्ताओं को 1983-84 में उनके द्वारा अनुबंधित मात्रा के 65% के बराबर अथवा यदि कोई अनुबन्ध नहीं किया गया था तो उनकी पिछली औसत उठान की 65 प्रतिशत मात्रा का आबंटन किया जाता है, बशर्ते कि यह मात्रा कम से कम 5 मी० टन प्रति माह हो।

इसको ध्यान में रखते हुए, पंजीकृत और गैर-पंजीकृत और/अथवा गैर विद्युत चालित यूनिट के बीच कोई अन्तर नहीं रखा गया है ऐसी कोई विधिक अनिवार्यता प्रतीत नहीं होती है कि आई० पी० सी० एल० केवल पंजीकृत और/अथवा विद्युत चालित यूनिटों को एल० ए० बी० की सप्लाई करे। गैर विद्युत चालित लघु यूनिटों और विद्युत से चालित लघु यूनिटों को कुछ वित्तीय रियायतें उपलब्ध हैं। आई० पी० सी० एल० द्वारा एल० ए० बी० पर उत्पाद शुल्क इसकी बिक्री के समय ही वसूल कर लिया जाता है। उन गैर-पंजीकृत यूनिटों का ब्यौरा जिन्हें पिछले दो वर्षों में एल० ए० बी० की सप्लाई की गई है, विवरण के रूप में संलग्न है। गैर विद्युत चालित यूनिटों के विवरण तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

विवरण

पिछले दो वर्षों के दौरान गैर-पंजीकृत यूनिटों के विवरण जिन्हें एल० ए० बी० की सप्लाई की गई है :—

1. हंसा कैमिकल्स
2. अदेशवरे कैमिकल्स
3. नवरंग कैमिकल्स

4. बरोलिया इण्ड्स्ट्रीस
5. बरोलिया एलेन्स सप्लाई
6. विक्ट्री कैमिकल्स वर्क्स
7. हरशादा इन्ड्स्ट्रीस
8. अम्बीका प्रोडेक्ट्स
9. सनशाईन प्रोडेक्ट्स
10. आसावारी केम इन्ड्स्ट्रीस
11. आशीर्वाद इण्टरप्राईजीस
12. केमटेक्स इन्ड्स्ट्रीस
13. क्वाली सिंध केम इन्ड्रीस्ट्रीस
14. अमृतलाल हरी भाई
15. आनन्दजी कल्याणजी
16. अंकितलाल हरी भाई
17. ग्रेजोल
18. हेबरो कैमिकल्स इन्ड्स्ट्रीस
19. प्रदीप इन्ड्स्ट्रीस
20. टेक्सकेम इन्टरप्राईजीस
21. शक्ति डाई एण्ड कैमिकल्स
22. तापर डेटरजेंट्स
23. भटिंडा साल्ट एण्ड सप्लाइज
24. बजाज कैमिकल्स
25. सुपरफाईन प्रोडेक्ट्स
26. सल्फोकेम इन्ड्स्ट्रीस
27. मोहन सल्फोकेमिकल्स
28. लक्ष्मी इन्डस्ट्री

आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक के लिए भर्ती नियमों में संशोधन

3927. **श्री जगपाल सिंह** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों के प्रमुख भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं;

(ख) क्या यह सच है कि आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक के पदों के लिए भर्ती के नियमों के हाल ही में संशोधन किया गया था ताकि व्यावसायिक अधिकारी इन संगठनों के प्रमुख न बन सकें और इन पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग से सम्बन्धित अधिकारियों के लिए आरक्षित किया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो व्यावसायिक/विभागीय उम्मीदवारों की इन पदों पर नियुक्ति पर रोक लगाने और इन पदों को पूर्णतया भारतीय प्रशासनिक सेवा संवर्ग के अधिकारियों के लिए आरक्षित करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) महानिदेशक, आकाशवाणी भारतीय प्रशासनिक सेवा से निवृत्त हुये अधिकारी हैं।

(ख) जी, नहीं। न तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के कार्यक्रम संवर्ग के अधिकारियों को इन पदों से वंचित किया गया है और न ही इन पदों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिये आरक्षित किया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वर्ण मन्दिर का दौरा करने वाले संवाददाता

3928. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** :
प्रो० मधु दण्डवते :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्वर्ण मन्दिर का दौरा करने से लिए मन्त्रालय द्वारा संवाददाताओं के चयन के लिये किये पक्षपात के लिये विरोध प्रकट किए जाने के बाद संवाददाताओं का दूसरा दल स्वर्ण मन्दिर ले जाया गया था;

(ख) यदि हां, तो प्रेस पार्टी में शामिल किये गये संवाददाताओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विरोध प्रकट करने वालों में से किसी संवाददाता को इस प्रेस पार्टी में शामिल नहीं किया गया; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 14 जून, 1984 को स्वर्ण मन्दिर परिसर में ले जाये गये प्रथम पत्रकार दल में शामिल करने हेतु समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों का चयन करने में किये गये कथित भेदभाव के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं। तथापि, लगाये गये आरोप सही नहीं थे और दूसरे पत्रकार दल को स्वर्ण मन्दिर में, किसी भी भेदभाव को दूर करने के लिए जबकि वास्तव में कोई भेदभाव नहीं था अपितु, प्रचार आवश्यकताओं की यथासम्भव अधिकतम सीमा तक पूर्ति करने के विचार से ले जाया गया था।

(ख) दूसरे अवसर पर अर्थात् 18 जून, 1984 को स्वर्ण मन्दिर परिसर में ले जाये गये समाचार माध्यमों के प्रतिनिधियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकारी तौर से प्रायोजित यात्राओं के कवरेज के लिये पत्रकारों का चयन यह सुनिश्चित करने के लिये सन्तुलित ढंग से किया जाना होता है कि प्रेस के विभिन्न वर्गों विशेषकर भाषायी तथा क्षेत्रीय पत्रों का यथासम्भव पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। इसलिये दूसरे पत्रकार दल में समाचार माध्यमों के उन सभी प्रतिनिधियों, जिन्होंने पहले विरोध व्यक्त किया था, को शामिल करना संभव नहीं पाया गया था।

विवरण

क्रम संख्या	पत्रकार का नाम	संगठन
1	2	3
1.	श्री एस० एम० बंसल	हिन्दुस्तार समाचार
2.	श्री एन० आर० चन्द्रन	पी० टी० आई०
3.	श्री राजेश के० शर्मा	समाचार भारती
4.	श्री जी० जी० मीरचन्दानी	यू० एन० आई०
5.	श्री इन्द्रजीत	आई० एन० एफ० ए०
6.	श्री राजेन्द्र सरीन	पॉट अनालीसीज एंड न्यूज सर्विसिज
7.	श्री दीवान विरेन्द्रनाथ	प्रेस एशिया इण्टरनेशनल
8.	श्री के० जी० जोगलेकर	यूनिवाता न्यूज एजेंसी

1	2	3
	9. श्री आर० सी० पंडित	आज
	10. श्री बी० बी० रत्नन	अजीत
	11. श्री कुलदीप सिंह	अकाली पत्रिका
	12. श्री सुकुमार दत्त	अमृत बाजार पत्रिका
	13. श्री श्यामल कुमार चक्रवर्ती	आनन्द बाजार पत्रिका
	14. श्री के० रामकृष्णन	आंध्र ज्योति
	15. श्री ओमप्रकाश गुप्ता	कारवां
	16. श्री जगन्नाथ शास्त्री	दैनिक भास्कर
	17. श्री एम० प्रभाकर वर्मा	देशाभिमानी
	18. श्री जे० पी० चतुर्वेदी	देशबन्धु
	19. श्री उपेन्द्र बाजपेयी	फ्री प्रेस जरनल
	20. श्री वेंकटनारायण	इण्डिया टू डे
	21. श्री साधन मुखर्जी	जनशक्ति
	22. श्री के० एल० व्यास	जन्म भूमि
	23. श्री हरिशंकर व्यास	जनसत्ता
	24. श्री बिपेन्द्र शर्मा	जनयुग
	25. श्री देवव्रत सरकार	जुगान्तर
	26. श्री वेद भसीन	काश्मीर टाइम्स
	27. श्री साइलन चटर्जी	केसरी
	28. श्री हरिदत्त पाठक	लोकमत
	29. श्री विनोद कुमार शर्मा	मलयाला मनोरमा
	30. श्री जनार्धन ठाकुर	मिड डे
	31. श्री जे० पी० भटनागर	मुसलमान
	32. श्री राम सरन जोशी	नई दुनिया, हिन्दी दैनिक

1	2	3
33.	श्री पोली वी० वाराक्कल	न्यू ऐज
34.	श्री गिरीश माथुर	न्यू वेव
35.	श्री रजत शर्मा	आनलुकर
36.	श्री तरुण प्रकाश गामुंली	परिवर्तन
37.	श्री उद्यान शर्मा	रविवार
38.	श्री वी० पी० नायक	सकल
39.	श्री डी० के० जोशी	समाज उड़िया
40.	कुमारी सीमा मुस्तफा	टेलीग्राफ
41.	श्री एस० सहाय	स्टेटमैन
42.	कुमारी कुमकुम चड्ढा	विकेण्ड रिव्यू
43.	श्री वी० एस० सार्धवी	सन्देश
44.	श्री विजय दत्ता	प्रोव
45.	श्री शाहिद सिद्दीकी	नई दुनिया उर्दू
46.	श्री राजशेखर	प्रजावाणी
47.	श्री खाण्डेकर	केसरी, पूना
विदेशी संगठनों के प्रतिनिधि		
48.	श्री रिकार्डो इहर्मान	ए० एन० एस० ए०
49.	श्री सी० फूर्सेट	डी० पी० ए०
50.	श्री तकोये मायमा	कियोदो न्यू सर्विस
51.	श्री एन० रोविन्स	यू० पी० आई०
52.	श्री जे० इलियट	फाइनेन्सियल टाइम्स
53.	श्री ई० सिल्वर	गार्जियन
54.	श्री एम० फाइनमैन	फिलोडेलिया इन्क्वायरर
55.	श्री जी० मैलोन	खालिज टाइम्स

1	2	3
56.	श्री एम० बलिमे	ली पिगारो
57.	श्री एम० ए० विवर	संडे टाइम्स/सी० एस० मानिटर
58.	श्री डब्ल्यू० कलेईवौरन	वाशिंगटन पोस्ट
59.	श्री जे० मिल्स	ए० बी० सी०
60.	श्री आर० वाल्फग्राम	जर्मन रेडियो/दूरदर्शन
61.	श्री डोन विवर	वायस आफ अमेरिका
62.	श्री राबर्ट हेनरी सेक्टर	लास एंजलिस टाइम्स
63.	श्री वाकर	आई० टी० एन०
64.	श्री डेविड चार्लर ग्रेट्स	डेली टेलीग्राफ
65.	श्री बेनुगोपाल राव	आई० पी० एस०
66.	श्री रंजन गुप्ता	सण्डे मॉर्निंग हेराल्ड
67.	श्री जावेद लैक	के० यू० एन० ए०
68.	श्री श्याम भाटिया	द आब्जरवर
69.	श्री रोस वेनसन	डेली एक्सप्रेस लन्दन

मैसर्स थेमिस कैमिकल्स लिमिटेड को हुए अनाशयित लाभ कमाना

3929. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स थैमिस कैमिकल्स लिमिटेड द्वारा टिविनेक्स तथा टिडिसिन आदि सहित बहुत से नये फार्मूलेशन हाल ही में बाजार में लाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न सीमाओं जैसे अनुपात सम्बन्धी सीमा आदि का उल्लंघन कर रही है; और

(ग) उल्लंघनों का ब्यौरा क्या है तथा इसके फलस्वरूप कम्पनी को हुये अनाशयित लाभ को वसूलने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) इस सन्दर्भ में सरकार के ध्यान में कुछ नहीं आया है।

(ग) फार्मूलेशनों की टिविनैवस रेंज का विपणन करने के लिये कम्पनी ने कोई मूल्य अनुमोदन नहीं किया है। तथ्यों की जांच की जा रही है। रिफाम्पिसिन पर अनभिप्रेत लाभ की वसूली की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रियानुसार चल रही है।

कलकत्ता दूरदर्शन से पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री के साक्षात्कार "इण्टरव्यू" का प्रसारण

3930. **प्रो० रूप चन्द पाल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1983 में पश्चिम बंगाल में विधान सभा के उप चुनावों के अवसर पर दूरदर्शन के कलकत्ता केन्द्र से केन्द्रीय वित्त मन्त्री का एक साक्षात्कार प्रसारित हुआ था जिसमें उन्होंने मतदाताओं को प्रभावित करने की दृष्टि से केन्द्र राज्य सम्बन्धों पर कुछ विचार प्रकट किए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री ने दूरदर्शन के कलकत्ता केन्द्र से केन्द्रीय वित्त मन्त्री द्वारा उठाये गये कुछ मुद्दों पर पश्चिम बंगाल सरकार के दृष्टिकोण को रखने के लिए एक साक्षात्कार देने का प्रस्ताव रखा था; और

(ग) यदि हां, तो जिस समय पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री विदेश में थे और राज्य सरकार के विचारों को रखने का दायित्व वित्त मन्त्री को सौंपा गया था तब कलकत्ता दूरदर्शन पर वैसा ही साक्षात्कार देने की अनुमति उन्हें न देने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता ने केन्द्र-राज्य वित्तीय संबंधों के बारे में एक परिचर्चा कार्यक्रम 10 मई, 1984 को टेलीकास्ट किया था जिसमें एक स्थानीय अर्थशास्त्री और दो स्थानीय पत्रकारों के साथ केन्द्रीय मन्त्री श्री प्रणव मुखर्जी ने भाग लिया था। इस कार्यक्रम की योजना बहुत पहले बनाई गई थी, परन्तु यह केवल 6 मई, 1984 को ही रिकार्ड किया जा सका। इस परिचर्चा में, केन्द्रीय वित्त मन्त्री ने न तो मई, 1984 के महीने में पश्चिम बंगाल राज्य में होने वाले उप चुनावों का उल्लेख किया था और न ही किसी पर छींटाकशी की थी। परिचर्चाएं किसी भी राज्य का कोई विशिष्ट उल्लेख के बिना थी।

पश्चिम बंगाल सरकार के सूचना और सांस्कृतिक कार्य विभाग के संयुक्त सूचना निदेशक ने निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता को 11 मई, 1984 को एक पत्र लिखा था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि वित्त राज्य मन्त्री के साथ भेंटवार्ता को 10-5-1984 को टेलीकास्ट किए गए केन्द्रीय वित्त मन्त्री के साथ परिचर्चा कार्यक्रम के प्रत्युत्तर के रूप में टेलीकास्ट किया जाये। इस

बात को केन्द्रीय वित्त मन्त्री के साथ परिचर्चा कार्यक्रम राज्य में होने वाले उप चुनाव से किसी भी तरह से सम्बन्धित नहीं था, निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता द्वारा पश्चिम बंगाल के वित्त मन्त्री के निजी सचिव के ध्यान में ला दिया गया था। इसके अलावा, केन्द्रीय वित्त मन्त्री के साथ उक्त परिचर्चा कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल राज्य से सीधे सम्बन्धित कोई विशिष्ट समस्या शामिल नहीं थी।

वर्षों से यह परम्परा स्थापित हुई है कि राज्य के मामलों को जनता के सामने रखने के लिये दूरदर्शन का उपयोग करने के लिये राज्य के मुख्य मन्त्री का स्वागत है। इस प्रकार के प्रयोजन के लिये यह सुविधा सामान्यत: राज्य के अन्य मन्त्रियों को नहीं दी जाती। इसी बात के कारण निदेशक, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता ने पश्चिम बंगाल के संयुक्त सूचना निदेशक के 11 मई, 1984 के पत्र में किये गये अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।

कोरबा उर्वरक परियोजना

3931 : **श्री शिवचरण वर्मा :**
श्री जगपाल सिंह :
श्री बी० डी० सिंह :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 5 जुलाई, 1984 के "जनसत्ता" में "कोरबा उर्वरक परियोजना 11 साल से करोड़ों फुकने के बाद भी नींव नहीं खुदी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई उच्च स्तरीय जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। मध्य प्रदेश के कोरबा में कोयले पर आधारित उर्वरक परियोजना की स्थापना करने का निर्णय सरकार द्वारा जनवरी, 1972 में लिया गया था और औपचारिक अनुमति जून, 1974 में दी गई थी। उसके पश्चात भूमि के अर्जन और उसकी सफाई, शैड्स और रेलवे साइडिंग के निर्माण और दीर्घ विधि में सप्लाई होने वाले कुछ उपकरणों की प्रगति के साथ परियोजना का कार्यान्वियन प्रारम्भ किया गया था। तथापि संसाधनों की कठिनाई के कारण 1975-76 में परियोजना पर कार्य लम्बित रहा और पहले से ही की गई बाध्यताओं को पूरा करने के लिए इस परियोजना को निधियों का आबंटन न्यूनतम अपेक्षाओं तक कम करना पड़ा।

कोयले पर आधारित दो उर्वरक संयंत्र अभी तक रामागुण्डम और तालचर में स्थापित

किए गए हैं। ये कुछ उपकरण और डिजाइन समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इन समस्याओं पर काबू पाने और इन संयंत्रों के संचालन को सुस्थिर करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। कोरबा में कोयले पर आधारित संयंत्र का पुनरोद्धार, इन दो संयंत्रों में सुस्थिर स्तर पर उत्पादन प्राप्त करने में सफलता पर निर्भर करेगा।

(ख) जी नहीं

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ?

भारत कोकिंग कोल लि० के कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण

3932. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लि० कर्मचारियों का बड़े पैमाने पर स्थानान्तरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो स्थानान्तरण के कारण क्या हैं;

(ग) कितने मामलों में अन्यत्र स्थानान्तरण किए गए हैं;

(घ) क्या कुछ कर्मचारियों के मामले में स्थानान्तरण आदेश लागू नहीं किए गए; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि० में अधिकारियों के तबादले कोल इंडिया लि० के सामान्य कोयला संवर्ग के प्रावधानों के अनुसार किए गए हैं। अधिकारियों के एक कम्पनी से दूसरी कम्पनी को तबादले के अलावा सामान्य कोयला संवर्ग में यह व्यवस्था भी है कि अधिकारियों का कम्पनी के भीतर भी तबादला किया जाए ताकि कम्पनी संगठन में समय-समय पर उठने वाली निश्चित जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों की सेवाओं का इष्टतम उपयोग किया जा सके। बड़े पैमाने पर कोई तबादले नहीं किए गए हैं।

(ग) भा० को० को० लि० में 1984 में अधिकारियों के मामले में एक शहर से दूसरे शहर को 80 तबादले किए गए हैं।

(घ) और (ङ) कोल इंडिया लि० ने कोल इंडिया लि० के सामान्य कोयला संवर्ग के अधीन अपनाई गई तबादला नीति को ही कार्यान्वित किया है और इस संबंध में कोई भेदभाव नहीं किया गया है।

'डेसू' द्वारा बिजली के कनेक्शन देने के लिए नयी नीति

3933. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय उपक्रम ने 5 मई, 1983 को आयोजित अपनी बैठक में बिजली के नये कनेक्शन देने के बारे में संकल्प संख्या 186 स्वीकार करके अनेक नयी नीतियां निर्धारित की हैं, जिनसे दिल्ली के लोगों को काफी राहत मिलेगी; यदि हां, तो उपरोक्त संकल्प में क्या मुद्दे हैं;

(ख) उपरोक्त संकल्प के पारित होने के लगभग 1½ वर्ष बाद भी इस संकल्प को क्रियान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस संकल्प को क्रियान्विति न होने के कारण दिल्ली की जन-संख्या के एक बहुत बड़े भाग को अनेक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि उन्हें बिजली के कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं; और

(घ) उपरोक्त संकल्प को कब तक क्रियान्वित किया जायेगा और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) संकल्प की प्रति उपाबन्ध 'क' में दी गई है ।

[ग्रन्थालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 8632/84]

(ख) मामला दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) संकल्प को क्रियान्वित करना दिल्ली प्रशासन के अनुमोदन पर निर्भर करता है ।

"ए० आई० आर० एण्ड टी० वी० लेस देन ए नेशनल व्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार

3934. **श्री भीम सिंह :**
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

क्यासूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 जुलाई, 1984 को "इण्डियन एक्सप्रेस" में "ए० आई० आर० एण्ड टी० वी० लेस देन नेशनल व्यू" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के विरुद्ध उसमें लगाए गए आरोपों की जांच की है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यक्रमों के पत्रकारों और समीक्षकों को स्वाभाविक रूप से प्रसारित कार्यक्रमों की विषयवस्तु, रूप तथा अन्य पहलुओं पर टिप्पणियां करने की स्वतंत्रता है। उल्लिखित लेख में कार्यक्रमों/कवरेजों पर लेखक के विचार और टिप्पणियां हैं। ये उनकी अनुभूतियां और निष्कर्ष हैं। अन्य बातों के साथ-साथ, उक्त लेख में जो यह बात कही गई है कि समाचार कवरेज, प्रसार, आदि में माध्यम विपक्ष के प्रति भेदभाव बरत रहे हैं, वह सही नहीं है। माध्यमों का कवरेज अनिवार्य रूप से उचित, वस्तुनिष्ट और सन्तुलित होता है और उसमें घटनाओं तथा विकासों पर बल के साथ विषम दृष्टिकोणों को भी प्रस्तुत किया जाता है।

राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में समाचार प्रसारित किया जाना

3935. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 12 जुलाई, 1984 को दूरदर्शन से 12 जुलाई, 1984 को दिल्ली में आयोजित हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में पारित किए गए संकल्प के बारे में काफी देर तक समाचार प्रसारित किया गया था जिसमें डा० फारूख अब्दुला को जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्रीपद से हटाए जाने और केन्द्र के निरकुंश व्यवहार के विरोध में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के गैर-कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्रियों द्वारा किए गए उक्त बैठक से बहिर्गमन करने की निंदा की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि चार गैर-कांग्रेस (आई) मुख्य मन्त्रियों की ओर से दिए गए वक्तव्य को उक्त दूरदर्शन समाचारों में प्रसारित नहीं किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की इस बैठक संबंधी दूरदर्शन प्रसारण में इस प्रकार का भेदभाव किए जाने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) राष्ट्रीय विकास परिषद की 12 जुलाई, 1984 को हुई बैठक से संबंधित मदों को उस शाम दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा टेलीकास्ट किए गए

समाचार बुलेटिनों में शामिल किया गया था । सातवीं योजना के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग तथा सातवीं योजना में खाद्य उत्पादन, रोजगार बढ़ाने तथा उत्पादकता बढ़ाने पर अधिक बल देने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री द्वारा की गई अपील को 12 जुलाई, 1984 के समाचार बुलेटिनों में प्रतिबिम्बित किया गया था । साय 6.30 बजे तथा रात 9.00 को टेलीकास्ट किए गए हिन्दी बुलेटिनों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल तथा त्रिपुरा के चार गैर-कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्रियों द्वारा किए गए वाक आउट तथा बाद में इस वाक आउट के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव का भी उल्लेख किया गया था । राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक को घटनाओं को कवर करने में कोई भेदभाव नहीं किया गया था । इस प्रकार, रात 9.03 बजे टेलीकास्ट किए गए अंग्रेजी समाचार बुलेटिन में अपने वाक आऊट के कारणों के बारे में चार गैर-कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्रियों की प्रेस ब्रीफिंग का सार दिया गया था । उसी बुलेटिन में जम्मू व काश्मीर में डा० फारूख अब्दुला मंत्रि-मंडल की बर्खास्तगी के बारे में विपक्ष के नेताओं और चार गैर-कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति को दिए गए ज्ञापन को भी समुचित रूप से कवर किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में चार गैर-कांग्रेस (आई) मुख्य मंत्रियों की ओर से दिए गए वक्तव्य को दूरदर्शन पर प्रस्तुत नहीं किया गया था । क्योंकि राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक की कार्य-वाहियों पर ब्रीफिंग करते समय यह मालूम हुआ था कि उस वक्तव्य को परिषद की इस बैठक कार्यसूची से असंगत पाया गया था और बाद में बैठक के अध्यक्ष ने इसे कार्यवाहियों से हटाने का आदेश दिया था ।

मूल्य निर्धारित कराए बिना उत्पादों की बिक्री

3936. **श्री राम विलास पासवान**
श्री आर० एन० राकेश

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स ग्लैक्सो लिमिटेड, नई दिल्ली को उन उत्पादों के लिए भी मूल्य स्वीकृति पत्र जारी किए गए हैं जिनका उचित औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त किए बिना उत्पादन किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं;

(ग) इस प्रकार दिए गए लाइसेंसों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने इसके सभी उत्पादों के मूल्य निर्धारित किए हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा मूल्य निर्धारित किए जाने से पूर्व अपने

उत्पादों की बिक्री करने के लिए सरकार द्वारा इस कम्पनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) मैं० ग्लेक्सो लेबोरेट्रीज लि० बम्बई 65 औद्योगिक अनुमोदनों/लाइसेंसों के धारक हैं । उनको उन सभी मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के सम्बन्ध में मूल्य अनुमोदन जारी किए गए हैं जिनके लिए समय-समय पर मूल्य निर्धारण के लिए आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे । ये मूल्य अनुमोदन देश में औषधों के उत्पादन, वितरण तथा बिक्री से सम्बन्धित विभिन्न कानूनों की सांविधिक अपेक्षाओं पर किसी पक्षपात के बिना प्रदान किए गए हैं ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के खीरी जिले में लखीमपुर में खाना पकाने की गैस की एजेंसी का आबंटन

3937. **श्री राम लाल राही** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की खीरी जिले में लखीमपुर में खाना पकाने की गैस की एजेंसी का निर्धारित नियमों का उल्लंघन करके आबंटन करने का निर्णय लिया गया है, जिसके विरुद्ध लोगों ने अनेक अभ्यावेदन भेजे हैं; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) तेल चयन बोर्ड द्वारा किए गए चयन के आधार पर मैसर्ज भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने 28 मई, 1984 को श्री रजनीश भटनागर को एक आशय पत्र जारी किया था । बाद में, शिकायत प्राप्त होने पर जिनमें यह आरोप लगाया गया था कि श्री भटनागर की वार्षिक आय 24,000 रुपये की पात्रता सीमा से अधिक थी, तेल चयन बोर्ड ने भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड को आगे की कार्यवाही रोक देने, शिकायतों की जांच पड़ताल करने तथा एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था ।

फैरा ड्रग कम्पनियों द्वारा उत्पादित बल्क ड्रगों का ब्यौरा

3938. **श्री अनवार अहमद** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन बल्क ड्रगों के नाम क्या हैं जिसके लिए जर्मन रेमेडीज फेयरडील कारपोरेशन पार्क डेविस डफर इन्टर फोर्म ने पिछले तीन वर्षों के दौरान लाइसेंस लिए हैं । तकनीकी विकास

महानिदेशालय के पास अपने नाम पंजीकृत कराए हैं और इस अवधि के दौरान प्रत्येक कम्पनी ने अनुमत्य क्षमता की तुलना में प्रत्येक ड्रग का कितना उत्पादन किया है;

(ख) प्रत्येक कम्पनी की प्रत्येक ड्रग का रक्षित उपयोग और नान-एसोसिएटिड फार्मूलेटरों की बिक्री कितनी है;

(ग) इन कम्पनियों द्वारा इन ड्रगों पर आधारित कौन-कौन से फार्मूलेशनों का विपणन किया जा रहा और कम्पोजीशन का नाम क्या है और प्रत्येक की थोक मूल्य कितना है; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने इन सभी फार्मूलेशनों की मूल्य स्वीकृति दे दी है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) बल्क औषधों के निर्माण हेतु मैसर्स पार्के डेविस और डफर-इन्टरफ्रान को गत तीन वर्षों के दौरान कोई औद्योगिक लाइसेंस डी० जी० टी० डी० पंजीकरण प्रदान नहीं किया गया है । उन बल्क औषधों के नाम जिनके लिए मैसर्स जर्मन रेमेडीज और फेयरडील कार्पोरेशन को 1-7-81 से 30-6-84 तक की अवधि के दौरान औद्योगिक लाइसेंस प्रदान/डी० जी० टी० डी० पंजीकरण प्रदान किए गए थे, क्षमता, कैप्टिव खपत, गैर-सम्बद्ध फार्मूलेटरों को बिक्री आदि जैसे अन्य ब्यौरे उपलब्धि की सीमा तक, विवरण I में दिए गए हैं ।

(ग) विवरण I में दर्शाई गई बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशनों के ब्यौरे, जिनका विपणन इन कम्पनियों द्वारा किया जा रहा है, प्रत्येक फार्मूलेशन के मिश्रण और खुदरा मूल्य सहित विवरण II में दिए गए हैं ।

(घ) फेयरडील कारपोरेशन के सालबूटोल सिरप और सिलवर सल्फाडियाजाइन क्रीम को छोड़कर डी० पी० सी० ओ० 1979 के अधीन सभी अन्य मूल्य नियंत्रित फार्मूलेशनों के मूल्य सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं । उक्त दो उत्पादों के सम्बन्ध में कम्पनी को नोटिस जारी किया गया है ।

विवरण-I

क्रम संख्या	प्रपुंज औषध का नाम	एकक	लाइसेंस शुदा/ पंजीकृत क्षमता	उत्पादन			निम्नलिखित वर्षों के दौरान कैप्टिव खपत			निम्नलिखित वर्षों के दौरान गैर-सम्बद्ध फार्मूलेटरों को सप्लाई		
				1981-82	1982-83	1983-84	81-82	82-83	83-84	81-82	82-83	83-84
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(क) मैसर्स जर्मन रेमेडीज												
1.	हाइड्रोक्सीइथाइल** थियोफिनाइल	टन	25.00	9.7	20.2	15.0	उ०न०	उ०न०	उ०न०	शून्य	शून्य	शून्य
2.	सल्फामोक्सोल	टन	130 (एसई)	146.5	107.8	45.9	उ०न०	उ०न०	उ०न०	40.00	14.40	14.40
3.	हाइड्रोक्सीप्रोगेस्टेरोन केप्रोएट	टन	2	—उत्पादन की सूचना नहीं है—								
4.	कैमोमाइल एक्सट्रेक्टकि.लि.		25	—उत्पादन की सूचना नहीं है—								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
(ख) मसर्स फेयरडील कारपोरेशन												
1.	सिल्वर सल्फाडियाजाइन	टन	1.00	—	0.042	—	—	0.025	—	—	उ०न०	—
2.	ट्राइमेथोप्रिम	टन	5.00	3.803	2.311	4.761	0.531	0.404	0.623	2.437	2.01	3.911
3.	सालबूटामोल सल्फेट	कि.ग्रा.	360.00	0.895	0.137	0.165	0.091	0.084	0.058	0.011	0.045	0.009
4.	डाएजेपाम	टन	2.00	0.494	0.880	1.957	0.075	0.064	0.132	0.453	0.519	1.609
5.	डियाट्रिजोइक एसिड	टन	5.00	—	—	— उत्पादन की सूचना नहीं है			—	—	—	—

*मैसर्स जर्मन रेमेडीज से सम्बन्धित उत्पादन और गैर-सम्बद्ध फार्मूलेटरों को सप्लाई के ब्यौरे कलेण्डर वर्ष 1981, 1982 और 1983 से सम्बन्धित हैं।

**हाइड्रोक्सी इथाइल थियोफिलाइन के निर्माण के लिये कम्पनी के पास एक सी० ओ० बी० लाइसेंस भी है।

उ० न०-उपलब्ध नहीं।

विवरण-II

बल्क औषधों पर आधारित फार्मूलेशन्स	मिश्रण	पैक	उत्पाद शुल्क को छोड़कर खुदरा मूल्य (रु०/पैसे में)
1	2	3	4.
(क) मैसर्स जर्मन रेमेडीज*			
1. सल्फ्यूनो गोलियां	सल्फामोक्सोल 0.5 मि.ग्रा.	100 गोलियां	33.60
		500 गोलियां	133.35
		1000 गोलियां	266.69
2. सुपरिस्टोल सस्प०	प्रत्येक 5 मि. लि. में है : सल्फामोक्सोल 200 मि. ग्रा. ट्राइमेथाप्रिम 40 मि. ग्रा.	50 मि. लि.	7.51
3. ,, गोलियां	प्रत्येक में हैं : सल्फामोक्सोल 400 मि.ग्रा. ट्राइमेथोप्रिम 80 मि.ग्रा.	100 गोलियां	84.10
4. ,, पेडिएट्रिक	गोली प्रत्येक में हैं : सल्फामोक्सोल 200 मि.ग्रा. ट्राईमेथोप्रिम 40 मि.ग्रा.	100 गोलियां	24.91
5. प्रोलुटोन डिपोट इन्ज.	प्रत्येक 2 मि.लि. में है : हाइड्राक्सी प्रोगेस्टेरोन		
	केप्रोएट—125 मि.ग्रा.	10 एम्प	54.50
	—250 मि.ग्रा.	10 एम्प	97.50
	2 मि.लि.—500 मि.ग्रा.	5 एम्प	90.00

1	2	3	4
(ख) मैसर्स फेयरडील कार्पोरेशन**			
1. सोवराइड इन्ज.	डाएजेपाम आई०पी०	5 × 2 मि.लि	6.37
		50 × 2 ,,	42.83
		100 × 2 ,,	84.25
2. ,, गोलियां	डाएजेपाम आई. पी. 5 मि.ग्रा.	10 गोली का पत्ता	1.27
3. डाएजेपाम गोलियां	—वही—	500 गोली	17.90
		1000 गोली	32.01
4. साल्वेटोल 2 मि.ग्रा.	सालबूटामोल सल्फेट वी० पी०=सालबूटामोल 2 मि.ग्रा.	10 गोली	1.17
5. साल्वेटोल 4 मि.ग्रा.	सालबूटामोल सल्फेट वी०पी० = सालबूटामोल 2 मि.ग्रा.	10 गोली	1.55
6. ,, सिरप	सालबूटामोल सल्फेट वी०पी० = सालबूटामोल 2 मि.ग्रा.	110 मि.लि.	5.68
7. टी०एम०पी० स्मेक्स	ट्राईमेथोप्रिम आई.पी.	10 गोलियां	4.40
गोली आई०पी०	80 मि.ग्रा.	100 गोली	41.28
	सल्फामोथोक्साजोल	500 गोली	199.82
	आई०पी० 400 मि.ग्रा.	1000 गोली	396.56
8. सिल्वर सल्फाडियाजाइन	प्रत्येक ग्राम में है : एस० एस० डी० 1% डब्ल्यू/वी०	250 ग्राम	43.14

*फार्मास्यूटिकल ग्राइड 1983 के अनुसार सूचना ।

**कम्पनी द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार ।

सरकारी प्रचार माध्यमों से विज्ञापन

3939. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने को कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को दिनांक 21 मई, 1984 की "न्यूज मेग" पत्रिका में छपे उस समाचार की जानकारी है, जिसमें दिल्ली से विज्ञापित धोखाधड़ी वाली प्रतियोगिताओं का ब्यौरा दिया गया है;

(ख) क्या सरकार ने इस आशय के एक आरोप की जांच करवाई है कि दूरदर्शन से भी फरिश्ता साबुन के लिए इस प्रकार की धोखाधड़ी वाली प्रतियोगिता का प्रसारण किया गया था; और

(ग) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्रवाई की है कि अनेक उपभोक्ताओं को धोखा देने वाली इस प्रकार के लाटरी जैसे बिक्री के तरीकों के विज्ञापन के लिए सरकारी प्रचार माध्यमों का दुरुपयोग न किया जाये ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) फरिश्ता साबुन पुरस्कार प्रतियोगिता दूरदर्शन पर मार्च, 1982 से अक्तूबर, 1983 तक विज्ञापित की गई थी । इस अवधि के दौरान प्रतियोगिता के विरुद्ध कोई आरोप प्राप्त नहीं हुआ था तथापि, सोसाइटी फार सिविल राइट्स, नई दिल्ली से जनवरी, 1984 में प्राप्त एक शिकायत को मैसर्ज रेनुके एडवरटाइजिंग कम्पनी, नई दिल्ली जिसके माध्यम से विज्ञापन बुक किया गया था, के साथ उठाया गया था क्योंकि विज्ञापनदाता विज्ञापन की यथार्थता के लिए उत्तरदायी है और वह दूरदर्शन को ऐसे किसी भी कानूनी दावे की बाबत क्षतिपूर्ति करता है जो टेलीकास्ट के परिणामस्वरूप उसके विरुद्ध लाया जाता है । मामले की आगे जांच की जा रही है ।

औषध उद्योग के प्रतिनिधियों द्वारा औषध मूल्य नियन्त्रण का उल्लेख किया जाना

3940. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय औषध और फार्मास्यूटीकल्स विकास परिषद तथा इसके कार्यकारी दलों और समितियों के औषध उद्योग प्रतिनिधि औषध मूल्य नियंत्रण आदेश, 1979 और अन्य विनियमों के प्रमुख उल्लंघनकर्त्ता हैं,

(ख) यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं और वे कौन-कौन सी कम्पनियों से संबद्ध हैं; और

(ग) क्या यह सच है कि उपभोक्ताओं की ओर से कोई प्रतिनिधि नहीं है, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद् इसके कार्यकारी दलों और संचालन समितियों में औषध उद्योग के प्रतिनिधि उनमें व्यक्तिगत हैसियत में नहीं हैं, बल्कि वे उस एसोसिएशन (एसोसिएशनों) के कार्यकर्ता हैं जिसका वे प्रतिनिधित्व करते हैं। संसद सदस्य, निर्माताओं, वितरकों के प्रतिनिधि और तकनीकी विशेषज्ञ राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद द्वारा गठित कार्यकारी दलों में शामिल हो। संचालन समितियों में भी है।

सी० आई० ए० द्वारा भारतीय तेल क्षेत्रों के संबंध में आंकड़े एकत्र करना

3941. **श्री माधव राव सिंधिया :**
श्री आनन्द सिंह :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 जून, 1984 के ट्रिब्यून में "सी० आई० ए० कलैक्टिंग वाया आना इंडिया आयल फील्ड्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें सोवियत संघ के एक सेना विशेषज्ञ का हवाला देते हुए अमेरिका की सेन्ट्रल इन्टेलीजेंस एजेंसी पर भारतीय तेल क्षेत्रों के बारे में आंकड़े एकत्र करने और वहां अपने जासूस तैनात करने का आरोप लगाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) उपयुक्त कार्यवाही के लिए रिपोर्ट की अन्तर्वस्तु की ओर भारत सरकार के संबंधित प्राधिकारियों का ध्यान दिलाया गया है। इसके अलावा, तेल कम्पनियों को सूचना की गोपनीयता बनाए रखने के प्रति सजग रहने तथा प्रतिष्ठापनों की सुरक्षा के उपाय करने की सलाह दी गयी है।

फिल्म्स डिवीजन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के विषय पर फिल्मों का निर्माण

3942. **श्री नीरेन घोष** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मदवार ऐसे कौन-कौन से विषय हैं, जिन पर स्वतन्त्रता संग्राम के संबंध में फिल्म्स-डिविजन फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं;

(ख) क्या चटगांव विद्रोह के प्रसिद्ध प्राप्त सूर्य सेन तथा बाधा जतिन, भगत सिंह, जतिन दास आदि जैसे क्रांतिकारी किसी मद में शामिल किए गये हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उन्हें शामिल न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या चटगांव विद्रोह स्वर्ण जयन्ती समिति से कोई आलोचना प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर डाकुमेंट्री फिल्मों का निर्माण करना फिल्म प्रभाग के सामान्य कार्यों का अंग है और इस प्रयोजन के लिए समय-समय पर विभिन्न विषयों का चयन किया जाता है। यह प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। तदनुसार, भारत के स्वतन्त्रता संग्राम के बिभिन्न पहलुओं/घटनाओं पर डाकुमेंट्री फिल्में बनाने का काम भी हाथ में लिया गया है। अब तक चुने गए उन विषयों, जिन पर डाकुमेंट्री फिल्में बनाई जाएंगी, की सूची संलग्न है। (परिशिष्ट 1) **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8633/84]** इसके अलावा, स्वतन्त्रता संग्राम में प्रत्येक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के योगदान पर एक-एक अलग फिल्म बनाने की योजना बनाई गई है। ये सभी हमारे लोगों को इतिहास की जानकारी देने, इस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण की शक्तियों को सुदृढ़ करने के लिए हैं।

(ख) और (ग) फिल्म प्रभाग द्वारा "बाधा जतिन", "भगत सिंह", "वीर सावरकर", आदि पर फिल्में पहले ही बनाई जा चुकी हैं।

(घ) और (ङ) चटवांव अपराइजिंग नेशनल गोल्डन जुबली कमेटी (वेस्टन इंडिया चैप्टर) से प्राप्त दिनांक 18-5-84 के पत्र की प्रति (परिशिष्ट-2) संलग्न है। **[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 8633/84]**

समाचार पत्रों को अख़बारी कागज का कोटा प्राप्त न होना

3943. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**
श्री दौलत राम सारण :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित भारतीय समाचार पत्रों के पंजीयक ने उत्तरी भारत के 13 दैनिक समाचारपत्रों को 1983-84 के लिए 3000 मीट्रिक टन क्रोम बूव कागज

का आबंटन किया था, जिसे मैसर्स जनरल ट्रेडिंग सेल्स कारपोरेशन, दिल्ली ने उठाया था कि अन्य क्षेत्रों के दैनिक पत्रों हेतु उसी अवधि के लिए अखबारी कागज के आबंटन के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं किया गया था;

(ख) क्या इसमें से कुछ दैनिक पत्रों ने कागज न मिलने के बारे में सरकार से शिकायत की है;

(ग) क्या सरकार को इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उपरोक्त कारपोरेशन ने उक्त क्रीम वूव कागज को लगभग 3000 रुपए प्रति मि० टन के लाभ पर खुले बाजार में बेच दिया; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

कोडाईकनाल, तमिलनाडु में दूरदर्शन ट्रान्समीटर

3944. **श्री ए० जी० सुब्बुरमण** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोडाईकनाल, तमिलनाडु में उच्च शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर किस तारीख को चालू होने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार को श्रीलंका दूरदर्शन द्वारा किये जा रहे भारत-विरोधी प्रचार की जानकारी है, जिसके प्रसारणों का तमिलनाडु के अधिकांश दक्षिणी भाग में लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ग) आकाशवाणी का प्रस्तावित मदुरई यूनिट कब तक चालू होने की संभावना है; और

(घ) मद्रास में आकाशवाणी के शक्तिशाली ट्रांसमीटर को बदलने का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सूचना और प्रसारण उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : कोडाईकनाल में 1 किलोवाट शक्ति का दूरदर्शन ट्रांसमीटर 15-8-1984 को चालू किया गया है । टावर के मुकम्मल होने तक, 10 किलोवाट की पूरी शक्ति का ट्रांसमीटर के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है ।

(ख) श्रीलंका के टी० वी० सिगनलों का संग्रहण तमिलनाडु के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में होने की रिपोर्ट है। 10 किलोवाट के दूरदर्शन ट्रांसमीटर के हो जाने पर यह तमिलनाडु के दक्षिण भागों को पूर्णतया कवर करेगा।

(ग) 1985 के अन्त तक।

(घ) नया ट्रांसमीटर स्थापित करने का काम चालू वित्तीय वर्ष के दौरान मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

पहले से रिकार्ड किए गए वीडियो कैसेट का पकड़ा जाना

3945. **श्री आर० पी० गायकवाड़ :**
श्री फूल चन्द वर्मा :

क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विदेशी फिल्मों सहित हिन्दी, मराठी, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ और बंगाली भाषा का नवीनतम फिल्मों के चोरी किए गए संस्करण, जिनमें से कुछ पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, आसानी से काले बाजार में उपलब्ध हैं;

(ख) बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, आदि जैसे महानगरों में वीडियो लाइब्रेरियों, अवैध वीडियो पार्लरों ओर इसी प्रकार के अन्य व्यवसायों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या यह सच है कि क्या इस व्यवसाय में लगे कुछ लोग बम्बई उच्च न्यायालय में गए हैं और उन्होंने पहले रिकार्ड किए गए वीडियो कैसेट को पकड़ने के लिए पुलिस और सरकार को रोकने के लिए अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) यद्यपि सरकार के पास कोई प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है, तथापि, विदेशी फिल्मों सहित विभिन्न भाषाओं की चोरी की गई और अप्रामाणीकृत वीडियो फिल्मों, जिन पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है, की उपलब्धता के बारे में सूचनाएं हैं। जहां तक अप्रमाणीकृत वीडियो फिल्मों का सम्बन्ध है, फिल्मों के प्रमाणीकरण से सम्बन्धित चलचित्र अधिनियम, 1952 के भाग-दो में निहित दांडिक उपबन्धों को प्रवृत्त करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों/संघ शामिल क्षेत्रों के प्रशासनों का है। चोरी की गई वीडियो फिल्मों के सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जाता है कि कापीराइट एक स्वाम्य अधिकार है और मुख्य रूप से यह कापीराइट के स्वामियों का काम है कि वे अपने अधिकारों के प्रवर्त्तन के लिए उपयुक्त न्यायालयों में आवश्यक सिविल/अपराधिक कार्यवाहियां करें।

सेंसरशिप को छोड़कर सिनेमा का विषय राज्य विषय है तथा वीडियो पर फिल्मों के प्रदर्शन को विनियमित करना राज्य सरकारों का काम है। वीडियो लाइब्रेरियों, आदि की संख्या के बारे में केन्द्रीय सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) विभिन्न पार्टियों ने वीडियो फिल्मों के अलग से प्रमाणीकरण से संबंधित चलचित्र प्रमाणन (संशोधन) नियम, 1984 के उपबन्धों को चुनौती देते हुए विभिन्न उच्च न्यायालयों (बम्बई उच्च न्यायालय सहित) में मुकदमे दायर किए हैं। कुछ मामलों में, उच्च न्यायालयों द्वारा अन्तरिम स्थगन आदेश दिए गए हैं तथा स्थगन आदेश केवल उन्हीं फिल्मों तक ही सीमित है जिनके लिए सेंसर प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया गया है तथा वह मार्च, 1984 से पहले का है।

उत्प्रवास सम्बन्धी मामलों में सलाह देने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति का गठन

3946. **डा० प्रताप बाघ** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उत्प्रवास संबंधी मामलों में सलाह देने और उत्प्रवास व्यवस्था में सुधार करने के लिए एक केन्द्रीय सलाहकार समिति बनाने का विचार है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : जी, हां।

असम के कछार जिले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का क्रियाकलाप

3947. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग कछार के प्रबन्धकों के अनिच्छापूर्ण दृष्टिकोण के कारण असम के कछार जिले में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के क्रियाकलाप संतोषजनक नहीं हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो कछार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य का प्रसार करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और क्या कछार में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के विकास कार्यों में वर्तमान बाधाओं को दूर करने के लिए कोई जांच की जायेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कछार में अपनी योजना के अनुसार कार्य कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के लिए मिट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का कोटा

3948. **श्री नारायण चौबे** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल में मिदनापुर के लिए भारतीय तेल निगम के अधिकारी ने मिट्टी के तेल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के कोटे में अपनी मर्जी से कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस आशय के अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि इन कटौतियों से मुख्यतः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की आबादी वाले इतरग्राम, मिदनापुर, सदर उत्तर और सदर दक्षिण के लोगों के लिए बहुत कठिनाई पैदा हो गई है; और

(घ) क्या सरकार का विचार लोगों की कठिनाइयां दूर करने के लिए उपरोक्त क्षेत्र में तुरन्त पुनः पहले वाला कोटा बहाल करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी नहीं, एक को छोड़कर जिसे स्वयं माननीय सदस्य ने भेजा था।

(घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए आबंटित की गई धनराशि का अपर्याप्त होना

3949. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकदण कार्यक्रम के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के कितने गांवों का विद्युतीकरण कर दिया गया है और कितने गांवों का इस वर्ष विद्युतीकरण किया जाएगा और उसके जिलेवार आंकड़े क्या हैं और लक्ष्य प्राप्ति की संभावित तारीख क्या है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा गांवों के विद्युतीकरण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को आबंटित धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उत्तर प्रदेश में ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रमों के लिए पिछले तीन वर्षों (1981-84) के दौरान 102 करोड़ रुपए का परिव्यय (इसमें संस्थानों की वित्त व्यवस्था शामिल नहीं है) प्रदान किया गया था।

(ख) पिछले तीन वर्षों (1981-84) के दौरान उत्तर प्रदेश में 15657 गांव विद्युतीकृत किए गए थे। 1984-85 में 3432 गांवों को विद्युतीकृत करने का लक्ष्य है। जिलेवार कार्यक्रम को राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांव तथा कुल गांवों की संख्या आदि के सम्बन्ध में जिलेवार स्थिति दिखाने वाला विवरण संलग्न है। उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को आशा है कि 1984-85 के लक्ष्य पूरे कर लिए जाएंगे।

(ग) उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विद्युतीकरण स्कीमों के अन्तर्गत ग्राम विद्युतीकरण कार्यों के लिए ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा किए गए 95.96 करोड़ रुपए के आबंटन की तुलना में उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 77.39 करोड़ रुपए की राशि निकाली थी। ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा किया गया वर्षवार आबंटन और उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा निकाली गई राशि निम्नानुसार है :—

वर्ष	आबंटन	निकाली गई राशि (करोड़ रु० में)
1981-82	28.72	22.19
1982-83	32.48	29.03
1983-84	34.76	26.17
	95.96	77.39

विवरण

उत्तर प्रदेश में जिलेवार कुल गांवों की संख्या तथा उनमें से पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1-4-1981 से 31-3-1984 तक के दौरान विद्युतीकृत किए गए गांवों को दिखाने वाला विवरण :

क्रम सं०	जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या	31-3-1981 को विद्युतीकृत गांव	1-4-1981 से 31-3-84 तक विद्युतीकृत किये गए अतिरिक्त गांव
1	2	3	4	5
1.	सहारनपुर	1,688	7,907	134
2.	मेरठ	1,501	1,990	1,009
3.	गाजियाबाद	1,537		
4.	बुलंदशहर			

1 2	3	4	5
5. मुजफ्फर नगर	927	788	61
6. अलीगढ़	1,717	807	511
7. मथुरा	884	397	222
8. आगरा	1,182	479	258
9. मैनपुरी	1,386	471	308
10. एटा	1,524	637	116
11. बरेली	1,922	739	251
12. बिजनौर	2,102	1013	263
13. बदायूं	1,814	769	169
14. मुरादाबाद	2,459	1476	215
15. रामपुर	1,092	641	—
16. शाहजहांपुर	2,088	769	76
17. पीलीभीत	1,156	398	94
18. फरुखाबाद	1,626	889	102
19. इटावा	1,477	516	114
20. कानपुर	1,898	582	87
21. फतेहपुर	1,352	781	15
22. इलाहाबाद	3,531	2,951	238
23. झांसी	780	164	148
24. ललितपुर	670	59	95
25. जालोन	957	348	88
26. हमीरपुर	930	244	67
27. बान्दा	1,207	343	156

1 2	3	4	5
28. वाराणसी	3,677	1438	526
29. मिर्जापुर	2,993	485	277
30. जौनपुर	3,226	1029	1475
31. गाजीपुर	2,510	875	1180
32. बलिया	1,912	500	806
33. गोरखपुर	4,094	1096	316
34. डियोरिया	3,559	1141	259
35. बस्ती	6,942	2099	216
36. आजमगढ़	4,943	1883	1621
37. लखनऊ	907	670	37
38. रायबरेली	1,749	1754	—
39. उन्नाव	1,699	332	221
40. सीतापुर	2,329	420	271
41. हरदोई	1,879	358	263
42. खेड़ी	1,670	663	101
43. फैजाबाद	2,654	1290	244
44. गोण्डा	2,814	748	256
45. बहराइच	1,884	545	227
46. सुल्तानपुर	2,491	1607	137
47. प्रतापगढ़	2,195	580	297
48. बाराबंकी	2,047	623	37
49. नैनीताल	1,771	973	452
50. अल्मोड़ा	3,576	992	356

1 2	3	4	5
51. पिथौरागढ़	1,542	274	254
52. देहरादून	767	328	154
53. उत्तरकाशी	672	232	111
54. चामोली	1,488	355	204
55. पौरी-गढ़वाल	3,236	611	307
56. टेहरी-गढ़वाल	1,958	313	262
जोड़	1,12,561	42,372	15,657

उड़ीसा में कोयला क्षेत्र

3950. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में सेंट्रल कोल्फील्ड्स लि०, रांची के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन कोयला क्षेत्रों के नाम क्या हैं; और

(ख) उड़ीसा में वैस्टर्न कोल्फील्ड्स लि० नागपुर के प्रशासनिक नियन्त्रणाधीन कोयला क्षेत्रों के नाम क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) इस समय उड़ीसा के कोयला क्षेत्र दो कोयला कंपनियों अर्थात् सेंटर कोल्फील्ड्स लि० और वैस्टर्न कोल्फील्ड्स लि० के अधीन हैं। उड़ीसा एरिया में तालचेर के कोयला क्षेत्र हैं और यह सेंट्रल कोल्फील्ड्स लि० के डाकरा प्रभाग के अधीन है और इब घाटी एरिया वैस्टर्न कोल्फील्ड्स लि० के बिलासपुर प्रभाग के अधीन है ।

राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र के गैस तथा तेल भण्डार

3951. **श्री कृष्णकुमार गोयल** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान के पश्चिम क्षेत्र में गैस तथा तेल भण्डारों का पता लगाने के लिए किए गए कार्यों से उत्साहजनक परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) राजस्थान में अन्वेषणात्मक कुओं और विकास कुओं तथा अन्य अन्वेषणात्मक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य में सातवीं योजना में अन्वेषण के लिए क्या योजना है तथा उन पर कितना निवेश किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान में विस्तृत सर्वेक्षण किया है और 18 अन्वेषण कुओं और 1 विकास कुएं की खुदाई भी की है । आल इण्डिया लिमिटेड का राजस्थान में अपने समनुदेशित क्षेत्र में चालू वर्ष के दौरान एक भूकम्पीय सर्वेक्षण कराने का प्रस्ताव है ।

(ग) राजस्थान में सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्वेषी कार्यक्रम के ब्यौरे सातवीं योजना को अन्तिम रूप दिये जाने के बाद ही उपलब्ध होंगे ।

उड़ीसा में विद्युत उत्पादन बढ़ाने के उपाय

3952. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा छठी योजना में उड़ीसा में अतिरिक्त विद्युत उत्पादन के लिए अनेक उपाय किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कौन-सी नई विद्युत परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ग) उक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में कुल कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया गया; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा के राज्य क्षेत्र में 560 मेगावाट (220 मेगावाट ताप विद्युत और 340 मेगावाट जल विद्युत) नई विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि किए जाने की परिकल्पना है । तलचेर ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट 5 और 6 (2×100 मेगावाट) चालू की जा चुकी है जबकि रेंगाली जल विद्युत परियोजना की यूनिट-1 (50 मेगावाट) को छठी योजना के दौरान उसी वर्ष में चालू किए जाने की आशा है । शेष जल विद्युत क्षमता को जिसमें रेंगाली जल विद्युत परियोजना यूनिट-2 (50 मेगावाट) और अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना की यूनिट-1, 2 और 3 (3×80 मेगावाट) शामिल है, सातवीं योजना अवधि के प्रारम्भ में चालू हो जाने की आशा है ।

राज्यों द्वारा लघु/माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं का सर्वेक्षण

3953. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों से कहा है कि लघु/माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं का सर्वेक्षण और उनकी जांच की जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनकी उत्पादन क्षमता कितनी है और राज्यों द्वारा राज्यवार अभी तक प्रत्येक परियोजना की लागत का कितना अनुमान लगाया गया है;

(ग) उनके मन्त्रालय को अब तक माइक्रो पन बिजली परियोजनाओं को राज्यवार कितनी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं और योजना आयोग ने कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है; और

(घ) इन माइक्रो परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उनके मंत्रालय और राज्यों ने अभी तक क्या उपाय किए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) देश में माइक्रो/लघु जल विद्युत शक्यता के विकास को अत्यधिक महत्व दिया गया है और इसे 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में शामिल किया गया है। माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों के विकास में तेजी लाने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :—

(1) समय-समय पर राज्य प्राधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे ऐसी स्कीमों का पता लगाएं और विकास कार्य शुरू करें।

(2) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों के विकास के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं और इन्हें राज्य प्राधिकारियों को परिपत्रित कर दिया गया है।

(3) भारतीय विद्युत (सप्लाई) अधिनियम, 1948 को संशोधित किया जा रहा है, ताकि राज्य प्राधिकारी 5 करोड़ रुपए तक की लागत की जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को उसके अनुमोदन हेतु भेजे बिना शुरू कर सकें।

इन संगठित प्रयासों के परिणामस्वरूप 3 मीटर से अधिक शीर्ष वाली तथा कुल लगभग 1420 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की लगभग 800 माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों का विभिन्न राज्यों द्वारा पता लगाया गया है जिनका ब्यौरा उपबन्ध-1 में दिया गया है। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8634/84**] इनमें से लगभग कुल 387 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की लगभग 150 स्कीमों का विस्तृत अन्वेषण किया जा रहा है। परियोजना तैयार की जा रही है।

इसके अतिरिक्त कुल 159 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की 80 माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमें प्रचालन में हैं और कुल 140.34 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता की 64 स्कीमें देश के विभिन्न भागों में क्रियान्वित की जा रही हैं। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा

स्वीकृत 36 माइक्रो/जल विद्युत स्कीमों के बारे में निवेश सम्बन्धी निर्णय लिया जाना है। इनके अलावा कुल 166.38 मेगावाट प्रतिष्ठापित क्षमता को 48 माइक्रो/लघु जल विद्युत स्कीमों की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जांच की जा रही है। इन स्कीमों का ब्यौरा क्रमशः उपाबन्ध दो, तीन और चार में दिया गया है। **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8634/84]**

सरकारी उपक्रमों में ठेका श्रम प्रणाली

3954. **श्री बृज मोहन महन्ती** : क्या श्रम और **पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कौन-कौन से सरकारी उपक्रमों में ठेका श्रम प्रणाली चल रही है;

(ख) इन उपक्रमों में मजदूरों की सीधी भर्त्ती करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए वचनबद्ध है और यदि हां, तो इस प्रकार प्रणाली किस वर्ष तक पूर्ण रूप से समाप्त की जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, जिन केन्द्रीय सार्वजनिक उपक्रमों में ठेका श्रम पद्धति विद्यमान है, उनके नामों की सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ख) यह मामला समय-समय पर संबंधित प्रशासकीय मंत्रालयों/विभागों के ध्यान में लाया गया है कि ठेका श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के उपबन्धों का कड़ाई से पालन करने के लिए वे अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन उपक्रमों को अनुदेश जारी करें।

(ग) केन्द्रीय सरकार तथा संबंधित राज्य सरकारों ने ठेका श्रम सलाहकार बोर्ड गठित किए हैं जो उनके सम्बन्धित क्षेत्रों में आ ने वाले कार्यों/प्रक्रियाओं/संक्रियाओं में ठेका श्रम पद्धति को, जहां कहीं, समाप्त करना संभव हो सके, उसके बारे में सिफारिश करेंगे। उसके बाद ही समुचित सरकार द्वारा ठेका श्रम के नियोजन को प्रतिषिद्ध करने के लिए आवश्यक अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं।

विवरण

क्रम संख्या	प्रतिष्ठान का नाम
1	2
1.	भारत रेफ्रेक्ट्रीज लि०, बोकारो,
2.	दि मंद्या नेशनल पेपर मिल्स लि०, बेलगुला (कर्नाटक),

1	2

3. भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०, बम्बई,

4. जेस्सोप एण्ड कं० लि०, कलकत्ता,

5. नार्थ ईस्टर्न कोल फील्ड लि०, मारघेरिता (असम)

6. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली ।

7. भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगलौर,

8. मद्रास फर्टिलाइजर्स लि०, मद्रास,

9. हिन्दुस्तान केबल्स लि०, कलकत्ता,

10. वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०, नागपुर,

11. इंडियन पेट्रोकेमिकल कारपोरेशन लि०, वादोदरा (गुजरात),

12. नार्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक्स पावर कारपोरेशन लि०, शिलांग,

13. हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापट्टनम,

14. ईस्टर्न कोल फील्ड लि०, संनक्टोरिया,

15. सेन्ट्रल इन्लैण्ड वाटर ट्रान्सपोर्ट कारपोरेशन लि०, कलकत्ता ।

16. मद्रास रेफाइनरीज लि०, मद्रास,

17. मिश्र धातु निगम लि०, कंचनबाग, हैदराबाद,

18. नेशनल बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली,

19. ब्रिज एण्ड रूफ कं० (इंडिया) लि०, नई दिल्ली ।

20. इंडियन फायरब्रिक्स एण्ड इन्सुलेशन कं० लि०, मरार, हजारीबाग (बिहार),

21. इन्स्ट्रमेन्टेशन लिमिटेड, कोटा,

22. आयल इंडिया लिमिटेड, दुलिआजान,

3. सेन्ट्रल काटेज इण्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली ।

24. यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, जादूगुडा, बिहार,

25. नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली ।

26. नेवेली लिग्नाईट कारपोरेशन लि०, नेवेली,

1	2

27. भारत अर्थ मूवर्स लि०, बंगलौर,

28. हिन्दुस्तान एण्टीबाईओटिक्स लि०, पिम्परी, पुणे,

29. मैंगनीज ओर (इंडिया) लि०, नागपुर,

30. नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई,

31. बालमेर लारी एण्ड कं० लिमिटेड,

32. हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कॉन्स्ट्रक्शन लि०, कलकत्ता

33. भारत गोल्ड माईन्स लि०, ओर्गाम (कर्नाटक)

34. भारत पम्प्स एण्ड कम्प्रैस्सर्स लि०, नैनी (उ० प्र०),

35. कोचीन शिपयार्ड लि०, कोचीन

36. रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली,

37. नेशनल फर्टिलाइजर्स लि०, नई दिल्ली ।

38. इंजीनियर्स इंडिया लि०, नई दिल्ली ।

39. भारत एल्युमिनियम कं० लि०, कोर्वा,

40. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि० नई दिल्ली ।

41. साईकिल कारपोरेशन आफ इंड़िया लि०, कलकत्ता,

42. गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनीयर्स, कलकत्ता,

43. इंडियन एयरलाईन्स, नई दिल्ली-1

44. फर्टिलाईजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०, कोचीन,

45. लुवींजोल इंडिया लिमिटेड, बम्बई,

46. पेट्रोफिल्स को-आपरेटिव लि०, बड़ोदा,

47. बोगेगॉव रेफाइनरी एण्ड पेट्रो कैमिकल लि०, गोलपारा (असम),

48. स्टील आथरिटी आफ इंडिया लि० नई दिल्ली ।

49. दि नेशनल न्यूजप्रिन्ट एण्ड पेपर मिल्स लि०, नेपानगर,

50. हिन्दुस्तान साल्ट्स लि०, जयपुर,

1	2

51. नेशनल टैक्सटाईल कारपोरेशन लि० (मध्य प्रदेश), इन्दौर,

52. बर्न स्टैण्डर्ड कं० लि०, कलकत्ता,

53. सेण्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीच्यूट लि० राँची,

54. माईनिंग एण्ड एलाईड मशीनरी कारपोरेशन लि०, दुर्गापुर,

55. फारेस्ट एण्ड प्लाण्टेशन डेवेलपमेन्ट कारपोरेशन, पोर्ट ब्लेयर,

56. नेशनल मिनरल डेवेलमेन्ट कारपोरेशन लि०, हैदराबाद,

57. इन्टरनेशनल एयर-पोर्ट अथारिटी आफ इंडिया, नई दिल्ली।

58. नेशनल हैड्रोइलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली।

59. सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, नई दिल्ली।

60. हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, राँची,

61. इंडियन मेडिसिन्स फारमेस्यूटिकल कारपोरेशन लि०, अल्मोड़ा (उ० प्र०)

62. भारत हैवी इलैक्ट्रीकस लि०, नई दिल्ली।

63. स्कूटर्स इंडिया लि०, लखनऊ (उ० प्र०),

64. हिन्दुस्तान टेलिप्रिण्टर्स लि०, मद्रास,

65. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फारमेसेयूटिकल लिमिटेड, कलकत्ता,

66. भारत ब्रेक्स एण्ड वल्व्स लि०, कलकत्ता,

67. हिन्दुस्तान ऐरीनोटिक्स लि०, बंगलौर,

68. सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०, रांची,

69. तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि०, माधवराव, बंगलौर,

70. विशाखापट्टनम स्टील प्राजेक्ट,

71. दि सॉदर्न पेस्टिसाईड्स कारपोरेशन लि०, हैदराबाद,

72. फूड कारपोरेशन आफ इंडिया, नई दिल्ली।

73. एयर इंडिया, बम्बई,

74. नेशनल टैक्सटाईल कारपोशन लि० बंगलौर,

1	2

75. सेमि कण्डक्टर कम्पलैक्स लि०, मोहाली, पंजाब,

76. सांभर साल्ट्स लि०, जयपुर,

77. होटल कारपोरेशन आफ इंडिया लि०, बम्बई एण्ड दिल्ली,

78. मजगॉव डॉक लिमिटेड, बम्बई,

79. आयल एण्ड नैचरल गैस कमीशन, देहरादून (उत्तर प्रदेश)

80. इण्डियन रेयर अर्थात् लिमिटेड, बम्बई,

81. गोआ शिपयार्ड लि०, वास्को-डा-गामा, गोआ।

82. हिन्दुस्तान जिन्स लिमिटेड, उदयपुर (राजस्थान)

83. भारत ओफ्थालमिक ग्लास लिमिटेड, दुर्गापुर।

मनन्थवाडी पन-बिजली परियोजना

3955. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में मनन्थवाडी पन-बिजली परियोजना की स्वीकृति अभी तक नहीं दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) और (ख) मनन्थवाड़ी बहुउद्देश्यीय परियोजना की विद्युत के भाग की परियोजना रिपोर्ट की जो मई, 1980 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई थी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच की गई थी और टिप्पणियां परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई थी। इन टिप्पणियों के उत्तरों की प्रतीक्षा है। परियोजना में समीपवर्ती घाटी में विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए पूर्व की ओर बहने वाली काबीनी (कावेरी बेसिन) की एक सहायक नदी मनन्थवाड़ी नदी के जल को पश्चिम की ओर व्ययवर्तित किया जाना है। इसीलिये स्कीम पर स्वीकृति हेतु विचार करने से पूर्व कावेरी के जल के बंटवारे के सम्बन्ध में अन्तर्राज्यीय मामलों को हल करना होगा। इसके अतिरिक्त, चूंकि यह एक बहुउद्देश्यीय परियोजना है। इसीलिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा परियोजना के विद्युत सम्बन्धी भाग पर विचार किये जाने से पूर्व योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्कीम को स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

राजस्थान के भरतपुर जिले में डाकघर खोलना

3956. **श्री लाला राम केन** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान के भरतपुर जिले में वर्ष 1980 में मुख्य डाकघरों, उप डाकघरों, टेलीग्राफ कार्यालयों आदि की श्रेणीवार संख्या क्या थी;

(ख) उपरोक्त क्षेत्र में मई, 1984 तक इस प्रकार के सभी डाकघरों की संख्या में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(ग) क्या लोगों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निकट भविष्य में इस प्रकार के सभी डाकघरों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या ब्यौरा है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) भरतपुर जिले में 1980 में डाकघरों की संख्या इस प्रकार थी :—

प्रधान डाकघर-3, उप डाकघर-47, अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर-38 और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर-205 तथा तारघर-48.

(ख) 31-5-84 तक डाकघरों की संख्या में की गई वृद्धि इस प्रकार थी :—

उप-डाकघर-4 और अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर-14.

(ग) जी हां। तीन अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर चालू योजना वर्ष में खोले जाने की सम्भावना है।

राजस्थान में बिजली की मांग और सप्लाई

3957. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा बिजली के लोड के सम्बन्ध में किये गये पूर्वानुमान के अनुसार वर्ष 1989-90 तक राजस्थान की अधिकतम मांग 2590 मेगावाट तक पहुंच जाएगी और कोटा ताप बिजली संयंत्र में 210-210 मेगावाट की दो अतिरिक्त यूनिटें तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना में 140 मेगावाट की माही परियोजना लगाने के बाद भी उसकी मांग और सप्लाई के बीच 1100 मेगावाट का अन्तर रहेगा; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को पूरा करने के लिए सरकार की अन्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) सातवीं योजना तैयार करने के लिए स्थापित किए गए विद्युत सम्बन्धी कार्यकारी दल ने 1989-90 तक राजस्थान की व्यस्ततमकालीन मांग 2590 मेगावाट आंकी है। सातवीं योजना के लिए विद्युत को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने राजस्थान में छः विद्युत स्कीमों को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्रदान कर दी है जिनसे सातवीं योजना में लाभ प्राप्त होने की आशा है। राज्य बिजली बोर्ड को मौजूदा बिजली केन्द्रों के अधिकतम विद्युत उत्पादन करने के उपाय करने हेतु भी कहा गया है।

गल्फ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खम्बात, गुजरात को बन्द करने का प्रस्ताव

3958. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गल्फ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेल और प्राकृतिक गैस परिषद, कंसारी खम्बात (गुजरात), जो परियोजना अधिकारियों के बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है पिछले दो दशक से चल रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के खम्बात स्थित परियोजना प्रबन्धकों का विचार उपर्युक्त विद्यालय को बन्द करने और विद्यार्थियों को केन्द्रीय विद्यालय में भेजने का है;

(ग) उपर्युक्त सबसे पुराने विद्यालय को बन्द करने का निर्णय लेने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उक्त विद्यालय के 28 कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे; और

(ङ) क्या सरकार इस निर्णय पर पुनरीक्षा करने और इस विद्यालय को बन्द करने के बजाए इसे बनाये रखने पर विचार कर रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ङ) गल्फ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वर्ष 1977 में आरम्भ हुआ। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने खम्बात में शैक्षिक वर्ष 1983-84 से पहली कक्षा से नवीं कक्षा तक एक केन्द्रीय विद्यालय खोला है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कर्मचारी पढ़ाई के लिये अपने बच्चों को अपनी इच्छा से किसी भी स्कूल में भेजने हेतु स्वतन्त्र हैं। गल्फ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गल्फ शिक्षा संस्था, जो सोसाइटी अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत एवं स्वतन्त्र निकाय है, द्वारा चलाया जा रहा है। ऐसा निर्णय लेना संस्था का काम है कि वह स्कूल को चलाए अथवा उसकी कुछ कक्षाओं को

बन्द कर दे। ऐसी कार्रवाई गुजरात माध्यमिक शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार होगी। इस मामले में केन्द्रीय सरकार के हस्तक्षेप का प्रश्न नहीं उठता है।

पश्चिम बंगाल के जिला मुख्यालयों और अन्य भागों को सीधी टेलीफोन सेवा सुविधाओं के द्वारा कलकत्ता से जोड़ना

3959. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिला मुख्यालयों और अन्य भागों को सीधी टेलीफोन सेवा द्वारा कलकत्ता से जोड़ने के बारे में सरकार की योजना आयोग और कार्यक्रम क्या हैं;

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिला मुख्यालयों एवं अन्य साधनों के साथ एस० टी० डी० के माध्यम से जोड़ने के लिए योजनाएं और कार्यक्रम बनाए गए हैं, इस उद्देश्य से निम्नलिखित कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है :—

(एक) राज्यों की राजधानियों को दिल्ली के साथ जोड़ना।

(दो) जिला मुख्यालयों को सम्बन्धित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों से जोड़ना।

(तीन) निम्न दूरी के अन्तर्गत स्थित स्थानों से सम्बन्धित महानगरों से जोड़ना :

(एक्स) दिल्ली से 300 कि० मी० की दूरी के भीतर रिक्त स्थान

(वाई) बम्बई, कलकत्ता और मद्रास से 200 कि० मी० की दूरी भीतर रिक्त स्थान

(चार) यातायात की दृष्टि से औचित्य पाए जाने पर अन्य स्थान/देश में स्विचन और संचारण उपस्कर सीमित मात्रा में उपलब्ध होने के कारण योजनाएं उत्तरोत्तर कार्यान्वित की जा रही हैं।

(ख) निम्नलिखित व्यवस्था द्वारा एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है :—

(एक) नए ट्रंक स्वचलन एक्सचेंजों का संस्थापन और वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता में वृद्धि करना।

(दो) जहां कहीं आवश्यकता हो, विश्वसनीय संचार माध्यम उपलब्ध कराना।

(तीन) जहां कहीं आवश्यक हो, उपयुक्त किस्म के स्वचल एक्सचेंजों का संस्थापन करना।

(चार) स्थानीय एक्सचेंजों में संयोजक उपस्कर की संस्थापना करना।

देश में कोयला स्टाकयार्डों की राज्यवार संख्या

3960. **श्री के० राममूर्ति :**
श्री एन० ई० होरो :

क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इण्डिया लि० के कोयला स्टाकयार्डों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अधिकतर स्टाकयार्डों में पर्याप्त भण्डार नहीं है जबकि मुहानों में कोयले की कमी नहीं है जैसाकि कलकत्ता में और उसके आसपास लघु औद्योगिक एककों ने आरोप लगाया है कि उन्हें परमिट जारी होने के चार महीने बाद अपनी आवश्यकता की लगभग 30 प्रतिशत सप्लाई ही प्राप्त होती है;

(ग) क्या स्टाकयार्डों से सप्लाई किए जाने वाला कोयला मुहानों से सप्लाई किए जाने वाला कोयले से महंगा है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इन कोयला स्टाक यार्डों की सहायता से बिचौलियों को हटाने का उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लिमिटेड के कोयला स्टाकयार्डों की राज्यवार अलग-अलग संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	स्टाकयार्डों की संख्या	नेशनल स्टाकयार्डों की संख्या	जोड़
1	2	3	4
पश्चिमी बंगाल	27	—	27
उत्तर प्रदेश	8	4	12
मध्य प्रदेश	2	10	12
गुजरात	1	2	3
पंजाब	2	1	3
हरियाणा	2	2	4
चण्डीगढ़	1	—	

1	2	3	4
उड़ीसा	1	1	2
बिहार	2	—	2
राजस्थान	1	1	2
महाराष्ट्र	—	2	2
तमिलनाडु	—	2	2
केरल	—	1	1
कर्नाटक	—	1	1
आंध्र प्रदेश	—	1	1
कुल	47	28	75

(ख) स्टाकयार्डों में कोयले के पर्याप्त स्टाक हैं। दिनांक 30-6-1984 की स्थिति के अनुसार, 12 जून, 1984 के दौरान 1.2 लाख टन की कुल बिक्री के बाद स्टाकयार्डों में कुल स्टाक 1.1 लाख टन थे।

(ग) विभिन्न उपभोक्ता केन्द्र में कोयला स्टाकयार्ड खोलने की योजना का उद्देश्य यह था कि उपभोक्ता विशेषतौर से छोटे उपभोक्ता विशेषज्ञों के छोटे उपभोक्ता बिना किसी कठिनाई के उचित कीमतों पर अपनी आवश्यकता का कोयला आसानी से ले सकें। कोयले की स्टाकयार्ड कीमतें खान-मुहाना कीमतों से अधिक है क्योंकि परिवहन लागत, रख-रखाव प्रभार आदि को खान-मुहाना कीमतों में जोड़ना पड़ता है।

दिल्ली में बिजली की कमी

3961. **श्री एम० अरुणाचलम :**

श्री के० ए० स्वामी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली को पिछले कुछ सप्ताहों में बिजली की भारी कमी का सामना करना पड़ा है और दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को अलग-अलग अवधि के लिए बिजली की कटौती का सहारा लेना पड़ा है जिससे जनता को असुविधा और औद्योगिक उत्पादन में हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो बिजली की इस कमी के कारण क्या हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) (क) से (ग) दिल्ली में विद्युत की कमी नहीं है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार जुलाई और अगस्त, 1984 में (15 अगस्त तक) चार बार लोड शैडिंग का सहारा लिया गया था, जिसका कारण प्रणाली संबंधी बाधाएं, निम्न वोल्टता और ग्रिड में निम्न आवर्तिता था। दिल्ली में विद्युत की उपलब्धता में और वृद्धि करने के लिए 6 × 30 मेगावाट की गैस टरबाइनें प्रतिष्ठापित करने और राजघाट बिजली घर की 2 × 67.5 मेगावाट की यूनिटों को प्रतिस्थापना यूनिटों के रूप में, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अनुमोदित कर दिया है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय विद्युत केन्द्र मुरादनगर में 21 × 210 मेगावाट की 4 यूनिटें प्रतिष्ठापित की जानी हैं।

उजानी ताप बिजली केन्द्र

3962. **श्री भाऊ साहिब थोरट :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र राज्य में शोलापुर जिले में उजानी ताप बिजली (2 × 500) परियोजना कोयले को निरन्तर सप्लाई व्यवस्था के न होने के कारण रुकी पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार का विचार इस परियोजना को कोयला खानों के साथ जोड़ने के लिए क्या प्रबन्ध करने का है;

(ग) उक्त परियोजना को शुरू करने के लिए कौन-सी तारीख निर्धारित की गई है; और

(घ) क्या उक्त परियोजना को सातवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) महाराष्ट्र बिजली बोर्ड ने उजानी में 2 × 500 मेगावाट क्षमता का (चरण-1) ताप विद्युत केन्द्र प्रतिष्ठापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था। सिंगरेनी कोयला क्षेत्रों से कोयला उपलब्ध न होने के कारण, जो कि परियोजना के लिए कोयले का उपयुक्त स्रोत था, स्कीम के लिए कोयला लिंकेज सुनिश्चित किया जाना संभव नहीं हो सका था। इस बात को मद्देनजर रखते हुए प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही नहीं की गई थी और तदनुसार महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड को सूचित कर दिया गया था।

लकड़ी के कोयले का अभाव

3963. **श्री दीन बन्धु वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में बनाई गई वन नीति में वनों की कटाई को हतोत्साहित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी का कोयला उपलब्ध नहीं हो रहा है; और

(ख) उक्त परियोजना में ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को पूरा करने के लिए कोल इंडिया लि० और केन्द्रीय सरकार का क्या विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) वन नीति में इस बात पर बल दिया गया है कि वनों से सतत लाभ के सिद्धांत के आधार पर तथा पर्यावरण का सन्तुलन बनाए रखने की बात को ध्यान में रखते हुए वनों के सम्बन्ध में कार्रवाई की जाए। कुछ क्षेत्रों में पेड़ों के काटने पर प्रतिबन्ध लगाने और साथ ही जनसंख्या बढ़ते जाने के कारण सम्भव है कि वहां ग्रामीण इलाकों में जलाने की लकड़ी प्रति व्यक्ति कम मिलने लगी हो।

(ख) ग्रामीण इलाकों को मिट्टी के तेल की सप्लाई के अलावा कोयला कम्पनियों को भी यह अनुदेश दिए गए हैं कि वे साफ्ट कोक का उत्पादन बढ़ाएं और विभिन्न राज्यों को उनकी मांग के अनुसार साफ्ट कोक की सप्लाई भी बढ़ाएं। तदनुसार, कोयला कम्पनियां इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रही हैं और ग्रामीण इलाकों तथा शहरी इलाकों दोनों के ही उपभोक्ता केन्द्रों को कोयले की सप्लाई बढ़ाई जा रही है।

नागालैंड में दीमापुर तथा मोकोकचुंग में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3964. **श्री चिगवांग कोनयक** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागालैण्ड में दीमापुर तथा मोकोकचुंग में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो उसका कार्य कब आरम्भ किया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) उत्तरपूर्वी क्षेत्र में दूरदर्शन सेवा के विस्तार की स्कीम में दीमापुर में अल्पशक्ति वाला ट्रांसमीटर भी शामिल है। उक्त स्कीम के मुख्य भाग के 1986 में मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

मोकोकचुंग में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

मैसर्स रेनवैक्सी द्वारा डायाजेपम काम्पोज की बिक्री

3965. **श्री चन्द्रभाल मणि तिवारी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स रेनवैक्सी डायाजेपम टैबलेटों को काम्पोज के ब्राण्ड नाम से और डायाजेपम के मूल नाम से बेच रहा है;

(ख) पैकिंग की लागत को छोड़कर दोनों उत्पादों के मूल्यों में कितना अन्तर है; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) प्रपुंज औषध डायजोपेम तथा उस पर आधारित सूत्रयोग औषध (मूल्य विनियम ऋण) आदेश, 1979 के अन्तर्गत मूल्य नियन्त्रित नहीं है।

चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन की सुविधाएं

3966. **प्रो० निर्मला कुमार शक्तावत** :
श्री लाला राम केन :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने और शहरों को दूरदर्शन तन्त्र के अन्तर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(ख) चित्तौड़गढ़ जिले को यह सुविधा कब उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि निकटवर्ती उदयपुर, भीलवाड़ा और कोटा जिलों में यह सुविधा उपलब्ध करा दिए जाने के बाद और चित्तौड़गढ़ जिले को इसके अन्तर्गत न लाए जाने के कारण, इस जिले के लोगों में भारी असन्तोष फैला हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस असन्तोष को दूर करने हेतु सरकार का विचार अपनी योजना में कुछ प्रावधान करने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 1984-85 के दौरान राजस्थान में अल्प शक्ति वाले जिन जैसलमेर और को स्थापित करने का प्रस्ताव है, उनमें से 8 पहले ही चालू हो चुके हैं। अजमेर, ट्रासमीटरों बाड़मेर में शेष तीन के अक्तूबर, 1984 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

(ख) से (घ) चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने की फिलहाल कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है। चित्तौड़गढ़ में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जाएगा।

मंगलौर में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

3967. **श्री टी० आर० शमन्ना** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार मंगलौर में एक तेल शोधक कानखाना शुरू करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : मंगलौर में छः मि० मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली एक रिफाइनरी की स्थापना के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रारम्भिक सम्भाव्यता रिपोर्ट पर सरकार द्वारा अंतिम रूप से विचार किया जा रहा है।

पेट्रोल निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में कटौती का निर्णय

3968. **श्री चित्त महाटा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पेट्रोल निर्यातक देशों द्वारा कच्चे तेल के मूल्य में दो वर्षों से दूसरी बार कटौती करने का निर्णय लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गोदिया में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना

3969. **श्री केशवराव पारधी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोदिया दूरदर्शन रिले केन्द्र के लिए ट्रांसमीटर उपलब्ध न कराए जाने अथवा गोदिया केन्द्र हेतु ट्रांसमीटर किसी अन्य स्थान को भेज दिए जाने के कारण इस केन्द्र की स्थापना का कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र के लोगों में असंतोष व्याप्त है तथा सत्याग्रह किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है; और

(ग) गोदिया दूरदर्शन रिले कब तक काम करना आरम्भ कर देगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) जी नहीं, । गोदिया में दूरदर्शन रिले केन्द्र के लिए उपर्युक्त भवन का चयन कर लिया गया है और टी० वी० आर० ओ० एन्टीना लगा दिया गया है। इस केन्द्र के लिए आर्डर दिए गए ट्रांसमीटर की सप्लाई शीघ्र हो जाने की सम्भावना है और यह अक्तूबर, 1984 तक चालू हो जाएगा ।

कोटा ट्रांसमीटर से बूंदी (राजस्थान) को दूरदर्शन सेवाओं का लाभ

3970. **श्री राम अवध** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाह में कोटा (राजस्थान) में "लो पावर टेलीविजन ट्रांसमीटर" स्थापित किया गया है जिसकी "कवरेज रेंज" 25 कि० मी० बतायी गयी है;

(ख) क्या यह भी सच है कि बूंदी, जो राजस्थान का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शहर है और कोटा से केवल 18 कि० मी० पर स्थित है, में टेलीविजन कार्यक्रम नहीं दिखाया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेगी कि बूंदी को भी दूरदर्शन सेवाओं का लाभ मिल सके, यद्यपि सरकारी आंकड़ों के अनुसार कोटा के ट्रांसमीटर से बूंदी में प्रसारण दिखायी देने चाहिएं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) कोटा से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, बूंदी शहर कोटा के अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के सेवा क्षेत्र के बाहर पड़ता है ।

(ग) देश में दूरदर्शन सेवा का विस्तार चरणबद्ध ढंग से किया जा रहा है । बूंदी में दूरदर्शन सेवा की व्यवस्था करने के बारे में विचार संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं में किया जायेगा ।

दिल्ली टेलीफोन विभाग में सामान्य भविष्य निधि खातों का निपटारा

3971. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली टेलीफोन में जो त्यागपत्र देते हैं या सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि खातों आदि का निपटारा करने में बहुत अधिक समय लगता है;

(ख) क्या इस संबंध में संसद सदस्यों से कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) 1 जुलाई से 31 दिसम्बर, 1983 तक की अवधि के बीच दिल्ली टेलीफोन विभाग से कितने कर्मचारियों ने त्यागपत्र दे दिया था, सेवानिवृत्त हुए ?

(घ) क्या इन कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि की देय राशि, वेतन आदि का अब तक भुगतान कर दिया गया है; और

(ङ) दावों के निपटान में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सेवा निवृत्ति के मामले, सामान्यता शीघ्र निपटाए जाते हैं। तथापि, इस्तीफे के मामलों में, कुछ अधिक औपचारिकताएं पूरी करनी होती हैं, जिनके निपटान में कभी-कभी विलंब हो जाता है।

(ख) माननीय संसद सदस्य से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई थी।

(ग) दिल्ली टेलीफोन में 1-7-83 से 31-12-1983 की अवधि के दौरान 129 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए और 34 कर्मचारियों ने इस्तीफे दिए।

(घ) (एक) उपरोक्त (ग) में दिए गए सभी मातलों में देय वेतन का निपटान कर दिया गया है।

(दो) इनमें से चार मामलों में सामान्य भविष्य निधि का अभी निपटान किया जाना है। ये सभी मामले इस्तीफे से संबंधित हैं।

(ङ) जिन चार कर्मचारियों ने सरकारी नौकरी से इस्तीफे दिए हैं, उनसे अभी निर्धारित आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं हुए हैं।

"अनओथोराइज्ड मोरेल्टी फार हम लोग" शीर्षक समाचार

3972. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री जगपाल सिंह :
श्री जगपाल सिंह कश्यप :
श्री राजेश कुमार सिंह :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यहा बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 14 और 15 जुलाई, 1984 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "अनओथोराइज्ड मोरेल्टी फॉर हम लोग" और "ह्यूज सोपस फार सोप-ओपेरा मेकर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली दूरदर्शन ने किन कारणों से अनधिकृत परिसरों का उपयोग किया जिससे दोषी व्यक्तियों का बचाव हुआ है और अन्य किसी से प्रस्ताव आमंत्रित किए बिना टाइम एंड स्पेस के साथ अनुबंध किया है; और

(ग) यदि इस सम्बन्ध में कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन, परिवार नियोजन के विशिष्ट संदर्भ में पारिवारिक और सामाजिक जीवन के सकारात्मक मूल्यों को पुष्ट करने के लिए कार्यक्रमों के उपयुक्त रूपों को विकसित करने का इच्छुक मैसर्स टाइम्स एण्ड स्पेश वीडियो कम्यूनिकेशन ने "हम लोग" नामक एक दूरदर्शन श्रृंखला बनाने का प्रस्ताव किया और उसने दूरदर्शन द्वारा निर्धारित प्रायोजिकता की मानक शर्तों हर इसे दूरदर्शन पर प्रायोजित करवाया। प्रायोजक दूरदर्शन को टेलीकास्ट शुल्क के रूप में 35,000 रुपए प्रति घटना देते हैं और निर्माण पर समूचा व्यय वहन करते हैं तथा दूरदर्शन को तैयार कार्यक्रम निःशुल्क देते हैं। दूरदर्शन कार्यक्रम के वास्तविक निर्माण से सम्बन्धित नहीं है और उसने इस श्रृंखला के बनाने पर कोई व्यय नहीं किया है। यह पूर्णतया प्रायोजक एजेंसी का काम है कि वह अपनी पसन्द के किसी भी निर्माण स्टूडियो को किराये पर ले और दूरदर्शन को इससे कोई वास्ता नहीं है। इसलिए, कोई शोधक कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

कोरबा में जल शोधन संयंत्र

3973. **श्री के० लकप्पा** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** कनाडा के मैसर्स ग्रोको सिस्टम लि० को कोरबा स्थित जलशोधन संयंत्र के ठेके के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7755 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा स्थित जल शोधन संयंत्र के निर्माण के लिए कनाडा के मैसर्स गोको सिस्टम लि० अथवा किसी अन्य फर्म को, जिसने 1983 में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को टेंडर भरकर दिए थे, ठेका देने के सम्बन्ध में अब तक कोई निर्णय ले लिया गय है;

(ख) फर्म के चयन में औचित्य सहित निर्णय का पूर्ण ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि कोई निर्णय नहीं लिया गया है तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र के 3 × 500 मेगावाट के विस्तार चरण के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का ठेका मैसर्ज ड्रिपलेक्स वाटर इंजीनियरिंग प्राइवेट, लि०, नई दिल्ली को दिया गया है जिनकी बोली सबसे कम थी और अर्हताप्राप्त बोली-दाता थे।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका मजदूरों का नियोजन और उनको नियमित करना

3974. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में ठेका मजदूरों के नियोजन और उनको नियमित करने के सम्बन्ध में 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2242 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जानकारी एकत्रित कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे सभापटल पर कब रखा जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने में असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) मामले को शीघ्रता से निपटाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र के 28 उपक्रमों से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

(ख) जैसे ही सार्वजनिक क्षेत्र के 28 उपक्रमों से सूचना प्राप्त हो जाती है, तो पूरी सूचना सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो और सम्बन्धित उपक्रमों को समय-समय पर अनुस्मारक भेजा जा रहा है कि वे सूचना भेजें।

ललितपुर में रसोई-गैस की एजेंसी का आबंटन

3975. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ संसद सदस्यों ने तेल चयन बोर्ड द्वारा ललितपुर (उत्तर प्रदेश) में रसोई-गैस की एजेन्सी के आबंटन के लिए की गई सिफारिशों के बारे में शिकायत की है;

(ख) क्या उन उम्मीदवारों द्वारा, जिनके नामों की सिफारिश तेल चयन बोर्ड ने की थी, विकलांगता की प्रतिशतता के बारे में झूठे प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने के सम्बन्ध में किसी जांच के आदेश दिए गए थे;

(ग) यदि उपर्युक्त भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों, तो जांच के क्या परिणाम रहे; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (घ) ललितपुर में एल० पी० जी० की एजेन्सी के चयन से सम्बन्धित एक पत्र माननीय संसद सदस्य से हाल ही में मिला है। कार्यपद्धति के अनुसार संसद सदस्यों से प्राप्त सभी शिकायतों की जांच की जाती है और सही आवश्यक कार्रवाई की जाती है। तेल चयन बोर्ड द्वारा ललितपुर की एजेन्सी के चयन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

मुहानों पर कोयले के भण्डार की स्थिति

3976. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जुलाई, 1984 को मुहानों पर कोयले के भण्डार की स्थिति क्या थी;

(ख) मुहानों पर कोयले के बढ़ते भण्डार को निपटाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) दिनांक 31-7-1984 की स्थिति के अनुसार देश में खान मुहानों पर 21.64 मिलियन टन कोयले का स्टाक था।

(ख) और (ग) इन स्टाकों को प्रेषण/वितरण आदि के जरिए समाप्त करने के लिए रेल मन्त्रालय में परामर्श करते हुए विस्तृत योजनाएं बनाई जा रही हैं। सभी प्रमुख उपभोक्ताओ को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वे अपने यहां एक महीने तक की जरूरत का स्टाक बना लें। खान-मुहानों से कोयला उन कोयला-डम्पों को भी भेजा जा रहा है जो कोल इंडिया लिमिटेड देश के विभिन्न भागों में छोटे उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए चला रहा है।

बोरोरा कोयला खान के क्षेत्र संख्या 1 में खान के भीतर काम करने वाले श्रमिकों की उपस्थिति

3977. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बोरोरा कोयला खान के श्रमिकों ने सेन्ट्रल केन्द्रडीह सेक्शन के क्षेत्र संख्या 1 में 7 मई, 1984 को खान के भीतर काम किया था और उत्पादन किया था परन्तु उस दिन खान के भीतर उनकी उपस्थिति नहीं दिखाई गयी है;

(ख) क्या श्रमिकों की शिकायत पर आर० एल० सी०, धनबाद द्वारा की गयी स्वतंत्र जांच से भी इसकी पुष्टि हो गई है;

(ग) क्या खान के भीतर काम करने वालों को खान के भीतर उपस्थित न दिखाना, खान अधिनियम के अन्तर्गत एक अपराध है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

इन्स्टीट्यूट आफ कोस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट्स आफ इण्डिया

3978. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्स्टीट्यूट आफ कोस्ट एण्ड वर्क्स अकाउन्टेंट आफ इंडिया कलकत्ता उन प्रत्यथियों का रजिस्टर रखता है जिन्होंने विभिन्न निर्माता कम्पनियों और कास्ट अकाउन्टेंट प्रेक्टिशनरों और औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो जैसे सम्बद्ध संगठनों में प्रशिक्षार्थी के रूप में भेजे जाने के लिए आई० सी० डब्ल्यू० ए० इन्टरफाइनल परीक्षा पास कर ली है;

(ख) यदि हां, तो आई० सी० डब्ल्यू० ए० इन्टरमीडिएट/फाइनल परीक्षा पास करने वाले और कास्ट अकाउंटेंट शिक्षण के रूप में संस्थानों को भेजे जाने के लिए चालू रजिस्टर में दर्ज ऐसे उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) कितने उम्मीदवार संस्थान की इस सुविधा का लाभ उठा सके हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) इस प्रकार के प्रत्यर्थियों के लिए, जिन्होंने इन्टर/फाइनल परीक्षा उत्तीर्ण की है, विभिन्न विनिर्माता कम्पनियों, लागत लेखापाल व्यवसायियों और सम्बन्धित संगठनों में प्रशिक्षार्थी के रूप में उनको नौकरी के लिए इंस्टीट्यूट से सहायता प्राप्ति के लिए इंस्टीट्यूट आफ कौस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट आफ इंडिया एक रजिस्टर रखता है ।

(ख) इंटरमीडिएट/फाइनल परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के पश्चात्, अब तक इस प्रकार के प्रत्याशियों की संख्या इंस्टीट्यूट में विद्यमान रजिस्टर में क्रमशः 316 और 380 है ।

(ग) 1976 से इस प्रकार के प्रत्याशियों की कुल संख्या जिन्होंने इंस्टीट्यूट की इस सुविधा का अब तक लाभ उठाया है, लगभग 1400 है ।

तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन, वित्त शाखा, जगदलपुर का ज्ञापन

3979. **श्री अजित बाग** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी एसोसिएशन, वित्त शाखा जगदलपुर (मध्य प्रदेश) का 21 अप्रैल, 1984 का एक ज्ञापन उनके मन्त्रालय को प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी प्रत्यक्ष रूप से आदिवासी विकास परियोजना में शामिल हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या वे राज्य सरकार द्वारा हाल ही में अपने कर्मचारियों को दिए गए कुछ विशेष भत्ते पाने के हकदार हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां ।

(ख) उनकी मुख्य मांगें दण्डाकारण्य परियोजना के कर्मचारियों को 1-1-1984 से 30 प्रतिशत की दर पर विशेष भत्ता और 25 प्रतिशत की दर पर मकान किराया भत्ता दिए जाने के सम्बन्ध में हैं ।

(ग) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और स्थानीय आदिवासी जनसंख्या के हितों को दृष्टि में रखते हुए क्षेत्र के समेकित विकास के लिए दण्डकारण्य परियोजना की स्थापना 1958 में की गयी थी । इस प्रकार परियोजना के कर्मचारी मुख्यतया भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास का कार्य रहे हैं, फिर भी क्षेत्र के समेकित विकास के कारण सुविधाओं में बढ़ोतरी होने से अप्रत्यक्ष रूप में क्षेत्रीय आदिवासियों को भी लाभ प्राप्त हो रहे हैं ।

(घ) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवा शर्तें सम्बन्धित सरकारों द्वारा बनाए गए नियमों से अधिशासित होती हैं और केन्द्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले वेतनमानों तथा महंगाई भत्ता और प्रतिकर भत्ता जैसे भत्तों में कोई समानता नहीं है । सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों को समुन्नत करने के लिए उपयुक्त योग्यता, गुण और दक्षता वाले व्यक्तियों को आकर्षिक करने के लिए आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे कर्मचारियों को 1-1-1984 से 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच महंगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं मंजूर की हैं । दण्डकारण्य परियोजना के अधिकांश कर्मचारियों को आधारभूत सुविधाओं के अभाव में पहले ही 1958 से परियोजना भत्ता दिया जा रहा है । इस समय दण्डकारण्य परियोजना में 30 सितम्बर, 1984 तक के लिए परि-

योजना भत्ता मंजूर किया गया है । इसलिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को मंजूर किया गया विशेष भत्ता आदि दण्डकारण्य परियोजना में तैनात केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को दिए जाने का प्रश्न नहीं उठता है ।

इण्डियन ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स लि० के निदेशक मण्डल के चुनाव में लाठी चार्ज

3980. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जुलाई, 1984 के "जनयुग" में "आई० डी० पी० एल० निदेशक मण्डल के चुनाव में लाठी चार्ज" शीर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) सरकार ने 20 जुलाई, 1984 के जनयुग में "आई० डी० पी० एल० निदेशक मण्डल के चुनाव में लाठी चार्ज" शीर्षक के अन्तर्गत छपा हुआ समाचार देखा है ।

(ख) और (ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) ने सूचित किया है कि उक्त समाचार सही नहीं है ।

देश में अभ्रक खान श्रमिकों की मंजूरी

3981. **श्री ए० के० राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक खानों में कार्यरत श्रमिकों की मजूरी का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या श्रमिकों की मजूरी में एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक खान से दूसरी खानों में अन्तर है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि अभ्रक श्रमिकों के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव बिहार में काफी समय से लम्बित है; और

(घ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन अभ्रक खानों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के सम्बन्ध में केन्द्रीय

सरकार "सम्बन्धित सरकार" है। अभ्रक खानों में कार्य कर रहे श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

कार्य का वर्गीकरण	प्रतिदिन मजदूरी की न्यूनतम दर (रुपयों में)	
	भूमि के ऊपर काम करने के लिए	भूमि के नीचे का काम करने के लिए
अकुशल	9.75	11.75
अर्ध कुशल/अकुशल पर्यवेक्षी	12.25	14.75
कुशल	15.00	18.00
लिपिकीय	15.00	—

(ख) उपरोक्त दरों में एक राज्य से दूसरे राज्य तथा एक खान से दूसरी खान में कोई अन्तर नहीं है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बिहार सरकार द्वारा गठित अभ्रक मजदूरी बोर्ड से अपनी रिपोर्ट पहले ही राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी है। इस रिपोर्ट पर और आगे कार्रवाई राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

शक्ति नगर टेलीफोन एक्सचेंज से नए टेलीफोन कनेक्शन

3982. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के शक्तिनगर टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(ख) शक्तिनगर टेलीफोन एक्सचेंज से 31 जुलाई, 1984 को कुल कितने टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे थे;

(ग) शक्तिनगर टेलीफोन एक्सचेंज में 31 जुलाई, 1984 को प्रत्येक श्रेणी में किस तारीख तक के लोगों को कनेक्शन मिल गए हैं;

(घ) इस एक्सचेंज की भविष्य की विस्तार योजना क्या है; और

(ङ) इस टेलीफोन एक्सचेंज से 31 मार्च, 1985 तक प्रत्येक श्रेणी में कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की सम्भावना है और किस तारीख तक के लोगों को कनेक्शन मिल जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) शक्तिनगर टेलीफोन एक्सचेंज की वर्तमान सज्जित क्षमता 23:00 लाइनों की है।

(ख) 31-7-1984 को कुल चालू टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 21973 है।

(ग) विभिन्न प्राथमिकता श्रेणियों में जिस तारीख तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए हैं उनकी 31-7-84 तक की स्थिति इस प्रकार है :—

ओ० वाई० टी० एस०	31-1-84
ओ० वाई० टी० जी०	31-1-84
गैर ओ० वाई० टी० विशेष	31-1-84
गैर ओ० वाई० टी० एस० एस०	31-1-84
गैर ओ० वाई० जी० जनरल	12-3-80

(घ) अगले तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन प्रणाली में 19,000 लाइनों की वृद्धि की जाएगी।

(ङ) 31-3-1985 तक शक्तिनगर एक्सचेंज में नए कनेक्शन नहीं दिए जा सकते क्योंकि यह एक्सचेंज पूरी क्षमता से काम कर रही है। विभिन्न श्रेणियों में प्रतीक्षा सूची की निपटान की तारीखें उपरोक्त (ग) के अनुसार ही रहेंगी।

"फोर-इन-वन" टेलीफोनों के निर्माता

3983. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज का विचार इटली की केस स्टैंडर्ड कम्पनी के सहयोग से "फोर-इन-वन' टेलीफोन बनाने का है जिसमें पुश बटन की सुविधा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त "फोर-इन-वन" टेलीफोन यन्त्र के कब तक उपलब्ध होने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) सवाल ही पैदा नहीं होता।

भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा अल्यूमीनियम मिश्रित धातु के एल० पी० जी० सिलेंडरों का निर्माण

3984. **श्री नवल किशोर शर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड का अल्यूमीनियम

मिश्रित धातु के एल० पी० जी० सिलेंडरों के निर्माण के लिए हंगरी से सहयोग प्राप्त करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा एल० पी० जी० सिलेंडरों का निर्माण कब आरम्भ किए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड इस समय इस्पात के एल० पी० जी० सिलेंडरों के स्थान पर अल्यूमीनियम के एल० पी० जी० सिलेंडरों को लगाने की संभावितओं का पता लगा रहा है। भारतीय परिस्थितियों में, अल्यूमीनियम एल० पी० जी० सिलेंडरों की उपयुक्तता का पता लगाने के लिए, बाजर परीक्षण कराने का प्रस्ताव दिया गया है। एल० पी० जी० सिलेंडरों के लिए आवश्यक, उचित मिश्र धातु के अल्यूमीनियम के गोलों के उत्पादन के लिए, हंगरी, जहां अल्यूमीनियम सिलेंडरों को व्यापक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है, से उपयुक्त प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने हेतु भारत अल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड विचार कर रही है।

19 जुलाई, 1984 को दिल्ली में अचानक बिजली फेल होने संबंधी जांच समिति की रिपोर्ट

3985. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 19 जुलाई, 1984 को उत्तरी ग्रिड में दिल्ली और संलग्न राज्य में बड़े व्यापक क्षेत्र में बिजली बन्द हो जाने के कारणों की जांच करने के लिए उसके मन्त्रालय द्वारा नियुक्त 4 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसे बड़े पैमाने पर घनघोर अंधकार (ब्लैक आउट) को रोकने के लिए कौन से उपचारी उपाय किए गए हैं।

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

धनबाद में माफिया गतिविधि

3986. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धनबाद में लम्बे समय से माफिया गिरोह की गतिनिधि चल रही

है जिसके परिणामस्वरूप उठाईगिरी, कम तोलना आदि होता है तथा सरकार और व्यापारियों तथा उपभोक्ताओं को हानि होती है; और

(ख) इस संस्थागत गिरोह तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोयला क्षेत्रों में समाज-विरोधी तत्वों की हरकतों को आमतौर पर दादा गिरोहों या माफिया की हरकतें कहा जाता है और इनके कारण कोयला कंपनी अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि० के काम में किसी हद तक बाधा पहुंचती रही है। इनकी हरकतों को रोकने के लिए चौकीदारी और सतर्कता प्रबंध को मजबूत करने और जो कर्मचारी समाज-विरोधी तत्वों से मिले हों या उनसे सांठगांठ करते हों उनके खिलाफ कार्रवाई करने के अलावा प्रबंध मंडल ने राज्यों के स्थानीय प्रशासन से यह अनुरोध किया है कि पुलिस व्यवस्था मजबूत की जाए और अपराधियों को सजा देने की आधारभूत व्यवस्था बेहतर की जाए।

दूरदर्शन पर विज्ञापन

3987. **श्री एन० के० शेजवलकर :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन विज्ञापनों में कृत्रिम रूप से सुगंधित (आर्टिफीसिएली फ्लेवरेड) और फलों के रस सहित (डज नोट कन्टेन फ्रूट जूस) आशय की सांविधिक सूचना न देने के क्या कारण हैं; क्योंकि दूरदर्शन एक श्रव्य-दृश्य माध्यम है और इसे दूरदर्शन विज्ञापन के ध्वनि संयोजन का भी एक भाग होना चाहिए;

(ख) दूरदर्शन विज्ञापन फिल्मों में उपरोक्त सूचना बहुत छोटे अक्षरों में दिखाए जाने के क्या कारण हैं क्योंकि यह दर्शकों के पढ़ने में नहीं आती और इसका प्रसारण भी एक सैकिण्ड से भी कम अवधि के लिए होता है;

(ग) शीतल पेयों का प्रचार करने वाले सिनेमा विज्ञापन फिल्मों उपरोक्त सांविधिक सूचना जो स्पष्टतः श्रव्य और दृश्य रूप में दिखाना आरम्भ न करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार दूरदर्शन के विज्ञापनों और सिनेमा विज्ञापनों की फिल्मों में उपरोक्त सांविधिक सूचना को दिखाने के लिए अक्षरों के न्यूनतम आकार निर्धारित करने का है; और

(ङ) समाचार पत्रों, पत्रिकाओं में उपरोक्त सांविधिक सूचना प्रभावी करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दूरदर्शन मुख्यतया एक दार्ष्टिक माध्यम है और इसलिए यह सूचना मुख्यतया दार्ष्टिक रूप से देता है। इसे प्रश्न में उल्लिखित सूचनाओं जैसी सांविधिक सूचनाओं के प्रदर्शन के लिए प्रभावी और पर्याप्त समझा जाता है।

(ख) और (ग) दूरदर्शन विज्ञापनों में में दार्ष्टिक सूचनाओं को काफी बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। सांविधिक सूचनाओं से सम्बन्धित दृश्यों के प्रदर्शन के समय का निर्धारण इस प्रकार की सूचनाएं पढ़ने के लिए दर्शकों द्वारा अपेक्षित समय के आधार पर किया जाता है और इस प्रयोजन के लिए दूरदर्शन और सिनेमा पर पर्याप्त समय दिया जाता है।

(घ) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को सलाह दी गई है कि वह पहले ही प्रमाणीकृत विज्ञापन फिल्मों के आवेदकों से सम्पर्क करे और उन प्रमाण-पत्रों में, जिनमें खाद्य उत्पादन आदेश, 1955 के अन्तर्गत सांविधिक चेतावनी शामिल नहीं है, आवश्यक पृष्ठांकन करवाएं।

(ङ) समाचारपत्रों और पत्रिकाओं, उनमें विज्ञापनों सहित, का मुद्रण निजी क्षेत्र में आता है। तथापि, खाद्य उत्पादन आदेश, 1955 से सम्बन्धित कानून के अन्तर्गत दोषी विज्ञापनदाताओं/संगठनों के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।

तार उप-मण्डलीय कार्यालय का केशवदासपुरम से नेटयाल्टिन कोरा स्थानांतरण

3988. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपमण्डलीय अधिकारी, तार त्रिवेन्द्रम, मण्डलीय, इंजीनियर, तार त्रिवेन्द्रम, और निदेशक, दूरसंचार (ए०) त्रिवेन्द्रम ने सिफारिश की है कि इस समय केशवदासपुरम् में स्थित उपमण्डलीय कार्यालय को नेटयाल्टिन कोरा स्थानान्तरित किया जाए; और

(ख) यदि हां, तो उनकी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) त्रिवेन्द्रम तार उप-मण्डल के मुख्यालय को त्रिवेन्द्रम से नेप्यलतिनकोरा में स्थानांतरित करने के आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

करनाल स्थित महिला आश्रम की सदस्याओं की मांगें

3990. **श्री अजित बाग :**

श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करनाल (हरियाणा) स्थित महिला आश्रम की सदस्याओं ने, जो कि अधिकतर शरणार्थी विधवाएं हैं, 8 अगस्त, 1984 को प्रधान मंत्री के निवास स्थान पर धरना देने का नोटिस दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं;

(ग) क्या उन्होंने 17 जुलाई, 1984 को प्रधान मन्त्री को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था; और

(घ) क्या उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करके उनके मांगपत्र में उल्लिखित 8 मांगों के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है । उसमें बताई गई स्थिति को ध्यान में रखते हुए चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

विवरण

महिला आश्रम, करनाल के निवासियों ने विभिन्न मांगें प्रस्तुत की थीं । स्थिति का सारांश निम्न है :—

1. पुनर्वास स्थल :

प्रवासी परिवारों ने यह अनुरोध किया है कि या तो उन्हें आश्रम के पास शौचालय ब्लाक के पास स्थित स्थल पर बसाया जाए अथवा यदि उन्हें कहीं और बसाया जाना हो, तो आवास-व-दुकान स्थल के लिए प्रति परिवार 150 वर्ग गज भूमि आबंटित की जाए ।

वह स्थल, जहां महिमा आश्रम भवन है, समाज कल्याण काम्पलेक्स के विस्तार के लिए निश्चित किया गया है और इन परिवारों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है । हरियाणा सरकार ने इन परिवारों के पुनर्वास के लिए करनाल में 2 बीघे 19 बिस्वा भूमि का एक खण्ड चुना है ।

2. पुनर्वास सहायता :

परिवारों ने प्रति परिवार 15,000 रुपए की इमदाद देने का अनुरोध किया है। पात्र परिवारों को लघु व्यवसाय/व्यापार हेतु प्रति परिवार 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इन परिवारों के लिए आवास का निर्माण अतिरिक्त संस्थागत वित्त से राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। इसमें भारत सरकार का योगदान मकान के निर्माण के लिए प्रति मकान 8,000 रुपये और दुकान के लिए 1,000 रुपये होगा।

3.12 विस्थापित व्यक्ति परिवारों को भरण-पोषण सहायता :

इस स्थायी दायित्व गृह का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है और इस मामले के संबंध में उसके द्वारा बनाए गए नियमों के अन्तर्गत राज्य सककार द्वारा विचार किया जाना है।

4. राज्य सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए लागू सहायता की योजना के आधार पर इन विस्थापित व्यक्ति परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना :

जैसाकि ऊपर बताया गया है, ये विस्थापित व्यक्ति परिवार उक्त मद (2) में उल्लिखित व्यापार तथा मकान और दुकान के लिए ऋण पाने के पात्र हैं।

5. भरण-पोषण अनुदान :

अनुमोदित पद्धति के अंतर्गत व्यापार में बसाए गए परिवारों को तीन महीने की अवधि के लिए भरण-पोषण सहायता दी जाती है।

6. प्रति-परिवार प्रति-व्यक्ति नकद बेकारी अनुदान की राशि को 100 रुपये तक बढ़ाया जाना :

राज्य सरकार के साथ इस मामले को उठाया गया था और उन्होंने 1-7-83 से नकद बेकारी अनुदान की राशि 50 रुपये से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति व्यक्ति कर दी है।

7. निवासियों के कब्जे में मकानों की मरम्मत :

ये मकान 1950 में निर्मित किए गए थे और इनकी निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है और जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। राज्य सरकार ने इन मकानों की थोड़ी मरम्मत की है और दो नल भी लगाए हैं।

8. आश्रम के अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत :

आश्रम राज्य सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता है, अतः इस मद का संबंध राज्य सरकार से है।

उत्तर प्रदेश में मथुरा में उर्वरक संयंत्र की स्थापना

3992. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डी० सी० एम० ग्रुप द्वारा धन की कमी के कारण उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर में बम्बई हाई-गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना के कार्य से अलग हट जाने की वजह से सरकार अब यह प्रस्तावित परियोजना उत्तर प्रदेश की मथुरा जिले में किसी स्थान पर स्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करेगी जो कि औद्योगिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा क्षेत्र है, और परिवहन लागत कम करेगी तथा मथुरा तेल शोधन कारखाने की गैस का या तो सरकारी क्षेत्र में या संयुक्त क्षेत्र में या इसे आई० सी० आई० ग्रुप, जो कि पहले ही इस लाइन में है, जैसी किसी अन्य कम्पनी का आबंटित करके, उपयोग करने में मदद करेगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : मै० श्रीराम फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स उन पक्षकारों में से एक है जिन्हें एक गैस पर आधारित उर्वरक परियोजना कार्यान्वयन हेतु आबंटित किया गया था । उन्होंने शाहजहांपुर की परियोजना को कार्यान्वित करने में रुचि दिखाई है । वास्तव में कार्यान्वयन हेतु कार्यवाही योजना भी प्रस्तुत की है । तथापि, कंपनी द्वारा योजना के कार्यान्वयन सम्बन्धी परस्पर विरोधी रिपोर्टों को ध्यान में रखते हुए परियोजना के कार्यान्वयन हेतु उठाए गए विभिन्न उपायों की पुनः प्रविष्टि करने के लिए मै० श्रीराम के साथ यह मामला उठाया गया है ।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में स्वीकृत की गई रासायनिक परियोजनायें

3993. **श्री दिगम्बर सिंह :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में स्वीकृत और सातवीं पंचवर्षीय योजना में कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न योजना में कार्यान्वित की जाने वाली विभिन्न रसायनों (औषधियों, फार्मास्यूटिकल्स और उर्वरकों को छोड़कर) सम्बन्धी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, वे कहां स्थापित की जाएंगी, उनकी क्षमता कितनी होगी और उनमें किस-किस मद का उत्पादन होगा और उनके कब से चालू हो जाने की संभावना है;

(ख) चालू योजना अवधि और आगामी योजना अवधि में क्रियान्वित किए जाने के लिए स्वीकृत उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका परिव्यय 20 करोड़ रुपये और इससे अधिक होगा तथा उनको कब तक चालू कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) इनमें से पहले ही स्वीकृत की जा चुकी परियोजना किन विभिन्न अवस्थाओं में हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) रसायनों के निर्माण के लिए कोई नई परियोजना अभी तक स्वीकृत नहीं की गई है जिसका कार्यान्वयन केन्द्रीय श्रेत्र में सातवीं वर्षीय योजना के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा किया जाएगा । तथापि, छठी पंचवर्षीय

योजना अवधि के दौरान स्वीकृत निम्नलिखित दो परियोजनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में कार्यान्वयनाधीन हैं और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ हो जाएंगी :—

निर्माण की मद	क्षमता (टन/वर्ष)	स्थान	प्रारम्भ होने की संभावित तिथि
1. पिछनोल/एसिटोन	40,000/24,640	कोचीन	1985
2. पोलीटेट्राफल्योइथा इलिन (पी० टी० एफ० ई०)	500	मेढक	1985

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार उक्त उत्पादों के लिए केवल एक आशयपत्र मै० श्रीराम फाइबर को पी० टी० एफ० ई० के लिए प्रदान किया गया है जिसमें 20 करोड़ रुपये का निवेश निहित है। तथापि कंपनी को अभी विदेशी सहयोग अनुमति प्राप्त करनी है।

सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में मंजूर की गई पैट्रो-रसायन परियोजनाएं

3994. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र में मंजूर की गई उन नई पैट्रो-रसायन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका क्रियान्वयन सातवीं योजना में किया जाएगा—वे कहां स्थापित की जाएंगी, उनकी क्षमता कितनी होगी तथा उनमें किन उत्पादों का निर्माण किया जाएगा और ये कब तक कार्य शुरू कर देंगी;

(ख) गैर-सरकारी क्षेत्र में इस समय और सातवीं परियोजना में चालू करने के लिए मंजूर की गई उन पैट्रो-रसायन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिनका पूंजी निवेश 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक होगा और ये कब तक कार्य करना शुरू कर देंगी; और

(ग) मंजूर की जा चुकी उक्त परियोजनाएं इस समय किन स्तरों पर चल रही हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली अनुमोदित नई परियोजनाओं के ब्यौरे, जिन्हें सातवीं योजना अवधि के दौरान पूरा किये जाने की आशा है, नीचे दिये हैं :

परियोजना	स्थान	पूरा होने की अनुमानित तिथि
1	2	3
फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रेवनकोर लिमिटेड	केरल	1987 के अंत तक
50,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता की केपरोलेक्टस परियोजना		

1	2	3
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड 98,300 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता की बेंजीन परियोजना	महाराष्ट्र	अप्रैल, 1985
कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड : 87,200 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता की बेंजीन परियोजना	केरल	जुलाई, 1987
बोंगाइगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रो-कैमिकल्स लिमिटेड : 30,000 मी० टन प्रतिवर्ष क्षमता की पोलियेस्टर स्टैपल फाइबर परियोजना	असम	अप्रैल, 1986
महाराष्ट्र बेस क्रेकर काम्प्लेक्स : 3,00,000 मी० टन प्रतिवर्ष इथीलीन क्षमता	महाराष्ट्र	अगस्त, 1989

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

वर्ष 1984-85 के दौरान तटवर्ती तथा तट के दूर बेसिनों के छिद्रण का प्रस्ताव

3995. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 के दौरान कौन-कौन से तटवर्ती तथा तट से दूर बेसिनों का छिद्रण करने का प्रस्ताव है;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां पर ये तटवर्ती तथा तट से दूर बेसिन स्थित हैं;

(ग) क्या किसी विदेशी द्वारा छिद्रण (ड्रिलिंग) में सहायता करने की पेशकश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उसकी शर्तें क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) 1984-85 के दौरान खुदाई किए जाने वाले प्रस्तावित तटीय और अपतटीय घाटियों के विवरण निम्न प्रकार हैं :—

घाटी का नाम	राज्य का नाम
तटवर्ती	
काम्बे बेसिन	गुजरात
कच्छ-सौराष्ट्र	गुजरात
राजस्थान	राजस्थान
हिमाचल की तलहटियां और गंगा घाटी	बिहार, जे० एण्ड के० और हिमाचल प्रदेश
असम शेल्फ	असम और अरुणाचल प्रदेश
असम-अराकन फोल्ड बेल्ड	असम, नागालैंड और त्रिपुरा
कृष्णा गोदावरी	आन्ध्र प्रदेश
कावेरी	तमिलनाडु
अपतट	
बम्बई-कच्च व सौराष्ट्र और केरल कोनकन	पश्चिमी तट
कृष्णा-गोदावरी-कावेरी और अन्डमान व महानदी	पूर्वी तट

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

गुजरात में बन्द मिलों के श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा की सुविधाएं दिया जाना

3996. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में बन्द मिलों के श्रमिकों से प्राप्त इस आशय के अभ्यावेदनों को केन्द्रीय सरकार को भेजा है कि उन्हें कर्मचारी राज्य बीमा के लाभ केवल एक "लाभ अवधि" तक ही अर्थात, मिल के बन्द होने के छ. महीने तक ही उपलब्ध हैं;

(ख) क्या उन्होंने अनुरोध किया है कि उक्त अवधि को उन श्रमिकों के मामले में, जिन्होंने सेवा निवृत्त होने की आयु पार नहीं की है, उन्हें कोई अन्य रोजगार मिलने तक और सेवा निवृत्त हुए श्रमिकों के मामले में उक्त अवधि को आजीवन काल तक बढ़ाया जाये;

(ग) क्या उन्होंने कुछ अन्य अभ्यावेदन भी प्रेषित किए हैं; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए हैं और राज्य सरकार को इस सम्बन्ध में क्या अनुदेश जारी किए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) राज्य सरकार ने इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त होने के बारे में बताया है।

(ख) जी, हां। इस विषय में राज्य सरकार से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

(ग) जी, हां। राज्य सरकार ने त्रिपक्षीय-निकायों तथा एक संगठन गठित करने के प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार से सलाह मांगी है। उक्त त्रिपक्षीय निकाय नियोजकों से उपदान तथा काम-बन्दी मुआवजे की राशि के बराबर निधियों को प्रति वर्ष वसूल करने का काम देखेगा तथा उक्त संगठन कामबंदी के तुरन्त बाद निधियों का वितरण करेगा।

(घ) इस बारे में स्थिति निम्न प्रकार से है :—

(i) कर्मचारी राज्य बीमा फायदों का विस्तार करना :

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अधीन फायदे पाने के लिए पात्रता का सीधा संबंध अंशदानों की अदायगी से है और ये फायदे विशेष अवधि तक ग्राह्य होते हैं जैसे कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में परिकल्पना की गई है। इसलिए बन्द पड़ी मिलों के श्रमिकों या उन सेवा-निवृत्त श्रमिकों को, जिनके संबंध में कोई अंशदान देय नहीं हैं, फायदे देने के उपबंध स्पष्टत: अधिनियम की उक्त योजना से बाहर होंगे।

(ii) उपदान और कामबंदी मुआवजे की अदायगी :

बमद पड़ी मिलों के श्रमिकों को उपदान और कामबंदी मुआवजे की समय से अदायगी सुनिश्चित करने के लिए एक निधि गठित करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

इंजीनियर्स इण्डिया लि० (ई० आई० एल०) के विदेश भेजे गए अधिकारी

3997. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) इंजीनियर्स इण्डिया लि० के कितने इंजीनियरों को अब तक विदेशों में दीर्घकाल/अल्प काल के लिए भेजा गया है और प्रत्येक इंजीनियर को कितनी अवधि के लिए भेजा गया है;

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने इंजीनियर हैं;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) के आंकड़े सरकारी आदेशों के अनुसार नहीं हैं तो उपरोक्त आंकडों में सुधार लाने हेतु ई० आई० एल० के प्रबंधकों ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) प्रोक्योरमेंट सर्विस डिवीजन से विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए अब तक कितने इंजीनियर विदेशों में भेजे गये हैं;

(ङ) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने इंजीनियर विदेश भेजे गये हैं;

(च) यदि उपरोक्त (ङ) के आंकडे संतोषजनक नहीं हैं तो क्या ई० आई० एल० प्रबंधक वर्तमान सरकारी निदेशों/मानदण्डों के अनुसार विदेशों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के इंजीनियरों को भेजने के लिए कोई नीति तैयार की है; और

(छ) क्या प्रोक्योरमेण्ट सर्विसिज डिवीजन ने विदेशों में किसी काम पर प्रशिक्षण आदि के लिए भेजने हेतु कोई नीति तैयार की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) एक विवरण संलग्न है। [**ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8635/84**]

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के दो इंजीनियरों में से एक को दीर्घावधि और दूसरे को अल्पावधि के लिए विदेश भेजा गया था।

(ग) उत्तर नीचे दिये गये भाग (छ) के अनुसार है।

(घ) सात।

(ङ) शून्य।

(च, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के कार्मिक केवल उन्हीं प्रशिक्षणों में विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए भेजे जाते हैं, जो भारत में उपलब्ध नहीं हैं। कम्पनी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के प्रशिक्षण का पूरा ध्यान रखती है और इस संबंध में सरकारी निर्देशों का पालन किया जाता है।

(छ) 3 महीनों से अधिक अवधि के विदेशी समनुदेशनों के लिए जाने वाले अधिकारियों का पता एक जन-समिति, जिसमें कम्पनी के वरिष्ठ प्रबंधक होते हैं, द्वारा लगाया जाता है। जन-समिति की सिफारिशों को तब अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। चयन की कसौटी निम्न रूप में है :—

(1) जॉब-मांग के संबंध में उसकी उपयुक्तता।

(2) उपलब्धता।

(3) वर्षों की संख्या के बारे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों के मामलों पर अन्य अधिकारियों के साथ विचार किया जाता है।

हाईस्पीड डीजल और मोटर स्प्रिट पर डीलरशिप कमीशन का भुगतान

3998. **श्री भोखाभाई** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न तेल कम्पनियों के विपणन डिवीजनों द्वारा हाई स्पीड डीजल और मोटर स्प्रिट पर डीलरशिप कमीशन का समय पर भुगतान नहीं किया जाता है;

(ख) डीलरशिप कमीशन के भुगतान करने की व्यवस्था करने का सामान्य समय क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय निगम दिल्ली द्वारा जारी किए गए चैक काल वरधित हो गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो विपणन डिवीजनों के प्रबंधकों द्वारा अपनी लेखा शाखाओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) डीलरों को कमीशन के भुगतान में सामान्यतया 30 से 45 दिनों का अन्तर होता है ।

(ग) और (घ) कई चैक कालातीत हो गये क्योंकि वे डीलरों द्वारा आई० ओ० सी० के बैंकरों को तीन महीनों की वैध अवधि के अन्दर पेश नहीं किये गये थे । कुछेक मामलों में चैक कालातीत हो गये क्योंकि डीलरों को चैक देने में विलम्ब हो गया था । भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए उपचारिक कदम उठाये जा रहे हैं ।

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली उत्पादन में राज्यों की उपलब्धियां

3999. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिजली उत्पादन में प्रत्येक राज्य ने अपने-अपने निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितनी बिजली का उत्पादन किया है;

(ख) उड़ीसा की छठी पंचवर्षीय योजना बिजली उत्पादन के लक्ष्य की प्राप्त में सहायता करने के लिए किन समस्याओं को हल करने की आवश्यकता है; और

(ग) उड़ीसा में छठी पंचवर्षीय योजना में चालू की गई बिजली परियोजनाओं को पूरा करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) छठी योजना अवधि के दौरान राज्यवार विद्युत उत्पादन क्षमता की वृद्धि का कार्यक्रम और लक्ष्यों को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है । इसके अतिरिक्त उड़ीसा में अपर इन्द्रावती जल विद्युत परियोजना (4 × 150 मेगावाट) और हीराकुंड चरण-3 परियोजना (यूनिट-7, 1 × 37.5 मेगावाट) भी निर्माणाधीन हैं ।

(ख) और (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा में 560 मेगावाट की उत्पादन क्षमता (220 मेगावाट ताप विद्युत और 340 मेगावाट जल विद्युत) की वृद्धि की परिकल्पना की गई थी । तलचेर ताप विद्युत परियोजना के यूनिट 5 और 6 (2 × 110 मेगावाट) को पहले ही चालू किया जा चुका है, और रेंगाली जल विद्युत परियोजना यूनिट-1 (50 मेगावाट) को छठी

योजनावधि के अन्त तक चालू करने की संभावना है। बाकी की 290 मेगावाट क्षमता को, जिसमें रेंगाली जल विद्युत परियोजना यूनिट-2 (50 मेगावाट) और अपर कोलाब जल विद्युत परियोजना यूनिट-1, 2 और 3 (3 × 80 मेगावाट) को सातवीं योजनावधि के प्रारम्भ में चालू करने की आशा है। ये राज्य क्षेत्र की परियोजनाएं हैं और इन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकार तथा उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड, जिनकी अपेक्षित निधियां भी उपलब्ध करानी हैं, इनका क्रियान्वयन करेंगे। राज्य सरकारों राज्य बिजली बोर्डों द्वारा इनकी अपनी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण आवश्यक सहायता करता है, तथा बेहतर परियोजना प्रबंध के लिए राज्य बिजली बोर्डों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी किए गए हैं।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना में 15-8-1984 तक के लिए अतिरिक्त उत्पादन क्षमता का राज्यवार लक्ष्य तथा उपलब्धि :

	लक्ष्य (मेगावाट)	उपलब्धि (मेगावाट)
1	2	3
उत्तरी क्षेत्र		
1. हरियाणा*	454	186
2. हिमाचल प्रदेश	38	15
3. पंजाब*	672	283
4. राजस्थान*	496	356
5. उत्तर प्रदेश	1972	702
6. केन्द्रीय	1540	1540
उत्तरी क्षेत्र (जोड़)	5937	3082
पश्चिमी क्षेत्र		
1. गुजरात	1175	630
2. मध्य प्रदेश	1488	960
3. महाराष्ट्र	2644	2230
4. केन्द्रीय	630	630
पश्चिमी क्षेत्र (जोड़)	5973	4450

1	3	2
दक्षिणी क्षेत्र		
1. आन्ध्र प्रदेश	1095	1035
2. कर्नाटक	1195	675
3. केरल	125	—
4. तमिलनाडु	630	210
5. केन्द्रीय	1520	635
दक्षिणी क्षेत्र (जोड़)	4565	2555
पूर्वी क्षेत्र		
1. बिहार	725	285
2. उड़ीसा	560	220
3. पश्चिम बंगाल	1368	728
4. दा० घा० नि०	460	210
5. केन्द्रीय	210	—
पूर्वी क्षेत्र (जोड़)	3323	1443
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र		
1. असम	408	186
2. नागालैण्ड	1	—
3. त्रिपुरा	5	5
4. केन्द्रीय/उत्तर पूर्वी निगम	255	155
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (जोड़)	669	346
अखिल भारत (जोड़)	19666	11876

*आंकड़ों को निकटतम मेगावाट तक पूरा कर दिया गया है।

शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों की लागत लेखा-परीक्षा

4000. **श्री सतोश अग्रवाल :**
श्री रुद्र प्रताप सारंगी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** 23 मई, 1984 के 'फाइनेन्सियल एक्सप्रेस' में प्रकाशित "कज्यूमर राइट्स विजारजू-विज साफ्ट ड्रिंक्स इण्डस्ट्री" शीर्षक समाचार के संदर्भ में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनमें मूल के संबंध में किए गए रहस्योद्घाटन को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षा करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : कम्पनी अधिनियम की धारा 233-ख के अन्तर्गत शीतल पेय बनाने वाली कम्पनियों की लागत लेखा परीक्षा के आदेश देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि लागत रिकार्ड के रखरखाव के निर्देश देने वाले लागत लेखांकन नियमों को धारा 209 (1) (घ) तत्रैव के अन्तर्गत इन कम्पनियों के सम्बन्ध में निर्धारित नहीं किया गया है।

गुजरात में कपड़ा मिलों के कर्मचारियों को मिलों के बन्द होने की स्थिति में अनुतोषित राशि और मुआवजे का भुगतान

4001. **श्री नवीन रावणी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के कपड़ा श्रमिक संघ ने अभ्यावेदन किया है कि गुजरात में बड़े पैमाने पर कपड़ा मिलों के बंद किए जाने के कारण अपर्याप्त व्यवस्था की बात प्रकाश में आयी है, जिसके लिए कानून के अंतर्गत श्रमिकों को मिलों के बन्द होने की स्थिति में देय अनुतोषिक राशि और मुआवजे के भुगतान की व्यवस्था है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव केन्द्रीय श्रम मंत्री को दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो गुजरात में बन्द मिलों के कर्मचारियों को मिलों के बंद होने की स्थिति में क्या अनुतोषिक और मुआवजे की अदायगी को सुनिश्चय किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ङ) क्या सरकार उक्त श्रम सहकारी समिति को खनन का पट्टा मंजूर करके उनके पुनर्वास के लिए स्थायी उपाय करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ङ) आवश्यक सूचना आन्ध्र प्रदेश सरकार से मांगी गई है जो उपलब्ध होने पर सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लिए माइक्रोवेव प्रणाली

4002. **श्री नवीन रावणी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रोवेव प्रणाली स्थापित करने के संबंध में क्या प्रगति हुई;

(ख) क्या गुजरात राज्य के सौराष्ट्र क्षेत्र को इस योजना के अधीन लाना संभव है; और

(ग) दूरदर्शन केन्द्र लगाने में यह प्रणाली किस प्रकार सहायक है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) माइक्रोवेव प्रणालियां उच्च क्षमता की हैं तथा ग्रामीण इलाकों के लिए इनकी योजना नहीं हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

रामनगर केन एण्ड शूगर कम्पनी लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल के प्रबंधकों द्वारा भविष्य निधि नियमों का उल्लघंन

4003. **श्री रेणुपद दास** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रामनगर केन एण्ड शूगर कंपनी लिमिटेड, पश्चिमी बंगाल के प्रबंधकों द्वारा भविष्य निधि नियमों के गंभीर उल्लंघन किए जाने और उनके द्वारा श्रमिकों तथा कर्मचारियों को उनके कानूनी अधिकारों से वंचित किए जाने की सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा दोषी प्रबंधकों के विरुद्ध संबंधित अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

औषधि निर्माताओं से अनभिप्रेत लाभ की वसूली

4004. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** औषधि निर्माताओं से अनभिप्रेत लाभ की वसूली के बारे में 24 जुलाई, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 351 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कम्पनियों के नाम और पते क्या हैं जिन्हें अनभिप्रेत लाभ की वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं या किए जा रहे हैं और (एक) अनभिप्रेत लाभ की कुल राशि कितनी है, (दो) किस सूचना के आधार पर राशि का हिसाब लगाया गया है, (तीन) संगत समय अवधि कितनी है और (चार) प्रत्येक मामले में कितने लाभ का पता लगा है;

(ख) क्या जिन संगत नियमों/कानूनी प्रावधानों के आधार पर ऐसे लाभ की वसूली की जा सकती है उनकी एक प्रति सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे; और

(ग) आज तक कितने लाभ की वसूली की गई है और इस वसूली का किन कार्यों में प्रयोग किया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ग) जिन कम्पनियों को औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के अधीन अनभिप्रेत लाभ एकत्र करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, उनके नाम संलग्न विवरण पंत्र में दिए गए हैं। कानून की उचित विधि के अनुसार वसूली की प्रक्रिया जारी है। इस स्तर पर अनभिप्रेत लाभ का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। उत्पादकों को होने वाले अनभिप्रेत लाभ के मामले तब ध्यान में आए जब फार्मूलेशनों के मूल्य निर्धारित करते समय स्वीकृत मूल्य से कम मूल्यों पर प्रपुंज औषध की खरीद से सम्बन्धित ब्यौरों का कुछ मामलों में पता चला। वसूल की गई राशियों का प्रपुंज औषधों के धारित मूल्य तथा पूल्ड मूल्य/सामान्य बिक्री मूल्य, जैसी भी स्थिति हो, के बीच अन्तर का समीकरण करने के लिए प्रयोग किया जाएगा ताकि दवाइयां उचित तथा उपयुक्त मूल्यों पर उपलब्ध कराई जा सकें।

(ख) ये राशियां औषध (मूल्य नियन्त्रण) आदेश, 1979 के 7 और 17 उपबन्धों के अधीन वसूल की जा रही हैं, और उक्त आदेश की प्रतियां लोक सभा के पटल पर 21 अप्रैल, 1979 को रखी गई थीं।

विवरण

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	उन औषधों के नाम जिनके संबध में नोटिस जारी किए गए हैं
1	2	3
1.	मर्क शार्प एण्ड डैसमे आफ इंडिया लि०	डेक्सानेथासीन प्योर और डेक्सामेथासीन 21-फास्फेट
2.	एस० जी० कैमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स	क्लोफिजामाइन एचसीएल
3.	एरिस्टो फार्मा	डाक्सीसाइक्लीन
4.	डालफिन लेबोरेटरीज	वही
5.	यू० एस० विटामिन्स लि०	वही
6.	आई० डी० पी० एल०	वही
7.	बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल वर्क्स कं० लि०	वही

1	2	3
8.	बायोकैम फार्मास्यूटिकल्स	वही
9.	पी० सी० आई०	वही
10.	यूनिक फार्मास्यूटिकल्स	वही
11.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	मेट्रोनिडाजोल और नेड्रोनिडाजोल बेन्जोक्सीलेट
12.	यूनीकैम लेबोरेटरीज	वही
13.	फेयरडील कारपोरेशन	वही
14.	यूनीक फार्मास्यूटिकल्स	वही
15.	इफीयूनिक	वही
16.	थेराप्यूटिक फार्मास्यूटिकल्स	वही
17.	मे० एण्ड बेकर	वही
18.	बाम्बे ड्रग हाउस	वही
19.	डोलफिन लैब्स	वही
20.	सिप्ला	वही
21.	सर्ले (इंडिया) लि०	वही
22.	केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि०	वही
23.	तमिलनाडु ढाढा	वही
24.	आई० डी० पी० एल०	वही
25.	बाम्बे टैबलेट्स मैन्युफेक्चरिंग लि०	वही
26.	खण्डेलवाल लेबोरेटरीज	वही
27.	एरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स	वही
28.	एल्वर्ट डेविड फार्मास्यूटिकल्स	वही
29.	जगसन पॉल एण्ड कं०	वही
30.	अल्टा लैब्स प्रा० लि०	एसपिरिन
31.	एलडिबक कैमिकल वर्क्स	एम्पीसिलीन एनहाइड्रस एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट और एम्पीसिलीन ट्राइ-हाइड्रेट
32.	इन्गा लेबोरेटरीज	
33.	केरल स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स	

1	2	3
34.	तमिलनाडु ढाढा	एम्पीसिलीन एनहाइड्रस एमोक्सीसिलीन
35.	फार्मेड प्रा० लि०	ट्राइहाइड्रेट और एम्पीसिलीन ट्राइ-
36.	रेनवैक्सी लेबोरेटरीज लि०	हाइड्रेट
37.	फेयरडील कारपोरेशन	,,
38.	स्टेन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स	,,
39.	डी० सी० आई०	,,
40.	पी० सी० आई०	,,
41.	थेगिस फार्मास्यूटिकल्स	,,
42.	बाम्बे टेबलेट्स लि०	,,
43.	बायो कैम फार्मास्यूटिकल्स	,,
44.	कादिला लेबोरेटरीज	,,
45.	डी० डब्यू० डी० फार्मास्यूटिकल्स	,,
46.	बिडले साविचर	,,
47.	डोलफिन लेबोरेटरीज	,,
48.	खण्डलेवाल लेबोरेटरीज	,,
49.	बंगाल कैमिकल एण्ड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स	,,
50.	रूरल फार्मास्यूटिकल्स	,,
51.	यूनिक फार्मास्यूटिकल्स	,,
52.	लाइका लेबोरेटरीज	,,
53.	गफिक प्रा० लि०	,,
54.	सिपला	,,
55.	साराभाई कैमिकल्स	,,
56.	बायोलोजिकल्स ईवन्स लि०	,,
57.	वाल्टरबुशनेल	,,
58.	झण्डू फार्मास्यूटिकल्स	,,
59.	बंगाल इम्यूनिटी कं० लि०	,,
60.	कैमो फार्मा	,,

1	2	3
61.	डेज मेडिकल स्टोर्स (मेन्यू०) लि०	एम्पीसिलोन एतहाइड्रस एमोक्सीसिलीन
62.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स	ट्राइहाइड्रेट और एम्पीसिलीन ट्राइ-
63.	वायथ लेबोरेटरीज लि०	हाइड्रेट
64.	एडिस्नो फार्मा०	,,
65.	आई० डी० पी० एल०	,,
66.	वाकहर्ड	,,
67.	फुलफोर्ड (इंडिया) लि०	जेन्टामाइसीन
68.	निकोलस लेबोरेटरीज	,,
69.	स्टेन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स	,,
70.	पी० सी० आई०	,,
71.	लाइका लेबोरेटरीज	,,
72.	बायो कैप फार्मास्यूटिकल्स	,,
73.	इन्डो फार्मा०	सालबूटामोल
74.	मार्टीन एण्ड हेरिस	,,
75.	लाइका लेबोरेटरीज	,,
76.	खन्डेलवाल लेबोरेटरीज	,,
77.	इन्डोको रेबेडीज	,,
78.	माइक्रो लेबोरेटरीज	,,
79.	स्टेन्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स	,,
80.	बिडले सावियर	,,
81.	ईरोज फार्मा०	,,
82.	लूपिन लेबोरेटरीज लि०	फ्लूओरिसोलीन एसिटोनामाइड
83.	लाइका लेबोरेटरीज लि०	,,
84.	रोश प्रोडक्ट्स लि०	विटामिन ए
85.	बुरोज वैल्कम	डेप्सोन
86.	सले (इंडिया) लि०	स्सीरानोलेक्टोन

1	2	3
87.	रसल फार्मास्यूटिकल्स	डेक्सोमेथासोन व्यौर डेक्सामेथासोन सोडियम, और डेक्सामेथासोन 21-फास्फेट
88.	वायथ लेबोरेटरीज	,,
89.	इप्का लेबोरेटरीज लि०	,,
90.	काडिला कैमिकल्स प्रा० लि०	,,
91.	काडिला लैब्स प्रा० लि०	,,
92.	डैक्सो लेबोरेटरीज	,,
93.	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि०	रिफाम्पिसीन
94.	बाम्बे ड्रग हाउस	,,
95.	लाइका लैब्स	,,
96.	पी० सी० आई०	,,
97.	एलवर्ट डेविड लि०	,,
98.	बायो कैम फार्मास्यूटिकल इन्डस्ट्रीज	,,
99.	डोलफिन लैब्स	,,
100.	माइक्रो लेबोरेटरीज	,,
101.	एलम्बिक कैमिकल वर्क्स कं० लि०	,,
102.	काडिला लेबोरेटरीज	,,
103.	थेमिस कैमिकल्स लि०	,,
104.	साराभाई कैमिकल्स	,,
105.	फामेड प्रा० लि०	,,
106.	रेनवैक्सी लेबोरेटरीज लि०	,,
107.	लूपिन लैब्स प्रा० लि	,,
108.	मरकरी लेबोरेटरीज	,,
109.	आस्ट्रा-आई० डी० एल० लि०	,,
110.	कार्टर वालेस	,,
111.	वायर (इंडिया) लि०	क्लोरोक्वीन फास्फेट

पेन्सिलिन से 6 ए० पी० ए० बनाने वाले एककों का ब्यौरा

4005. **श्री चिंतामणि जैना** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पेन्सिलिन से 6-ए० पी० ए० बनाने में लगे एककों की संख्या, उनकी मशीनरी में लगे पूंजी परिव्यय तथा अन्य आस्तियों और उनकी स्वीकृत क्षमता का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या लघु पैमाने के एककों में उसी अधिस्थापित क्षमता से उसका उत्पादन करना संभव है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और यदि नहीं, तो उसका क्या औचित्य है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) उपलब्धि की सीमा तक, 6-ए० पी० ए० के निर्माण के लिए औद्योगिक अनुमोदन के धारक एककों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इनमें से अधिकतम प्रस्ताव विभिन्न अर्ध-सिन्थेटिक पेनिसिलिन्स और 6-ए० पी० ए० के निर्माण हेतु हैं। केवल 6-ए० पी० ए० के लिए पूंजी परिव्यय का वियोजन व्यवहार्य नहीं हैं।

(ख) और (ग) जैसा कि डी० सी० (एस० एस० आई०) द्वारा सूचित किया गया है, लघु क्षेत्र में मितव्ययी पैमाने पर पेनिसिलिन से 6—ए० पी० ए० का निर्माण करने की व्यवहार्यता अभी सिद्ध नहीं हुई है।

विवरण

क्रम सं०	एकक का नाम	इकाई	लाइसेंसशुदा/पंजीकृत क्षमता
1	2	3	4
1.	मै० एलटिबक कैमिकल्स वर्क्स क० लि०	टन	20.60
2.	मै० इंडियन एण्टिबायोटिक्स	,,	50.00
3.	मै० गुजरात लाक्या ओर्गेनिक लि०	,,	35.00
4.	मै० फोरेस इन्जे० (आई) प्रा० लि० (श्री सदानन्द सोटी)	,,	80.00
5.	मै० मेक्स (इंडिया) लि०	,,	80.00
6.	मै० बंगाल इम्युनिटी कं० लि०	,,	100.00
7.	मै० आई० डी० पी० एल०	,,	60.00
8.	मै० जे० जे० नरूरकर	,,	80.00

1 2	3	4
9. मै० सिपला	टन	12.00
10. मै० आस्ट्रा आई० डी० एल०	,,	150.00
11. मै० पायोनियर पोर्ट (आई) लि०	,,	50.00
12. मै० एच० आई० गांधी	,,	40.00

मै० थेमिस कैमिकल्स लि० द्वारा नए फार्मूलेशनों का विपणन

4006. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थेमिस कैमिकल्स लि० ने मूल चरणों से दी बल्क औषधों की आवश्यक मात्रा का उत्पादन बिना ही विभिन्न फार्मूलेशन बनाने शुरू कर दिए थे;

(ख) उनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान कितने नए फार्मूलेशनों का विपणन किया गया है और मूल चरणों से अनुपात में कितनी बल्क औषधों का उत्पादन किया गया; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना की सीमा तक 1978 की औषध नीति के अनुसार, मैसर्स थेमिस कैमिकल्स लि० ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 21 नए फार्मूलेशनों/फार्मूलेशनों के पैक आरम्भ किए हैं ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा प्राप्ति की गई औद्योगिकियां

4007. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० द्वारा आज तक प्राप्त की गई प्रौद्योगिकी का मूल्य ब्यौरा क्या है, और उसके बदले में कितनी विदेशी मुद्रा अदा की गई है;

(ख) उक्त प्रौद्योगिकों से क्या लाभ हुए हैं और अन्तिम रूप से तैयार औषधि का मूल्य अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में कितने प्रतिशत कम हो गया है; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान आर्थिक दृष्टि से अलाभकारी मानी जाने वाली प्रौद्योगिकी की खरीद करने वाले अधिकारियों पर क्या जिम्मेदारी निर्धारित की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत राठे) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) विदेशों से प्राप्त प्रौद्योगिकी के साथ हिन्दुस्तान एंटीबायोटिम्स लि० (एच० ए० एल) द्वारा उत्पादित औषधों के मूल्य इन्पुट्स की लागत तथा संयंत्र के साइज में अन्तर के कारण अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ तुलनीय नहीं हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

एच० ए० एल० द्वारा अब तक प्राप्त प्रौद्योगिकियों तथा उनके लिए किए गए भुगतान के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

पैंसिलिन :

(क) डब्ल्यु० एच० और यूनिसेफ तथा भारत सरकार के बीच अक्तूबर, 1952 में एक त्रिपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें यूनिसेफ ने 8,50,000 अमरीकी डालर के उपकरण प्रदान करने थे, डब्ल्यू० एच० ओ० ने तकनीकी सहायता प्रदान करनी थी तथा भारत सरकार ने भवन, स्वदेशी माल तथा स्टाफ प्रदान करना था।

(ख) मैं० टोयो जोजो कम्पनी लि०, टोक्यो (जापान) से उच्च उत्पादकता वाले स्टेन तथा जानकारी प्राप्त करके कार्यकलापों में 30,000 आई० यू०/एम० एल० के स्तर तक वृद्धि करके सुधार किया गया। स्ट्रेन के लिए 2,00,000 अमरीकी डालर तथा जानकारी के लिए 2,10,527 अमरीकी डालर का भुगतान किया योग 4,10,527 अमरीकी डालर।

स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट :

(क) मैं० मर्क एण्ड कं०, अमरीका के साथ अप्रैल, 1958 में स्ट्रैप्टोमाइसिन सल्फेट और डिहाइड्रो स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट के लिए करार किया गया। इसके लिए 10 वर्षों के लिए बिक्री पर परिवर्ती अनुमाप पर रायल्टी भुगतान किया गया। करार पहले ही समाप्त हो गया है।

(ख) मैं० ग्लेक्सो यू० के० से निशुल्क बेहतर स्टेन प्राप्त करके इसमें और आगे सुधार किया गया।

बेंजाथीन पैंसिलिन :

अक्तूबर, 1967 में मैं० अमेरिकन होम प्राडक्ट्स कार्पोरेशन, यू० एस० ए० के साथ प्रौद्योगिकी के लिए करार किया गया। कुल बिक्री पर। प्रतिशत की रायल्टी का भुगतान किया गया। करार की अवधि 28-10-72 को समाप्त हो गयी।

एम्पसिलन :

तकनीकी जानकारी तथा सैमि-सिंथेटिक पेसिलिन के बेचने तथा निर्मित करने के पेटेंट अधिकार बेचने के लिए अमेरिकन होम प्रोडक्ट्स कार्पोरेशन, यू० एस० ए० के साथ जुलाई, 1970 में करार किया गया था। वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 7 वर्षों के लिए कुल बिक्री पर रायल्टी 5 प्रतिशत (4 प्रतिशत यदि करार की अवधि के दौरान पेटेंट अधिकार समाप्त हो जाते हैं)।

जेंटामाइसिन सल्फेट :

मै० मेडिमपैक्स, हंगरी से प्राप्ति किए गए स्ट्रेन और जानकारी कुल करों के साथ निम्न प्रकार हैं :

(क) स्ट्रेन रु० 9,00,000, समान अमरीकी डालर में

(ख) जानकारी फीस रु० 9,00,000, समान अमरीकी डालरों में।

सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के गारन्टीदाताओं द्वारा बूथों पर हुए नुकसान के लिए अदायगी

4008. **श्री चिन्तामणि जेना** . क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से मामलों में, जहां सार्वजनिक टेलीफोन बूथों में होने वाले नुकसान की अदायगी के लिए निजी व्यक्तियों ने गारन्टी दी थी जिसे टेलीफोन की मंजूरी देते समय संबंधित सार्वजनिक टेलीफोन बूथों में हुए नुकसान की अदायगी करने में ये कारण देते हुए अपनी असमर्थता व्यक्त की है कि सार्वजनिक टेलीफोन बूथ सन्तोषजनक ढंग से कार्य नहीं करते, टेलीफोन कॉल बुक नहीं हो पाती और इस तरह आय में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक महाप्रबन्धक टेलीफोन सर्कल में ऐसे कितने गारंटीदाताओं ने अपनी असमर्थता व्यक्त की है और इन सभी मामलों में कितनी धनराशि निहित है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। ऐसे केवल दो मामले ही ध्यान में आए हैं।

(ख) महाप्रबंधक दूरसंचार उड़ीसा के अधीन गंजम जिले के कराडकाना और मयूरभंज जिले के नालागजा के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के ऐसे दो मामले हैं और उनमें क्रमशः 26658 रु० और 10168 रु० शामिल हैं

सार्वजनिक टेलीफोन घरों के असंतोषजनक कार्यकरण के संबंध में गारन्टीदाताओं का दावा सही नहीं है क्योंकि ये संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं। शेष राशि के बिल भेज दिए गए हैं तथा उनकी वसूली के लिए मामले पर विचार किया जा रहा है।

स्थल पर मंजरी और सुपुर्दगी योजना के अधीन आंध्र प्रदेश में एल० पी० जी० कनेक्शन

4009. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्थल पर मंजूरी और सुपुर्दगी की नई योजना आरम्भ किए जाने के बाद से अब तक इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा आंध्र प्रदेश में कुल कितने एल० पी० जी० कनेक्शन दिए गए हैं;

(ख) क्या यह सच है कि पंजीकरण, जिसके लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, के कार्य को निपटाने के लिए पर्याप्त प्रबंध नहीं किए गए हैं;

(ग) क्या उन सबको एल० पी० जी० कनेक्शन दे दिए गए हैं, जो पंजीकरण की प्रतीक्षा में थे; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश राज्य में गैस कनैक्शन की "स्थल पर मंजूरी और सुपुर्दगी" की योजना को आरम्भ नहीं किया है ।

(ख) से (घ) उपर्युक्त "क" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

तेल क्षेत्रों और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की कच्चे तेल की पाइप लाइनों के कच्चे तेल की चोरी

4010. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का किसी अवस्था में कोई मूल्यांकन किया गया है कि तेल क्षेत्रों और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की फैंकी हुई कच्चे तेल की प्राकृतिक गैस कच्चे तेल की पाइपलाइनों से कितने कच्चे तेल की चोरी होती है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) तेल क्षेत्र से तेल की चोरी विशेषकर तेल की ढुलाई के समय रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां ।

(ख) 1983 और 1984 (जून तक) के दौरान खनिज तेल की चोरी के कारण तेल एवं प्राकृतिक गैस को लगभग 2.00 लाख रुपये की निवल हानि होने का अनुमान है ।

(ग) उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं :

(1) ट्रंक पाइपलाइन के वाष्प निकलने वाले स्थानों को बंद करना;

(2) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, सीमा सुरक्षा बल तथा पुलिस के गश्ती कार्य को तेज करना;

(3) ग्राम रक्षक दलों जैसी ग्राम सुरक्षा पार्टियों की सेवाओं का उपयोग करना;

(4) जंक्शन स्थलों तथा तेल क्षेत्रों के पहुंच मार्गों पर गाड़ियों की जांच-पड़ताल के लिए स्टेट रिजर्व पुलिस (एस० आर० पी०) तैनात करना;

(5) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के कार्य संचालन क्षेत्रों में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा लगाने के संबंध में निर्णय लेना ।

दूसरा टी० वी० चैनल

4011. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने कुछ समय पहले दिल्ली दूरदर्शन का दूसरा टी० वी० ट्रांसमिशन चैनल खोलने की घोषणा की थी;

(ख) क्या कलकत्ता दूरदर्शन केन्द्र ने भी दूसरा चैनल खोलने की ऐसी कोई योजना तैयार की गई है; यदि हां, तो इसे कब खोला जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) दिल्ली में दूसरा दूरदर्शन चैनल शुरू करने की योजना की सरकार द्वारा जांच की जा रही है ।

(ख) और (ग) कलकत्ता के लिये दूसरे चैनल के प्रश्न की जांच संसाधनों, उपकरणों तथा अन्य आवश्यकताओं की उपलब्धता पर निर्भर करते हुये उपयुक्त समय पर की जायेगी ।

राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम द्वारा बंगला फिल्मों के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना

4012. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में धन के अभाव में निर्जीव होते जा रहे फिल्म उद्योग को बचाने के लिये राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ख) अब तक बनी उन बंगला फिल्मों के नाम क्या हैं जिन्हें राष्ट्रीय फिल्म वित्त निगम द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और प्रत्येक फिल्म के लिये कितनी सहायता राशि दी गई ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) पश्चिम बंगाल के फिल्म उद्योग को धन के अभाव में निर्जीव होता जा रहा फिल्म उद्योग कहना सही नहीं है, यद्यपि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि बंगला फिल्मों के निर्माण में उतनी वृद्धि नहीं हुई है जितनी कि अन्य भाषाओं की फिल्मों के निर्माण में हुई है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने बंगला फ़िल्मों के निर्माण के लिये ऋण देने या बंगला फिल्मों का स्वयं निर्माण करने पर 71.49 लाख रुपये की राशि लगाई है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने फिल्म उद्योग के उपयोग के लिये 80 लाख रुपये की पूंजीगत लागत पर कलकत्ता में 16 मिली मीटर फिल्म निर्माण अवस्थापना की भी स्थापना की है।

(ख) विवरण संलग्न है।

विवरण

क्र० सं०	फिल्म का नाम	राशि (लाख रुपयों में)
1	2	3
1.	घूम भंगर गान	1.75
2.	सात पाके बान्धा	2.30
3.	स्वर्ग होते बिदे	2.00
4.	चारुलता	3.24
5.	पंचस्वर	2.05
6.	कांच काटा हीरे	3.50
7.	नायक	3.50
8.	अन्धार सूर्य	1.97
9.	गोपी बाधा बिने	5.00
10.	पाड़ीपिसिर बार्मी बक्सा	2.20

1	2	3
11.	बिलेत फेरात	2.35
12.	जुक्ती तक्को आर गप्पो	3.10
13.	पदातिक	2.59
14.	तासेर देश	4.00
15.	अश्वमेदेर घोड़ा	4.44
16.	याशनीर कोलक्टा	1.72
17.	राधाकृष्ण	0.72
18.	एक जीवन	4.42
	कुल	50.85

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम की फिल्में

1.	घारे बैरे	17.85
2.	म्यूजिक आफ सत्यजीत रे	2.79
		20.64

बिहार जनजाति क्षेत्र में एक ताप बिजली केन्द्र के लिए प्रस्ताव

4013. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार द्वारा बिहार राज्य जनजाति क्षेत्र में एक ताप बिजली घर स्थापित करने हेतु प्रस्ताव किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

जनवरी, 1983 से जुलाई, 1984 के बीच हड़तालों से प्रभावित कोयला खानें

4014. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कोयला खानों की संख्या तथा नाम क्या हैं जहां जनवरी, 1983 से जुलाई, 1984 के बीच हड़तालें हुई थीं और इन हड़तालों के क्या कारण थे;

(ख) इनमें से प्रत्येक हड़ताल में कितने श्रमिकों ने भाग लिया और इन हड़तालों का निबटारा किस प्रकार किया गया; और

(ग) औद्योगिक सम्बन्ध तन्त्र ने कितनी हड़तालों को अवैध घोषित किया और कोयला खान-वार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अनुसार किसी हड़ताल को अवैध घोषित करने या न करने की शक्ति श्रम न्यायालय के पास है, केन्द्रीय औद्योगिक सम्बन्ध मशीनरी के पास नहीं ।

डाक-तार विभाग में भर्ती पर लगे प्रतिबन्ध में छूट

4015. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग ने देश के किसी सर्किल में कोई उप-डाक कार्यालय/ई० डी० एस० ओ० ई० डी० बी० ओ० डिवीजनल कार्यालय या मुख्य कार्यालय खोलने के लिये भर्ती या नये पद सृजित करने पर 1984 में लगाये गये प्रतिबन्ध में छूट देने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा डाक-तार विभाग के अनुरोध पर वित्त मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या डाक-तार विभाग में पड़े इस प्रकार के कुछ उपयुक्त मामलों के लिये ऐसा कोई अनुरोध किया जायेगा; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जी, हां । दो बार छूट ली गई थी । पहली बार यह छूट देश के जनजातीय और पिछड़े इलाकों में 50 शाखा डाक-घर खोलने के उद्देश्य से ली गई थी और दूसरी बार यह छूट 14 विभागीय उप-डाकघर, 11 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर खोलने तथा 2 अतिरिक्त विभागीय उप-डाकघरों का विभागीय उप-डाकघरों के बतौर दर्जा बढ़ाने के लिये ली गई थी । दोनों बार वित्त मन्त्रालय मे छूट देना मंजूर किया था ।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

मध्य प्रदेश में निर्धनों को विधिक सहायता देने के कार्य में हुई प्रगति

4016. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता और सलाह देने के कार्य में कितनी प्रगति की है;

(ख) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य विधिक सहायता और सलाह बोर्ड के अधीन कार्य करने और उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय विधिक सहायता स्कीम के अधीन विशेष वित्तीय सहायता के लिये अनुरोध किया है; और

(ग) केंद्रीय सरकार ने वर्ष 1982, 1983 और 1984 में इस स्कीम को विस्तारित करने के लिये मध्य प्रदेश सरकार को कितनी धनराशि मंजूर की ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) मध्य प्रदेश राज्य ने "मध्य प्रदेश समाज के कमजोर वर्गों के लिये विधिक सहायता तथा विधिक सलाह अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम सं० 26)" अधिनियमित किया है । इस विधान के अन्तर्गत सिविल दाण्डिक और राजस्व संबंधी मामले हैं । जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 33 में उपबन्धित है, निम्नलिखित व्यक्ति, जिनके अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य भी हैं, विधिक सहायता या विधिक सलाह के लिये पात्र हैं, अर्थात् :—

(i) भूमिहीन कृषि-श्रमिक या ग्रामीण कारीगर; या

(ii) वह ऐसे कुटुम्ब का सदस्य है, जिसकी कुल मासिक आय दो सौ रुपए या उससे कम है; या

(iii) वह ऐसे कुटुम्ब का सदस्य है, जिसके पास एक हेक्टर सिंचित भूमि है या दो हेक्टर असिंचित भूमि है या इससे कम भूमि है और ऐसे कुटुम्ब का, ऐसी भूमि पर खेती करने के अलावा आय का कोई अन्य स्रोत नहीं है ।

मध्य प्रदेश राज्य में गठित विधिक सहायता तथा सलाह बोर्ड एक शीर्षस्थ निकाय है और उसने राज्य के 45 जिलों तथा 222 तहसीलों में समितियां बनाई हैं । 25-1-1977 से सभी ग्राम पंचायतों को विधिक सहायता तथा विधिक सलाह समितियां घोषित कर दी गई हैं और बोर्ड ने, मामलों में समझौता कराने के लिए, उन्हें शक्तियां दे दी हैं । उपलब्ध जानकारी के अनुसार मध्य

प्रदेश राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान निःशुल्क विधिक सहायता तथा सलाह का लाभ उठाने वाले निर्धन व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित है :—

वर्ष	लाभ उठाने वाले व्यक्तियों की संख्या
1981-82	42,328
1982-83	35,863
1983-84	31,375

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने अपने बजट की अनुपूर्ति के लिए केवल इस वर्ष विधिक सहायता स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय समिति से वित्तीय सहायता देने का अनुरोध किया है और वह केन्द्रीय समिति के विचाराधीन है। वर्ष 1982 और 1983 के दौरान ऐसा कोई अनुरोध नहीं किया गया था।

सरकारी क्षेत्र में निर्मित औषधियों और इण्टरमीडिएट्स के मूल्य

4017. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में किन बल्क औषधियों और इण्टरमीडिएट्स का निर्माण होता है;

(ख) अंतर्राष्ट्रीय मूल्य की तुलना में उनके द्वारा निर्मित औषधियों और इण्टरमीडिएट्स के स्वीकृत मूल्य क्या हैं;

(ग) मूल्य में यदि कोई अंतर हो तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों द्वारा उत्पादित मुख्य प्रपुंज औषधों तथा औषध मध्यवर्तियों के नाम, स्वदेशी उत्पादन के लिये यथाअनुमोदित उनके मूल्य तथा अवतरित मूल्य दर्शाये गये हैं।

(ग) और (घ) स्वदेशी मूल्यों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य के बीच अन्तर, प्रचालन की मात्रा, प्रौद्योगिकी दक्षताओं, प्रचालन की समग्र दक्षता तथा स्वदेशी कच्चे माल तथा अन्य इन्पुट्स की उच्च लागत की तरह के कई पहलुओं के कारण हैं।

विवरण

क्र० सं०	औषध/मध्यवर्ती का नाम	औषध/मध्यवर्ती के निर्माता सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम का नाम	स्वदेशी मूल्य (रु०/कि. ग्रा.)	1982-83 के दौरान आयात मूल्य (रु०/कि. ग्रा.)
1	2	3	4	5
1.	एम्पीसिलीन एनहाइड्रस	एच.ए.एल.	2107.00	2449.10
2.	एनलजिन	आई.डी.पी.एल.	224.00	150.98
3.	एसिटाजोलामाइड	आई.डी.पी.एल.	574.27	आयात नहीं किया
4.	एम्पीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	आई.डी.पी.एल.	1677.00	1430.00
5.	एमोक्सीसिलीन ट्राइहाइड्रेट	आई.डी.पी.एल.	2229.00	1736.17
6.	6 ए. पी. ए.	एच.ए.एल./ आई.डी.पी.एल.	2100.00	800.00
7.	बेन्जाथीन पेनिसिलीन	एच.ए.एल.	1272.00	1062.97
8.	कोलरा बैक्सीन	बी.आई.	77.65/लि०	आयात नहीं किया
9.	डेप्सोन	बंगाल कैमिकल एण्ड	292.10	404.66
10.	डिफ्थीरियाएण्टी-टोक्सीन	फार्मा बी.आई.	1733.00/एम.यू.	आयात नहीं किया
11.	फोलिक एसिड	आई.डी.पी.एल.	2631.62	2415.68
12.	गैस गेगरीन एन्टीकोक्सीन	बी.आई.	2822.00/एम.यू.	आयात नहीं किया
13.	मेट्रोनिडाजोल	आई.डी.पी.एल.	497.90	582.17
14.	आक्सीट्रेटासाइक्लीन एच.सी.एल.	आई.डी.पी.एल	847.30	582.47
15.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन बेस	आई.डी.पी.एल.	811.00	582.47
16.	पोटाशियम पेनिसिलीन जी. प्रथम क्रिस्टल	आई.डी.पी.एल./ एच.ए.एल.	582.00/बी.यू.	आयात नहीं किया

1	2	4	4	5
17.	पोटाशियम पेनिसिलीन जी.	—वही—	760.88/बी.यू.	474.60/बी.यू.
18.	पोटाशियम पेनिसिलीन ए.	एच.ए.एल.	885.69/बी.यू.	आयात नहीं किया
19.	प्रोकेन पेनिसिलीन जी.	एच.ए.एल./ आई.डी.पी.एल.	856.71	—वही—
20.	सोडियम पी.ए.एस.	आई.डी.पी.एल.	99.92	—वही—
21.	थाइलाइल सल्फाथियाजोल	—वही—	200.40	—वही—
22.	फेनोवारवीटोन	—वही—	419.00	223.22
23.	सोडियम पेनिसिलीन जी.	आई.डी.पी.एल./ एच.ए.एल.	900.32/बी.यू.	734.54/बी.यू.
24.	सल्फागुनिडाइन	आई.डी.पी.एल.	121.00	85.05
25.	स्ट्रेप्टोमाइसीन	एच.ए.एल./ आई.डी.पी.एल.	847.42	456.52
26.	सल्फासिटामाइड	आई.डी.पी.एल.	181.96	आयात नहीं किया
27.	सल्फासिटामाइड सोडियम	—वही—	119.62	—वही—
28.	सल्फामेथोक्सोजोल	—वही—	300.00	470.41
29.	सल्फाडिमिडाइन	—वही—	199.80	158.59
30.	टेटनस एन्टीटोक्सीन	बी.आई.	843.07/एम.यू.	आयात नहीं किया
31.	ट्राइमेथोप्रिम	आई.डी.पी.एल	892.00	1048.86
32.	टेट्रासाइक्लीन बेस	—वही—	746.36	493.97
33.	टेट्रासाइक्लीन एच.सी.एल.	—वही—	801.49	493.97
34.	टी.ए.वी. बैक्सीन	वी.आई	77.59/लि०	आयात नहीं किया
35.	विटामिन बी. एच.सी.एल. (ओरल)	आई.डी.पी.एल.	816.73	601.02
36.	,, ,, (एम्प)	—वही—	850.99	601.00
37.	विटामिन बी. मोनो	—वही—	845.83	601.00
38.	विटामिन बी. 2	—वही—	1417.95	756.68

तेल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए त्रिकोणीय कार्यक्रम नीति

4018. **श्री ए० डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 19 जुलाई, 1984 के "फाइनेंशल एक्सप्रेस" में छपे इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि तेल और गैस की खोज विकास और उत्पादन संबंधी कार्यकारी दल ने तेल के रक्षित भण्डारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ज्ञात तेल क्षेत्रों से तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक त्रिकोणीय कार्यक्रम नीति की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यकारी दल द्वारा की गई प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारूप तैयार करने वाले पेट्रोलियम के कार्यकारी दल द्वारा तेल तथा गैस के अन्वेषण, विकास और उत्पादन पर गठित उपदल ने निम्नलिखित उत्पादन नीति की सिफारिश की है:

(i) व्यधन विकास में तेजी लाना ।

(ii) बढ़ी हुई मात्रा में तेल प्राप्त करने की उपर्युक्त तकनीकियों को अपनाना ।

(iii) रुग्ण कुओं के पुनरुद्धार के लिए वर्कओवर कार्य चालनों को तेज करना ।

उप-दल की रिपोर्ट को पेट्रोलियम के कार्यकारी-दल ने अभी तक स्वीकार नहीं किया है ।

उद्योगों में केन्द्रीय मजदूर संगठन को मान्यता

4019. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक उद्योग में दिसम्बर, 1980 में सदस्यता के सत्यापन के आधार पर केंद्रीय मजदूर संगठनों की स्थिति क्या थी; और उन केंद्रीय मजदूर संगठनों के उद्योग-वार नाम क्या हैं जो सदस्यता के आधार पर मान्यता के पात्र हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : 31-12-1980 की स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय मजदूर संगठनों की सदस्यता-सत्यापत्र के परिणामों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

मध्य प्रदेश के इन्दौर के शहर में कुकिंग गैस एजेंसियां

4020. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के इन्दौर शहर में जुलाई, 1984 तक कार्यरत अथवा मंजूर की गई

कुकिंग गैस एजेंसियों की संख्या कितनी है तथा ये एजेंसियों किस तिथि से कार्य कर रही हैं अथवा इन एजेंसियों को किस तिथि को मंजूर किया गया था;

(ख) क्या इनमें से प्रत्येक गैस एजेंसी के आबंटन करने में निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया है; और

(ग) उन व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें 1984-85 के दौरान गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं अथवा मंजूर की गई हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) इस समय इन्दौर शहर में 10 एल० पी० जी० एजेंसियां काम कर रही हैं और 5 एल० पी० जी० की एजेंसियां दी गई हैं जिसके विवरण निम्न प्रकार हैं :—

काम कर रही एजेंसियां :

वितरक का नाम	चालू किये जाने की तिथि
1 2	3
1. मैसर्स गैस-एम-इंडेन	30-9-1971
2. मैसर्स सत्यम गैस कम्पनी	11-2-1983
3. मैसर्स गीतांजली इंडेन डिस्ट्रीब्यूटर	9-9-1983
4. मैसर्स मोदी गैस सर्विस	मई, 1972
5. मैसर्स फ्लेम एण्ड फ्लेम	अक्तूबर, 82
6. मैसर्स मंदीश्वर गैस सर्विस	अक्तूबर, 82
7. मैसर्स इन्दौर हाउसहोल्ड	मई, 1979
8. मैसर्स सुपर गैस एजेंसी	मई, 1979
9. मैसर्स आशान्वित इन्टरप्राइजेज	23-8-82
10. मैसर्स महेश इंटरप्राइजेज	23-10-82

(ii) दी गई एजेंसियां

स्थान	आशय-पत्र की तिथि
1. इंदौर	18-4-84
2. इंदौर	30-4-84
3. इंदौर	29-5-84
4. इंदौर	30-5-84
5. इंदौर	11-6-84

(ख) जी हां। एक मामले को छोड़कर, जिसमें सरकार द्वारा सहानुभूति आधार पर एजेंसी दी गई थी, अन्य व्यक्तियों को निर्धारित चयन मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा उप-एजेंसियों की प्रोन्नति की नीति के अनुसार एजेंसियां दी गई हैं।

(ग) 1984-85 के दौरान, तेल उद्योग द्वारा 5 एजेंसियां दीं गई हैं, जिनके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :—

नाम	श्रेणी	आशय-पत्र की तिथि
1. श्री हेमन्त	बेरोजगार स्नातक	18-4-84
2. श्री सुखवीर सिंह	,,	30-4-84
3. श्रीमती सरला चौधरी	,,	29-5-84
4. श्रीमती हर्ष चौहान	,,	30-5-84
5. श्री गोपाल दास गुरनानी	,,	11-6-84

विनोद और विमल टेक्सटाइल मिल्स, उज्जैन के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि के लंबित मामले

4021. **श्री सत्यनारायण जटिया :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विनोद और विमल टेक्सटाइल्स मिल्स, उज्जैन, मध्य प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों की भविष्य निधि के कितने मामलों का निपटान होना बाकी है; और

(ख) इन लम्बित मामलों में कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है और इस धनराशि का भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मैसर्स विमल एण्ड विनोद मिल्स के सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बारे में 362 भविष्य निधि दावे विभिन्न तारीखों से लंबित पड़े हैं।

(ख) अन्तर्ग्रस्त धनराशि लगभग 16.72 लाख है। जैसे ही सेवा-निवृत्त कर्मचारियों के बारे में उस अवधि के लिए, जब इन मिलों को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के प्रवर्तन से छूट दी गई थी, पिछले संचयन और अन्य दस्तावेज मिलों से प्राप्त हो जाते हैं, लंबित पड़े मामलों का निपटान कर दिया जाएगा।

गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल और ऊना के बीच माइक्रोवेव प्रणाली शुरू करना

4022. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेराबल और ऊना के बीच टेलीफोन लाइन जंगल के क्षेत्र से निकाली गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि ये लाइनें भारी वर्षा और तूफान के कारण आए वर्ष टूट जाती हैं कि जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में दूरसंचार व्यवस्था भंग हो जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या इन दो शहरों के बीच माइक्रोवेव प्रणाली शुरू करने की मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां। बवंडर और भारी वर्षा के कारण सेवा में व्यवधान आ जाता है, अन्यथा इसका कार्यकरण संतोषजनक है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

देश में किराये पर डाक घर भवन

4023. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने डाक घर भवन किराये के हैं;

(ख) इनमें से कितने भवन, जिनके किराए के करार पूरे हो गए हैं, अभी भी डाक और तार विभाग के कब्जे में हैं;

(ग) क्या यह सच है कि डाक और तार विभाग के कब्जे से भवन खाली कराने के अनेक मामले न्यायालयों में चल रहे हैं और यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है; और

(घ) ऐसे भवन खाली करने और अपने भवनों का निर्माण करने के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) विभाग की यह नीति है कि जहां विभागीय स्थान उपलब्ध हो, वहां डाकघरों और प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विभागीय इमारतों का निर्माण किया जाए बशर्ते निधि उपलब्ध हो जाए तथा जहां कहीं संभव हो किराए की इमारतें खाली की जाएं। विभाग का यह भी लक्ष्य रहता है कि जहां ऐसे कार्यालयों के लिए विभागीय भवनों का निर्माण करने के लिए स्थान उपलब्ध न हो वहां स्थान का अधिग्रहण किया जाए बशर्ते कि निधि उपलब्ध हो।

1 जनवरी, 1979 के बाद मरने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार

4024. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के पास छः महीने से अधिक समय से लंबित पड़े "नेशनल कोल वेज अग्रीमेंट" के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1979 के बाद मरने वाले कर्मचारियों के कितने मामलों में आश्रितों को रोजगार दिया गया है और 1 जुलाई, 1984 को क्षेत्रवार आंकड़ों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे मामलों का दो महीने में निबटाने का आश्वासन दिया गया है; और

(ग) विलम्ब के क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के हातूदीन क्षेत्र II में क्वार्टरों का फंसना

4025. **श्री ए० के० राय** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत कोकिंग कोल के हातूदीन क्षेत्र में इस वर्ष टाईप "ए" के दो मंजिले क्वार्टर फंस गए हैं, यदि हां, तो कितने क्वार्टर फंसे हैं और उनके निर्माण की तारीख क्या है और फंसने सम्बन्धी ब्यौरा है;

(ख) ठेकेदारों को कितनी धनराशि दी गई है और ठेकेदारों के नाम क्या हैं; और

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच की गई है, यदि हां, तो फंसने के कारणों का ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख ही जाएगी।

राजप्पा कोयला परियोजना क्षेत्र में आग लगना

4026. **श्री रामावतार शास्त्री : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हजारीबाग से 60 किलोमीटर दूर राजप्पा कोयला परियोजना क्षेत्र में एक महीने से अधिक अवधि तक दो कोयला खानों में आग लगी रही है;

(ख) यदि हां, तो आग लगने के कारण क्या हैं;

(ग) इस आग के फलस्वरूप कितने मूल्य के कोयले की हानि हुई है; और

(घ) आग पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के राजप्पा एरिया में केवल एक परियोजना है। इस परियोजना के कुछ कोयला ढेरों में स्वतः आंच से आग लगी है जो सबसे पहले जून, 1984 के अंत में पता लगी थी। कोयला स्टाक में आंच अपने आप ही आ जाती है क्योंकि कोयले में अपने आप उसी जगह प्रदहन हो जाने की संभावना रहती है। अब तक इस परियोजना के कोयला स्टाक में स्वतः आंच के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ है !

(घ) इस आंच पर काबू पाने के लिए की गई कार्रवाई में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) मिट्टी हटाने के भारी उपकरणों से कोयला स्टाक ठस करना ताकि आक्सीजन न होने पर सक्रिय आंच दब जाए।

(2) सक्रिय आंच वाले कोयला ढेरों को दूसरे ढेरों से अलग करना।

(3) अच्छे प्रेशर के साथ नलों के पानी से आंच वाले कोयला स्टाक को भली-भांति भिगोह देना।

(4) इस स्टाक से अन्य वाशरियों को अधिक प्रेषण करना।

पटना उच्च न्यायालय में लम्बित मामले

4027. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पटना उच्च न्यायालय में गत कई वर्षों से हजारों मामले लंबित पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो इन मामलों के वर्ष-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ग) इन मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) पटना उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजी गई जानकारी संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) साधारणतया, उच्च न्यायालय में, जिसमें पटना उच्च न्यायालय भी सम्मिलित है, लम्बित मामलों की संख्या को कम करने के लिए उठाए गए कदम, संलग्न विवरण-2 में बताए गए हैं।

विवरण-1

पटना उच्च न्यायालय में (केवल मुख्य मामले)

31.12.1983 को लम्बित मामले

अवधि	लम्बित मामलों की संख्या
एक वर्ष से कम	18,885
1 से 2 वर्ष	9,647
2 से 3 वर्ष	6,941
3 से 4 वर्ष	5,713
4 से 5 वर्ष	3,922
5 से 6 वर्ष	3,082
6 से 7 वर्ष	1,801
7 से 8 वर्ष	1,400
8 से 9 वर्ष	685
9 से 10 वर्ष	537
10 वर्ष से अधिक	1,999
योग	54,582

विवरण-2

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए उठाए गए कदम

उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(1) उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के द्वितीय अपील में निर्णय से लैटर्स पेटेन्ट अपील को समाप्त करने के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता का 1976 में संशोधन किया गया (देखिए धारा 100क)।

(2) विधि आयोग की सिफारिशों पर आधारित दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई और उसका 1978 और 1980 में संशोधन किया गया।

(3) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या, जो मार्च, 1977 में 351 थी, बढ़ाकर 1 अगस्त, 1984 में 423 कर दी गई है।

(4) उपर्युक्त के अतिरिक्त, कुछ उच्च न्यायालय मामलों के बेहतर निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित उपाय कर रहे हैं :—

(क) कई उच्च न्यायालयों द्वारा ऐसे मामलों को एक ग्रुप में रखा जाता है जिसमें एक जैसे प्रश्न अंतर्वलित होते हैं ;

(ख) सूचना की तामील के लिए थोड़ा समय देकर सुनवाई के लिए मामले नियत करना।

(ग) अभिलेख के मुद्रण की आवश्यकता को समाप्त करना ;

(घ) कुछ अधिनियमों के अधीन आने वाले मामलों में शीघ्र कार्रवाई करना और उन्हें पूर्विकता देना।

(5) सरकार ने उन राज्यों के, जिनमें 5 वर्ष से अधिक पुराने सिविल मामले भारी संख्या में लम्बित पड़े हैं, मुख्य मन्त्रियों की और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्ति को भी यह लिखा है कि संविधान के अनुच्छेद 224-क के अधीन सेवा-निवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति पर विचार किया जाए।

(6) सरकार ने देश में न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहने के लिए विधि आयोग (10वें विधि आयोग) की नियुक्ति भी की है। विधि आयोग के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित हैं :—

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए कि न्यायिक प्रशासन प्रणाली समयोचित मांगों के अनुरूप हो और विशेष रूप से :—

(i) इस आधारभूत सिद्धांत पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कि विनिश्चय न्यायोचित और निष्पक्ष होनी चाहिए, मामलों के शीघ्र और कम खर्चे पर निपटारे को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विलम्ब समाप्त करने, बकाया मामलों को शीघ्र निपटाने और खर्चों में कमी करने के लिए ;

(ii) तकनीकी बारीकियों और बिलम्बकारी युक्तियों को कम करने और उन्हें समाप्त करने के उद्देश्य से प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, जिससे कि वह साक्ष्य के रूप में नहीं बल्कि न्याय प्राप्त करने के साधन के रूप में कार्य करे; और

(iii) न्याय प्रशासन से सम्बद्ध सभी व्यक्तियों के स्तरों में सुधार करने के लिए :

न्यायिक प्रशासन प्रणाली की समीक्षा करते रहना ।

(ख) सार्वजनिक महत्व के केन्द्रीय अधिनियमों का पुनरीक्षण करना जिससे कि उन्हें सरल बनाया जा सके और उनकी विषमताओं, संदिग्धार्थताओं और असमानताओं को दूर किया जा सके ।

(ग) अप्रचलित विधियों और अधिनियमितियों की या उनके ऐसे भागों को, जिनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, निरसित करके कानून पुस्तक को अद्यतन बनाने के उपायों की सरकार को सिफारिश करना ।

(7) विधि आयोग की 79वीं रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की समीक्षा की गई है । अधिकांश सिफारिशों पर राज्य सरकारों और उच्च न्यायालयों द्वारा कार्रवाई की जानी है, इसलिए, वे सिफारिशें, संघ सरकार के विचारों सहित, उनको भेज दी गई हैं और उनसे आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है ।

(8) सरकार ने उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों के बकाया की समस्या की समीक्षा करने के लिए और उसके लिए उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए 3 मुख्य न्यायमूर्तियों की एक अपरूपिक समिति गठित की है ।

अधिकारियों की मिलीभगत से कोयले की चोरी

4028. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1984 के "जनयुग" में "अधिकारियों से सांठगाठ कर कोयले की चोरी" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाथा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समाचार में कोयले की चोरी के रहस्योद्घाटन के बारे में कोई जांच कराई गई है;

(ग) इस चोरी में किन व्यक्तियों का हाथ है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) भविष्य में इस प्रकार चोरी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) तथ्यों की जानकारी के लिए किए गए अन्वेषण से पता चला है कि कोयले की चोरी नहीं हुई थी ।

(ग) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

तलाई-घुमरविन के बीच टेलीफोन सम्पर्क

4029. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग ने तलाई-घुमरविन टेलोफोन सम्पर्क स्थापित करने सम्बन्धी प्रस्ताव को इस बीच स्वीकृति दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो उसे किस तारीख को स्थापित कर दिया जाएगा और घुमरविन स्थित बड़े एक्सचेंज से तलाई एस० ए० ए० एक्स० को जोड़ दिया जायेगा ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) तलाई स्थित छोटे स्वचल एक्सचेंज के घुमरविन के साथ जोड़े जाने का कार्य मार्च, 1983 तक पूरा होने की आशा है ।

निर्वाचनों में धनशक्ति का प्रयोग

4030. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि निर्वाचन आयोग ने "धन शक्ति" को एक ऐसा विकार बताया है जिसका स्वरूप आज "भयोत्पादक" बन गया है और यदि हां, तो उसके लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : निर्वाचन आयोग ने निर्वाचनों में धन शक्ति की भूमिका पर चिन्ता व्यक्त करते हुए उस पर रोक लगाने के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे हैं । ये प्रस्ताव आयोग द्वारा सितम्बर, 1982 में भेजे गए निर्वाचन सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों के पैकेज में दिए गए हैं । इन प्रस्तावों को लोक-सभा के तारीख 5-4-1983 के अतारांकित प्रश्न सं० 5754 के उत्तर में सदन के पटल पर रखा गया था । पूर्वोक्त पैकेज की सूची III और IV में ऐसे विभिन्न सुझाव हैं जो निर्वाचनों में धन शक्ति के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए आशयित हैं । सरकार इन प्रस्तावों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

स्वर्ण मन्दिर परिसर में नशीले औषध और विदेशी शराब पाये जाने के सम्बन्ध में दूरदर्शन की रिपोर्ट

4031. **श्री सतीश अग्रवाल** :
प्रो० मधु दण्डवते :
श्री राम विलास पासवान :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 25 जून, 1984 के "टेलीग्राफ" में छपी रिपोर्ट के अनुसार, प्रेस

ट्रस्ट आफ इंडिया पर इस आशय का बार-बार दबाव डाला जा रहा है कि वह अपने संवाददाता द्वारा भेजे गए इस समाचार का, पी० टी० आई० ने अमृतसर में सैनिक कार्यवाही के दिन टेली-प्रिंटर द्वारा प्रेषित किया था, खण्डन को कि स्वर्ण मन्दिर काम्पलेक्स में नशीले औषध बरामद हुए थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि खण्डन करने का अनुरोध पी० टी० आई० के पास उक्त समाचार प्रसारित किए जाने के 10 दिन बाद आया था;

(ग) क्या सरकार ने भी दूरदर्शन पर अपनी पहले की रिपोर्ट में परिवर्तन कर दिया था और किसी भी नशीले पदार्थ (नार्कोटिक्स) और विदेशी शराब की बोतलें मिलने का खण्डन किया था;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) अपनी पहले की रिपोर्ट का खंडन करने के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि स्वर्ण मन्दिर परिसर में नशीले औषध का पता लगने सम्बन्धी पी० टी० आई० की रिपोर्ट का बाद में समाचार एजेंसी द्वारा खण्डन किया गया था। तथापि, सरकार द्वारा पी० टी० आई० पर अपने समाचार का खण्डन करने के लिए दबाव डाले जाने का कोई प्रश्न नहीं है। समाचार एजेंसी को, उचित जांच करने के बाद, जिसमें कुछ समय लगा, केवल वास्तविक स्थिति से अवगत कराया गया था।

(ग) से (ङ) जब वास्तविक स्थिति का पता चला तो दूरदर्शन ने भी 25 जून, 1984 के अपने बुलेटिन में इसका उपयुक्त खण्डन किया था।

उर्वरक संयंत्रों की आन्तरिक लेखापरीक्षा

4032. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक संयंत्रों के लिए लेखा परीक्षाओं के कितने पद अनिवार्य हैं और ऐसे कितने पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में उर्वरक संयंत्रों में लेखा परीक्षकों द्वारा वित्त निदेशकों के महाप्रबन्धकों को आन्तरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की परिपाटी का पालन किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इसे अनिवार्य बनाएगी कि वर्तमान चार उर्वरक संयंत्रों के अंतर्गत कई कारखानों पर निगरानी बढ़ाने की दृष्टि से उनमें नियंत्रण रखने और सुधार लाने हेतु तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में सुधार तथा कार्यकुशलता लाने हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट सीधे चेयरमैन-व-प्रबन्ध निदेशक तथा वित्त मन्त्रालय को प्रस्तुत किए जाएं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) संभवत: संदर्भ फटिलाइजर कारपोरेशन ऑफ इंडिया का है। कारपोरेशन में आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए स्वीकृत पदों की संख्या 40 हैं जिनमें से 39 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कलकत्ता में स्थित उसके औद्योगिक उत्पाद प्रभाग कार्यालय में पिछले 7/8 महीनों से केवल एक पद रिक्त पड़ा है। उस पद को भरने के लिए कार्यवाही जारी है।

(ख) जी हां।

(ग) आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्टों को निदेशक (वित्त) प्रमुख कार्यपालक के समक्ष तथा जहां उन्हीं के माध्यम से कम्पनी के निकाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए पहले ही से सरकारी निर्देश हैं।

उत्प्रवास संबंधी अधिनियम के अन्तर्गत दोषी भर्ती ऐजेंटों को दण्ड

4033. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **श्रम और पुनर्वास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भर्ती एजेंटों द्वारा उत्प्रवासी श्रमिकों से अधिक प्रभार वसूल किए जाने और उन्हें धोखा देने जैसे जुर्मों में उत्प्रवास अधिनियम के अन्तर्गत दो वर्ष तक की सजा तथा 2,000 रुपए का जुर्माना बहुत कम नहीं है क्योंकि ऐसे बेईमान एजेंटों द्वारा प्रति व्यक्ति कम से कम 10,000 रुपये वसूल करते के अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन बेईमान एजेंटों के विरुद्ध क्या कठोर उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या किसी मामले में दण्ड दिया गया है; और

(घ) क्या इन अपराधों के लिए किसी एजेंट/मान्यता प्राप्त नियोक्ता द्वारा जमा की गई जमानत जब्त की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं। उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अधीन दाण्डिक उपबन्ध, बेईमान एजेंटों द्वारा बेईमानी, जालसाजी, धोखाधड़ी करने आदि जैसे जुर्मों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन पहले से ही उपलब्ध उपबन्धों के अतिरिक्त है। नए अधिनियम में पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलम्बित रद्द

करने और जमानत जब्त करने तथा एजेंट को कम से कम दो साल तक फिर आवेदन करने से वंचित करने की व्यवस्था है।

(ख) बेईमान एजेंटों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस समय विद्यमान कानून के उपबन्धों को प्रर्याप्त समझा गया है।

(ग) और (घ) सरकार के ध्यान में ऐसी कोई घटना या मामला नहीं आया है क्योंकि उत्प्रवास अधिनियम, 1983 केवल कुछ महीने पहले ही लागू हुआ है।

इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा वाराणसी में गाजीपुर रोड पर एक पेट्रोल पम्प उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव

4034. **श्री निहाल सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड द्वारा वाराणसी में गाजीपुर रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर एक पेट्रोल पम्प उपलब्ध कराये जाने संबंधी किसी प्रस्ताव पर 5 जुलाई, 1977 को विचार किया गया था, और जनवरी, 1978 में उसकी एक रूपरेखा ओर नक्शा संख्या डी/0742-ए दे दिए गए थे तथा 19 अप्रैल, 1978 को जमानत राशि के रूप में 26,000 रुपये भी जमा करा दिए गये थे;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई कारण दर्शाये बिना ही, आवेदक द्वारा जमा की गई 26,000 रुपये की जमानत राशि लौटा दी गई थी जबकि तब तक आवेदक निर्माण संबंधी नक्शों पर हजारों रुपये खर्च कर चुका था; और

(ग) यदि हां, तो उक्त आवेदक को पहले पेट्रोल पम्प के लिए जमानत राशि जमा करने हेतु क्यों कहा गया था और बाद में उस प्रस्ताव को नामंजूर क्यों कर दिया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) वाराणसी में गाजीपुर रोड राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर एक एच० एस० डी० के एक मात्र खुदरा बिक्री केन्द्र की व्यवस्था करने का प्रस्ताव था। वर्ष 1978 में धनराशि जमा करा दी गई थी।

(ख) जी नहीं। आवेदक को इण्डो-वर्मा पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा अपने दिनांक 13 जून, 1978 के पावती सहित पंजीकृत पत्र से व्यापार एवं जमानत राशि लौटाने का कारण बता दिया गया था। उपलब्ध सूचना के अनुसार, आवेदक पहले से ही प्रस्तावित स्थल का स्वामी था और प्रस्ताव के वापस लिये जाने तक उसने कोई खर्चा नहीं किया था।

(ग) कम्पनी ने निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव को वापस लिया था :

1. सितम्बर, 1977 में समान नीति मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे, जिनमें विज्ञापन के तथा डीलरों की नियुक्ति हेतु चयन के लिए प्रक्रिया निर्धारित की गई थी।

2. अपेक्षित औपचारिकताओं को 30 अप्रैल, 1978 तक पूरा नहीं किया गया था, जो कि सितम्बर, 1977 की मार्गदर्शी सिद्धांतों से पूर्व अवधि के मामलों के संबंध में कम्पनी द्वारा तय की गई अन्तिम तिथि थी।

दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा

4035. **श्री भीखाभाई :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 1984 में दिल्ली न्यायिक सेवा परीक्षा आयोजित करने का विचार है;

(ख) क्या उक्त परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र होने की अधिकतम आयु तारीख 1 जनवरी, 1985 को, 32 वर्ष है;

(ग) क्या 32 वर्ष की आय की पूरी करने की तारीख बदलकर 5 जुलाई, 1984, जो पदों के विज्ञापन (परीक्षा) की तारीख है, करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो पात्रता के लिये 32 वर्ष की अधिकतम आयु पूरी करने के लिये वर्ष 1985 में कोई तारीख नियत करने के क्या कारण हैं, जबकि अक्तूबर, 1984 में परीक्षा आयोजित करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली उच्च न्यायालय और/या दिल्ली प्रशासन के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) जैसा कि ऊपर पैरा (ख) में बताया गया है, आयु संबंधी पात्रता, दिल्ली न्यायिक सेवा नियम, 1978 के निलम 14(ग) के अनुसार नियत की गई है, यह नियम निम्नलिखित रूप में हैं :—

"कोई अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने के लिये पात्र तभी होगा जब वह परीक्षा प्रारंभ होने की तारीख के आगामी जनवरी को 32 वर्ष की आयु से अधिक का नहीं है।"

भाखड़ा परियोजना के लिए त्वरित योजना

4036. **श्री बी० बी० देसाई :** क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हरियाणा सरकार ने भाखड़ा परियोजना के लिये एक त्वरित योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसे केन्द्रीय सरकार के पास भेजा गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इसे अपनी स्वीकृति दे दी है; और

(घ) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा हरियाणा को कितनी सहायता दी गई थी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) जी, नहीं, 21.

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस द्वारा 500 रुपये की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दिए जाने का आह्वान

4037. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों के लिये प्रति माह 500 रुपये की राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी दिये जाने के लिये आह्वान किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) इस अवस्था पर यह व्यवहार्य नहीं समझा गया कि असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिपे एक समान राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाये ।

उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत जनशक्ति के निर्यात के लिए एजेंसियों को लाइसेंस देना

4038. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नए उत्प्रवासी अधिनियम, 1983 के लागू होने के बाद अनेक एजेंसियों को अब तक लाइसेंस नहीं दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो नए अधिनियम के लागू होने के बाद से आज तक कितने आवेदन प्राप्त हुये हैं और कितने आवेदकों को लाइसेंस दिए गये हैं और कितने आवेदन नामंजूर कर दिये गये हैं;

(ग) उन एजेंसियों, जिनके आवेदन रद्द किए गये हैं, को उनके आवेदन रद्द करने के आधार के विषय में सूचना नहीं दी जा रही है;

(घ) क्या यह भी सच है कि कुछ एजेंटों को भी, जिन्हें सफेदपोश अपराधों के लिए सजा दी गई है, लाइसेंस दिए गये हैं; और

(ङ) क्या सरकार लाइसेंस जारी करने के पूरे मामले की जांच करेगी और उपचारात्मक उपाय करेगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) जी नहीं। 732 आवेदकों का पंजीकरण किया गया है। अभी तक पंजीकरण हेतु 1683 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से कुल 1185 आवेदकों को "पात्रता पत्र" जारी किए गए हैं। पूरे ब्यौरे न होने के कारण बाकी 498 आवेदनों की जांच की जा रही है।

(घ) पंजीकरण इस वचन के आधार पर किया जाता है कि आवेदक को सजा नहीं हुई है। फिर भी, यदि यह पाया जाता है कि आवेदक ने आवेदन-पत्र में गलत सूचना दी है तो उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के उपबन्धों के अनुसार उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलम्बित/रद्द किया जा सकता है।

(ङ) इस मामले में जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि आवेदन-पत्रों पर उचित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

लघु उद्योग और संगठित क्षेत्र में अन्यों द्वारा बिना स्वीकृति के औषधियों की बिक्री

4039. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक लघु उद्योग मूल्यों की स्वीकृति लिए बिना अपने उत्पादों के किसी दूसरे के माध्यम से बिक्री कर रहे हैं यद्यपि उनकी बिक्री 50 लाख रुपये से भी अधिक की है;

(ख) यदि हां, तो उन एककों के नाम क्या हैं जिनकी बिक्री 50 लाख रुपये की सीमा को पार कर गई है;

(ग) क्या यह सच है कि संगठित क्षेत्र के एकक अपने संबद्ध लघु एककों के उत्पादों की बिक्री बहुत ऊंचे दामों और बिना स्वीकृति के कर रहे हैं, यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में मन्त्रालय को सूचना मिली है; और

(घ) वर्तमान नियमों के अन्तर्गत ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें 50 लाख रुपये से अधिक बिक्री वाले लघु उद्योग क्षेत्र के एकक अपने उत्पादों को दूसरे एककों के माध्यम से बेच रहे हैं। ऐसे एककों तथा अन्य एककों, जिनके साथ वे सम्बद्ध हैं, के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। सम्बद्ध उत्पादकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं तथा यह सलाह दी गई है कि औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के उपबन्धों के अधीन मूल्य निर्धारण के लिए आवेदन-पत्र दें।

विवरण

बिना मूल्य अनुमोदन के उत्पादों का विपणन करने वाले एकक का नाम	उस कंपनी के नाम जिसके साथ एकक संबद्ध है
1. मै० पनामा इन्डस्ट्रीज एण्ड लेब्स	मै० वार्कादत प्रा० लि०
2. मै० अटलांटा फार्मा०	मै० यू० एस० विटामिन्स
3. मै० मोनाट्री	मै० रेनबेक्सी लेब्स लि०
4. मै० इनक्यूनिक फार्मा०, बम्बई	मै० यूनीक्यू फार्मा०
5. मै० रामा फार्मा०	मै० धुफर इन्टरफान बम्बई
6. मै० कोसमोचेम प्रा० लि०	मै० जर्मन रिमेडीज लि०
7. मै० आनन्द सिनथोचेम	मै० फेयरडीन कारपोरेशन
8. मै० जर्मनड फार्मा. प्रा० लि०	मै० जर्मन रिमेडीज लि०
9. मै० अखिल फार्मा०	मै० फेयरडील कार्पो०
10. मै० सलेम	मै० सर्ले (इण्डिया) लि०
11. मै० यूनीवर्सल जिनेटिक्स	मै० रूसल फार्मा०
12. मै० बिडिल स्वेयर बम्बई	मै० रूसल फार्मा०

मै० आनन्द सिन्थोकेम द्वारा अपने उत्पादों के लिए अधिक मूल्य वसूल किया जाना

4040. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैं० आनन्द सिन्थोकेम ने गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी बिक्री की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान संयंत्र और मशीनरी पर वर्ष-वार उसने कितनी पूंजी लगाई है; और

(ग) क्या यह सच है कि आनन्द सिन्थोकेम के उत्पाद ऊंचे दाम पर बिक रहे हैं, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों के दौरान मैं० आनन्द सिन्थोकेम की कुल बिक्री नीचे दी गई है :—

वर्ष (जुलाई को समाप्त वर्ष)	**बिक्री कर को छोड़कर कुल बिक्री (रु० लाख)**
1980-81	151.15
1981-82	167.78
1982-83	169.92

संयंत्र और मशीनरी पर उनके निवेश के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) मैं० आनन्द सिन्थोकेम में इस तथ्य के बावजूद भी अपने किसी भी उत्पाद के लिए मूल्य अनुमोदन प्राप्त नहीं किया कि उनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख रु० की छूट की सीमा से अधिक है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और डी० पी० सी० ओ० 1979 के प्रावधानों के अनुसार मूल्य निर्धारित करने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने का निर्देश भी दिया गया है ।

मैं० वरो वेलकाम द्वारा अनेक इण्टरमीडिएट औषधियों का आयात

4041. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बहुराष्ट्रिक कंपनी वरो वेलकाम अपनी मूल कंपनी से पाली मैक्सोन बी सल्फेट, इथरीटल टेट्रानाइट्रेट, एनीमैट्रीन, मेलीज, पेथानीडील सल्फेट क्लोरो साइलेडीन प्रोक्सीलेडीन एच० सी० एल०, नेलोरफीन, पापनरीन, हाइड्रोक्लोराइड, ग्रेमीसीडन, मेथाडीन, एच० सी० एल० सोलापयोन, थायराक्सीन, मेथीक्सीमनि एच० सी० एल० और अनेक अन्य इन्यरमीडिएट्स का आयात कर रही है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार इनकी कितनी मात्रा का और किस मूल्य पर आयात किया गया; और

(ग) अधिक मूल्य के बीजक बनाए जाने को रोकने के क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) 31 अगस्त, 1983 को समाप्त वर्ष के दौरान मै० वुरोज वेलकम द्वारा 15.33 लाख रु० के सी० आई० एफ० मूल्य पर 500 बी० यू० पोलिमिक्सिन बी० सल्फेट का आयात करने की सूचना है। अन्य ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। उपलब्धि की सीमा तक सूचना एकत्र की जाएगी और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"स्वतन्त्रता के 35 वर्ष" नामक फिल्म

4042. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म प्रभाग ने "स्वतन्त्रता के 35 वर्ष" नाम की एक फिल्म बनाई है, जिसमें देश की ऐतिहासिक घटनाएं और विकास की गतिविधियां दर्शाई गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि फिल्म में आपात्कालीन स्थिति और 1977 तथा 1980 में सरकार के बदले जाने का कोई उल्लेख नहीं है; और यदि हां, तो उसके क्या कारण है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) "स्वतंत्रता के पैंतीस वर्ष" नामक फिल्म का आकलन महत्वपूर्ण गणतन्त्र दिवस तथा स्वाधीनता दिवस समारोहों के मिश्रण के साथ स्वाधीनता के बाद विभिन्न विकासीय क्षेत्रों में हुई प्रगति तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग में भारत की भूमिका पर प्रकाश डालने के लिए किया गया था। आपातकालीन स्थिति तथा 1977 और 1980 में सरकारों के बदले जाने का कोई उल्लेख नहीं है, क्योंकि ये फिल्म की विषय वस्तु के अंग नहीं थे।

औषधियों पर लगने वाले करों को समाप्त करना

4043. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्राहकों से कम मूल्य लेने की दृष्टि से औषधियों पर लगने वाले करों और शुल्कों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) करों एवं शुल्कों को युक्तिसंगत करने के कुछ प्रस्तुत किए गए हैं।

(ख) राज्य सरकारों ने बिक्री कर को समाप्त करने के सम्बन्ध में संकोच प्रकट किया है।

देश में गेमैक्सीन पाउडर के उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करना

4044. **श्री रामलाल राही** : क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कितने कारखाने गेमैक्सीन पाउडर का उत्पादन कर रहे हैं और जिस किस्म की गेमैक्सीन के लिए लाइसेंस जारी किए गए हैं, उसके बारे में कारखानेवार ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 49 फैक्टरियों में जिस गेमैक्सीन पाउडर का उत्पादन हो रहा है उसमें केवल 5 से प्रतिशत तक गेमैक्सीन है जो मच्छरों को मारने में अक्षम है; और

(ग) यदि हां, तो इन कारखानों को इस किस्म की गेमैक्सीन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस जारी करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) गेमैक्सिन, अल्कली एण्ड केमिकल कार्पोरेशन आफ इण्डिया (अब इण्डियन एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड) केबेन्जीन हैक्साक्लोराइड (वी० एच० सी०) फार्मूलेशनों का व्यापारिक नाम है। प्रतिवर्ष 200 टन वी० एच० सी० टैक्मीकल का निर्माण करने हेतु एक औद्योगिक लाइसेंस उनको 1966 में जारी किया गया था। यह लाइसेंस उनको अपने उत्पादन का 50% स्वयं फार्मूलेट करने की अनुमति देता है। कम्पनी ने सरकार को सूचित किया है कि उन्होंने गेमैक्सिन फार्मूलेशनों का निर्माण बन्द कर दिया है।

(ख) और (ग) इस समय देश में गेमैक्सीन का निर्माण नहीं किया जाता। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पैस्टिसाइड्स फार्मूलेशनों के निर्माण के लिए इन्सैक्टीसाइड्स एक्ट 1968 के अधीन 42 निर्माण लाइसेंस प्रदान किये गये हैं।

5 से $7\frac{1}{2}\%$ शक्ति वाले वी० एच० सी० फार्मूलेशन मच्छरों को मारने के लिये नहीं हैं।

मिट्टी के तेल के डिपुओं को रद्द करना

4045. **श्री भीखा भाई** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन पहाड़गंज क्षेत्र सर्किल संख्या 26 और 28 में मिट्टी के तेल के कुछ डिपुओं को रद्द कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन डीलरों के नाम क्या हैं और इन डिपुओं को रद्द करने के विशेष कारण क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे निम्नलिखित रूप में हैं :—

मंडल	लाइसेंसधारी का नाम तथा पता	कारण
26	मैसर्स जनता सेल्स डिपो, तेल मंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली मिट्टी के तेल का लाइसेंस संख्या 1921/78	(क) अधिकृत मात्रा से अधिक बिक्री की गई (ख) स्टाक से 228 लिटर अधिक पाया गया। (ग) मिट्टी का तेल एक खाद्य पर एक पखवारे में एक से अधिक बार जारी किया गया था जिससे कि विद्यमान अनुदेशों का उल्लंघन हुआ।
28	मैसर्स राजपती के० आयल डिपो (फेरीवाला) लाइसेंस संख्या 90/721 9544, मुल्लानी ढांडा पहाड़गंज, नई दिल्ली	यह लाइसेंसधारी बहुत दिनों से कार्य नहीं कर रहा था और उसने मंडल कार्यालय को कोई सूचना भी नहीं भेजी थी।

मैसर्स बार्नर हिन्दुस्तान द्वारा बिना प्राधिकार औषधियों का उत्पादन और विपणन

4046. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी बार्नर हिन्दुस्तान बिना प्राधिकार कई मदों का विपणन कर रही है और यदि हां, तो उत्पादों का नाम, संरचना क्या है तथा इनका कब से उत्पादन और विपणन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम्पनी आइसोकिन टेबलेट्स आइसोकिन लिक्विड जैसी तपेदिक विरोधी और लिस्टरीन आदि जैसे एण्टीसेप्टिक औषधियों का भी मूल्यों को मंजूरी लिए बिना और अन्य कई उत्पादों का विपणन कर रही है;

(ग) मूल्यों की मंजूरी प्राप्त किए बिना विपणन किए जाने वाले सभी उत्पादों के नाम क्या हैं और इस कम्पनी के विरुद्ध कार्यवाही न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस कम्पनी ने अनधिकृत रूप से संयंत्र और मशीनों की

स्थापना कर ली है, यदि हां, तो पिछले दस वर्षों के दौरान इस प्रकार की गई वृद्धि का वर्षवार ब्यौरा क्या है और कम्पनी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां, औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन संदिग्ध वैधता के प्राधिकार अधीन कम्पनी द्वारा निर्मित किए जाने वाले सूत्रयोगों के नाम दर्शाने वाला विवरण 1 संलग्न है ।

(ख) और (ग) बिना मूल्य अनुमोदन के आइसोकिन तरल के तथा सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्य से अधिक की मदों पर 300 मि० ग्रा० की आइसोकिन गोलियों तथा लिस्ट्रीन का विपणन करने के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं । कम्पनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है तथा वैधानिक प्रक्रिया ने अनुसार कार्यवाही जारी है ।

(घ) गत दस वर्षों के दौरान कम्पनी द्वारा अतिरिक्त संयंत्र तथा मशीन रोकी स्थापना पर व्यय धनराशि का वर्षवार ब्यौरा देने वाला विवरण 2 संलग्न है । जहां तक अनुवर्ती वृद्धि के लिए सरकार के अनुमोदन का संबंध है, कम्पनी ने बताया है कि ये या तो प्रतिस्थापित या संतुलन उपकरण थे तथा उनके लिए सरकारी अनुमोदन अपेक्षित नहीं था ।

विवरण-1

दिनांक 21.8.84 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4046 के भाग (क) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण-पत्र

क्रम संख्या	मद	जारी होने की तारीख
1	2	3
1.	एगेरोल एम इगलशन	अनुपलब्ध
2.	वाटरवरीज फैमीवोन	,,
3.	आइसोकिन 650	,,
4.	पैराविटा एम	,,
5.	रेडिप्लैक्स तरल	,,
6.	टेडरल सी गोलियां	,,
7.	टेडरल ई गोलियां	,,
8.	स्प्लीप्लैक्स सी गोलियां	29.10.73
9.	आइसोकिन 300 गोलियां	26.6.71

1 2	3
10. न्यूट्रीफिल तरल	4.10.70
11. रेडिप्लैक्स गोलियां	24.4.71
12. एनलजैसिक एच सी मरहम	25.2.69
13. टैडरल तरल	5.11.68
14. डाल्स मैन्थोलिप्टिस	9.10.70
15. कोस्किन लिंगटस	15.7.69
16. आइसोकिन टी फार्म	30.9.69
17. आइसोकिन तरल	17.4.73
18. आवसीअर तरल	30.9.79
19. जैलोसिल एम. पी. एस. गोलियां	29.10.73
20. जैलोसिल एम. पी. एस. तरल	5.12.73
21. आइसोकिन गोलियां 100 मिग्रा	अनुपलब्ध

विवरण-2

क्रम संख्या	वर्ष	राशि (लाख रु० में)
1.	1974	30.85
2.	1975	6.01
3.	1976	8.02
4.	1977	15.60
5.	1978	40 01
6.	1979	11.98
7.	1980	5.91
8.	1981	22.04
9.	1982	21.34
10.	1983	59.25

विदेशी डाक-घर

4047. **श्री अमर सिंह राठवा :**
श्री नवीन रावणी :

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने विदेशी डाकघर हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं;

(ख) क्या देश में ऐसे और डाकघर स्थापित करने का कोई विचार है, यदि हां, तो इनके लिए चुने गए स्थानों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या गुजरात सरकार ने गुजरात में सूरत में विदेशी डाकघर खोलने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की है और यह डाकघर कब तक खोले जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) नौ। चार मुख्य विदेश डाकघर बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में स्थित हैं तथा पांच उप-विदेश डाकघर कोचीन, जयपुर, श्रीनगर, बेंगलूर और अहमदाबाद में स्थित हैं।

(ख) जी हां।

(एक) उत्तर पश्चिमी सर्किल में अमृतसर या चंडीगढ़ में

(दो) हैदराबाद

(तीन) पुणे

(चार) वाराणसी

(ग) और (घ) जी हां। केन्द्रीय आबकारी एवं सीमा शुल्क बोर्ड, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) को प्रस्ताव भेजा गया था। उन्होंने इस मामले की जांच की तथा परियात की मात्रा अपर्याप्त होने के कारण इसे अस्वीकार कर दिया।

मध्य प्रदेश में स्वचालित टेलीफोन और टेलेक्स एक्सचेंज स्थापित करना

4048. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के कुछ जिलों में स्वचालित टेलीफोन और टैलेक्स

एक्सचेंजों की स्थापना के बारे में, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक समझा गया है, सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां। सिधी और जबलपुर जिलों में कुछ स्थानों पर स्वचल टेलीफोन/टेलेक्स एक्सचेंज खोलने के लिए मध्य प्रदेश शासन से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) (1) जबलपुर जिले के बेरही स्थान पर छोटा स्वचल एक्सचेंज खोला गया था।

(2) मध्यम आकार के स्वचल एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध न होने के कारण सिधी एक्सचेंज का 140 लाइनों से 200 लाइनों में करचल आधार पर विस्तार किया गया था।

(3) पर्याप्त मांग न होने के कारण सिंगरोली में टेलेक्स एक्सचेंज नहीं खोला जा सका।

मध्य प्रदेश के दूर-दराज वाले ग्रामीण जिलों में नए डाकघर खोलना

4049. **श्री दलीप सिंह भूरिया : क्या संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य के दूर-दराज वाले ग्रामीण जिलों के कुछ गांवों में नए डाकघर खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय भाषा में प्रसारण

4050. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने मध्य प्रदेश की ग्रामीण और आदिवासी छवि को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय भाषा में अधिक प्रसारण संबंधी विषय पर विभिन्न अन्तर संचार समन्वय बैठकों में आकाशवाणी के अधिकारियों का ध्यान आकर्षित किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, नहीं जैसा कि इस समय है, मध्य प्रदेश में स्थिति आकाशवाणी केन्द्रों द्वारा प्रसारित किए जाने वाले अधिकांश कार्यक्रम प्रादेशिक भाषा अर्थात हिन्दी में होते हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

भोपाल दूरदर्शन का निर्माण सुविधाएं

4051. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने यह अनुरोध किया है कि जब तक भोपाल में निर्माण सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की जाती तब तक राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रसारण सामग्री तैयार करने के लिए भोपाल में दूरदर्शन दल की एक छोटी यूनिट नियुक्त की जानी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) यद्यपि भोपाल में दूरदर्शन दल तैनात करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है, राज्य की महत्वपूर्ण घटनाओं का दूरदर्शन कवरेज दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से या उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली से विशेष दल को भेज कर किया जाता है । इसी प्रकार, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर में उपलब्ध दल का उपयोग भी इस प्रकार के प्रयोजनों के लिए किया जाता है । इसके अलावा दूरदर्शन द्वारा घटनाओं का कवरेज फिल्म प्रभाग के कैमरामैन, जो भोपाल में तैनात है और जिसे दूरदर्शन द्वारा इस प्रयोजन के लिए कैमरा उपलब्ध किया गया है, से प्राप्त किया जाता है । इसके अलावा, जब भी आवश्यकता होती है, भोपाल में तैनात दो फिल्म स्ट्रिन्जरों की सेवाओं का भी उपयोग किया जाता है ।

वर्ष 1984-85 के लिए अखबारी कागज के आबंटन सम्बन्धी नीति

4052. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** :
श्री कृष्ण कुमार गोयल :
श्री बी० वी० देसाई :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय समाचार पत्र सम्पादक सम्मेलन के अध्यक्ष ने कहा बताते हैं (दिनांक 27 जुलाई, 1984 का हिन्दुस्तान टाइम्स) कि समाचारपत्रों को 1984-85

के लिए अखबारी कागज के आबंटन हेतु सरकार की नीति विशेषकर मझोले समाचार पत्रों के लिए उक्त नीति भेदभावपूर्ण है;

(ख) यदि हां, तो इस भेदभाव को किस आधार पर न्यायोचित बताया गया है; और

(ग) सरकार इस श्रेणी के समाचार पत्रों की कठिनाइयों को कम करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। समाचार के अनुसार, आल इण्डिया न्यूजपेपर्स एडिटर्स कान्फ्रेंस के अध्यक्ष ने 1984-85 के लिए अखबारी कागज आबंटन नीति पर टिप्पणी करते हुए, अन्य बातों के साथ-साथ यह सुझाव दिया कि मझोले समाचारपत्रों को किए जाने वाले स्वदेशी आबंटन पर बोझ कम करने की दृष्टि से 300 और 600 टन के बीच अखबारी कागज के आबंटितों को स्वदेशी और आयातित अखबारी कागज 50 : 50 के अनुपात में दिया जाना चाहिए।

(ख) और (ग) मझोले समाचारपत्रों के साथ भेदभाव का आरोप सही नहीं है। अखबारी कागज आबंटन नीति अखबारी कागज की अनुमानित मांग तथा स्वदेशी उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हर वर्ष तैयार की जाती है। अखबारी कागज के आयात का सहारा, मांग और स्वदेशी उपलब्धता के बीच जितनी कमी होती है उतनी हद तक लिया जाता है। अखबारी कागज के बढ़ते स्वदेशी उत्पादन से यह अनिवार्य है कि समाचारपत्रों को अधिकाधिक स्वदेशी अखबारी कागज स्वीकार करना होगा। तथापि, 300 मीट्रिक टन तक की वार्षिक हकदारी वाले लघु तथा मझोले समाचारपत्रों को यह छूट है कि वे अपनी आवश्यकता का आयातित और/या स्वदेशी अखबारी कागज पूर्णरूप में या चरणों में उठाएं।

'मीट्रोनियाडाजोल फोरमुलेशन्स' पर अर्जित अनाशयित लाभों की वसूली

4053. **श्री हरिकेश बहादुर :**
श्री अनवार अहमद :
श्री निहाल सिंह :

क्या रसायन तथा उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मीट्रोनिआडाजोल के लिए फोरमुलेशन सूत्यों को औषध मूल्य नियंत्रण आदेश के अन्तर्गत 497.98 रु० प्रति किलो के कच्ची सामग्री मूल्य पर निर्धारित किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि यूनिकेम लेब्स आदि जैसी सुप्रसिद्ध कम्पनियों मीट्रोनिआडाजोल को लगभग 275 रु० प्रति किलो के कच्ची सामग्री मूल्य पर निर्धारित किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो लाभ प्राप्त करने वाली फर्मों के नाम क्या हैं तथा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रमुख कम्पनियों को कितना अनाशयित लाभ हुआ और उसे वसूल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य के कम मूल्य मेट्रानिडाजोल की बिक्री कर के कुछ रिपोर्टें सरकार के ध्यान में आई हैं । निर्माता किसी भी ऐसे मूल्यों पर बल्क औषधों की बिक्री करने में स्वतन्त्रता है जो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों से अधिक न हो ।

(ग) मेट्रोनिडाजोल पर आधारित फार्मूलेशनों के 19 निर्माताओं को खरीदी गई मात्रा, खरीद की दर, आदि के ब्यौरे भेजने हेतु नोटिस जारी किए गए हैं और उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं । वसूली की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रियानुसार चल रही है । अनभिप्रेत लाभ की मात्रा का इस अवस्था में अनुमान नहीं लगाया जा सका ।

विवरण

1. मै० स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लि०
2. मै० यूनीकैम लेबोरेटरीज
3. मै० फेयरडील कार्पोरेशन
4. मै० यूनीक्यू फार्मास्यूटिकल्स
5. मै० इफयूनिक फार्मास्यूटिकल्स
6. मै० थिराप्यूटिक फार्मा०
7. मै० मे एण्ड बेकर
8. मै० बम्बई ड्रग्स हाउस
9. मै० डोलफिन लेबोरेटरीज
10. मै० सिपला
11. मै० सर्ले (इंडिया) लि०
12. मै० केरला स्टेट ड्रग्स एण्ड फार्मा०
13. मै० तमिलनाडु दाधा फार्मा०
14. मै० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०

1 2

15. मै० बम्बई गोलियां

16. मै० खण्डेलवाल लेबोरेटरीज

17. मै० एरिस्टो फार्मा०

18. मै० एलबर्ट डेविड

19. मै० जगशन पाल एण्ड कम्पनी ।

सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली के बीच सीधी ट्रंक डायलिंग सुविधाएं

4054. **श्रीमती जयंती पटनायक :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली के बीच तथा सभी राज्यों की राजधानियों का संबंधित राज्यों के जिला मुख्यालयों के साथ सीधी ट्रंक डायलिंग सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं;

(ग) इस प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) ऐसी सुविधा सम्भवतः किस वर्ष तक मुहैया हो जाएगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) उपरोक्त प्रस्ताव लागू करने की दृष्टि से निम्नलिखित कार्य पूरा करने की योजनाएं बनाई गई हैं :—

(एक) नए ट्रंक स्वचल एक्सचेंज स्थापित करना और वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करना ।

(दो) आवश्यकतानुसार विश्वसनीय संचारण माध्यम उपलब्ध कराना ।

(तीन) आवश्कतानुसार उपयुक्त किस्म के स्वचल एक्सचेंज स्थापित करना ।

(चार) जिला-मुख्यालयों के स्थानीय एक्सचेंजों में संयोजक उपस्कर संस्थापित करना ।

(ग) छठी योजना परिव्यय के अन्तर्गत इन योजनाओं के लिए 1882 करोड़ रुपये की धनराशि आबंटित की गई है ।

(घ) 30-6-84 की स्थिति के अनुसार, एस० टी० डी० सुविधाएं निम्न प्रकार थीं:—

22 राज्य की राजधानियों से 20 राजधानियों को दिल्ली के साथ एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जा चुका है। नौ संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों में से 6 राजधानियों को दिल्ली के साथ एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ा जा चुका है। राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के 422 जिला मुख्यालयों में से 164 जिला मुख्यालयों को उनके संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की राजधानी के साथ जोड़ा जा चुका है। शेष राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की राजधानियों और जिला मुख्यालयों के लिए चालू तथा बाद की पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान उत्तरोत्तर यह सुविधा प्रदान किए जाने की योजना है।

बम्बई में विकलांगों द्वारा चलाये जा रहे सार्वजनिक टेलीफोन बूथ

4055. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विकलांगों को सहायता देने की योजना के एक भाग के रूप में बम्बई टेलीफोन्स ने बम्बई में मानव नियंत्रित सार्वजनिक टेलीफोन बूथ खोले थे;

(ख) ऐसे कुल कितने बूथ खोले गए थे;

(ग) ऐसे कुल कितने बूथ वास्तव में काम कर रहे हैं;

(घ) क्या यह भी सच है कि उन सार्वजनिक टेलीफोन बूथों के अटेंडेंटों से शिकायत की है कि उन्हें बढ़े-चढ़े बिल प्राप्त होते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इस समस्या पर काबू पाने और इन सभी सार्वजनिक टेलीफोन बूथों को सन्तोषजनक रूप से चलाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री० विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) बंबई टेलीफोन क्षेत्र में विकलांग व्यक्तियों द्वारा संचालित 326 सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये हैं।

(ग) इनमें से 286 सार्वजनिक टेलीफोन 14-8-84 को वास्तविक रूप में कार्य कर रहे थे।

(घ) जी हां। कुछ सार्वजनिक टेलीफोन घरों के परिचारकों ने अधिक राशि के बिल आने के बारे में शिकायत की है।

(ङ) अधिक राशि के बिलों से सम्बन्धित शिकायतों की जांच की जाती है और संबद्ध आंतरिक/बाह्य उपस्कर तथा मीटर की भी जांच की जाती है ताकि वे ठीक ढंग से काम करें। इन सार्वजनिक टेलीफोन घरों की टेलीफोन लाइनों की प्रतिदिन जांच की जाती है और जहां आवश्यक होता है, सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

बम्बई में भांडुप में नया टेलीफोन एक्सचेंज

4056. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई में भांडुप में एक नया टेलीफोन एक्सचेंज बनाया जाना जरूरी हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस एक्सचेंज की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) एक्सचेंज कहां पर स्थापित किया जाएगा;

(घ) एक्सचेंज के कब तक पूरे हो जाने की संभावना है; और

(ङ) तत्सम्बन्धी अन्य ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) टेलीविजन एक्सचेंज भवन के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है।

(ग) जिस स्थान का चयन किया गया है वह मांदप रेलवे स्टेशन से लगभग दो कि० मी० दूर पश्चिम में स्थिति है।

(घ) और (ङ) अधिग्रहण की कार्रवाई राज्य सरकार के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1844 के अंतर्गत की जाती है। यदि भूमि अधिग्रहण में कोई बाधा न उत्पन्न हुई तो 8वीं योजना में इस एक्सचेंज की स्थापना की जा सकती है। प्रारम्भ में 10,000 लाइनों के इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना की जाएगी बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो जाएं।

बम्बई टेलीफोन का वर्षाकाल के दौरान कार्यकरण

4057. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्षाकाल के दौरान बम्बई टेलीफोन के कार्यकरण की स्थिति बहुत ही खराब रहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मानखुर्द, चैम्बूर, घाटकोपर, पोवाई तथा मुलन्द एक्सचेंजों में बहुत-सी लाइनें प्रभावित हुई हैं और टेलीफोन खराब पड़े हैं;

(ग) इस प्रकार के दोषों को रोकने के लिए बम्बई टेलीफोन्स विभाग द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे; और

(घ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) भारी वर्षा के कारण लगभग 15% टेलीफोन लाइनें खराब हो गई थीं। उन्हें पुनः चालू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई थी।

(ग) और (घ) मानसून के दौरान केबिलों में खराबी को रोकने के लिए निम्नलिखित अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय किए जा रहे हैं :

(एक) प्रमुख केबिलों का दाबीकरण।

(दो) नई दाबीकृत केबिलें बिछाना।

(तीन) नई जंक्शन और प्राइमरी केबिलें डक्ट में बिछाना।

(चार) मानसून आने से काफी समय पहले केबिल दोषों का पता लगाने के लिए केबिल खाइयों को बन्द करने से पहले उनमें पानी भरना।

(पांच) वितरण जाल कार्य में जेली-भरे केबिलों का प्रयोग।

(छः) ऐसी केबिलें बदलना जिनकी अविध समाप्त हो गई है।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा दूरदर्शन पर मनोरंजन कर की वसूली

4058. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार दूरदर्शन सैटों के मालिकों से केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाए गए लाइसेंस शुल्क के अलावा एक अतिरिक्त कर वसूल कर रही है जिसे मनोरंजन कर का नाम दिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस कर के लिए कोई आपत्ति की है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। कर महाराष्ट्र सरकार द्वारा टेलीविजन सैट धारकों पर महाराष्ट्र विलास-व-मनोरंजन तथा विनोद कर अधिनियम, 1982 नामक राज्य अधिनियम के अन्तर्गत लगाया जाता है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची दो के अन्तर्गत मद 62 में यह निर्धारित है कि मनोरंजन, विनोद, पणक्रिया और जुए पर करों सहित विलास पर कर लगाने का विषय राज्य सरकारों से सम्बन्धित है। टी० वी० सेटों पर उक्त विलास-व-मनोरंजन कर लगाने का विषय महाराष्ट्र राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है।

डाक्सीसाइक्लीन फार्मूलेशन्स के निर्माताओं के लिए संशोधित निदेश-मूल्य

4059. **श्री तारिक अनवर :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक्सीसाइक्लीन फार्मूलेशन्स के उन निर्माताओं के नाम क्या हैं जिन्होंने हाल में घोषित निदेश-मूल्यों में संशोधन किया है;

(ख) क्या सम्बन्धित निर्माताओं ने डाक्सीसाइक्लीन के खरीद सम्बन्धी ब्यौरा प्रस्तुत किया किया है;

(ग) यदि नहीं, तो इस मामले की जांच किए बिना मूल्यों में संशोधन किस प्रकार किया गया है;

(घ) अनअपेक्षित लाभ जमा करने की प्रवृत्ति कितनी बढ़ी है; और

(ङ) क्या इस बारे में कोई नोटिस दिया गया है, यदि हां, तो उन पार्टियों के नाम क्या हैं और इसमें कितनी धनराशि का घोटाला शामिल है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) डाक्सीसाइक्लीन केप्सूलों के 4 के पैक के लीडर मूल्य, डाक्सीसाइक्लीन के मूल्य में 4000 रु० प्रति कि० ग्रा० से 5890 रु० प्रति कि० ग्रा० तक वृद्धि हो जाने की कारण और अग्रणी निर्माताओं से प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर संशोधित किए गए थे। संशोधन की अनुमति अग्रणी निर्माताओं के पास स्टाक की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात ही दी गई थी।

(घ) औ (ङ) वसूली की प्रक्रिया कानूनी प्रक्रियानुसार चल रही है। उन पत्रकारों के नाम, जिनको वसूली के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. मै० एरिस्ट्रो फार्मास्युटिकल्स।
2. मै० डोलफिन लेब्स।
3. मै० यू० एस० विटामिन्स
4. मै० इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०
5. मै० बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा० लि०
6. मै० वायोकैम फार्मा० इंडस्ट्रीज
7. मै० फार्मा० कम्पनी आफ इंडिया
8. यूनीक्यू फार्मास्यूटिकल्स

बल्क-औषधियों सम्बन्धी औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट

4060. **श्री तारिक अनवर :**
श्री अनवार अहमद :

क्या **रसायन और उर्वरक मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन 'बल्क' औषधियों के नाम क्या हैं जिनके बारे में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने मन्त्रालय को रिपोर्ट नहीं भेजी है;

(ख) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने निर्माताओं को पहली बार कब लिखा था और रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं भेजी गई;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ मामलों में औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने आगे कार्यवाही नहीं की है और इससे कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की लाभ पहुंचा है।

(घ) औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने रिपोर्ट को अन्तिम रूप देने और इसे सरकार को भेजने में कितना समय लिया है; और

(ङ) क्या यह सच है कि बेटामेथासोन और इसके लवणों के मूल्य निर्धारित नहीं किए गए हैं और यह मामला औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो में चार वर्ष से लटक रहा है और ग्लेक्सो द्वारा भारी लाभ अर्जित किया जा रहा है, यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) उन बल्क औषधियों के नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं जिसके मूल्यों में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के पश्चात संशोधन/निर्धारण की सिफारिश करते हुए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो द्वारा रिपोर्ट भेजी जाती है। बी० आई० सी० पी० सन्दर्भाधीन औषधों के निर्माताओं से लागत और अन्य सम्बन्धित ब्यौरे प्राप्त करने का प्रश्न समय-समय पर उठाती रही है। बी० आई० सी० पी० द्वारा अपना अध्ययन पूरा करने में लगने वाला समय निर्माताओं द्वारा पूर्ण ब्यौरे भेजने पर निर्भर करता है।

(ङ) जी, नहीं। बेटामेथासोन और इसके डेरिवेटिब्ज के मूल्य औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश 1979 के अधीन 12-5-1981 को कम किए गए थे। तथापि कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की और मूल्यों में कमी के लिए विरुद्ध स्थगन प्राप्त कर लिया है। इसलिए मामला न्यायाधीन है।

विवरण

1. पारटयूसिस टोक्सिड
2. डिपथीरिया टोक्सिड
3. टेटनस टोक्सिड
4. पेरासिटामोल
5. पेरेन्टल पामोएट
6. फयूरोलिडोन
7. एमीनोफाइलिन/थियोफाइतलन
8. टरब्यूटेलाइन
9. जेन्टामाइसिन
10. नियोमाइसिन
11. बिक्रीसटीन/विनब्लेस्टाइन
12. डिफिनाइल डाइडेन्टोइन
13. हेलोपाइरामाइन
14. क्लेफिजामाइन
15. डि-क्लोरो-मेटा-जाइलोनोल
16. फ्यूरस फ्यूमिरेट
17. फयूरस सल्फेट
18. मेथानेमाइन मेन्डीलेट
19. डिफिनोक्सीलिन एच० सी० एल०
20. न्यूकोल ग्लाइसिरिल ईथर

मैसर्स ग्लैक्सो लिमिटेड द्वारा सेफालेक्सिन और सेफाल्डीरिन का आयात

4061. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेफालेक्सिन और सेफाल्डोरिन को ऊंचे मूल्यों पर आयात किया जा रहा है;

(ख) ग्लैक्सो इन दोनों औषधियों पर आधारित फार्मूलेशन्स को किन मूल्यों पर बेच रहा है;

(ग) ये मूल्य कब मंजूर किए गए थे और ग्लैक्सो अधिक मूल्य कैसे ले रहा है;

(घ) ग्लैक्सो ने गत तीन वर्षों के दौरान इन दोनों औषधियों का वर्ष वार कितनी मात्रा में आयात किया तथा किस स्रोत से आयात किया तथा प्रत्येक क्षेत्र का लागत बीमा भाड़ा मूल्य कितना है; और

(ङ) इन औषधियों का अंतराष्ट्रीय मूल्य कितना है और इस प्रकार के कदाचारों को रोकने के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ङ) अप्रैल से दिसम्बर, 1983 की अवधि के दौरान दो औषधों के पहलेक्सिन और कोपलोरीडाइन के औसत आयात मूल्य क्रमश: 1582.67 रु० प्रति कि० ग्रा० सी० आई० एफ० तथा 6957.86 रु० प्रति कि० ग्रा० सी० आई० एफ० हैं ।

(ख) इण्डियन फार्मा गाइड, 1983 के अनुसार मैं ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज केयोरा इन्जेक्शन (जिसमें केप हेलरोडाइन एच० सी० एल०) 0.5 ग्राम शीशी और 32.15 रु० के खुदरा मूल्य पर रहे हैं । वे किसी ऐसे फार्मूलेशन का विपणन नहीं कर रहे जिसमें केपहेलेक्सिन हो ।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बीकानेर, राजस्थान में एक दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना किया जारा

4062. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना करने हेतु सरकार द्वारा मंजूरी बहुत पहले दी जा चुकी थी; और

(ख) यदि हां, तो बीकानेर में दूरदर्शन केन्द्र खोलने के बारे में वर्तमान स्थिति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) बीकानेर में दूरदर्शन केन्द्र की स्थापना को जुलाई, 1983 में दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना के अंग के रूप में अन्य केन्द्रों के साथ स्वीकृत किया गया था। इस जगह पर अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर 10.8.1984 से चालू हो गया है।

मैसर्स डालमिया एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, राजमहल (बिहार) के प्रबंधक को तथा मंगलहाट माइन वर्कस यूनियन के बीच त्रिपक्षीय समझौता

4063. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स डालमिया एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड राजमहल (बिहार) के प्रबन्धकों तथा मंगलहाट माइन वर्कर्स यूनियन के बीच सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) धनबाद के सामने 5 फरवरी, 1982 को एक त्रिपक्षीय समझौता किया गया था; और यदि हां, तो उक्त समझौते को कार्यान्वित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की है कि प्रभावित श्रमिकों के साथ किए गए समझौते का उल्लंघन न किया जाए; और

(ग) यदि हां, तो समझौते के क्रियान्वयन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) मैसर्स डालमिया एजेंसी (प्राइवेट) लिमिटेड, राजमहल (बिहार) के प्रबंधकों और मंगलहाट खदान मजदूर संघ के बीच 5.2.82 को सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) धनबाद-III के समक्ष एक समझौता हुआ। सूचित किया गया है कि इस समझौते को लागू कर दिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पीट मुरलीडीह कोयला खास में कोयले के उत्पादन में गिरावट

4064. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के अन्तर्गत महुडा क्षेत्र में 20/21 पीट मुरलीडीह कोयला खान में सम्बन्धित अधिकारी द्वारा अनावश्यक तन्त्रीकरण के कारण कोयले के उत्पाद में, 1980-83 की अवधि की तुलना में वर्ष 1984-85 में गिरावट आई है;

(ख) क्या कोयले का कम उत्पादन, कोयले की मोटी परतों वाले स्थान से खनन करने की बजाए कोयले की पतली परतों वाले स्थान से खनन करने के कारण हुआ है; और

(ग) क्या (एक) भुरूगिया कोयला खान (दो) गोपालीचाक कोयला खान (तीन) मुरूडीह कोयला धोवनशाल (चार) लैकडीह कोयला खान (पांच) भुकुन्दर और (छः) भोरन कोयला खान के हजारों श्रमिकों की आठ दिन की मजदूरी सितम्बर, 1983 में काट ली थी और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

उत्तर प्रदेश में बिजली घर

4065. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **ऊर्जा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में बिजली घरों पर कितना पूंजी निवेश किया है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने बिजलीघरों में विस्फोट अथवा आग लगने की घटनाएं हुईं और उनके परिणामस्वरूप प्रत्येक बिजली घर को कितना नुकसान हुआ;

(ग) इन विस्फोटों के क्या कारण थे;

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये प्रत्येक दुर्घटना के बाद क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) जून, 1984 में बिजली घर के पांचवें एकक में घटने वाली दुर्घटना के क्या कारण थे ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करना

4066. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुदूरवर्ती और पिछड़ा क्षेत्र होने के नाते पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के लिये उच्चतम न्यायालय में अपने मामले चलाना बहुत कठिन और महंगा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ स्थापित करने का है जिससे कि इस क्षेत्र के लोग बिना अधिक कठिनाई के न्याय प्राप्त कर सकें ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सरकार इस बात से अवगत है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र और कुछ अन्य दूरवर्ती तथा पिछड़े क्षेत्रों के लोगों को दिल्ली में स्थित उच्चतम न्यायालय में अपने मामलों का संचालन करने में कठिनाई होती है।

संविधान के अनुच्छेद 130 में यह उपबंध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।"

पूर्वोत्तर क्षेत्र या दिल्ली से बाहर किसी दूसरे स्थान पर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करने के बारे में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अगरतला में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोलना

4067. **श्री बाजुबन रियान** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज खोले जाने की निश्चित तारीख क्या है;

(ख) इस परियोजना की निर्धारित समय पर पूरा करने में अत्यधिक विलंब होने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज को कब तक चालू कर दिये जाने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अगरतला में 2100 लाइनों का स्वचल टेलीफोन एक्सचेंज खोलने का मूल लक्ष्य मार्च, 1983 रखा गया था।

(ख) इसमें विलंब होने के कारण निम्न प्रकार हैं :—

(एक) टेलीफोन एक्सचेंज के लिए भवन जून, 1983 में पूरा हो पाया।

(दो) कुछ उपकरण पारगमन में ही क्षतिग्रस्त हो गए थे। क्षतिग्रस्त पुर्जों की मरम्मत और बदलने में पर्याप्त समय लगा।

(तीन) भारतीय टेलीफोन उद्योग से कुछ आवश्यक स्टोर अभी प्राप्त होना है।

(ग) यह एक्सचेंज मार्च, 1985 तक चालू होने की संभावना है।

अगरतला में टेलीफोन व्यवस्था में सुधार

4068. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगरतला में टेलीफोन व्यवस्था के कार्यकरण में सुधार करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) अगरतला टेलीफोन प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :—

(एक) मैनुअल एक्सचेंज को 2700 लाइनों के स्वचल एक्सचेंज (स्ट्रोजर टाइप) में बदला जा रहा है ।

(दो) नए कनेक्शनों के लिए भूमिगत केबिल बिछाने का कार्य चल रहा है ।

(तीन) जहां तक एस० टी० डी० सुविधाएं प्रदान करने का संबंध है, अगरतला को, उसका स्वचलीकरण होने के बाद, शिलांग टी० ए० एक्स० के साथ जोड़े जाने का प्रस्ताव है ।

(चार) शिलांग-सिलचर-अगरतला रूट की मौजूदा नैरो-बैंड प्रणाली को ब्रांड-बैंड माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा बदलने की योजना बनाई गई है ।

आदिवासी जीवन पर फीचर फिल्में बनाना

4069. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसी आदिवासी कबीले के आदिवासी जीवन पर किसी फीचर फिल्म का निर्माण किया है अथवा निर्माण करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो फीचर फिल्मों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में किसी निर्माता ने सरकार से अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो क्या निर्माता को वित्तीय तथा अन्य सहायता उपलब्ध कराई गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

दूरदर्शन रिले केन्द्रों की स्थापना

4070. **श्री नारायण चौबे** : क्या **सूचना और प्रसारण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 में कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र खोले जाने का विचार है;

(ख) क्या सरकार ने इन केन्द्रों के कुछ कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया है;

(ग) क्या सरकार ने इन स्थानों और कम से कम ऐसे स्थानों पर जो कि दूर राज्य में हैं और जहां मकानों के किराए पर मिलने में कठिनाई होती है, स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण किया है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध कराने के लिए चयनात्मक आधार पर क्वार्टरों का निर्माण किया जाएगा;

(ङ) क्या सरकार की विभाग के लिए कोई स्थानान्तरण नीति है; और

(च) क्या सरकार ने कर्मचारियों का स्थानान्तरण करते समय संगठन के साथ हुई चर्चा में लिए गए निर्णयानुसार स्थानान्तरण नीति का परित्यता करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और क्या सरकार ने इससे पूर्व मान्यता प्राप्त संगठन को विश्वास में लिया था ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 31-3-84 को देश में 46 दूरदर्शन केन्द्र थे। 1-4-84 से 20-8-84 तक की अवधि के दौरान 55 केन्द्र चालू किए गए हैं और मार्च, 85 तक 79 और केन्द्र चालू करने का प्रस्ताव है।

(ख) विभिन्न केन्द्रों पर कर्मचारियों की तैनाती दूरदर्शन केन्द्रों को चालू करने के कार्यक्रम पर निर्भर करते हुए आवश्यकतानुसार चरणों में की जा रही है।

(ग) और (घ) राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे कर्मचारियों को, जहां भी संभव हो, आवासीय स्थान उपलब्ध करें। स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण आवश्यकता और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए भावी योजनाओं को हाथ में लिया जायेगा।

(ङ) जी, हां। स्थानांतरण नीति में आकाशवाणी और दूरदर्शन के कर्मचारियों के संजाल के विभिन्न स्टेशनों/केन्द्रों में स्थानांतरण उनकी अवधि तथा इस प्रकार के आम मामलों के बारे में मार्गदर्शी सिद्धान्त निहित हैं।

(च) दूरदर्शन के विस्तार की विशेष योजना के संदर्भ में, बड़ी संख्या में नये केन्द्रों के लिए अनुभवी कर्मचारियों की सेवाओं की आवश्यकता थी। इसलिए सभी मामलों में स्थानांतरण नीति

के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन करना संभव नहीं हुआ है। आकाशवाणी और दूरदर्शन के इंजीनियरी कर्मचारियों की एसोसिएशनों को इससे अवगत करा दिया गया है। तथापि, वास्तविक कठिनाइयों वाले वैयक्तिक मामलों पर अनिवार्य रूप से गुण-दोष के आधार पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है।

जूनागढ़ में स्वचालित टेलीफोन केंद्र की स्थापना

4071. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **संचार मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनागढ़ (गुजरात) का मानव चालित टेलोफोन केन्द्र एशिया का सबसे बड़ा है;

(ख) यदि हां, तो उस एक्सचेंज में कितनी टेलीफोन लाइनें हैं;

(ग) इस समय जूनागढ़ में नये टेलीफोन के लिए कितने आवेदन लम्बित पड़े हैं; और

(घ) क्या सरकार को जूनागढ़ के टेलीफोनों के कार्यकरण के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं, यदि हां, तो वे शिकायतें किस प्रकार की हैं; और

(ङ) क्या जूनागढ़ में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, यदि हां, तो अब तक कितनी प्रगति हुई है और यह कब तक काम करना शुरू करने देगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जूनागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज गुजरात का दूसरा बड़ा एक्सचेंज है।

(ख) इस एक्सचेंज की सज्जित क्षमता 3120 लाइनों की है और 3064 टेलीफोन कनेक्शन कार्य कर रहे हैं।

(ग) नये टेलीफोन कनेक्शन के लिए 211 आवेदन पत्र लंबित हैं।

(घ) सामान्य किस्म की शिकायतों को छोड़कर कोई गम्भीर शिकायत नहीं है, संतोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

(ङ) जी हां, 400 लाइनों वाले आई० सी० पी० क्रासबार एक्सचेंज का संस्थापन कार्य प्रगति पर है और अनुमानत: 10 प्रतिशत संस्थापन कार्य पूरा हो चुका है। संस्थापन कार्य यथाशीघ्र पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

जूनागढ़ गुजरात में डाकघर कार्यालय भवन का निर्माण

4072. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूनागढ़ में गुजरात में वर्तमान डाकघर भवन बहुत छोटा और पुराना है;

(ख) क्या जूनागढ़ में डाकघर के लिए एक बड़े नए भवन के निर्माण की भारी मांग है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) इस डाकघर के लिए एक विभागीय इमारत बनाने का प्रस्ताव है । इस प्रस्ताव के अन्तर्गत अभी प्रशासनिक अनुमति जारी करने व खर्च की मंजूरी देने का ही काम चल रहा है ।

रेलगाड़ियों में टेलीफोन की व्यवस्था करना

4073. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास रेलगाड़ियों में टेलीफोन की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार का प्रस्ताव कब तक क्रियान्वित होने की सम्भावना है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) उपयुक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

देश के सभी जिला-मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधाओं से जोड़ना

4074. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० अथवा "डिमान्ड कॉल" सुविधाओं से जोड़ने का है; और

(ख) यदि हां, तो इससे सम्बन्धित योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सभी जिला मुख्यालयों को उनके संबंधित राज्य की राजधानियों के साथ या तो एस० टी० डी० या फिर डिमांड सेवा द्वारा जोड़े जाने का प्रस्ताव है । दूसरे मार्गों पर परियात की दृष्टि से औचित्य पाए जाने पर डिमांड सेवा

प्रदान की जाती है। ट्रंक आटोमैटिक एक्सचेंज नेटवर्क के माध्यम से राष्ट्रव्यापी उपभोक्ता डायलिंग सेवा चालू हो जाने के बाद एस० टी० डी० द्वारा सभी जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ना संभव होगा।

(ख) राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग सुविधा पूर्ण रूप से लागू करने की दृष्टि से उससे संबंधित निम्नलिखित कार्यों का पूरा किया जाना आवश्यक है :—

(एक) नए ट्रंक स्वचल एक्सचैंज स्थापित करना और वर्तमान एक्सचेंजों की क्षमता का विस्तार करना।

(दो) जहां कहीं आवश्यक हो, विश्वसनीय संचालन माध्यम उपलब्ध कराना।

(तीन) एक्सचेंजों का स्वचलीकरण करना तथा जहां आवश्यक हो, वहां उन्हें उपयुक्त किस्म के एक्सचेंजों में बदलना।

(चार) जिला मुख्यालयों के स्थानीय एक्सचेंजों में संयोजक उपस्कर स्थापित करना।

संचारण और स्विचन उपस्कर की सीमित उपलब्धता के कारण यह लक्ष्य चालू और बाद की योजनाओं में उत्तरोत्तर प्राप्त करने की योजना है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्ध में कर्मचारियों की भागीदारी

4075. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत) उनके मंत्रालय के अधीन फार्मास्युटिकल्स उपक्रमों के कर्मचारी संघों ने प्रबन्ध में भागीदारी की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो उन संघों के नाम क्या हैं;

(ग) क्या उनकी मांग स्वीकार कर ली गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) श्रम एवं पुनर्वास मंत्रालय के दिनांक 30 दिसम्बर, 1983 के संकल्प में सम्याविष्ट कर्मचारी सहभागिता योजना में संबंधित ट्रेड यूनियन नेताओं के परामर्श से मतैक्य के माध्यम से शापफ्लोर तथा संयंत्र स्तरों पर कर्मकारों के प्रतिनिधित्व की परिकल्पना की गई है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लि० (आई० डी० पी० एल०) ने सूचित किया है कि यह स्कीम उनके ऋषिकेश और हैदराबाद संयंत्रों में कार्यान्वित की गई है। इंडियन ड्रग्स एण्ड

फार्मास्युटिकल्स लि० के अन्य संयंत्रों तथा अन्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, अर्थात् हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०, बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, तथा स्मिथ स्टेनी स्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० में स्कीम को लागू करने की कार्यवाही की जा रही है।

स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड के कानपुर यूनिट में आग से नुकसान

4076. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लिमिटेड की कानपुर शाखा का सम्पूर्ण कार्यालय और गोदाम आग से नष्ट हो गए थे;

(ख) यदि हां, तो वहां हुए नुकसान का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उक्त नुकसान, शाखा प्रबन्धक और संघ कर्मचारियों के बीच प्रतिद्वन्दता के कारण हुआ था, यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) जी, नहीं। स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (एस० एस० पी० एल०) ने सूचित किया था कि कानपुर में स्मिथ कम्पनी के कार्यालय-सह-गोदाम को सम्पत्ति के मालिकों द्वारा कानूनी आदेश का पालन करने के बहाने से गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। कम्पनी द्वारा क्षति का निश्चित रूप से मूल्यांकन अभी किया जाना है।

(ग) जी, नहीं।

प्रेस सूचना कार्यालय का कार्यकरण

4077. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई पत्रकारों और संवाददाताओं ने प्रेस सूचना कार्यालय के कार्यकरण की कड़ी आलोचना की है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कोई सूचना अधिकारी अधिकांश को जानकारी देने से इन्कार कर देते हैं और केवल कुछ को ही जानकारी प्रदान करते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के एल० भगत) : (क) पत्रकारों को सुविधाएं उपलब्ध करने में पत्र सूचना कार्यालय द्वारा किए गए कथित भेदभाव के बारे में हाल में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पत्र सूचना कार्यालय पत्रकारों की सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के और निर्धारित प्रतिक्रियाओं के अनुसार उपलब्ध करता है।

कोयला संबंधी कार्यकारी दल की सिफारिशें

4078. **श्री माधवराम सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला संबंधी कार्यकारी दल ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कोयले और लिग्नाइट संबंधी कार्यकारी ग्रुप ने अभी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

स्वीडन की सहायता से लघु पन-बिजली परियोजनाएं

4079. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथोरिटी (सीग) से सहायता हेतु नौ लघु-पन-बिजली-परियोजनाओं का प्रस्ताव किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में 'सीग' की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां।

(ख) स्वीडन इंटरनेशनल डेवलपमेंट अथारिटी (एस० आई० डी० ए०) ने प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए अभी तक कोई मूल्यांकन शिष्टमण्डल नहीं भेजा है।

कोयले से गैस तैयार करके विद्युत उत्पादन के लिए सहयोग

4080. **श्री माधवराम सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले से गैस तैयार करने संबंधी विशेषज्ञ पेनल ने यह सुझाव दिया है कि कोयले से गैस तैयार करके विद्युत उत्पादन के लिए संयुक्त प्रक्रिया (कम्बाइन्ड प्रोसेज) विकास हेतु भारत में संयुक्त प्रायोगिक परियोजना स्थापित करने के लिए भारत को शिकागो स्थित कम्पनी से सहयोग प्राप्त करना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) कोयले को गैस और तरल ईंधनों में बदलने के लिए जो विशेषज्ञ ग्रुप बनाया गया था उसने मई, 1984 में सरकार को प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में यह कहा है कि भारत में अनेक प्रकार का कोयला पाया जाता है इसलिए यहां कोयले के गैसीकरण के लिए एक से अधिक प्रकार की तकनालाजी की जरूरत है। इसीलिए विशेषज्ञ ग्रुप ने कोयला गैसीकरण की विभिन्न प्रकार की तकनालाजी का अनुसंधान और विकास स्तर पर भारत में परीक्षण करने की सलाह दी है। इन तकनालाजियों में से एक वह तकनालाजी है जिसका विकास गैस तकनालाजी संस्थान ने किया है—इस तकनालाजी में राख संपिंडन का प्रयोग करके दबावयुक्त तरलीकृत तल प्रणाली द्वारा कोयले से गैस का उत्पादन किया जाता है।

इस सिफारिश पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इन्दौर के निकट मंगलिया में खाना पकासे की गैस के सिलेंडर भरने का संयंत्र स्थापित करना

4081. **श्री माधवराव सिंधिया** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा इन्दौर के निकट मंगलिया में खाना पकाने की गैस के सिलेंडर भरने का एक आधुनिक संयंत्र स्थापित किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र की प्रस्तावित उत्पादन क्षमता क्या होगी और तत्संबंधी रूप-रेखा क्या है; और

(ग) इस संयंत्र की स्थापना के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने 25 जून, 1984 को मंगलिया (इन्दौर के पास) में एक भरण संयंत्र चालू किया है जिसकी क्षमता 25000 एम० टी० पी० ए० है।

देश में बंधुआ मजदूर

4082. **श्री आर० एन० राकेश :**
श्री राम विलास पासवान :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जुलाई, 1984 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में छपे उस समाचार की ओर दिलाया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह कहा है कि भारत में इस समय 8 से 10 करोड़ तक बंधुआ मजदूर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश से इस बुराई को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) जी, हां। सरकार का ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" में 30 जुलाई, 1984 को छपे उस लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें "ऐण्टीस्लेवरी सोसाइटी आफ ब्रिटेन" के इस आरोप का हवाला दिया गया है कि इस समय भारत में 8 से 10 करोड़ तक बन्धुआ श्रमिक हैं।

(ग) सरकार को उस मूलाधार के बारे में जानकारी नहीं है, जिसके आधार पर "ऐण्टी-स्लेवरी सोसायटी" ने ऐसा उल्लेख किया है कि भारत में 8 से 10 करोड़ तक बन्धुआ श्रमिक हैं। बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976, के अधीन बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना, उन्हें मुक्त कराना तथा पुनर्वासित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों का है, जो बंधुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए अपनी विद्यमान एजेन्सियों के माध्यम से आवधिक सर्वेक्षण करती हैं। इसलिए सरकार बन्धुआ श्रमिकों के उन आंकड़ों पर विश्वास करती है जो राज्य सरकारों ने सूचित किए हैं, क्योंकि यही संख्या वास्तव में मुक्त कराये गए बन्धुआ श्रमिकों की यथार्थ संख्या होती है। राज्य सरकारों से प्राप्त नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, 31-5-1984 की स्थिति के अनुसार पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की कुल सख्या 1,66,266 थी, जिनमें से 1,26,395 बन्धुआ श्रमिकों को पुनर्वासित कर दिया गया है।

महाराष्ट्र के ठाणे और रायगढ़ जिले में टेलीफोन सुविधाएं

4083. **श्री जगन्नाथ पाटिल** :
श्री बाबू राव परांजपे ;

क्या **संचार मंत्री** महाराष्ट्र के ठाणे और रायगढ़ जिले में टेलीफोन सुविधाओं के बारे में 13 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2765 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उक्त प्रश्न में उल्लिखित टेलीफोन एक्सचेंजों के विभिन्न विस्तार कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विस्तार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब के विशिष्ट कारण क्या हैं;

(ग) विभिन्न वर्तमान विस्तार योजनाओं और पहले से ही स्वीकृत और नियतन प्राप्त योजनायें सम्भवत: कब तक पूरी हो जाएंगी; और

(घ) इन केन्द्रों की निरन्तर बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए क्या दीर्घावधिक योजनायें हैं ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (घ) आपेक्षित जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	विवरण			
		विस्तार कार्यक्रम की मौजूदा स्थिति	विलंब के कारण	चालू होने की संभावित तारीख	दीर्घकालीन योजना
		(क)	(ख)	(ग)	(घ)
1	2	3	4	5	6
1.	मुरबाद	1985-86 के लिए 200 लाइनों का स्वचल एक्सचेंज आबंटित किया गया है	उपस्कर उपलब्ध न होना	मार्च, 1987	कुछ नहीं
2.	पालघर	1984-85 में 600 से 720 लाइनों में विस्तार की योजना	बोर्ड की प्रतीक्षा की जा रही है।	मार्च, 1985	कुछ नहीं
3.	शाहपुर	100 लाइनों से 150 लाइनों में विस्तार की योजना	—वही—	मार्च, 1985	कुछ नहीं
4.	बदलापुर	1984-85 के लिए 300 लाइनों का स्वचल एक्सचेंज आबंटित किया गया है	आटो उपस्कर का उपलब्ध न होना	मार्च, 1986	कुछ नहीं

1 2	3	4	5	6
5. तारापुर	500 से 600 लाइनों में विस्तार करने की योजना	मार्च, 1984 में समय पर पूरा हो गया	—	कुछ नहीं
6. दहानु	700 से 800 लाइनों में विस्तार की योजना	उपस्कर प्राप्त नहीं हुआ है	मार्च, 1985	कुछ नहीं
7. भिवंडी	4500 लाइनों के बड़े स्वचल एक्सचेंज की योजना बनाई गई है जिसके लिए भवन का निर्माण कार्य चल रहा है ।	उपस्कर का उपलब्ध न होना तथा भवन का निर्माण कार्य अभी पूरा न हो पाना	मार्च, 1987	कुछ नहीं
8. कल्याण	2700 लाइनों से 3000 लाइनों में विस्तार करने की योजना पूरी हो चुकी है 3000 लाइनों से 3300 लाइनों में विस्तार की योजना	उपस्कर प्राप्त न होने के कारण	मार्च, 1985	कुछ नहीं

1	2	3	4	5	6
9.	डोम्बीवली इसमें एम.आई.डी.सी. शामिल है	1400 लाइनों से 1600 लाइनों में विस्तार की योजना	उपस्कर प्राप्त न होने के कारण	मार्च, 1985	सातवीं योजना अवधि में 7000 लाइनों के एक बड़े एक्सचेंज की योजना बनाई गई है जिसके लिए भवन का निर्माण किया जाना है।
10.	मुम्बरा	200 लाइनों के मैनुअल एक्सचेंज की योजना बनाई गई है	बोर्ड अभी प्राप्त नहीं हुआ है	मार्च, 1985	—
11.	तलोजा	400 से 500 लाइनों की योजना	उपस्कर प्राप्त न होने के कारण	मार्च, 1986	—
12.	पनवेल	1200-1600 लाइनों की योजना	कार्य मार्च, 1984 में समय पर पूरा हो गया		सातवीं योजना अवधि के लिए 4000 लाइनों के इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज का आबंटन किया गया है जिसके लिए एक बड़ा भवन बनाना होगा

बिहार में बरौनी में पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना

4084. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ऊर्जा मंत्री** बिहार में बरौनी में पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना के बारे में 20 मार्च, 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3909 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरौनी के पास पेट्रो-केमिकल्स काम्पलेक्स की स्थापना के लिए प्रस्ताव पर विचार की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो उसके निर्माण के लिए क्या समय-सीमा रखी गई है और उसके बारे में अन्य ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके देरी के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जिन प्रस्तावों में इतना अधिक निवेश किया जाना है उनकी संवीक्षा तथा उनके बारे में सरकार की अन्य एजेंसियों के साथ परामर्श करना आवश्यक होगा।

आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के स्टाफ आर्टिस्ट

4085. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वित्तीय वर्षों 1982-83, 1983-84 के दौरान और 30 जून, 1984 तक आकाशवाणी के पारी यूनिट, अरबी यूनिट, पुश्तो यूनिट, नेपाली यूनिट और बर्मी यूनिट में विदेशी सेवा प्रभाग के अधीन केजुअल आर्टिस्टों को अदा की गई धनराशि का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) 30 जून को आकाशवाणी के विदेशी सेवा प्रभाग के अधीन चीनी और रूसी यूनिटों में कार्यरत नियमित और स्टाफ आर्टिस्टों की स्वीकृत और वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ग) क्या इन यूनिटों के खराब कार्य-निष्पादन के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

यूनिट	स्वीकृत संख्या		वास्तविक संख्या	
	नियमित	स्टाफ आर्टिस्ट	नियमित	स्टाफ आर्टिस्ट
चीनी	शून्य	7	शून्य	2
रूसी	1	5	1	3

(ग) विदेशी भाषाओं की यूनिटों के विरुद्ध कोई शिकायतें नहीं हुई हैं। तथापि, अरबी यूनिट के पर्यवेक्षक के विरुद्ध कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे । इनकी जांच की गई तथा वे तथ्यों पर आधारित नहीं पाए गये थे ।

विवरण

विदेश प्रसारण सेवा प्रभाग, आकाशवाणी की दारी, अरबी, पुश्तो, नेपाली तथा बर्मी यूनिटों में स्टाफ आर्टिस्टों की छुट्टी या स्पष्ट रिक्त पदों पर की गई नैमित्तिक बुकिंगों पर तथा भेंट-वार्ताओं/परिचर्चाओं में वार्ताकारों/भाग लेने वालों को लगाने पर हुआ व्यय।

अदा की गई राशि
(रुपयों में)

मास	दारी	अरबी	पुश्तो	नेपाली	बर्मी
1	2	3	4	5	6
अप्रैल, 1982	4680	6100	6880	5415	3980
मई, ,,	4735	3510	7965	7780	3580
जून, ,,	3125	5245	5965	5900	3820
जुलाई, ,,	3640	4149	6262.50	7095	3025
अगस्त, ,,	3700	5280	5825	9000	3955
सितम्बर, ,,	3915	3380	4670	7115	4050
अक्तूबर, ,,	4715	5430	5550.50	11830	3435
नवम्बर, ,,	4960	4360	5051.50	6660	3095
दिसम्बर, ,,	4785	4740	5786.50	4460	3890

1	2	3	4	5	6
जनवरी, 1983	4485	4770	5369	310	3425
फरवरी, ,,	3615	2132.50	4011.50	1485	1375
मार्च, ,,	3880	2295	4551.50	3260	1150
	50235.00	51432.50	67888.00	70310.00	38780.00
अप्रैल, 1983	3305	2695	4191.50	4035	2115.50
मई, ,,	3205	2795	3500	4510	850
जून, ,,	3330	4545	4720	7155	1625
जुलाई, ,,	3585	4335	2700	2520	1665
अगस्त, ,,	2395	6312.95	4235	4145	1700
सितम्बर, ,,	1325	4791.35	4565	2865	1825
अक्तूबर, ,,	1050	3590	5585	5125	2575
नवम्बर, ,,	2720	2960	5405	5480	1000
दिसम्बर, ,,	3870	3310	5760	4321.25	1775
जनवरी, 1984	4725	2995	5455	5494.35	4282.50
फरवरी, ,,	5040	3175	5395	5198.70	5300
मार्च, ,,	5190	4115	8472.50	17402.35	11515.50
	39740.00	45619.30	59984.00	68251.65	36228.50
अप्रैल, ,,	4300	4305	5100	3954.35	990
मई, ,,	3375	4800	5430	4675.35	882.60
चून, ,,	3380	4675	4080	4875	710
	11055.00	13780.00	14610.00	13504.70	2582.60

उत्तर प्रदेश के बदायूं और ऐटा जिलों में डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलना

4086. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के बदायूं और ऐटा जिलों में वर्ष 1979-80, 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84 और चालू वर्ष (वर्षवार और जिलावार) के दौरान कितने मुख्य डाकघर, उप-डाकघर, ई० डी० डाकघर और शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए हैं तथा किन स्थानों पर खोले गए हैं; उनका ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त जिलों में (जिला वार) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान कितने मुख्य डाकघर, उप-डाकघर, ई० डी० डाकघर, शाखा डाकघर तथा सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का विचार है, उनका ब्यौरा क्या है और ये किन स्थानों पर खोले जाएंगे; और

(ग) देश में उक्त डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मार्गनिर्देश और नियम बनाए गए हैं और उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विवरण 1 और 1-क में जानकारी दी गई है।

(ख) विवरण 2 और 2-क में जानकारी दी गई है। जहां तक वर्ष 1985-86 का संबंध है इस बारे में अभी निर्णय लिया जाना है।

(ग) विवरण 3, 3-क और 3-ख में मार्ग-निर्देश दिए गए हैं।

विवरण 1

खोले गए डाकघरों के बारे में ब्यौरा

वर्ष	मुख्य डाकघर	उप-डाकघर	अति० वि० उप-डाकघर	अतिरिक्त विभा० शाखा डाकघर
1	2	3	4	5
बदायूं जिला :				
1979-80	शून्य	शून्य	1. जगत	1. सारेना
			2. अब्दुल्लागंज	2. सुनसैना
			3. रमजानपुर	3. मुसझार
			4. लहरी फरीदपुर	4. असरासी

1	2	3	4	5
			5. सकारी, कासिमपुर	5. कटगांव
			6. भूराबहादुरा बुसौमा	
			7. सजरपुर	
			8. बलजीत	
			9. गुमाऊ	
			10. हुसैनपुर	
			11. पिखी	
			12. रेवनई	
			13. नानकसेरा	
			14. दौर बर्मा	
1980-81	1. सहसवान	1 पुलिस लाईन बदायूं	1. झुकसा	1. वुधवै
			2. मचलई	2. कामा
			3. पकोरा	3. पटारिया
			4. कादिराबाद	4. रोटा
			5. सराय ब्राह्मण	
			6. राजोला	
			7. देहटा गोसाई	
			8. पिपरौल पुख्ता	
			9. अंबियापुर	
1981-82	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1982-83	शून्य	1. समरार	शून्य	1. भामोरी
				2. भगसार

1	2	3	4	5
1983-84	शून्य	शून्य	शून्य	1. अट्टारपुरा
				2. अफजलपुर
				3. दिंगारिया
				4. धरमपुर, टप्पा वैश
				5. दकारा पुख्ता
एटा जिला :				
1979-80	शून्य	शून्य	1. बाबसा	1. अशोकपुर
			2. चचैना	2. बाहरपोला
			3. गडका	3. पुवान
			4. लोयाबादशापुर	4. नंगला पावल
			5. सनोरीखास	5. पिंगर
			6. पारपत्ती	6. मेदपुरा
			7. पामास	
			8. फाफोसू	
			9. गडिया सलेम	
			10. मराठारा	
			11. परसौन	
			12. भागवाला	
			13. कासोन	
			14. कासुरी	
1980-81	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
1981-82	शून्य	शून्य	शून्य	1. सतनगरा
				2. बारा भंदोला

1	2	3	4	5
1982-83	शून्य	शून्य	शून्य	1. बारेपुरा
				2. जगपुर
1983-84	शून्य	शून्य	शून्य	1. बरहामपुर
				2. रागीपुर कुर्रा

विवरण 1-क

उत्तर प्रदेश के बदायूं और एटा जिलों में 1979-84 के दौरान खोले गए लम्बी दूरी सार्वजनिक टेलीफोन घर :—

वर्ष	बदायूं	एटा
1	2	3
1979-80	1. ककोरा	1. गरखा
	2. अमियापुर	2. सरौठ
	3. शांतिगढ़	3. गरायसीलनपुर
	4. गुधानी	4. पवास
	5. बेहटागुसाइन	5. लोहबादशाहपुर
	6. मोसाझाग	6. पारसोन
	7. राजोला	7. नेवराई
	8. पिपरौली	8. छाछना
	9. उगेती	9. मरीहारा
	10. लाखनपुर	10. फफोटू
		11. लासा
		12. सवौरीखास
		13. राड़ताथ
1980-81	1. बारगेन	1. मिलवाली
	2. खेड़ाबुजुर्ग	2. निघोलीखुर्द

1	2	3
	3. लक्ष्मीपुर	3. करताला
	4. सीकरी	4. पिवाड़ी
	5. राहूरिया	5. राजौर
	6. पीपल	6. राजाकारिझोला
	7. पपराह्मजपुर	
	8. फारौली	
	9. गुड़गांव	
	10. परवेजनगर	
	11. दिधावल	
	12. बानबरौली	
	13. गढ़महिला	
1981-82	1. चाउनी	1. कसेला
	2. फैजगंज	2. मोहनपुर
	3. नरौरा सिसारका	3. नरौरा
	4. जमालपुर	
	5. रुदियान	
	6. खण्डवा	
	7. बकसेना	
	8. हटना	
	9. खुरनपुर	
	10. सलेमपुर	
	11. उनायला	
	12. सादुल्लेगंज	

1	2	3
1982-83	1. गधौना	1. चिरगांव
		2. शाहनगर
		3. तिमारिया
		4. पण्चारा
		5. सकरौली
		6. सारावली
		7. राजमल
		8. दरियागंज
		9. बारीगांव
		10. करसनमझोला
		11. भडवास
		12. नागलमितोन
		13. नरधोलो
		14. पारौली
		15. कादरनारी
		16. रोहिनामिरजपुर
		17. तोगवान
		18. नूरखास
		19. बसतामऊ
1983-84	1. उरेना	1. अलीपुरा
	2. रेवनदालई	2. खारसौलिया
	3. सरायबरौलिया	3. नईमेनी
	4. करियामई	4. टिकायेर
	5. मोहम्मदनगर	5. बड़ाकलान
	6. हजरतपुर	6. इनसौली

1	2	3
	7. कवतरा	7. उमरगढ़
	8. खेड़ाजलालपुर	8. खारियानगर
	9. लभारी	9. शाह मनूरा
		10. सुहारी
		11. सरोगरा
		12. घोलेश्वर
		13. सोहार
		14. कहेटुवा
	चालू वर्ष (जुलाई तक) शून्य	शून्य

विवरण-2

खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर

वर्ष	मुख्य डाकघर	उप-डाकघर	अ० वि० उ० डा०	अ० वि० शा० डा०
(क) बदायूं डिवीजन :				
1984-85	शून्य	1. विद्यापितपूरन बदायूं	शून्य	1. नूरपुर 2. युसुफनगर 3. करतोली 4. किशुआ 5. अगथरा
(ख) एटा डिवीजन :				
1984-85	शून्य	शून्य	शून्य	1. हिम्मतपुर 2. काकामई

विवरण 2-क

1984-85 अथवा 1985-86 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर :

वर्ष	बदायूं	एटा
1984-85	1. भिरौती	1. पचगाई
(प्रस्तावित)	2. राजपुरा	2. मोहिमामूरगंज
	3. गवान	3. खुसकारी
	4. असामपुर	
1985-86 (प्रस्तावित)	बदायूं और एटा जिले के लिए वर्ष के लिए योजना 5 कि० मी० षटकोणीय योजना के अन्तर्गत तैयार की जा रही है ।	

विवरण 3

डाकघर खोलने के मापदण्ड

(एक) देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मारदण्ड :

देहाती इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :—

1. सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर और
2. आदिवासों या पिछड़े इलाकों में डाकघर

(1) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर खोलना :

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो ।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन "गैर ग्राम पंचायत" वाले गांव में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) उस गांव की आबादी 2000 या इससे अधिक होनी चाहिए,

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(2) **आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर खोलना :**

(एक) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गावों में डाकघर खोले जा सकते हैं :—

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर की दूरी में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अमुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो।

(दो) निम्नलिखित शर्तों के अधीन "गैर पंचायती ग्रमों" में डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि :—

(क) ग्राम (अथवा 1.5 किलोमीटर की दूरी के अंदर गामों का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० की दूरी में कोई अन्य डाकघर न हो; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक आय होने की संभावना हो।

नोट : ग्रामीण डाकघर इस श्रेणी में आते हैं :—

(एक) सामान्य ग्रामीण क्षेत्र, और (दो) पिछड़े और जनजातीय क्षेत्र/जनजातीय क्षेत्रों को गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित किया गया है, डाक सुविधाओं के विकास की दृष्टि से पिछड़े इलाकों का निर्धारण करते समय यह देखा जाता है कि क्या उन इलाकों के विकास की अवस्था जनसंख्या या प्रति डाकघर सेवाधीन क्षेत्र से संबंधित अखिल भारतीय औसत के हिसाब से सौ फीसदी गिरी हुई हालत में है या नहीं।

(दो) दूसरे, जब जनसंख्या/सेवित क्षेत्र के आधार पर अखिल भारतीय औसत और सर्किल औसत की तुलना में जब किसी क्षेत्र की स्थिति गिरी हुई होती है, इसके अलावा डाकघर प्रदान किए जाने वाले गांवों के प्रतिशत के संबंध में समूचे सर्किल के साथ तुलना करके जब स्थिति प्रतिकूल होती है, तब उस क्षेत्र को पिछड़े क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है।

(तीन) प्रति डाकघर अखिल भारतीय औसत 23.10 कि० मी० और जनसंख्या 4,805 है। पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का तेजी से विस्तार करने के लिए अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है।

(चार) "पहाड़ी क्षेत्र" की अवधारण को छोड़ दिया गया है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र, जो जनजाति क्षेत्र भी है, स्वयं ही जनजाति क्षेत्रों की श्रेणी में आ जाते हैं।

(ख) शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड :

शहरी क्षेत्रों में डाकघर निम्नलिखित शर्तों के आधार पर खोले जा सकते हैं :—

(एक) डाकघर को वित्तीय दृष्टि से आत्मनिर्भर होना चाहिए; और

(दो) 20 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए। अन्य शहरों में दो डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1.5 कि० मी० होनी चाहिए।

सर्किलों के अध्यक्ष प्रति वर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों में छूट दे सकते हैं।

विवरण-3-क

प्रधानडाकघर, विभागीय उप डाकघर और अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर खोलने के बारे में नीति

(क) प्रधान डाकघर :

किसी मौजूदा प्रधान डाकघर का विभाजन करके नया प्रधान डाकघर सृजित किया जाता है। ऐसा तब किया जाता है जब उसके अधीन उप डाकघरों की संख्या 60 से अधिक हो जाती है। एक शर्त और भी है कि मौजूदा प्रधान डाकघर का विभाजन करने के बाद, उसके तथा उप प्रधान डाकघर के अधिकार में कम से कम 20 उप डाकघर रहें। यदि किसी जिले में कोई भी प्रधान डाकघर न हो, तो बाद की शर्त को हटाया जा सकता है।

(ख) विभागीय उप-डाकघर :

विभागीय उप डाकघर अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अथवा किसी अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर का दर्जा बढ़ा कर खोले जाते हैं। ऐसा तब किया जाता है, जब अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर अथवा उप डाकघर का मौजूदा कार्यभार प्रतिदिन 5 घंटे अथवा अधिक हो जाता है। दर्जा बढ़ाने पर ग्रामीण क्षेत्रों में घाटा 1000 रु० प्रति वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 500 रु० प्रति वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में भी नए उप डाकघर खोले जा सकते हैं बशर्ते कि उनमें कम से कम 5 घंटे प्रतिदिन का कार्य हो और वे आत्मनिर्भर हों। 20 लाख और इससे अधिक की आबादी वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 कि० मी० होनी चाहिए। अन्य शहरी इलाकों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1.5 कि० मी० होनी चाहिए।

(ग) **अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर :**

किसी स्थायी अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर में दर्जा बढ़ाया जा सकता है यदि उसका मौजूदा कार्यभार प्रतिदिन 4 घंटे या उससे अधिक होता है। किसी प्रयोगिक अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर का अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर के बतौर दर्जा बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि उसका मौजूदा कार्यभार प्रतिदिन 4 घंटे या उससे अधिक हो और दर्जा बढ़ाने पर हानि 360 रु० प्रति वर्ष से अधिक न हो।

विवरण-3-ख

ग्रामीण क्षेत्रों में लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संयुक्त डाक तार घर खोलने से संबंधित संशोधित नीति

छठी योजना अवधि के दौरान घाटे पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर/संसुक्त डाक तार घर खोलने से संबंधित मौजूदा नीति पर डाक-तार बोर्ड कुछ समय से विचार कर रहा था। इस संबंध में किए गए अध्ययन से पता चला है कि यदि हम जनसंख्या के आधार पर न्यूनतम राजस्व की शर्त का निर्धारण किए बगैर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने की नीति को अपनाएंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर देश के पहाड़ी और बिखरी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में इस सुविधा को बढ़ाने में असमानता की स्थिति पैदा होगी। मौजूदा नीति की सावधानीपूर्वक पुनरीक्षा करने के पश्चात तथा सेवा की विश्वसनीयता पर अत्यधिक बल देते हुए सभी राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सुविधाओं का समान रूप से विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डाक तार बोर्ड ने जो निर्णय लिए हैं वे इस प्रकार हैं :—

(एक) अनुबंध "एक" में बताई गई मौजूदा नीति तो जारी रहेगी ही, परंतु इसके साथ ही देश की आबादी वाले अधिकांश स्थानों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन 5 कि० मी० के घेरे में सुलभ कराने की नीति को एक नीति लक्ष्य के बतौर अपनाया जाएगा और इस लक्ष्य को चालू वर्ष में आरम्भ करके 1990 तक उत्तरोत्तर प्राप्त किया जाएगा। स्थानिक वितरण के इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए लंबी दूरी के जो सार्वजनिक टेलीफोन घर आवश्यक होंगे उन पर से न्यूनतम राजस्व की पूर्व-शर्त को हटा दिया जाएगा।

(दो) इस क्षेत्र में सेवा की विश्वसनीयता और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए मल्टी-एक्सेस रेडियो टेलीफोन प्रणाली की प्रौद्योगिकी को अपनाया जाए और इस प्रणाली के तहत पहाड़ी, तटीय, वन्य एवं रेगिस्तानी इलाकों तथा जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों व ऐसे अन्य क्षेत्रों में जहां विद्युत प्रेरणा (पावर इंडक्शन) के कारण खुली तार लाइनें इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त नहीं होती तथा मैदानी क्षेत्रों के उन स्थानों में जो सड़क मार्ग से 20 कि० मी० (मार्ग की लम्बाई) से भी अधिक दूरी पर स्थित हैं और ऐसे अन्य सभी मामलों में जहां मल्टी एक्सेस

रेडियो प्रणाली अपनी लागत के अनुसार कारगर साबित होती हैं लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किए जाएंगे ।

(तीन) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट, डाकघरों के उपलब्ध न होने अथवा जहां डाकघर के कार्य घंटे अपर्याप्त हैं, जहां आवश्यक होगा, नियुक्त किए जाएंगे । गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट का चयन क्षेत्रीय सर्किल के महाप्रबंधक दूरसंचार द्वारा किया जाएगा ।

(चार) गैर-विभागीय एल० डी० पी० टी० एजेंट का पारिश्रमिक 40 (चालीस) पैसे प्रति काल होगा लेकिन प्रतिमाह 250 रु० (दो सौ पचास रुपये) से अधिक नहीं होगा । और एल० डी० पी० टी० के कार्य घंटे कम से कम 8 घंटे होंगे । विकलांग व्यक्ति के मामले को छोड़कर, इस प्रकार प्राप्त पारिश्रमिक ही, एल० डी० पी० टी० एजेंट की आय का प्रमुख स्रोत नहीं होगा ।

डाक तार बोर्ड ने यह भी निदेश दिए हैं कि समूचे देश को विभिन्न ग्रामसमूहों के षड़भुज आकार के क्षेत्रों (5 कि० मी० के समान भुजा वाले षड़भुज क्षेत्र) में विभाजित किया जाए । हां, ऐसा करते समय वे स्थान छोड़ दिए जाएंगे जो निर्जन हैं जैसे पर्वतीय क्षेत्र, नदियां, झीलें, रेगिस्तान आदि । प्रत्येक ग्राम-समूह में केन्द्र-स्थल के बतौर एक ऐसे ग्राम का पता लगाया जाएगा जहां कि लम्बी दूरी का सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित किया जा सके । इस सेवा को 5 कि० मी० के भीतर सुलभ कराने के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए ग्राम-समूहों का पता लगाने का कार्य राष्ट्रीय प्रायोगिक आर्थिक अनुसंधान परिषद (इन सी० ए० ई० आर०) को सौंपा गया है, जिनकी रिपोर्ट विस्तृत नक्शों सहित योजना उद्देश्यों के लिए सर्किलों को उपलब्ध करा दी जाएगी ।

उक्त अनुसंधान परिषद द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ग्राम-समूहों में लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर स्थापित करने के लिए स्थान-निर्धारण के उद्देश्य से अपेक्षित आंकड़ों के साथ ब्यौरेवार नक्शे हो जाने पर सर्किलों के अध्यक्ष डाक तार बोर्ड के उपर्युक्त निर्णयों को लागू करने के उद्देश्य से खुली तार प्रणाली और मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली दोनों पर भविष्य में खोले जाने वाले लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घरों के लिए ब्यौरेवार वार्षिक कार्यक्रम तैयार करने की व्यवस्था करेंगे ।

हालांकि मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली के अंतर्गत लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए परियोजना प्राक्कलन उपस्कर आदि का आबंटन करने के उद्देश्य से निदेशालय को भेजे जाते रहेंगे ।

अनुबन्ध-I

हानि पर सार्वजनिक टेलीविजन घर प्रदान करने की नीति :

स्थानों की श्रेणियां :

(1) जिला मुख्यालय

(2) उप मंडलीय मुख्यालय

(3) तहसील मुख्यालय

(4) उप तहसील मुख्यालय

(5) ब्लाक मुख्यालय

(6) ऐसे स्थान जिनकी जनसंख्या साधारण क्षेत्रों में 5000 या अधिक तथा पिछड़े एवं पर्वतीय क्षेत्रों में 2500 या अधिक हो।

सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाकघर खोलने के लिए शर्तें
घाटे का ध्यान न करके भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोतर व्यवस्था की जाएगी।	घाटे का ध्यान न देकर भी न्यूनतम राजस्व की शर्त के बगैर उत्तरोत्तर व्यवस्था की जायेगी।
(7) वे स्थान जहां पर ऐसे पुलिस स्टेशन स्थित हों जिनका इंचार्ज पुलिस उप-निरीक्षक या इससे ऊपर के पद का पुलिस अधिकारी हो।	
सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक-तारघर खोलने के लिए शर्तें
साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व का 25 प्रतिशत तथा पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।
(8) आम रास्ते से दूर के स्थान :	
सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक घर खोलने के लिए शर्तें
1	2
(क) मौजूदा एक्सचेंज से 40 कि० मी० से अधिक (अरीय दूरी) होनी चाहिए	(क) मौजूदा तारघर से 20 कि० मी० से बाहर (अरीय दूरी) होनी चाहिए।
(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े इलाकों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय इलाकों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।	(ख) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए।

1	2
	(ग) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक होना चाहिए ।
(9) पर्यटन/तीर्थ केन्द्र/कृषि/सिचाई/पावर परियोजना स्थल/नगर क्षेत्र :	
सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें
(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत और पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए ।	(क) साधारण इलाकों में वार्षिक आवर्ती व्यय का प्रत्याशित राजस्व कम से कम 25 प्रतिशत, पिछड़े क्षेत्रों में 15 प्रतिशत तथा पर्वतीय क्षेत्रों में 10 प्रतिशत होना चाहिए । (ख) साधारण इलाकों में प्रत्याशित घाटा 2000 रु० वार्षिक तथा पिछड़े/पर्वतीय इलाकों में 5000 रु० से अधिक होना चाहिए ।
(10) सभी अन्य स्थान :	
सार्वजनिक टेलीफोन घर खोलने के लिए शर्तें वित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर ।	संयुक्त डाक तारघर खोलने के लिए शर्तें बित्तीय व्यवहार्यता के आधार पर या हानि की दशा में किराए और गारंटी के आधार पर ।

टिप्पणी : (क) जनसंख्या संबंधी आंकड़ों पर विचार करते समय, जनजातीय क्षेत्रों के मामलों को छोड़कर जहां किसी केंद्रीय ग्राम से 10 कि० मी० के घेरे के अंतर्गत आने वाले ग्राम समूह की जनसंख्या पर विचार किया जा सकता है, केवल एक ही नगर या ग्राम की जनसंख्या पर ही विचार किया जाना चाहिए न कि नगरों अथवा ग्रामों के समूह की जनसंख्या पर/छूट की इस शर्त के अंतर्गत एक दूसरे से 10 कि० मी० की दूरी के भीतर दो सार्वजनिक टेलीफोन घर नहीं खोले जा सकते ।

(ख) सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण केंद्रीय ग्राम निर्धारित करने के लिए निम्न क्रम में वरीयता दी जाएगी :—

(एक) जनजातीय विकास खंड मुख्यालय ।

(दो) जिन स्थानों पर एल० ए० एम० पी० एस० (बड़े आकार की बहुउद्देशीय सहकारी समितियां) स्थापित हैं, और

(तीन) ग्रामीण उद्योगों और/अथवा व्यापक कृषि विकास हेतु विभागों द्वारा निर्धारित केन्द्र ।

2. यदि प्रस्तावित तारघर के 8 कि० मी० के भीतर कोई अन्य तारघर कार्य करता हो तो घाटे पर कोई भी तारघर नहीं खोला जाना चाहिए ।

आकाशवाणी में उद्घोषकों, समाचार वाचकों, संगीतकारों आदि को सुविधाएं और पदोन्नतियां दिया जाना

4087. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी में काम कर रहे उद्घोषकों, समाचार वाचकों, संगीतकारों, लेखकों और निर्माताओं आदि को विशेषज्ञ अथवा व्यवसायी कहा जाता है;

(ख) क्या सेवा सम्बन्धी मामलों में इन व्यावसायिक कलाकारों, निर्माताओं आदि की तुलना में अन्य संवर्गों से सम्बद्ध लोगों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि नहीं, तो इन अधिकारियों, जो वास्तव में व्यावसायिक हैं, को सुविधाएं और पदोन्नतियां देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) इन श्रेणियों के स्टाफ आर्टिस्टों की भर्ती संबंधित भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप उनके द्वारा धारित की जाने वाली अर्हता, विशेषज्ञता, व्यावसायिक अनुभव आदि का उल्लेख है ।

(ख) जी, नहीं । इस स्टाफ आर्टिस्टों के लिए अलग भर्ती नियम मौजूद हैं और स्टाफ आर्टिस्टों के उच्च ग्रेडों में पदोन्नति/भर्ती केवल उनमें से ही की जाती है ।

ये स्टाफ आर्टिस्ट कार्यक्रम संवर्ग के अन्य पदों के लिए संघ लोक सेवा आयोग के खुले विज्ञापनों के उत्तर में भी आवेदन कर सकते हैं, यदि वे शैक्षिक तथा अन्य अर्हताएं आदि पूरी करते हों ।

(ग) आकाशवाणी में कार्यक्रम नियोजन और निर्माण का कार्य उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जिनके पास ऐसा करने के लिए व्यावसायिक अर्हता है।

उन स्टाफ आर्टिस्टों को, जो उसी प्रकार के कार्य करते हैं जिस प्रकार के कार्य नियमित सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं, उनके विकल्प तथा स्क्रीनिंग के अधीन रहते हुए, सरकारी कर्मचारी माना जायेगा। तत्पश्चात् इस प्रकार के व्यक्ति नियमित कार्यक्रम संवर्ग. के उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के लिए पात्र बन जायेंगे।

सम्प्रेषण कार्यकारियों के लिए पदोन्नति के अवसर

4088. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी में 1958 में सम्प्रेषण कार्यकारी संवर्ग बनाया गया था;

(ख) क्या इस संवर्ग से सम्बन्धित कुछ लोग दूरदर्शन मे ऊंचे पदों पर कार्य कर रहे हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि स्टाक आर्टिस्टों और प्रोडक्शन संवर्ग के अधिकारियों, जो कि अपने विषय के विशेषज्ञ हैं, के पदोन्नति के अवसर बहुत ही सीमित हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां।

(ख) ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव के पद पर पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र हैं और कार्यक्रम एक्जीक्यूटिव सहायक केन्द्र निदेशक, केन्द्र निदेशक, आदि के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र हैं। यह संभाव्य है कि जिन व्यक्तियों ने ट्रांसमिशन एक्जीक्यूटिव के पद पर कार्य किया था, वे कार्यक्रम में उच्च ग्रेडों में पदोन्नत किए गये हैं।

(ग) और (घ) स्टाफ आर्टिस्ट के प्रत्येक पद के लिए अलग भर्ती नियम मौजूद हैं। स्टाफ आर्टिस्ट की श्रेणियों के उच्च ग्रेडों में पदोन्नति, इन भर्ती नियमों के अनुसार, केवल स्टाफ आर्टिस्टों में से की जाती है। यह तथ्य है कि प्रोड्यूसर के ग्रेड से उच्च पदों की संख्या बहुत कम है।

यह निर्णय लिया गया है कि प्रोड्यूसर तथा स्टाफ आर्टिस्टों की इसी प्रकार की अन्य श्रेणियों को, उनके विकल्प तथा स्क्रीनिंग के अधीन रहते हुये, नियमित सरकारी कर्मचारी माना जाये। तत्पश्चात् वे कार्यक्रम संवर्ग अर्थात् सहायक केन्द्र निदेशक, केन्द्र निदेशक आदि के उच्च ग्रेडों में पदोन्नति के पात्र बन जायेंगे।

उड़ीसा में गोपालपुर के आस-पास कोयले के भारी भंडार

4089. **श्री नित्यानन्द मिश्र** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में ही की गई जांच से यह सिद्ध हो गया है कि उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में गोपालपुर के आस-पास कोयले के भारी भंडार हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त जिले में गोपालपुर के आस-पास कोयला भंडारों का उचित उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

बिजली चोरी के दोषी 'डेसू' के अधिकारियों के विरुद्ध जांच

4090. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लोक सभा के पिछले सत्र के दौरान मंत्री महोदय ने बताया था कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के उन 162 अधिकारियों को बिजली चोरी और कुछ अन्य आरोपों के दोषी पाय गए है, के विरुद्ध जांच जुलाई, 1984 के अंत तक पूरी हो जायेगी;

(ख) यदि नहीं, तो क्या जांच पूरी नहीं हुई है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) लोक सभा के पिछले सत्र में यह कहा गया था कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के 63 अधिकारियों के बिजली के बिलों की जांच की जा रही है। दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के सतर्कता विभाग ने अब जांच पूरी कर दी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

औषधियों में आधारभूत शोध कार्य को बढ़ावा देने के लिए नए संस्थान की स्थापना

4091. **श्री राम विलास पासवान** :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सरकार ने औषधियों के बारे में आधारभूत शोध कार्य को बढ़ावा देने हेतु एक नया संस्थान खोलने के किसी प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां तो, उक्त प्रस्ताव की मुख्य रूपरेखा क्या है;

(ग) यह संस्थान किस स्थान पर स्थापित किया जायेगा; और

(घ) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

नेल्को द्वारा उड़ीसा में कास्टिक सोडा कारखाने की स्थापना

4092. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार और 'नेल्को', उड़ीसा ने उड़ीसा में कास्टिक सोडा का कारखाना लगाने के लिए उनके मंत्रालय से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उस पर मंत्रालय की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि उड़ीसा स्थित अल्यूमीनियम संयंत्रों को कास्टिक सोडा की जरूरत होती है और उड़ीसा में इस समय ये उत्पाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो उनके मंत्रालय ने उड़ीसा में कास्टिक सोडा का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (घ) उड़ीसा राज्य में प्रस्तावित एल्यूमिना एवं एल्यूमीनियम संयंत्रों के लिए कास्टिक सोडा की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए, भारत एल्यूमीनियम कम्पनी लि० (बालको), उड़ीसा एल्यूमिना/एल्यूमीनियम कम्पलैक्स के मूल प्रोमोटर ने कास्टिक सोडा संयंत्र के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक परामर्शदाता नियुक्त किया । व्यवहार्यता रिपोर्ट पर खान विभाग में विचार किया जा रहा है ।

उड़ीसा में आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए पेट्रोल/डीजल वितरण केन्द्रों को मंजूरी

4093. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1983-84 और 1984-85 के दौरान उड़ीसा में आदिवासी और पिछड़े जिलों के लिए कोई पेट्रोल/डीजल वितरण केन्द्र (आउट लेट्स) के लिए विज्ञापन दिया गया है और उनको मंजूरी दी गई है;

(ख) यदि हां, यो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये वितरण केन्द्र जिलावार किन लोगों को आवंटित किए गए हैं और इनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों की संख्या कितनी है;

(घ) यदि नहीं, तो इन्हें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्वीकृत तत्संबंधी नीति के अनुसार सम्भवतः कब तक आबंटित कर दिया जायेगा;

(ङ) क्या कोरापुट और अन्य जिलों में पेट्रोल और डीजल वितरण केन्द्रों (आउट लेट्स) खोलने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को आदिवासी क्षेत्रों का चयन करने के लिए कह दिया गया है; और

(च) क्या अब तक ऐसे स्थानों का चयन कर लिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

उड़ीसा में पनबिजली परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों का पुनर्वास

4094. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में पनबिजली परियोजनाओं के कारण, परियोजनावार, कुल कितने व्यक्ति विस्थापित हुए हैं और कितने व्यक्तियों की विस्थापित होने की संभावना है;

(ख) अब तक इन व्यक्तियों को परियोजनावार कितनी क्षतिपूर्ति दी गई, पुनर्वास उपाय क्या किए गए तथा अन्य क्या न्यूनतम सुविधाएं दी गयीं;

(ग) दुदुमा के पीछे छोड़े पानी (बैक वाटर) और उसकी वालीभेला पनबिजली परियोजना से घिरे क्षेत्रों के लिए सभी मौसमों में संचार की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा सरकार ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) क्या उनके मंत्रालय ने पुनर्वास की लागत और अन्य सप्तक मामलों को परियोजना रिपोर्ट के एक संघटक के रूप में शामिल किया है और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा राज्यों से उसका पालन करने के लिए कहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना उसीड़ा सरकार से प्राप्त की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दुदुमा और बलिमेला जल विद्युत परियोजनाओं के पीछे भरे जल से घिरे क्षेत्रों में सभी मौसमों में संचार सुविधा की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

दुदुमा (मचकुंड परियोजना) : पटुआ-ओंडरगेडा सड़क का सुधार किया जा रहा है तथा गांव की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पदुआ के समीप एक पुल का निर्माण विचाराधीन है। इन गांवों में पेय जल की सप्लाई चिकित्सा सहायता सुविधाएं, शिक्षा आदि जैसी विकासात्मक कार्य-वाही की जा रही है।

बलिमेला परियोजना : जानबाई से चित्रकोंडा तक 18 कि०मी० लम्बी एक फेयर वैदर लिंक रोड की व्यवस्था की गई है और जानबाई के निकट गुरूप्रिया नदी पर एक पुल का निर्माण किया जा रहा है। उरापदर से हैलीपैड चित्रकोंडा की सप्ताह में दो बार 42 किलोमीटर की दूरी के लिए एक मोटर नौका की व्यवस्था की गई है। जानबाई के समीप गुरू प्रिया नदी पर एक और छोटी नौका सेवा की व्यवस्था भी की गई है।

(घ) केन्द्र तथा राज्य क्षेत्र दोनों की जल विद्युत/बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए पुनर्वास के उपायों पर आने वाली लागत परियोजना अनुमानों का अभिन्न अंग होती है और यह सिंचाई और बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए सिंचाई मंत्रालय द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों पर आधारित होती है।

स्कीमों के तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से स्वीकृत किए जाने से पूर्व विभिन्न राज्यों/केन्द्रीय क्षेत्र की एजेन्सियों द्वारा इस सम्बन्ध में किए गए प्रावधानों की पर्याप्तता की भी जांच की जाती है।

दूरदर्शन पर फिल्म "अनजान राहें" का प्रदर्शन

4095. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन ने 20 जुलाई, 1984 को फिल्म "अनजान राहें" प्रसारित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस फिल्म में किशोर युवकों में सेक्स और अपराध का भद्दा प्रदर्शन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसी फिल्मों का किशोर युवकों के अति संवेदनशील दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता; और

(घ) दूरदर्शन पर भविष्य में ऐसी फिल्मों के दिखाए जाने को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) जी, नहीं । फिल्म का मुख्य संदेश युवकों के लिए नैतिक शिक्षा था जो उस वातावरण, जिसमें वे बड़े होते है, में अनुशासन में ढील के कारण गलत भावों तथा विचारों को ग्रहण कर सकते हैं ।

(घ) दूरदर्शन द्वारा टेलीकास्ट की जाने वाली सभी फिल्में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा "यू" श्रेणी के रूप में प्रमाणीकृत फिल्में होती हैं और उनके वास्तविक टेलीकास्ट से पहले यह देखने के लिए उनका प्रिव्यू किया जाता है कि वे परिवार के साथ देखने के लिए उपयुक्त है ।

डोरी विहीन टेलीफोनों के मामले में कदाचार

4096. **प्रो० मधु दंडवते** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान डोरी विहीन टेलीफोन के मामले, जिसमें दूसरे टेलीफोन नम्बरों से ट्रंक कालों की बुकिंग भी शामिल है, से सम्बन्धित कदाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभाग को इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पूर्वी भारत में स्थित तेल भंडार

4097. **श्री बृज मोहन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी भारत के उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां तेल के भंडार हैं;

(ख) उड़ीसा के कौन से भागों में तट पर और समुद्र में दोनों ही जगह पर, तेल पाया गया है; और

(ग) उन तेल भंडारों का ब्यौरा क्या है जो आर्थिक और वाणिज्यिक दृष्टि से व्यवहार्य है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड ।

(ख) अभी तक उड़ीसा के किसी भाग में व्यापारिक तेल का भण्डार नहीं मिला है ।

(ग) 1 जनवरी, 1984 को असम, अरुणाचल प्रदेश तथा नागालैंड में 665 मि०मी० टन तेल भण्डार होने का अनुमान लगाया गया है जिसमें से निष्कर्षण योग्य भण्डार 108 मि०मी० टन के हैं ।

आई० टी० आई० पालघाट द्वारा स्वचालित एक्सचेंजों का निर्माण

4098. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० टी० आई० पालघाट में रक्षा मंत्रालय के प्रयोग के लिए बनाए गए 40-12 स्वचालित एक्सचेंज को उसके द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बिजय एन० पाटित) : (क) जी हां ।

(ख) स्वीकृत तकनीकी विशिष्टियों को यह उपस्कर नहीं पा सका ।

(ग) इण्डियन टैलीफोन इण्डस्ट्रीज और रक्षा मंत्रालय इन एक्सचेंजों के डिजाइन से संबंधित कुछ समस्याओं का हल निकाल रहे हैं । आशा है कि शीघ्र ही व्यावहारिक हल निकाल लिया जाएगा ।

आलथुर, केरल में सौर ऊर्जा केन्द्र

4099. **श्री वी० एस० विजयराघवन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आलथुर, पालघाट जिला, केरल का सौर ऊर्जा केन्द्र कार्य नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसे फिर से आरम्भ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) आलथुर में कोई सौर ऊर्जा केन्द्र नहीं है । वहां पर एक प्रायोगिक सौर शुष्क संयंत्र की स्थापना की गई है और मानसून प्रारम्भ होने तक उसने बहुत सन्तोषपूर्ण ढंग से कार्य किया । अत्यधिक वर्षा के कारण, इस संयंत्र के आन्तरिक भागों

में कुछ वर्षा का पानी चला गया था। बरसाती मौसम के समाप्त होते ही इसका परिशोधन कर दिया जाएगा।

राजस्थान में तेल और गैस की खोज

4100. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि आयल इंडिया लिमिटेड ने बाड़मेर राजस्थान में बाड़मेर बीकानेर, नागपुर और गंगानगर घाट में तेल और गैस का पता लगाने के कार्य में कितनी प्रगति की है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : राजस्थान में आयल इण्डिया लिमिटेड को तेल अन्वेषण के लिए दिये गये क्षेत्र में बाड़मेर और नागौर तलछटी बेसिन शामिल नहीं हैं। इन क्षेत्रों में मुख्यत: राजस्थान के जैसलमेर में जैसलमेर और बीकानेर तलछटी बेसिन, बीकानेर, गंगानगर और जोधपुर जिले शामिल हैं। कार्य इस प्रकार किया जा रहा है :

(1) भूकम्पीय आंकड़ों के 7200 लाइन किलोमीटर के अधिग्रहण के लिए भूकम्पीय सर्वेक्षण के करार और प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है।

(2) क्षेत्रीय भूगर्भीय ढांचे को प्रतिपादित करने के लिए सभी प्रारम्भिक अध्ययन पूरे कर लिए गए हैं।

(3) इस कार्य के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कर ली गई है।

(4) भूकम्पीय सर्वेक्षण के लिए उपस्करों के संग्रहण की व्यवस्था की जा रही है और भूकम्पीय सर्वेक्षण का कार्य 1985 के अन्त तक आरम्भ होने की आशा है।

बम्बई हाई की गैस का उपयोग

4101. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** :
श्री मूल चन्द डागा :

क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "बम्बई हाई" में गैस कितनी मात्रा में होने की सम्भावना है और उसके उपयोग की क्या योजनाएं हैं;

(ख) क्या इस समय इसके एक मात्र भाग को जला दिया जाता है;

(ग) क्या इस गैस का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग हो सकता है;

(घ) क्या गैस पर आधारित ताप-विद्युत संयंत्र की स्थापना में केवल 24 महीने लगते हैं जबकि कोयले पर आधारित ताप विद्युत केन्द्र को उत्पादन क्षमता प्राप्त करने में सामान्यत: 54-60 महीने लगते हैं;

(ङ) क्या इस गैस के उपयोग के लिए जिसके लिए कि बम्बई हाई से मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश तक पाइपलाइन बिछाई जा रही है, राजस्थान में सवाई माधोपुर में एक उर्वरक संयंत्र और एक विद्युत केन्द्र की स्थापना की कोई योजनाएं हैं;

(च) क्या इस प्रकार बिछाई गई पाइपलाइन से केवल उर्वरक संयंत्र की ही आवश्यकता की ही पूर्ति होगी; और

(छ) क्या पाइपलाइन की क्षमता में वृद्धि की जाएगी ताकि विद्युत केन्द्र की आवश्यकता की पूर्ति हो सके ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस का औसत दैनिक उत्पादन लगभग 10.7 मिलियन घन मीटर है। गैस के एक बड़ा भाग का उर्वरकों और पेट्रो-रसायन उद्योगों के लिए उपयोग किया जाएगा।

(ख) जी हां।

(ग) इस समय जितना सम्भव हो सकता है, बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस को विद्युत उत्पादन के लिए सप्लाई किया जा रहा है।

(घ) सभी प्रकार के निवेशों को प्रतिबंधित करने के पश्चात् कोयले पर आधृत 200 मेगावाट के थर्मल स्टेशन को लगाने में 4 वर्ष और कोयले पर आधृत 500 मेगावाट के थर्मल स्टेशन को स्थापित करने में 5 वर्ष का समय लगता है। समान परिस्थितियों में गैस पर आधृत विद्युत संयंत्र को स्थापित करने में लगभग 2 वर्ष लगता है।

(ङ) राजस्थान में सवाई माधोपुर में गैस पर आधृत एक उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(च) और (छ) पाइपलाइन की क्षमता उर्वरक संयंत्र की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी। यदि आवश्यक समझा गया तो इसे बाद में बढ़ाया जाएगा।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा खान्द्रा हाई स्कूल को अनुदान

4102. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ईस्टर्न कोलफील्ड्स द्वारा खान्द्रा हाई स्कूल को कितना मासिक आवर्ती अनुदान दिया जाता है;

(ख) उपरोक्त राशि कब निर्धारित की गई थी;

(ग) क्या यह सच है कि स्कूल के कर्मचारियों के वेतनों/भत्तों और अन्य खर्चों में हुई तीव्र वृद्धि को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अनुदान अपर्याप्त है;

(घ) क्या खान्द्रा हाई स्कूल के प्रबन्धकों से उपरोक्त मासिक अनुदान को बढ़ाने के बारे में अभ्यावेदन मिला है; और

(ङ) क्या सरकार उनके अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) यद्यपि नए स्कूल खोलना अथवा अन्य शैक्षिक सुविधाएं उपलब्ध कराना मुख्य रूप से सम्बन्धित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, फिर भी ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० यथासम्भव वित्तीय सहायता (आवर्ती और अनावर्ती दोनों) अपने कोयला क्षेत्रों में स्थित स्कूलों को देता रहा है। खान्द्रा स्कूल को अपने भवन निर्माण के लिए रु० 1,81,000 का आर्थिक अनुदान मिला है। इसके अलावा ई०को०लि० इस स्कूल को आवर्ती अनुदान के रूप में रु० 96,000 (रु० 8,000 प्रतिमाह की दर से) आर्थिक सहायता देता है।

(घ) यह अनुरोध एक संसद सदस्य के जरिए प्राप्त हुआ है। माननीय सदस्य महोदय को उत्तर भेजा जा चुका है।

(ङ) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ई०को०लि० राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-III के अधीन मिले दायित्व के अनुसार स्कूलों की स्थापना आदि के लिए अपना स्वयं का कार्यक्रम तैयार कर रहा है, उसके लिए यह संभव नहीं है कि कोयला क्षेत्रों की अन्य संस्थाओं को पूरी वित्तीय सहायता प्रदान करें। स्कूल प्रबन्ध मंडल को आर्थिक सहायता के लिए पश्चिम बंगाल सरकार से अनुरोध करने की सलाह दी गई है क्योंकि राज्य सरकार अपने राज्य में कोयला प्रेषण पर ई०को०लि० से शैक्षिक उपकर एकत्र कर रही है।

उड़ीसा में दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना

4103. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :**
श्री लक्ष्मण मलिक :

क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के लिए कितने नए दूरदर्शन केन्द्र मंजूर किए गए हैं और इसका लाभ कितने प्रतिशत जनता को मिल सकेगा और क्या अखिल भारतीय प्रतिशत की तुलना में उड़ीसा के प्रतिशतता का मेल बैठता है; और

(ख) इन दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस सम्बन्ध में समय तालिका क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) बहरामपुर में 16-8-84 को चालू किये गये अल्प शक्ति वाले ट्रांसमीटर के अलावा, उड़ीसा में कटक में उच्च शक्ति वाला एक ट्रांसमीटर तथा राउरकेला और कोरापुट में अल्प शक्ति दो ट्रांसमीटर लगाए जा रहे हैं। राउरकेला और कोरापुट के अल्प शक्ति बाले ट्रांसमीटरों के अक्तूबर, 1984 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

कटक में उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर के 1984-85 के दौरान चालू हो जाने की उम्मीद है। तथापि, 150 मीटर ऊंचे टावर के मुकम्मल होने तक अन्तरिम सेवा अक्तूबर, 1984 तक चालू कर दी जायेगी। हाथ में ली गई स्कीमों के कार्यान्वित हो जाने पर 70 प्रतिशत के राष्ट्रीय कवरेज की तुलना में राज्य के 52.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध होने की उम्मीद है।

ग्रामीण असंगठित कृषि श्रमिकों पर अग्रिम भुगतान प्रणाली का प्रभाव

4104. **श्री गदाधर साहा** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दादोआ प्रणाली (अग्रिम अदायगी प्रणाली) ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रचलित है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका प्रभाव असंगठित निर्धन खेतिहर मजदूरों और उनकी दिहाड़ी पर पड़ता है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली के अंतर्गत भूमि के मालिक निर्धन खेतिहर मजदूरों को किसी मौसम के लिए दिहाड़ी हेतु किए गए मौखिक ठेके से कम दिहाड़ी स्वीकार करने के लिए मजबूर करते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस प्रणाली को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) दादन (न कि ददोआ) पद्धति (अग्रिम अदायगी प्रणाली) ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान है जो दादन श्रमिकों, जिनमें कृषि श्रमिक भी शामिल हैं, की काम-काज की दशाओं तथा मजदूरी को प्रभावित करती हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन और सेवा-शर्तें) अधिनियम, 1979 लागू किया है जिसमें, **अन्य बातों के साथ-साथ**, प्रवासी श्रमिकों के लिए मजदूरी-दरों, विस्थापन भत्ते, यात्रा, भत्ते, यात्रा की अवधि के दौरान मजदूरी, आदि मानो भर्ती किए गए

कर्मकार ड्यूटी पर हों, की व्यवस्था है। सांविधिक उपबन्धों के कार्यान्वयन सीमा की लगातार पुनरीक्षा की जाती है।

इसके अतिरिक्त, दो संयुक्त अध्ययन दल भी गठित किए गए है जिनमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं जो :

(i) उन कार्यस्थलों का दौरा करेंगे जहां प्रवासी श्रमिक काम करते हैं और जिनके बारे में विशिष्ट शिकायतें प्राप्त हुई हैं, (ii) प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का उनकी विशिष्ट शिकायतों के सन्दर्भ में मौके पर अध्ययन करेंगे और (iii) सामान्य निरीक्षण करेंगे ताकि प्रवासी श्रमिकों की अन्य शिकायतों को मौके पर दूर किया जा सके।

संयुक्त अध्ययन दल नं० 2 ने, जिसमें उड़ीसा सरकार का भी प्रतिनिधित्व है, उन कई राज्यों में, जहां उड़ीसा से दादन श्रमिक नियोजित किए जाते हैं, परियोजनाओं का दौरा करने के पश्चात् अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। अपनी रिपोर्ट में, समिति ने प्रवासी श्रमिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए विशेष उपायों का सुझाव दिया है। यह रिपोर्ट सम्बन्धित राज्य सरकारों को आवश्यक अनुवर्ती कार्यवाही के लिए भेज दी गई है।

12.00

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : हमने एक अमरीकी प्रतिनिधि द्वारा मैक्सिको में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या सम्मेलन में जम्मू और कश्मीर को एक अधिकृत क्षेत्र कहे जाने सम्बन्धी सूचना आपको दी है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री मगन भाई बरोट (अहमदाबाद) : एक माननीय सदस्य श्री कल्पनाथ सोनकर को पीटा गया है.....

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ सोनकर (बस्ती) : **

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दे दीजिए।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य इकट्ठे करूंगा।

(व्यवधान)**

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए ।

(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : श्रीमन्, मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य के वक्तव्य के आधार पर आप रिपोर्ट की मांग करें ।

अध्यक्ष महोदय : हां, ठीक है । यही मैंने कहा है । इससे अधिक आप क्या चाहते हैं ।

12.05 म०प०

सभा पटल पर रखे गये पत्र

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, आदि

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 28 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, मतदाताओं का पंजीकरण (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 मार्च, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का०आ० 232(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8608/84]

(2) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 51 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी किये गये बम्बई उच्च न्यायालय (औरंगाबाद में एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना) आदेश, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 26 जून, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 475 (अ) में प्रकाशित हुआ था ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8609/84]

(3) उच्चतर न्यायालयों में मौखिक और लिखित बहस के बारे में विधि आयोग के 99वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8610/84]

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं और भारतीय प्रेस परिषद् का वार्षिक प्रतिवेदन

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1981 की धारा 10 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, सिनेमा कर्मकार कल्याण उपकर (संशोधन) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 अगस्त, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 588(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8611/84]

(2) प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 20 के अन्तर्गत, भारतीय प्रेस परिषद् नई दिल्ली, के वर्ष 1983 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8612/84]

राष्ट्रीय खेल नीति सम्बन्धी संकल्प

खेल विभाग में उपमंत्री (श्री अशोक गहलौत) : मैं राष्ट्रीय खेल नीति सम्बन्धी सरकारी संकल्प संख्या 1-1/83 डी०आई० (एस०पी०) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 8613/84]

डा० सुब्रह्मण्यम् स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : श्रीमन्, मैंने सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी एक सूचना दी है ।

अध्यक्ष महोदय : वह यहां सम्भव नहीं है । इसमें नहीं आता है ।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैंने सभा पर पत्र रखे जाने सम्बन्धी एक सूचना दी थी ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनसे कहूंगा कि वह ऐसा करें । जल्दी करा दिया करेंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप कैसे जानते हैं ? मुझे अपनी बात कहने की अनुमति दीजिए । सभा को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय : आपने इसे मुझे लिखकर दिया है ।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैंने यह आपको दे दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनातवाला, इसे समिति के पास भेज दिया गया है ।

12.06 म० प०

राज्य-सभा से संदेश

महासचिव : श्रीमन्, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना देनी है:

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में मुझे लोक-सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 16 अगस्त, 1986 को अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 10 अगस्त, 1984 को पारित किये गये विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा तस्करी निवारण (संशोधन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई ।"

12.06$\frac{1}{2}$ म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

58वां प्रतिवेदन

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं, उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग), खादी और ग्रामोद्योग आयोग में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा आयोग द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों के आर्थिक विकास के लिए उपलब्ध की गई सुविधाओं के बारे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 58वां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं ।

12.07 म० प०

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

58वें प्रतिवेदन से संबंधित कार्यवाही-सारांश

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के

कल्याण संबंधी समिति के 58वें प्रतिवेदन से संबंधित बैठकों के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं ।

12.07½ म० प०

23 अप्रैल, 1984 को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या 763 के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि करने वाला वक्तव्य

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : सूखाग्रस्त जिलों में पेयजल सुविधाये मुहैय्या करने के लिए राज्यों को दी गई विशेष सहायता के बारे में श्रीमती जयन्ती पटनायक द्वारा पूछे गए दिनांक 23 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 763 के सम्बन्ध में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान प्रश्न का उत्तर देते समय यह देखा गया कि मेरे दिए गए आंकड़ों में कतिपय टाइप की त्रुटियां हैं । गलत सुनने या लिखने में गलती के कारण ये त्रुटियां हो गईं । उपर्युक्त प्रश्न की अनुपूरक टिप्पणी में दिए गए उत्तर में निम्नलिखित शुद्धि करने के लिए मैं सदस्यों से अनुग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं :—

(क) कार्यवाही की पृष्ठ संख्या 20307

(i) 1980 में उड़ीसा में पता लगाए गए समस्याग्रस्त गांवों की संख्या 23,616 है न कि 23,660.

(ii) सूखाग्रस्त राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता के रूप में उड़ीसा सरकार को अनुमोदित 1.8 करोड़ रुपए की राशि 1982-84 से संबंधित है न कि 1980-81 से ।

(iii) 1983-84 में दी गई सूखा राहत सहायता की राशि 3,47,50,000 रुपए है न कि 3,45,50,000 रुपए ।

(ख) कार्यवाही की पृष्ठ संख्या 20308

सन्दर्भित वर्ष, जिनके दौरान उड़ीसा में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,255 नलकूप खोदे गए थे, 1982-83 है न कि 1980-81 ।

(ग) कार्यवाही की पृष्ठ संख्या 20311

ग्रामीण जल पूर्ति प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 1983-84 के दौरान उड़ीसा राज्य को दी गई 450 करोड़ रुपए की सहायता को 450 लाख रुपए पढ़ा जाए।

2. अनुपूरक टिप्पणियों के सम्बन्ध में कार्यवाही में हुई विसंगतियों के लिए मुझे खेद है।

12.09 म० प०

कार्य मंत्रणा समिति

66वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा 17 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के 66वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ झा (सहरसा) : **.....

(व्यवधान) **

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी है। मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

"इस रूप-भेद के साथ कि पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के संबंध में संकल्प पर चर्चा के लिए रखा गया समय 2 घण्टे से 6 घण्टे तक बढ़ाया जाए।"

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता ।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात्—

(1) (एक, कि पंजाब राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के संबंध में संकल्प पर चर्चा के लिए रखा गया समय 2 घण्टे से 3 घण्टे तक बढ़ाया जाए; और

(दो) कि सिक्किम राज्य में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के संबंध में संकल्प पर चर्चा के लिए रखा गया समय 2 घण्टे से 3 घण्टे तक बढ़ाया जाए ।

(2) कि लोक सभा के चालू सत्र को सोमवार, 27 अगस्त, 1984 तक बढ़ाने की बजाय, इसे मंगलवार, 28 अगस्त, 1984 तक बढाया जाए और शनिवार, 25 अगस्त, 1984 के लिए कोई भी बैठक निर्धारित न की जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी, क्या आप अपने संशोधन के बारे में बोलना चाहते हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हां, अध्यक्ष महोदय । मैंने अनुरोध किया है कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के बारे में चर्चा के लिए रखा गया समय 2 घण्टे से 6 घण्टे तक बढाया जाये । मैंने देखा है कि इस सभा को हमेशा ही जल्दी रहती है । पिछली बार जब उन्होंने राष्ट्रपति शासन लागू किया था तो उन्होंने कहा था कि यह एक अल्पावधिक उपाय है । जब सेना भेजी गई, तब भी यह कहा गया कि यह एक अल्पावधिक उपाय है । अब ये सब उपाय स्थायी से लगते हैं । अब तो लगभग ऐसा लगता है कि वे सेना के साथ मिलकर शासन करेंगे । अत: मैं चाहता हूं (**व्यवधान**) उन्होंने सेना वापस बुलाने के लिए कोई समय-सूची नहीं रखी है । हमें यह बताया गया है कि सेना वापस बुला ली जाएगी लेकिन कोई समय-सूची नहीं दी गई है । क्योंकि उन्हें बहुमत प्राप्त है, इसलिए वे राष्ट्रपति का शासन जारी रख रहे हैं । मैं चाहता हूं कि पंजाब में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के संबंध में चर्चा के लिए समय 2 घण्टे तक बढ़ाना चाहिए । (**व्यवधान**)

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, अभी आपने देखा कि आंध्र प्रदेश में जनतंत्र की जो हत्या हो रही है···।

अध्यक्ष महोदय : यह तो आ रहा है । इस पर तो चर्चा हो रही है । और कोई बात बताइए ।

(**व्यवधान**)

श्री बूटा सिंह : आपको याद होगा कि विभिन्न मदों के लिए समय, कार्य मंत्रणा समिति

जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि हैं, द्वारा पूर्ण चर्चा के बाद बांटा गया था। और फिर हमारे पास समय बहुत थोड़ा है, निर्धारित किये गए समय को बढ़ाना संभव नहीं होगा। अतः महोदय मेरे लिए डा० स्वामी और प्रो० मेहता के अनुरोध को मानना संभव नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० अजित कुमार मेहता और डा० स्वामी द्वारा पेश किए गए संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : यह कार्यमंत्रणा समिति की सिफारिश नहीं है। हमने इसे स्वीकार नहीं किया था। यह अध्यक्ष महोदय की सिफारिश है न कि कार्य मंत्रणा समिति की।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आपने 18 तारीख को बैठक करने के बारे में नहीं कहा था। तब हमने कहा कि हम 25 तारीख को बैठक कर सकते हैं। ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : समय और इन सब बातों के बारे में हम कभी भी सहमत नहीं हुए। मैंने आपसे विशेष रूप से पूछा था। आपको यह कहना चाहिए कि यह अध्यक्ष महोदय की सिफारिश है और न कि कार्य मन्त्रणा समिति की।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। आप एग्री करें या न करें, यह आपकी दूसरी बात है। प्रोफेसर, यह आप बहुत गलत कह रहे हैं। पूर्ण कार्य मंत्रणा समिति ही समय निर्धारित करती है। 18 तारीख की बैठक के बारे में आपने 'ना' की थी। तब हमने कहा कि 25 तारीख रख लीजिए। अतः हमारा मत है···यह बहुत गलत है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 17 अगस्त, 1984 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के 66वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

12.29 म० प०

कराधान विधि (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : मैं, श्री प्रणब मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधि-

नियम, 1958, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 और ब्याज-कर अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि आय-कर अधिनियम 1961, धन-कर अधिनियम, 1957, दान-कर अधिनियम, 1958, कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964, अनिवार्य निक्षेप स्कीम (आय-कर दाता) अधिनियम, 1974 और ब्याज-कर अधिनियम, 1974 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री एस० एम० कृष्ण : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० मधु दण्डवते—अगली मद।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इससे पहले कि वे बोलना आरम्भ करें, मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री को यहां पर उपस्थित रहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप इस बात के लिए जोर नहीं दे सकते।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उन्हें इसलिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए क्योंकि वह आंध्र प्रदेश के एक चुनाव क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं।

———

12.30 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं। श्रीमती पटनायक ···(**व्यवधान**) समय व्यर्थ क्यों गंवाया जाए ? इसमें लगभग 15 मिनट लगेंगे। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : प्रधान मंत्री को अवश्य यहां होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं बाध्य नहीं कर सकता। श्रीमती पटनायक।

(एक) कोणार्क में "प्रकाश-ध्वनि कार्यक्रम" के लिए अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयन्ती पटनायक (कटक) : इस समय कोणार्क के सूर्य मन्दिर को चार कोनों से रोशन किया जाता है। उड़ीसा सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को कोणार्क में

"प्रकाश-ध्वनि कार्यक्रम" दिखाने के लिए अनुमति देने हेतु प्रस्ताव दिया है। अनुमति मुख्यतः इस आधार पर नहीं दी जा रही है कि यह एक मन्दिर है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दिए गए स्पष्टीकरण में राज्य सरकार ने कहा है कि राजा नरसिंह देव ने यह मन्दिर केवल सूर्य देवता की पूजा के लिए ही नहीं बनवाया था, अपितु उसने इसे उत्तर से दक्षिण तक अपनी विजय के स्मारक चिह्न के रूप में भी बनवाया था। कोणार्क अब केवल पूजा का स्थल ही नहीं है। वास्तव में ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम शुरू हो जाने से यात्री कोणार्क में ठहरने के लिए विवश हो जाएंगे, जिससे इसकी मान्यता और बढ़ेगी। ऐसा करने के लिए देश के कुछ अन्य भागों में भी अनुमति दी गई है। अतः यदि "प्रकाश-ध्वनि" कार्यक्रम दिखाने की अनुमति दे दी जाए तो यह मन्दिर की देखभाल के हित में होगा, इससे इसकी मान्यता बढ़ेगी और पर्यटन में वृद्धि होगी।

अतः मैं सम्बन्धित मंत्री से अनुरोध करती हूं कि वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निदेशक को कोणार्क में "प्रकाश-ध्वनि" कार्यक्रम शुरू करने के लिए अनुमति देने हेतु तत्काल निदेश जारी करें।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सदस्य के त्यागपत्र का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, जब तक मेरे पास इस्तीफा नहीं आता कोई रिजाइन नहीं करता है। यह विहित प्रपत्र में होना चाहिए और मुझे दिया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री हरीश रावत।

(दो) शिक्षित बेरोजगार युवाओं की बेरोजगारी दूर करने हेतु कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : अध्यक्ष जी, शासन के नियोजित प्रयासों के फलस्वरूप जहां अशिक्षित ग्रामीण बेरोजगारी की समस्या बहुत हद तक नियन्त्रित हुई है वहीं शिक्षा के प्रसार के साथ-साथ शिक्षित बेरोजगारों की रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का प्रश्न दिन-प्रतिदिन विकटतम होता जा रहा है। नौकरी की खोज में भटकते शिक्षित नौजवानों के मन में धीरे-धीरे इस वर्तमान प्रणाली के प्रति उदासीनता या आक्रोश पैदा हो रहा है। इस स्थिति पर नियन्त्रण करना सातवीं योजना का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि :

1. हाई स्कूल के बाद की शिक्षा केवल उन विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जिनके परीक्षा प्राप्तांक 50 प्रतिशत से अधिक हों।

2. वर्तमान इंटर कालेजों को जी० टी० आई० के रूप में बदलकर वहां व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए।

3. ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स से शिक्षा प्राप्त नौजवानों को नौकरी या व्यवसाय में लगने तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए।

4. बैंकों से स्वरोजगार योजना के तहत बिना गारंटी के सुगमतापूर्वक ऋण उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। यह कार्य वर्तमान शिक्षित स्वरोजगार गारंटी योजना के स्वरूप को संशोधित करके भी पूर्ण किया जा सकता है।

5. लघु ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने की व्यापक योजना बननी चाहिए।

6. "एक परिवार एक रोजगार" यह शासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए।

(तीन) रेल सेवाओं में वृद्धि करने के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश के राजगढ़, गुना, विदिशा तथा शाजापुर जिलों के लोगों की मांगों को पूरा करने की आवश्यकता

श्री बसन्त कुमार पंडित (राजगढ़) : मध्य प्रदेश में राजगढ़ एक पिछड़ा तथा अविकसित क्षेत्र है। इसकी विचित्र स्थिति हे, अर्थात् कोई भी बड़ी औद्योगिक इकाइयां यहां आने के लिए तैयार नहीं हैं क्योंकि वहां कोई आधारभूत ढांचा नहीं है और वहां आधारभूत ढांचा इसलिए नहीं बनाया जा रहा है कि वहां कोई औद्योगिक आधार नहीं है। यद्यपि सरकार की आकर्षक वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राजगढ़ जिले में सभी प्रकार की साधन क्षमता है, फिर भी इस जिले में रेल परिवहन सुविधा की नितान्त कमी है। साबरमती एक्सप्रैस, जो कि एक अर्ध-तेज गाड़ी है तथा जो गुनाभाक्सी लाइन पर अभी चलनी शुरू हुई है, वह राजगढ़ जिले तथा शाजापुर और गुना के एक छोटे से भाग से गुजरती है। अतः इस जिले के विकास और औद्योगिक प्रगति के लिए लम्बी दूरी की एक तेज गाड़ी चलाने की आवश्यकता है।

मालूम हुआ है कि सरकार ने लखनऊ-कोटा-अवध एक्सप्रैस को गुजरात में ओखा तक चलाने का निश्चय किया है। राजगढ़ के लोग तथा शाजापुर और गुना की जनता निरन्तर यह मांग करती रही है कि अवध एक्सप्रैस गुना-बायोरा-भाक्सी होकर चलाई जानी चाहिए ताकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों को परस्पर जोड़ दिया जाए। इससे लम्बी दूरी की तेज गाड़ी की लम्बे समय से चली जा रही मांग पूरी हो जायेगी।

यह भी मांग की गई है कि इन्दौर-दिल्ली सुपर-फास्ट गाड़ी को, जो हाल ही में आरम्भ की गई है, और जो भोपाल होकर सप्ताह में तीन दिन चलती है, गुना-भाक्सी लाइन पर भी सप्ताह में तीन दिन चलाई जानी चाहिए। सरकार को वर्तमान उज्जैन-गुना गाड़ी संख्या 141-142 को इन्दौर से कटनी तक चलाने पर भी विचार करना चाहिए।

जब स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे तो राजस्थान और मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली कोटा से भोपाल तक एक रेल लाइन का सर्वेक्षण किया गया था। मेरा रेल मंत्री से

निवेदन है कि इसकी समीक्षा की जाये और उसका झालावाड़-खिलचीपुर-राजगढ़-वायोरा, नरसिंगगढ़-वेरेसिया-भोपाल अथवा रामगंज-मंडी-खिलचीपुर-वायोरा-सुल्थालिया-सिरोंग मैल्सा-भोपाल होकर व्यावहार्यता सर्वेक्षण कराया जाये।

मुझे आशा है कि सरकार उपर्युक्त मांगों पर गम्भीरता से विचार करेगी और इन पिछड़े जिलों की बड़ी देर से चल रही मांगों को पूरा करेगी।

(चार) उत्तर प्रदेश में नये बैंक खोलने तथा कतिपय बैंकों को मिलाकर "उत्तर प्रदेश बैंक" नामक बैंक खोलने की आवश्यकता

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश की आबादी पूरे देश की आबादी का छठा भाग है, परन्तु आर्थिक दृष्टि से यह सर्वाधिक पिछड़े हुए प्रदेशों में है। यहां की आधी जनता गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। इस परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश के आर्थिक विकास के लिए बैंकों की भूमिका का स्पष्ट रूप से बहुत महत्व है।

क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिए यह आवश्यक है कि नेशनल क्रेडिट पालिसी को इस प्रकार पुनरीक्षित किया जाये जिससे बैंक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों में, जिनमें उत्तर प्रदेश भी है, विशिष्ट रूप से धन का विनियोजन करें। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों के ऋण जमा अनुपात में पिछले कई वर्षों से कोई सुधार दिखाई नहीं पड़ा। उत्तर प्रदेश में बैंकों में जमा किये गये प्रत्येक रुपये का पचास प्रतिशत अंश अन्यत्र उपयोग में लाया जा रहा है।

ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में बैंक ऋणों के विस्तार में प्रमुख बाधा, बैंकिंग सुविधा का न होना है। अप्रैल, 1983 में प्रति-बैंक शाखा सत्रह हजार की आबादी के अखिल भारतीय औसत के विरुद्ध पूरे उत्तर प्रदेश में 19 हजार की तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 23 हजार की आबादी पर बैंक शाखा है, अतः यहां बैंक शाखा विस्तार कार्यक्रम में तीव्रता लाने की आवश्यकता है।

इसी प्रकार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा बैंक शाखा खोलने की प्रगति तेज करने की आवश्यकता है। वर्ष 1982-85 के लिये बैंक शाखा विस्तार कार्यक्रम में अनुमोदित लगभग 600 केन्द्रों के आबंटन अभी निर्गत होने में तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के आबंटित 1046 में से केवल 562 शाखाएं खोली गई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक 60 प्रतिशत के ऋण जमा अनुपात तथा कृषि क्षेत्र में पन्द्रह प्रतिशत के अग्रिम मानकों को दृष्टिगत रखते हुए और यह मानते हुए कि इसमें 20 प्रतिशत अल्पकालीन ऋण होगा, प्रदेश में फसली ऋण का वार्षिक लक्ष्य एक सौ पांच करोड़ रुपये आता है, जबकि इसके विपरीत राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा आबंटित धनराशि मात्र पचास करोड़ रुपये है।

मेरा भारत सरकार से अनुरोध है कि इलाहाबाद बैंक का मुख्यालय इलाहाबाद स्थानान्तरित कर दिया जाये, तथा प्रदेश सरकार की संस्तुति के अनुसार प्रदेश में कार्यरत हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक, बनारस स्टेट बैंक, नैनीताल बैंक, बरेली कारपोरेशन बैंक तथा काशीनाथ सेठ बैंक को मिलाकर एक नये उत्तर प्रदेश बैंक की स्थापना की जाये।

(पांच) धनबाद क्षेत्र में सड़कों के विकास पर होने वाला पूरा व्यय केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने की आवश्यकता

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : अध्यक्ष महोदय, बिहार के धनबाद एवं झरिया के कोयला क्षेत्र में कोयले की ढुलाई में सुविधा एवं विधि व्यवस्था पर बेहतर नियन्त्रण के लिए बी० सी० सी० एल० एवं राज्य लोक निर्माण विभाग के सहयोग से सर्वेक्षण के आधार पर 1983 में 220 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 67.93 करोड़ रुपये का प्राक्कलन तैयार हुआ। यह धन उपलब्ध कराने के लिए कोयले पर 9-2-83 से प्रति मीट्रिक टन 1.85 रुपये एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई, जिससे 1983-85 वर्ष में 56.6 करोड़ रुपये की आय का अनुमान है। पहले केन्द्रीय सरकार ने इस काम को बार्डर रोड आर्गनाइजेशन एवं राज्य लोक निर्माण विभाग के माध्यम से पूरा कराने का सोचा। बिहार सरकार ने बोर्डर रोड आर्गनाइजेशन को लेकर आफ इन्स्ट्रूमेंट निर्गत कर दिया एवं केन्द्रीय सरकार ने उनको 98 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 34 करोड़ रुपया आबंटित कर दिया। ऊर्जा मंत्रालय से सूचना मिलने पर राज्य लोक निर्माण विभाग ने 25.61 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित होने वाले 115.51 किलोमीटर सड़क के निर्माण की तैयारी पूरी कर ली किन्तु अचानक मई, 1984 को ऊर्जा मंत्रालय के सचिव ने राज्य सरकार द्वारा खर्च में 50 प्रतिशत वहन करने की शर्त लगा कर सारा काम रोक दिया। पड़ोसी राज्यों की अरबों रुपये की लागत वाली परियोजनाओं का सारा खर्च वहन करने वाली केन्द्रीय सरकार का बिहार के प्रति यह व्यवहार समझ के परे है। गंगा पुल निर्माण में भी केन्द्र का कोई सहयोग नहीं है। जब बिहार का कोयला सारे देश के काम आता है, तो इस क्षेत्र की सड़कों के विकास का सम्पूर्ण भार बिहार पर ही क्यों ?

अतः केन्द्रीय सरकार से मैं मांग करता हूं कि धनबाद क्षेत्र की सड़कों के विकास का सारा व्यय केन्द्र वहन करने का निर्णय लेकर लोक निर्माण विभाग को कार्यारम्भ करने का संकेत दे।

(छः) कलकत्ता और बारबिल के बीच एक एसक्प्रेस गाड़ी शुरू करने की आवश्यकता

***श्री हरिहर सोरन** (क्योंझर) : बारबिल-बांसपानी क्षेत्र न केवल उड़ीसा में किन्तु समस्त भारत में खानों के लिए प्रसिद्ध है। इस खनिज पट्टी में बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब से हजारों लोग विभिन्न खानों अथवा व्यावसायिक संगठनों में अपनी आजीविका उपार्जन

*उड़िया में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

करते हैं। अतः इस स्थान से बड़ी संख्या में लोग कसकत्ता, दिल्ली और अन्य शहरों को जाते हैं। परन्तु खेद की बात है कि बारबिल और अन्य शहरों के बीच सामान्यतया तथा विशेषरूप से कलकत्ता के बीच संचार सुविधाएं बहुत ही अपर्याप्त हैं। अतः इन शहरों को आने-जाने वाले लोगों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

इसके अलावा कई संगठनों और इस खनिज पट्टी में चालू खानों के क्षेत्रीय कार्यालय कलकत्ता में स्थित हैं और इसलिए इन लोगों को अपने सरकारी काम अथवा व्यवसाय के प्रयोजन से प्रतिदिन कलकत्ता जाना पड़ता है। यदि कलकत्ता और बारबिल के बीच एक सीधी गाड़ी चलाई जाये तो इस क्षेत्र में काम करने वाले हजारों लोगों को काफी लाभ होगा। इसे ध्यान में रखते हुए मेरा माननीय रेल मंत्री से निवेदन है कि कलकत्ता और बारबिल के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिए तत्काल कदम उठाये जायें। मेरी यह भी मांग है कि अमृतसर-टाटानगर एक्सप्रेस गाड़ी को बारबिल तक बढ़ाया जाये।

(सात) हरियाणा स्थित ढांढी-खेड़ा समाधि के समुचित रख-रखाव हेतु उसका प्रबन्ध पुरातत्व विभाग को सौंपने की आवश्यकता

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा जिला जींद, तहसील व गांव नरवाणा में एक पुरानी समाधि है, जिसको ढांढी खेड़ा कहते हैं। उस जगह को लोग धार्मिक जगह मान कर पूजा करते हैं और आये साल वहां मेला लगता है। यह सदियों साल पुरानी है। वहां पर हजारों यात्री आते हैं और अपनी धार्मिक आस्था से शान्ति प्राप्त करते हैं। अभी इसी महीने की 18 तारीख को पुलिस और म्युनिसिपैलिटी के लोगों ने जबरन डेरा उजाड़ना चाहा और बाबा की दाढ़ी उखाड़ ली। कई हजार किसान नर-नारी इकट्ठे हुए और प्रदर्शन हुआ। मैं मौके पर पहुंच गया, जिससे कि साम्प्रदायिकता भड़कने से रुक गई और इलाके की पंचायत ने बीच-बचाव किया। केन्द्र सरकार को चाहिए कि इस वक्त जबकि देश में पृथकतावाद और साम्प्रदायिकता बढ़ गई हो, वह ऐसे मामलों को न छेड़े। यह जमीन समाज की और समाज के पास रहे। बाबा और मंदिर की जिन पुलिस अफसरों ने बेइज्जती की है, उनके खिलाफ सी० बी० आई० द्वारा जांच कराई जाए, ताकि साम्प्रदायिकता घट सके। मेरा यह भी अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार इस स्थान के महत्व को देखते हुए इसे पुरातत्व विभाग के संरक्षण में दे, ताकि इसका रख-रखाव ठीक प्रकार से हो सके।

(आठ) फसल बीमा के लिए एक व्यापक योजना बनाने की आवश्यकता

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : स्वतन्त्रता प्राप्ति के 37 वर्ष बाद भी किसानों को पर्याप्त संरक्षण नहीं दिया गया है। फसलों की सफलता अथवा विफलता काफी हद तक मानसून पर निर्भर करती है। तूफान और बाढ़ से समय-समय पर भारी क्षति होती है। वर्षों का कठिन परिश्रम और भारी निवेश कुछ ही घंटों में मटियामेट हो जाता है। कीटनाशी दवाइयां समय पर

उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके परिणामस्वरूप किसान आमतौर से असुरक्षित महसूस करते हैं और भारी जोखिम के कारण उन्हें पर्याप्त रूप से निवेश करने का साहस नहीं होता है।

समस्त देश में कई किसान संगठनों ने विशेषरूप से अखिल भारतीय किसान सभा गत कई वर्षों से फसल बीमा योजना शुरू करने के लिए जोर देती रही है। किन्तु अभी तक न राज्य सरकारें और न ही केन्द्र सरकार फसल बीमा योजना के लिए आगे आई हैं।

किसी भी कल्याणकारी राज्य में सरकार का लोगों के सबसे बड़े वर्ग, किसान वर्ग की उपेक्षा करने तथा उन्हें अपने भाग्य पर छोड़ने का औचित्य नहीं है क्योंकि यह सरकार का कर्तव्य है तथा यह आवश्यक है कि सरकार कृषकों सहित जनता के सभी वर्गों की उचित मागों को पूरा करे।

अत: मेरा भारत सरकार से यह विनम्र निवेदन है कि समस्त देश में एक व्यापक फसल बीमा योजना तत्काल आरम्भ करने तथा क्रियान्वित करने के लिए आगे आये।

12.46 म० प०

आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह पता लगाए बिना कि आंध्र प्रदेश विधान सभा में श्री एन० टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है या नहीं, श्री रामाराव के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किए जाने की कार्यवाही का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो० मधु दण्डवते।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, डा० स्वामी का एक व्यवस्था का प्रश्न है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : महोदय, मैंने उनके प्रस्ताव में एक संशोधन की सूचना दी है और मुझे मालूम हुआ कि नियम यह है कि मुझे यह 10 बजे से पहले देनी चाहिए थी। किन्तु कार्यालय कहता है कि वे यह नहीं कर सकते क्योंकि हमें 48 घंटे की सूचना देनी चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि किस नियम के अधीन मुझे इस संशोधन को लाने से रोका गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप नियम पुस्तिका से यह पता कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्हें पेश करने दीजिए। मैं संशोधन स्वीकार कर लूंगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या कोई नियम है ?

अध्यक्ष महोदय : नियम है । यह आपको दिखाया जायेगा ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मैंने भी एक संशोधन दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : इसमें देर हुई है । आप समय चूक गये ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं चाहता था कि सभा श्रद्धांजलि·····

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास चार घंटे हैं जिसके अंतर्गत मुझे वाद-विवाद समाप्त करना है । उसके बाद श्रीलंका पर चर्चा आरम्भ की जानी है ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या हमें संशोधन पेश करने का अधिकार नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इस पर कभी भी आपत्ति नहीं की है । किन्तु दो दिन की सूचना चाहिए ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : **

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी नहीं जायेगा ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है; अनुमति नहीं है ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : जो सदस्य इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं वे यह नोट करें कि मैं इस वाद-विवाद पर चर्चा को चार घंटे से अधिक चलने की अनुमति नहीं दूंगा और मैं···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास दूसरा विषय है । अतः अपनी बात तक ही सीमित रहिए ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, क्या मुझे प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे रहे हैं ?

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : हां ।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह पता लगाये बिना कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में श्री एन० टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है या नहीं, श्री रामा राव के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है और राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि वह राज्यपाल को बर्खास्त करें ।"

मुझे विश्वास है कि इस देश में और खासतौर से काश्मीर के बाद आन्ध्र प्रदेश में जो घटनाएं घटी हैं उनसे लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति का, चाहे वह विपक्ष में हो या सत्ताधारी दल में हो, सिर शर्म से झुक जाता है । लोकतंत्र की कसौटी यही है कि हम यह सुनिश्चित करें कि हम किस हद तक लोकतांत्रिक संस्थाओं तथा परम्पराओं की रक्षा कर पाते हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं "हाउस आफ कामन्स" के शानदार इतिहास की याद करना चाहता हूं । हाउस आफ कामन्स में जब भी 4 अथवा 5 मतों के स्वकल्प बहुमत की सरकारें होती थीं जब कभी सत्तारूढ़ दल के कुछ सदस्य बीमार हो जाते थे तो राजनीतिक कारण से असम्बद्ध कारणों की वजह से स्थिर सरकार के गिर जाने को रोकने के लिये विपक्ष के नेता विपक्षी बैंचों के इतने ही सदस्यों को सदन से बाहर रहने के लिये निदेश देते थे, ताकि महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार की हार न हो जाये क्योंकि कुछ सदस्य बीमार थे अथवा सदन से बाहर थे । ये ऐसी परम्परायें हैं जो लोकतंत्र की प्रतिष्ठा में वृद्धि करती हैं, लोकतंत्रात्मक संस्थाओं को बचाने और स्थिर करने के लिये ये ऐसी परम्परायें और मानदंड हैं जो देश के लोकतंत्रात्मक जीवन को ख्याति प्रदान करती हैं ।

मैं दोबारा इस सदन को 'हाउन्स आफ कामन्स' के एक अन्य शानदार अध्याय की याद दिलाना चाहता हूं जिसमें कल हमने एक और अध्याय जोड़ दिया था । यह द्वितीय विश्व युद्ध का काल था । ब्रिटेन में चैंबरलेन सरकार रक्षा व्यवस्था कमजोर होने और युद्ध सम्बन्धी नीति से लोग असन्तुष्ट थे । लेबर पार्टी के हर्बर्ट मोरिसन 'हाउस आफ कामन्स' में एक स्थगन प्रस्ताव पेश किया और सत्तारूढ़ दल, तत्कालीन कंजरवेटिव पार्टी, के बहुत से सदस्य चैंबरलेन सरकार की रक्षा तथा युद्ध सम्बन्धी नीति से असन्तुष्ट थे, उन्होंने महसूस किया कि वे अपनी अंतश्चेतना की आवाज का अनुसरण करें और इसलिये उन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिये मतदान दिया । और चैंबरलेन की प्रतिक्रिया क्या थी ? उन्होंने कहा, "सत्तारूढ़ दल के ऐसे सदस्यों, जिन्होंने स्थगन प्रस्ताव के लिये मतदान दिया था, ने रक्षा और युद्ध के मामले में मेरा सरकार की कमजोर नीति प्रकट की थी । अतः मैं अपनी सरकार का त्याग-पत्र देता हूं ।" और इसके बाद विंस्टन चर्चिल के नेतृत्व में एक संविद सरकार का गठन हुआ था ।

हम आशा करते हैं कि प्रत्येक संकट के समय प्रत्येक पार्टी में असहमति होगी और वे अन्तश्चेतना का अनुसरण करेंगे। और मुझे खुशी है कि आज सत्तारूढ़ दल से अन्तश्चेतना की एक आवाज उभरी है जो कमलनाथ झा की आवाज है···(**व्यवधान**) मुझे इस बात का पता है कि आत्मा की आवाज से कुछ लोगों को दुःख हुआ है लेकिन मुझे खुशी है कि इस सदन में कुछ सदस्यों यहां तक कि सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने भी अपनी अमूल्य अन्तश्चेतना को एक राष्ट्रीयकृत सम्पत्ति न मान कर इसे अपनी निजी सम्पत्ति के रूप में माना है।···(**व्यवधान**)

इतना कहकर मैं सीधे आन्ध्र प्रदेश में, विशेषकर 13 अगस्त, 1984 के बाद उत्पन्न राजनीतिक स्थिति पर आता हूं। 13 अगस्त को एन० टी० रामाराव के नेतृत्व वाली भूतपूर्व सरकार के 4 मन्त्रियों ने सरकार से त्याग-पत्र दे दिया और दल-बदल का निर्णय किया। इसके बाद स्वाधीनता के पवित्र दिवस 15 अगस्त को श्री भास्कर राव ने इस राज्य की सरकार को सूचित किया कि वह आन्ध्र प्रदेश में सरकार के गठन के लिये अपना दावा करते हैं। श्री एन० टी० रामा राव ने भी इसी दिन सरकार को सूचित किया कि वह विधान मंडल में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए तैयार हैं और उन्हें अभी भी बहुमत प्राप्त है और उन्हें यह प्रमाणित करने के लिये अधिक समय नहीं चाहिए। "18 अगस्त, 1984 को आप विधान सभा का सत्र बुला सकते हैं" उन्होंने राज्यपाल को कहा और वह विधान सभा में अपना बहुमत प्रदर्शित करने के लिये तैयार हैं। जहां भास्कर राव ने शुरू में तेलगु देशम के 91 विधायकों सहित 152 विधायकों के समर्थन का दावा किया, वहां दूसरी ओर उसी दिन राज्य के भूतपूर्व मुख्य मंत्री एन० टी० रामा राव ने दावा किया कि उन्हें तेलगु देशम के 163 विधायकों और विपक्षी दलों के 22 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने राज्यपाल से कहा "यदि आप ऐसा चाहते हैं तो मैं इन विधायकों को पहचान-पत्रों के साथ आपके समक्ष लाने के लिये तैयार हूं और मैं अपना दावा सिद्ध करने के लिये तैयार हूं।"···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। श्री तिवारी, मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। आप मेरी अनुमति के बिना क्यों बोल रहे हैं? बैठ जाइये। आप उन्हें क्यों नहीं बोलने देते हैं?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : महोदय, उन्होंने अपनी बात कह ली है···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, बैठ जाइये (**व्यवधान**) आप क्या कह रहे हैं?

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० के० के० तिवारी : विधायकों को ऐसा पेश करने···

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसका जवाब दिया जाना है। ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। इसका तर्कसंगत ढंग से न कि इस प्रकार उत्तर दिया जाना है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर सत्तारूढ़ द्वारा दिया जाना है। आपको काफी समय मिलेगा। आप इन आरोपों का उत्तर दे सकते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : इसकी भी अनुमति दी जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसकी अनुमति नहीं है। मैं सत्तारूढ़ दल को बोलने का पर्याप्त अवसर दूंगा। फिक्र न करें।

प्रो० मधु दंडवते : प्रसंगवश मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने प्रो० तिवारी को अपनी बात कहने के लिये अवसर दिया है।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, आप ऐसा मेरी अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : 16 अगस्त को आंन्ध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने एन० टी० रामा राव की सरकार को बर्खास्त कर दिया और वास्तव में श्री भास्कर राव के नेतृत्व में वैकल्पिक सरकार को अधिष्ठापित किया। उसी दिन तेलगु देशम ने आन्ध्र में पूर्ण बन्द का आह्वान किया। यह काफी सफल रहा। और इसी दिन--मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं—वे आंध्र प्रदेश विधान सभा के 163 सदस्यों, जिनके पास अपने पहचान-पत्र थे, को वहां पर ला सके थे। उन्होंने प्रेस संवाददाताओं को इन सदस्यों के पहचान-पत्रों के साथ फोटोग्राफ लेने के लिए कहा। उन्होंने पत्रकारों को ये सभी 163 सदस्य गिनने के लिये कहा। वहां पर यह हुआ था।

सदन को यह जानकर बहुत खुशी होगी कि एन० टी० रामा राव को अपना समर्थन देने वाले आन्ध्र प्रदेश विधान सभा के 167 सदस्य वहां से आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रेस से रवाना हुए थे जो यहां पर विलम्ब से पहुंची। यह वहां से धीमी गति से रवाना हो सकती है लेकिन यह सही दिशा में चली और अन्ततः वे दिल्ली पहुंचे। इस देश के भूतपूर्व रेल मंत्री के रूप में मैं आपको बताना

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रैस एक अत्यन्त तीव्र रेलगाड़ी मानी जाती है जो केवल तीन स्टेशनों पर रुकती है। लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह सुपरफास्ट ट्रेन 25 किलोमीटर प्रति घंटे की सुपर धीमी गति से चली और इसके परिणामस्वरूप ये 167 विधायक पिछली शाम को भारत के राष्ट्रपति के साथ अपने मिलने के निर्धारित समय पर नहीं पहुंचे सके। वे अपने पहचान-पत्रों के साथ राष्ट्रपति को मिलने के लिये चले गये हैं।

मैं राज्यपाल की शक्तियों पर आता हूं क्योंकि आन्ध्र प्रदेश में हुई घटना केवल रामलाल के लिये ही दुःखद नहीं है लेकिन यह स्वाभाविक रोग है जो इस तरीके से पनपा है जिनमें कांग्रेस शासन के अधीन राज्यपाल वास्तव में अपनी शक्तियों का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं।

1.00 म०प्र०

जहां तक राज्यपाल की शक्तियों का संबंध है, अनुच्छेद 167(1) के अधीन मुख्य मंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है और मुख्य मंत्री द्वारा मंत्री नियुक्त किये जाते हैं और वे राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त कार्य करते हैं। इसके साथ ही अनुच्छेद 174(2) के अनुसार राज्यपाल को विधान सभा भंग करने की सहज शक्ति प्राप्त है लेकिन यह सब कुछ इन अनुच्छेदों के अधीन कहा गया है और किया जाता है। यह कहा गया है कि मुख्य मंत्री राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपना पद धारण करता है। लेकिन इस प्रसादपर्यन्त की एक उच्च न्यायालय द्वारा व्याख्या की गई है। राज्यपाल की यह इच्छा राज्यपाल की अन्य सभी इच्छाओं के समान विवेकाधीन नहीं है। एक बार पंजाब विश्वविद्यालय के बर्खास्त किये गये कुलपति (वाइस चांसलर) का मामला पंजाब उच्च न्यायालय के पास पहुंचा। वहां पर इस संस्थान के संविधान में कहा गया है 'कुलाधिपति अर्थात् राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर्यन्त कुलपति इस पद को धारण करेंगे।' यह मामला पंजाब उच्च न्यायालय के पास गया और जब पंजाब उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया तो उन्होंने ये शब्द प्रयुक्त किये : 'यहां पर राज्यपाल की इच्छा अन्य इच्छाओं के समान विवेकाधीन इच्छा नहीं है।'

मैं अन्य इच्छाओं का उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन अन्य इच्छाओं के समान यह इच्छा विवेकाधीन नहीं है। ये बातें रिकार्ड में हैं और इसलिए केन्द्र में कुछ तत्वों के कहने पर इस इच्छा को काम में नहीं लाया जा सकता अथवा खत्म नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 156(1) में कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर्यंत पद धारण करेंगे और इसलिए 167 विधायक राष्ट्रपति के पास यह पता लगाने के लिए गए हैं कि यह इच्छा पर्यंत क्या है। और मैंने अपने प्रस्ताव में सुझाव दिया है कि राष्ट्रपति को इस राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिये जिन्होंने मनमाने ढंग से ऐसी कार्यवाही की है।

यह राम लाल की बिलकुल निजी विशेषता नहीं है कि उन्होंने इस विशेष ढंग से कार्यवाही की है। मैं भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभिन्न समितियों के दस्तावेजों से दस्तावेजी साक्ष्य देना चाहता हूं जिनसे संकेत मिलता है कि वे राज्यपालों की नियुक्ति के बारे में क्या महसूस करते हैं। मैं दो महत्वपूर्ण टिप्पणियों को पढ़ना चाहता हूं—एक टिप्पणी विख्यात विधिवेत्ता एम० सी० सीतलवाड़ की अध्यक्षता में प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्ययन दल की है। इस प्रतिवेदन में उन्होंने कहा है, "गत सोलह वर्षों के दौरान राज्यपालों के पदों को सुशोभित करने वाले बहुत से व्यक्ति स्तर के अनुरूप नहीं रहे हैं। परिस्थितियों से इस पद का महत्व कम हुआ है और इससे राज्यपालों के चयन के स्तर में तर्कसंगत ढंग से गिरावट आई है। यह पद सामान्य व्यक्तियों के लिये आरामदायक पद के रूप में माना गया है अथवा घिसे-पिटे राजनीतिज्ञों के लिए यह सांत्वना पुरस्कार के रूप में है। इस पद के लिए चुने गए अधिकांश व्यक्ति केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के पुराने व्यक्ति थे। सीतलवाड़ की अध्यक्षता वाले अध्ययन दल ने लिखित प्रतिवेदन में यह कहा है। प्रशासनिक सुधार आयोग जैसी व्यापक समिति ने वर्ष 1969 के अपने प्रतिवेदन में आगे टिप्पणी की है जिसमें स्वयं रामलाल सम्बद्ध हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन को पढ़ूंगा। जून, 1969 में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपने प्रतिवेदन में कहा है—जिसे मैं उद्धृत करता हूं :

1.04 म० प्र०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

"स्थिति काफी खराब हो गई है। कम से कम सत्तारूढ़ दल के दो सदस्यों को, जिन्हें उनके विरुद्ध न्यायालय द्वारा लगाए गए आक्षेपों के बाद मंत्री पद से त्याग पत्र देना था, बाद में राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया। उदाहरण के लिए श्री एम० चेन्ना रेड्डी और श्री राम लाल।"

उसी व्यक्ति की पहचान करना जिसके विरुद्ध मैंने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। अतः मेरे विचार से यह सौभाग्य की बात है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी मेरे प्रस्ताव का पूर्वानुमान लगा लिया था। मैं उसकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का स्वागत करता हूं। आयोग ने कहा है कि उन व्यक्तियों को भी राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, जिनके विरुद्ध न्यायालय ने आक्षेप लगाये थे। हमें, इस राज्यपाल, श्री राम लाल, की थोड़ी-सी पृष्ठभूमि के बारे में जान लेना चाहिए। मेरे पास जो लिखित सबूत हैं, मैं उन सबको पढ़कर आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। जहां तक श्री राम लाल का सम्बन्ध है, वह और उनके परिवार के सदस्य इमारती लकड़ी की तस्करी के कांड में शामिल थे···(**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, व्यवस्था के एक प्रश्न पर···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें नियमों की जानकारी है···(**व्यवधान**) प्रो०, आप कृपया आरोपात्मक भाषण न दें। नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। आपको लिखकर देना चाहिए। इसलिए उनके भाषण में जो कुछ भी आरोपात्मक, अपमानजनक और असंसदीय है, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैंने 1952 से लेकर 1984 तक सदन की कार्यवाही को ध्यान से पढ़ा है। सामान्य स्थिति में आप जो कुछ भी कहें, वह सही है। लेकिन मैं इसको और विस्तारपूर्वक बताता हूं। जहां कहीं भी न्यायालय ने फैसले दिये हैं, जिनमें किन्हीं व्यक्तियों का उल्लेख किया गया है, न्यायालयों के फैसलों को निन्दात्मक दस्तावेज नहीं माना जा सकता···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा सम्बन्ध केवल सभा की कार्यवाही से है। सभा की कार्यवाही में जो कुछ निन्दात्मक कहा जाता है, उसे मैं कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित करने की अनुमति नहीं दूंगा···(**व्यवधान**)

1.06 म० प्र०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नियम 353 को बहुत ध्यान से पढ़ा है। मैंने हमेशा इसे कार्यान्वित किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूं। मुझे नियम 353 की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : केवल एक बार आपने···

प्रो० मधु दंडवते : मैं नियम का पालन करता हूं न कि गलत नियम का।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : उस समय को छोड़कर जब आप सभा में पिस्तौल लाए थे।

प्रो० मधु दंडवते : तब भी मैंने नियमों के अनुसार सभा से बिना शर्त के क्षमायाचना की थी।

श्री वसन्त साठे : पहले आप नियम तोड़ते हैं और फिर क्षमायाचना करते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : श्री साठे, आपको इस बारे में हस्तक्षेप करने से लाभ नहीं होने वाला है।

महोदय, कई बार, आपने पहले ही विनिर्णय दिया हुआ है—मावलंकर ने विनिर्णय दिया है, हुकम सिंह ने विनिर्णय दिया है; मैं आपके बारे में भी कह रहा हूं, आपने यह विनिर्णय दिया है कि जब कभी भी उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के दस्तावेजों का उल्लेख किया जाता है, जिसमें आपने अपना एक शब्द भी न जोड़ा हो और न्यायालय के फैसले को केवल उद्धरण के रूप में उद्धृत किया हो तो ऐसा करने की पूरी अनुमति है। यदि न्यायालयों ने सम्बन्धित व्यक्ति के बारे में निन्दात्मक टिप्पणी भी की है, तो भी न्यायालय की निन्दात्मक टिप्पणी को उद्धृत करना बिलकुल निन्दात्मक नहीं होगा। इसलिए, मैं न्यायमूर्ति मिश्र के फैसले के पृष्ठ 27 में से उद्धरण दूंगा।

श्री वसन्त साठे : मेरे विचार से आपने ऐसा कोई विनिर्णय नहीं दिया है···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं न्यायमूर्ति के फैसले के पृष्ठ 27 में से उद्धरण दे रहा हूं। मैं केवल सम्बन्धित पैरा को ही उद्धृत करूंगा। मैं इसे आपकी जानकारी के लिए उद्धृत कर रहा हूं। न्यायमूर्ति मिश्र के फैसले में लिखा है :

"सारा पुलिस बल शक्तिहीन हो गया।"

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रो० मधु दंडवते से अनुरोध है कि वह इसी तरह की घटना को याद करें। न्यायालय ने एक निर्णय दिया था····· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसका मुझे निर्णय करने दें। निर्णय करना अध्यक्ष का काम है। मैं अपनी शक्ति किसी को नहीं सौंपूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० दंडवते से अनुरोध करूंगा कि वह इसी तरह की घटना को याद करें। इसी प्रकार का विनिर्णय, न्यायालय ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में दिया था, जिन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन के दौरान न्यायालय से क्षमायाचना की थी। मैं जब सभा में उस दस्तावेज में से उद्धरण देना चाहता था तो आपने अध्यक्ष के रूप में विनिर्णय दिया था कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती। श्री वाजपेयी के बारे में वह भी न्यायालय का एक फैसला था जहां श्री वाजपेयी ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के लिए ब्रिटिश राज्य से क्षमायाचना की थी। इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। महोदय, यदि आप इसके लिए अनुमति देते हैं·····

अध्यक्ष महोदय : मैं उस पर भी विचार करूंगा। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाता तब तक मैं विनिर्णय नहीं दूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में विचार करूंगा । यह पूर्ण रूप से तथ्यों पर आधारित होगा । मैं इसे टालने की कोशिश नहीं करूंगा ।

प्रो० के० के० तिवारी : आप अपने विनिर्णयों की जांच करें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं अपने विनिर्णय पर विचार करूंगा और मैं अपना फैसला आपकी बात को ध्यान में रखकर दूंगा ।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, मैं आपको अपने विनिर्णय की एक प्रति दूंगा । इसके लिए मैं जिम्मेवारी लेता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके विनिर्णय को भी ध्यान में रखूंगा । आप भी मुझे दीजिये ।

प्रो० मधु दंडवते : मैं फैसले के निम्नलिखित भाग को उद्धृत करता हूं :

"इस नाजुक मामले से निपटते समय सारा पुलिस बल शक्तिहीन हो गया । ऐसा लगता था कि उन्होंने किसी अनियमितता का पता लगा लिया है और न्याय नहीं होने दिया ।"

"साक्ष्य में इस बात का पता चला है कि टमटा जूबल के रहने वाले हैं जो कि मुख्य मंत्री रामलाल का मूल-निवास स्थान है । लकड़ी को मुख्य मंत्री के ट्रकों में ढ़ोया गया**"

महोदय, आपको याद होगा कि केवल कुछ ही मिनट पहले, जब आप अपने कक्ष में थोड़ी देर के लिए जाने से पूर्व यहीं पर थे, मैंने पहले ही प्रशासनिक सुधार आयोग के उद्धरण·····

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

महोदय, यह बहुत गंभीर मामला है । चूंकि इससे एक पूर्व-उदाहरण स्थापित हो जायेगा, इसलिए मैं एक मिनट चाहता हूं । महोदय, मेरा पहला प्रश्न यह है यह विचाराधीन मामला पहले ही बड़ी अदालत को जा चुका है । यह निर्णयाधीन है ।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे इस मामले से क्यों नहीं निपटने देते ?

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, सुनिये। यह बहुत ही गंभीर बात है। महोदय, मैं दो प्रश्न उठाना चाहता हूं। आपके इस विनिर्णय से इस सभा में एक बहुत ही खतरनाक पूर्व-उदाहरण स्थापित हो जायेगा। इसलिए, मैं बहस करना चाहता हूं·····

अध्यक्ष महोदय : मैं विचार करूंगा। मैं अपना फैसला बाद में सुनाऊंगा।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, एक प्रश्न यह है कि यह एक न्यायाधीन मामला है।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सा मामला न्यायाधीन है ?

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, जहां तक प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट का संबध है, यह ऐसा मामला नहीं है जो न्यायाधीन है। और पहले मैंने प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में से उद्धरण दिये थे और आपके संदर्भ के लिए, और आपकी याद को ताजा करने के लिए मैं वे उद्धरण फिर से दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आप कैसे सोचते हैं कि यह संगत है ?

प्रो० मधु दंडवते : यह बहुत संगत है क्योंकि उसमें यह कहा गया है कि ऐसे राज्यपाल जिनके विरुद्ध न्यायालय ने आक्षेप लगाये थे·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि यदि उसके पुत्र ने कोई गलती की है तो इसका अर्थ यह नहीं कि उसकी निन्दा की जाये। तब तो यह कुछ ऐसी बात बन जाएगी, जिसके अधीन हमें प्रत्येक व्यक्ति को हटाना होगा।

प्रो० मधु दंडवते : मैं अब पहली रिपोर्ट अर्थात प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट से एक अंश को फिर से पढ़ूंगा। स्थिति काफी खराब हो गई है। सत्तारूढ़ दल के कम से कम दो सदस्यों को, जिन्हें त्याग पत्र देना था·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं जिस बारे में विचार करने की कोशिश कर रहा हूं वह है राज्यपाल के रूप में उसका कार्य और आचरण, अर्थात् वह कैसा होना चाहिए ।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : महोदय, प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस बारे में भी टिप्पणी की है कि वास्तव में किस प्रकार कुछ राज्यपालों की नियुक्ति की जाती है । वे त्यागपत्र देने के लिए बाध्य हैं यदि आप राज्यपाल के पद के स्तर को ऊंचा रखना चाहते हैं । यही कारण है कि मैंने इसको पढ़ा । यह बात प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में लिखी गई है । महोदय, कुछ टिप्पणियों को हटाने के लिए भी हमें और आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है । और जब मैं प्रशासनिक आयोग की रिपोर्ट के उद्धरण दे ही रहा हूं, जिसमें श्रीमान्·····का सीधा उल्लेख किया गया है···

अध्यक्ष महोदय : आप इस बात ध्यान रखें कि यह राज्यपाल के रूप में उसके आचरण के बारे में होना चाहिए ।

प्रो० मधु दंडवते : हां । आयोग ने यह कहा है कि ऐसे व्यक्ति जब राज्यपाल के रूप में नियुक्त किये जाते हैं तो वे निश्चय ही राज्यपाल के आचरण के स्तर को गिरायेंगे । यही तो आयोग ने कहा है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) **:** मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । इस फैसले के विरुद्ध मुझे उच्चतम न्यायालय में स्थगन आदेश प्राप्त हुआ था और मेरा विशेष तर्क यह था कि मुख्य न्यायाधीश का यह फैसला एक बहुत ही बड़ा न्यायिक अनौचित्य था । यह तो न्यायिक धोखाधड़ी है ।

(व्यवधान)

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उनका व्यवस्था का प्रश्न है । उनको सुनिए । श्री राय, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ? मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है । अगर मैं आपको एलाऊ करूं तो आप बोलेंगे । इनको करूं तो ये बोलेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। निर्णय मुझे लेना है। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे उच्च न्यायालय के निर्णयों के बारे में कुछ नहीं कह सकते। उनके विरुद्ध न्यायालय की मानहानि के हनन का आरोप लगाया जा सकता है।

श्री फ्रैंक एन्थनी : आप न्यायमूर्ति वेंकटरामैया द्वारा दिए गए रोक आदेश को देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमन्, आप मुझे केवल यह बतायें कि आपको रोक-आदेश प्राप्त हुआ था ?

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैंने मस्तराम मामले की पैरवी की थी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। क्या आपको रोक-आदेश मिला है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हे भगवान ! आप चुप क्यों नहीं रह सकते।

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं राम लाल को नहीं जानता। मैंने उसे कभी देखा नहीं है। मैंने मस्तराम मामले की पैरवी की थी।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें रोक-आदेश प्राप्त हुआ था। मुझे उनसे पूछने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : ये लोग सुनेंगे भी तो नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने नहीं कहा है कि रोक-आदेश प्राप्त हुआ था। श्री एन्थनी, कृपया मेरी बात सुनिए। क्या आपको उस मामले में रोक-आदेश प्राप्त हुआ था ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : हां, उस मामले में मुझे रोक-आदेश प्राप्त हुआ था। **(व्यवधान)** नहीं, मैं चाहता हूं·····**(व्यवधान)** आप 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में इसका विवरण देख सकते हैं। उन्होंने मेरी भाषा को उद्धृत किया था कि यह 'न्यायिक-ब्लैक मेल' का मामला था। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यह नहीं चाहता। मैं केवल एक बात जानना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं चाहूंगा कि आप मुझे स्थिति पर नियंत्रण करने दें। अगर आप हर समय बाधा डालते रहेंगे तो मैं कैसे निपट सकूंगा ? आप नहीं जानते कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे इस स्थिति से निपटना है। कृपया मुझे निपटने दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : अध्यक्ष महोदय·····

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा·····**(व्यवधान)**·····मैंने देख लिया है।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमन्, कृपया नियम 186 का खण्ड (ख) देखिए। इस नियम में क्या लिखा है ? इसमें कहा गया है :

"यह किसी ऐसे मामले से संबंधित नहीं होगा, जो किसी न्यायालय, जिसका भारत के किसी हिस्से में क्षेत्राधिकार है, के विचाराधीन है।"

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय : कौन-सा मामला है ?

प्रो० के० के० तिवारी : जो आरोप वे लगा रहे हैं—रामलाल के विरुद्ध आरोप।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बात नहीं है। उनके पास कुछ और बोलने को है। श्री तिवारी, वे किसी और बात पर बोल रहे हैं, वे इस मामले पर नहीं बोल रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने कई दफा पूछा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे उनसे पूछने दें ? मुझे उनसे पूछना है। आप मेरे से क्या साबित करवाना चाहते हैं ? आप किस मामले या किस याचिका या किस मुकदमे के बारे में बात कर रहे हैं ? क्या आप इस बारे में बोल रहे हैं ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह एक तथ्य है कि वे बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे केवल एक बात पूछना चाहता हूं। क्या आपने रामलाल के मामले में या इस मामले में स्थगन आदेश प्राप्त किया ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : यह रामलाल का मामला नहीं था।

अध्यक्ष महोदय : तब आप क्या सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : कृपया मेरी बात सुनिए। मैं आपको तथ्य दे रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब आप किस मामले का जिक्र कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानन्द, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह किस मामले का जिक्र कर रहे हैं। आप मुझे उनकी बात सुनने नहीं दे रहे हैं।

श्री एन्थनी, इस समय आप किस मामले का जिक्र कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : कृपया मुझे तीन मिनट का समय दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर आप इसी प्रकार व्यवहार करेंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

(व्यवधान)

श्री फ्रैंक एन्थनी : मैं तीन मिनट में अपनी बात स्पष्ट कर दूंगा। क्या आप कृपा करके मेरी बात सुनेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे सुनने दीजिये। भगवान के वास्ते मुझे सुनने दीजिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरी कुछ समझ में नहीं आया। श्री एन्थनी, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस मामले की बात कर रहे हैं?

श्री फ्रैंक एन्थनी : क्या आप सिर्फ तीन मिनट मेरी बात सुनेंगे? तत्कालीन···के मुख्य न्यायाधीश के फैसले के अनुसार···

अध्यक्ष महोदय : किस मामले में।

(व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : किस मामले में, संख्या क्या है?

श्री फ्रैंक एन्थनी : मुख्य न्यायाधीश का फैसला पूर्णतया श्री रामलाल के विरुद्ध था। उस मामले में मैं संबंधित व्यक्ति की पैरवी कर रहा था। उसका नाम श्री मस्त राम था। आज के इण्डियन एक्सप्रैस में आप इसे देख सकते हैं?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह वही मामला था, जिसका कि वह हवाला दे रहे हैं?

श्री फ्रैंक एन्थनी : वही मामला है।

मुझे दो मिनट समझाने दीजिए और तब आप समाचार पत्रों की गैर-जिम्मेदाराना हरकतों को महसूस करेंगे। मैं मामले की पैरवी कर रहा था। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे चाहते थे कि मुख्य न्यायाधीश उसे मुख्य मन्त्री की घोर निन्दा करे, जो कि मामले से सम्बद्ध भी नहीं था, जिसमें उसका लड़का और दामाद भी पक्षकार नहीं थे। इस तरह मस्तराम के मामले में मुझे स्थगन-आदेश मिला।

अध्यक्ष महोदय : प्रो० दण्डवते, इसका आप पर भी असर पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि आप उनके मात्र राज्यपाल के कृत्यों तक ही अपनी बात कहें।

प्रो० मधु दण्डवते : उस मामले में मैं खुद पेश नहीं हुआ था। लेकिन भाग्यवश, एक पढ़े लिखे व्यक्ति के रूप में, मैंने सारी कार्यवाही को पढ़ा···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं जानता हूं कि क्या करना है? क्या वह भाग कार्यवाही वृत्तांत का हिस्सा नहीं था?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको राज्यपाल की हैसियत से उनकी कार्यवाही, उनके आचरण का हवाला देना है।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं पूरे आदर से···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए हरीश जी। आपको पता नहीं क्या करना है। मुझे पता है क्या करना है। कृपया बैठ जाइये। मैंने इस पर फैसला ले लिया है।

प्रो० मधु दण्डवते : आपके आदेश का आदर करते हुए लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए, मुझे नियमों के अन्तर्गत जो भी विशेषाधिकार मिले हुए हैं उन्हें मैं बिना झिझक छोड़ दूंगा। हमारे माननीय सदस्य श्री फ्रैंक एन्थनी जो कि कानूनी विशेषज्ञ हैं, मैं उनकी काफी इज्जत करता हूं। इसके साथ ही वे संसदीय मामलों में भी विशेषज्ञ हैं। वह संविधान सभा के सदस्य थे और कई वर्षों तक इस सभा के सहयोगी सदस्य रहे हैं और वह जानते हैं कि वह स्थगन आदेश क्या था। प्रशासनिक सुधार आयोग की 1969 की रिपोर्ट में जो छपा है, उन टिप्पणियों को पिछली तारीख से समाप्त करने की न तो आपकी और न ही उनकी शक्ति है। इसलिए, मगर मैं प्रशासनिक सुधार आयोग को उद्धृत करता हूं तो यह बात मेरे विशेषाधिकार के अन्तर्गत आती है। मैं नियमों के पालन में किसी से भी पीछे नहीं हूं। मैं नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : किसी ओर की कार्यवाही का रामलाल पर प्रत्यारोपण की मैं अनुमति नहीं दूंगा। रामलाल, रामलाल है। यह उनका लड़का हो सकता है, उनका रिश्तेदार हो सकता है। हमें केवल उनके राज्यपाल की हैसियत से किये गये कृत्यों से संबंध है।

(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, मैं आपसे सहमत हूं। इसलिए, जैसा कि मैंने प्रशासनिक सुधार आयोग का हवाला दिया, उसी प्रकार मैंने राम लाल का हवाला दिया है। और यहां उनके नाम का स्पष्ट उल्लेख है न कि उनके पद का। भाग्यवश, उनका नाम दिया गया है। (**व्यवधान**) श्रीमन्, मैं मामले को इसी स्थिति में छोड़ता हूं क्योंकि प्रशासनिक सुधार आयोग की दो रिपोर्टें पहले ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित हो चुकी हैं। अगर आप इस फैसले को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल भी देते हैं, तो उसे नहीं निकाल सकते।

जहां तक बहुमत सिद्ध करने का प्रश्न है, आन्ध्र प्रदेश में यह एक महत्वपूर्ण बात है। इस संदर्भ में तीन पूर्वोदाहरण और निर्णय हैं, जिन्हें मैं यहां पुनः कहना चाहता हूं :

(1) 1968 में अध्यक्षपीठ अधिकारियों के सम्मेलन में···वहां कितनी रुकावट थी···

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : हम आपस में बात कर सकते हैं। मुझे किसी मध्यस्थ की आवश्यकता नहीं है।

प्रो० मधु दण्डवते : 1968 में, अध्यक्षपीठ अधिकारियों के सम्मेलन में सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया गया था कि जब कभी किसी विधानमण्डल चाहे वे केन्द्रीय हो या राज्य विधान सभा हो, किसी भी मंत्री परिषद के बहुमत के बारे में तो बहुमत का फैसला विधानमण्डल में ही होना चाहिए।

(2) 1969 में, प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश दी थी कि मंत्री परिषद के बहुमत का फैसला सभा में ही सिद्ध किया जाना चाहिए।

(3) भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपालों की समिति ने पुनः सुझाव दिया था कि बहुमत को सभा में ही सिद्ध किया जाना चाहिए।

और एन० टी० रामा राव ने भी यही कहा है कि, इन्हीं तीन सुझावों के उपर्युक्त जिस दिन उनके मंत्री परिषद को बरखास्त किया गया था कि—कि उन्हें सभा में अपने बहुमत को सिद्ध करने का मौका दिया जाये ताकि वह सही ढंग से सभा में अपना बहुमत सिद्ध कर सकें। एन० टी० रामाराव ने यही कहा है।

श्रीमन्, मैं कुछ मिनट और बोलूंगा। अगर आपके कार्य में इस प्रकार से बाधा डाली जाती रहे, तो क्या आप अध्यक्षपीठ के कर्तव्यों का निर्वाह कर सकेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता कि, अभी मैंने यही सब कुछ कहा है।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी (सीतापुर) : 1979 में आपने 9 स्टेट्स की गवर्नमैंट्स को डिसमिस किया था।

अध्यक्ष महोदय : जवाब जवाब की तरह आयेगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : महोदय, उन्होंने कतिपय मुद्दे उठाए हैं, और मैं सभी मुद्दों का जवाब देता हूं। मैं यहीं पर सभी मुद्दों का जवाब देता हूं और इन मुद्दों का स्पष्टीकरण देता हूं और मैं इनका लिखित प्रमाण दूंगा। मैं समाप्त कर रहा हूं।

जहां तक राज्यपाल द्वारा किए गए पक्षपात का सम्बन्ध है, इन राज्यपालों ने, जिनमें श्री रामलाल भी शामिल हैं, दो प्रकार का पक्षपात किया है। जब भी कांग्रेस सरकार अथवा कांग्रेस द्वारा समर्थित सरकार गिरी अथवा उसके गिरने की सम्भावना थी तो राज्यपाल ने विपक्षी

दलों को सभा में अपने बहुमत का परीक्षण करने का अवसर दिये बिना सभा को भंग किया और संविधान के अनुच्छेद 174(2) अथवा 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू किया और कांग्रेस के मुख्य मंत्री की सिफारिशें स्वीकार कीं। यह कितनी बार हुआ ? यह त्रावनकोर-कोचीन में 1954 में, केरल में 1970 में, पश्चिम बंगाल में 1968 में, बिहार में 1971 में, आन्ध्र में 1954 में, पंजाब में 1968 में, पश्चिम बंगाल में 1971 में, मणिपुर में 1969 में और उड़ीसा में 1973 में हुआ।

कुछ माननीय सदस्य : 1977 में क्या हुआ···(**व्यवधान**)

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, क्या आप, यदि बाहर नहीं तो इस सभा में विचार व्यक्त करने के मेरे मूलभूत अधिकार की रक्षा नहीं करेंगे ?

दूसरे प्रकार का पक्षपात :

जब भी गैर-कांग्रेस (इ०) के जाने वाले मुख्य मंत्री ने अथवा गैर कांग्रेस (इ०) के मुख्य मंत्री ने, जिसके बहुमत खोने की सम्भावना थी, विधान सभा को भंग करने की सिफारिश की तो तब, जब कांग्रेस (इ०) सरकार बनाने की इच्छुक थी, उसके तर्क को अस्वीकार किया गया। जब से गैर कांग्रेस (इ०) मुख्य मंत्री ने इस विश्वास के साथ विधान सभा भंग करने की सिफारिश की कि वे फिर से सत्ता में आयेंगे तो उनकी सलाह अस्वीकृत की गई। मैं इस सम्बन्ध में उदाहरण देना चाहूंगा :

राव वीरेन्द्र सिंह (हरियाणा)	1967
गुरुनाम सिंह (पंजाब)	1967
चरण सिंह (उत्तर प्रदेश)	1968
भोला पासवान शास्त्री (बिहार)	1968
राजा नरेश चन्द्र सिंह (मध्य प्रदेश)	1969
हितेन्द्र देसाई (गुजरात)	1971
कर्पूरी ठाकुर (बिहार)	1971
फारुक अब्दुल्ला (जम्मू और काश्मीर)	1984

इन सभी ने विधान सभा भंग करने की सिफारिश की थी जिसे अस्वीकृत किया गया।

अब प्रश्न यह है : क्या राज्यपाल ने स्वयं यह कार्यवाही की ? इस राज्यपाल की पृष्ठभूमि

से जान पड़ता है कि एक भी राज्यपाल अपने आप ऐसा नहीं कर सकता है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने केन्द्र से सांठ-गांठ कर ऐसा किया···(**व्यवधान**) यह बिल्कुल स्पष्ट है। अन्त में मैं कहूंगा कि जम्मू और काश्मीर तथा आन्ध्र प्रदेश की हाल की कार्यवाही से यह स्पष्ट रूप से पुष्ट हो गया है कि केन्द्र गैर-कांग्रेस (इ०) राज्यों में अपने अस्थिरता पैदा करने के कार्यक्रम में आगे बढ़ रही है। अतः एक ठोस रचनात्मक कदम के रूप में मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे हम विपक्ष में हों अथवा वे सत्ताधारी दल में हों, अब समय आ गया है कि दोनों के हित में संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए। राज्यपाल को एक निश्चित सीमा से अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए, राष्ट्रपति को एक निश्चित सीमा से अधिक शक्तियां नहीं दी जानी चाहिए और यदि किसी पार्टी के बहुमत के बारे में कोई सन्देह है तो संविधान के अनुसार बहुमत की विधान सभा में और संसद में परीक्षा की जानी चाहिए।

हम राज्यपाल की गैर-लोकतांत्रिक कार्यवाही का संसद में, गलियों में, कस्बों में, गांवों और शहरों में विरोध करेंगे।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि आन्ध्र प्रदेश में राज्यपाल की कार्यवाही, जनता के विरुद्ध लड़ाई की घोषणा है और हमारा यह प्रस्ताव इस लड़ाई को पूरी तरह से सामना करने के संकल्प की घोषणा है।

अन्त में मैं कहूंगा कि इस धांधली के बाद हम राज्यपाल को बर्खास्त करने की मांग करते हैं और यदि प्रधानमंत्री राज्यपाल को बचाने का प्रयत्न करती हैं तो मैं कहूंगा, इंद्राय तक्षकाय स्वाहा—"प्रधानमंत्री जी आप भी त्यागपत्र दे दीजिए।"

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए। शान्त रहिए।

प्रधान मंत्री तथा विदेश मंत्री (श्रीमती इंदिरा गांधी) : महोदय, प्रो० मधु दण्डवते की टिप्पणियों का उत्तर देने का मेरा कोई अभिप्राय नहीं है। इनका उत्तर गृह मंत्री देंगे और यदि आवश्यकता हुई तो मैं बाद में हस्तक्षेप करूंगी। वही मामला सम्भवतः कल फिर आ रहा है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : क्यों ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : क्या आपने एक प्रस्ताव नहीं रखा है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने कई प्रस्ताव रखे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आप इसके बारे में गम्भीर नहीं हैं। ठीक है। यदि आप गम्भीर नहीं हैं तो ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मुझे प्रसन्नता है कि आप किसी चीज का अनुमान कर रहे हैं

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मेरे पास एक छपा हुआ पत्र है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : समाचार पत्रों की प्रत्येक बात पर आप विश्वास करते हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : समाचार-पत्र नहीं बल्कि लोक सभा सचिवालय द्वारा छापा गया एक पत्र।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपकी आवाज कभी-कभी ही सुनते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सच नहीं है। जब कभी भी कहने की बात होती है मैं बोलती हूं। यह सच है कि मैं आये दिन बोलती हूं अथवा अकारण नहीं बोलती हूं।

किन्तु, इस क्षण मैंने सोचा कि आंध्र प्रदेश की घटनाओं के बारे में इस वाद-विवाद में कुछ तथ्यों को बताने का मेरे लिए यह अच्छा मौका है। मैं इनके बारे में विस्तार से नहीं कहना चाहती हूं। मैं इनमें से केवल एक-दो तथ्यों के बारे में ही कहूंगी।

मैं कहना चाहूंगी कि यद्यपि मैं प्रो० मधु दण्डवते के उत्साह तथा हमारे सत्ता से हट जाने के उनकी अन्तिम टिप्पणी पर जोर देने के बारे में मैं उनकी सराहना करती हूं क्योंकि उन्होंने यह कई बार कहा है और वास्तव में यह बात अब पुरानी पड़ गई है···(**व्यवधान**)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विपक्ष के मान्य सदस्यों द्वारा काफी गरमा-गरमी पैदा की गई है। आपने यहां देखा है और हम भी यह कुछ दिनों से यह सुनते आ रहे हैं। मैं इस प्रकार के अभियान तथा चरित्र हनन की बातों की अभ्यस्त-सी हो गई हूं जिसका उन्होंने बाहर अभियान चलाया है।

(**व्यवधान**)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : पिछले वर्षों में भी किसी भी विषय पर मुझे बदनाम करने तथा मेरा अपमान करने की बार-बार विभिन्न पार्टियों द्वारा कोशिश की गई है। शोर करने से कोई लाभ नहीं है। भारत के तथा भारत से बाहर के लोग इस तथ्य के बारे में जानते हैं।

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : देश जानता है···

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने आपके चरित्र का कभी भी उल्लेख नहीं किया है। इसके बारे में मैं भविष्य में भी कभी उल्लेख नहीं करूंगा। मैं प्रधानमंत्री सहित किसी भी व्यक्ति के चरित्र पर आक्षेप कर राजनीति में रहना नहीं चाहता हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : धन्यवाद, प्रोफेसर। मैं आपके लिए नहीं कह रह रही हूं। मैंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने विभिन्न अवसरों पर यह किया है। मैंने आपका नाम नहीं लिया है और न ही मैं आपका नाम लेना चाहती हूं। सभा जानती है तथा भारत के लोग भी जानते हैं कि जब मैं सत्ता में भी नहीं थी तब भी आलोचना की गई थी। अब भी विपक्ष के तर्क कतिपय धारणाओं पर आधारित हैं जो कि बिल्कुल ही निराधार हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं समझती हूं कि यह आवश्यक है कि स्थिति स्पष्ट की जाये। अतः मैं सभा के समक्ष निम्नलिखित तथ्य रखना चाहती हूं।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : किसी भी अवस्था में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने अपने निर्णय में मुझसे सलाह नहीं ली।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शान्त रहिए। आपने अपनी बात कह दी है। आप सुनते क्यों नहीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि यह निंदा नहीं है तो प्रो० मधु दण्डवते मैं जानना चाहती हूं कि यह क्या है। सम्भवतः आप इसकी अपनी परिभाषा देंगे।

एक माननीय सदस्य : यह सच नहीं है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आप कैसे जानते हैं कि किसने किन नियमों का उल्लंघन किया है और किसने नहीं किया है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि वे इतना शोर करते रहे तो मैं उस वाक्य को दोहराऊंगी क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। यह लोकतंत्र को बनाये रखने के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है जिसके

बारे में माननीय सदस्य यहां इतना कहते हैं। मैं फिर से कहती हूं कि किसी भी अवस्था में रामाराव मंत्रिमंडल को बरखास्त करने अथवा श्री भास्कर राव को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करने के निर्णय के बारे में आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने मेरी सलाह नहीं ली है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं हार नहीं मान रही हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपने अपनी बात कह दी, अब उनको सुनिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वास्तव में, मुझे खबर मिली है···

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आप भारत की प्रगति पर विश्वास नहीं करते, आप किसी भी बात पर विश्वास नहीं करते जो भारत में हो रही है···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, क्या मैं कुछ कह सकता हूं ? शोर करने से काम नहीं चलेगा। आप अपनी बात कहेंगे, वे अपनी बात कहेंगे। आपके दबाव से न वे अपनी बात बदलेंगे और न आप उनके दबाव से अपनी बात बदलेंगे।

श्रीमती इंदिरा गांधी : वास्तव में हमें समाचार सर्वप्रथम एक समाचार एजेन्सी से मिला। जब हम यह जानने का प्रयत्न कर रहे थे···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत बुरी बात है। यह बिल्कुल ही बुरी बात है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप नाच क्यों रहे हैं ? आप क्या कर रहे हैं ? आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं ? संसद को शर्मिन्दा होना चाहिए। कृपया बैठ जाइये···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी कुर्सियों पर बैठ जाइये। मुझे पता नहीं, एक बात मेरी समझ में नहीं आती है ? कृपया आप मेरी बात सुनें ?

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : इससे पता चलता है कि इस वाद-विवाद के बारे में वे कितने गम्भीर हैं। वे गम्भीर नहीं हैं···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसे काम करोगे तो न कोई बोल पाएगा और न कोई सुन पाएगा। आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं यही सुनाने जा रहा हूं।

(व्यवधान)

प्रो० के० के० तिवारी : जब दण्डवते जी बोल रहे थे, तब आप चुप थे···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं यही कहने जा रहा हूं। इस तरीके से करेंगे तो न आपकी बात कोई सुन पाएगा और उनकी कोई बात सुन पाएगा। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप विश्वास करें या न करें, मानें या न मानें। यह अपनी मर्जी है, आपको कोई मनवा नहीं सकता है लेकिन किसी को कोई बात कहने से रोक नहीं सकता है। आप अपनी बात कहें। यह कोई तरीका थोड़े ही है। यह जो सज्जन कर रहे हैं, यह तो शर्म वाली बात लगती है, जिस तरीके से नाच कर रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपका टाइम आएगा, तो आप बोलिएगा।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जबकि हम वास्तविक स्थिति का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। हमें यह ज्ञात हुआ है कि राज्यपाल ने नये मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने की कार्यवाही पहले से ही शुरू कर दी थी और यह भी कि हमारे स्थानीय दल के विधायकों ने अपना समर्थन उन्हें दे दिया है।

राज्यपाल ने जो निष्कर्ष निकाला है कि श्री एन० टी० रामाराव ने विधान सभा में बहुमत खो दिया है वह पूर्णतम उन्हीं के निर्णय पर आधारित है और किसी भी तरह से···**(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं उन ब्यौरों में नहीं जा रही हूं। बाद में उन ब्यौरों को मेरे सहयोगी बताएंगे। मैंने कहा है कि अगर आवश्यकता हुई तो मैं फिर से हस्तक्षेप कर सकती हूं।

राज्यपाल का निर्णय पूर्णतया उनके फैसले पर आधारित था और किसी भी तरह से मेरे द्वारा प्रभावित नहीं था। केन्द्र में मेरी सरकार अथवा केन्द्र में मेरे दल द्वारा···**(व्यवधान)**

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी हां, मैंने अभी यही कहा है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लारेन्स, आप मेरी अनुमति के बिना क्यों बोल रहे हैं?···वह तथ्य पेश कर रही हैं। जब आपको अवसर मिले तब आप अपने तथ्यों को रख सकते हैं। आपको अपनी बात कहने से कौन रोकता है ? कृपया इस तरह का व्यवहार मत कीजिए···यह खेदजनक है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह स्पष्ट है कि माननीय सदस्य यह भी सुनना नहीं चाहते कि क्या कहा जा रहा है। मैंने अभी-अभी कहा कि मेरे स्थानीय दल ने नये मुख्य मंत्री को अपना समर्थन दिया। इसी बारे में आप लोग चिल्ला रहे हैं।

श्री के० जी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : वह भी आपसे बिना परामर्श किए ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझसे परामर्श किए बिना·····

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब जबकि राज्यपाल फैसला कर चुके हैं, नई सरकार का बहुमत है या नहीं इसका फैसला केवल आंध्र प्रदेश विधान सभा में ही हो सकता है···

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त रहें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे मालूम हुआ है कि विधान सभा की बैठक पहले बुलाने के लिए मुख्य मंत्री राज्यपाल को सलाह दे चुके हैं। यह समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ है ?···

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इस आरोप का पुरजोर खण्डन करती हूं कि हम सरकारों को गिरा रहे हैं···

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जहां कहीं भी सरकार गिरी है वह उसके अपने आन्तरिक मतभेदों के कारण गिरी है जिसकी वजह से उनके दल टूटे हैं।

आंध्र प्रदेश में भी हम जानते हैं पहले क्या हुआ था। मुझे मालूम हुआ है कि विरोधी पक्षों के नेता हमेशा की भांति सारा दोष मुझ पर तथा कांग्रेस (इ) दल के सदस्यों पर मढ़ना चाहते हैं। **(व्यवधान)** अब मैंने सदन के समक्ष तथ्य रख दिए हैं, मैं सिर्फ आशा कर सकती हूं कि विरोधी पक्षों के नेता जनता को गुमराह करने से, जनता को भड़काने से बाज आयेंगे·····

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य सदन से जाना चाहें वह चुपचाप बाहर जा सकते हैं।

श्री भगत।

श्री बी० आर० भगत (सीतामढ़ी) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री मधु दण्डवते जी ने अपने भाषण में कहा कि हमें अपनी संसदीय गरिमा ऊंची उठानी चाहिए। उन्होंने हाउस आफ कामन्ज का हवाला देते हुए कहा कि हमको भी उसी तरह अपनी गरिमा को बढ़ाना चाहिए। मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, कुछ कहने के पहले, कि श्री दण्डवते जी इस सदन के एक सम्मानित सदस्य हैं और संसदीय परम्परा और नियमों तथा कानून में पूरी आस्था रखते हैं, मगर अभी जो व्यवहार और जो बातें हो रही हैं, उनके साथियों की तरफ से, हमारे माननीय विरोधी दल के सदस्यों का जो आचरण है, उस पर भी श्री मधु दण्डवते जी का ध्यान जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, पिछले शुक्रवार को हमारे विरोफी दलों के सदस्यों ने जो कुछ भी इस संसद में किया, जिन शब्दों का व्यवहार किया, जो आचरण किया, उनसे हम सबका सिर तो झुका ही है, मगर श्री मधु दण्डवते जी का सिर भी उनकी हरकतों को देखते हुए शर्म से झुक जाएगा। अभी तक हमारी संसदीय परपम्परा हाउस आफ कामन्ज की परम्परा से किसी भी मायने में कम नहीं रही है। भारतीय संसदीय परम्परा और प्रणाली कई मायनों में दुनिया की संसदीय प्रणालियों में आगे रही है और लोग ऐसा मानते हैं कि भारतीय संसदीय प्रणाली ने एक नया चांद लगाया है। बहुत कुछ वही किया है जो हाउस आफ कामन्स नहीं कर सकता। (**व्यवधान**) जो आचरण यहां विरोधी दल के सदस्यों का होता है, उसके बारे में श्री दण्डवते जी उनको समझाएं कि कम से कम संसद में इस तरह का आचरण करके वे संसद की परम्परा को गिरा रहे हैं।

आंध्र में जो सरकार बदली और गवर्नर महोदय ने संवैधानिक कर्त्तव्य पूरा किया, उसके बारे में कड़ी आलोचना की गई। ये प्रस्ताव मधु दण्डवते जी का है कि इसकी निन्दा होनी चाहिए, मगर मधु दण्डवते जी ने ऐसी कोई बात नहीं कही कि वे इस प्रस्ताव में यह कहते हैं कि इसकी निन्दा होनी चाहिए।

सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो स्थिति है, वह कैसे उत्पन्न हुई। विरोधी संसद सदस्यों को भी यह जानना चाहिए कि सारी बातें कहां से शुरू हुईं। यह जो क्राइसेस है यह तेलगू देशम पार्टी का आंतरिक क्राइसेस है। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप लोग बीच में क्यों बोलते हैं। जब आपको मौका मिले तब आप अपनी बात कह लेना।

श्री बी० आर० भगत : ये तेलगू देशम पार्टी का आंतरिक क्राइसेस है। 15 तारीख को हम सब लोगों ने देखा। मैं तो विदेश से लौट रहा था। हमने बंबई में सवेरे अखबार में पढ़ा शुक्रवार को कि 94 आदमी तेलगू देशम पार्टी के पार्टी छोड़कर चले गए हैं। कुल सदस्यों की संख्या तेलगू देशम पार्टी की 194 है।

1.58 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

94 आदमी चले गए। यानी स्पिल्ट हुआ। मैं जो बात कह रहा हूं, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं है। यह तेलगू देशम पार्टी में आंतरिक संकट हुआ जिससे यह कानूनी स्थिति पैदा हुई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : आपने उनका समर्थन क्यों किया ?

श्री बी० आर० भगत : ऐसी स्थिति में उपाध्यक्ष महोदय, जब भास्कर राव गवर्नर साहब के यहां पहुंचे, तथ्य उन्होंने गवर्नर साहब के सामने रखा। उन्होंने 94 आदमियों की लिस्ट दी और उन्होंने दिखाया कि ये उनके दस्तखत हैं।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्यगण सभापति को यह आश्वासन देंगे कि अब व्यवस्थित चर्चा होगी ? क्या मैं आप सभी से नम्र निवेदन कर सकता हूं कि इस सदन में व्यवस्थित वाद-विवाद जारी रहना चाहिए ? अन्य सदस्यों को सुनना चाहिए हमारे रिपोर्टरों को भी ध्यान से सुनना चाहिए ताकि जो कुछ भी वे बोलें उसे सही-सही लिखा जाए। अत: अगर जिस सदस्य को बोलने के लिए कहा गया है और उसके अतिरिक्त कोई सदस्य बोलता है तो उसे अनुमति नहीं दी जायेगी। कोई भी माननीय सदस्य अगर मेरी इजाजत के बिना बोलता है तो उसे अनुमति नहीं दी जाएगी।

2.00 म० प०

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें मत उठाइये और सदन का समय बर्बाद मत कीजिये। क्या यह संगत है ? किसी भी व्यवधान को कार्यवाही में शामिल मत करिये।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बी० आर० भगत : ब्यौरेवार इस संकट का मैं तथ्य दे रहा हूं। वह तथ्य अगर सही नहीं हैं तो माननीय सदस्य जो कहना चाहें, वह कह सकते हैं। **(व्यवधान)****

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे बहुत ही खेद है; आप इस तरह नहीं कर सकते हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए। उनके भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में शामिल मत करिए।

श्री बी० आर० भगत : भास्कर राव जी ने गवर्नर के सामने 164 विधायकों की लिस्ट पेश की जिसमें 94 तेलगू देशम, पांच मुस्लिम मजलिस, 57 कांग्रेस के और···**(व्यवधान)** मेरे ख्याल में आप लोग तथ्यों को सुनना नहीं चाहते हैं। **(व्यवधान)****

उपाध्यक्ष महोदय : क्या हम गम्भीर समस्या पर चर्चा नहीं कर रहे हैं ? कृपया गम्भीर रहिए। मुझे बहुत ही खेद है।

श्री बी० आर० भगत : भास्कर राव जी ने 15 अगस्त को 164 आदमियों की लिस्ट गवर्नर साहब के सामने पेश की। तेलगू देशम पार्टी में इस्पलीट होने से यह संकट उपस्थित हुआ। चार मन्त्रियों सहित 94 सदस्य उनको छोड़कर चले गए। तेलगू देशम पार्टी का यह आंतरिक संकट है और ये लोग मौका उठाकर चरित्र हनन की बात कर रहे हैं जिसमें प्रधान मंत्री और केन्द्र को भी लाया जा रहा है। विरोधी दल तथ्यों को कहने से हिचकिचाते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि उनका पर्दाफाश हो जाएगा।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, अगर आप भावुक हो जाते हैं तो तर्क खत्म हो जायेगा। अध्यक्ष द्वारा किसी भी विषय अथवा प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा की अनुमति देने का अर्थ है इस देश में उठाये गए विभिन्न मामलों पर देश के लोगों को जानकारी देना। अगर माननीय सदस्यगण दूसरों को बोलने से रोकते हैं तो क्या यह जन-विरोधी नहीं है। ये सभी बातें जनता को मालूम होने दीजिए, स्पष्ट एवं खुला वाद-विवाद होने दीजिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। मैं आप सभी से अपील करूंगा। सदन की कार्यवाही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। किसी भी व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने से मत रोकिए क्योंकि हमारा देश स्वतन्त्र है। प्रत्येक को अपनी बात कहने का अवसर दीजिए। सदस्यों को याद होगा कि एक सूची है। **(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये । जब मैं अपनी बात कह रहा हूं तो किसी को खड़ा नहीं होना चाहिए । अतः मैं अपील करूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति को शांत रहना चाहिए । अगर कोई भी सदस्य इस तरफ के सदस्यों द्वारा कही गई बात से सहमत नहीं है, तो वह अपनी बारी आने पर उसका विरोध और असम्मति प्रकट कर सकते हैं । न कि इस तरीके से ।

श्री भगत आप बोल सकते हैं···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं अन्य सदस्यों को उत्तर नहीं दूंगा । श्री भगत उन लोगों को मत सुनिए ।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य सदस्यों की बातों को कार्यवाही में शामिल मत करिये । सिर्फ 'व्यवधान' लिखिए । साथ-साथ जो टोका-टाकी हो रही है उसे कार्यवाही में शामिल मत करिये ।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही में सम्मिलित मत करिये ।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : इन व्यवधानों को कार्यवाही में सम्मिलित मत करिये । इन्हें शामिल मत कीजिए ।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में कुछ भी सम्मिलित मत करिए ।

(**व्यवधान**)**

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है : यह चर्चा करने का अव्यवस्थित तरीका नहीं है ।

श्री बी० आर० भगत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं मधु दण्डवते साहब से अपील करूंगा कि वे अपने साथियों को कहें कि इस सदन की गरिमा को बचाकर तो रखें···**व्यवधान**···

मैं आपको 15 अगस्त के दिन की घटना सुनाना चाहता हूं, यदि आज कुछ और स्थिति हो तो उसके बारे में अटल जी कहेंगे । लेकिन यह सही बात है कि 15 अगस्त को निर्विवाद रूप से यह

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

स्पष्ट हो चुका था और गवर्नर साहब के सामने 154 आदमियों की लिस्ट थी, उनके दस्तखत मौजूद थे और उनके सामने उन विधायकों को हाजिर भी किया गया था। यह बिल्कुल सही बात है और जब मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूं तो मुझे यहां गवर्नर साहब के पक्ष में बोलने की जरूरत नहीं है। एक संसद सदस्य होने के नाते किसी गवर्नर साहब के पक्ष में बोलने का मेरा काम नहीं है, मैं किसी पार्टी के पक्ष में भी नहीं बोल रहा हूं। उसको देखते हुए आज यहां जो रिजौल्यूशन आया है, वह अप्रत्याशित रिजौल्यूशन है, जिसमें गवर्नर साहब की भर्त्सना की जा रही है और यह रिजौल्यूशन तथ्यों के ऊपर आधारित नहीं है।

हमारे संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी प्रान्त में सरकार बनाने की जिम्मेदारी वहां के गवर्नर की होती है। दूसरे, यदि वे संतुष्ट हो जाएं, सैटिस्फाइड हों कि विधान सभा में अमुक व्यक्ति को बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है, अमुक आदमी अल्पमत में है तो वह उनको बुलाकर कह सकते हैं कि आपने अपना बहुमत खो दिया है और आप अपना इस्तीफा दे दो, तो ऐसा करना गवर्नर साहब का कर्त्तव्य है। यह भी स्पष्ट बात है कि यदि कोई मुख्य मंत्री गवर्नर साहब की एडवाइज को न माने तो गवर्नर साहब को पूरे अख्तयारात हैं कि वे उसको बर्खास्त कर दें। यह उनकी ड्यूटी और संविधान में दिए गए कर्त्तव्य हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले संविधान में गर्वनर साहब के कर्त्तव्यों के बारे में पढ़िये···

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सर, आन ए प्वाइंट ऑफ आर्डर···

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सभी विपक्षी दलों के नेताओं से अपील करता हूं। हमें व्यवस्थित ढंग से चर्चा करनी चाहिए। यदि यही स्थिति रही तो हम व्यवस्थित ढंग से चर्चा कैसे कर सकते हैं? इसलिए, मैं सभी विपक्षी दलों के नेताओं से अपील करूंगा कि वे अपनी बात थोपने की बजाए कोई सुझाव दें ताकि हम व्यवस्थित ढंग से चर्चा कर सकें। आप ऐसी किसी भी चीज का विरोध कर सकते हैं जिससे आप सहमत नहीं हैं, अर्थात सत्ताधारी दल के लोग जो कुछ कहते हैं उसका आप अवसर मिलने पर विरोध कर सकते हैं। मान लीजिए, जब आप बोल रहे हों और इस पक्ष से कोई व्यवधान डाले तो भी मैं उसे रोकूंगा क्योंकि चर्चा व्यवस्थित ढंग से होनी चाहिए। जब तक आप स्वयं पर काबू नहीं रखते, मैं इस सदन में किसी पर काबू नहीं रख सकता, अर्थात् जब तक सभी माननीय सदस्य अपने आप पर काबू नहीं रखते, कार्यवाही व्यवस्थित रूप में नहीं चलायी जा सकती। (**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : इस समय व्यवस्था मान ली गई है, हमें व्यवस्थित ढंग से चर्चा करनी है। जब एक सदस्य बोल रहा हो तो दूसरे पक्ष का कोई भी सदस्य उसे बीच में टोकेगा

नहीं। यह सभी पक्षों का परस्पर समझौता है। वे उस सदस्य को सभी उत्तर देंगे जब उन्हेंने बोल का अवसर मिलेगा। यह बात सभी माननीय सदस्यों पर लागू होती है। जब कोई भी माननीय सदस्य, चाहे वह इस पक्ष का हो या उस पक्ष का हो बोल रहा हो, तो न तो इस पक्ष का और ना ही उस पक्ष का कोई सदस्य उसे बीच में टोकेगा। मैं चाहूंगा कि सभी राजनीतिक दलों के नेता इस बात का ध्यान रखें। ये सभी व्यक्तिगत चीजें हैं। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वाद-विवाद व्यवस्थित और सभ्य ढंग से चलना चाहिए।

श्री बी० आर० भगत : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं तो कुछ तथ्यों को सामने रख रहा था और उन तथ्यों की पृष्ठभूमि में हमारे संविधान का जो स्पष्ट आदेश है, गवर्नर के लिए उसके बारे में चर्चा कर रहा था। और मैंने शुरूआत इस बात से की थी और बार-बार यही कहूंगा कि जो आंध्र प्रदेश में क्राइसिस है याद रखें केन्द्र से कोई आदेश नहीं गया हो या गवर्नर ने कोई अनुचित बात नहीं की।

(व्यवधान)

यह क्राइसिस तेलगू देशम पार्टी के वर्टिविल लिस्ट की वजह से हुआ, 94 आदमी उस पार्टी को छोड़ कर चले गए। करीब-करीब आधे के हिसाब से पार्टी का बंटवारा हो गया और यह क्राइसिस एकाएक गवर्नर के सामने आयी और बार-बार कहता हूं कि मैं गवर्नर के पक्ष या विपक्ष में बोलने की बात नहीं करता हूं, उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने ठीक किया कि नहीं इस बात की मैं चर्चा करना चाहता हूं क्योंकि मधु दण्डवते जी ने इस संबंध में बहुत उदाहरण दिये हैं, एक-दो उदाहरण मैं भी दूंगा। मगर मैं शुरूआत इस बात से करना चाहता हूं कि गवर्नर साहब ने 164 आदमियों के दस्तखत देखे, उनसे वेरीफिकेशन भी किया और उनकी जजमेंट में···

(व्यवधान)

आपने उपाध्यक्ष जी, अभी अपील की कोई मान्यता ही नहीं है। यह संसद की गरिमा है ?

तो मैं कह रहा था कि गवर्नर साहब के सामने एकाएक यह चीज उपस्थित हुई। हमारे विरोध पक्ष के नेतागण कोशिश कर रहे हैं यह दिखाने की कि इसमें कांसप्रेसी थी डेमोक्रेसी को खत्म करने की और गैर सरकारी सरकार को गिराने की साजिश है। ऐसी कोई बात नहीं थी। एकाएक यह घटना उनके सामने आयी। तो गवर्नर ने क्या किया निष्पक्ष रूप से सोचिए, गवर्नर ने जब देखा 164 आदमी उनके सामने हैं, दस्तखत हैं, उनको लाया गया तो उनका यह निश्चित मत हुआ कि श्री रामा राव जी का बहुमत अब नहीं रहा और इसीलिए उनको कहा बुला कर

कि आपका बहुमत अब नहीं है, अब आप इस्तीफा दे दें। श्री रामा राव जी ने उस समय यह नहीं कहा कि मेरे पास इतने सदस्य हैं·····

(व्यवधान)

मैं कह रहा था बड़ी बारीक कांस्टीट्यूश्नल बात है जरा सोचिए। श्री रामा राव जी ने नहीं कहा कि मेरे पास बहुमत है। उन्होंने कहा कि 18 तारीख की असेम्बली बुला लीजिए वहीं टैस्ट हो जाए। अब यह सोचने की बात है कि फार्मर चीफ मिनिस्टर ने यह नहीं कहा कि आपके सामने लाकर देता हूं हमारा बहुमत है·····

(व्यवधान)

बारीक बात कह रहा हूं आप सुनिए। आप काटियेगा जब आपको बोलने का मौका मिले।

मेरा दूसरा पाइंट यह है कि श्री रामा राव जी ने यह कभी नहीं कहा कि मेरा बहुमत है। उन्होंने कहा 18 तारीख को असेम्बली बुला लीजिए वहां टैस्ट हो। अब श्री मधु दण्डवते जी ने 3, 3 उदाहरण बताए कि प्रीसाइडिंग आफिसर्स की सिफारिशें थीं गवर्नर कमेटी का रिकमैंडेशन क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफार्म्स कमेटी का रिकमैंडेशन क्या था, पिछली डिबेट में होम मिनिस्टर ने कहा था, शायद आज यह दोहरायेंगे कि आज तक कभी भी मैजोरिटी टैस्ट असेम्बली में नहीं हुआ है। बहुमत अल्पमत का निर्णय गवर्नर ने किया है, आज तक यही स्थिति रही है।

(व्यवधान)

आज तक हमारे संवैधानिक इतिहास में, परम्परा में, मैजोरिटी किनकी है किनकी नहीं है, यह गवर्नर ने तय किया है। अगर गलत बात हो तो आप कहें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : गलत बयान नहीं दिया जाना चाहिए। 1968 में जब महामाया की सरकार गिरी तो हम सब वहां थे। विधान सभा में मत विभाजन हुआ था

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको अवसर मिलेगा तब आप बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० आर० भगत : 1968 की बात महामाया मिनिस्ट्री की बात कोई नहीं है। आज

तब असेम्बली में जब कभी भी बहुमत की बात हुई है, तो गवर्नर ने अपनी छानबीन करके इसे तय किया है। यह कभी भी असेम्बली में नही हुआ है। रामाराव जी कह रहे थे कि असेम्बली के फ्लोर पर तय किया जाए ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जब आपको अवसर मिलेगा तो आप बोलिएगा। मैं कुछ सदस्यों को, जिन्होंने मध्याह्न-भोजन नहीं किया है, मध्याह्न-भोजन का स्मरण करा रहा हूं। मैं यही कह रहा था कि राव साहब का कहना यह था कि गवर्नर तय न करें कि बहुमत किसका है और किसका नहीं है बल्कि यह असेम्बली में तय हो। वह एक नई परम्परा कराना चाहते थे जो कि आज तक नहीं हुई ।

श्री मधु दंडवते ने 3 रिकमैंडेशन का हवाला दिया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी सरकार में थी तो क्या किसी एक रिकमैंडेशन पर उसने अमल किया ?

(व्यवधान)

जब जनता पार्टी की सरकार थी, ये सारे रिकमैंडेशन्ज उसके पहले आ चुके थे। क्या किसी का हवाला जनता सरकार ने दिया ?

मेरा कहना यह है कि जहां तक यह सवाल है कि मैजोरिटी टैस्ट असेम्बली फ्लोर पर हो या गवर्नर साहब खुद करें, इसमें रिकमैंडेशन होते हुए भी, जो कमेटी का हवाला दिया है, न उसे जनता पार्टी की सरकार ने माना और न कांग्रेस ने माना। उन्होंने कहा कि यह गलत परम्परा होगी। किसी भी पार्टी की सरकार हो, यह गलत परम्परा होगी कि बहुमत असेम्बली में टैस्ट हो और गवर्नर साहब के सामने न हो। इसलिए राव साहब का गवर्नर साहब से कहना, संसदीय परम्परा का उन्हें पता नहीं है, वह नये हैं, मगर जो यह परम्परा जानते हैं, वह सही बात नहीं थी। सबसे खेदजनक बात क्या हुई ? वह बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आन्ध्र प्रदेश की जनता का उन पर बहुत विश्वास है। लेकिन फिर भी उन्होंने जो काम किया, वह किसी प्रतिष्ठित नेता को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने गवर्नर को ओथ दिलाने के लिए जाने से रोकने की कोशिश की। (व्यवधान) गवर्नर जा रहे थे अपनी पब्लिक ड्यूटी पर। सब जगह यह जाहिर करने की कोशिश की गई है कि श्री रामाराव बीमार थे, फिर भी उनको अरेस्ट किया गया। असल में उनको अच्छी तरह सावधानी-पूर्वक ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हम पुलिस वैन में जाएंगे। इस तरह लोगों को गुमराह करने और गलत जनमत पैदा करने की कोशिश की गई है। एक अच्छी परम्परा कायम नहीं की गई है। (व्यवधान)

होना क्या चाहिए था और वहां पर क्या हुआ ? आन्ध्र प्रदेश में जो संकट पैदा हुआ, उसके संदर्भ में प्रो० मधु दंडवते ने बहुत से उदाहरण दिए हैं। मैं सिर्फ एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। 1979 में यहां पर जो संकट हुआ, उसका निर्णय कैसे किया गया ? जनता पार्टी में जैसे एक वर्टिकल स्प्लिट हुआ था, वैसे ही स्प्लिट तेलुगु देशम में हुआ। क्या हुआ था या नहीं ? जनता पार्टी वर्टिकल स्प्लिट हुआ और श्री चव्हाण जनता पार्टी की सरकार के विरुद्ध एक नो-कांफिडेंस मोशन लाए। जब जनता पार्टी में वर्टिकल स्प्लिट हुआ, तो मोरारजी भाई ने क्या कहा ? उन्होंने यह नहीं कहा—जैसा कि श्री रामाराव ने कहा है—कि लोक सभा को बुलाया जाए और वहां पर बहुमत को टैस्ट किया जाए। मोरारजी भाई ने सीधे जाकर इस्तीफा दे दिया। (**व्यवधान**) उपाध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्यों से कहा है, लेकिन फिर भी ये उठ कर खड़े हो जाते हैं। मेरी बात सुनिए। अगर कोई बात गलत हो, तो बताइए।

आन्ध्र प्रदेश में जैसा आन्तरिक संकट और वर्टिकल स्प्लिट तेलुगु देशम में हुआ, वैसा ही वर्टिकल स्प्लिट यहां पर जनता पार्टी में हुआ था। मोरारजी भाई ने श्री रामाराव की तरह यह नहीं कहा कि 18 तारीख को असेम्बली का सेशन बुलाया जाए और उसमें बहुमत को टैस्ट किया जाए, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। प्रेजिडेंट के इस्तीफा मांगने से पहले ही उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

मैं कह रहा था कि यहां पर जनता पार्टी में जो क्राइसिस हुआ था, बिल्कुल वैसा ही क्राइसिस आना प्रदेश में हुआ और गवर्नर साहब ने वही किया, जो संविधान के अनुसार प्रेजिडेंट साहब ने किया था। मोरारजी भाई ने स्वयं जाकर इस्तीफा दे दिया था। श्री रामाराव को मोरारजी भाई ने सबक सीखना चाहिए था कि जब उनका बहुमत नहीं रहा, तो वह इस्तीफा दे देते। उसके बाद उन्होंने चव्हाण साहब को बुलाया···

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : वह तथ्य बयान कर रहे हैं। आप उनका विरोध क्यों कर रहे हैं। यदि आप उनसे सहमत नहीं हैं तो आप उनका खंडन करें। यदि आप हर बार इसी प्रकार व्यवधान डालते रहे तो हम कार्यवाही का संचालन कैसे कर सकते हैं। मुझे बहुत दुःख है। यह कोई तरीका नहीं है। यदि माननीय सदस्य व्यवस्थित कार्यवाही संचालन करने का आश्वासन नहीं देते तो हम आगे कार्य नहीं कर सकते। मुझे बहुत दुःख है। मैं नहीं जानता कि और कोई ऐसे कार्यवाही चला सकता है, लेकिन, मैं नहीं चला सकता। यदि 10 सदस्य एक साथ बोलेंगे, तो उसे कार्यवाही वृत्तांत में कैसे शामिल किया जा सकता है ? मुझे बहुत अफसोस है। चाहे आप उनसे सहमत हैं या नहीं, लेकिन आपको उन्हें बोलने की स्वतंत्रता अवश्य देनी होगी···(**व्यवधान**) यदि आप सभी चिल्ला रहे हैं, तो मुझे और भी जोर से चिल्लाना होगा।

प्रो० के० के० तिवारी : उनकी वाद-विवाद में कोई रुचि नहीं है; वे प्रचार चाहते हैं।

श्री बी० आर भगत : तो तब उन्होंने क्या किया कि चव्हाण साहब को जिन्होंने नो-कांफिडेंस मोशन मूव किया था, उनको बुलाया। वह इसलिए कि गवर्नमेंट में कान्फिडेंस नहीं है, आपको दूसरी गवर्नमेंट बनाने का मौका दिया जाता है। दो दिन बाद चव्हाण साहब ने कहा कि हम सरकार नहीं बना सकते हैं। तब उन्होंने हमारे माननीय सदस्य चौधरी साहब को बुलाया और उन्होंने एक लिस्ट दी। उसके बाद मोरारजी भाई ने दूसरी लिस्ट दी और लिस्ट के वैरिफिकेशन के आधार पर उन्होंने चौधरी साहब की सरकार बनायी। वह सरकार बनी। लोक सभा बुलाई गई कि सरकार का बहुमत टैस्ट किया जाए, उसके बाद उस सरकार को बहुमत नहीं मिला। चौधरी साहब ने इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उस पार्टी के दूसरे चेयरमैन हो गए थे, मोरारजी भाई नहीं रह गए थे, बाबू जगजीवन राम जी चेयरमैन हो गए थे। उन्होंने अपना क्लेम स्टेक किया। तब प्रेसीडेंट साहब ने कहा कि मैं कब तक यह करता रहूंगा···(**व्यवधान**)···इतने दिन का मौका दिया, चार बजे तक का दिया, कब तक यह काम मैं करूंगा···(**व्यवधान**)···सुनिए आप। बाद में प्रेसीडेंट ने अपना यह जजमेंट दिया कि इनको मौका दिया, इनकी सरकार नहीं चली, चव्हाण साहब नहीं बना सके। अब ये फिर नयी लिस्ट लेकर चले हैं तो राष्ट्रपति का यह काम नहीं होता है कि हम हमेशा चलते चले जाएं इनके साथ। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब चुनाव का मौका आ गया है, इसलिए उन्होंने पार्लियामेंट को डिजाल्व कर दिया। यही घटना आप मिलाइए दण्डवते साहब, आप कहां इतना पन्द्रह साल तक का उदाहरण दे गए? इसी उदाहरण को लेकर देखिए कि जो मोरार जी भाई ने किया वह रामाराव जी ने किया क्या और जो पूज्य राष्ट्रपति रेड्डी साहब ने किया क्या गवर्नर रामलाल जी ने उससे अलग रास्ता अपनाया? मैं यही कह रहा था कि गवर्नर ने भी वह सभी काम किया। मगर संकट क्या है? अभी अखबार से सुना कि वह लोगों को लेकर आ रहे हैं प्रेसीडेंट के यहां, आप भी थे उनके साथ। अब बताइए कि प्रेसीडेंट का इसमें कहां क्या रोल आता है? आप तो संविधान के पंडित हैं।···(**व्यवधान**)···

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अगर किसी ने हत्या या मर्डर किया हो और कोई आई० जी० या एस० पी० के पास जाकर कहे तो आई० जी० उससे वह कहेगा कि दरोगा को कहो, मेरी क्या पावर है?···(**व्यवधान**)···

प्रो० मधु दंडवते : राज्यपाल तभी तक अपने पद पर रह सकता है जब तक राष्ट्रपति चाहे। इसलिए हमें राष्ट्रपति के पास जाना है।

श्री बी० आर० भगत : हम जानते हैं कि राज्यपाल तभी तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक राष्ट्रपति चाहे। मगर इस मामले में कि कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कौन बुलाया

जाएगा, किसका बहुमत है, किसका नहीं है यह कांस्टीच्यूशन स्क्वायरली, टोटली, कम्पलीटली, पूर्ण रूप से गवर्नर के हाथ में देता है। इसलिए मैं यह कह रहा था, अब यहां देखिए कि यहां 170 आदमी का कभी निकलता है, कभी 165 निकलते हैं। और अभी मुझे खबर मिली है कि 165 एम० एल० ए० हैदराबाद में गवर्नर से भी मिले हैं। आप जरा इस बात को सोचिए कि यह कैसे हो सकता है कि 165 एम० एल० ए० वहां भी हों और 170 एम० एल० ए० यहां पर भी हों।

प्रो० मधु दंडवते : लाल किले के समारोह की तरह यह सम्भव है। एक ही नेता के तीन स्वरूप थे। यहां भी तीन स्वरूप हो सकते हैं।

श्री बी० आर० भगत : लगभग 30 एम० एल० ए० दोनों तरफ की लिस्ट में हैं। अखबारों में निकलता है···(**व्यवधान**) तेलुगु देशम की यह क्राइसिस है। फिर यह बात है कि तेलुगु देशम के 30 एम० एल० ए० जो हैं वह कभी इधर चले जाते हैं और कभी उधर चले जाते हैं। यहां भी जो आए हैं उनमें बोगस हो सकते हैं। (**व्यवधान**) अखबारों में तो यहां तक आया है कि बोगस आइडेंटिफिकेशन कार्ड बनाए गए हैं। इसलिए यह 165 यह एम० एल० ए० वहां भी और 170 एम० एल० ए० यहां मौजूद हैं—यह कैसे हो सकता है? इसलिए मैं विरोधी पक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो यहां पर इस मामले को उठाया और कहा कि डिमोक्रैसी की हत्या हो रही है और प्रधान मन्त्री का नाम भी बुरी तरह से उसमें घसीटा, उनका चरित्रहनन करने की कोशिश की, इसके बारे में तथ्य सामने आ चुके हैं कि रामलाल जी ने किसी से बात नहीं की। (**व्यवधान**) गवर्नर ने कोई ऐसा काम नहीं किया है। आपने कहा—संतुष्टि मनमर्जी से नहीं होगी। हां, ठीक है, यह आर्बिट्रेरी नहीं था, उन्होंने सभी तथ्यों को देखकर फैसला किया। मैं दंडवते जी और विरोधी दल के भाइयों से कहूंगा कि वे जरा अपने दामन को देखें, अपनी परम्परा को देखें कि कहां तक वे संसद की परम्पराओं को ऊंचा कर रहे हैं। वे सिर्फ कीचड़ उछालना चाहते हैं और इस मौके पर सब मिल भी गए हैं लेकिन हिन्दुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, वह हमेशा सही फैसला ही करती है। भारतीय संसद की परम्पराओं तथा उज्ज्वल इतिहास को विरोधी दल के नेताओं ने इस तरह धूमिल तथा कलंकित करने की कोशिश की है। उन्होंने जो गलत बातें उठा कर चरित्रहनन करने की कोशिश की है—इसके लिए संसद में उनकी भर्त्सना होनी चाहिए।

संसदीय परम्पराओं तथा गरिमा को धूमिल करना, कलंकित करना—यह काम विरोधी दल के भाइयों को नहीं करना चाहिए था।

श्री चरण सिंह (बागपत) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत अफसोस है, जब माननीय प्रधान मंत्री जी की तकरीर हो रही थी, उस वक्त मैं उपस्थित नहीं था। जो कुछ भी मेरे दोस्तों

से मालूम हुआ है, उन्होंने यह-यह फरमाया है, उसके आधार पर मैं यह कह सकता हूं कि उन्होंने तीन-चार दलीलें दी हैं, जो कुछ हैदरावाद में हो चुका है। आन्ध्र के विषय में इनसे कोई मश्विरा नहीं हुआ। वे जो चाहें उनके मन में आए कह सकती हैं, लेकिन जिस तरीके से रामलाल जी के एन्टीसिडेंट्स थे, उनके खिलाफ जो जार्जेज थे, मैंने सुना है कि उसके लिए हाई कोर्ट में अपील हो रही है। वे कोई बहुत पुराने वर्कर हों या पोलिटिकल लीडर हों, तो बात ठीक है, लेकिन एक नए आदमी को आन्ध्र प्रदेश में गवर्नर बनाकर भेज दिया है। वे इतना बड़ा कदम बिना प्राइम मिनिस्टर के मश्विरे के नहीं उठा सकते हैं। वे कहती हैं, तो हम कुछ नहीं कह सकते हैं, सिवाय इसके कि या उनकी याददाश्त कमजोर हो गयी या वे गलत बयानी कर रही हैं···(**व्यवधान**)···

प्रो० के० के० तिवारी : इन पर क्या चार्ज थे, वे भूल गए।···(**व्यवधान**) श्रीमन्, जिनके अपने घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फैंकने चाहिए।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : अगले वक्ता प्रो० के० के० तिवारी होंगे। जो कुछ वह बोलेंगे, वह उसका उत्तर देंगे। यदि आप व्यवधान न डालें तो आप बेहतर चर्चा कर सकेंगे। इसलिए, सभी माननीय सदस्य सहयोग दें।

श्री चरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह समझ में नहीं आया कि मेरे दोस्तों को मेरे कथन से क्या एतराज है। मैंने सिर्फ यही कहा है कि प्रधान मंत्री जी की याददाश्त कम हो गयी है या गलत बयानी कर रही हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती हैं, दोनों आलटरनेटिव्ज में एक सही है। उनकी या तो याददाश्त कमजोर हो गई है या गलत बयानी कर रही हैं। मुझे यह मालूम हुआ, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने यह भी कहा है गवर्नर साहब ने एन० टी० रामा राव रूलिंग पार्टी की स्ट्रैंथ एसैस कर ली थी। उन्होंने मालूम कर लिया था कि उनकी स्ट्रैंथ नहीं थी, उनकी गवर्नमेंट कायम रहे। गवर्नर साहब के पास एन० टी० आर० 168 मैम्बरों को लेकर जाते हैं, उनसे दरख्वास्त करते हैं कि वे गिन लें और वे अन्दर बुला लें। वह इसके लिए तैयार नहीं हुए। मैं समझता हूं कि आज तक किसी ने भी इस फैक्ट को कन्ट्रोवर्ट नहीं किया है कि एन० टी० आर० ने गलत-बयानी की है। सीधी-सी बात थी—अगर वह गलत-बयानी कर रहे थे कि 168 मेम्बर्स मेरे साथ हैं, तो उसी वक्त तस्दीक कर लेते, उनकी मर्दुम-शुमारी हो जाती।

(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय, यह बात भी उनकी गलत है कि गवर्नर ने उनकी ताकत को असेस कर लिया था। ऐसा अभी तक किसी ने नहीं कहा है, सिवाय इसके कि प्रधान मंत्री ने बयान दिया है।

तीसरी बात—मुझे मालूम हुआ है कि उन्होंने कहा है—इसमें कांग्रेस वालों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने भास्कर राव को समर्थन दिया है। एक आदमी गलत काम करता है, वह तो उनकी राय में दोषी है, क्योंकि सफाई में वह यह कह रही हैं कि वह गलत काम कांग्रेस वालों ने नहीं किया है, उन्होंने तो केवल गलत काम करने वाले का समर्थन किया है···

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

श्री चरण सिंह : मुझको यह भी मालूम हुआ है—उन्होंने अपनी तकरीर में यह भी फरमाया है कि चीफ मिनिस्टर ने असेम्बली की डेट को एडवांस करने का मशविरा दिया है···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : चौधरी साहब, क्या यह भी किसी न्यूज एजेन्सी से प्रधान मंत्री को पता लगा है ? ऐसी बात अभी सदन को पता नहीं है, राष्ट्रपति जी को पता नहीं है कि चीफ मिनिस्टर असेम्बली सेशन को एडवांस कर रहे हैं, केवल प्रधान मंत्री को पता है···

···(व्यवधान)

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : 'गुण्डा' शब्द कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि किसी व्यक्ति ने कुछ असंसदीय कहा होगा तो उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : मुझे एक व्यवस्था के प्रश्न के सम्बन्ध में आपसे एक अनुरोध करना है कि जब चौधरी साहिब सदन को सम्बोधित कर रहे हैं, तो मेरा नाम बिना बात के बीच में घसीटा जा रहा है। मैं व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि चौधरी साहिब के साथ मेरे चाहे जो भी मतभेद हों, चौधरी साहिब कभी झूठ नहीं बोलते।···**···

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तात से निकाल दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जेठमलानी ने जो भी शब्द कहे हैं या जो भी असंसदीय शब्द बोले गए हैं, उन्हें कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा ।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : मेरी उपस्थिति में आपने यह कहा था । मुझे आप पर शर्म आती है । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल श्री चरण सिंह को बोलने के लिए कह रहा हूं । लेकिन, माननीय सदस्य सहयोग नहीं दे रहे हैं ।

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : हमें उस पत्र की अभी भी याद है जो चौधरी साहिब ने श्री मोरारजी देसाई को लिखा था ।

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह : लगता है मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा । आऊंगा आपके पास । **(व्यवधान)**

मैं तो खुद रोक रहा हूं अपने लोगों को । **(व्यवधान)**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : उपाध्यक्ष महोदय, यह तरीका बिल्कुल गलत है । अगर ऐसा होगा तो एक दिन भी प्राइम मिनिस्टर को इस हाउस में नहीं बोलने दिया जाएगा । **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य ने कौन-सा असंसदीय शब्द बोला था ?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं वह शब्द नहीं बताना चाहता क्योंकि वह असंसदीय है । फिर उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकालना पड़ेगा ।

श्री चरण सिंह : मैं यह कहना चाहता था कि मेरा इरादा आज यहां तकरीर करने··· **(व्यवधान)**

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यदि अब चौधरी साहिब को नहीं बोलने दिया गया, तो किसी को भी बोलने नहीं दिया जाएगा ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : चौधरी साहब को अगर बोलने नहीं दिया गया तो हम किसी को बोलने नहीं देंगे···**(व्यवधान)**···

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं एक अपील करूंगा । मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि वे व्यवधान न डालें । **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह अपनी सीट मे उठकर आ गए हैं ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में शामिल न किया जाए ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमान्, मैं अन्त में उत्तर दूंगा । जो कुछ भी व्यवधान वे डालना चाहते हैं, मैं उन्हें अन्त में उनका उत्तर दूंगा । वे इन चीजों को मेरे लिए रखें अब चौधरी साहिब को बोलने दें ।

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : वे व्यवधान डाल रहे हैं और आपको हंसी सूझ रही है । **(व्यवधान)**

श्री चरण सिंह : मैं यह अर्ज कर रहा था कि आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी और मैं आज हाऊस में आने के लिए सोच भी नहीं रहा था क्योंकि कुछ अपोजिशन लीडर्स ने प्रेजीडेन्ट से मुलाकात चाही थी । वहां भी मेरा जाना जरूरी था । वहां से मैं इधर आ गया, थोड़ी देर के लिए । यू० पी० असेम्बली में जब इसी प्रकार एक आध बार हुआ तो मैंने उस वक्त कहा था कि गांव के लोग अगर सदन में देखेंगे कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स होती हैं और किस तरह से हम लोग हल्ला करते हैं तो वे बहुत अफसोस करेंगे । इसी प्रकार यह सबसे बड़ी डेलीबरेशन्स और डिसीजन्स लेने वाली असेम्बली है । यहां भी अगर इस तरह से चलेगा तो गांव के और हमारे देश के सिटीजन्स ···**(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह पूरे सदन से अपील कर रहे हैं ।

श्री चरण सिंह : आप लोग सुन लीजिए । मैंने अपने साथियों को बीच में बोलने से रोका है । क्या कोई ईमानदारी बाकी है···**(व्यवधान)**

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप लाग अगला स्पीकर बुलवाना चाहेंगे या नहीं ?···

(व्यवधान)

श्री चरण सिंह : मैंने केवल आप लोगों के लिए नहीं कहा । मैंने तो सारे हाऊस के लिए कहा है कि किस तरह से हम लोग प्रोसीडिंग्स चला रहे हैं । लोगों के सामने क्या मिसाल पेश कर रहे हैं । जब इधर के लोग बोल रहे थे तो मैंने उन्हें मना किया था ।···**(व्यवधान)** अगर

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

कोई गलती करता है तो उसी गलती को रिपीट करने का आपको भी कोई अधिकार नहीं है। आप बेफिजूल की बातें करते हैं···(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ? क्यों आपने ध्यान दिया है कि सदन में सभी माइक्रोफोन चल रहे हैं ? सामान्यतः यह होता है कि जब कोई सदस्य बोलता है तो केवल उसका माइक्रोफोन ही काम करता है। अब आप देखिए कि सभी माइक्रोफोन काम कर रहे हैं। आप इसकी जांच करिए। ऐसा क्यों हुआ है ? यह जानबूझकर किया गया है ताकि शोर मचे···(**व्यवधान**)

उपाध्यक्ष महोदय : यह संगत नहीं है, कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं सभी दलों के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे श्री चरण सिंह को बोलने की अनुमति दें। चाहे वह प्रधान मंत्री हों या विपक्ष का कोई नेता अथवा सत्तारूढ़ या विपक्ष का कोई सदस्य, किसी के भाषण में बाधा डालना आपको शोभा नहीं देता। लोगों को विचार प्रस्तुत करने दीजिए, उन्हें सोचने और निर्णय लेने दीजिए।

श्री चरण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अर्ज कर रहा था कि जिस तरीके से अब हमारे यहां प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उसके लिए दोनों ही फरीक दोषी हैं। इसमें मैं अपने साथियों का भी दोष मानता हूं और मैंने बार-बार उनको रोकने की कोशिश की है, यदि आपने जरा भी नोट किया हो। क्योंकि मैं मानता हूं कि इस तरीके से किसी भी मुल्क में डैमोक्रेसी या जनतंत्र चल ही नहीं सकता। इस विषय पर हम सब लोगों को सोचना है कि अपने ऊपर नियंत्रण रखें। गलत बातों को भी संयम से सुनें और उनका उत्तर संयम से दें। इतनी सी बात पर यहां इतना हल्ला हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि उसकी क्या जरूरत थी।

मैं यहां इस विषय पर ज्यादा तकरीर नहीं करना चाहता, लेकिन यह बात जाहिर है कि जिस प्रकार से आन्ध्र प्रदेश में हुआ, यह अपने आप में अकेली मिसाल नहीं है, उससे पहले सिक्किम में भी वैसा ही हुआ। वहां जिस आदमी की मैजोरिटी थी, नर बहादुर भण्डारी वहां चीफ मिनिस्टर थे, उनको इसलिए इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि यहां से इस्तीफा देने का हुक्म हुआ था और इसी कारण उनको इस्तीफा देना पड़ा। बाद में जाकर यह बात साबित हो गई कि उनको बहुमत का समर्थन प्राप्त था। ऐसे ही श्रीनगर में जो कुछ हुआ, वह सब पर जाहिर है। किस प्रकार से हुआ, वैसे कहने को तो आप चाहे जो कह लें, यदि आप एक्सपर्ट्स को कन्सल्ट करेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जिस तरीके से वहां के चीफ मिनिस्टर डा० फारूख अब्दुल्ला की सरकार को गिराया गया, उसकी दुनिया में कहीं मिसाल नहीं मिलती। उसके बाद अब हैदराबाद में जो

कुछ हुआ, वह तो उससे भी बहुत आगे जाकर हुआ है। इससे जाहिर होता है कि हम डैमोक्रेसी के मुल्तहिक नहीं हैं।

यहां पर जनता पार्टी के बारे में कहा गया, लेकिन मेरे दोस्त को शायद पूरे वाकयात मालूम नहीं हैं। जिस वक्त हमारे तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई के विरुद्ध नो-कान्फीडैंस मोशन आया तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस पर राष्ट्रपति महोदय ने जितने अपोजीशन के लीडर थे, उनसे कहा कि आप हमें हाऊस में अपनी मैजोरिटी साबित कर दीजिए, आप हमें अपने सपोर्ट्स के नाम लिख कर दे दीजिए। उसके बाद हम आपको बुलायेंगे। इस पर उन्होंने लिखा कि मैं गवर्नमैंट बनाने की पोजीशन में नही हूं। इस पर प्रेजीडैंट ने एक चिट्ठी मुझको लिखी और एक मोरारजी देसाई जी को लिखी कि आपके जो सपोर्ट्स हैं, उनकी तादाद मुझे बताइये। मेरे सपोर्टर्स की तादाद 258 थी और उनके सपोर्टर्स की तादाद 234 थी। इसको देखते हुए उन्होंने मुझको कहा कि आप चार्ज सम्भालिये। यह बात 28-29 जुलाई की है, जब मैंने यहां चार्ज लिया। उसके बाद 8 अगस्त को मेरे पास कांग्रेस के एक एम० पी० आते हैं, मैं यहां उनका नाम नहीं लेना चाहता, वैसे रिकार्ड की बात है, लेकिन मैं उसको यहां मुनासिब नहीं समझता, उन्होंने यह कहा कि मेरा और इंदिरा जी या कांग्रेस के मध्य कोई समझौता हुआ है, लेकिन वह बिल्कुल गलत बात है। कोई किसी तरीके की हमारी उनकी बातचीत नहीं हुई, बल्कि मेरे पुराने जानने वाले यू० पी० के जो यहां मिनिस्टर थे, उस वक्त तो शायद मैम्बर ही थे, अभी मिनिस्टर रह चुके हैं और एक और सज्जन जो मिनिस्टर रह चुके हैं, शायद अब भी मिनिस्टर हों, दोनों मेरे पास आये हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं आप इंन्दिरा जी को धन्यवाद दे दीजिये। मैंने कहा मैंने सपोर्ट कभी आपसे मांगी नहीं, आप अपने रीजन्स से सपोर्ट कर रहे हैं। मेरे रीजन्स डिफरेंट हैं। लिहाजा थैंक्स का कोई सवाल नहीं है। टेलीफोन करने को कहा। मैंने कहा टेलीफोन भी करने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। खैर ओथ हो गई, मैं तफसील मैं नहीं जाना चाहता। 8 अगस्त को मेरे पास एक कांग्रेस के एम० पी० आते हैं, उनका नाम मुझे मालूम है क्योंकि वह यहां नहीं हैं वह रेकार्ड की चीज है, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता, वह आते हैं मेरे पास और यह कहते हैं कि जो उनके साहबजादे थे इंन्दिरा जी के, श्री संजय गांधी, उनको दो साल की सजा सेशन जज से हो चुकी थी, स्पेशल कोर्ट्स ऐक्ट के मातहत नोटिफिकेशन जारी हो चुका था, उनकी अपील सुप्रीम कोर्ट को होगी न कि हाई कोर्ट को। यह सज्जन जो मेरे पास आये कांग्रेस के एम० पी० वह कहते थे हम यह नहीं चाहते हैं कि केस वापस लिया जाए, केस की पैरवी होनी चाहिए और अपील करने का केवल मौका देना चाहिए और फिर हम आपको ढाई वर्ष तक बराबर सपोर्ट करेंगे। लम्बी चौड़ी बात है···

श्री जगदीश टाइटलर : मैं नहीं समझता कि आप न्यायधीशों पर नियंत्रण कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : श्री भगत ने इसका जिक्र किया था ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : आप ऐडवाइस न दीजिए ।···(**व्यवधान**) जब भगत जी चौधरी साहब का नाम ले रहे थे तब क्यों नहीं आपने उनको रोका···(**व्यवधान**)

श्री चरण सिंह : अभी बता रहा हूं । जो मैं कह रहा हूं उसका सबूत मौजूद है ।···

(**व्यवधान**)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अपनी समझ के बाहर है । आप मैडम से पूछिए ।

श्री चरण सिंह : मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ कि उस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दिया जाय और आर्डिनरी ला के मुताबिक सेशन जज के जजमैंट की अपील हाई कोर्ट में होती है उसकी इजाजत दी जाय । मैं इस बात के लिए तैयार नहीं हुआ । मैंने कहा कि मै नोटिफिकेशन को कैंसिल करने के लिए तैयार नहीं हूं । मेरे अपने कोलीग थे उस वक्त एक साहब मिनिस्टर थे उन्होंने भी मुझे ऐडवाइज किया कि इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वह मुकदमा वापस लेने के लिए नहीं कहते हैं सिर्फ यह कहते हैं कि बजाय सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट में अपील हो । मैंने कहा मैं आपसे ऐग्री नहीं करता हूं । जो हमारे कोलीशन पार्टनर थे कांग्रेस (एस०) उसके जो लीडर थे श्री देवराज अर्स, इत्तफाक से वह कर्नाटक हाऊस में आकर ठहरे हुए थे उसी दिन । 20 तारीख के लिए मैंने पार्लियामेंट बुला रखी थी । प्रेसीडेंट ने सजेश्चन दिया था कि एक महीना या इसके आसपास पीरियड में आप पार्लियामेंट बुलायें । मैं बाउन्ड नहीं था उनके सजेश्चन से । प्रेसीडैंट बाउन्ड होता है प्राइम मिनिस्टर की ऐडवाइस से, न कि प्राइम मिनिस्टर बाउन्ड होता है ऐसे माममों में प्रेसीडेंट की ऐडवाइस से । केवल ऐडवाइस मुझको मिली । लेकिन मैंने 20 तारीख को पार्लियामेंट तलब कर ली, और 19 तारीख की शाम को पार्लियामेंटरी बोर्ड (कांग्रेस) की मीटिंग होती है । उनमें यह तय होता है कि अगर श्री चरण सिंह इस नोटिफिकेशन को कैंसिल कर दें ताकि अपील संजय की चली जाए···

(**व्यवधान**)

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : भगवान के लिए एक बात सुन लीजिए । पार्लियामेंटरी बोर्ड के बारे में अभी आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल गलत है ।

(**व्यवधान**)

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मेरी एक बात सुन लीजिए, पार्लियामैंटरी बोर्ड के बारे में जो आप कह रहे थे, वह बिल्कुल गलत है, मैं वहां पर था ।

श्री चरण सिंह : हो सकता है, गलत हो ।

मैंने तो यही सुना था कि पार्लियामैंटरी बोर्ड ने तय किया है, मुझको मिनिस्टर ने कहा। मुझको यह कहा गया कि अगर चरण सिंह रैजिग्नेशन को कैंसिल कर देते हैं,

(व्यवधान)

तो नहीं हुआ, मान गया, लेकिन मुझे कहा, मेरे ही साथी ने कहा लेकिन मैं उसके लिए तैयार नहीं था। इसमें कौनसी बात गलत कही है ?

(व्यवधान)

मेरे पास फिर उसी रात श्री देवराज अर्स का फोन आया, मेरे मकान पर कि हमने सुना है कि आप इसके लिए तैयार नहीं हैं ? मैंने कहा कि मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं। उन्होंने कहा कि यह कोई बात नहीं है, नाजायज बात नहीं है, मुकदमा वापिस लेने को वह कह नहीं रहे, केवल कहते हैं कि जो आर्डिनरी प्रासेस आफ ला है, वह फालो किया जाएगा। मैंने कहा मैं इस बात के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं प्राइम मिनिस्ट्री श्रीमती इंदिरा गांधी से खरीद रहा हूं। मैं तैयार नहीं हूं, मैं अपना त्यागपत्र भेज रहा हूं। मैंने 21 तारीख की सवेरे साढ़े 9 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुला ली और सवेरे मैंने अपने साथियों के सामने रैजिग्नेशन पेश कर दिया। बात अखबार में आ गई, तरह-तरह की बातें अखबारों में लिखी गईं। मुझे बाद में मालूम हुआ कि जो बातचीत हुई थी, वह कोई सज्जन कांग्रेस के एम० पी० थे बंगाल से कलकत्ता से चुनकर आये थे वह टेप रिकार्डर लिए हुए थे।

(व्यवधान)

वह तो प्रेस में छपा है, टेप रिकार्डर लिए हुए थे, जो कि मुझे मालूम नहीं था। क्योंकि मैंने कुछ अपने साथियों के खिलाफ सख्त अलफाज इस्तेमाल किए थे, अगर मुझे मालूम होता कि इनके पास टेप-रिकार्डर है, तो जो लफ्ज मैंने जाती तौर पर अपने साथी के लिए इस्तेमाल किए थे, मैं उन पर जप्त रखता अपनी भाषा पर, लेकिन वहां टेपरिकार्डर था।

(व्यवधान)

आपने आन्ध्र की सफाई में कहा है कि चरण सिंह ने ऐसा किया था, लिहाजा हम भी कर सकते हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि टेप रिकार्डर में जो बातें हुई थीं, वह अखबारों में छपी हैं, 23 दिसम्बर, 1979 के मैग्जीन में वह मौजूद हैं। उस मैग्जीन में ही नहीं बल्कि वरुण सेन गुप्ता ने जो किताब लिखी है "लास्ट डेज आफ मोरारजी" उसमें भी है क्योंकि वह टेप-रिकार्डर उनको हासिल हो गया। उन्होंने लिखा है कि मुझे हासिल हो गया। तो मेरी बात जो टेप-रिकार्डर में थी वह पेपर में पूरी है उससे पता लग जाएगा। मैं तैयार नहीं था इस

मामूली सी बात के लिए हालांकि एक नोटिफिकेशन कैंसिल करने का मुझे अधिकार था। अगर मैं प्राइम मिनिस्ट्री का भूखा होता किसी मानदण्ड को बनाए रखे बिना तो मुझको कोई रोक नहीं सकता था। मैंने फौरन इलैक्शन डिमांड किया और इलैक्शन की डेट तय हो गई। लिहाजा किसी का कहना कि इस तरह नाजायज बात हुई है, मैंने किसी से नाजायज फैसला किया हो, हरगिज नहीं हरगिज नहीं। हरेक मुल्क में प्राइम मिनिस्टर का पद बड़ा होता है। लेकिन हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में, जबकि मेरे साथी कोलिशन के पार्टनर चाहते थे, उनके लीडर कहते थे, उनकी बात को मैंने नहीं माना। उसमें मुझे लगता है—जैसे कि मैं कुछ गलत बात कर रहा हूं; तकनीकी दृष्टि से मेरी बात सही हो सकती है; लेकिन मेरा हार्ट इस बात को मंजूर करने के लिए तैयार नहीं है, रिजाइन मैंने कर दिया और इलैक्शन की मैंने काल दी। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन-सी नाजायज बात है ? परम्परा की बात है, आप वरुण सैन की किताब पढ़ लीजियेगा, या उस मैग्जीन को पूरा पढ़ लीजिए।

(व्यवधान)

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अगर इसी प्रकार से गवर्नमेंट चलती रही, तो चाहे यह पार्टी पावर में हो या वह पार्टी पावर में हो, इस मुल्क में डेमोक्रेसी रहने वाली नहीं है और हम लोग धीरे-धीरे डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ते चले जाएंगे।

यह सिर्फ एक आन्ध्र प्रदेश का मामला नहीं है। गोआ में भी यही हुआ; जिनकी मैजारिटी थी, उनको निकाल दिया गया। पांडिचेरी और सिक्किम में भी यही हुआ और अभी काश्मीर में में यही हुआ। आसाम में इलैक्शन जिस तरह कराए गए ?

पंजाब में वह हुआ, जिसकी नौबत नहीं आनी चाहिए थी। पंजाब को जिस तरह गवर्न किया जा रहा है, वहां पर जिस तरह शासन चलाया जा रहा है, उसका नतीजा क्या होगा ? 27 दिसम्बर, 1982 को जब इन्दिरा जी ने खुद मुझे बुलाया और पंजाब की बाबत बात करनी चाही, तो मैंने साफ कहा कि बहिन जी, माफ कीजिए, जो कुछ हो रहा है, उसके लिए स्वयं आप जिम्मेदार हैं। मैंने बड़ी तफसील से उनसे सब बातें कहीं। उसके बाद मैंने हाउस में घंटा भर ये बातें कही थीं।

मैं इन्दिरा जी के खिलाफ एलीगेशन लगाता हूं कि अगर वह पंजाब में हो रही घटनाओं को रोकना चाहतीं, तो उसी वक्त रोक सकती थीं, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। आप जानते हैं कि किस तरह भिंडरांवाले को दो दिन तक इल्लिसिट आर्म्ज के साथ दिल्ली के बाजारों में घूमने दिया गया। यह कांग्रेस गवर्नमेंट का पुराना तरीका है कि पहले हिन्दुओं और सिखों में आपस में रंजिश पैदा करो। वह पहले कह रही थीं कि रिलिजस प्लेसिज में पुलिस नहीं जा सकती। हमारी बहन

इन्दिरा जी, जो पहले वहां पर पुलिस भेजने से इनकार कर रही थीं, उन्होंने बाद में वहां पर मिलिटरी को भेजा। (व्यवधान)

मेरे दोस्त भले ही शोर कर मुझे दबा लें, लेकिन मैं भविष्यवाणी करता हूं कि खाह इनकी पार्टी ने और खाह किसी दूसरी पार्टी ने इसी तरह गवर्नमेंट को चलाया, तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी और मुल्क में डिक्टेटरशिप कायम हो जाएगी—डार्क डेज आर ऐहेड। हमारा कन्ट्री डिसइनटेग्रेट होने जा रही है। इस बारे में मैंने इन्दिरा जी से तफसील से बात की और बाद में मैंने पब्लिक तकरीरों को बताया कि हम तेजी से डिसइंटेग्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सिर्फ डिसइंटेग्रेशन की ही बात नहीं है, आज हम चारों तरफ होस्टाइल और अनफेंडली कन्ट्रीज से घिरे हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी रूलिंग पार्टी पर है, जो बराबर 35 सालों से बरसरे-इक्तदार है। ये लोग बेशक शोर करके मुझे चुप करा दें, लेकिन ये लोग भी इसमें बराबर के दोषी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वैसे ही चलेगी, जैसे कि ये चाहेंगे।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : मुझे सचमुच चौधरी साहब के लिए खेद है जिन्हें आज इस विवाद में विपक्ष के प्रमुख वक्ता के रूप में चुना गया। यदि विपक्ष ने इस बात पर कुछ भी विचार किया होता कि चौधरी चरण सिंह जैसे व्यक्ति, जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है और आलोच्य हैं, तो भारत के जनजीवन में प्रजातंत्र और इसके सिद्धान्तों की रक्षा के लिए उनका चुनाव न किया होता···(व्यवधान)

चौधरी साहब ने बहुत-सी बातें कहीं। मैं उनके द्वारा उठाए गए केवल कुछ मुद्दों का जिक्र करना चाहता हूं जो कि आज के वाद-विवाद से संगत हैं। हम सब इससे सहमत हैं कि दल बदल एक बहुत ही घृणित कार्य है और इसने हमारी राजनैतिक प्रणाली के मूलाधार को नष्ट करना आरंभ कर दिया है और यदि विपक्षी दल के सहयोगियों की राजनैतिक प्रणाली अथवा राजनैतिक प्रणाली का विश्लेषण जैसे गंभीर मामलों में दिलचस्पी है, तो मैं समझता हूं वे चुपचाप मेरी बात सुनेंगे तथा जो मुद्दे मैं उनके समक्ष रखने का प्रयत्न कर रहा हूं उस पर विचार करेंगे। महोदय, इसका श्रेय श्री चरण सिंह को जाता है और मैं समझता हूं कि वह इस देश में राजनीति अथवा राजनैतिक संस्थान के इतिहास में एकमात्र उदाहरण होंगे, जिन्होंने दल-बदल में प्रथम पितामह की भूमिका निभाई। (व्यवधान) आज जब मैं विपक्ष की स्थिति देखता हूं तो उसमें मुझे कुछ असंगत नहीं लगता कि लोग रोज दल-बदल कर रहे हैं। महोदय, कुछ लोगों ने जो अवसरवादी, दलबदलू और राजनैतिक मोटिये है, चौधरी चरण सिंह की अध्यक्षता में एक मोर्चा बनाने का निर्णय ले लिया है। महोदय, मैं कहता हूं वह दल-बदलुओं के पितामह हैं, वह इस देश में दल-बदलुओं के मुखिया हैं।

प्रो० अजीत कुमार मेहता (समस्तीपुर) वह आरोप लगा रहे हैं। **(व्यवधान)**

प्रो० के० के० तिवारी : मैं श्री बहुगुणा और श्री दण्डवते को भी यह स्मरण कराना चाहता हूं कि जिन्होंने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है कि 1967 में क्या हुआ था।

प्रो० अजीत कुमार मेहता : महोदय, वह आरोप लगा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : आप रिकार्ड देखेंगे। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें बोलने दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : वह स्वयं दल-बदलू हैं।

3.16 म० प०

[श्री एफ० एच० मोहसिन पीठासीन हुए]

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर) उन्होंने कहा कि वह स्वयं दल-बदलू हैं। सभापति महोदय, एक शैतान धर्मग्रंथ का उदाहरण दे रहा है। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : सभापति महोदय, मैं चौधरी चरण सिंह की राजनैतिक विचार-धारा की बात कर रहा था। वे कितने घृणित और अस्पष्ट हैं। 1967 में चौधरी चरण सिंह, जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और श्री वाजपेयी और उनके मित्र, जो कि इस समय भारतीय जनता पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, उस समय जनसंघ के नाम से जाने जाते थे और उत्तर प्रदेश में जनसंघ के प्रभावी समर्थन प्राप्त होने पर, चौधरी चरण सिंह ने अपने थोड़े बहुत साथियों के साथ कांग्रेस से दल-बदल किया वे सभी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और पहली बार 1967 में चौधरी चरण सिंह द्वारा दल-बदल कर राजनीति में दल-बदल आरंभ हुआ। इस सरकार को केवल जनसंघ का ही नहीं बल्कि उन सभी राजनीतिक वर्गों का समर्थन प्राप्त था जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रतिनिधि थे और चौधरी चरण सिंह ने 1979 में इस नाटक को पुनः दोहराया और वह सिद्धांतों और अन्य मामलों के बारे में बड़े गर्व से बोल रहे हैं।

मैं विपक्ष के वरिष्ठ मित्रों को, जो 1967 में और फिर 1977 में जनता सरकार में मंत्री थे, याद दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने क्या नारा दिया था। महोदय, यह अत्यन्त दुःखद दृश्य है

कि जिनका लोकतंत्र और देश की एकता में विश्वास नहीं और जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए कोई योगदान नहीं किया, उन्होंने मिलकर एक गिरोह बना लिया है। नारा क्या दिया? 'पूर्ण क्रान्ति'। भारत के राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए, भारत के लोगों के जीवन यापन के ढंग को बदलने के लिए वे एक हो गए और लोगों को चकमा देकर, उनकी आंखों में धूल झौंक कर, वे मिल गए और हमसे सत्ता ले ली।

महोदय, मैं चौधरी साहब से पूछना चाहता हूं —यद्यपि वे यहां नहीं हैं—कि यदि आजादी के लिए या सिद्धांतों के लिए उन्हें इतना प्यार था, राजनीति के मानदण्डों के प्रति उनमें कोई शिष्टता थी तो ऐसा करने के लिए चौधरी साहब और उनके मित्रों को, जिन्होंने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, किसने प्रेरित किया? यदि यह 1977 का जोश था तो उन्हें जनता पार्टी में रहना चाहिए था। लेकिन महोदय, जैसा हमें बताया गया है, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि उन्हें प्रायः 'चेयर सिंह' का नाम दिया जाता है, वह जीवन भर सत्ता के पीछे भागते रहे, राजनीतिक पद के पीछे भागते रहे। मैं स्वयं चौधरी का कथन उद्धृत करता हू। उनकी उम्र भर की यही एक आकांक्षा थी।

3.19 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

प्रधान मंत्री बनने की उनकी आकांक्षा पूरी हो गई···(**व्यवधान**)

श्री अमल दत्त : वह बिल्कुल असंगत बात कर रहे हैं।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : आप आन्ध्र के बारे में बोलिए।

प्रो० के० के० तिवारी : अपने जीवन की आकांक्षा पूरी करने के लिए चौधरी चरण सिंह ने सभी सिद्धान्तों और सार्वजनिक जीवन की शिष्टता को ताक पर रखकर 1967 का कारनामा दोहराया और जनता पार्टी से दल-बदल कर लिया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, हम तो आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल की कार्यवाही के बारे में प्रो० मधु दण्डवते के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। वह किस बारे में बोल रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : कृपया देखिए। यह दल-बदल के बारे में ही है। यह संगत है।

(व्यवधान)

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, मेरा निवेदन है कि प्रस्ताव दल-बदल के बारे में नहीं है। प्रस्ताव तो राज्यपाल की कार्यवाही के सम्बन्ध में है।

अध्यक्ष **महोदय** : नहीं। मैं इससे सहमत नहीं हूं। व्यवस्था का प्रश्न अस्वीकृत किया जाता है। हर आदमी यह करता है। आप चाहे इस बात को न मानें लेकिन हर आदमी ऐसा करता है। यह सबसे खराब बात है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, हमने कभी भी श्रीमती इन्दिरा गांधी का उल्लेख नहीं किया कि वह किस प्रकार सत्ता हथियाना चाहती हैं, आदि **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रहा था। मैं तो कुछ कही गई बातें ही उद्धृत कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया कोई अपमानजनक बात न कहें।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : अध्यक्ष जी, आपके आने से पहले माननीय चरण सिंह जी भाषण कर रहे थे। उन्होंने सारा समय श्रीमती इन्दिरा गांधी और परिवार के ऊपर बोलने में लगा दिया और एक लब्ज भी इस मोशन के बारे में नहीं बोले। अब तिवारी जी चौ० चरण सिंह जी की भूमिका बता रहे हैं। जो हुआ, वह कह रहे हैं।

अध्यक्ष **महोदय** : मेरे कहने का भाव यह है कि पोलिटिकल एक्शन्स के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं।

प्रो० के० के० तिवारी : इस वाद-विवाद के दौरान कई महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इनका सम्बन्ध केवल राज्यपाल की कार्यवाही या उन्हें पद से हटाने के बारे में नहीं है। इसमें कई ऐसे मुख्य मामले उठाये गए हैं जो देश की राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता के बारे में जरूरी हैं और माननीय सदस्य ने भी इस बात का उल्लेख किया है। आप तो लोकतंत्र, मानदण्ड, परम्परा, कृत्यों और संविधान की बात करते हैं, इसलिए राजनीतिज्ञों के आचरण पर मुझे खेद है। मुझे इस बात पर भी खेद होता है कि आप कितने उतावले हैं और कितना क्रोध करते हैं। जब आपको उपयुक्त समय मिलेगा तो आप अपना उत्तर दे सकते हैं। कांच के घरों में रहने वालों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इसके प्रस्तावक प्रो० दण्डवते यहां नहीं नहीं हैं। सत्ता परिवर्तन के समय के दौरान जब श्री मोरारजी देसाई के नेतृत्व में केन्द्र में सरकार बनी और जिसे श्री बहुगुणा जैसे शानदार और अस्थिर व्यक्ति का समर्थन प्राप्त था, उस समय चौधरी चरण सिंह की

भूमिका के बारे में प्रो० मधु दण्डवते के विचार क्या हैं जिन्होंने पार्टी का विघटन किया। उसके बाद राष्ट्रपति भवन के बाहर क्या दृश्य प्रस्तुत किया गया, आपको याद ही होगा। कटी-छटी जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर ने कहा था 'चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में बनी सरकार चोर की सरकार है।" श्री स्वामी मेरी बात की पुष्टि करेंगे। श्री स्वामी, क्या मैं गलत कह रहा हूं?

एक माननीय सदस्य : श्री स्वामी, अपना मुंह मत छिपाइये।

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय, उस राष्ट्र के लिए, जो विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसकी महान और पुरानी परम्पराएं हैं तथा जिसे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरु, मौलाना आजाद और पटेल जैसा नेतृत्व मिला और जिसके लिए हमारे युवाओं और आम आदमी ने वीरतापूर्वक बलिदान दिये, यह सबसे बड़ी विपत्ति थी। इन अनुत्तरदायी और बेईमान लोगों के कारण भारत की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। ये लोग हमेशा ही श्रीमती गांधी को बदनाम करने के लिए नारे लगाते रहे हैं और सत्ता हथियाने का प्रयत्न करते रहे हैं तथा जब भी उन्हें मौका मिला, उन्होंने ऐसा किया भी है। महोदय, मैं केवल एक बात आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। वे लोकतंत्र की बातें करते हैं। इस सभा में कुछ वर्ष पूर्व क्या हुआ था? इस सभा ने अत्यन्त अभद्र दृश्य देखे थे जो आजाद देशों के इतिहास में सबसे अधिक अभद्र थे। श्रीमती गांधी ने 11 वर्ष तक देश को सम्मानजनक नेतृत्व दिया और स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करा कर देश की प्रतिष्ठा बढ़ायी, उसी श्रीमती गांधी को, जब वह सत्ता में नहीं थीं, इन लोगों ने सताने के लिए सभी प्रयास किये। उन्होंने चुनाव लड़ा और गरीब तथा दलित भारतीय लोगों की सहायता से इस सभा के लिए चुनी गयीं तो उन्हीं व्यक्तियों ने, जिनमें श्री चरण सिंह और प्रो० दण्डवते भी थे, अभद्र व्यवहार किया और संविधान, भारत के लोगों तथा श्रीमती गांधी पर प्रहार करके उन्हें शर्मनाक ढंग से इसी सभा से निष्कासित कर दिया।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैं कहना चाहूंगा कि पहला निष्कासन आपात काल में हुआ जब मुझे राज्य सभा से निष्कासित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय : वह इस सभा से निष्कासन के बारे में बता रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : प्रो० दण्डवते आप उस समय यहां नहीं थे, जब मैं बात कर रहा था। जनता पार्टी के समय में क्या हुआ था? उस समय देश की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला दी गई। चौधरी चरण सिंह भ्रष्टाचार के विरोध में कह रहे थे और निःसन्देह हम भी उसकी निन्दा करते हैं लेकिन राजनीति प्रणाली में जो भ्रष्टाचार फैला रहे हैं, हमें उनकी भी भरपूर भर्त्सना करनी

चाहिए। लेकिन यहां मैं चौधरी चरण सिंह और जनता पार्टी के नेताओं को स्मरण करा दूं जो यहां राम लाल की बात कर रहे हैं, प्रो० दण्डवते को भी क्या मैं वैद्यलिंगम समिति के प्रतिवेदन के बारे में बता दूं ? किसी भी सभ्य राजनीतिक प्रणाली के अन्तर्गत विश्व में कहीं भी प्रधान मंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति ने अपने ही गृह मन्त्री के विरुद्ध ऐसे आरोप नहीं लगाये कि "आपके बच्चे, आपकी पत्नी घूस लेते हैं, में भ्रष्ट हैं" और प्रत्युत्तर में गृह मंत्री कहते हैं "इस धरती पर तुम्हारा पुत्र सबसे अधिक भ्रष्ट है। उसने 500 करोड़ रुपये जमा कर लिये हैं।" ऐसे आरोप-प्रत्यारोप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री द्वारा आपस में लगाये जा रहे थे। प्रो० दण्डवते वह भारतीय लोकतन्त्र आजादी और लोगों के लिए सबसे अधिक निराशाजनक दिन था। यह बात आप और चौधरी साहब इतनी जल्दी भूल गये (**व्यवधान**) मैं श्री जेठमलानी की बात से सहमत हूं कि चौधरी साहब को भूलने की बीमारी है और एक बार यदि वह गहरी निन्द्रा में डूब जाते हैं तो पानी की बाल्टी डालकर ही उन्हें जगाया जा सकता है। अतः शायद इस वाद-विवाद में वह इसका उल्लेख करना भूल गये हैं। जब मैं यह बात कहता हूं तो मैं चाहता हूं कि इस सभा तथा आपके माध्यम से देश को यह पता चले कि आज क्या हो रहा है (**व्यवधान**)। आज विपक्ष क्या है, शानदार रणनीति, शानदार गठबन्धन, इन पर मुझे खेद है, साम्यवादी, भाजपा सभी यहां हैं, वे बातें भूल गये हैं, सब बेईमान, सिद्धांतहीन लोग देश में अस्थिरता पैदा करने हेतु एकत्र हो रहे हैं।

प्रो० दण्डवते बारीकियों की बात कर रहे थे।

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : आप देश की अपने दल से बराबरी न कीजिए। अपनी देशभक्ति मत हांकिये। (**व्यवधान**)

प्रो० के० के० तिवारी : वे कुछ सीखना ही नहीं चाहते। (**व्यवधान**) मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हम उनके दल को अस्थिर नहीं करना चाहते लेकिन यदि दल स्वयं अस्थिर हो जाता है अपने आंतरिक मतभेदों के कारण, पद के लालच में आकर विघटित होता है तो हम क्या कर सकते हैं। यदि हमारा इरादा अस्थिरता पैदा करने का होता, मैं इस समय अपनी बात कर रहा हूं, प्रो० के० के० तिवारी, संसद सदस्य के रूप में मैं पश्चिम बंगाल सरकार···

(**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मुझे खुशी है कि एक संसद सदस्य प्रो० तिवारी अस्थिरता पैदा करने की बात मान रहे हैं··· (**व्यवधान**) लेकिन दोष हमारे बारे में लगा रहे थे (**व्यवधान**)। वह ऐसा नहीं कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से इसकी नकल की जा सकती है। तब सभा में ऐसी कोई बात नहीं रहेगी।

प्रो० के० के० तिवारी : वास्तव में पश्चिम बंगाल तो राजनीतिक संस्थाओं और राजनीतिक सिद्धांतों का बूचड़खाना बन गया है और यदि अस्थिरता पैदा करनी होती तो वहां की जाती। लेकिन क्योंकि किसी दल में अस्थिरता पैदा करने में हमारी रुचि नहीं है, हम ऐसा नहीं करते। श्री रामा राव के बारे में मैं विस्तार में नहीं कहना चाहता।

आन्ध्र में क्या हो रहा था। एक संदिग्ध राजनीतिक कुल परम्परा वाला व्यक्ति (**व्यवधान**) वास्तव में उनके पूर्वज राजनीति में थे ही नहीं··· (**व्यवधान**) यह व्यक्ति राजनीति के क्षेत्र में उभरा। मैं प्रो० चक्रवर्ती को याद दिला दूं कि लोकतंत्र के प्रति अपने प्रेम को याद कीजिए— तेलंगाना में जब आपने अपना मुक्ति आन्दोलन शुरू किया था तो आप सभी लोकतांत्रिक सिद्धांतों और उनके प्रति प्रेम को भूल गये थे। या तो आप पुनरीक्षणवादी हैं या स्वधर्मत्यागी हैं या फिर लोकतंत्र को समाप्त करने वाले हैं। इनके बीच की कोई चीज नहीं हैं। (**व्यवधान**) यदि आप इस प्रणाली में विश्वास करते हैं तो आप स्वधर्मत्यागी हैं, तब आप पर स्वधर्मत्यागी पुनरीक्षणवादी होने का आरोप लग सकता है; यदि आप इस प्रणाली में विश्वास नहीं करते, तो फिर आप सभा में कहिए कि आप श्री बहुगुणा, श्री चन्द्रजीत यादव और अन्य लोगों के समर्थन से, जो भारतीय लोकतंत्र के नमूने हैं, इस प्रणाली का समर्थन करते हैं। (**व्यवधान**)। आप एक बार इस प्रणाली में घुस कर इसे भीतर से तोड़ना चाहते हैं।

आपने यह आन्दोलन शुरू किया और अचानक देखा कि यह व्यक्ति, चाहे वह कहीं से आया है, बहुमत बनाने की स्थिति में है और इसके बाद क्या हुआ ? मैं अमेरिका में थोड़ी देर रुकने के मामले में नहीं जाना चाहता हूं।

राज्यपाल के कार्य-संचालन, उसके सरकार को गिराने के प्रयास तथा किस प्रकार सरकार गिराई गई थी, इस बारे में बहुत-सी बातें कही जा रही हैं। श्री जेठमलानी, प्रो० दंडवते जैसे संवैधानिक पंडित तथा अन्य सदस्य विधान सभा की महत्ता के बारे में बोल रहे थे। मैं प्रो० दण्डवते को सूचित करना चाहता हूं कि जहां विधान सभा में बहुमत सिद्ध करना महत्वपूर्ण है, वहां समान रूप से राज्यपाल के संतुष्ट होने की बात भी महत्वपूर्ण है। आप इस बात से आंखें नहीं मूंद सकते। जब राज्यपाल निश्चित प्रमाण के आधार पर, ठोस तथ्यों के आधार पर·····

प्रो० मधु दंडवते : यह संतुष्ट होना नहीं है, यह इच्छा पर्यन्त है।

प्रो० के० के० तिवारी : वह संतुष्ट हो जायें इसे राज्यपाल की इच्छा पर्यंत कहा गया है। आप केवल शब्दों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।

प्रो० मधु दंडवते : इन दोनों के बीच भारी अन्तर है।

प्रो० के० के० तिवारी : यह एक ऐसी बात है जिस पर बल देना चाहिए। जब राज्यपाल संतेष्ट हो जाते हैं कि किसी मुख्य मन्त्री ने अपना बहुमत खो दिया है जैसा कि आंध्र प्रदेश के मामले में हुआ है तो नये मुख्य मन्त्री की नियुक्ति न होने तक क्या होता है। यदि प्रो० दंडवते के इस सिद्धांत को स्वीकार कर लिया जाता है जब मुख्य मंत्री ने बहुमत खो दिया है और राज्यपाल संतुष्ट हैं तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में संबद्ध प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट है और यदि आप उसे दो अथवा तीन दिन का समय और देते हैं तो इससे सौदेबाजी और सभी प्रकार के अनैतिक कार्यों के दरवाजे खुल जायेंगे। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है··· **(व्यवधान)** अतः विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने की बात महत्वपूर्ण हो सकती है लेकिन जहां तक आध्र प्रदेश के राज्यपाल की कार्यवाही का सम्बन्ध है जैसा कि मेरे मित्र श्री भगत ने कहा है, इसमें अनुरूपता है। लेकिन मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि वे हाल की घटनाओं, सामयिक इतिहास को भूल गये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वह पूरी तरह से इसकी अनदेखी कर रहे हैं।

1977 में क्या हुआ था ? मैं अभी तक नहीं मानता कि लोगों ने जनता पार्टी को सत्ता में लाने के लिए मतदान किया था। यह जोड़-तोड़, कपटाचार और चालबाजी थी जिससे जनता पार्टी की जीत हुई। इस आधार पर ही यह नहीं माना जा सकता था कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकारों ने सभी अलग-अलग राज्यों में बहुमत खो दिया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अलग-अलग विधान सभाओं में बहुमत रखने वाली निर्वाचित सरकारें एकदम बर्खास्त की गई थीं। मैं प्रो० दंडवते को चुनौती देता हूं कि वह मेरी बात का खंडन करें। श्री देवराज अर्स का बहुमत था और उन्होंने वर्ष 1977 में तीन दिन का समय मांगा था। उन्होंने विधान सभा का सत्र भी बुलाया था। उन्होंने इतना ही समय मांगा था जिसके लिए आप अब दलील दे रहे हैं लेकिन उस समय गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। कल्पना कीजिए कभी-कभी शैतान भी, जब वह धार्मिक ग्रंथों को उद्धृत करता है, सम्मानजनक व्यक्ति दिखाई देता है लेकिन ऐसे मामलों में, तत्कालीन गृह मंत्री, चौधरी चरण सिंह, बहुत बेनकाब हुए। उन्होंने दो दिन के लिए भी इन्तजार करने की शिष्टता नहीं दिखाई और अर्स सरकार को बर्खास्त कर दिया। इसी प्रकार नौ राज्य सरकारें बर्खास्त की गईं। जब आप इन गिने-चुने उदाहरणों की बात करते हैं तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि आपने विगत काल में क्या किया है। यदि इस देश में लोकतंत्र है, यदि भारत के लोग अपना सिर ऊंचा उठा कर चलते हैं, यदि एक स्वतंत्र और स्वाधीन जाति का होने के लिए भारतीय गर्व महसूस करते हैं तो इसका श्रेय कांग्रेस और इसके नेताओं को जाता है न कि ऐसे व्यक्तियों को जो अब इस देश में आतंकवादी ताकतों के पंचमांग के रूप में कार्य कर रहे हैं। मैं दोबारा कहना चाहता हूं कि इस देश को

मालूम होना चाहिए कि विपक्षी एकता का समग्र प्रभाव क्या है और वे आजकल क्या कर रहे हैं चाहे यह पंजाब है अथवा जम्मू तथा कश्मीर। वे ऐसे व्यक्तियों के लिए झूठे आंसू बहा रहे हैं जिन्होंने पंजाब उग्रवादियों, जम्मू तथा काश्मीर में अकाली उग्रवादी और जम्मू तथा काश्मीर का मुक्ति मोर्चा के कारनामों को बढ़ावा दिया और इन्हें संगठित किया। (**व्यवधान**) वह अविश्वसनीय व्यक्ति लोकतंत्र के संरक्षक हैं··· (**व्यवधान**) अतः मेरा कहना है कि आपने बुद्धिमत्ता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है लेकिन जब मैं दंडवते के इस नकली कार्य-निष्पादन को देख रहा था तो वास्तव में मैं दुःख महसूस कर रहा था क्योंकि उनका हृदय इस मामले में नहीं था तथा उनका कार्य-निष्पादन इतना भावशून्य था क्योंकि उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ नहीं बोला था। अतः अब समग्र स्थिति अस्थिरता लाने के लिए है। विपक्ष के नेतृत्व में अराजकता की शक्तियां इकट्ठी हो गई हैं और यह स्थिरता तथा लोकतंत्र के लिए खतरा है। अतः मैं समर्थन करता हूं कि इस प्रस्ताव को अपेक्षित अवमान के साथ नामंजूर किया जाये।

(**व्यवधान**)[illegible]

अध्यक्ष महोदय : मैंने इनमें से किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है।

अब श्री राम जेठमलानी। कृपया स्वयं को मूल बातों तक ही सीमित रखें।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, आन्ध्र प्रदेश के अपदस्थ मुख्य मंत्री के समान मुझे भी आज नर्सिंग होम में होना चाहिए था।

एक माननीय सदस्य : कृपया चले जायें।

श्री राम जेठमलानी : मैं चला जाऊंगा, मैं यहां पर अपने डाक्टर की सलाह के खिलाफ आया हूं। मेरे डाक्टरों का विचार है कि मैं यहां पर आज बोलकर अपनी अन्तिम इच्छा और वसीयतनामा ही बता सकता हूं। लेकिन 31 जुलाई की चर्चा किये गये मामले की तुलना में यह मामला इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि अपने निर्वाचन-क्षेत्र, इस सदन तथा अन्ततः राष्ट्र के प्रति कर्तव्य मुझे बाध्य करता है कि मैं आजकल की समस्याओं पर अपना मत व्यक्त करूं।

महोदय, मेरी इच्छा किसी व्यक्ति पर कीचड़ उछालने की नहीं है। न ही मैं किसी महान नेता के राजनीतिक पूर्व वृत्त का उल्लेख करने की इच्छा रखता हूं। कभी-कभी किसी राजनीतिक पूर्व वृत्त का बिलकुल न होना बेहतर होता है।

[illegible]कार्यवाही-वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, मेरे विचार से इस बारे में तीन प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला प्रश्न जो उत्पन्न होता है : क्या कानून और संविधान की परम्पराओं के अनुसार राज्यपाल की कार्यवाही उचित तथा वैध थी ? यदि पहले प्रश्न का उत्तर नकारात्मक है—और मैं उन सदस्यों की संतुष्टि के लिए कहना चाहता हूं कि इसका उत्तर मात्र नकारात्मक ही हो सकता है—तो दूसरा प्रश्न जो निःसंदेह उत्पन्न होता है क्या कांग्रेस पार्टी के विशिष्ट नेता के नेतृत्व में केन्द्रीय सरकार इस मामले में सहयोगी है जिसे मैं इस देश के इतिहास में एक गंभीर संवैधानिक अपराध मानता हूं। महोदय, स्वभावतया तीसरा प्रश्न जो उत्पन्न होता है, यदि यह सदन और मेरे विचार से इसे इस देश के भविष्य के बारे में यह चिंता है कि इस गंभीर गलती, जो की गई है, को ठीक करने के लिए क्या किया जाना चाहिये।

महोदय, राज्यपाल की कार्यवाही के औचित्य के बारे में बोलते हुए मेरे विचार से इसके लिए किसी बड़े स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं है। विधायकों की संख्या का तर्क अन्तिम रूप से इस समस्या पर प्रकाश डालता है। मुझे श्री भगत ने बताया था कि हैदराबाद में मौजूद रहने वाले विधायकों की संख्या और दिल्ली में मौजूद रहने वाले विधायकों की संख्या जोड़ने पर यह संख्या विधान सभा की कुल विधायक संख्या से अधिक है। महोदय, इसका उत्तर यही हो सकता है कि महान राष्ट्रपति जैलसिंह स्वयं इस वास्तविकता और उनके समक्ष लाये गये विधायकों की सही पहचान का पता लगा सकते हैं।

(व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : किस प्रकार ?

श्री राम जेठमलानी : लेकिन महोदय इसका उत्तर है और श्री भगत द्वारा रखे गये इस विरोधाभास का संभवतया उत्तर है कि यदि दस्तावेज और पहचान-पत्र जाली हो सकते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानव भी दोहरे हो सकते हैं। इस सच्चाई का शीघ्र पता लग जायेगा और मेरे विचार से इसे लम्बे अर्से तक नहीं छिपाया जा सकता। लेकिन मुझे संदेह है—जिससे कि मैं इस सदन के साथ सहमत हूं—कि यदि विधायकों की संख्या का खेल राज्यपाल की कार्यवाही के पक्ष में होता तो कांग्रेस पार्टी ने राज्यपाल की कार्यवाही की सराहना की होती, प्रधान मंत्री इस पर गर्व करतीं। और इस बात से ही कि कल से सरकार के प्रभाव के अधीन समाचार-पत्रों ने प्रधान मंत्री को इस गंभीर अपराध से अलग करना शुरू कर दिया है, पता चलता है कि कम से कम वे जो कुछ हुआ है उस पर गुप्त रूप से शर्मिन्दगी महसूस करते हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : आपका आक्षेप पूरी तरह से निराधार है।

श्री राम जेठमलानी : विधायकों की संख्या के खेल के अतिरिक्त, जिस पर, जैसा कि मैंने कहा है, तथ्यों के इस प्रकार के मतभेद हो सकते हैं, मैं एक गंभीर प्रश्न पर विचार करना चाहता हूं। वह प्रश्न भी दूसरी समस्या से जुड़ा हुआ है—राज्य स्तर पर जो कुछ हुआ है क्या उसके लिए केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी है ?

31 जुलाई को व्यक्त किये गये विचारों के लिये मैं माननीय मंत्री जी को दोषी ठहराऊंगा जिनसे न सिर्फ संविधान का अतिक्रमण हुआ है परन्तु जो आन्ध्र प्रदेश में हुई इस गम्भीर संवैधानिक घटना के लिये भी सीधे जिम्मेदार हैं।

महोदय, प्रधान मंत्री जी जब यह कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ उन्हें उसके बारे में जानकारी नहीं थी तो मैं उनके इस कथन को सहर्ष ही स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। जो कुछ उन्होंने कहा, उसका खण्डन करने के लिए मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है। आखिरकार, देश की प्रधान मंत्री अनेक कार्यों में व्यस्त हो सकती हैं और अगर प्रधान मंत्री औपचारिक रूप में सदन में आकर यह कहती हैं कि 'मुझे नहीं मालूम था कि यह हो रहा था।' जब तक मुझे इसका निश्चित प्रतिकूल प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक मेरा प्रधानमंत्री के पद की अवमानना करने का कोई इरादा नहीं है। मैं यह भी नहीं कहता कि उन्होंने इस विषय में झूठी बात कही है, परन्तु एक बात निश्चित है कि जब एक मंत्रिमंडल का मंत्री कानून के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जब सरकार का मंत्री राज्यपाल की भूमिका, शक्तियों एवं दायित्वों के बारे में एक निश्चित सिद्धान्त प्रस्तुत करता है तो मंत्रिमंडल तथा देश की प्रधान मंत्री के यही विचार हैं और अगर इन विचारों से प्रत्यक्षत: लोकतंत्र तथा संविधान का हनन होता है तो आन्ध्र-प्रदेश में जो कुछ हुआ हैं उसके लिए प्रधान मंत्री समेत देश का सारा मंत्रिमंडल उत्तरदायी है।

महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री को उस बात की याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने 31 जुलाई को कही थी। उन्होंने 31 जुलाई को कहा था :

> "जम्मू और कश्मीर में हथियारों से लैस और नारे लगाने वाले कुछ व्यक्ति लोगों को डराने-धमकाने के लिए कुछ भी कर सकते थे। केन्द्र-सरकार इस गड़बड़ी को राज्यपाल के माध्यम से रोकना चाहती थी। केन्द्र जम्मू और कश्मीर में पंजाब जैसी गम्भीर स्थिति पैदा नहीं होने देना चाहता था।"

गृह मंत्री जी के लम्बे वक्तव्य में से ये सिर्फ दो छोटे उद्धरण हैं। इससे पता चलता है कि माननीय मंत्री जी ने सीधे ही जम्मू कश्मीर में की गई कार्यवाही के लिये सहमति दी, प्रेरित किया एवं आदेश दिया। अगर केन्द्र सरकार के कहने पर राज्य स्तर के मंत्रिमंडल की बर्खास्तगी के बारे

में राज्यपाल कार्यवाही करता है जैसा कि जम्मू और कश्मीर के मामले में 31 जुलाई को गृह मंत्री जी ने स्वीकार किया था, यह विश्वास करना कठिन है कि जो कुछ भी आंध्र प्रदेश में हुआ वह केन्द्र सरकार की जानकारी एवं पूर्ण सहमति के बिना हुआ है।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : इस समय मैं आपका सहयोग चाहता हूं। मेरे पूरे भाषण को उद्धृत करना होगा। बिना संदर्भ के एक या दो वाक्य पढ़ने से काम नहीं चलेगा।

श्री राम जेठमलानी : अगर मैं आपका पूरा भाषण पढ़ूंगा, तो इसमें समय लगेगा।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैं इसे पढ़ सकता हूं। परन्तु बात सिर्फ यह है कि मुझे आपसे ऐसा करने की आशा नहीं है।

श्री राम जेठमलानी : मैं बिना संदर्भ के उद्धृत नहीं करता। मै किसी एक वाक्य का अर्थ नहीं लेता। यह संदर्भ से बाहर है। यह आपका अभिप्राय नहीं था और इस विशेष वाक्य का अर्थ संदर्भ के साथ या संदर्भ के बिना एक ही है जो कि इसका अर्थ है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप वाक्य बोलिये और वह बतायेंगे कि उसका क्या अर्थ है।

श्री राम जेठमलानी : पिछले अवसर पर संवैधानिक स्थिति पर बोलने के पश्चात्, मेरे माननीय मित्र श्री अशोक सेन इस सभा में और विधि परिषद में बोले और उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय का हवाला दिया। उनके अनुसार राज्यपाल ने जो कुछ जम्मू और कश्मीर में किया ऐसा करना राज्यपाल के लिये हमेशा मुमकिन है और राज्यपाल किसी भी तरीके से अथवा किसी भी परिस्थिति में मुख्य मंत्री अथवा मंत्रिमंडल सरकार से सलाह लेने के लिए बाध्य नहीं है, जिसने उसकी राय में विधान-सभा में बहुमत खो दिया है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया समाप्त करिये। जल्दी कीजिये।

श्री राम जेठमलानी : कृपया आप देखिये क्या हो गया है। मैं अपने सहयोगियों का थोड़ा समय लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अगर आपके सहयोगी अनुमति दें।

(व्यवधान)

श्री राम जेठमलानी : गृह मंत्री ने कहा कि वर्तमान दृष्टिकोण ही आंध्र प्रदेश की घटना के लिए सीधे उत्तरदायी है उन्होंने कहा :

"कि राज्यपाल को संविधान निर्माताओं ने असीमित विवेकाधिकार दिये हैं यदि वह इस बात से संतुष्ट हैं कि विधान सभा में सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं है तो वह इसे बर्खास्त करने के लिये अपने अधिकार का प्रयोग कर सकता है।"

अपने गलत और सर्वथा अव्यावहारिक तर्क के समर्थन में माननीय गृह मंत्री ने डा० अम्बेडकर का उल्लेख किया।

उस दिन गृह मंत्री सबसे अंत में बोल रहे थे अतः उनकी बात का खण्डन करने का अवसर नहीं मिला।

अध्यक्ष महोदय : क्या उस वाद-विवाद का उत्तर आप अब दे रहे हैं ?

श्री राम जेठमलानी : जी नहीं, राज्यपालों के लिए भविष्य में क्या नीति तय होनी चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : समूचे वाद-विवाद में यही एक प्रमुख मुद्दा है कि राज्यपाल विवेकाधिकार का इस्तेमाल किस तरह से करे।

अध्यक्ष महोदय : क्या उसका इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध है।

श्री राम जेठमलानी : हमारे संविधान में दिए गए उपबन्धों के अनुसार किसी राज्य के राज्यपाल को यह अधिकार नहीं है कि वे केवल हस्ताक्षर देखकर, राज भवन में लोगों से मिलकर अथवा किसी नेता के प्रति वह निष्ठावान है यह जानकर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुख्य मन्त्री या सरकार में सभा का विश्वास नहीं रहा है। मुख्य मंत्री अपने दल की स्थिति को भली प्रकार जानता है और यदि वह यह अनुभव करता है कि उसके समर्थक उसका साथ छोड़ चुके हैं तो वह राज्यपाल के समक्ष जाकर यह कह सकता है कि मुझे बहुमत हासिल नहीं है और मैं पद त्याग करना चाहता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री यह आग्रह कर सकता है "कि मैं पद त्याग नहीं करूंगा।" विधान सभा में मुझे बहुमत सिद्ध करने के लिये अवसर मिलना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : 1977 में क्या हुआ ? (**व्यवधान**)

श्री राम जेठमलानी : जो व्यक्ति देश में शासन व्यवस्था के लिये उत्तरदायी है, जो व्यक्ति संविधान का साधारण ज्ञान भी रखता है वह जब तक कि उसने शिवा राव द्वारा लिखिल प्रसिद्ध पुस्तक 'फ्रेमिंग आफ दी इण्डियाज कान्सटिट्यूशन' (भारत के संविधान का निर्माण) के पांच खण्डों

का अध्ययन नहीं किया है तब तक इस प्रकार का दावा नहीं कर सकता है। यह तो एक बाइबिल है।

मैं लम्बी चर्चा के पश्चात् पृष्ठ 401 पर दिये गये निष्कर्ष की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :

> "यह उल्लेखनीय है कि जब विवेकाधिकार प्रदत्त करने वाले विभिन्न अनुच्छेदों पर विचार शुरू हुआ तो प्रारूपण समिति ने ऐसी अपेक्षाओं को हटाने के लिए कुछ संशोधन करने का सुझाव दिया कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करेगा। इसके फलस्वरूप अंतिम रूप से यथा स्वीकृत संविधान में प्रशासन के सम्पूर्ण क्षेत्र में राज्यपाल की किसी स्वविवेकी शक्तियों के बिना पूर्व शासकीय उत्तरदायित्व समझा गया। मंत्रियों पर निर्भर न रहकर स्वतंत्र रूप में राज्यपाल असम के कतिपय आदिवासी क्षेत्रों और इसी प्रकार के अन्य मामलों में ही कार्यवाही कर सकता है।"

यदि आप पिछले पृष्ठ का अध्ययन करें, मैं उसे नहीं पढ़ रहा हूं, मैं तो कम से कम पृष्ठ 395 से पढ़ूंगा, क्योंकि गृह मंत्री द्वारा डा० अम्बेडकर का उद्धरण देने पर उन्होंने परलोक में भी विकलता अनुभव की होगी। संशोधनों पर बहस में भाग लेते हुए प्रारूपण समिति की ओर से डा० अम्बेडकर ने कहा :

> "प्रान्तीय संविधान में बताये गये सिद्धांतों के अनुसार राज्यपाल से अपेक्षा की जाती है कि वह सब मामलों में अपनी सरकार का परामर्श स्वीकार करें और वह ऐसा कोई कार्य न करें जिस पर उसे अपने विवेक का प्रयोग करने अथवा अपना व्यक्तिगत निर्णय करने की कोई आवश्यकता हो।"

इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए प्रारूपण समिति ने यह अनुभव किया कि राज्यपाल के लिए निर्वाचन पद्धति आवश्यक नहीं है, क्योंकि इसमें काफी खर्च होगा और अनेक कठिनाइयां उत्पन्न होंगी, क्योंकि राज्यपाल का पद केवल आलंकारिक है।

4.00 म० प०

संविधान में राज्यपाल का पद केवल आलंकारिक ही समझा गया है। इसकी आवश्यकता उस समय होती है जबकि किसी व्यक्ति को विधान सभा में वास्तव में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। इसका कारण यह है कि संविधान के अनुसार मंत्रिपरिषद विधान-मण्डल के प्रति उत्तरदायी है। विधानमण्डल की अभिव्यक्ति व्यक्ति से नहीं है। विधान-मण्डल की अभिव्यक्ति हस्ताक्षर या निजी

पत्र नहीं है। जाली हस्ताक्षर और राजभवन में आयोजित परेड विधान-मण्डल की अभिव्यक्ति नहीं है।

मुझे खेद है कि पिछली बार मेरे माननीय मित्र श्री सेन ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय की चर्चा करते हुए कहा, "नहीं, कलकत्ता उच्च न्यायालय का निर्णय इस प्रकार है। उस समय मैंने उनसे कहा था कि उन्होंने कलकत्ता के इस निर्णय को पूरी तरह नहीं पढ़ा है। किन्तु उस समय निर्णय की प्रति मेरे पास नहीं थी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मामले को साफ तौर पर रखा था। जिसकी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने **ट्रिब्यून** में प्रकाशित अपने लेख में चर्चा की थी, किन्तु मत विभाजन का उन्होंने उल्लेख नहीं किया था। राज्यपाल ने वहां मुख्य मंत्री से कहा, "कृपया विधान सभा की बैठक आयोजित कर अपना बहुमत सिद्ध कीजिए।" मुख्य मंत्री ने विधान-सभा का सत्र बुलाने और बहुमत सिद्ध करने से इन्कार कर दिया था। उस स्थिति में राज्यपाल ने कार्यवाही कर मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया। अतः जो भी न्यायिक पूर्व उदाहरण उपलब्ध हैं उससे यही सिद्ध होता है कि विधान सभा में ही बहुमत सिद्ध करने का नियम है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति से यह कहा गया कि आप विधान-सभा बुलाकर अपना बहुमत सिद्ध करिये और यदि वह इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है तो इसका निष्कर्ष यह है कि वह विधान-सभा में बहुमत सिद्ध करने की स्थिति में नहीं है। इस सम्बन्ध में अन्य दो प्रश्नों का संक्षेप में उल्लेख करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिये।

प्रो० के० के० तिवारी : वह बात को घुमा-फिराकर कह रहे हैं।

श्री राम जेठमलानी : आज मैंने प्रधान मंत्री को सुना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह देखना मेरा कर्त्तव्य है।

श्री राम जेठमलानी : हम अपना समय समायोजित कर लेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं अपने उत्तर के भाषण को छोटा कर दूंगा। उनका भाषण सुनना सदन के लिए हर्षप्रद होगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी सहायता कीजिए। आप मेरी स्थिति को नहीं समझते हैं। मैं भी मजबूर हूं। आप मेरी स्थिति को भी समझने की कोशिश करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : यह मूल महत्व की बात है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। इसे सक्षेप में कहकर समाप्त किया जा सकता है। आपने ही मुझे समय दिया है। मैंने समय नहीं दिया है। सारा बोझ मुझ पर डालने का प्रयास न करें। मेरा बोझ हल्का कीजिए। मैं जितना बोझ उठा सकता हूं, उससे कहीं अधिक उठा रहा हूं। मुझे अपने साथ भी न्याय करने दीजिए।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मुझसे निष्पक्षता बरतिए, मैं पांच मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब तक आपको 20 मिनट दे चुका हूं।

श्री राम जेठमलानी : अब श्रीमन्, मैंने कहा है कि जो कुछ हुआ है, क्या उसके लिए केन्द्र सरकार उत्तरदायी है ? मैं अपनी स्थिति पर पूर्ववत् कायम हूं कि जैसा कि आपने स्वयं स्वीकार किया है कि जम्मू एवं काश्मीर की कार्यवाही केन्द्र सरकार की पूर्ण जानकारी, सहमति तथा हिदायत पर हुई है। इस बात पर विश्वास करने के लिए कोई कारण नहीं है कि ऐसा अन्यथा हुआ है। परन्तु जैसा कि मैं एक बार पहले भी कह चुका हूं, मैं इससे भी आगे कहने को तैयार हूं।

प्रो० के० के० तिवारी : आप यही कहना चाहते थे। **(व्यवधान)**

श्री राम जेठमलानी : मैं कह चुका हूं कि मैं प्रधान मंत्री के बारे में यह नहीं कहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे पर गलत बयान दिया है। जो घटना घटी है, यदि वह सांवैधानिक अपराध है, तो इस मामले को मैं चोरी का मामला कहूंगा। ऐसा इसलिए कि आपने किसी के समर्थकों को अपनी ओर कर लिया, उनसे दल-बदल करवाया और सरकार बना ली। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी तथा केन्द्र सरकार को राजनीतिक चोरी करने के अपराध में सह-अपराधी होने से मुक्त करने को तैयार हूं। लेकिन एक और अपराध है जिससे मैं उन्हें दोष-मुक्त नहीं कर सकता। एक और अपराध है जो चोरी के अपराध से सम्बन्धित है और यह अपराध चुराई हुई सम्पत्ति को प्राप्त करने का है। मैं उन्हें धारा 380 से दोषमुक्त करता हूं। लेकिन, धारा 411 का क्या होगा ? उन्हें इस राजनीतिक चोरी का लाभ मिला है; उन्हें एक दल-बदलू मुख्य मंत्री तथा सत्ता मिली है। अब वे उससे गठबंधन किए हुए हैं; वे उसका समर्थन कर रहे हैं, वे उसे सत्ता में बने रहने के लिए सहायता कर रहे हैं। यदि वे सह-अपराधी नहीं हैं, यदि वे कृत्य से पूर्व सहायक नहीं हैं, तो उन्हें दोषमुक्त किया जा सकता है। लेकिन कृत्य के उपरान्त सहायक होने के कारण, और यदि वे कृत्य के उपरान्त सहायक हैं तो नैतिक और आचारिक तौर पर वे उतने ही अपराधी हैं जैसे कि उन्होंने मूल रूप से कृत्य के लिए उकसाया हो।

तीसरा प्रश्न यह है : क्या किया जाए ? यदि उनकी आत्मा साफ है और आन्ध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ है, उसके लिए वे वास्तव में लज्जित हैं—यदि वे लज्जित नहीं हैं तो हम उनके ऊपर ही

छोड़ते हैं, देश की जनता समय आने पर इसका उत्तर देगी—तो वे इस गलती को सुधार सकते हैं। यदि वे अपने दल तथा प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को पुनः कायम करना चाहते हैं, तो कृपया एन० टी० आर० को नर्सिंग होम से लाकर मुख्यमंत्री के पद पर बहाल कीजिए। और श्री रामलाल नामक इस व्यक्ति को पद से हटा दें। यह व्यक्ति नैतिक कुष्ठ-रोगी है और यह नैतिक कुष्ठ-रोगी सारे देश में राजनैतिक कुष्ठ-रोग फैलाएगा, और जब तक इस कुष्ठ-रोग को समाप्त नहीं किया जाता, वे इसके शिकार होते रहेंगे।

मेरा अन्तिम वाक्य यह है कि भविष्य में राज्यपालों का चुनाव करते समय कृपया संदिग्ध पूर्ववृत वाले व्यक्तियों को न लें। श्री राम लाल ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने जीवन काल में चार बार अपना नाम बदला है और वह ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विरुद्ध आजकल न्यायिक जांच चल रही है। कृपया ऐसे राज्यपालों की नियुक्ति करें जो पद को कुछ प्रतिष्ठा प्रदान कर सकें तथा जो संविधान की भलि-भांति रक्षा कर सकें।

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : अध्यक्ष महोदय, आंध्र प्रदेश में नेतृत्व संकट है। इस बात को सभी स्वीकार करते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में स्थिति में तभी परिवर्तन हुआ जब पार्टी नेता श्री एन० टी० रामा राव अमरीका से हैदराबाद लौटे। उनके हैदराबाद पहुंचने के कुछ ही घंटों के भीतर उन्होंने अपने एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया और तदुपरान्त स्थिति उस समय तीव्र गति से बदली जब तीन मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिया और कई विधायकों के साथ दल-बदल कर गए। यह समझने के लिए कि वहां क्या हो रहा है, किसी के पास समय नहीं था। इसके लिए न तो कांग्रेस पार्टी और न ही केन्द्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि यह दल के भीतर ही उसके नेता के साथ मतभेद है।

प्रस्ताव पेश करते हुए प्रो० मधु दण्डवते ने हमारे दल से टूटकर दूसरी ओर जाने वाले एक सदस्य की बड़ी प्रशंसा की थी। जब तेलगू देशम दल के चार मंत्री तथा बहुत से निर्वाचित विधायक एन० टी० आर० के किस्म के प्रजातन्त्र से न निभा पाने के कारण उस दल को छोड़कर चले गए थे, उस समय उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा था। मैं नहीं जानता कि क्या विपक्षी नेता एन० टी० आर० किस्म के लोकतंत्र का समर्थन कर रहे हैं। जो एन० टी० आर० के दल तथा प्रशासन चलाने के ढंग का समर्थन नहीं करते, वे लोकतंत्र को बचाने तथा वहां की स्थिति को बिगड़ने से रोकने व राज्य में आर्थिक प्रगति को बनाए रखने के लिए दल से बाहर आ गए। मैं इस मामले के विपक्ष के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाया हूं।

यहां एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसका कि व्यापक प्रचार हुआ है, यह है कि जब दल के निर्वाचित प्रतिनिधि, जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, उन लोकतांत्रिक मूल्यों तथा सिद्धान्तों की रक्षा

नहीं कर सके जिनके लिए दल का गठन किया गया था, तो वे दल से टूटकर अलग हो गए। वास्तव में मैं उस समय हैदराबाद में व्यक्तिगत रूप से मौजूद था और मैं दल के पदाधिकारियों में से एक था और मुझे यह ठीक-ठीक पता नहीं चल पाया कि वहां क्या हो रहा है, क्योंकि स्थिति इतनी तेजी से बदली और यह बात स्पष्ट रूप से स्वीकार करनी होगी। दल में कुछ मतभेद चल रहे थे। हम यह जानते हैं। हमें यह कभी आशा नहीं थी कि एन० टी० आर० के आन्ध्र प्रदेश लौटते ही ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी, उनके लौटते ही दल का सीधा विभाजन हो गया और स्थिति तेजी से बदलने लगी। उस समय 15 तारीख को सुबह साढ़े आठ बजे श्री भास्कर राव राज्यपाल से मिले और स्वयं को मिलाकर अपने दल के ५1 विधायक पेश किए और यह तथ्य किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, सरकारी सचेतक ने सत्यापित किया है, जिसने यह बात लिखित रूप में राज्यपाल को दी थी। तदुपरान्त, उसने कांग्रेस पार्टी से सम्पर्क किया। तब जाकर हमारी स्थानीय पार्टी ने समर्थन दिया।

प्रो० मधु दण्डवते कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहे थे। वास्तव में, मैं नहीं जानता कि उन्हें याद है या नहीं। यह प्रो० मधु दण्डवते की पार्टी अलग होने वाली पार्टी ही थी जिसने श्री चरण सिंह के माध्यम से हमारा समर्थन मांगा, जो श्रीमती गांधी को गिरफ्तार करने के लिए जिम्मेदार थे और कुछ समय बाद उन्होंने ही श्रीमती गांधी के आगे सहायता के लिए हाथ फैलाया। और यह केवल प्रो० मधु दण्डवते की अलग हुई पार्टी ही थी, जो उस समय हमारा समर्थन मांग रही थी। इसलिए, दरअसल यह राजनैतिक मानदण्डों के अनुसार ही है। जब भी संकट होता है, जब भी राज्यपाल सांविधानिक प्रावधान से संतुष्ट होता है तो वह उन दलों का नाम पूछता है जो समर्थन देने वाले हैं और यह तथ्य स्पष्ट रूप से प्रतिष्ठापित हो चुका है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हम राज्यपाल के कार्यों की जिम्मदारी नहीं ले रहे हैं। हमारे राज्यपाल ने जो कार्यवाही की है वह पूर्णतया संविधान के उपबन्धों के अनुरूप है। संविधान में यह स्पष्ट कहा गया है :—

> "यदि राज्यपाल ऐसे दल से संतुष्ट है जो स्थायी सरकार बना सकता है तो वह उस दल के नेता को सरकार बनाने के लिए आमन्त्रित कर सकता है।"

प्रो० मधु दण्डवते ने ऐसे उदाहरणों की सूची प्रस्तुत की है जिनमें राज्यपालों ने कार्यवाही की है। मैं नहीं जानता कि क्या वह वास्तव में सांविधानिक परिवर्तन चाहते हैं। यदि विपक्ष वास्तव में यह चाहता है कि संकट के दौरान राज्यपाल उस दल के नेता का परामर्श करने के बाद ही कार्यवाही कर सकता है जिसने अपने ही दल का समर्थन खो दिया हो, तो यह संविधान में उचित संशोधन करने के बाद ही किया जा सकता है। इस समय संविधान में यह उपबन्ध नहीं है और क्या वे संविधान में यह उपबन्ध चाहते हैं ? तब वास्तव में हुआ यह कि शपथ-ग्रहण समारोह की

समाप्ति के बाद, जब श्री भास्कर राव के समर्थक गलियों और यहां तक कि राज्यपाल के घर के अहाते में मुक्तरूप से घूम रहे थे, तब पांच विधायकों को रामा राव ग्रुप में ले जाया गया। उन्हें एक फिल्म स्टूडियो में बंद कर दिया गया। स्टूडियो से निकल भागने में सफल हुए एक विधायक द्वारा एक वक्तव्य दिया गया है। मैं उनके पत्र से उद्धरण दे रहा हूं

> "मुझे जबरदस्ती स्टूडियो में बंद कर दिया गया और ऐसा हमारे द्वारा गिरफ्तारियां दिए जाने के बाद किया गया।"

यह एक महत्वपूर्ण बात है जिस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उस विधायक ने एन० टी० रामा राव का समर्थन किया और गिरफ्तारी दी। वास्तव में जिन विधायकों ने एन० टी० रामा राव का समर्थन किया उन्हें स्टूडियो ले जाया गया और उन्हें हर तरह से धमकियां दी गईं और उन्हें वास्तव में नजरबंद किया गया और इसलिए, उनमें से कुछ विधायक बाहर आए और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने यह भी कहा कि स्टूडियो में कई अन्य कई विधायकों की भी दशा वैसी ही है। उसके अतिरिक्त समाचार-पत्र हिंदू ने भी कहा है कि मंत्रियों और विधायकों की दशा बहुत ही शोचनीय है। उन्हें हर तरह से धमकियां दी गईं जो निर्वाचित श्री भास्कर राव का समर्थन करना चाहते थे, उनकी संपत्तियां जला दी गईं। विपक्ष इस तरह के लोकतंत्र के समर्थन करना चाहते हैं और वास्तव में विपक्ष के एक सदस्य ने आज सुबह निजी तौर पर मुझसे बात की। मैं उनका नाम बताना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि "काश्मीर तथा पंजाब हमारे नाजुक क्षेत्र हैं। अब हम एक काम करना चाहते हैं और हम उसका राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।" लेकिन वह भी बहुत नाजुक बात है क्योंकि जनता के समक्ष वास्तविक स्थिति को तोड़ मरोड़ कर बताया गया। तेलगू देशम पार्टी की फूट में, इसकी बर्खास्तगी में हमारा कोई हाथ नहीं है और न ही उनके द्वारा त्याग-पत्र दिए जाने और इस दल के कुछ विधायकों के पार्टी से निकल जाने के लिए हम जिम्मेदार हैं। जनसंचार माध्यम वास्तविक स्थिति और तथ्यों को लोगों के समक्ष तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है और इससे भ्रम पैदा हो गया। किसी ने कहा कि यह युद्ध है। यह युद्ध नहीं है, यह रामा राव सरकार और रामा राव दल के विरुद्ध लड़ाई है और जनता द्वारा व्यक्त की गई प्रतिक्रिया से आप सब कुछ समझ सकते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि वहां भारतीय जनता पार्टी और सी० पी० आई०, जो कि यह तमाशा कर रहे हैं, को छोड़कर लोगों में विशेषकर कमजोर वर्ग बहुत खुश है। वास्तव में वे इस स्थिति का लाभ उठाना चाहते हैं। दुर्भाग्य से इसके नेता रामा राव बीमार पड़ गए। वह चलने-फिरने में समर्थ नही हैं। डाक्टरों ने उन्हें सुझाव दिया है कि वह हिलें-डुलें नहीं। फिर भी विपक्षी नेता उन्हें यहां ला रहे हैं। उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद वे उन्हें यहां ला रहे हैं।

चिकमंगलूर चुनाव में एक महिला मारी गई थी। श्री जार्ज फर्नांडीस के वोट प्राप्त करने के उद्देश्य से गलियों में उनकी लाश ले जाकर एक जुलूस निकला। उनका विचार था कि लोग उन्हें वोट देंगे। लेकिन उन्हें बदले में तमाचा मारा गया। इन लोगों के साथ भी ऐसा होने जा रहा है क्योंकि हर जगह, हर अवसर पर, हर प्रश्न पर वे राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। इससे राजनीतिक गतिविधियों में उनकी अत्याधिक कुंठा का पता चलता है। आंध्र प्रदेश में जो कुछ हुआ वह जनता तथा तेलगू देशम पार्टी के विधायकों की लोकतांत्रिक लहर है।

श्री राम लाल, जिनकी यहां कुछ सदस्यों द्वारा निंदा की गई है, के बारे में मैं अपनी जानकारी से यही कह सकता हूं कि न्यायाधीश ने, जिनके अनुरोध का तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री राम लाल ने पालन नहीं किया था, उनसे प्रतिशोध लेने का प्रयत्न किया और इसलिए उन्होंने यह पूरी कहानी बनाई। वे जो कह रहे हैं, वह सच नहीं है। यह मनगढ़न्त कहानी है। हमारे दल ने जो कुछ किया है वह लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप है; और राज्यपाल ने जो कुछ किया है वह भी संवैधानिक उपबंधों के अनुरूप है। अब उन्हें अवसर दिया गया है और बहुत जल्दी सदन में बहुमत सिद्ध किया जायेगा। अतः लोकतंत्र को न तो नष्ट किया गया है, न ही उसकी हत्या हुई है और न इसे समाप्त किया गया है। यह उनकी गलत धारणा है। यदि श्री भास्कर राव को समर्थन नहीं मिलता, तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। सत्ता उनके हाथ से निकल जाएगी और फिर सामान्य प्रक्रिया का अनुकरण किया जायेगा। अतः जो कुछ भी किया गया है वह बहुत तरीके से और कानूनी रूप से किया गया है और संविधान के प्रत्येक उपबंध का सम्मान किया गया है। वे जो कुछ भी कह रहे हैं, वह गलत है।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं सभा की राय जानना चाहता हूं ? मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मेरे पास ऐसे सदस्यों की बहुत बड़ी सूची है जो इस विषय पर बोलना चाहते हैं। स्वभावतः आपको उसके लिए समय निकालना होगा। मेरे पास समय नहीं है। आपने मुझे केवल चार घंटे दिए।

श्री हेवमती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : सबसे अधिक समय किसने लिया ?

अध्यक्ष महोदय : शोर शराबे में जो समय व्यर्थ हुआ मैं उसे निकाल दूंगा। सदन में प्रत्येक दल की सदस्य संख्या को देखते हुए मुझे समय देना है। आपने ही मुझे ऐसा करने का अधिकार दिया है। यदि आप मुझे सहयोग नहीं देना चाहते और लोग अधिक से अधिक समय लेंगे तो मैं समय कहां से निकालूंगा ? आपको मेरी सहायता करनी होगी। प्रश्न किए गए हैं और

उन्हें केवल दोहराया जा रहा है। मेरा सुझाव है। आप मुझे अपने दल के तीन व्यक्तियों के नाम दीजिए और वे तीन सदस्य विपक्ष से ले सकते हैं·····

प्रो० मधु दण्डवते : यह बहुत महत्वपूर्ण वाद-विवाद है। हमें इसे आज ही पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना आश्वासन मैं दे सकता हूं। भले ही हमें ज्यादा देर तक बैठना पड़े, यह वाद-विवाद आज ही पूरा कर देना चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : शांति। हमें थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। हमें और काम भी करने हैं। मेरे पास 13 नाम और हैं···(**व्यवधान**)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : आप कृपया शांति से इस पर बिचार कीजिए। क्या बोलने का समय दिए जाने के मामले में दोनों पक्षों को बराबर मानना आपके लिए उचित है ? यहां बहुत से राजनीतिक दल हैं जिनका अपना दृष्टिकोण है, अपने मत हैं। उन्हें यहां कई मंत्रियों के उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त है और कई मंत्रियों ने भाषण दिए हैं। उनसे यह भी अपेक्षा की जाती है कि उनका दृष्टिकोण एक समान हो।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास केवल एक उपाय है और वह है इस सदन के प्रत्येक दल के सदस्यों की संख्या। बास्तव में मैंने सत्तारूढ़ दल का समय काटकर आपको दिया।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आपने जो कुछ कहा हमें उस पर कोई आपत्ति है। यदि हमें यहां समय नहीं मिलता तो हम जनता को अदालत में जाएंगे। वह अन्य मुद्दा है। लेकिन प्रश्न यह है। क्या आप कागजात देखकर मुझे सही-सही बता सकते हैं कि विपक्ष ने कितना समय लिया और सत्तारूढ़ दल ने कितना समय लिया ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी संख्या कम कर दूंगा। आपको जो समय मिलना चाहिए उससे अधिक समय मिलेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : अधिकार उतना ही मिलता है जितना लिखित रूप में स्वीकृत है। लेकिन वास्तव में हमने अधिक समय लिया। उदाहरण के लिए ध्यानाकर्षण में हम केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन हम 10-15 मिनट तक बोले।

अध्यक्ष महोदय : यह मैं आप पर छोड़ता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आज की चर्चा जारी करते हैं और विषय समाप्त करते हैं। कल हमें श्रीलंका जाना है।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभी पार्टियों को मौका मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पार्टियों तो बहुत सारी हैं । एक, एक आदमी की भी पार्टी है ।

श्री रामावतार शास्त्री : सख्ती शुरू से तो आप करते नहीं हैं ।

अध्यक्ष महोदय : 2 की 5 मिनट या 7 की 10 मिनट तो कर सकता हूं । लेकिन जब लोग आधा-आधा घंटा लेते मैं तो कैसे काम चलेगा ।

श्री रामावतार शास्त्री : दो मिनट में तो पोइंट भी रेज नहीं कर सकते हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : आज शाम तक इस पर बहस हो और कल श्रीलंका पर डिबेट कर लीजिये ।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास कल और जरूरी सरकारी बिजनेस है । समय मेरे पास अधिक नहीं है ।

डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेई (सीतापुर) : इस विषय पर यह सब एक हैं ।

प्रो० मधु दंडवते : प्रधान मंत्री के बोलने के बाद, उन्हें और क्या बोलना है । हम उस तरह से तर्क-वितर्क कर सकते हैं । मुझे कहना चाहिए कि प्रधान मंत्री द्वारा बोल चुकने के पश्चात् उस पक्ष के किसी सदस्य का बोलना आवश्यक नहीं । लेकिन मैंने वैसा नहीं कहा है । मैं विभिन्न मत सुनना चाहता हूं ।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : हमने आप सबकी बात सुनी है ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई रास्ता बताइये ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आप यह बता दीजिए कि इतने से कम की पार्टियां होंगी तो उनको समय मिलेगा ही नहीं । समय अलाट करके बता दीजिये किसको 3, 5, 10 मिनट का समय मिलेगा । माननीय भगत जी 32 मिनट बोले ।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी पार्टी के समय में से काट लूंगा । 4 घंटे में से ढाई घंटा कांग्रेस पार्टी का है और डेढ़ घंटा आपका है ।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीलंका की डिबेट आज नहीं कल करें ।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री जी, लंका पर डिबेट कल करेंगे हम। लेकिन कल पहले दूसरा बिजनेस है। थोड़ा सा संयम रखें तो सब काम हो जायेगा। अगर आपका कहना यह है कि श्रीलंका पर बहस कल हो तो पहले सारा आफिशियल बिजनेस जब खत्म हो जायेगा तब फिर श्रीलंका का मामला लेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम श्रीलंका पर विवाद कल रात देर तक करेंगे ऐसा नहीं है कि हम इसे रात को देर से आरंभ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपका सहयोग चाहता हूं। कल सारी सरकारी कार्यवाही समाप्त होने के बाद ही मैं श्रीलंका पर वाद-विवाद आरंभ करूंगा।

प्रो० मधु दंडवते : कल या परसों।

अध्यक्ष महोदय : कल मैं सरकारी कार्य निपटाने जा रहा हूं···

प्रो० मधु दंडवते : हमने आपके इस सुझाव से सहमत हैं कि लंका पर चर्चा परसों होगी।

अध्यक्ष महोदय : नहीं नहीं। कल सारे सरकारी कार्य होने के बाद हम श्रीलंका पर वाद-विवाद आरंभ करेंगे।

प्रो० मधु दंडवते : समस्या उठने पर ही हम इसका समाधान करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी योजना बनाऊंगा और फिर समस्या पर ध्यान देंगे। अब मैं श्री समर मुखर्जी को बुलाता हूं।

समय अनुसार तो आपके पास 14 मिनट हैं, परन्तु मैं आपको 20 मिनट दूंगा।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : इस वाद-विवाद की एक नई पृष्ठ-भूमि है। विवाद का विषय यह है कि क्या एन० टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं।

अब राष्ट्रपति जी के सामने इसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन किया जा रहा है। वे सब यहां पर व्यक्तिगत रूप से आए हैं और इसमें कोई सन्देह नहीं है कि विधान सभा के 163 सदस्यों ने श्री एन० टी० रामाराव के प्रति अपनी पूरी वफादारी और अपना पूरा समर्थन व्यक्त कर दिया है। अतः, इससे साबित हो जाता है कि एन० टी० आर० सरकार का तख्ता पलटने के लिए की गई साजिश में राज्यपाल ने भी भाग लिया और इसमें कांग्रेस (इ) का पूरा हाथ है।

महोदय, यह बहुत ही बेशर्मी की बात है। पहले ही दिन हमने नारा लगाया था कि राज्यपाल को तत्काल बर्खास्त कर देना चाहिए। अगले दिन हमें वही नारा "टाइम्स आफ

इण्डिया" के प्रथम पृष्ठ पर सम्पादकीय में पढ़ने को मिला। इसका अर्थ है, यह केवल हमारी ही मांग नहीं थी। यह हमारे देश की पूर्ण प्रजातंत्रीय जनता की मांग बन गई है। अतः, इस तख्ता पलटने की कार्यवाही के मतलब को हमें पूरी तरह समझ लेना चाहिए।

4.26 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

यह तख्ता पलटने की सामान्य नीति है, जो 1959 में शुरू की गई थी। केरल में इसी प्रधान मंत्री ने—तब वे कांग्रेस की अध्यक्ष थीं—यह तख्ता पलटने का काम शुरू किया था। पहली कोशिश दलबदल के लिए की गई थी, अर्थात विधान सभा के सदस्यों की खरीदारी। परन्तु केरल में वे नहीं खरीद सके क्योंकि यह बहुत कठिन कार्य था। केवल दो सदस्यों के साथ वे बहुमत में थे। फिर भी उन्होंने यह महसूस किया कि इन साम्यवादियों को खरीदा नहीं जा सकता। औरों को खरीदा जा सकता है। इस बात की जांच की गई थी। यही कारण है कि उन्होंने साम्यवादी ताकतों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, सरकार के विरुद्ध आन्दोलन करने के लिए भड़काना शुरू कर दिया। इसे "विमोचन आन्दोलन" की संज्ञा दी गई। उन सभी ने यही नारा लगाया कि साम्यवादी सरकार को हटा देना चाहिए। अतः, यह आन्दोलन तब शुरू किया गया जब श्रीमती इंन्दिरा गांधी कांग्रेस में थीं। उस समय वे कांग्रेस की अध्यक्ष थीं। उस समय कांग्रेस (इ) की कोई सरकार नहीं थी। भारत में अमेरिका के एक राजदूत, श्री मोएनिहन द्वारा लिखी गई पुस्तक से हमें यह यह भी पता चला कि उस समय अमेरिका ने आन्दोलन करने के लिए पैसा देकर सहायता की थी। उस पुस्तक में यह लिखा हुआ है कि कांग्रेस को पैसा दो बार दिया गया—एक बार केरल में साम्यवादी सरकार का तख्ता पलटने के लिए और दूसरी बार 1971 में पश्चिम बंगाल में ताकि सी० पी० एम० को सरकार बनाने से रोका जा सके। आपकी पार्टी ने इस बात से इन्कार किया था। दो वर्ष पूर्व जब मैंने यह प्रश्न उठाया था तो वे सभा में उपस्थित थीं और उन्होंने यह कहकर इस बात से इन्कार किया था कि श्री मोएनिहन मे यह वक्तव्य दिया था कि अमेरिका ने उन्हें वैयक्तिक रूप से पैसा नहीं दिया था। और मैंने भी यह नहीं कहा था कि पैसा उन्हें वैयक्तिक रूप से दिया गया था। परन्तु यह कांग्रेस को दिया था जिसकी वे अध्यक्ष थीं **(व्यवधान)** आज भी प्रधान मंत्री ने अपनी जिम्मेवारी से मुंह फेर लिया है। उन्होंने तकनीकी तर्क भी वही दिया है कि श्री राम लाल उनसे नहीं मिले। अपनी जिम्मेवारी से मुंह फेरने का यह केवल एक तकनीकी तर्क है। परन्तु उन्हें इसकी पूरी जानकारी थी। इसमें कोई शक नहीं है। यह तख्ता पलटने का काम उनकी जानकारी के साथ हुआ है।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : वहां पर आम चुनावों के बाद जनता का क्या मत था ? मैं आपसे स्पष्टीकरण जानने के लिए यह प्रश्न पूछ रहा हूं। **(व्यवधान)**

सभापति महोदय (श्री आर० एस० स्पैरो) : शान्त रहें। शान्त रहें। जब कोई व्यवधान करना है तो कृपया सभापति को सम्बोधित कीजिए। मेरी अनुमति बिना कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(व्यवधान)**

श्री समर मुखर्जी : महोदय, आप सम्पादकीय पढ़ें। पहला सम्पादकीय 'टाइम्स आफ इण्डिया' में छपा था। इसका शीर्षक है "डेन्जरस प्रिसीडेन्ट" (खतरनाक पूर्वोदाहरण)। यहं उन सभी व्यक्तियों द्वारा चेतावनी दी गई थी जो प्रजातन्त्र में विश्वास रखते हैं और जो प्रजातन्त्र के रक्षक हैं। वे इस बारे में इतना महसूस करते हैं कि यह एक पूर्व उदाहरण है अथवा एक ऐसा उदाहरण है कि राज्यपाल को औजार के रूप में प्रयोग करके कांग्रेस (इ) सरकार द्वारा किस प्रकार प्रजातन्त्र की हत्या की जा रही है।

महोदय, जहां तक आंध्र प्रदेश की घटनाओं का संबंध है, उनके बारे में यह एक 15 अगस्त की रिपोर्ट है। उस दिन सुबह 7 बजे केबिनेट की एक खास बैठक हुई। कैबिनेट ने एक संकल्प पारित किया जिसमें राज्यपाल श्री राम लाल को दिनांक 18 अगस्त को विधान सभा का एक आपातकालीन सत्र बुलाने के लिए जोर दिया गया। तब तक श्री एन० टी० रामाराव को बर्खास्त नहीं किया गया था। 15 अगस्त को उन्होंने यह निर्णय लिया था कि 18 तारीख को विधान सभा की बैठक बुलाने के लिए अनुरोध किया जाये। संविधान के अनुसार राज्यपाल मंत्रालय की सलाह को क्रियान्वित करने के लिए बाध्य है परन्तु उसने इसका खुले-आम उल्लंघन किया और 16 तारीख को··· **(व्यवधान)**

श्री तारिफ अनवर (कटिहार) : एन० टी० आर० की जो मीटिंग हुई थी, वह एक इनटर्नल मीटिंग थी। उसने गवर्नर को नहीं कहा था।

श्री समर मुखर्जी : यह एक केबिनेट का निर्णय है और न कि एक आंतरिक बैठक का निर्णय है। केबिनेट का निर्णय 15 ता० को राज्यपाल को सूचित कर दिया गया था। यह पत्र श्री एन० टी० रामाराव ने 16 तारीख को राज्यपाल को लिखा था। मैं इस पत्र को पढ़ रहा हूं :

"मुझे अभी-अभी आपका दिनांक 16 अगस्त, 1984 का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें यह कहा गया है कि मैंने आंध्र विधान सभा में बहुमत का समर्थन खो दिया है। इस गलत मान्यता के आधार पर आपने मुझे त्यागपत्र देने के लिए अनुरोध किया है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि मुझे विधान सभा में बहुमत का समर्थन नहीं प्राप्त होगा तो

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं अंतिम व्यक्ति होऊंगा जो एक दिन के लिए भी मुख्य मंत्री के रूप में काम करता रहूं। मुझे आपका पत्र दोपहर 12 बजे प्राप्त हुआ जबकि विधान सभा के 168 सदस्यों के साथ मेरी प्रैस के समक्ष बैठक चल रही थी। आपने निष्कर्ष निकाला है कि मैंने बहुमत का समर्थन खो दिया है। यह स्पष्ट रूप से विधान सभा के कुछ सदस्यों के जाली हस्ताक्षरों, और कुछ सदस्यों के पररूप धारण के आधार पर है।

"मैंने आपसे प्रार्थना की थी कि मुझे सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए अवसर दिया जाए अथवा आपके सामने विधान सभा के उन सदस्यों को प्रदर्शित करने दिया जाए जो मुझे समर्थन दे रहे हैं, हालांकि सिद्धान्त रूप से मैं इस बात का अनुमोदन नहीं करता। फिर भी आपने मुझे अवसर नहीं दिया है और जाहिर है आपने जाली सामग्री और असंगत विचारों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाला है।

"आपको इस बारे में संतुष्ट करने के लिए मुझे अभी भी सभा में अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त है। मैं अभी ही आपके सामने विधान सभा के सदस्यों का बहुमत सिद्ध करने को तैयार हूं। आप विधान सभा के सचिव को उपस्थित रहने और विधान सभा के सदस्यों की पहचान करने के लिए कह सकते हैं। वे सदस्य आपके सामने पहचान पत्रों के साथ आयेंगे। यदि आप फिर भी यह मानते हैं कि मुझे बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो मैं केवल यही कह सकता हूं कि आप तथ्यों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं और आप सभी प्रजातंत्रीय सिद्धान्तों, संवैधानिक उपबन्धों तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे। मुझे विवश होकर यह निष्कर्ष निकालना पड़ रहा है कि आप केन्द्र में सत्तारूढ़ दल के कहने पर कार्यवाही कर रहे हैं जो सभी गैर-कांग्रेस (इ) सरकारों का तख्ता पलटने के लिए उतारू है।

"क्योंकि मुझे सभा के 294 सदस्यों में से 168 सदस्यों का स्पष्ट बहुमत प्राप्त है, जिनके हस्ताक्षर संलग्न हैं, मुझे खेद है, मैं आपको अपना त्याग पत्र नहीं दे सकता।"

अतः उन्होंने बहुमत का दावा किया। उन्होंने अपना पत्र साढ़े बारह बजे भेजा। इसके बावजूद भी उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया गया। और इस राज्यपाल ने एकपक्षीय रूप से उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया और एक अल्पमत की सरकार को नियुक्त कर दिया जो दलबदलुओं का दल है, जिसकी रचना पैसे के जोर पर केन्द्र में कांग्रेस (इ) दल द्वारा की गई थी ताकि राज्य सरकार का तख्ता पलटा जा सके। महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इसके निहितार्थ पर विचार करें। वर्तमान मुख्य मंत्री का दावा है कि तेलगू देशम दल के 91 सदस्यों ने दल

बदल लिया है। वास्तव में दलबदलुओं की संख्या बहुत कम है। वे विधान सभा में तेलगू देशम के कुल सदस्यों की संख्या का एक छोटा-सा हिस्सा हैं। पिछले चुनावों में आंध्र प्रदेश की जनता ने कांग्रेस (इ) को क्यों अस्वीकार किया। स्पष्ट रूप से इसका अर्थ है कि वे चाहते थे कि राज्य में तेलगू देशम ही सरकार को चलाए।

अतः इस साजिश द्वारा लोकमत को अस्वीकारा जा रहा है। राज्यपाल के पद का प्रयोग करके, चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करके, लोकमत से छल करने के लिए इस प्रकार के दल-बदल करवाना संवैधानिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। जनता की प्रतिक्रिया क्या है? जनता की प्रतिक्रिया है कि उनके द्वारा चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट दिया गया है और कांग्रेस (इ) की सहायता से एक अन्य सरकार थोप दी गई है जिसे पिछले चुनाव में अस्वीकार किया गया था। आप उन व्यक्तियों की सहायता के साथ कांग्रेस (इ) की सरकार थोप रहे हैं जिन्होंने तेलगू देशम दल को छोड़ दिया। आप आंध्र की जनता पर कांग्रेस (इ) सरकार थोपने की नीति अपना रहे हैं और यही कारण है कि जनता ने एक बहुत बड़ी चुनौती को स्वीकार किया है। यह आंध्र की पूर्ण जनता के लिए चुनौती है और उसने इसका उचित उत्तर देने का निर्णय किया है। परन्तु यह केवल आंध्र की जनता का ही प्रश्न नहीं है यह समूचे देश के प्रजातंत्र की रक्षा करने का प्रश्न है। आंध्र की यह घटना ही एक घटना नहीं है। केवल हाल ही में, काश्मीर में, गैर कांग्रेस (इ) सरकार का तख्ता इसी तरह से और इसी ढंग से पलट दिया गया था। परन्तु आंध्र प्रदेश के बारे में प्रधान मंत्री ने यह वक्तव्य दिया है कि श्री राम लाल उनके पास नहीं आये और उनसे नहीं मिले। परन्तु काश्मीर के बारे में क्या कहेंगी? भूतपूर्व राज्यपाल श्री नेहरू ने फारूख सरकार का तख्ता पलटने के विरुद्ध सलाह दी थी। यही कारण है कि राज्यपाल को हटा दिया गया था, और वहां पर एक कठपुतलीनुमा राज्यपाल को भेजा गया था और उस राज्यपाल ने वहां आने से तीन दिन पहले प्रधान मंत्री से सलाह की और प्रधान मंत्री की सलाह के अनुरूप काश्मीर में सरकार का तख्ता पलटने के बारे में योजना बनाई। अतः केन्द्र सरकार की पूरी जानकारी के साथ, सरकारों का तख्ता पलटने का काम चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि अगला लक्ष्य क्या है। प्रत्येक व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है कि अब अगला लक्ष्य कर्नाटक है, फिर पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा, और हमारे कांग्रेस (इ) के नेता खुले आम इन बातों को कह रहे हैं कि इन राज्यों की बारी आ रही है।

पश्चिम बंगाल से कांग्रेस (इ) के दो नेता, जो केबिनेट में हैं, हाल ही में वे वहां गये हैं और उन्होंने धमकी दी है---पहले रेल मंत्री की इच्छा थी कि पश्चिम बंगाल सरकार को, बंगाल की खाड़ी में फेंक दिया जाए। (**व्यवधान**) अब उन्होंने यह कहा है कि वे इस सरकार को किसी

भी हालत में, उसके पूर्ण कार्यकाल तक काम नहीं करने देंगे। और उन्होंने उस बारे में एक चुनौती दी है। इस बारे में सब कुछ समाचार पत्रों में छपा है, परन्तु हो सकता है वे फिर इस सभा में इस बात से इन्कार कर दें। परन्तु उन्होंने बंगाल में सभी असामाजिक तत्वों को भड़काने के लिये इस प्रकार का वक्तव्य दिया है ताकि कानून और व्यवस्था का प्रश्न उठ सके क्योंकि बंगाल में दल-बदल करवाना सम्भव नहीं है। समूचे देश को चिंता हो रही है क्योंकि कांग्रेस (इ) सरकार और प्रधान मंत्री की खुद की यही सामान्य रुचि है कि विपक्षी सरकार का तख्ता पलटा जाये।

उनका प्रमुख नारा है एक देश, एक नेता और एक दल, कोई विरोधी दल नहीं होना चाहिए और हम जानते हैं और हमें गत समय का अनुभव है कि आपात स्थिति की घोषणा किस प्रकार की गई थी। (व्यवधान)। इतिहास की पुनरावृति होगी। आप प्रतीक्षा कीजिए। 1975-76 में आपने आपात स्थिति की घोषणा की थी। आपके लोकतान्त्रिक अधिकार छीन लिए थे और यहां तक कि संसद सदस्यों के भाषणों को भी प्रकाशित करने की अनुमति नहीं थी। एन्टनी यहां नहीं है। मुझे याद है कि एक बैठक में उन्होंने यह शिकायत की थी कि उनके अपने ही भाषण को अपने ही समाचार पत्र 'ऐंग्लो इन्डियन' में प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी गई थी। उन्होंने कहा था 'यह क्या है?' 1975-76 में भारतीय लोकतन्त्र की यह दशा थी। यह भारतीय ही हैं, जिन्होंने 1977 में कांग्रेस (इ) को हरा कर, लोकतंत्र की रक्षा की थी। मैंने इस बात को बार-बार दोहराया है कि 1977 में यदि जनता पार्टी की सरकार न बनी होती तो यह संसदीय लोकतंत्र जीवित न रहता, यह मिट जाता। जनता सरकार के साथ अनेक बातों में हमारा मतभेद था किन्तु उनमें एक बात तो अवश्य थी कि उन्होंने संसदीय लोकतंत्र को सुरक्षित रखा। आपने षड़यन्त्र रचकर, रिश्वत देकर, सभी प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपना कर तथा राज्यपाल के पद अपने अभिकर्त्ता के रूप में इस्तेमाल करके एक-एक करके सरकारों को गिराने का धन्धा फिर शुरू कर दिया है। इसलिए लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है और सम्पूर्ण देश को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, न केवल आंध्र प्रदेश की घटना के लिए अपितु अन्य राज्यों से संबंधित विभिन्न घटनाओं के लिए भी सभी लोकतांत्रिक ताकतों को एक होकर लड़ना चाहिए? काश्मीर में आपने क्या स्थिति पैदा की है? जम्मू और काश्मीर में नेशनल कांफ्रेन्स के 12 या 13 सदस्यों ने दल बदला था किन्तु नेशनल कांफ्रेन्स के 47 विधायक चुने गये थे। केवल थोड़े से व्यक्तियों ने दल बदला था। नेशनल कांफ्रेन्स के अनुयायी वे व्यक्ति हैं जो यह चाहते हैं कि उनकी सरकार कांग्रेस (इ) की सरकार नहीं होनी चाहिए बल्कि नेशनल कांफ्रेन्स की सरकार होनी चाहिए। इसके बावजूद आप उन पर एक ऐसे दल की सरकार थोपना चाहते हैं जिसे वे नहीं चाहते हैं। इसीलिए लोगों ने यह सोचना आरम्भ कर दिया है कि भारत के भीतर रहा जाए अथवा नहीं। लोकतंत्र की रक्षा होने पर और लोकतंत्र की गारंटी मिलने पर ही वे लोग भारत में रहेंगे और तभी अलगाववादी तत्वों को यहां के लोगों का आम समर्थन नहीं मिलेगा किन्तु यदि

आप अपनी नीति का पालन करते रहे तो सभी लोग आपके विरोधी हो जायेंगे और अलगाववादी तत्व इस बात का पूरा-पूरा लाभ उठायेंगे तथा भारत पुनः विभाजित हो जाएगा और भारत की एकता विखंडित हो जाएगी। यह एक ऐसी आधारभूत समस्या है जिसके बारे में आपको सोचना चाहिए। मैं केवल संघीय प्रणाली के बारे में कह रहा हूं। ऐसी स्थिति में जबकि हम लोग राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग कर रहे हैं और जबकि सरकारिया आयोग का गठन किया जा चुका है, तब ऐसी स्थिति में केन्द्रीय सरकार एक के बाद दूसरे राज्यों के मामलों में क्यों दखल दे रही है और उन राज्यों की जनता द्वारा चुने गए राज्यों को क्यों गिरा रही है? इस तरह तो संघीय प्रणाली बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगी। आप एक ऐसा केन्द्र बनाना चाहते हैं जहां से आप सभी बातों की हिदायत दे सकें। यही धारणा है कि लोकतान्त्रिक ताना-बाना बुरी तरह टूट चुका है। अब एक ऐसी चुनौती दी गयी है जिसका हम सभी को सामना करना होगा।

भूतपूर्व राज्यपाल श्री एल० सिंह ने जो कहा है, उसे मैं उद्धृत कर रहा हूं। उनका पत्र कल "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित हुआ था। उसमें यह कहा गया है कि :

> "मेरा विश्वास है कि जम्मू और काश्मीर में जो घटनायें घटी हैं, उससे वर्षों से चले आ रहे संवैधानिक सिद्धांतों और प्रक्रियाओं की अत्यधिक अवनति हुई है। आंध्र प्रदेश में राज्यपाल द्वारा की गई कार्यवाही से विश्वास को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा है। जम्मू और काश्मीर में तो राज्यपाल को इस प्रकार सोचने का कुछ न कुछ आधार था कि श्री जी० एम० शाह को विधान सभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने तो श्री रामाराव को राज्यपाल के सम्मुख अपना मामला रखने की अनुमति दिये बिना ही अपना निर्णय उद्घोषित कर दिया। उसके मामले में जैसा पक्षपात-पूर्ण रवैया अपनाया गया था और मुख्य मंत्री के साथ जैसा अभद्र व्यवहार किया गया था, उसके बारे में शायद ही किसी व्यक्ति ने सोचा होगा।"

अन्त में उन्होंने कहा है कि—

> "गत कुछ सप्ताहों के दौरान राज्यपालों द्वारा की गई कार्यवाही से किसी को भी आश्चर्य हो सकता है कि हम लोग संघीय प्रणाली का पतन देख रहे हैं।"

> "भारत में सरकार के लोकतांत्रिक स्वरूप की रक्षा के लिए संघीय प्रणाली को सुरक्षित रखना नितांत आवश्यक है और इसके लिए राज्यपाल संविधान द्वारा प्रतिष्ठापित सरकार की प्रणाली के रक्षक के रूप में सदा कार्य करें और कार्य करता हुआ परिलक्षित

हो। यदि वह ऐसा नहीं करता है तो वह जनता का विश्वास खोने के साथ-साथ देश के महत्वपूर्ण हितों को अत्यधिक क्षति पहुंचाने वाला होगा।"

उन्होंने जो चेतावनी दी है वह यह है···(व्यवधान)

सभापति महोदय : समय का ध्यान रखें। आपने जिस विशेष मुद्दे के बारे में कहा है, उसके बारे में पहले ही कहा जा चुका है।

श्री समर मुखर्जी : मैं केवल एक या दो मिनट और लूंगा।

सभापति महोदय : यह हम सभी पर लागू होता है। जब किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा की जाती है तो चेष्टा यह होनी चाहिए कि उस पर चर्चा समय के भीतर ही पूरी हो जाये।

श्री समर मुखर्जी : 1970 में राज्यपाल सम्मेलन में यह संकल्प पारित किया गया था। राज्यपाल-सम्मेलन और अध्यक्ष-सम्मेलन में राज्यपाल के स्वनिर्णय के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। इसलिए, कुछ मानदण्डों के बारे में निर्णय लिया गया था और यह भी निर्णय लिया गया था कि बहुमत का परीक्षण विधान सभा में किया जाना चाहिए। संकल्प का पाठ निम्नलिखित हैं :—

"किसी भी प्रक्रिया अथवा साधन से जब राज्यपाल को इस बात की संतुष्टि हो जाये कि मंत्रालय को अब बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है तो उसे चाहिए कि वह मुख्य मंत्री से विधान सभा के समक्ष यथासंभव कम से कम समय में अपना बहुमत सिद्ध करने को कहे। यदि मुख्य मंत्री अपने इस प्रारम्भिक उत्तरदायित्व से बचना चाहता है और यदि वह ऐसा करने में असफल हो जाता है तो यह राज्यपाल का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह वैकल्पित मंत्रालय गठित करने की कार्यवाही आरम्भ करें। दल के कुछ सदस्यों के दल बदलने मात्र से निश्चित रूप से यह सिद्ध नहीं हो जाता कि उस दल ने मतदाताओं का विश्वास खो दिया है।"

यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। आप दल-बदल की स्थिति पैदा कर सकते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि उन्हें जनता का विश्वास प्राप्त नहीं है।

दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, आपकी कार्यवाही से श्री एन० टी० रामाराव के नेतृत्व के प्रति जनता में और अधिक विश्वास पैदा हो रहा है। श्री बहुगुणा, अन्य नेतागण और मैं स्वयं हैदराबाद में थे। हम लोगों ने यह अनुभव किया कि राज्यपाल की कार्यवाही के प्रति लोग कितने

क्षुब्ध हैं। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि जब तक इस गलती को सुधारा नहीं जाता, जब तक इस राज्यपाल को पदच्युत नहीं किया जाता, जब तक अल्पमत वाले मंत्रालय के नेतृत्व को तत्काल नहीं हटाया जाता और बहुमत की सरकार जब तक पुनर्स्थापित नहीं की जाती है तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे क्योंकि लोकतंत्र को कायम रखने में आने वाले किसी भी खतरे से रक्षा करने का एक मात्र यही तरीका है।

इस समस्या को हमेशा के लिए सुलझाने के लिए, केन्द्रीय सरकार के इरादों पर राज्यपाल के पद का दुरुपयोग रोकने के लिए हम कार्य कर सकते हैं, हमें इस दिशा में विचार करना होगा। संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए और राज्यपाल का निर्वाचन विधान सभा द्वारा किया जाना चाहिए। केन्द्र द्वारा राज्यपाल का मनोनयन किया जाना बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा दल-बदल पर पूरी-पूरी रोक लगाई जानी चाहिये। निर्वाचन नियमों में और संविधान में परिवर्तन करके यदि जनता को उन्हें वापिस बुलाने का अधिकार दिया जा सकता है तो दल-बदल को भी रोका जा सकता है।

हमें पता है कि अगला लक्ष्य कर्नाटक और पश्चिम बंगाल हैं। पश्चिम बंगाल के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा सभी प्रकार के वित्तीय आश्वासनों को न पूरा करके वह खेल खेला जा रहा है। किसी भी उद्योग के विकास के लिए रुपये देने से पश्चिम बंगाल को वंचित रखा जा रहा है। सरकार राजनैतिक भेदभाव बरत रही है और इसलिए पश्चिमी बंगाल की जनता ने केन्द्रीय सरकार की इस भेदभावपूर्ण नीति के विरोध में एक दिन की सांकेतिक हड़ताल करने का निर्णय लिया है। एक-एक करके विभिन्न राज्यों के लोग केन्द्र के विरुद्ध ऐसा ही करते रहेंगे जब तक किसी केन्द्र सरकार अपनी नीति में परिवर्तन नहीं करती। यदि वह अपनी नीति नहीं बदलती तो विवश होकर जनता अगले चुनाव में सरकार को बदल देगी और 1977 की स्थिति पुनः आ जायेगी। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : माननीय सदस्यगण, मैं आपको यह सूचित कर दूं कि बात से बात निकालने से कोई लाभ नहीं होगा। कृपया बैठ जाइये और जिन सदस्यों को बोलने को कहा गया है उनको सुनिये। थोड़ी व्यवस्था बनाये रखिये। समय के बारे में आप विचार-विमर्श कर चुके हैं। यह आपका समय है। किन्तु मैं आपसे सिफारिश करना चाहता हूं कि आपने इस सभा में निश्चित रूप से महत्वपूर्ण और उचित मुद्दे उठाये हैं किन्तु एक ही बात को बार-बार न दोहरायें।

और उतने ही समय तक बोलें जितना कि आपने स्वयं निश्चित किया है। इसलिए, सभा की कार्यवाही को आगे बढ़ायें।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति जी, प्रो० मधु दण्डवते जी ने जो रिजौल्यूशन इस सदन में पेश किया है, उसमें आन्ध्र प्रदेश के गवर्नर को डिसमिस करने के लिए रिकमैन्डेशन की गई है, मैं इस मोशन को अपोज करता हूं। यदि आपको अपनी बात कहने का हक है तो मुझे भी अपनी बात कहने का हक है। मुझे इस बात पर बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि मुझसे पहले बोलते हुए हमारे बुजुर्ग कम्युनिस्ट लीडर ने डैमोक्रैसी की बात कही। जैसा आप सबको पता है, कम्यूनिज्म और डैमोक्रेसी ये दो अलग-अलग चीजें हैं, और इनको एक साथ रखने की बात मेरी समझ में नहीं आती। कम्यूनिज्म में एक एक्सैप्टिड थ्योरी होती है—बाई एनी मीन्स—और इस वक्त हमारे देश में चूंकि डैमोक्रेसी है, और जब ये डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो मुझे ताज्जुब होता है। यदि आज ये हिन्दुस्तान की जगह पाकिस्तान में होते तो शायद डिक्टेटरशिप की बातें करते और उसको सपोर्ट करते। यदि आप इनकी बातों पर यकीन करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश को आजादी कभी नहीं मिल सकती थी। जिस समय हिन्दुस्तान में लोग आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे तो इस वक्त कम्युनिस्ट लोगों ने ही अकेले अंग्रेजों का साथ दिया था। उनका आज यहां पर डैमोक्रेसी की बातें करना, मेरे दिमाग में यह बात नहीं बैठती।

इस वक्त हमारे सामने आन्ध्र प्रदेश का ईश्यू है। उसके साथ-साथ इन्होंने जम्मू-कश्मीर को भी जोड़ना ही है और ये उसको जोड़ रहे हैं। जहां तक आन्ध्र प्रदेश में गवर्नर साहब के एक्शन का सवाल है, न तो मैं उसके फेवर में ही कुछ कहना चाहता हूं और न उसके अगेन्स्ट ही कुछ कहना चाहता हूं। उसका कारण यह है कि गवर्नर साहब ने सारे हालात को देखते हुए, मौके को देखते हुए, जो कुछ वाकयात उनके सामने आये, उनके मुताबिक फैसला लिया है। चाहे जम्मू-कश्मीर की बात हो या आन्ध्र प्रदेश की बात हो हमारे सामने यह सवाल पैदा होता है कि जब किसी पार्टी में स्प्लिट पैदा हो जाता है, जिस तरह से जम्मू और कश्मीर में नेशनल कान्फ्रैंस में स्प्लिट पैदा हुआ, उसी तरह से आन्ध्र प्रदेश में तेलगु-देशम पार्टी में भी स्प्लिट पैदा हो गया था और वह पार्टी दो हिस्सों में बंट गयी थी। इस तरह से उस पार्टी के किसी हिस्से के वहां मैजोरिटी तो होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। यदि वहां के मुख्य मंत्री को अपनी इज्जत का थोड़ा भी ख्याल होता तो उनका पहला काम यह होना चाहिए था कि गवर्नर साहब के पास जाकर अपना इस्तीफा पेश कर देते, क्योंकि उनकी पार्टी की सदन में मैजोरिटी नहीं रह गई थी। उसके टोटल 199 मैम्बर्स थे, जिनमें से 91 मैम्बर्स की लिस्ट मि० भास्कर राव ने गवर्नर साहब को पहले ही पेश कर दी थी। उसके बाद तीन विधायक उनसे और आकर मिल गए थे और इस तरह उनका नम्बर 94 तक जा पहुंचा था। यदि कुल पार्टी के

विधायकों में, 199 में से आप 91 भी निकाल देते हैं तो बाकी 108 मैम्बर्स बचते हैं, इसका साफ मतलब यह है कि वे मैजोरिटी में नहीं थे और उनकी सरकार में रहने किसी-न-किसी पार्टी की मदद लेनी जरूरी थी। वैसा उन्होंने नहीं किया। उनका फर्ज बनता था कि गवर्नर साहब को जाकर कहते कि विधान सभा में मेरी मैजोरिटी खत्म हो गई है, डैमोक्रेटिक ट्रैडिशन्स का ख्याल रखते हुए उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। उसके बाद दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर हकूमत बनाने के लिए अपना क्लेम स्टेक कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि

5.00 म० प०

मैं इस्तीफा नहीं दूंगा और वहां पर डटे रहे। तो मजबूरन गवर्नर को उनको डिसमिस करना पड़ा। यहीं बातें जम्मू-कश्मीर में हुई थीं। इस वक्त वे चीफ मिनिस्टर अपने सपोर्ट्स को लेकर गये और कहा कि नेशनल कान्फ्रैंस में स्प्लिट हो गया है, फारूक अब्दुल्ला के पास मैजारिटी नहीं रही। तो जहां-जहां भी रीजनल पार्टीज हैं उनकी नीयत अच्छी नहीं है, वह मुल्क को टुकड़े-टुकड़े करने की तरफ जा रही हैं, चाहे वह नेशनल कान्फ्रैंस हो या तेलगू देशम पार्टी हो। जब उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो मजदूरन गवर्नर को उनको डिसमिस करना पड़ा और उसके बाद उनको टाइम दे दिया गया कि असेम्बली के फ्लोर पर अपनी मैजारिटी साबित करें यही चीज आन्ध्र प्रदेश में गवर्नर ने की है।

अभी जो टेलीप्रिन्टर पर न्यूज आयी है चीफ मिनिस्टर लिखते हैं कि 95 मैम्बर्स को लेकर गवर्नर को मिले हैं। मैं यह नहीं कहता कि वहां 95 हैं या 164 हैं। यह चीज तो असेम्बली के फ्लोर पर तय होगी। और कहा तो यह भी जाता है कि 100 के करीब फेक आइडेन्टिटी कार्ड बनाये गये हैं। तो इन हालात में कुछ भी कहा जा सकता है। सबने बैस्ट तरीका असेम्बली फ्लोर पर ही तय होता है। बावजूद इसके कि उनकी मैजोरिटी खत्म हो गई थी, श्री रामाराव कहते हैं 18 तारीख को, यानी दो, तीन दिन बाद अपनी मैजारिटी हाउस में टैस्ट करेंगे। लेकिन तीन दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता ? 17 से 20 तारीख तक जो आन्ध्र प्रदेश में वाकयात हुए हैं, वह बताना चाहता हूं। श्री रत्ना बोस जो मौजूदा चीफ मिनिस्टर के सपोर्टर हैं उनके घर पर हमला किया गया। सी० मल्लिकार्जुन राव जो कृष्णा जिले के हैं उनके घर पर हमला किया गया डराने धमकाने के लिए। श्रीमती एन० राजकुमारी जो गुन्टूर जिले से एम० एल० ए० हैं उनके घर पर हमला किया गया। श्री सी० एच० के० रंगा राव ऐलूर जिले के हैं उनके घर पर हमला किया गया। श्री रघुपति चौधरी जो प्रकाशम जिले के एम० एल० ए० हैं उनके घर पर हमला किया गया।

श्री राम गोपाल चौधरी करनूल के उनके घर पर हमला किया गया। श्री के० शिव प्रसाद गुन्टूर जिले के हैं उनके घर पर हमला किया गया।...

(व्यवधान)

एक की जीप को जलाया गया। इसी तरह से तेलगू देशम के एम० एल० ए० श्री जयप्रकाश की कार को जलाया गया। श्री ए० वी० सतनारायण वेस्ट गोदावरी जिले के एम० एल० ए० के घर पर हमला किया गया। श्री प्रकाश जैन करनूल जिले के उनके घर पर हमला किया गया। इसी तरह से अनन्तपुर के एम० एल० ए० के घर पर हमला किया गया। श्री देवैय्या टी० डी०

5.05 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

पी० एम० एल० ए० को जबर्दस्ती पकड़कर उससे स्टेटमेंट इश्यू करवाया गया। श्री वाडीगी गोपाल टी० डी० पी० एम० एल० ए० जो चित्तूर डिस्ट्रिक्ट से हैं, उनके घर पर हमला किया गया। कुरनूल के टी० डी० पी० एम० एल० ए० के पैट्रोल पम्प पर हमला किया गया। श्री आर० सम्बासिवा राव जो कांग्रेस (आई) के गुंटूर जिले से एम० पी० हैं, उनके घर पर हमला किया गया। नैल्लोर डिस्ट्रिक्ट के डी० सी०, सी० (आई) के आफिस पर हमला किया गया। अनन्तपुर के कादरी के कांग्रेस आई के लीडर के घर पर हमला किया गया।

आप कहते हैं कि उनको 3 दिन का वक्त मिलना चाहिए, चीफ मिनिस्टर रहते हुए, तो इन हालात में क्या हो सकता था ? क्या यह मुमकिन हो सकता है ? मैं कुछ नहीं कहता लेकिन वक्त बतायेगा कि किसके साथ मैजोरिटी होगी और वह अपनी हुकूमत बना लेगा। लेकिन हमें हकीकत को देखना चाहिए कि गवर्नर ने सही काम किया है या नहीं। यह जो इधर-उधर हौर्स ट्रेडिंग होता रहा है, हम इसमें नहीं जाना चाहते। लेकिन अब चीफ मिनिस्टर ने लेटेस्ट डेट एनाउन्स की है कि फ्लोर के लिए, पहले गवर्नर ने एक महीने का वक्फा दिया था, लेकिन अब उससे पहले चीफ मिनिस्टर ने असेम्बली बुलाने को कहा है, उसके बाद बाद जो कुछ होगा, आपके सामने होगा।

जहां तक जम्मू-कश्मीर की बात बहुत सारे मैम्बर्स ने उठाई कि वहां पाकिस्तानी फ्लैग लहराया गया, 14-15 तारीख को हिन्दुओं माइनोरिट्रीज के मकानों पर हमला किया गया, औरतों को मौलेस्ट किया गया...

(व्यवधान)

मैंने आज से पहले कहा था कि यह सारे प्लान 10 तारीख के "नवाये सुबहा", जो कि नेशनल कान्फरेंस का पोलिटिकल आर्गन है, उसमें 10 तारीख को पब्लिश किया था कि 14-15 तारीख को जम्मू-कश्मीर में लार्ज स्केल पर पाकिस्तानी झंडे लहराये जायेंगे और यह भी कहा जाता है कि जो झंडा बाजार में बांटा गया, वह नेशनल कान्फ्रेंस के हैड क्वार्टर मुजाहिद मंजिल में बांटे गये थे और वहां से सबको डिस्ट्रीब्यूट किये गए थे।

(व्यवधान)

इसी तरह जनाबे फारूख अब्दुल्ला को ये सारी सपोर्ट कर रहे। (**व्यवधान**) फारूख अब्दुल्ला साहब जो साहिका चीफ मिनिस्टर थे, जिनको यह लोग सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने 10 तारीख को···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए।

(व्यवधान)

आपको भी अवसर मिलेगा। यह कोई तरीका नहीं हैं। आपको जब बोलने का अवसर मिलेगा तब आप इसका विरोध कर सकते हैं। सदस्य बार-बार खड़े हो रहे हैं।

नियम यह है कि यदि कोई सदस्य बोलना चाहता है तो वह खड़ा हो और अध्यक्षपीठ से बोलने की अनुमति ले। कोई भी ऐसा नहीं करता है। यदि आप सभी मुझसे सहयोग नहीं करेंगे तो मैं सभा की कार्यवाही कैसे चलाऊंगा। मैं भी आपकी भांति मनुष्य हूं। मैं कोई भगवान नहीं हूं। कृपया मुझसे सहयोग कीजिए।

श्री नामग्याल।

यह ठीक तरीका नहीं है। मुझे अत्यन्त खेद है। यह बिल्कुल गलत तरीका है। यह क्या है ? आप सभी मुद्दे उठा रहे हैं। आप उनकी बात सुनकर जवाब क्यों नहीं देते।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : किस नियम के अन्तर्गत ?

श्री राम विलास पासवान : नियम 376 के अधीन।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। जम्मू और काश्मीर के मुख्य मंत्री के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा है उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाये।

गम्भीर बनिये और ऐसी बातें मत कहिये। आपको अवश्य ही गम्भीर होना चाहिए।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : वह जो कुछ कहें उसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित न करें।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं? आपने बिल्कुल ठीक टिप्पणी की है कि कश्मीर के मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। परन्तु उस व्यक्ति के बारे में आपको क्या कहना है जो आन्ध्र प्रदेश का मुख्य मंत्री था? क्या आप उसके बारे में सभी कुछ कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित होने देंगे?

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। जब कभी किसी मुख्य मंत्री या भूतपूर्व मुख्य मंत्री के विरुद्ध कोई आरोप लगाया जाता है और कोई उस पर आपत्ति प्रकट करता है तो हम कार्यवाही वृतान्त की जांच करते हैं।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : यहां पर ये सारी बातें मत उठाइये।

श्री पी० नामग्याल : मैंने अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही है। मैंने नेशनल कांफरेंस के आफिशल आर्गन **नवाए सुबह** को कोट किया है। इसी तरह मैं **टाइम्स आफ इंडिया** के 10 अगस्त के पब्लिकेशन को कोट करना चाहता हूं··· **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको अभी बता चुका हूं। कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप सभा में शान्तिपूर्वक चर्चा करने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या हम शान्तिपूर्वक चर्चा करना चाहते हैं? यह तरीका नहीं है।

(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ कहा जा रहा है उसे सबको कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित न किया जाए।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री पी० नामग्याल : टाइम्स आफ इण्डिया के मुताबिक फारूक साहब ने कहा है : **कशमीर इज फार काश्मीरीज**। उन्होंने यह भी कहा कि हम अपनी आजादी को मेनटेन करने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानी पुलिस को लाकर हमारी आजादी को दबाया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वह अपने आपको हिन्दुस्तानी नहीं समझते हैं। (**व्यवधान**) इससे साफ जाहिर होता है कि जब सच बात कही जाती है, तो इन लोगों को क्यों चुभती है। यह तो चोर की दाड़ी में तिनके वाली बात है। इसीलिए इनको सच बात अच्छी नहीं लगती है। (**व्यवधान**)

जहां तक आंध्र प्रदेश का ताल्लुक है, गवर्नर ने जो एक्शन लिया है, वह हमें उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। हम न उनको सपोर्ट करते हैं और न उनकी मुखालिफत करते हैं। उन्होंने जो कुछ किया है; वह कांस्टीट्यूशन के तहत किया है। जब हाउस को समन किया गया है, तो दोनों पार्टियां उसमें अपनी मैजारिटी प्रूव कर सकती हैं। यह उन पर छोड़ देना चाहिए।

13

श्री के० मायातेवर (दिन्डिगल) : उपाध्यक्ष महोदय, इस देश की जनता, इस महान राष्ट्र की जनता, इस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है कि इस देश में केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किये गये राज्यों के राज्यपालों से कम्प्यूटर बेहतर होते हैं। इसलिए यह अच्छा होगा कि हम विभिन्न राज्यों में राज्यपालों, जिन्हें गणना करनी भी नहीं आती, के स्थान पर कम्प्यूटर लगा दें।

एक राज्यपाल के कर्तव्य क्या हैं ? अनुच्छेद 159 के अन्तर्गत राज्यपाल संविधान के अन्तर्गत शपथ लेता है अथवा प्रतिज्ञा करता है कि वह संविधान एवं देश के कानून की रक्षा करेगा। महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह जानना चाहता हूं कि क्या आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल, श्री राम लाल अथवा किसी अन्य 'लाल' ने भारत के संविधान की रक्षा की है। वह न केवल संविधान की रक्षा करने में असफल रहे हैं, न केवल राज्य में कानून की रक्षा करने में असफल रहे हैं, अपितु उन्होंने संविधान का घोर उल्लंघन किया है, उन्होंने न केवल सुव्यवस्थित ढंग से अपितु क्रूरता के साथ संविधान की हत्या की है।

भारत के राष्ट्रपति का कर्त्तव्य क्या है ? अनुच्छेद 60 के अन्तर्गत भारत का राष्ट्रपति भी संविधान एवं देश के कानून की रक्षा के लिए शपथ लेता है अथवा प्रतिज्ञा करता है। जब कभी भी राज्य में संवैधानिक असफलता हो जाती है, उस स्थिति में कार्यवाही करना क्या भारत के राष्ट्रपति का एक कर्त्तव्य नहीं हो जाता ? इस सम्मानित सभा के सभी विपक्षी नेताओं और माननीय सदस्यों ने कुछ दिन पहले माननीय राष्ट्रपति जी से आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल को बर्खास्त करने का अभ्यावेदन किया था, क्योंकि उन्होंने आन्ध्र प्रदेश राज्य के संदर्भ में संविधान का उल्लंघन किया था।

आज भी क्या हुआ है ? जैसा कि माननीय सदस्य श्री समर मुखर्जी ने सही ही कहा है कि इस देश की यह सर्वसम्मत राय है कि आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ने संविधान की हत्या की है और उन्होंने आन्ध्र प्रदेश के नायक श्री एन० टी० रामाराव के नेतृत्व वाली जनता की सरकार को गिरा दिया है। आन्ध्र प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति शून्य है। आन्ध्र नायक के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास किया है। (व्यवधान) शून्य की स्थिति वाली कांग्रेस वहां मुख्य मन्त्री के रूप में कार्य कर रही है। यह वहां राज्यपाल के रूप में कार्यरत है। अतः हम यह मांग करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल को संवैधानिक, कानूनी एवं नैतिक दृष्टि से बर्खास्त कर दें। (व्यवधान) यदि वह आन्ध्र प्रदेश में हुई घटनाओं के लिए शर्मिंदा हैं तो उन्हें इस सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे देना चाहिए।

मैं इस मामले में राज्यपाल श्री रामलाल को अब्बल दर्जे का अभियुक्त ठहराता हुं, दूसरे नम्बर अभियुक्त श्री भास्कर राव हैं जो एक कठपुतली मुख्य मन्त्री बने हैं। तीसरे नम्बर की अभियुक्त केन्द्र सरकार है जो इस मामले का संचालन कर सहायता कर रही है। न केवल आन्ध्र प्रदेश के कठपुतली राज्यपाल अभियुक्त हैं अपितु कठपुतली मुख्यमन्त्री भी अभियुक्त है। भारतीय संविधान की क्रूरतापूर्ण हत्या के आरोप में इस सदन में उन पर महाभियोग चलाया जा रहा है। हमें भारत सरकार से किसी प्रकार के न्याय की आशा नहीं है। वे उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं हैं। परन्तु हम इस देश की जनता 70 करोड़ जनता से अपील करते हैं जो कि इस मामले में अन्तिम निर्णायक हैं कि वह इस मामले का निर्णय करे। मैं आंध्र प्रदेश के माननीय सदस्यों से पूछता हूं, "कृपया आप पुलिस प्रबन्ध के बिना गलियों में चलकर दिखाइए।" आप वहां नहीं चल सकते हैं।

(व्यवधान)

कल हमने देखा है। जनता द्वारा दंड दिया जाना चाहिए। इसके लिए जनना ही निर्णायक है। सत्ता अन्नतः जनता के हाथों में है वह आपको दंड देगी।

(व्यवधान)

इसकी यह पृष्ठभूमि है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति का है : भारत के राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करने का अधिकार है। यदि राज्यपाल गलती करता है अथवा संविधान के उपबंधों अथवा प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, भारत के राष्ट्रपति बर्खास्त करने के लिए एक सक्षम प्राधिकारी हैं। इस मामले में राज्यपाल ने सभी संवैधानिक उपबंधों का, सभी मानदण्डों प्रक्रियाओं एवं कानूनी प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया है।

उन्होंने किसी भी संवैधानिक सिद्धांत का पालन नहीं किया है। अतः भारत के राष्ट्रपति को इस राज्यपाल को बर्खास्त कर देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, जहां तक मेरा सम्बन्ध है, अभी भी वास्तविक मुख्य मन्त्री श्री एन० टी० रामाराव हैं। श्री रामाराव आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री हैं।

श्री भास्कर राव किसी के द्वारा बनाए गए कठपुतली मुख्य मन्त्री हैं।

श्री रामाराव जनता के मुख्य मन्त्री हैं।

अतः मैं भारत के राष्ट्रपति श्री जैल सिंह से अपील करता हूं कि अनुच्छेद 156(1) के अन्तर्गत, राज्यपाल उनके प्रसादपर्यन्त ही अपने पद पर बने रह सकते हैं। मैं भारत के राष्ट्रपति के विचारों से परिचित हूं। वे बिल्कुल खुश नहीं हैं। अतः मैं लोकतंत्र, न्याय के नाम पर यह अपील करता हूं कि राज्यपाल को तत्काल बर्खास्त कर दिया जाय।

माननीय प्रधान मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया है। अभी भी हमारे हृदय में उनके प्रति हार्दिक सम्मान है। इस सम्बन्ध में दो रायें नहीं हैं। उन्होंने सुबह किस प्रकार का वक्तव्य दिया है। किन्तु माननीय प्रधान मन्त्री, जिनके प्रति राष्ट्र को अब भी कुछ श्रद्धा है, ने अपने **वक्तव्य से पूरी तरह से सदन को गुमराह किया है।

एक माननीय सदस्य : आप···**···शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही-वृत्तान्त को देखूंगा।

श्री के० मायातेवर : यह माननीय प्रधान मन्त्री द्वारा दिया गया भ्रामक वक्तव्य है। प्रधान मन्त्री को भारत की जनता को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। जनता बड़ी होशियार है। जनता बड़ी बहादुर है और वह जान सकती है कि वस्तुस्थिति क्या है, क्या हो रहा है, अपराधी कौन है और वास्तविक लोकतान्त्रिक व्यक्ति कौन है। जनता सब जानती है। अतः उन्हें जनता को मूर्ख बनाने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : जनता की प्रशंसा करने का यह बढ़िया समय है। आपको जनता की प्रशंसा करनी चाहिए।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री के० मायातेवर : आपने श्री एन० टी० रामा राव के नेतृत्व वाली सरकार को गिराकर श्री रामा राव को एक राष्ट्रीय नायक बना दिया है। वे आन्ध्र नायक हैं। इसका श्रेय आपको जाता है।

5.23 म० प०

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री तिवारी ने 1978 में इस सभा में हुई उन सब अप्रिय घटनाओं का उल्लेख किया है जब वर्तमान माननीय प्रधानमन्त्री यहां मेरी ओरअर्थात् विपक्ष में बैठी थीं। मैं श्री मोरारजी देसाई द्वारा रखे गये संकल्प को वापस लिये जाने के लिए माननीय प्रधान मन्त्री का पूरी तरह समर्थन था। मैंने श्री मोरारजी देसाई को कहा था कि वह श्रीमती इंन्दिरा गांधी को सदन से न निकालें, क्योंकि भारत की जनता उनकी इस कार्यवाही को अच्छा नहीं समझेगी। तब श्रीमती इंन्दिरा गांधी शीघ्र ही प्रधान मन्त्री बन जाएंगी। ऐसी गलती मत करें। किन्तु उन्होंने वह गलती की। इसलिए श्रीमती गांधी पुनः सत्ता में आ गईं। उस समय, मेरे भाषण के कारण श्री सी० रामचन्द्रन को ए० आई० ए० डी० एम० के० पार्टी से निलम्बित कर दिया गया था। आप बिना शर्म के अब श्री रामचन्द्रन के साथ गठबन्धन कर रहे हैं जिन्होंने तमिलनाडु से अनेक बार पीठ में छुरा घोंपा है। आप एम० जी० आर० पर विश्वास मत कीजिए। वह बिल्कुल विरुद्ध हैं।

राज्यपाल का कार्य अमानवीय था और एक सभ्य लोकतान्त्रिक समाज में ऐसा कभी नहीं हुआ था।

राज्यपाल को श्री रामा राव के त्यागपत्र की मांग नहीं करनी चाहिए थी। उन्हें रामाराव मंत्रिमंडल को बर्खास्त नहीं करना चाहिए था, राज्यपाल को श्री भास्कर राव, जो बिना बहुमत समर्थन के कठपुतली मुख्य मन्त्री बनाये गये थे, को मुख्य मंत्री नहीं बनाना चाहिए था। राज्यपाल ने 15 तथा 16 तारीख को जानबूझकर श्री एन० टी० रामाराव को मिलने का समय नहीं दिया था। उन्हें जानबूझकर मिलने से इन्कार नहीं करना चाहिए था। अनेक माननीय सदस्यों ने यह बात उठाई है।

अतः केन्द्र को भारतीय संविधान, न्याय, विधि एवं लोकतन्त्र की मर्यादा बनाये रखने के लिए, राज्यपाल को बर्खास्त करना चाहिए, कठपुतली मुख्य मन्त्री को भी बर्खास्त करना चाहिए तथा जनता के नेता, संवैधानिक ढंग से निर्वाचित नेता श्री एन० टी० रामा राव को मुख्य मन्त्री बनाया जाना चाहिए।

आपने जम्मू-कश्मीर में बिना किसी औचित्य के फारूख सरकार को बर्खास्त किया । आपने पांडेचेरी में डी० एम० के० सरकार को बर्खास्त किया और उसे विधान सभा में बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया । मैं इस सम्बन्ध में कांग्रेस को चुनौती देता हूं । क्या आप पांडिचेरी में चुनाव कराने के लिए तैयार हैं ? पांडिचेरी में शीघ्र चुनावों का आदेश दें···

अध्यक्ष महोदय : श्री कमालुद्दीन अहमद । अब कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

श्री कमालुद्दीन अहमद (वारंगल) : स्पीकर साहब, असल बात यह है कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है । जब कोई सरकार अपनी मैजारिटी खो दे, तो गवर्नर की यह ड्यूटी होती है, उसका फर्ज बनता है, कि जो चीफ मिनिस्टर अपनी मैजारिटी खो चुका है उसको फौरन निकाल दिया जाय । इस मामले में भी गवर्नर ने अपने कर्ज की अदायगी की है, अपने फर्ज को अन्जाम दिया है । इसमें कोई बहुत बड़ा कानूनी नुक्ता इन्वाल्व्ड नहीं है, जितने कानून के दस्तूर हैं, उनमें जो लिखा है उसी के मुताबिक गवर्नर ने काम किया है । उस कानून का इन्टरप्रेटेशन उसने दो प्रेसिडेन्ट्स की बुनियाद पर किया और इत्तिफाक से वे दोनों प्रेसिडेन्ट्स भी 1977-1979 के बीच में हुए थे । पहले केस में कर्नाटक में जब श्री देवराज अर्स की गवर्नमेंट थी और उनके कुछ साथी उनसे अलग हो गये तो उन्होंने अपने लोगों को गवर्नर के सामने पेश किया और उस वक्त के गवर्नर ने उस वक्त की सैंट्रल गवर्नमेंट से मशविरा करने के बाद या बिना मशविरा किये, फौरन अर्स को डिसमिस कर दिया, हालांकि सिर्फ दो दिन बाद ही असेम्बली का सेशन बुला लिया गया था । उस वक्त अर्स ने कहा कि हम अपनी मैजारिटी असेम्बली में बतलायेंगे, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया ।

दूसरा वाक्या उस वक्त का है जब यहां सेन्टर में मोरारजी भाई की गवर्नमेंट थी । जब उन्होंने देखा कि उनके कुछ साथी उनको छोड़ गये हैं तो उन्होंने खुद प्रेसिडेन्ट के पास इस्तीफा भेज दिया । उन्होंने यह नहीं कहा कि पार्लियामेंट बुलाई जाय, मैं वहां पर मैजारिटी दिखला दूंगा, सिर गिनवा दूंगा । इन तमाम प्रेसिडेन्ट्स को देखकर वहां के गवर्नर ने जो अपना डिसीजन लिया, जितने लोगों को उनके सामने पेश किया गया उनको ग़िनने के बाद, अपनी सेटिस्फेक्शन के बाद, उन्होंने उस वक्त चीफ मिनिस्टर से रेजिगनेशन मांगा और जब उन्होंने रेजिगनेशन देने से इंकार किया तो उनको डिसमिस कर दिया और भास्कर राव को मौका दिया कि वह अपनी गवर्नमेंट बनायें ।

यह तो रहा—गवर्नर के अमल के बारे में, लेकिन मुझे हैरत एक बात की हो रही है, आप लोगों को क्या हो गया है ? आप लोग क्यों एन० टी० रामा राव के पीछे पड़ गये हैं ?···

···(**व्यवधान**)··· यह तो समझ मैं आने वाली बात है कि एन० टी० रामा राव के डिस्मिसल के बाद फारूख अब्दुल्ला हैदराबाद पहुंचे, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती है कि अटल जी वहां क्यों गये या बहुगुणा जी वहां क्यों गये ? फिर वहां पर इन हजरात के तशरीफ ले जाने के फौरन बाद कहीं अनंतपुर में वायलेंस हो रहा है, कहीं करनूल में, कहीं गुंटूर में हो रहा है। आखिर यह सब क्या चीज है। आज आप यहां पर बहस कर रहे हैं। क्या एन० टी० रामाराव की सरकार को बरकरार रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। क्या बहुमत खोने के बाद भी उनकी सरकार को बरकरार रखा जाए, आप यह चाहते हैं ? क्या हमारा यह फर्ज था कि मेजारिटी खोने के बाद भी उनको चीफ मिनिस्टर रखा जाए ?

अब आप यह देखिए कि उनकी मेजारिटी खत्म क्यों हुई। एन० टी० रामाराव ने मेजारिटी क्यों खोई। इसके लिए आप 13-14 अगस्त का ट्रिब्यून देखिए। आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। विशाखापट्टनम में जो इनकी कान्फ्रैंस हुई, उसमें इन्होंने अपने एम० एल० एज० की कितनी तौहीन की है, उसके बाद से जो बेचैनी उनमें पैदा हो गई थी, उसकी वजह से यह हुआ है। इसके अलावा पंजाब के आर्मी एक्शन पर सारा मुल्क एक तरफ था और एन० टी० रामा राव एक तरफ थे। वे कहते थे कि आर्मी एक्शन सही नहीं हुआ है (**व्यवधान**) उनकी पार्टी के अंदर इस पर तनाव पैदा हुआ। लोगों ने सोचा कि ये किस तरह की बात कर रहे हैं। इसके आगे और सुनिए। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग हो रही थी। वहां से हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर वाक-आउट कर गए। इन सारी चीजों को वहां पर नोट लिया गया। उसके बाद जो अवाम उनको सत्यवादी हरीशचन्द्र समझता था, लार्ड रामा या लार्ड कृष्णा समझता था, आखिर में यह समझने लगा कि यह तो मामूली आदमी है। ये तो हम जैसा आदमी है। न यह सत्यवादी हरीशचन्द्र है, न लार्ड रामा है, न लार्ड कृष्णा है। हममें से एक आदमी है। ये वो आदमी है जो अपने करोड़ों की जायदाद बेटे-बेटियों में तकसीम करने के बाद सन्यास ले रहा है। जो 22 एकड़ की कुटिया में रहता है। उसका हजारवां हिस्सा भी अगर मामूली आदमी को मिल जाए तो उसके रहने का इंतजाम हो सकता है।

इन सारी चीजों को अवाम ने देखा और समझा। जब अवाम पर इसका असर हुआ तो नेचुरली एम० एल० एज० पर भी इसका असर होना था इसके बाद एम० एल० एज० ने जो डिसीजन लिया है वह बिल्कुल सही डिसीजन है। (**व्यवधान**)

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : पैसा किसने दिया ?

श्री कमालुद्दीन अहमद : भास्कर राव ने अपने समर्थकों की लिस्ट दे दी है। पैसा देकर अब लोगों को यहां पर लाया गया है। इसको भी आप लोगों को देखने की जरूरत है। पैसा भी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है, अभी उन्हीं के पास है। इन सब बातों पर आप गौर कीजिए।

आपने ऐसे आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश की है जो पिछले 25 साल में मुल्क में क्या हुआ, यह नहीं जानता। वह अपने कारोबार और एक्टिंग में इतना मशरूफ था कि उनको 25 साल अखबार पढ़ने का समय नहीं मिला यह और बात है कि अवाम ने उसको हरीशचंद्र समझ कर वोट दिया है, उस फैसले की हम पूरी इज्जत देते हैं। उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। अपोजीशन में होने के नाते मुल्क के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जिम्मेदारी आपकी भी है। इसलिए आप कैसे इस तरह के आदमी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे आपका कद छोटा ही हुआ है। इससे आपका कद छोटा हुआ है, बड़ा नहीं हुआ है। यह बात खासतौर पर मैं अटल जी से कहना चाहूंगा। हैदराबाद और आंध्र प्रदेश में अटल जी के कार्यकर्ता जिस तरीके से वहां पर काम कर रहे हैं और जिस प्रकार बद-अमनी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी गुजारिश है कि उनको हिदायत दें कि असेम्बली का सेशन होने वाला है और जो अपनी मेजोरिटी साबित करेगा, वही चीफ मिनिस्टर होगा। आप यह जानते हैं कि कितने लोगों की जानें गई हैं। अगर यही पालिसी है और इसी तरीके से बद-अमनी फैलायी जायेगी, लॉलैसनैस लाया जायेगा तो उसका मुंह-तोड़ जवाब दिया जायेगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : महोदय, मेरे विचार से आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं से सभा में दोनों पक्षों ने इस मुख्य प्रश्न पर विचार करना शुरू कर दिया है कि हमारे संविधान के अन्तर्गत गठित संस्थान कैसे कार्य कर रहे हैं और वर्षों के अनुभव के आधार पर स्थापित सिद्धांतों और परम्पराओं का कहां तक सम्मान किया जाता है या उनका पालन हो रहा है।

मुझे आशंका है कि इस वाद-विवाद में इन सिद्धांतों, इन संस्थानों, मानदण्डों तथा परम्पराओं की चर्चा का मुख्य विषय बिल्कुल भी नहीं बनाया जाता। मेरे विचार से सभा के दोनों पक्षों के सदस्यों में आत्मपरकता का बोल-बाला है। माननीय गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में अपने विचारों का उस समय प्रतिपादन किया जब वह जम्मू और काश्मीर पर वाद-विवाद का उत्तर दे रहे थे तब उन्होंने कुछ सिद्धान्तों तथा संविधान की अपनी व्याख्या से अवगत कराया और जो व्याख्या उन्होंने उस दिन की थी, मुझे विश्वास है कि आज भी वह वही व्याख्या करेंगे। उनकी व्याख्या यह है कि राज्यपाल की अपनी इच्छा या आत्मपरकता ही सर्वोच्च है। उससे ऊपर कुछ नहीं है। यहां तक कि राज्यपाल की स्वेच्छा के समक्ष विधान सभा में शक्ति परीक्षण का भी कुछ महत्व नहीं है (**व्यवधान**)। यदि आपने ऐसा नहीं कहा है तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो 31 जुलाई को दिये गये उनके भाषण में से पढ़ रहा था। यदि मैंने उसे गलत समझा है तो आज आप उसे ठीक कर दीजिये। मैं व्यक्तिगत रूप से माननीय गृह मंत्री के लिए कोई अपमानजनक बात नहीं कहता। वास्तव में एक व्यक्ति के रूप में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। लेकिन इस समय मैं यह बात नहीं भूल सकता कि आन्ध्र प्रदेश की घटनाओं पर वह यथार्थपरक और निष्पक्ष रूप से विचार व्यक्त नहीं कर रहे, क्योंकि वहां जो हो रहा है, उस पर उनका राजनीतिक भविष्य निर्भर करता है (**व्यवधान**)। यही सारी समस्या है।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : मैं अपने सिद्धान्तों के साथ समझौता नहीं कर सकता ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अतः जब वह राज्यपाल की स्वेच्छा की बात करके ऐसी व्याख्या करते हैं तो हम यह अनुभव करते हैं कि उनकी व्याख्या आत्मरपक है, क्योंकि यह उसी राज्य से निर्वाचित हुए हैं और उसी पर उनका भविष्य निर्भर करता है ।

आज इस वाद-विवाद में हमें एक बात का पता चला है जो मेरे विचार से बहुत भ्रामक बात है । प्रधान मंत्री ने कहा है कि आन्ध्र की घटना के बारे में मुझे सबसे पहले समाचार एजेंसी से पता चला । यह बात गले से नीचे नहीं उतरती । लेकिन इसे यदि सही भी मान लिया जाये कि उन्हें आन्ध्र प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और उन्हें समाचार पत्रों से पता चला तो उससे कई प्रश्न पैदा होते हैं । मैं नहीं जानता कि आपको उनकी ओर ध्यान देना चाहिए या नहीं । यहां भारत सरकार को कौन चला रहा है ? इस बात के अतिरिक्त भी मैं सोच रहा हूं कि क्या श्री रामलाल जैसा व्यक्ति केन्द्रीय सरकार से सलाह किये बिना इतना महत्वपूर्ण कदम उठा सकता है ? हो सकता है व्यक्तिगत रूप में उन्हें सूचित न किया गया हो लेकिन सरकार कौन चला रहा है ? आजकल हम बहुत सुन रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या अलग-अलग व्यक्ति अलग-अलग स्थानों पर अलग प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते ?

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, आजकल यह चर्चा आम है कि 4 व्यक्तियों का गिरोह या 6 व्यक्तियों का गिरोह सरकार चला रहा है । पता नहीं वे कौन हैं । हो सकता है कि वे कई बार ऐसा काम कर देते हों जिनका प्रधान मंत्री को पता न हो । यदि ऐसा है तो यह प्रवृत्ति खतरनाक है । आज उन्होंने ऐसा कर दिया है तो कल फिर वे ऐसा कर सकते हैं ।

(व्यवधान)

महोदय, या तो प्रधान मंत्री को पता होता है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से सर्वप्रमुख घटना क्या हो रही है या फिर उन्हें अंधेरे में रखा जा रहा है—यदि ऐसी स्थिति है तो वे लोग कौन हैं । उन्हें पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए । उन्हें साहसपूर्वक आगे आकर अपना परिचय देना चाहिए । 4 या 6 लोगों का गिरोह कौन-सा है । यह बात बड़ी चिन्ताजनक है । **(व्यवधान)** ।

आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह पता लगाए बिना कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में श्री एन० टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है या नहीं, श्री रामाराव के मन्त्रिमण्डल को बर्खास्त किए जाने की राज्यपाल की कार्यवाही का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव

महोदय, मुझे सूचना मिली है कि कुछ घंटे पूर्व एक प्रेस सम्मेलन में श्री एन० टी० रामाराव ने यह दावा किया है—प्रेस सम्मेलन में भाग लेने वाले एक संवाददाता ने मुझसे कहा है··· मैं उनकी संख्या नहीं बता रहा (**व्यवधान**)। समाचार पत्रों के ये लोग राष्ट्रपति भवन भी गये थे। वहां विधान सभा के अध्यक्ष भी थे। उन्होंने राष्ट्रपति से कहा कि वह इन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें पहचान सकता हूं। इस प्रकार वे लोग 162 थे।

अध्यक्ष महोदय : वहां अध्यक्ष क्या कर रहे थे ?

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : सदस्यों की पहचान कर रहे थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अध्यक्ष भी विधान सभा के सदस्य हैं।

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष के रूप में मैं वहां क्यों जाऊंगा ? मेरा वहां क्या काम है ?

एक माननीय सदस्य : आपकी स्थिति दूसरी है।

अध्यक्ष महोदय : अगर मैं आगे बैठा हुआ हूं तो मैं जाऊंगा। लेकिन इस स्थान पर बैठा हूं तो नहीं जाऊंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : निःसन्देह आप नहीं जायेंगे। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि आपको जाना पड़े।

अध्यक्ष महोदय : यदि सभा मुझे कहती है तो मैं जरूर जाऊंगा।

प्रो० मधु दण्डवते : वे पूर्वानुमान लगा कर ही आपसे जाने का अनुरोध करते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री रामाराव ने भी एक प्रेस सम्मेलन में कहा है कि जब राज्यपाल द्वारा श्री भास्कर राव को शपथ दिलाई जा रही थी, उस समय तक श्री रामाराव को बर्खास्त नहीं किया गया था। राज्यपाल ने उन्हें त्याग-पत्र देने के लिए कहा था। उन्होंने एक पत्र लिखा था "आपका बहुमत नहीं रहा है। कृपया त्याग-पत्र दे दीजिए।" उन्होंने त्याग-पत्र देने से मना कर दिया।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : यह गलत बात है। उन्होंने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। जब उन्होंने उन्हें पत्र लिख कर त्याग-पत्र देने को कहा तो उन्होंने कहा, "मेरे साथ बहुमत है। मैं त्याग-पत्र देने से मना करता हूं।" तब उन्हें आने से पहले ही बर्खास्त कर दिया। तेलगुदेशम की सरकार को बर्खास्त करने के बाद उन्होंने श्री भास्कर राव को सरकार बनाने के लिए कहा (**व्यवधान**)। मैं उसी राज्य से हूं और मुझे तथ्यों का पता है।

अध्यक्ष महोदय : गृह मंत्री यहां बैठे हैं। यदि यह गलत है तो वह यह बात कह सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो मैं कह रहा हूं, उसे मेरे मित्र को ध्यान से सुनना चाहिए। मैंने कहा है कि श्री रामाराव ने अभी कुछ घंटे पहले एक प्रेस सम्मेलन में यह बात कही है। आपको इसका उत्तर देना होगा। उन्होंने कहा है और आप उत्तर दीजिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : वह कई बातें कह सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आपको उन्हें उत्तर देना होगा। नये मुख्य मंत्री को शपथ दिला दी गई। उस समय तक पुराने मुख्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया था। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप बता दें। (**व्यवधान**) यहां बहुत कुछ कहा गया है और जम्मू और काश्मीर पर चर्चा के समय गृह मंत्री ने भी कहा था। बहुत से लोगों ने, जिसमें श्री भगत भी हैं, आज कहा है कि ऐसा पूर्वोदाहरण कोई नहीं है। पहले ऐसा कभी उचित नहीं समझा गया कि जो व्यक्ति बहुमत का दावा कर रहा है, उसे विधान संभा में न परखा जाये।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : मैंने सभी वरिष्ठ सदस्यों से पूछा है, कि "क्या उन्हें याद है ?"

प्रो० मधु दण्डवते : बिहार।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां, आपको याद है और मुझे दूसरी बात भी याद है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : ऐसा हो सकता है जब किसी व्यक्ति ने अनुभव किया हो कि उसका बहुमत नहीं रहा है और उसने इस बात के लिए आग्रह न किया हो कि विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाए या स्वेच्छा से त्याग-पत्र दे दिया हो। यह अलग बात है। मेरे ख्याल से आपको एक अन्य राज्यपाल श्री एल० पी० सिंह आई० सी० एस० याद होंगे जो गृह मंत्रालय में काफी प्रसिद्ध और कुशल व्यक्तियों में गिने जाते थे। मेरे विचार से आप अब उनका मूल्य कम नहीं आंकेंगे। श्री एल० पी० सिंह 4 पूर्वोत्तर राज्यों के राज्यपाल थे। उन्होंने स्वयं 4 अवसरों पर ऐसा प्रश्न उठाये जाने पर आग्रह किया था कि विधान सभा का अधिवेशन जरुर बुलाया जाए। यह सबको पता है। एक बार यह असम, एक बार मेघालय में और दो बार नागालैंड में हुआ था। उन्होंने कहा, "मैं किसी अन्य व्यक्ति के दावे पर विचार नहीं करूंगा। सभा में शक्ति परीक्षण होना चाहिए।" फिर क्या हुआ ? दो मामलों में मुख्य मंत्री भी वहां थे। उन्होंने विधान सभा में शक्ति परीक्षण से पहले ही त्याग-पत्र दे दिया। एक मामले में उनको मतदान के जरिए निकलना पड़ा क्योंकि

शक्ति परीक्षण किया गया था। एक बार विधान सभा की बैठक बुलाये जाने पर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया तो उस समय उन्होंने त्यागपत्र दे दिया।

अध्यक्ष महोदय : यह तो ठीक है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या ठीक है ? मैं आज सारा दिन यहां बैठा यह सुनता रहा कि कभी विधान सभा को शक्ति परीक्षण के लिए नहीं बुलाया गया। श्री भगत ने तो यहां तक कहा कि यदि विधान सभा को बहुमत जानने हेतु बुलाया जाता है तो यह एक गलत उदाहरण सिद्ध होगा। उन्होंने यह बात कह दी। सत्ताधारी दल के विचारों को देखकर तो मुझे भय लगने लगा है। यहां मैं प्रसंगवश बता दूं कि वह स्वयं भी दल-बदलू हैं और उनमें यह कहने का साहस है कि यदि बहुमत जानने के लिए विधान सभा का सत्र बुलाया जाता है तो यह एक गलत उदाहरण सिद्ध होगा। कहने का अर्थ यह है कि कुछ व्यक्ति महारानी के प्रति अधिक वफादारी दिखाना चाहते हैं। उन्हें विवेकशून्य नहीं होना चाहिए और यह अनुभव करना चाहिए कि आन्ध्र प्रदेश के लोगों की भी भावनाएं हैं। आप को यह कह कर किसी का उपहास नहीं करना चाहिए कि वह अपने को ईश्वर या अपने को कृष्ण समझता है। हम एक राष्ट्र हैं और एक समाज में रह रहे हैं (**व्यवधान**) आपको याद होगा पंजाब···(**व्यवधान**) आन्ध्र प्रदेश की जनता की बेइज्जती मत कीजिए। मत-भेद हो सकते हैं···

एक माननीय सदस्य : आप लोगों को भड़का रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि आप कोई असंवैधानिक कार्य करते हैं तो मैं उसके विरुद्ध निश्चित रूप से लोगों को भड़काऊंगा। हम आखिर क्या करने के लिए हैं ?

निश्चय ही, संविधान के अनुसार, राज्यपाल को अपनी कार्यवाही वापिस लेने का अधिकार है, यह उसका अधिकार है, परन्तु क्या उसको बहाना बनाना चाहिए, कुछ भी जो अशिष्ट, अनुचित है और तमाम मानदण्ड के विरुद्ध है, वह सब करने के लिए बहाना बनाना चाहिए ? भारत के राष्ट्रपति पर तो कम से कम अनुच्छेद 61 के अधीन महाभियोग चलाया जा सकता है, परन्तु किसी राज्य के राज्यपाल पर तो महाभियोग नहीं चलाया जा सकता है। उसे तो राष्ट्रपति से भी उंचे स्तर पर रखा गया है। वह कुछ भी कर सकता है और जहां तक आत्मसंतोष की बात है वह निर्मम हत्या भी कर सकता है। और श्री नरसिंह राव उस आत्मसंतोष का बचाव करना चाहते हैं। उनका कहना है कि यह एक ऐसी बात है जिसका सदन में परीक्षण किए जाने की बजाय उच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए। हम तो इन प्रश्नों को लेकर चिंतित हैं और हमें व्यक्तियों से कोई लेना-देना नहीं है। हमारी प्रधान मंत्री ने आज प्रातः वही पुरानी बात कही है। उनका कहना है कि हर कोई चरित्र-हनन का प्रयास कर रहा है। यह कोई मुद्दा नहीं है।

डा० फारूख अब्दुल्ला का भी चरित्र-हनन किया गया था। क्या यह नहीं कहा जा रहा था कि वह रंगीनमिजाज के थे और फिल्म अभिनेत्रियों, आदि को बातों में लेते रहते थे आदि-आदि। क्या वह चरित्र-हनन नहीं था ? क्या यह मुद्दा है ? क्या हम इन बातों की चर्चा कर रहे हैं ? यदि हां, तो हमें सबके बारे में एक दिन खुली चर्चा करनी चाहिए। आओ हम बहुत से नेताओं और मंत्रियों के निजी जीवन के बारे में उन सभी बातों पर चर्चा करें जो सुनी जाती हैं और लिखित रूप में आती हैं। उस सब पर चर्चा नहीं कीजिए और संसदीय बाद-विवाद के स्तर को इस प्रकार के कीचड़ उछालने के स्तर तक मत लाइए। हमें गम्भीरतापूर्वक चर्चा करनी चाहिए।

जैसा कि हम अनुभव से जानते हैं कुछ कमियां और खामियां और संवैधानिक मतभेद हो सकते हैं। उस स्थिति में कुछ संवैधानिक संशोधनों की आवश्यक्ता होती है। क्या किसी के लिए कोई आचार संहिता या कुछ ऐसा ही नहीं होना चाहिए। आप उस बात को कोई महत्व नहीं देते है जिसे अनेक बार उठाया जा रहा है अर्थात राज्यपाल समिति जिसको तत्कालीन राष्ट्रपति ने नियुक्त किया था और श्री भगवान सहाय जिसके अध्यक्ष थे। आप उनकी सिफारिशों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कैसे कहा है कि जब कभी कोई प्रश्न उठता है, चाहे बहुमत हो न हो, इसका परीक्षण सभा में ही होना चाहिए। आप उसको कोई महत्व नहीं देते हैं। श्री रामलाल जी समग्र राज्यपाल समिति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप हमसे यह आशा करते हैं कि हम उसके सामने घुटने टेक दें और विरोध न करें। आन्ध्र प्रदेश के लोग कोई संविधान के पंडित तो हैं नहीं और उन्होंने कुछ और ही समझा है, उन्होंने यह समझा है कि केन्द्र उनके द्वारा चुनी गई सरकार को गिराने का प्रयास कर रहा है। हम इन सब बातों में पड़ना नहीं चाहते हैं। लोगों ने उस पहली सरकार को क्यों गिरा दिया था जिसने आन्ध्र प्रदेश में निरन्तर शासन किया था ? आप तो उन्हें कई वर्षों से इतनी अच्छी सरकारें दे रहे थे। क्या वहां पर कांग्रेस सरकार अपने पापों के और उस व्यापक भ्रष्टाचार के भार से दब कर नहीं गिर गई जिससे लोग उकता गए थे ?

अब आप कहेंगे कि रामाराव भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हो सकते हैं यह तो मैं नहीं जानता हूं परन्तु फिर भी वहां पर ऐसी स्थिति है कि जब तक हम सभी लोग चाहे सरकार में हों या विपक्ष में दलबदल और प्रति-दलबदल की इस प्रवृत्ति के प्रति गंभीर नहीं हो जाते हैं··· (**व्यवधान**) यदि कोई दलबदल अपनी सीट से भी त्यागपत्र देने को तैयार है तो मुझे वह बुरा नहीं लगेगा। यहां बैठे मेरे मित्र ने अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया है। (**व्यवधान**) आपमें अपनी सीट से त्यागपत्र देने का साहस होना चाहिए और वापिस जाकर अपने लोगों का सामना करना चाहिए···(**व्यवधान**)। उन्होंने अपनी सीट से त्यागपत्र दे दिया है, परन्तु यह प्रक्रिया के अनुसार नहीं है और इसीलिए अध्यक्ष महोदय ने उसे स्वीकार नहीं किया है।

महोदय, कुछ भी हो यह तो राजनीतिक स्वार्थ है जो सब कुछ करा रहा है। आपको साम्यवादियों में दल-बदल नहीं मिलेंगे। मुझे अपने अच्छे मित्रों, भारतीय जनता पार्टी वालों का तो अधिक पता नहीं है, परन्तु मेरे विचार से आपको उनमें अधिक नहीं एक या दो ही दल-बदलू मिलेंगे··· **(व्यवधान)**। परन्तु तेलगुदेशम सहित सभी दलों में यह एक आम बात क्यों हो गई है ? तेलगुदेशम कोई स्वर्ग से तो नहीं उतरा था। तेलगु देशम मुख्यतया पुराने कांग्रेसियों से ही बना था। किसी राजनीतिक स्वार्थ के लिए 3, 4 या 5 व्यक्तियों द्वारा दल बदल की बात तो मैं समझ सकता हूं परन्तु 90 या 100, 50 या 60 व्यक्ति बार-बार दल-बदल करें तो ये कैसी पार्टियां हैं ? **(व्यवधान)**

तेलगुदेशम का जन्म कांग्रेस पार्टी से हुआ था और कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में वापिस जाना चाहते हैं। यही किस्सा है और उसके लिए उन्हें कुछ प्रोत्साहन दिया जा रहा है। कोई कहता है कि 10 लाख रुपये और कुछ लोग कह रहे हैं 12 लाख रुपये दिए जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को सरकार में लिया जा रहा है फिर चाहे वे कांग्रेस से हों, तेलगुदेशम से हों या अन्य किसी पार्टी से हों।

क्या हमें इन बातों पर चर्चा करनी चाहिए या नहीं ? उनका कहना है कि जब 1977 में जनता पार्टी सत्ता में आई तो उन्होंने नौ राज्य विधान सभाओं को भंग कर दिया। ऐसा उन्होंने इस बात की परवाह किए बिना किया था कि उन विधान सभाओं में उन सरकारों का बहुमत था या नहीं। इसी प्रकार, जब 1980 में कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो उन्होंने आठ राज्यों में राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। इसमें अन्तर क्या है ? वास्तव में, उनके विरुद्ध आपकी यह शिकायत है : "आप क्यों चिल्ला रहे हैं ? आप भी हम जैसे ही हैं। आप दर्पण में देखिए आपको वही सब दिखाई देगा।"

संविधान में संशोधन करके, जहां तक संभव हो, जिस प्रकार के राजनीतिक अवसरवाद को जानबूझकर पनपने दिया जा रहा है वह बन्द होना चाहिए, समाप्त होना चाहिए। और इस राज्यपाल को मनमानी करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। अब क्या किया जाना चाहिए। वह छुट्टी पर जा सकता है या वह जो चाहे करें परन्तु राज्यपाल को हटाया जाना चाहिए। दूसरे, विधान सभा की बैठक तुरन्त बुलाई जानी चाहिए। मेरी समझ में यह नहीं आया कि यह कहने से प्रधान मंत्री महोदया का क्या तात्पर्य था : "मुझे बताया गया है कि नये मुख्य मंत्री ने राज्यपाल को विधान सभा और पहले बुलाने की सलाह दी है।" मेरी समझ में तो यह आया नहीं और मैं अन्धकार में हूं। कृपया हमें बताइये और कम से कम गृह मन्त्री महोदय को हमें यह बताना चाहिए। अतः जब सदन में शक्ति परीक्षण होगा तो इस दल-बदलू मुख्य मन्त्री को वहां उपस्थित

रहने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। शक्ति परिक्षण के बाद जो कोई भी विजयी होता है उसे सरकार बनाने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस रामलाल को, जिसने संविधान की समग्र भावना को समाप्त कर दिया है, तुरन्त हटाया जाना चाहिए। उन्होंने राज्यपाल के पद को बदनाम किया है।

श्री अनन्त समल मल्लु (नगर कुरनूल) : महोदय, मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका आभारी हूं। आपको याद होगा कि पिछली बार, मैंने आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री, जिन्होंने तिरुपति के राज्यपाल के विरुद्ध कई वक्तव्य दिये थे, के भाषणों के बारे में चर्चा उठाई थी। उस समय आपने चर्चा की अनुमति नहीं दी थी।

सुबह से ही मैं विपक्ष के सभी नेताओं के भाषणों को धैर्य से सुन रहा था। कांग्रेस (इ) और केन्द्र की आलोचना करना प्रत्येक नेता का प्रायः यह फैशन ही बन गया है। न केवल मधु दण्डवते जैसे नेता जो, अपितु और भी कई सदस्य इस मामले पर बोल चुके हैं, तेलगुदेशम सरकार मात्र नारों के बल पर सत्ता में आई थी और उन्हीं नारों के साथ वह सत्ताच्युत हो गयी है।

उन्होंने वक्तव्य दिया था कि कांग्रेसियों में आत्म सम्मान नहीं है और वही बात उनके दल में भी हुई। तेलगुदेशम विधायकों ने अनुभव किया कि उनमें आत्म सम्मान की भावना समाप्त हो गई है। यही कारण है कि दल में फूट पड़ गई और श्री भास्कर राव को सरकार बनाने के लिए कहकर सरकार ने सही निर्णय लिया है।

मैं एक बात कहूंगा : आन्ध्र प्रदेश में तेलगु में एक कहावत प्रचलित है जिसमें कहा गया है : **"अडा लेका मड्डेला बोडू"** मैं इसको स्पष्ट करता हूं :

इस कहावत का अर्थ है कि एक प्रसिद्ध नर्तकी मंच पर आई और नृत्य प्रस्तुत करने ही वाली थी किन्तु नृत्य करना नहीं आता था। वह आई और श्रोताओं को बताया कि यह मृदंगम बहुत कमजोर है, यह तबला बहुत कमजोर है, अतः मैं नृत्य करने में असमर्थ हूं। विपक्ष और तेलगूदेशम के तर्क इस तर्क से किसी प्रकार कम नहीं हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से बता रहा

6.00 म० प०

हूं। वे सत्ता में थे। आन्ध्र प्रदेश की जनता ने उन्हें अपना नेता चुना था। उन्हें भारी बहुमत मिला था। उनके दल में किस कारण विभाजन हुआ ? हम इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। हम सदैव चुप रहते आए हैं। ये सभी नेता सुबह से ही लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की बातें कर रहे थे। जब आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री तथा उनके मंत्रिमण्डल के सहयोगी आन्ध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक

सिद्धान्तों का गला घोटने का प्रयत्न कर थे, तब उन्हें क्या हो गया था ? एक मंत्री ने तो यहां तक कहा था कि वे कांग्रेस (इ) द्वारा नियंत्रित सभी जिला परिषदों का तख्ता पलट देंगे। क्या उस समय आपने आंखें बन्द कर रखी थीं ? आप स्वयं पर कोई नियम लागू करते हों और दूसरों पर कोई ओर। जब कर्नाटक में चुनाव हुए तो श्री आर० के० हेगड़े भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से बहुमत का दावा लेकर राज्यपाल के पास आए। राज्यपाम ने उन्हें सहर्ष सरकार गठित करने के लिए कहा। क्या उसने किसी प्रकार की जांच करने के लिए कहा था ? अतएव, जब बात आप पर आती है तो कोई भी लोकतांत्रिक सिद्धांत लागू नहीं होता; जब कांग्रेस (इ) की बात आती है तो आप इन सभी चीजों की आलोचना करना चाहते हैं। आन्ध्र प्रदेश में क्या हुआ था ? जिला परिषद में केवल तेलगुदेशम के सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिए, उन्होंने उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था। अविश्वास प्रस्ताव रखने के उद्देश्य से उन्होंने छः मास और बढ़ा दिए; केवल एक व्यक्ति को बचाने के लिए अधिनियम में संशोधन किया। जब आन्ध्र प्रदेश में पंचायत राज समाप्त होने को था, तो विपक्ष के किसी नेता ने अपना मुंह नहीं खोला। आप श्रमिक संघों के नेता हैं; आप श्रमजीवी वर्ग के नेता हैं; आप निर्धन लोगों के नेता हैं; आप दावा करते हैं कि आप कमजोर वर्गों के प्रतिनिधि हैं। मैं दावा नहीं करता। आन्ध्र प्रदेश में 13,000 कर्मचारियों को बिना नोटिस दिए सेवा-निवृत्त कर दिया गया। हम चुप रहे। एक ही दिन में 13,000 कर्मचारी सेवा-निवृत्त कर दिए गए। उससे अगले दिन 14,000 ग्राम स्तर के अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया गया। वह पंचायत तथा स्थानीय निकायों का गठन करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन आपके लोग बाधाएं डाल रहे थे। सरपंचों का चुनाव सीधे विधायकों ने किया। हमारे स्थानीय निकायों के सरपंचों को मनोनीत नहीं किया गया था; यहां तक कि समितियों के सरपंच भी मनोनीत नहीं किए गए थे, उन सभी को आन्ध्र प्रदेश की जनता ने निर्वाचित किया था, जिसका उतना ही आत्म सम्मान तथा समर्पण है।

जब हरिजनों के पूरे के पूरे गांव जला दिए गए थे, तब आपकी आंखों को क्या हो गया था ? आन्ध्र प्रदेश के आपके हरिजन कल्याण मंत्री को क्या हो गया था ? क्या वह आज तक उस स्थान को देखने गए ? क्या आप इस बात पर लज्जित नहीं हैं ? जब 83 परिवारों को जला दिया गया था तो उस समय आपकी आंखों को क्या हो गया था ? हमारी प्रिय नेता राज्य के दौरे पर गई थीं। कमजोर वर्गों के प्रति आप में न तो शिष्टाचार है और न ही सहानुभूति। (व्यवधान) आन्ध्र प्रदेश मत्रिमंडल में दो मंत्री हैं। क्या कोई मंत्री वहां गया है ? क्या आप कृपया उसका नाम बता सकते हैं ? यदि यह सिद्ध हो जाए तो मैं त्याग पत्र दे दूंगा। यदि आप यह सिद्ध कर दें तो मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूं।

उसने हरिजनों पर अत्याचारों की जांच करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हरिजनों पर अत्याचारों के लिए तेलगुदेशम के विधायक तथा उनके

अनुयायी उत्तरदायी हैं। वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करते हैं। क्या तथाकथित लोकतांत्रिक नेता श्री बहुगुणा वहां गए हैं ? क्या इन नेताओं ने मुख्य मंत्री को उक्त रिपोर्ट पर कार्यवाही करने की सलाह दी ? उन्हें ऐसा करने की कभी फुर्सत ही नहीं थी। अब वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बात करते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : यही कारण है कि दल विभाजित हो गया है।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : महोदय, आपने हमारी प्रिय प्रधान मंत्री की आलोचना करने मात्र के लिए श्री चरण सिंह को काफी अवसर दिया है। मैं आन्ध्र प्रदेश से सम्बन्ध रखता हूं। पिछले कई दिनों से मैंने अपना मुंह नहीं खोला, यद्यपि मेरे लोगों पर आक्रमण किए गए, यद्यपि मेरे विधायकों पर हमले किए एए, यद्यपि मेरे गांव नष्ट कर दिए गए··· (**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : आपने मुंह क्यों नहीं खोला ?

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : इन्द्रजीत गुप्त जी, मुझे खुशी है कि कम से कम आपने एक अच्छी बात कही है। मुझे समझ में नहीं आता, उस दिन आपके दल के सचिव ने हैदराबाद में एक बयान दिया था कि इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि रामाराव अपना बहुमत सिद्ध करेंगे। उसने बयान दिया था कि शक्ति-परीक्षण की बजाए यह बेहतर होगा कि विधान सभा को भंग कर दिया जाए। एक ओर तो उनका दल संसद में मुख्य मन्त्री का समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर उनके दल का सचिव यह बयान दे रहा है कि इस बात की कोई गारन्टी नहीं है कि बहुमत सिद्ध हो जएगा। इसलिए यह चीजें हो रही हैं। मैं किसी पर आरोप लगाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं। ये केवल तथ्य हैं जो मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं।

चौधरी चरण सिंह ने भी एक बहुत बड़ा बयान दिया है। वह प्रधान मन्त्री के रूप में सत्ता में आए थे। पता नहीं कि वह यह कैसे भूल गए कि कि वह किन शर्तों पर प्रधान मन्त्री बने थे। अब विपक्षी नेता सिद्धान्तों की बातें कर रहे हैं। तेलगु में एक कहावत है—देय्यालू वेदालु धोन्तिुं—तलुडि—जिसका अर्थ है 'शैतान मंत्र उच्चारे'। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिलकुल ठीक कहा है। मैं उनके बयान का स्वागत करता हूं और इसके साथ-साथ मैं केवल दो या तीन मुद्दों का उदाहरण दूंगा।

जब मुख्य मन्त्री रामाराव को राज्यपाल से यह पत्र मिला था कि वह त्याग-पत्र दे दें तो उन्हें त्याग-पत्र दे देना चाहिए था···(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य : वह क्यों त्याग-पत्र देते ?

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मैं उसी मुद्दे की ओर आ रहा हूं। मैं अपना विचार प्रकट कर रहा हूं। त्याग-पत्र देने की बजाए वह राज्यपाल को धमकी देने के लिए राज भवन गए। उन्होंने कहा "मैं राज्यपाल को नए मुख्य मन्त्री को शपथ नहीं दिलाने दूंगा···(**व्यवधान**) आप तथाकथित अवसरवादियों के साथ अनावश्यक रूप से क्यों मिल रहे हैं ?···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्लु, आप कृपया मुझे सम्बोधित करते हुए बोलें।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : मुख्य मन्त्री श्री रामाराव ने कभी भी राज्यपाल को विधायकों की हस्ताक्षरयुक्त सूची प्रस्तुत नहीं की और यह नहीं कहा कि ये मेरे समथक हैं···(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार उठ खड़े होते हैं। यह सज्जन कौन हैं ? माननीय सदस्य, कृपया टोकाटाकी न करें। आप बार-बार बिना अनुमति के उठ खड़े होते हैं। मैं नहीं जानता कि आपके पीछे क्या भावना है।

श्री अनन्त रामुलु मल्लु : अब वे कह रहे हैं कि उनके साथ 161 सदस्य हैं। उधर वह कह रहे हैं कि आज सुबह 91 सदस्य राज्यपाल के सामने प्रस्तुत किए गए, इधर वह यह कह रहे हैं कि 161 सदस्य उनके साथ हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि तेलगुदेशम की सदस्य संख्या 251 है। जहां तक मुझे जानकारी है, केवल 199 या इतने ही कुछ सदस्य निर्वाचित हुए थे। अतएव ये गलत आंकड़े हैं। न तो हम श्री रामाराव पर और न ही किसी अन्य राजनीतिक दल पर आरोप लगाना चाहते हैं, हमें इसमें रुचि नहीं है, लेकिन हमारे कुछ मित्र यह कहकर धमकी दे रहे हैं, 'क्या आप गांवों में जा सकते हैं ?' मैं विपक्षी सदस्यों को स्पष्ट रूप से याद दिला रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत श्रीमती इन्दिरा गांधी को बार-बार सरकार बनाने से नहीं रोक सकती। मैं आपको खुले आम चुनौती दे रहा हूं। जनता आपके आचरण से भली भांति परिचित है, वह जानती है कि जब आपने सरकार बनाई थी तो क्या गुल खिलाया था और अब आप क्या कर रहे हैं। आप सिद्धांतों को भूल चुके हैं, आप विचारधाराओं को भूल चुके हैं, आप अपने दल की नीतियों को भूल चुके हैं, आप अपने चुनाव घोषणा-पत्र को भूल चुके हैं और अब आप अवसरवादियों के साथ गठजोड़ कर रहे हैं और आप सरकार बनाना चाहते हैं। मैं जानता हूं भाजापा के नेता हैदराबाद क्यों जा रहे हैं। विधान सभा में उनके चार सदस्य भी नहीं है लेकिन श्री रामाराव की कृपा से उन्हें परिषद में एक स्थान मिल गया है। अब वे उसका समर्थन करना चाहते हैं क्योंकि यह उनके दलगत हितों में सहायक हैं। श्री बहुगुणा हैदरावाद गए थे। में उनका बहुत आदर करता हूं। मैं यह नहीं कहता कि मैं उनका आदर नहीं करता। लेकिन वे श्री रामामाव के नाम पर आन्ध्र प्रदेश में घुसना चाहते हैं। वे अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए श्री रामाराव का उपयोग करना चाहते हैं। भगवान वेंकटेश्वर से मेरी केवल यही

प्रार्थना है कि वे श्री रामाराव को आशीर्वाद दें, विपक्ष के इन लोगों को नहीं जो आन्ध्र प्रदेश में पैर जमाकर वहां सरकार बनाना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैं अपना समय श्री कमल नाथ झा के लिए छोड़ता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अनुभवी सदस्य हैं। आप प्राक्रिया से परिचित हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह ऐसे नहीं हो सकता। यदि आप नहीं बोलेंगे तो मैं किसी दूसरे सदस्य का नाम पुकारूंगा। मैं आपको बोलने के लिए कह रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बहुगुणा जी, यह मेरा काम है। मैं आपका नाम पुकार रहा हूं। आप बोलें चाहे न बोलें। सदस्यों को बोलने के लिए पुकारना केवल मेरा विशेषाधिकार है किसी और का नहीं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं बोलना चाहते तो मैं किसी दूसरे का नाम पुकारूंगा। यदि श्री बहुगुणा नहीं बोलते तो मैं श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव को बोलने के लिए निमन्त्रित करता हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : कृपया मेरी बात सुनिए···**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस मुद्दे पर मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा।

श्री के० मायातेवर : हम विरोधस्वरूप बहिर्गमन करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने त्याग-पत्र दे दिया है।

6.13 म० प०

सदस्य द्वारा त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे बिहार के सहरसा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित लोक सभा के एक सदस्य श्री कमल नाथ झा से लोक सभा की सदस्यता से 22 अगस्त,

1984 से त्याग-पत्र देने के बारे में एक पत्र मिला है और मैंने 22 अगस्त, 1984 से उनका त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा (गढ़वाल) : मेरा एक निवेदन है। मान्यवर, मैं इस बात से अपना खेद प्रकट करता हूं—हमने यह चाहा था कि एक माननीय सदस्य को बोलने का अवसर दिया जाता। आन्ध्र में डिफेक्शन हो रहा है। यहां भी एक मेम्बर एक परम्परा कायम कर रहे थे कि इस्तीफा देकर जाते हैं, लेकिन उनको आपने बोलने नहीं दिया। मैं इसी के विरोध में···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : तब तक आपने उनका इस्तीफा मन्जूर नहीं किया था। सदन का सदस्य होने के नाते उन्हें बोलने का मौका दिया जाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हूं। मैंने निर्णय ले लिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बहुगुणा बोल रहे हैं। यदि वह बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, दूसरे नहीं बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि वह बोलना नहीं चाहते तो मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने नियमानुसार कार्यवाही की है और मैं अपने निर्णय पर दृढ़ हूं। यह बहुत ही सरल है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री बहुगुणा कहते हैं उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)**

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, वह इस सभा के माननीय अध्यक्ष के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप कर रहे हैं। मैं इस पर आपत्ति करता हूं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बूटा सिंह : आप यह कैसे कर सकते हैं। क्या जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष जी, आप कह रहे हैं कि जो कुछ किया है वह नियमों के अनुसार ही किया है। शायद मैं समझता हूं कि आपका इशारा उस नियम के अनुसार है जिसके अंतर्गत एक मेम्बर त्याग पत्र देते समय कोई कारण नहीं बता सकता। वह त्याग पत्र आपने बाद में स्वीकार किया है, मगर वह मेम्बर पहले से इस सदन में अपनी बात कहने की कोशिश कर रहा था।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह मेम्बर अपनी पार्टी नहीं चेंज करता, मैं किसी को भी अनुमति नहीं दे सकता। मैं किसी को अनुमति देता परन्तु इस तरह से नहीं। श्री बहुगुणा कह रहे हैं 'मेरा समय उन्हें दे दीजिए।' वह अभी भी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बहुगुणा जी कहें कि मेरा टाइम इनको दे दो, यह नहीं हो सकता।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, उसको बोलने देना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय : अभी तक वो कांग्रेस पार्टी का मेम्बर था। जब तक वह मेरे पास न लिखकर दे दे तब तक वह था और जब वो मुझे आकर कहे कि मैं रिजाइन कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी से या हाउस से तब कुछ होता है जब मैं कार्यवाही कर लूं। उसको आपका टाइम देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं बिल्कुल बाध्य नहीं हूं श्रीमन्। मैं तो जिसको चाहूंगा उसको बुलाऊंगा, जिसको मैंने टाइस दिया है वही बोलेगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर कोई डिसहैशन नहीं है और न ही मेरी रूलिंग पर डिसकशन हो सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हुआ वह ठीक नहीं हुआ।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : अध्यक्ष महोदय, जब चारों तरफ दल-बदल के बादलों की मंडराती हुई छाया में हम इस बहस को चला रहे हैं, उस वक्त···**(व्यवधान)** हमारे एक सदस्य को आपने बोलने को मौका नहीं दिया। इसके विरोध में अब हम जनता की पार्लियामेंट में बोलेंगे। इसके विरोध में हम वाक-आउट करते हैं।

(श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से उठ कर चले गये)

(व्यवधान)

श्री बूटा सिंह : महोदय, वे निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। यह महसूस करने पर कि इसमें कोई सत्यता नहीं है और उनके पक्ष में कोई तथ्य नहीं हैं, वे अब सभा से बाहर चले गये हैं** (व्यवधान)

6.20 म० प०

आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह पता लगाये बिना कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में श्री एन० टी० रामा राव को बहुमत प्राप्त है या नहीं, श्री रामा राव के मंत्रिमण्डल को बर्खास्त किये जाने की राज्यपाल की कार्यवाही का निरनुमोदन करने के बारे में प्रस्ताव—जारी

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रो० दण्डवते द्वारा पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। और मैं न कवल ···का विरोध करता हूं किन्तु ···भर्त्सना भी करता हूं।

श्री रामेश्वर नीखरा (होशंगाबाद) : अध्यक्ष जी, इनको जानकारी हो गई थी कि भास्कर राव ने अपनी मेजौरिटी साबित कर ली है, इसलिए ये लोग वाक आऊट कर गये हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मैं आन्ध्र प्रदेश का हूं और मैं यहां अपने कई मित्रों से बेहतर तथ्य को जानता हूं और मैं आन्ध्र प्रदेश के राज्य पाल की कार्यवाही की कड़े शब्दों में भर्त्सना करता हूं। यह घटना हमारे इतिहास में स्वतंत्रता के उत्तरवर्ती युग के सबसे बुरे कारनामे के रूप में लिखी जायेगी।

महोदय, सरकारें पहले भी बर्खास्त की गईं। दूसरे पक्ष के मित्र वर्ष 1977 की घटनाओं की पुनरावृत्ति करते आ रहे हैं। हां, 1977 में जनता पार्टी ने भी नौ राज्य सरकारों को इस तर्क पर बर्खास्त किया था कि उन्होंने तब जनमत खो दिया है जब उन राज्यों के लोगों ने संसदीय चुनावों में उनके विरुद्ध मतदान किया। किन्तु इस सरकार ने 1980 में क्या किया ? इस सरकार ने 1980 में वही बात की।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : मैं जानना चाहता हूं कि इन्होंने वाक आऊट किया है या नहीं ? मुझे इस पर निर्णय चाहिए।

**अध्यक्ष पीठ के आदेश से कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : किसी के घर कोई आया था। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खोला और अन्दर वाले ने देखा कि आदमी सामने खड़ा है। उसने कहा, अरे भई, मैंने सुना था कि तुम मर गये हो। उसने कहा, तेरे सामने खड़ा हूं। कहने वाला आदमी बड़ा बा-एतवार था। ये तो फिर भी सामने खड़े हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे आशा है कि मेरे मित्र ने अपनी आंखें नहीं खो दी हैं। 1980 में जब यह सरकार सत्ता में आयी तो इसने क्या किया ? आप इससे नहीं बच सकते क्योंकि जनता ने इसकी कीमत चुकाई है और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि आपने जो कुछ किया है उसकी आपको कीमत चुकानी पड़ेगी।

आचार्य भगवान देव : मेरे पास आज की रिपोर्ट है। भास्कर राव अपने 95 आदमी साबित कर चुका है। आइने में अपना चेहरा देखो। अब आपके पास कुछ नहीं रखा है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : कई सरकारें बर्खास्त की गई हैं किन्तु मैं कहूंगा कि यह एक बहुत बुरी बात हुई है। मैं पूछता हूं कि क्या किसी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार को इतनी बुरी तरह से तथा शर्मनाक तरीके से किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में बर्खास्त किया गया है ? यहां कुछ मित्रों का कहना है कि भास्कर राव के साथ 92 विधान सभा सदस्य उपस्थित थे और जहां तक इन सदस्यों की संख्या का सम्बन्ध है, काफी विरोधाभास है। मैं इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि 15 तारीख को अर्थात् स्वतंत्रता दिवस को श्री रामा राव अपने सदस्यों के साथ राज्यपाल को मिलने गये और राज्यपाल ने उन्हें गिरफ्तार करवाया और उनके साथ सभी विधान सभा सदस्यों ने भी गिरफ्तारी दी। मैं गृह मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या कोई राज्यपाल किसी मुख्य मन्त्री को, जो सता में है, गिरफ्तार करवा सकता है। अतः जब श्री रामा राव और उनके अनुयायी-गिरफ्तार किये गये थे तब मुख्य मन्त्री को औपचारिक रूप से बर्खास्त नहीं किया गया था। वह मुख्य मन्त्री बने हुए थे।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : वह तथ्य है कि वह तब तक बर्खास्त किए जा चुके थे। आपको यह तथ्य जानना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : किन्तु हमें यह बताया गया कि सूचना उसके बाद ही निकली।

अध्यक्ष महोदय : यह बात कई बार कही गई है। **(व्यवधान)**

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : अतः यहां भी राष्ट्रपति किसी भी प्रधान मंत्री को

गिरफ्तार करवा सकता है। यह स्पष्ट किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि ये घटनाएं 15 अगस्त की घटीं। इसी सभा में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या को अर्थात् 14 अगस्त को, गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री ने आतंकवादी प्रभावित क्षेत्र (विशेष न्यायालय) विधेयक, जो एक नागरिक के मूलभूत अधिकारों और मानवीय अधिकारों पर ही आघात करता है, पुरःस्थापित किया। अगले ही दिन अर्थात् स्वतंत्रता दिवस को ही हैदराबाद में ये घृणित घटनाएं घटीं।

महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी ने एक वक्तव्य में कहा था कि न तो स्थानीय कांग्रेस (इ०) ने अनुमति ली और न ही उन्हें राज्यपाल की कार्यवाही की कोई जानकारी है और ना ही उनके सहयोगी इस बारे में जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस बारे में एक समाचार एजेन्सी की रिपोर्ट से ही पढ़ा है। सर्वप्रथम मैं नहीं जानता कि इस पार्टी में कब से लोकतंत्र आया है। इसके अलावा कि यदि प्रधानमन्त्री अथवा उनके सहयोगियों को ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना की जानकारी नहीं थी, तो इससे स्वयं यह सिद्ध हो जाता है कि आपने इस देश में शासन करने के अधिकार को खो दिया है। आपके गुप्तचर्या विभाग को क्या हो गया है, गृह मन्त्री को क्या हो गया है; आपकी पुलिस और उन विभिन्न एजेन्सियों को क्या हो गया है जिन्हें आपको रिपोर्ट देनी है? वास्तव में प्रधान मन्त्री से यह सुनते हुए आश्चर्य होता है कि उन्हें इस बात की लेशमात्र भी जानकारी नहीं है कि क्या होने जा रहा है। यह मुगल सामाज्य के अंतिम दिनों का अवशेष जैसा है जब विभिन्न क्षेत्रों सुवेदार जो चाहे करते थे और मुगल सामाराज्य को तथ्यों की जानकारी नहीं होती थी।

राज्यपाल संविधान की उत्पत्ति है। यह वास्तव में अत्यन्त खेद जनक बात है कि इस विशेष मामले में राज्यपाल ने, जो स्वयं संविधान की ही रचना है, संविधान को ही पूरी तरह से नष्ट करने का मार्ग अपनाया है।

मेरे राज्य के मित्र रामा राव अथवा दूसरों के आचरण पर चर्चा कर रहे हैं। हमें इसकी परवाह नहीं है। जिन्होंने ऐसा किया है, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने राज्य के उन लोगों पर आक्षेप किया है जिन्होंने इतने बड़े बहुमत से उन्हें चुना है। वहां से संसदीय चुनावों में जीतने के तुरन्त बाद विधान सभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की बुरी तरह से पराजय हुई। किन्तु विधान सभा चुनाव में हारने के बाद कितने संसद सदस्यों ने कांग्रेस पार्टी से त्याग पत्र दिया है।

हमें 1967 अथवा 1977 को दोहराना नहीं चाहिए अथवा नैतिकता की बात नहीं करनी चाहिए। हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ है और कौन किधर गया है। किन्तु अब मुख्य बात यह है कि स्थिति को कैसे सुधारा जाये। विधान सभा बुलाना ही काफी नहीं है। मुख्य मंत्री ने यह दावा किया है कि उन्हें बहुमत प्राप्त है। क्या राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त किया है? विधानसभा नहीं बुलाई गई। बहुमत का परीक्षण सभा में नहीं हुआ और न तो वह उन सदस्यों की गिनती करने की

तैयार हुए। अब सरकार केवल यही कर सकती है कि वह राज्यपाल को तत्काल वापस बुलायें और सुनिश्चित करें कि विधानसभा का तत्काल अधिवेशन बुलाया जाये ताकि दोनों पार्टियों के बहुमत की सभा में परीक्षा की जाये। यह एक पूर्व उदाहरण है जिसका प्रत्येक लोकतांत्रिक देश में अनुकरण किया गया है। ऐसे भी उदहारण हैं जब मुख्यमंत्रियों ने बहुमत न होने पर त्याग पत्र दिया है। यह उन्होंने अपने आप किया अथवा जब सभा में उन्होंने बहुमत खो दिया था। कभी भी किसी मुख्य मंत्री को बर्खास्त नहीं किया गया? यद्यपि वह बहुमत का दावा करते हैं परन्तु उन्हें अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर देने से पहले ही बर्खास्त किया गया। सदस्यों की गिनती भी नहीं की गई। लोग जाली शिनाख्त पत्रों आदि की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में क्यों कहा जाये और क्यों न विधान सभा को तत्काल बुलाया जाये? हम जानना चाहते हैं कि "एडवांसिंग" पहले बुलाने का अर्थ क्या है? क्या एक सप्ताह या दस दिन पहले बुलायी जा रही है? विधान सभा कब बुलायी जा रही है? अतः मेरा गृह मंत्री से अनुरोध है कि वह यह स्पष्ट करें कि सरकार इस संकटमय स्थिति से देश को बचाने के लिए क्या करने का सोच रही है?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : इस समय मैं बड़ी असाधारण स्थिति में हूं कि मुझे व्यवहारिक रूप से समूचे विपक्ष का समर्थन करना पड़ रहा है, (**व्यवधान**) समूचे देश में सरकार के निर्णय को और यहां तक कि सत्तारूढ़ दल द्वारा किए गए बचाव में कही गई बातों को गलत माना गया है। उन्हें बचाव करना होगा। अंततः उन्होंने सरकार बनाई है और राज्यपाल उनके द्वारा नियुक्त किया गया है। अतः उन्हें बचाव करना होगा। उन्होंने बचाव में जो कुछ कहा है वह बहुत कमजोर है। यह बचाव उस वकील द्वारा की गई दलील जैसी थी जिसे यकीन था कि उसका मुवक्किल दोषी है। प्रधानमंत्री के वक्तव्य से भी पता चलता है कि वे भी इस निर्णय से स्वयं को सम्बद्ध करना नहीं चाहतीं और उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसलिए यह निर्णय गलत है और समूचा देश जानता है कि यह निर्णय गलत है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि वह गलत निर्णय अभूतपूर्व नहीं है। 1967 से ही इस प्रकार के निर्णय किये जाते रहे हैं। तब से ही सरकारों को गिराने की प्रक्रिया चल रही है। और उन्होंने देवराज अर्स की सरकार के मामले के बारे में भी कहा है। किसी अन्य सदस्य ने उन सरकारों के मामले उठाए जिन्हें 1980 में बर्खास्त कर दिया गया था। मैं समझता हूं कि सरकार बर्खास्त करने के मामले में वर्तमान सत्तारूढ़ सरकार की खासियत है कि वह पक्षपातपूर्ण नहीं है। सिक्किम में उन्होंने अपनी ही सरकार और··· ···के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया।

एक माननीय सदस्य : आपने सिक्किम सरकार बर्खास्त किए जाने की मांग की थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यदि आप मेरी सभी मांगें स्वीकार कर लें तो मैं समझता हूं आप

में सुधार आएगा। केवल इसी मांग को क्यों स्वीकार किया गया ? मैंने भी सिक्किम सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। लेकिन उस सरकार के मुख्य मंत्री ने दावा किया कि उनके पास बहुमत था। और मैं समझता हूं कुछ हद तक उन्होंने प्रदर्शन-सा किया। लेकिन कई कारणों से उन्होंने इसे बर्खास्त कर दिया। अत: हम कह सकते हैं कि यह स्थिति अभूतपूर्व नहीं है। लेकिन पुन: मैं यही कहूंगा कि आज यह तथ्य कि पहले भी ऐसा हुआ है अथवा जब विपक्षी दल सत्ता में था तब ऐसा किया गया था, कोई तर्क नहीं है। तथ्य यह है कि इस तरह की कार्यवाही से, ऐसे गलत निर्णय लेने से लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा कम हो गई है और इसकी व्यवहार्यता के बारे में बहुत गंभीर प्रश्न उठ खड़े हुए हैं।

इसलिए, इस थोड़े समय में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि किसी तरह हमें राजनीति में आई इस बुराई से छुटकारा पाना होगा। प्रश्न यह है कि ऐसा कैसे किया जा सकता है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने संविधान में संशोधन किए जाने का सुझाव दिया। किस तरह का सांवैधानिक संशोधन ? क्या आप राज्यपाल पर कुछ प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं ? ठीक है, समस्या का समाधान इससे नहीं होगा। यहां तक कि रामा राव के दल में भी, 200 शक्तिशाली सदस्य थे। श्री भास्कर राव ने 95 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने का दावा किया है और यहां तक कि श्री रामा राव ने 50-60 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने की बात मान ली है। मेरे विचार से आज सूची पारिचालित की गई, उसमें 162 सदस्यों का नाम है जिनमें 19 सदस्य विपक्ष के हैं। 19 सदस्यों को कम करने के बाद यह संख्या 143 रह जाती है। इसका अर्थ है 57 सदस्य अन्य दल में हैं। उन्होंने स्वयं यह स्वीकार किया है। तथ्य यह है कि '57' सदस्यों की संख्या कम नहीं है। यह बहुत बड़ी संख्या है और मैं समझता हूं उन सभी सदस्यों का निर्वाचन श्री रामा राव के प्रभाव के कारण ही हुआ है। आंध्र प्रदेश में रामा राव की लोकप्रियता के कारण उनका निर्वाचन हुआ। अब उन्होंने जाने का निर्णय ले लिया है। अत: मात्र राज्यपाल के अधिकारों में संवैधानिक संशोधन करने से ही सरकार में नियतकालिक परिवर्तन करने की समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा। मैंने यह भी कहा कि दल-बदल रोक संबंधी विधेयक, जिसके बारे में बहुत से सदस्यों ने कहा, भी प्रभावशाली नहीं है। कल मैं बम्बई से आ रहा था और हवाई जहाज में कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि हमें दल-बदल रोक संबंधी कानून बनाना चाहिए। लेकिन उसे भी तोड़ा-मरोड़ा जा सकता है।

श्री रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : यह विधेयक श्री वेंकटसुब्बय्या ने प्रस्तुत किया था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम जानते हैं। उन्होंने यह विधेयक गैर सरकारी सदस्य के नाते प्रस्तुत किया न कि मंत्री होने के नाते। लेकिन पुन: यह किसी व्यक्ति विशेष द्वारा दल-बदल के प्रश्न से संबद्ध हो सकता है।

अत: अन्त में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि यदि स्थिर सरकार तथा ऐसी सरकार जहां जनता के लिए निर्वाचित व्यक्ति 5 वर्ष तक शासन कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि वर्तमान संसदीय प्रणाली ठीक नहीं है। राष्ट्र को राष्ट्रपतीय प्रणाली पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

श्री जी० एम० बनातवाला (गोन्दानी) : महोदय, वह सदन से बाहर जा रहे हैं और इसलिए मैं बोलने के लिए आगे आया।

अध्यक्ष महोदय : आपने ठीक किया है।

श्री जी० एम० बनातवाला : अध्यक्ष महोदय, हमने आंध्र प्रदेश में आए संकट की चर्चा की हमें इस दुर्भाग्यपूर्ण संकट में मारे गए लोगों के लिए बहुत दु:ख है और हमें उन व्यक्तियों के प्रति भी सहानुभूति है जो इसमें घायल हुए।

अनुच्छेद 164(1) में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, आदि आदि। दुर्भाग्य से, न्यायालयों ने बार-बार यह विनिर्णय दिया है कि यह अनुच्छेद 164(1) राज्यपाल द्वारा मुख्य मंत्री नियुक्त किए जाने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाता। और इसलिए ऐसे मामलों पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। 1965 में महावीर प्रसाद शर्मा बनाम पी० सी० घोष और अन्य व्यक्तियों के मामले में भी यही निर्णय लिया गया। ऐसा ही निर्णय 1952 में राजगोपालाचारी के मामले में भी लिया गया।

मैं सादर निवेदन करता हूं कि यद्यपि न्यायालय राज्यपाल की इच्छा के प्रश्न की जांच नहीं कर सकते, यह सभा निश्चित रूप से ऐसा कर सकती है। न्यायालयों पर संविधान की रोक हो सकती है और वे राज्यपाल की इच्छा संबंधी प्रश्न और उनसे सम्बन्धित मामलों की जांच करने से रोक सकते हैं, तथापि इस सभा में, हमें वास्तविकताओं पर कड़ी नजर डालती होगी। अनुच्छेद 164(2) में कहा गया है :

"मंत्री परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी।"

जब यह प्रावधान है कि मन्त्री परिषद राज्य की विधान सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी तो इसका अर्थ है कि इसका निश्चय विधान सभा करेगी कि क्या मन्त्रिपरिषद को उसका विश्वास प्राप्त है या नहीं। मेरा निवेदन है कि आप विधानमण्डल को अपनी लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति करने से वंचित नहीं रख सकते। विद्यमान मन्त्रिपरिषद को राज्य की विधान सभा में अपना बहुमत व्यक्त करने का अवसर न देने का अर्थ यह है कि एक नामनिर्देशित राज्यपाल निर्वाचित

विधान सभा के मुकाबले संवैधानिक लोकतंत्र का बेहतर संरक्षक है। यह एक खतरनाक विचार है। इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि यही रास्ता सही था कि बहुमत का फैसला विधान सभा में करने की अनुमति दी जाती।

तथापि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सत्तारूढ़ सरकार ने, चाहे वह किसी भी दल से संबंधित थे, इस स्वर्णिम सिद्धांत का कभी पालन नहीं किया। कांग्रेस के शासन में भी इसका पालन नहीं किया गया। यहां तक कि जब जनता सरकार सत्ता में थी, आज जो कुछ वे कहते है, उसके बावजूद वे भी इस स्वर्णिम सिद्धांत का पालन करने में असफल रहे, जिससे लोकतंत्र को बढ़ावा मिलता है तथा देश के कानून में प्रत्येक नागरिक का विश्वास दृढ़ होता है। यह पहले भी कहा जा चुका है कि 1977 में, जब कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ गई थी, कांग्रेस (ई०) के श्री देवराज अर्स को, जो कि कर्नाटक के मुख्य मंत्री थे, विधानसभा में अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर नहीं दिया गया था। 1977 में, जब जनता पार्टी सत्ता में थी, तो राज्यपाल, श्री गोविंद नारायण ने स्वयं कहा था :

> "मैं इस विचार का पूर्ण आदर करता हूं कि राज्य मंत्रिपरिषद को बहुमत का परीक्षण विधान सभा में किया जाना चाहिए। यह एक स्वस्थ परंपरा है। किंतु यह संविधान का अनिवार्य उपबन्ध नहीं है।"

यह और भी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि केन्द्र में जिसके भी हाथ में सत्ता है, रही, चाहे वह कांग्रेस हो या तत्कालीन जनता पार्टी, इस स्वर्णिम सिद्धांत का पालन नहीं किया गया। यही कारण था कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1969 में राज्यपालों को विवेकाधिकार देने की आवश्यकता का अनुमोदन किया किन्तु उन्होंने ऐसे अधिकारों का प्रयोग के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत निर्धारित करने की सिफारिश की थी। अत: मैं कहूंगा कि मार्गनिर्देश निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए संविधान में भी संशोधन किया जा सकता है। यद्यपि आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री को विधान सभा में अपना बहुमत सिद्ध करने की अनुमति न देने का कोई औचित्य नहीं हो सकता, जबकि यह आरोप लगाया गया था कि वह बहुमत खो चुके हैं, यद्यपि राज्यपाल द्वारा उठाए गए कदम का कोई औचित्य नहीं है, तथापि मैं इस सदन से एक महत्वपूर्ण निवेदन यह करना चाहता हूं कि आंध्र प्रदेश के मुख्य मन्त्री इस घटना से पहले ही सत्ता में बने रहने का प्रशासनिक औचित्य खो चुके थे।

आप अच्छी तरह जानते हैं कि आंध्र प्रदेश की क्या स्थिति थी। उनके 19 महीने के शासन के दौरान, अकेले हैदराबाद में तीन सांप्रदायिक दंगे हुए। यहां तक कि हाल ही में हुए सांप्रदायिक दंगे में कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ठप्प हो गई। यहा मैं कांग्रेस के सदस्यों अ० भा० कां०

क० की 1969 की अल्पसंख्यकों सम्बन्धी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का स्मरण कराना चाहता हूं। मैं इसे उद्धृत करता हूं, उनकी यह रिपोर्ट है। मैं उन्हें स्मरण करा रहा हूं :—

> "यदि किसी मामले में दंगा 12 घंटे से अधिक समय तक जारी रहता है तो स्थानीय अधिकारियों को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए। यदि 24 घंटे के भीतर उस पर नियंत्रण नहीं हो पाता तो इसके लिए गृह सचिव, मुख्य सचिव और पुलिस महानिरीक्षक को दोषी ठहराया जाना चाहिए और यदि हिंसा 48 घंटे से अधिक समय तक जारी रहती है, तो इसकी जिम्मेदारी सीधे राज्य सरकार पर डाली जानी चाहिए।"

हमने सदैव यह रुख अपनाया है कि चाहे वह महाराष्ट्र में कांग्रेस (आई) सरकार हो या आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम सरकार जब सांप्रदायिक दंगे फैलें तो उनसे निपटा जाना चाहिए। इन्हें सत्ता संभालने में बने रहने का अब कोई हक नहीं है।

लेकिन यहां आंध्र प्रदेश के मामले में, स्थिति और भी खराब थी। वहां केवल कानून और व्यवस्था ही ठप्प नहीं हुई थी बल्कि हाल ही के दंगों के दौरान सरकार नाम की चीज भी नहीं रही। मुख्य मन्त्री अपने इलाज के लिए बाहर गए थे। वह स्वयं गृह मंत्री भी थे। वह आंध्र प्रदेश में इस काम को संभालने के लिए किसी और को नामजद नहीं कर गए और वहां स्थिति बड़ी असामान्य हो गई, प्रशासन टूट गया।

जब राज्य साम्प्रदायिक हिंसा की लपेट में था तब इसका कोई भी प्रभारी मन्त्री नहीं था। साम्प्रदायिक दंगों से निपटते समय अफसरों ने मन्त्रियों को अन्धेरे में रखा। कई निर्णय मुख्य सचिव द्वारा लिये गए और मन्त्रियों के इन निर्णयों की जानकारी समाचार-पत्रों से हुई।

हमें बताया गया है कि कर्फ्यू लगाने, विधायकों को गिरफ्तार करने और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बुलाने आदि के निर्णय मंत्रिमंडल की जानकारी के बिना लिए गए।

अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि वहां असाधारण स्थिति थी संविधान के उपबन्धों के अनुसार वहां कोई शासन नहीं था। जब यह आरोप लगाया गया था कि मुख्य मंत्री ने अपना बहुमत खो दिया है तब मुख्य मंत्री को विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने की अनुमति नहीं दी गई थी यद्यपि इसका और कोई औचित्य नहीं था। राज्यपाल ने यहां अवश्य ही गलती की थी परन्तु यह सब होने से पूर्व जैसा कि मैं कह चुका हूं मुख्य मन्त्री अपने पद पर बने रहने का प्रशासनिक औचित्य गंवा चुके थे।

इससे पूर्व कि मैं समाप्त करूं मैं इस तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

वहां संविधान के उपबन्धों के अनुरूप कोई सरकार नहीं थी और इसलिए मुख्य मंत्री के कार्यों के कारण और मुख्य मंत्री के कार्य करने के ढंग के कारण राज्यपाल को इस घटना से पूर्व भी कार्यवाही करनी पड़ी थी अथवा हस्तक्षेप करना पड़ा था :

राव बीरेन्द्र सिंह बनाम संघ सरकार के मामले में न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की थी जिसकी आप जांच कर सकते हैं।

"राज्यपाल के प्रतिवेदन में यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त सामग्री है कि राज्य का प्रशासन ठप्प पड़ चुका था और इसका वास्तविक कार्यकरण नहीं के बराबर था क्योंकि मंत्री न केवल नीतियां बनाने बल्कि उनके क्रियान्वयन की ओर ध्यान देने में असमर्थ थे।"

जैसा कि मैंने कहा है कि वहां एक समानान्तर स्थिति थी और वहां कानूनी उपबन्धों के अनुरूप कोई सरकार नहीं थी। अतः मैं यह निवेदन करता हूं कि यद्यपि बहुमत खो देने के आधार पर और विद्यमान सभा में अपना बहुमत साबित करने का मौका न दिए जाने के आधार पर उन्हें बर्खास्त करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है फिर भी मुख्य मन्त्री सत्ता में बने रहने का प्रशासनिक औचित्य पहले ही खो बैठे थे। अतः मैं सभा में रखे गये प्रस्ताव से सहमत नहीं हूं।

गृह मन्त्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, इस वाद-विवाद में दिए गए भाषणों को सुनकर मुझे कुछ निराशा हुई है क्योंकि कुछ सदस्यों के भाषणों को छोड़कर शेष सभी सदस्यों के भाषणों में वास्तविक वाद विषय को नहीं उठाया गया है और वाद विवाद के दौरान दिए गए तर्क हमें वाद-विषय से दूर ले गये हैं। परन्तु यह मेरा कर्त्तव्य है कि मैं उन अत्यन्त नाजुक मामलों को उठाऊं जो इस स्थिति के कारण उत्पन्न होते हैं।

हम पहले भी इस सभा में इसी प्रकार की स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं और मुझे विश्वास है कि इस मामले से संबद्ध विषयों पर उस समय भी चर्चा की गई थी। उन पर उस समय केवल विस्तार से चर्चा नहीं की गई थी जैसा कि आज इस वाद-विवाद में की जा रही है। परन्तु मुद्दे अधिकांशतः वही हैं।

प्रो० मधु दण्डवते ने अपने भाषण के अन्त में कहा है कि राज्यपाल को दिए गए अधिकारों को कम करने के लिए और कतिपय ठोस नियम बनाने के लिए संविधान में एक संशोधन किया जाना चाहिए। मैं उनके शब्दों को अक्षरशः उद्धृत नहीं कर रहा हूं। यदि मैंने उन्हें ठीक समझा है तो मेरे विचार में उनका यही मत है। श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा भी शायद यही मत प्रकट

किया गया है। परन्तु डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा यह कहा गया है कि संभवतः केवल संविधान संशोधन से भी कुछ न हो। अतः जहां मैं इससे सहमत हूं कि संविधान में संशोधन किए जाने पर विचार किया जाना चाहिए वहीं अनुभव के आधार पर इसके सभी पहलुओं पर विचार करने में भी कोई हानि नहीं है। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए संविधान संशोधन से भी समस्या हल होनी अत्यन्त कठिन है। अतः हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। प्रो० मधु दण्डवते और अन्य सदस्यों ने इस बार भी उसी प्रतिवेदन को उद्धृत किया है जिसको पिछली बार उद्धृत किया था। परन्तु वे इस तथ्य को उद्धृत करना भूल गए कि इन प्रतिवेदनों को संबंधित सरकारों ने स्वीकार नहीं किया था। प्रशासनिक सुधार आयोग के प्रतिवेदन में स्पष्ट रूप से कहा गया है :

> "जब राज्यपाल को यह विश्वास हो जाए कि मन्त्रिपरिषद का विधान सभा में बहुमत नहीं रहा तो उसे इस सम्बन्ध में विधान सभा बुलाकर और मन्त्रिपरिषद को प्राप्त समर्थन जानकर अन्तिम निर्णय लेना चाहिए।"

> ".....जब यह प्रश्न उत्पन्न हो कि क्या मन्त्रिपरिषद को विधान सभा में बहुमत का विश्वास प्राप्त है और मुख्य मन्त्री राज्यपाल को विधान सभा बुलाने की सलाह न दे तो राज्यपाल, विधान सभा का इस बारे में निर्णय जानने हेतु यदि उचित समझे तो स्वतः विधान सभा की बैठक बुला सकता है।"

यह सिफारिश है। और जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया इसे स्पष्ट रूप से अस्वीकार करने की है। उन्होंने यह कहा है :

> "चूंकि संविधान में राज्यपालों को उनके द्वारा अपनी शक्तियों का किस प्रकार प्रयोग करना चाहिए, इस संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी करने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार का यह विचार है कि ऐसे मामलों को भविष्य में बनने वाली उचित परम्पराओं पर छोड़ देना चाहिए। इस संबंध में कठोर मार्गदर्शी सिद्धान्त बनाना न तो संभव होगा और न ही उचित होगा।"

मेरे विचार में इस विषय पर वर्तमान सरकार स्पष्ट रूप से और कुछ नहीं कह सकती है। अब मान लीजिए यह होता है कि सरकार मार्ग दर्शी सिद्धांत जारी करने और राज्यपाल की स्थिति और अधिक कठोर और कम लचीली बनाने के लिए सहमत हो जाती है तो अब जो स्थिति है वह अत्यन्त कठिन और अव्यवहारिक हो जाएगी। इसी कारण यह कठिनाई उत्पन्न हुई है। निस्सन्देह,

श्री इन्द्रजीत गुप्त दोनों पक्षों की आलोचना करने की स्थिति में थे। वह ठीक है। अंक प्राप्त करना ठीक है। परन्तु विचारार्थ यह है कि क्या कोई संवैधानिक हल है ?

आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ने जो कुछ किया उस सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा गया है। जम्मू और काश्मीर के राज्यपाल ने जो कुछ किया या उस सम्बन्ध में भी बहुत कुछ कहा गया था। परन्तु राज्यपाल बिना किसी अपने दोष के कारण निशाना नहीं बना है। संविधान ने उसे कुछ विवेकाधिकार दिए हैं। संविधान के अनुसार उसे किसी मुद्दे विशेष के बारे में अपनी तसल्ली करनी होती है। राज्यपाल सन्तुष्ट है – विपक्ष नहीं। अब यदि राज्यपाल को अपनी तसल्ली करने से पूर्व विपक्षी सदस्यों के पास यह जानने के लिए नहीं जाना पड़ता कि क्या वे सन्तुष्ट हैं और यदि यह उसका परम उत्तरदायित्व है तो मुझे समझ नहीं आता कि राज्यपाल और क्या कर सकता है। यदि वह सन्तुष्ट है तो वह सन्तुष्ट है। पिछली बार मैंने डा० अम्बेडकर को उद्धृत किया था। उन्होंने कहा था कि मैंने कुछ ऐसा कह दिया था जिससे राज्यपालों को प्रोत्साहन मिला था और उन्हें ऐसा कोई बहुत लाभ अथवा अधिकार प्राप्त हो गया था जो पहले प्राप्त नहीं था। मेरे विचार में राज्यपाल कोई बच्चे नहीं हैं। वे जानते हैं कि संविधान के अन्तर्गत उन्हें क्या अधिकार प्राप्त है और पिछली बार मैंने डा० अम्बेडकर को उद्धृत किया था। मैंने उनके शब्द उद्धृत किये थे और मैं अपनी ओर से उनकी कोई व्याख्या नहीं करना चाहता। मैंने केवल इतना कहा है कि मैं डा० अम्बेडकर को उद्धृत कर रहा हूं और उनके शब्द निम्नलिखित हैं जो अत्यन्त स्पष्ट और प्रबल हैं कि उनके सम्बन्ध में कोई शंका प्रकट नहीं की जा सकती। मैं उद्धृत करता हूं :

> " 'प्रसाद पर्यन्त' से सदा यह अर्थ लगाया जाता है कि प्रसाद, इस तथ्य के बावजूद कि मंत्रिपरिषद ने बहुमत का विश्वास खो दिया है, बना नहीं रहेगा, जैसे ही बहुमत का मंत्रिपरिषद में विश्वास नहीं रहेगा तो यह समझा जाता है कि तब राज्यपाल मंत्रिपरिषद को बर्खास्त करने में अपने प्रसाद का प्रयोग करेगा।"

अब प्रश्न यह है कि सन्तुष्ट किसे किया जाना है ? क्या राज्यपाल को सन्तुष्ट किया जाना है। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि किसी मामले विशेष में राज्यपाल सन्तुष्ट नहीं हो सकते। जहां वह यह कहते हैं कि वह सन्तुष्ट हैं, वहां यह कहना कि उन्हें सन्तुष्ट नहीं होना चाहिए था अथवा उन्हें मामला विधान सभा को भेजना चाहिए था और तब सन्तुष्ट होना चाहिए था अथवा विधान सभा से उन्हें दोहरी सन्तुष्टि होनी चाहिए थी, यह एक असाधारण किस्म का विचार है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि किसी सिद्धांत अथवा कानूनी सिद्धांत अथवा संविधान से नहीं की जा सकती।

एक अन्य मामला है। मैं एक बार फिर राज्यपाल श्री गोबिन्द नारायण को उद्धृत कर रहा हूं। देवराज अर्स जब बर्खास्त किए गए थे उस मामले में वे कहते हैं :

"हस्ताक्षरित ज्ञापनों, सत्यापित पत्रों और मेरे समक्ष शारीरिक रूप से उपस्थित विधान सभा सदस्यों से, जो स्थिति को पूर्णतया समझते हुए अपनी स्वतन्त्र इच्छा प्रकट कर रहे थे, यह बिल्कुल स्पष्ट था कि विधान सभा के 109 सदस्यों ने वर्तमान मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास प्रकट किया है..."

"इस प्रकार मंत्रिपरिषद ने विधान सभा सदस्यों के बहुमत का समर्थन खो दिया है। उन भिन्न विशेषताओं के कारण, जिनका उल्लेख किया जा चुका है, यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता कि सभा में शक्ति परीक्षण की प्रतीक्षा की जाए।'

"यह भी स्पष्ट है कि कोई वैकल्पिक सरकार आदि बनाना भी संभव नही है।"

इस प्रकार उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वह इस अनुरोध से सहमत नहीं हैं कि शक्ति परीक्षण सभा में किया जाए। इससे पहले ही निर्धारित समय से तीन दिन पहले बुलाया जा चुका है। फिर भी उन्होंने कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह पूर्णतया सन्तुष्ट हैं।

एक अन्य स्थान पर यह भी कहा गया है कि बहुमत खो चुके मुख्य मंत्री को और समय देने का अर्थ होगा कि आप उसे विधान सभा का सामना करने से पूर्व पुनः बहुमत प्राप्त करने का अवसर दे रहे हैं। समय देने में यह कठिनाई है। मुझे यह खेद है कि यहां यह छोड़ दिया गया है कि जैसे ही राज्यपाल सन्तुष्ट हों, जैसे उनके समक्ष सदस्यों को उपस्थित कर दिया जाए, जैसे ही वे सदस्यों की गिनती कर लें, जैसे ही वे मुख्य सचेतक के माध्यम से वह प्रमाणित कर लें, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो जिस तारीख को राज्यपाल सन्तुष्ट हों, जिस क्षण राज्यपाल सन्तुष्ट हों। अब यहां यह कहना कि उन्हें निवर्तमान मुख्य मंत्री को अथवा उस मुख्य मंत्री को जिसने बहुमत खो दिया था, तीन दिन का समय दिया जाना चाहिए था, मेरे विचार में अतर्कसंगत है। एक बात याद रखने की यह है कि यह एक दल की सरकार है। श्री रामाराव तेलगु देशम् दल की सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। जब दल टूटा तो उनके दल में समर्थकों की संख्या विधान सभा की संख्या से आधी से भी कम रह गई। अन्य दल क्या कहते हैं, क्या नहीं कहते हैं, इस बात पर ध्यान न दें। उस समय पहले तो यह पता लगाना था कि क्या उनके दल को सदन में बहुमत प्राप्त है अथवा नहीं। यह सत्य है कि दूसरे चरण में जब वर्तमान मुख्य मन्त्री बर्खास्त किया जाता है अथवा त्यागपत्र देता है और मुख्य मन्त्री का पद रिक्त होता है, और राज्यपाल यह पता लगाने का प्रयास करता है कि क्या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थायी सरकार बनाने की संभावना है, तब

दूसरों से यह पूछा जाता है कि वे किसका समर्थन कर रहे हैं ताकि जो भी स्थायी सरकार बना सके, उसे राज्यपाल सरकार बनाने के लिए कहें। जहां पर भी एक दल की सरकार होती है इसी प्रकिया का हमेशा अनुसरण किया जाता है। यदि कही पर मिली-जुली सरकार होती है तो यह स्वाभाविक होता है कि प्रत्येक दल से बातचीत की जाती है। यदि मिली-जुली सरकार नही होती और केवल एक दल की ही सरकार का मुख्य मन्त्री संचालन कर रहा होता है तो यदि उसका सदन में समर्थन कम होकर 294 के आधे से भी कम रह जाता है तो राज्यपाल के लिये मात्र इस तथ्य के आधार पर यह निष्कर्ष निकलना पर्याप्त होता है कि उनके दल ने बहुमत खो दिया है। मुझे यह खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया है। अतः हम दो चरणों को एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पहले चरण का दूसरे चरण से कोई सम्बन्ध नहीं है. यदि पहले चरण के पश्चात् राज्यपाल यह देखता है कि जिन व्यक्तियों के बारे में उन्होंने पता लगाया है, उनमें से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नही है तो वे राष्ट्रपति से कहते हैं कि चूंकि वे सरकार बनाने के लिए किसी भी व्यक्ति का पता नहीं लगा सके अतः वे स्वयं स्थिति को देखे। यह दूसरा चरण है। इस मामले विशेष में राज्यपाल की सन्तुष्टि के कारण दूसरा चरण भी पूरा कर लिया गया था। उन्होंने सदस्यों की पुनः गणना की; उन्होंने स्वयं को सन्तुष्ट कर लिया एवं उन्होंने किसी व्यक्ति को मुख्य मंत्री बनाया। अब बात यह है कि दूसरा व्यक्ति इसका विरोध कर रहा है। वे किस बात पर विरोध कर रहे हैं? श्री रामाराव किस बात पर विरोध कर रहे हैं? किसी ने यह कहा है कि उन्होंने राज्यपाल के समक्ष 168 विधायकों को प्रस्तुत किया था और बाद में वे चाहते थे कि उनकी गिनती की जाए। यह ऐसी बात है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। एक व्यक्ति अपना बहुमत सिद्ध करने के विधान सभा का अधिवेशन बुलाने के लिये कह रहा है और स्वयं ही विधान सभा के बाहर राज्यपाल द्वारा सदस्यों की गणना की बात भी कह रहा है, यह अकल्पनीय बात है। यह बाद की सोची हुई बात है क्योंकि जैसे ही गणना की जाएगी, राज्यपाल महोदय कहेंगे, "आप सभा में किसलिए जा रहे हैं? सदस्यों की गणना हो चुकी है।" अतः, यह बात समझ में नहीं आती है कि इन परिस्थितियों में श्री रामाराव ने सभा के बाहर सदस्यों की गणना की बात कही अथवा सोची होगी। वे आरम्भ से यही कहते रहे हैं कि विधान सभा का अधिवेशन बुलाया जाए ताकि वे अपना बहुमत सिद्ध कर सकें। यह स्वाभाविक बात है। इस मामले से सम्बद्ध परिस्थितियों से अन्य कोई निष्कर्ष निकालना संम्भव नहीं है।

7.00 म० प०

महोदय, इस प्रकार की कुछ बातों की उपेक्षा की गई है और मैं सदन से इन स्पष्ट मुद्दों पर ध्यान देने के लिए कहूंगा। हम व्यक्तियों के बारे में नहीं कह रहे हैं। कुछ सदस्यों ने ऐसा किया है। चूंकि मैं उसी राज्य का हूं अतः मैं निजी तौर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी

की व्यक्तिगत बातों के बारे में कुभी कुछ नहीं कहूंगा। किन्तु यहां बात यह है कि राज्यपाल ऐसी स्थिति में किसी और प्रकार की कार्यवाही कर ही नहीं सकते थे। मैंने कश्मीर के बारे में भी यही बात कही थी। मैं किसी की वकालत नहीं करता हूं। जब चौधरी चरण सिंह आज यहां आये और उन्होंने वह सारी कहानी सुनाई कि वे कैसे प्रधान मन्त्री बने और कैसे उससे त्यागपत्र दिया तो उनसे एक ही प्रश्न पूछने के लिये रह जाता है कि :

"आपमें अर्थात् चौधरी चरण सिंह तथा भास्कर राव में अन्तर क्या है ?"

उनके गौत्र एक ही हैं। अतः चौधरी साहब इसका विरोध किस आधार पर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत ही गलत बात हुई है ? इस सम्बन्ध में चौधरी साहब की नियुक्ति में अपनाई गई प्रक्रिया ही अपनाई गई है, बिल्कुल वही, न कम न ज्यादा, वैसी ही प्रक्रिया अपनाई गई है। मैं यह नहीं कह रहा कि वह गलत थी। मैं केवल यही रहा हूं कि ऐसा मत कहिए कि एक मामले में तो यह गलत है और दूसरे में बिल्कुल सही थी। मैं चाहता हूं कि हम तथा यह सभा इस प्रकार के दोहरे मानदण्ड अपनाने से बचे। जब तक कानून है, संविधान में वर्तमान स्थिति है जिसके कारण राज्यपालों को सद्विवेक की शक्ति प्रयोग का अधिकार दिया गया है, राज्यपाल उसका प्रयोग करने को बाध्य है जिस ढंग से इस अधिकार का प्रयोग किया जाएगा, कुछ लोग उससे असहमत होने को बाध्य हैं। यह तो एक स्वाभाविक परिणाम है। राज्यपाल से सभी सहमत नहीं होंगे, विशेष रूप से वह व्यक्ति तो उससे कभी सहमत नहीं होगा जिसे बर्खास्त किया जाएगा। कम से कम एक व्यक्ति ऐसा अवश्य होगा जो राज्यपाल से सहमत नहीं होगा और वास्तव में ऐसे अनेक व्यक्ति होते हैं जो मौके की ताक में रहते हैं। मुझे इस बात पर कतई आश्चर्य नही हुआ कि अनेक लोग इस मामले को तूल दे रहे हैं। मुझे किसी अन्य स्थिति में, जिसमें राज्यपाल ने इस सदविवेक का प्रयोग किया हो और इस स्थिति में, जिसमें उन्हीं संवैधानिक उपबुंधों के अन्तर्गत आध्र प्रदेश के राज्यपाल ने सद्विवेक का प्रयोग किया है, में कोई अंतर नजर नहीं आता। जब तक यह स्थिति बनी रहेगी, इस प्रकार की बातें बार-बार होती रहेंगी। इस देश की जनता को, विचारशील लोगों को, इस सदन को इन अस्थायी भावनाओं में वह नहीं जाना चाहिए। क्योंकि उन्हें यह देखना होगा कि क्या सिद्धांत रूप से कोई अंतर है और जब तक सिद्धांत वही रहता है···हां, वे हमेशा ऐसा कह सकते हैं, कोई यह सोच सकता है कि राज्यपाल ने सच्चाई से काम नहीं लिया। राज्यपाल को यह करना चाहिये था अथवा वह करना चाहिये था। इस सम्बन्ध में अनेक विवाद अथवा मत हो सकते हैं। किन्तु वास्तव में राज्यपाल ने क्या गलती की है ? यदि आप यह प्रश्न पूछें तो आप देखेंगे कि इसका कोई उत्तर नहीं है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। मैं किसी 'क', 'ख' अथवा 'ग' का बचाव नहीं कर रहा हूं। हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि कौन मुख्य मन्त्री बनता है किन्तु बात यह है कि श्री रामाराव

हमसे यह आशा नहीं कर सकते कि हम उनका बचाव करेंगे। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। हमने श्री मोरारजी देसाई का बचाव नहीं किया था। हमने श्री रामाराव का बचाव नहीं किया है। वे दोनों एक ही स्तर पर हैं। हमने उस समय चौधरी साहब को अपना समर्थन देना सही और उचित समझा था। इसी प्रकार, हमारे स्थानीय निकायों ने वर्तमान मामले में समर्थन देना सही समझा ताकि आन्ध्र प्रदेश में लोकतांत्रिक सरकार चलती रहे और वहां राष्ट्रपति शासन लागू न करना पड़े। इसके पीछे केवल यही उद्देश्य था। वरना वे सभी एक ही दल के हैं। हमें उनमें भेद करने का कोई कारण नजर नहीं आता। हमें तो केवल जल्दी ही राष्ट्रपति शासन लागू करने और शायद राष्ट्रपति शासन विलम्ब से लागू करने की स्थिति में भेद करना था ताकि वहां यथासम्भव समय तक लोकतांत्रिक सरकार को स्थापित किया जा सके। हमने यही कहा है। मैं 1979 के इतिहास में नहीं जा रहा हूं जब चौधरी साहब ने कहा था, "मैं कांग्रेस (इ०) का समर्थन नहीं चाहता। मुझे अपना समर्थन देने के लिए वे मेरे पीछे-पीछे दौड़ते रहे हैं" और उन्होंने इसी प्रकार की बात कही थी···हमने केवल यह कहा था, "हमारा उनके पीछे दौड़ने का कोई कारण नहीं है।" अत: हमने उनके पीछे दौड़ना बन्द कर दिया और जो हुआ, हुआ।

एक अन्य बात उठाई गई है, एक शिकायत से रूप में एक बात कही गई है कि जब यह हैदराबाद से आ रहे थे तो रेलगाड़ी में विलम्ब किया गया। भारतीय रेलवे में इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि आन्ध्र प्रदेश एक्सप्रैस के हैदराबाद से दिल्ली पहुंचने में पहली बार विलम्ब हुआ है और यह विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि वे लोग वहां से आ रहे थे, हम उन्हें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह से समय पर मिलने नहीं देना चाहते थे और हमने सोचा कि कल तो आने वाला है नहीं। इस प्रकार की शिकायत की गई है। मुझे इस सम्बन्ध में सारी बात स्पष्ट करनी चाहिए जैसाकि मेरे सहयोगी रेल मन्त्री जी ने मुझे सूचना दी है कि रेलगाड़ी के विलम्ब से पहुंचने के कारणों में से एक कारण खराब मौसम का होना था क्योंकि दबाव के कारण मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण यात्रियों की सुरक्षा के हित में रेल संचालन में सावधानी बरतने की आवश्यकता थी। केन्द्रीय रेलवे के अन्तर्गत आन्ध्र प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में शरारती, समाज-विरोधी एवं उग्रवादी गतिविधियों के कारण इंजिन चालकों एवं रेल कर्मचारियों द्वारा भी कड़ी सतर्कता एवं सावधानी बरतने की आवश्यकता थी क्योंकि फिश प्लेटें निकाल ली गई थीं, रेलमार्गों से रेलों को हटा दिया गया था, पुलों पर स्लीपरों को जला दिया गया था, सेक्शनों पर नियन्त्रण तारों में गड़बड़ी कर दी गई थी तथा रेलमार्गों पर रुकावट डालने के लिए बोल्डर रखे गये थे जिसके कारण रेलों से यात्रा कर रहे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए रेलों की रफ्तार काफी धीमी करनी पड़ी। आन्ध्र प्रदेश से कल आये हमारे मित्र अपना धन्यवाद करें कि वे यहां पहुंच गये हैं। इन स्थितियों में रेलगाड़ी में विलम्ब हुआ। इन कारणों से रेलगाड़ियों रोज विलम्ब से आती जाती हैं। हम यह बात जानते हैं। ऐसा नहीं कि केवल यहीं लोग रेल से यात्रा कर रहे थे। अत: यह आलो-

चना अनावश्यक है । यह तो केवल गलत प्रहार करने वाली बात हुई । इससे किसी का कुछ समाधान नहीं होगा । हमें समस्या की जड़ तक जाना चाहिए और समस्या की जड़ यह है कि वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत, वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था के अन्तर्गत राज्यपाल को सद्विवेक के प्रयोग का अधिकार प्राप्त है । इस सद्विवेक को हटाने का कोई रास्ता नहीं है । राज्यपाल द्वारा लिये गये प्रत्येक निर्णय के साथ सभी के सहमत होने का कोई रास्ता नहीं है । अतः निर्णय लिये जाते रहेंगे । इस सम्बन्ध में आवश्यकता इस बात की है कि भारत की जनता, बुद्धिजीवी, प्रैस तथा सभी इन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखें । उदाहरण के तौर पर, हम यह देखते हैं कि जब प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि सदन में बहुमत का परीक्षण होना चाहिए तो उस समय एक समाचार पत्र ने उसके विरुद्ध अपना मत दिया । उन्होंने कहा, नहीं, यह सही नहीं होगा । और उसी समाचार ने वर्तमान आन्ध्र प्रदेश के प्रश्न पर राज्यपाल की कार्यवाही के विरुद्ध एक जोरदार सम्पादकीय लेख दिया । उस समाचार पत्र में 1968 में एक सम्पादकीय में कहा गया :

> "यह विचारधारा कि किसी भी सरकार को सदन में मतदान के अतिरिक्त, किसी कारण से राज्यपाल द्वारा बर्खास्त नहीं किया जाना चाहिए, स्वस्थ परम्पराएं स्थापित करने के पक्ष में नहीं है ।"

इस समाचार पत्र में 9 अप्रैल, 1968 में प्रकाशित एक सम्पादकीय में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया गया है । आगे इसमें कहा गया है, इस प्रकार सोचने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती कि कोई भी राज्यपाल विधान सभाओं की शक्तियों का उल्लंघन करने अथवा किसी को राजा बनाने की भूमिका अपने ऊपर लेगा जब तक कि विधान सभा में दलों की स्थिति इस प्रकार की भूमिका निभाने का दायित्व उस पर नहीं थोप देती और आन्ध्र प्रदेश में इस मामले में बिलकुल यही हुआ है ।

लेकिन उसी समाचार पत्र ने आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल से विरुद्ध जोरदार सम्पादकीय लिखा है । उससे कोई अन्तर नहीं पड़ता । मैं उस समाचार पत्र का नाम नहीं ले रहा हूं, मैं व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा हूं । मैं तो यह कहता हूं कि सुविधानुसार विचार भी बदल सकते हैं । लेकिन मैं यह अपील करता हूं कि हमारे संविधान में जो व्यवस्था की गई है, हमें उस पर पूर्ण रूपेण चलना है और उस समय यह ध्यान नहीं रह जाता कि उससे किसको लाभ होगा और किसे हानि होगी । इसे मैं इसी भावना से देखता हूं । ऐसी परिस्थितियों में मेरे विचार से इस प्रश्न पर इतने लम्बे वाद-विवाद की जरूरत नहीं ।

सभी बातें स्पष्ट हैं और मुझे विश्वास है कि बिना उत्तेजित हुए यदि हम इन सब कारणों को देखें तो समझ जायेंगे कि आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल ने जो किया है, उस पर किसी को अप्रसन्नता व्यक्त करने या शिकायत करने की जरूरत नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि संकल्प पेश करने वाले उपस्थित नहीं हैं, इसलिए मैं इसे सभा में मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि यह सभा आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा यह पता लगाये बिना कि आन्ध्र प्रदेश विधान सभा में श्री एन० टी० रामाराव को बहुमत प्राप्त है या नहीं; श्री रामाराव के मंत्रिमण्डल को बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही का निरनुमोदन करती है और राष्ट्रपति से सिफारिश करती है कि वह राज्यपाल को बर्खास्त करे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

7.11 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद लेंगे।

गृह मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव) : महोदय, अगले मद को लेने से पहले मैं आपकी अनुमति से, यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की जानें गई हैं, उन सभी के प्रति सभी सदस्यों की सहानुभूति को कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाये।

7.12 म० प०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) विधेयक

शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाये।"

इससे पहले कि सभा विधेयक पर विचार करे, मैं आपकी अनुमति से उन संशोधनों को यहां स्पष्ट करना चाहती हूं जिन्हें इस विधेयक में शामिल किया गया है। यह एक छोटा विधेयक है, वास्तव में इसमें केवल दो ही मुख्य उपबन्ध हैं, जिनके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगी।

जैसा सभा को पता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को एक सांविधिक निकाय के रूप में 1956 में स्थापित किया गया था ताकि विश्वविद्यालयों में तालमेल रखा जा सके और उनका स्तर निर्धारित किया जा सके। आयोग का एक मुख्य कृत्य यह है कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य सम्बन्धित निकायों के साथ परामर्श करके विश्वविद्यालयों में शिक्षा की उन्नति और समन्वय तथा उनमें अध्यापन, परीक्षा अनुसंधान के स्तर के निर्धारण तथा अनुपालन हेतु यथोचित उपाय करे। इन कृत्यों के निष्पादन हेतु आयोग को विश्वविद्यालयों की वित्तीय जरूरतों का पता लगा कर उन्हें अनुदान के आवंटन और वितरित करने का अधिकार है।

पिछले 30 वर्षों में विश्वविद्यालयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस समय 125 विश्वविद्यालय हैं। इनमें अध्यापन और अनुसंधान का उचित स्तर बनाये रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में सुविधाएं उपलब्ध कराने पर आने वाली लागत भी लगातार बढ़ रही है। ज्ञान में भारी वृद्धि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्रुत विकास तथा अनुसंधान सुविधाओं के क्षेत्र में निरंतर नवीनता और आधुनिकीकरण के कारण कई विश्वविद्यालयों के लिए इन सुविधाओं को उपलब्ध कराना कठिन हो गया है। अतः यह जरूरी हो गया है कि उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान के क्षेत्र में कम से कम अत्यधिक महंगी और आधुनिक सुविधाओं के लिए किसी ऐसे स्थान पर कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाये जहां कई विश्वविद्यालय उनका अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इन सुविधाओं की व्यवस्था कई विश्वविद्यालय मिलकर कर सकते हैं। यदि इन सुविधाओं के लिए पृथक प्रबन्ध व्यवस्था हो और उन्हें किसी विशेष विश्वविद्यालय के अधीन न रखा जाये तो यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सम्बन्धित विश्वविद्यालय अपनी जरूरत के अनुसार इन सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम के वर्तमान स्वरूप में आयोग को यह अनुमति नहीं है कि वह अधिनियम में परिभाषित विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य संस्थान को अनुदान की मंजूरी दे। इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने और आयोग की निधि में से उनका खर्चा उठाने के लिए आयोग को सक्षम बनाने हेतु हम इस संशोधन द्वारा अधिनियम में व्यवस्था कर रहे हैं।

ऐसे अनेक क्षेत्र हैं जिनमें ऐसी सामूहिक सुविधाएं अधिक उपयोगी, मितव्ययी और लाभदायक हो सकती हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्रीय कम्प्यूटर केन्द्र, क्षेत्रीय ग्रंथालय और प्रलेखन केन्द्र तथा क्षेत्रीय इंस्ट्रूमेंटेशन केन्द्र आदि यदि स्थापित किये जायें तो वे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में मूल्यवान सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं। जहां कई विश्वविद्यालय हैं और उनमें उसी स्तर की सुविधाएं नहीं हैं। इसी प्रकार आयोग इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है कि एक परमाणु अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाये ताकि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक प्रगतिशील क्षेत्रों में अन्तर-विषयों पर अनुसंधान कार्यक्रम तैयार किया जा सके। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय परीक्षण संगठन स्थापित करने का भी विचार है जिससे विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त डिग्रियों के बारे में तुलनात्मक अध्ययन किया जा सके। यदि इस प्रकार की सेवा विकसित की जा सके तो उसे प्रवेश परीक्षा, छात्रों को छात्रावृत्तियां तथा 'फैलोशिप' देने आदि का कार्य भी सौंपा जा सकता है। इस प्रकार के संगठन का उपयोग राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापकों को भर्ती करने के लिए परीक्षा आयोजित

करने वाले अभिकरण के रूप में भी किया जा सकता है। ये कुछ संभावनाएं हैं और संशोधी उपबन्धों द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इन पर विचार करने तथा कार्यान्वित करने हेतु सक्षम बनाया जा सकता है।

दूसरा मुख्य संशोधन का उद्देश्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह अधिकार देना है कि वह उच्च शिक्षा संस्थानों द्वारा फीस एकत्र करने के कार्य को विनियमित कर सके। जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, हाल ही में हमने देश में ऐसी गलत स्थिति देखी है जिसमें स्थापित किये गए अनेक व्यावसायिक कालेजों ने प्रावेशिक शुल्क के रूप में भारी धनराशि इकट्ठी कर ली थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा केवल एक व्यापार बनकर रह गई है। इस सभा में सभी पक्षों के माननीय सदस्यों ने भी इस प्रथा की कड़ी आलोचना की है। वास्तव में मुझे सदस्यों को यह विश्वास दिलाने का मौका मिला है कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली से इस बुराई को समूल नष्ट करने के लिए उपाय ढूंढने के प्रति वचनबद्ध हैं। इस संशोधन द्वारा हम उसी आश्वासन को पूरा कर रहे हैं।

सभा के सामने प्रस्ताव है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम में एक नई धारा अन्तःस्थापित की जाये। इससे आयोग उन मामलों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा जिनके बारे में कालेज फीस ले सकेंगे। इससे आयोग को फीस की दर निधारित करने का भी अधिकार मिलेगा जिसके अनुसार किसी विषय को पढ़ाने के लिए कालेज फीस नियत कर सकेंगे। इस बारे में आयोग विनिमय बना कर विस्तृत विवरण प्रदान करेगा।

हमने इस प्रश्न पर विशेष ध्यान दिया है कि कोई भी कालेज विनियमों में विनिर्दिष्ट फीस के अतिरिक्त कोई फीस न ले और निर्धारित राशि से अधिक न ले। यदि कोई कालेज इन विनियमों का उल्लंघन करता है, तो हमने प्रस्ताव किया है कि जांच करने के बाद ऐसे कालेज पर प्रतिबन्ध हो कि उसके छात्र किसी विश्वविद्यालय की तत्सम्बन्धी परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे और उसके लिए उस कालेज को तीन वर्षों के लिए असम्बद्ध किया जा सकेगा। स्वाभाविक न्याय के सिद्धांत के अनुसार जांच करके और सम्बन्धित कालेज को उसकी बात सुनने का उचित अवसर देने के बाद इन दाण्डिक उपबन्धों को लागू किया जायेगा।

यह दण्ड देने के लिए केन्द्रीय सरकार की मंजूरी लेना भी जरूरी है। उन निर्दोष छात्रों के हित में, जो इन बेईमान प्रबन्धकों का शिकार बन गये हों, हमने यह उपबन्ध भी किया है कि आयोग ऐसे सभी उपाय करे जो वह उचित समझे। उदाहरण के लिए उन्हें कालेजों में प्रवेश दिलाना।

हमने यह उपबन्ध भी किया है कि जो विश्वविद्यालय इन उपबन्धों का उल्लंघन करता है या इस बारे में आयोग की सिफारिशों के अनुसार नहीं चलता उसे आयोग से मिलने वाले अनुदान के लिए अयोग्य समझा जाये जैसा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 14 में विनिर्दिष्ट है।

यह तर्क दिया जा सकता है कि विधेयक के उपबन्ध पर्याप्त दूरगामी नहीं हैं। तथापि अपनी संवैधानिक और विधिक प्रणाली के अंतर्गत हमने ऐसे उचित उपबन्ध करने का प्रयास किया है जो हमारे विचार से प्रावेशिक शुल्क लेने वालों को निरुत्साहित करेंगे।

इस विधेयक में कुछ थोड़े औपचारिक उपबंध भी हैं। उनका उद्देश्य अधीनस्थ विधान संबंधी समितियों की उन सिफारिशों को लागू करना है जिनके अनुसार अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की व्यवस्था करना है। यह केवल सक्षम बनाने का उपलब्ध है ताकि यदि किसी नियम को भूतलक्षी प्रभाव से लागू करना जरूरी हो तो ऐसा किया जा सके। हमने यह उपबंध भी किया है कि मूल अधिनियम के अंतर्गत बनाये गये सभी नियमों और विनियमों को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष उस प्रकार रखा जाये जैसा अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ने सिफारिश की है।

मुझे पूरी आशा है कि आपके समक्ष आए संशोधनकारी विधेयक के उपबंधों को सभा का हार्दिक समर्थन मिलेगा और महोदय इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करती हूं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा यथापारित रूप में, पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर, राज्यसभा द्वारा यथापारित रूप में, विचार किया जाए।"

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब आज इस परिश्रांत दिवस के अन्त में और इतने महत्वपूर्ण वाद-विवाद के बाद सभा का अधिक समय नहीं लूंगा। संशोधन विधेयक के अधीन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है और मुझे आशा है कि इन शक्तियों का प्रयोग शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किया जायेगा, जिसके बारे में मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा, जो कि उस परिपत्र से सम्बद्ध हैं जिसे विश्वविद्यालय स्तर पर स्नातक पूर्व और स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में अध्यापकों के कार्यभार में वृद्धि करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी किया है।

परिपत्र के अनुसार, ट्यूटोरियल, प्रायोगिक और क्षेत्र-कार्य सहित, अध्यापन के वर्तमान 15 घंटों को बढ़ाकर 20 करना है। मेरा यहां पर यह निवेदन है कि अध्यापकों पर पहले ही इतना अधिक कार्यभार है, जिसने वास्तविक रूप से उनके लिए यह कि अपने विषय को भलीभांति तैयार करना और किसी प्रकार का अनुसंधान कार्य करना असंभव-सा बना दिया है। पाठ्येतर कार्यकलाप, छात्रों के साथ चर्चा तथा दैनिक प्रशासनिक काम आदि भी तो होता है, जो कि अध्यापकों पर अतिरिक्त भारी बोझ होता है। अतः, प्रति सप्ताह 15 घंटे का वर्तमान अध्यापन कार्यभार वैसे ही बहुत

बोझिल है और अब एक और परिपत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जारी किया है, जिसमें वह इस कार्य भार में अध्यापन के और पांच घंटे बढ़ाकर वह उसको और बढ़ाना चाहता है। कार्यभार में किसी प्रकार की वृद्धि से पाठों की तैयारी, कार्य की जांच के भार आदि में भी साथ-साथ तदनुरूप वृद्धि होगी। इस सबका प्रभाव स्वयं शैक्षिक स्तरों से परिलक्षित हो रहा है। जैसी कि स्थिति है, हमारे शैक्षिक स्तर में गिरावट आई है और अन्य बहुत-सी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। अतः मैं सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से यह अनुरोध करूंगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि स्थिति और अधिक न बिगड़े। कार्य-भार में वृद्धि का कोई भी कदम, अपने घातक परिणामों के साथ, बड़े पैमाने पर अध्यापकों की छंटनी को भी बढ़ावा देगा। अतः, यदि इस परिपत्र को लागू कर दिया जाता है तो, उसके प्रभाव हानिकारक होंगे और इसीलिए इस परिश्रांत दिवस के अंत में मैंने इस ओर शिक्षा मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने के लिए तथा इस सभा द्वारा हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। अतः, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ उठाए। अध्यापकों में तो पहले से ही बेचैनी और अशान्ति है और उनकी अशान्ति भली-भांति समझ में आती है। अतः, मैं आशा करता हूं कि शैक्षिक स्तरों के हित में तुरंत हस्तक्षेप किया जायेगा और कार्यभार में और अधिक वृद्धि करने के किसी भी प्रयास को रोक दिया जायेगा। मैं आशा करता हूं कि इस मामले पर मंत्री महोदय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग गंभीर विचारण करेंगे।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन (एमेंडमेंट) बिल 1984 को सदन में प्रस्तुत करके भारतीय समाज पर, और विशेषकर विद्यार्थी समाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जानते हैं कि कुछ वर्षों से भारत में शिक्षा की कीमत रुपयों से आंकी जाने लगी है। मंत्री महोदय के ध्यान में समय-समय पर यह बात लाई जाती रही है कि कुछ राज्यों में कैपिटेशन फी के नाम पर कुछ कालेज बहुत बड़ी धनराशि इकट्ठी करते हैं। मेरी स्टेट में पिछले दो तीन सालों में बहुत बड़े धनवानों के लड़कों को थर्ड डिवीजन होते हुए भी एक-एक लाख रुपये कैपिटेशन फी देकर इंजीनियरिंग और मैडिकल कालेजों में एडमिशन मिला है। शिक्षा के क्षेत्र में यह जो पैसे का लेन-देन कैपिटेशन फी के नाम से शुरू हुआ है, उसने शिक्षा, और विशेषकर टेकनिकल एजूकेशन, के स्तर को गिराया है।

जिस छात्र ने बारहवीं कक्षा तृतीय श्रेणी में पास की हो, यदि वह कैपिटेशन फी के बल पर मैडिकल कालेज में प्रवेश पाकर डाक्टर बन जाता है, तो वह किस स्तर का डाक्टर बनेगा और समाज की किस तरह की सेवा कर सकेगा, इसका अनुमान आप भली प्रकार लगा सकते हैं। जो लड़के तृतीय श्रेणी में या सब सब्जेक्ट्स में सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन में पास हो, वे लाख-लाख रुपया खर्च करके इंजीनियरिंग या मेडिकल कालेजों में एडमिशन ले लें, यह देश और प्रजातन्त्र के लिए कलंक की बात है। इसलिए मैं मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह सामयिक कदम उठाया है। यह कदम पूरे भारतीय समाज के हित में है और शिक्षा जगत के लिए एक वरदान के समान है। शिक्षा जगत पर कैपिटेशन फी के रूप में जो कालिमा और कलंक लगा हुआ

है, उसको हटाने के लिए उन्होंने यह जो पुनीत कदम उठाया है, उसके लिए वह बधाई की पात्र हैं।

मौजूदा विधेयक में जो संशोधन प्रस्तुत किए गए हैं, अपने आप में वे महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इसके साथ-साथ मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आज के युग में टेकनिकल एजूकेशन की बहुत आवश्यकता है। जो राष्ट्र टेकनालोजी की दृष्टि से आगे है, वे अपने नौजवान लड़के-लड़कियों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में उन्हें बड़ी ख्याति मिलती है। मैंने पहले भी शिक्षा की मद पर बहस के दौरान मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था कि जब तक देश में टेकनिकल एजूकेशन का विस्तार नहीं किया जाएगा, तब तक मेधावी छात्रों को, खासकर पिछड़े इलाकों और स्टेट्स में, जहां टेकनिकल एजूकेशन की संस्थायें कम हैं, समुचित अवसर नहीं मिल सकेंगे। जहां राज्य सरकारें पोलिटैकनिक्स की संख्या नहीं बढ़ा सकतीं, जैसे हमारे राजस्थान में है, मैं उनके बारे में एक सुझाव देना चाहता हूं। ऐसी बहुत-सी प्राइवेट संस्थायें हैं जो पैसा दे सकती हैं, बिल्डिंग बनाकर दे सकती हैं, उनको चलाने के लिए खर्चा भी दे सकती हैं, लेकिन राज्य सरकारें उनसे यह सुविधा लेने को तैयार नहीं होती हैं। क्या माननीया मंत्री जी इस ओर गम्भीरता से सोचेंगी कि जहां पर भवन की व्यवस्था है, जहां पर पोलिटैकनिक को चलाने के लिए ट्रस्ट तैयार हैं और ट्रस्ट के लोग सरकार को भी पांच-दस साल के लिए पैसा देने को तैयार हैं—क्या उनको स्वीकार करके टैकनिकल एजूकेशन को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा? क्या आप इस पर विचार करेंगी जिससे हमारे यहां भी अधिक से अधिक टैकनिकल शिक्षा संस्थायें खुल सकें।

आज जितने पोलिटैकनिक्स, उनकी संख्या बहुत सीमित है। हमारा ध्येय यह होना चाहिए कि हर जिले में एक पोलिटैकनिक अवश्य होना चाहिए, इसके साथ-साथ प्रत्येक पंचायत समिति के स्तर पर आई० टी० आई० की व्यवस्था हो जिससे हमारे बच्चों को टैकनिकल एजूकेशन मिल सके और आगे चलकर हमारा आब्जैक्टिव यह हो कि हर ग्राम पंचायत के क्षेत्र में आई० टी० आई० कायम हो सकें। हम अपने यहां शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन चाहते हैं उसको टैकनीकल शिक्षा बनाना चाहते हैं जिससे हमारे बच्चों को जीवनोपयोगी शिक्षा मिल सके और वे रोजगार की दृष्टि से आत्मनिर्भर हो सकें। लेकिन जब तक हम उस दिशा में प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक हमारी कल्पना मात्र ही रहेगी। आज हो यह रहा है कि एजूकेशन का जो भी एक्सपेन्शन हो रहा है उसमें आर्ट्स कालिजिज बनाते जा रहे हैं जिनकी कोई उपयोगिता नहीं है। एक लड़का जो बी० ए० पास करता है, आर्ट्स में ग्रेजुएशन करता है उसको एक बगैर पढ़े-लिखे मजदूर के मुकाबले कम वेतन मिलता है। एक ग्रेजुएट को यदि 10 रुपये मिलते हैं तो एक बगैर पढ़ा-लिखा मजदूर 15 रुपये रोज कमाता है, बल्कि 15 रुपये रोज में भी मजदूर नहीं मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आर्ट्स कालिजिज के बजाय आई० टी० आई० तथा दूसरी टैकनीकल एजूकेशन की संस्थायें खोलें जिससे हमारे नौजवानों को काम मिल सके।

एक निवेदन मैं यह करना चाहता हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जितनी यूनीवर्सिटीज हैं

उनके स्टैंडर्ड में अनुरूपता होनी चाहिए। आज स्थिति यह है कि एक यूनीवर्सिटी में एक तरह का स्टैण्डर्ड है तो दूसरी में दूसरी तरह का स्टैण्डर्ड है। इनके साथ कुछ ऐसी यूनीवर्सिटीज भी हैं जिन्होंने कुछ टैकनीकल कालिजिज को मान्यता दी हुई है जो यूनीवर्सिटी के आदेशों के विपरीत चल रहे हैं। बिहार के कुछ केसेज आपके सामने हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा—आप उनको रेगुलेट करने के लिए संशोधन लाये हैं, इससे शिक्षा जगत में एक बहुत बड़ा आमूलचूल परिवर्तन होगा। मुझे आशा है कि टैकनिकल एजूकेशन के बारे में जो सुझाव मैंने दिए हैं आप उनके ऊपर गम्भीरतापूर्वक विचार करेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन बिल को लाने के लिए आपको पुनः धन्यवाद देता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल प्रस्तुत किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं। यूनीवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन की तरफ से हिन्दुस्तान में जो 125 यूनीवर्सिटीज हैं उनके स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने के लिये आपने जो व्यवस्था की है, वह स्वागत योग्य है। लेकिन क्या इस प्रकार की व्यवस्था आप सब यूनीवर्सिटीज में कर सकेंगे, जिनकी घोषणा आपने इस बिल में की है, क्योंकि बहुत-सी यूनीवर्सिटीज में इस प्रकार की फैसलिटीज अवेलेबिल नहीं हैं जिनका यहां पर जिक्र किया गया है। जैसे न्यूक्लिअर साइंस के लिये आपने कहा है, कुछ अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के बारे में आपने कहा है--ऐसी व्यवस्थायें बहुत कम यूनीवर्सिटीज में आप अब तक कर पाये हैं। हम चाहते हैं कि अब आपने घोषणा की है, तो कानून का इम्पलीमेंटशन होना चाहिए, ताकि हमारे देश के नौजवानों को इसका फायदा मिले।

फीस के संबंध में आपने किया है। इस प्रकार की गड़बड़ियां देश में बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं, खास तौर से प्राइवेट कालेज में बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं। यू० पी० में बहुत से स्थानों पर बहुत बड़ी तादाद में पैसा लिया जाता है। बड़ी तादाद में पैसा लेकर उनको फर्जी सर्टिफिकेट देकर उनको ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट बनाया जाता है। इस प्रकार की सुविधा पैसे के बल पर लोगों को प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार की गतिविधि को निश्चित रूप से रोकना चाहिए। यूनिवर्सिटी, मैडिकल कालेज में और इंजीनियरिंग कालेज में आपने कदम उठाया है, यह स्वागत योग्य कदम है। माननीय राम सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि होनहार लड़के रह जाते हैं और फर्जी लोग, जिनके पास पैसा होता है, वे एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इस व्यवस्था को निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए।

इसके साथ-साथ टीचर्स से सिलैक्शन में बहुत गड़बड़ी होती है। यह आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लिजिए। वहां पर काफी फेवरटिज्म चलता है, फर्स्ट क्लास का व्यक्ति रह जाता है और थर्डक्लास का व्यक्ति स्थान प्राप्त कर लेता है। एक नेशनल लैवल पर आपको इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि टीचर्स के एप्वाइंटमेंट में किस प्रकार का फेवरटिज्म न हो। यदि यह व्यवस्था हो जाती है तो एजूकेशन का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, जोकि बिल्कुल गिरता जा रहा है।

इन्होंने कहा कि वर्कलोड बढ़ा रहे हैं। वर्कलोड कम होने की वजह से उन लोगों को पोलिटिक्स में हिस्सा लेने का वक्त मिल जाता है। आज जगह-जगह पर यूनिवर्सिटीज में दो-तीन ब्लाक्स बने हुए हैं, ग्रुप्स बने हुए हैं, इस प्रकार की व्यवस्था से वे विद्यार्थियों को क्या खाक पढ़ायेंगे। वे आपस में ही झगड़ा करते रहते हैं। ग्रुपबाजी बहुत होती है। लड़के हड़ताल नहीं करते हैं। हड़ताल करवाने में टीचरों का योगदान होता है।

उपाध्यक्ष महोदय : यह राजनीति आपकी अपनी सम्पत्ति नहीं है। लोकतन्त्र में कोई भी राजनीति खेल सकता है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि सरकार की तरफ से डेढ़ हजार रुपये तनख्वाह पाने वाले लोग लड़कों में इस प्रकार की बातें पैदा करते हैं, जो बिल्कुल उचित बात नहीं है, जो लोग सरकारी धन का उपयोग करते हैं, गलत तरीके से लोगों को भड़काने की कोशिश करते हैं, रात-दिन असंतोष पैदा करते हैं, निश्चित तरीके से यह उचित बात नहीं है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस पर पाबन्दी लगायें। इनको छूट नहीं दी जानी चहिए। इनके खिलाफ डिसीपलीनरी एक्शन लेना चाहिए। यह व्यवस्था होनी चाहिए तब जाकर यूनिवर्सिटीज ठीक प्रकार से चलेगी और खास तौर से मैं राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आगामी चुनावों में आपके विरुद्ध कोई अध्यापक उम्मीदवार खड़ा होने वाला है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : मेरे क्षेत्र में ऐसी बात नहीं है। दिल्ली में यहां जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी में आपने सारे काम्यूनिस्ट भर दिए, जो वहां पर अशांन्ति पैदा करवाते हैं। यह उचित बात नहीं है। मैं चाहता हूं कि जो लोग इस प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए आप नेशनल लैवल पर एक कमीशन बना दीजिए। आल इंडिया लैवल पर सारी यूनिवर्सिटीज में अच्छे-अच्छे टीचर्स भेजे जायें ताकि सब विषयों में विद्यार्थियों का स्टैंडर्ड ऊंचा हो। हमारी यूनिवर्सिटीज फलें-फूलें।

राजस्थान के संबंध में कहना चाहता हूं कि वहां पर दो-तीन यूनिवर्सिटीज हैं। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है---इन यूनिवर्सिटीज में यू० जी० सी० ने पैसा नहीं दिया है। जिसकी वजह से वहां पर कठिनाइयां खड़ी हो रही हैं, वे फिजीकली ठीक प्रकार से डवेलप नहीं हो रही हैं। यूनिवर्सिटीज के मामले में राजस्थान बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं चाहता हूं कि आपको उनको पूरी मदद देनी चाहिए, ताकि वहां से लोग स्टैंडर्ड के निकल सकें। वहां स्टैंडर्ड की यूनिवर्सिटीज बन सकें और वहां लड़कों का फायदा हो सके।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीवारा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए, मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। चूंकि यह दिन का थकान भरा आता है, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। मैं कुछेक मुद्दे उठाऊंगा।

सबसे पहले, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस विधेयक में अनुसंधान कार्य की सुविधाओं में वृद्धि करने और कुछेक महाविद्यालयों में प्रावेशिक शुल्क प्रणाली से भी छुटकारा पाने का प्रावधान है। दोनों ही बातों के लिए, मैं मन्त्री महोदय को यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं।

जहां तक अनुसंधान का संबंध है, मैं कहूंगा कि बहुत से विश्वविद्यालयों का स्तर ठीक नहीं है। यदि हम विश्वविद्यालयों में चल रहे अनुसंधान कार्य की जांच करें और अच्छे विश्वविद्यालयों के साथ उनकी तुलना करें तो हमें निराशा होगी। मैं केवल किसी एक वर्ग के सिर पर जिम्मेदारी नहीं मढ़ रहा हूं। बिहार में यही कुछ हो रहा है।

इसी प्रकार, हमारे देश में, बहुत से महाविद्यालयों में प्रावेशिक शुल्क प्रणाली अपनाई जा रही है और वह किसी एक राज्य में नहीं अपनाई जा रही है, परन्तु इसे अन्य कई राज्यों में अपनाया जा रहा है, विशेषकर दक्षिण में। यह ठीक समय है कि हम इससे छुटकारा पा लें। परन्तु मैं नहीं जानता कि क्या ऐसे विधेयक से यह उद्देश्य हल होगा या नहीं। यदि यह विधेयक पारित भी कर दिया जाता है तो यह निश्चित करने के लिए कि प्रावेशिक शुल्क से छुटकारा मिल जाए, कठोर सतर्कता और कार्यवाही की आवश्यकता होगी।

महोदय, यह प्रावेशिक शुल्क प्रणाली चालू क्यों है ? मैं एक उपाय सुझाऊंगा जो कि यह है कि हमें उम्मीदवारों के चुनाव की प्रक्रिया निश्चित करनी चाहिये। उम्मीदवारों के चुनाव हेतु कठोर नीतियां और प्रक्रियाएं होनी चाहिये। यदि कोई विशिष्ट प्रबन्धक किसी और के लिए कोई महाविद्यालय खोलता है तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सहायता देता है। केरल में तो सरकार वेतन भी दे रही है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति है, परन्तु किसी पाठ्यक्रम के लिए छात्रों के चुनाव का अधिकार प्रबन्धकों के पास होता है। जब सरकार वेतन और विकास व्यय भी दे रही है तो फिर प्रवेशों पर सरकार का कुछ नियन्त्रण क्यों नहीं है ? 'नियन्त्रण' से मेरा तात्पर्य है योग्यता के अनुसार प्रवेश। यदि कुछ सम्प्रदायों के लिए कुछ आरक्षण करना भी है तो वह वहां होना चाहिए और यदि कोई प्रबन्धक या सम्प्रदाय कुछ आरक्षण चाहता तो वह भी दिया जा सकता है, परन्तु वह भी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। अतः, योग्यता के आधार पर प्रवेश के उन मानदण्डों का पालन भी किया जाए, यदि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन्हें लागू कर सकता है तो तब मुझे पूर्ण विश्वास है प्रति व्यक्ति शुल्क की यह प्रणाली धीरे-धीरे समाप्त होती चली जाएगी। मुझे शक है कि केवल इस विधानमात्र से प्रावेशिक शुल्क की यह प्रणाली समाप्त हो सकेगी। इसी के साथ ही साथ, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यह भी देखना चाहिये कि आगे बढ़ने के लिए महाविद्यालयों के पास पर्याप्त धन भी हो, क्योंकि मेरा मतलब यह नहीं है कि वे

सभी महाविद्यालय जो प्रावेशिक शुल्क लेते हैं उसे अपनी जेबों में ही डालते हैं। कुछ प्रबन्धक और शायद सभी, प्रति व्यक्ति शुल्क के कम से कम कुछ भाग का महाविद्यालय के विकास के लिए उपयोग करते हैं। (**व्यवधान**) परन्तु ऐसी बात नहीं है कि जेबों में भर लेते हैं। इसमें यहां एक अनियमितता है। कुछ क्षेत्रों में जहां पर उच्च शिक्षा कतई नहीं होती है, वहां पर कोई प्रबन्धक आगे आकर महाविद्यालय आरम्भ करते हैं, प्रावेशिक शुल्क लेते हैं और महविद्यालय चलाते हैं और इस प्रकार वे उस क्षेत्र के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। इस प्रकार हम सेवा करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई प्रावेशिक शुल्क नहीं होना चाहिए तो चालू रहने के लिए महाविद्यालयों के पास पर्याप्त धन होना चाहिए। अन्यथा बहुत गम्भीर समस्याएं होंगी। मैं मन्त्री महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि हमारे देश के बहुत से महाविद्यालय भली-भांति सज्जित नहीं हैं। हमारे अधिकांश स्नातकोत्तर महाविद्यालयों की विज्ञान प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय अच्छे स्तर के नहीं हैं।

सरकार ने केरल में शुल्क नियन्त्रण प्रणाली लागू की। प्रबन्धक सरकारी स्तर के अनुरूप शुल्क ले रहे हैं, जिसका परिणाम यह है कि प्रयोगशालाएं भली-भांति सज्जित नहीं है, जिसमें सुविधाओं का अभाव है। अतः, यह देखने का उत्तरदायित्व वि० अ० आ० का है कि महाविद्यालय भली-भांति सज्जित हों और सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उनमें उपलब्ध हों।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन महाविद्यालयों को अधिक धन दे रहा है, जिनके पास सभी प्रकार की सुविधाएं पहले से ही हैं। जिन कालेजों के पास कम सुविधाएं हैं और कोई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी नहीं है, जब वे धन के लिए वि० अ० आ० के पास जाते हैं तो उनको इन सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए धन नहीं मिलता है। क्या मन्त्री महोदय इस पर ध्यान देकर इसकी जांच करायेंगे ? जिन महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भारी मात्रा में अनुदान मिलता रहा था, उन्हें आज भी मिल रहा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालयों को अनुदान नहीं मिलता है। अतः, अनुदान प्रदान करने की नीति का पुनरीक्षण होना चाहिये। आपको इसके बजाय कि पहले से ही सज्जित विभागों को, और सुविधाएं प्राप्त लोगों को अनुदान दिया जाए, आपको विभागों के निर्माण और उनको सज्जित करने के लिए अनुदान प्रदान करना चाहिये। वि० अ० आ० को नया रवैया अपनाना चाहिये। अन्यथा ग्रामीण क्षेत्रों के महाविद्यालय पिछड़ जाएंगे और शहरों के महाविद्यालयों को अधिकाधिक अनुदान मिलता रहेगा।

श्री बनातवाला ने अध्यापक वर्ग पर बढ़ते हुए कार्यभार का जिक्र किया है। अध्यापक पहले ही 18 घन्टे काम करते हैं। उन्हें महाविद्यालयों में भी अतिरिक्त काम करना पड़ता है। यदि एक अध्यापक कुशलता से अध्यापन कार्य करता है तो उसे अवश्य ही घर से पढ़कर आना पड़ता है और तैयार होकर आना पड़ता है, हममें से अधिकांश लोगों की तरह ऐसे ही नहीं आता है। इस प्रकार अध्यापकों के वर्तमान पांच घन्टे के कार्यभार को बढ़ाकर बीस घन्टे करना उचित नहीं है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि यदि ऐसा कोई परिपत्र है तो उसे तत्काल वापस लिया जाए। अन्यथा इसका उच्च शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को अध्यापकों के चयन हेतु समुचित नियम बनाने चाहिए। उन्हें सुयोग्य अध्यापक रखने चाहिए। मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि वह महाविद्यालयों में सुयोग्य अध्यापक रखने के बारे में चिन्तित नहीं है। यदि इस देश को लोकतान्त्रिक तरीके से प्रगति करनी है तो हमें सुयोग्य अध्यापक रखने चाहिए। क्या हम ऐसा कर रहे हैं? नहीं, आपको आकर्षक वेतन और सुविधाएं देकर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को इस ओर आकर्षित करना होगा। कुछ विश्वविद्यालय एक पी० एच० डी० को अध्यापक रखना अपना अपमान समझते हैं। हमारे राज्य में पी० एच० डी० अथवा तृतीय श्रेणी अथवा द्वितीय श्रेणी में पास अध्यापक एक समान है। शोध के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं है। शोधरत अध्यापकों को आकर्षक परिलब्धियां नहीं दी जाती हैं। हम अपनी शिक्षा का स्तर कैसे सुधार सकते हैं? यह कहा गया है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में काफी कठिनाइयां हैं। यदि शिक्षा के स्तर को ऊंचा करना है तो अध्यापकों की योग्यता बढ़ानी होगी और इसके लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को बेहतर नियन्त्रण रखना होगा। प्रतिभा जहां भी है, उसे मान्यता देनी होगी। शोध के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और शोध विद्वानों को बेहतर वेतन परिलब्धियां दी जानी चाहिए। अन्यथा, अध्यापकों की योग्यता बढ़ाने का जिक्र करने का कोई लाभ नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास पर्याप्त धन भी होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लिए धन कैसे प्राप्त किया जाए।

श्री पी० जे० कुरियन: मन्त्री जी जानते हैं कि धन कैसे प्राप्त किया जाए।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह): शारीरिक शिक्षा के बारे में आपका क्या विचार है?

प्रो० पी० जे० कुरियन: मैं उस पर भी आ रहा हूं। इस सभा में मैं पी० टी० ऊषा तथा अन्य एथलीटों (धावकों) के प्रदर्शन का जिक्र किए बिना नहीं रह सकता। वे लास एंजिल्स गए थे।

अध्यक्ष महोदय: सौभाग्यवश, वह केरल की है।

प्रो० पी० जे० कुरियन: जी हां, हमें इसका गर्व है? सम्पूर्ण देश को इसका गर्व है। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। हमारे खिलाड़ी अन्य देशों का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते? इसका कारण यह नहीं है कि हमारे खिलाड़ी कम कुशल है, इसका कारण यह है कि उनकी ओर जैसा कि माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह ने कहा है कि नाममात्र का ध्यान दिया जाता है। मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे इस बात का ध्यान रखें कि इस ओर अधिक ध्यान दिया जाए। यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। शिक्षा से केवल ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता है, बल्कि इससे व्यक्तित्व का भी विकास होता है। निस्सन्देह, शारिरिक विकास, चरित्र, प्रशिक्षण और खेलों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। इसको अधिक महत्व तथा इस ओर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय विधेयक में तदनुसार आवश्यक खण्ड सम्मिलित कर लेंगे। अन्यथा, मैं यह आशा भी करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इन पहलुओं की ओर अधिक ध्यान दे कार्यकारी उपाय करेंगी। चूंकि मैं सभा का अधिक समय ले चुका हूं, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : उपाध्यक्ष जी, यूनिवर्सिटी कमीशन के सम्बन्ध में यह बिल रखा गया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। वास्तव में शिक्षा के अन्दर एकरूपता लाने के लिए काफी समय से चर्चा चल रही थी और यह अच्छा मौका मिला है कि यूनिवर्सिटियों और कालेजों में जो मनमानी हो रही थी, इसके माध्यम से उसमें सुधार आयेगा। मैं, अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि काफी समय हो चुका है। एक सुझाव देना चाहता हूं कि अगर शिक्षा का माध्यम अच्छा बनाना है और यू० जी० सी० पैसा सर्व करती है तो उसके लिए आवश्यक है कि कालेजों में से यूनियनवाद को समाप्त कर दिया जाए। यूनियनवाद ने राजनीति में बिगाड़ लाने की कोशिश की है और यह बच्चों के जीवन से खिलवाड़ करती है। पहले यह परम्परा थी कि जो बच्चा अधिक मार्क्स लाता था, उसको मानिटर बनाया जाता था। इसलिए यूनियन में भी उसी को लीडर बनाया जाना चाहिए। आजकल गुण्डों, बदमाशों या जो शराब पिला सकते हैं, सिनेमा दिखा सकते हैं, गुण्डागर्दी कर सकते हैं उनको अध्यक्ष बना दिया जाता है। बनाने के बाद वह हराम का पैसा खर्च करता है और उल्टी-सीधी बातें करता है। इससे बच्चों का शिक्षा की तरफ से ध्यान नहीं जाता है। जब तक यूनियनवाद को समाप्त नहीं करेंगे तब तक यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमीशन जो पैसा खर्च कर रही है वह व्यर्थ है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि चार रीजनल कालेजेस हैं, जहां पर दसवीं के बाद प्रैक्टिल ज्ञान दिया जाता है ताकि कुछ सीखकर वे लोग कुछ काम कर सकें। चार में से एक रीजनल कालेज मेरे क्षेत्र अजमेर में है जिससे आठ प्रान्त सम्बन्धित हैं। वहां करोड़ की जायदाद और सम्पत्ति है, परन्तु उसका उपयोग नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि उस रीजनल कालेज को जो आठ प्रान्तों से सम्बन्धित है, उसको किसी यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाए और उसका नाम स्व० संजय गांधी के नाम पर रखा जाए। मुझे याद है जब स्व० संजय गांधी नौजवान थे तो हथौड़ा लेकर मोटर मैकेनिक का काम करते थे।

एक प्राइम मिनिस्टर का लड़का होते हुए मैकेनिक का काम करते हुए मैकेनिक का काम करते हुए, मैंने उनको देखा है। इसी प्रकार वहां पर भी मेहनत का काम है। वहां पर हाथ का काम होता है। कोई चमड़े का करता है और कोई खेती का काम करता है। इस तरह कई प्रकार के काम हैं। तो वहां पर रीजनल कालेज को यूनिवर्सिटी का रूप दिया जाए और उस यूनिवर्सिटी का नाम स्वर्गीय संजय गांधी जी की स्मृति में, जो बचपन से ही प्राइम मिनिस्टर के लड़के होते हुए भी मेहनत मजदूरी करके जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे, उन डायनामिक युवा नेता के साथ जोड़ा जाए। यह मेरा सुझाव है और मैं चाहूंगा कि हमारी शिक्षा मन्त्री महोदया इस पर ध्यान दें और इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करें। इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्रीमती शीला कौल : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आशा थी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संशोधन विधेयक में और अधिक लोगों की रुचि होगी । परन्तु चूंकि अब दिन समाप्त होने वाला है और पहले भी दिलचस्प विषयों पर चर्चा की जा चुकी है इसलिए माननीय सदस्य थक गए हैं और घर चले हैं। फिर भी यहां कुछ माननीय सदस्य हैं जिनकी इसमें अधिक दिलचस्पी है जिन्होंने विधेयक को विचारार्थ और पेश करने वाले समय मेरे भाषण को सुना है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मैं सुझाव देने के लिए उनका अत्यन्त आभारी हूं।

माननीय सदस्य श्री बनानवाला ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अध्यापकों का कार्य-भार 10 घंटे से बढ़ाकर 20 घंटे के लिए भेजे गए एक परिपत्र का उल्लेख किया है। मैं माननीय सदस्य को यह सूचित करना चाहती हूं कि 15 से 20 घंटे के इस कार्यभार में अध्यापक को तीन घंटे पढ़ाना पड़ता है और शेष समय में यदि अध्यापक मौजूद है तो उसे कुछ शिक्षकीय (ट्युटोरियल) और व्यावहारिक (प्रौद्योगिक) कार्य करना पड़ता है। अध्यापक से दिन में 3 कक्षाओं से अधिक कक्षाएं पढ़ाने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मेरे विचार में दिन में तीन कक्षाएं पढ़ना कोई अधिक काम नहीं है क्योंकि जब मैं अध्यापिका थी तो मुझे दिन में 6 कक्षाएं लेनी होती थीं। दिन की समाप्ति पर मैं व्यायाम शिक्षक भी होती थी और मुझे व्यायाम प्रशिक्षण की कक्षाएं भी लेनी पड़ती थीं। अतः मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति इस काम में रुचि लेता है तो वास्तव में यह कोई अधिक काम नहीं है।

श्री जी० एम० बनातवाला : क्या आप कार्यभार के बारे में मेरे द्वारा दिए गए सुझाव पर विचार करेंगी और अध्यापकों से बातचीत करके अपने दृष्टिकोण पर पुनः बिचार करेंगी ताकि शान्तिपूर्ण वातावरण बना रहे।

श्री डी० पी० यादव (मुंगेर) : वह आपके प्रश्न का पहले ही उत्तर दे चुकी हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : मेरे विचार में मैंने जो बात कहने की कोशिश की हैं वह आपकी समझ में आ गई है।

श्री डी० पी० यादव : वह आपकी बात अच्छी तरह समझ गई हैं।

श्री जी० एस० बनातवाला : शिक्षा विभाग आपके पास कब से है ?

श्री डी० पी० यादव : मैं पहले शिक्षा मंत्री था।

श्रीमती शीला कौल : जब वह शिक्षा मंत्री थे तब वह नहीं थे।

श्री जी० एम० बनातवाला : मैं जो बात कह रहा था वह विश्वविद्यालयों में शान्ति के हित में थी। कोई अशान्ति क्यों हो ? आप अध्यापकों को विश्वास में लीजिए।

इस पर बातचीत की जाए और पुनः विचार किया जाए।

श्रीमती शीला कौल : श्री यादव जी ने इस बिल के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए यह सुझाव दिया है कि हमें वोकेशनल एजूकेशन पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और अधिक से अधिक संख्या में आई० टी० आई० खोलनी चाहिएं। उनका सुझाव बहुत बढ़िया और अच्छा है इसके बाद हमारे एक अन्य माननीय सदस्य व्यास जी ने कुछ सुझाव दिए, उन्होंने श्री बनातवाला के सुझावों के खिलाफ बोलते हुये कहा कि हमें टीचर्स को ज्यादा काम देना चाहिए क्योंकि यदि उनके पास काम होगा तो वे अपने कामों में लगेंगे और फिर इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे।

8.00 म० प०

प्रो० पी० जे० कुरियन ने कहा है कि महाविद्यालयों में योग्यता के आधार पर प्रवेश सुनिश्चित करने हेतु शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने प्रावेशिक शुल्क को समाप्त करने के हमारे सुझाव का भी स्वागत किया है। जैसा कि विधेयक में मैं कह चुकी हूं कि हम इस संबंध में तथा आम सेवा सुविधाओं के बारे में अत्यन्त चिंतित हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय स्तर पर प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का उत्तरदायित्व अपने हाथ में लेने की संभावना का पता लगा रहा है। अध्यापक भी राष्ट्रीय स्तर की इस परीक्षा में सम्मिलित हैं। जैसा कि अभी कहा गया है कि हम अध्यापकों के लिए योग्यता परीक्षा आयोजित करेंगे। इन सुविधाओं के साथ, जब उनका विकास हो जाएगा, तब यह सुनिश्चित करना संभव होगा कि न केवल विद्यार्थी परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे और प्रवेश लेंगे बल्कि हमारे पास सुयोग्य अध्यापक भी होंगे और जैसा कि मैंने वक्तव्य में कहा है कि हम इसी दृष्टि से सोच रहे हैं।

आचार्य भगवान देव ने अजेमर स्थित क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय के बारे में एक सुझाव दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में संघ नहीं होने चाहिए। इस संबंध में कई प्रकार के विचार हैं और यह इस पर निर्भर करता है कि सबके विचार क्या हैं। यह लोकतन्त्र है। अधिक लोग यह कहते हैं कि संघ (यूनियन) नहीं होने चाहिए। इस प्रकार इस संबंध में कदम उठाया जा सकता है। परन्तु यह इस पर निर्भर करता है कि सबका विचार क्या बनता है और इसी आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। जहां तक टीचर्स का ज्यादा काम देने का सवाल है मेरा विचार है कि टीचर्स को ज्यादा काम देना चाहिए। ज्यादा काम होगा तो अच्छे कामों में वह लगेंगे और इधर-उधर की बातें नहीं करेंगे।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा): मैंने यह भी कहा था कि राजस्थान यूनीवर्सिटीज को ज्यादा ग्रान्ट दीजिए।

श्रीमती शीला कौल : डेवलपमेंट ग्रान्ट देने का यह कायदा है कि अगर कुछ कंडीशन्स को कालेज पूरा करते हैं तो यू० जी० सी० डेवलपमेंट ग्रान्ट यूनीवर्सिटीज को देता है। लेकिन कंडीशन्स को पूरा करना पड़ता है। अगर आपकी यूनीवर्सिटीज पूरा कर लेंगी तो यू० जी० सी० जरूर उनको डेवलपमेंट ग्रान्ट देगी।

आचार्य भगवान देव : रीजनल कालेज के बारे में भी कुछ कहिए।

श्रीमती शीला कौल : आपकी बातें नोट कर ली हैं और हम देख लेंगे।

मुझे बहुत प्रसन्नता है जिन्होंने इन डिबेट में हिस्सा लिया है। लेकिन मैं फिर कहूंगी अगर ज्यादा माननीय सदस्य होते तो जवाब देने में ज्यादा जोश आ जाता। इन शब्दों के साथ मैं बहुत मशकूर हूं आपकी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्यसभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

खण्ड 2 से 4

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 4 विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खन्ड 5 से 9

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० अजित कुमार मेहता—उपस्थित नहीं हैं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 से 9 विधेयक के अंग बनें।'

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 5 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक के अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।